उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

—:•:—

खण्ड १२८

—:०:—

सोमवार, २१ दिसम्बर, १९५३ से

बृहस्पतिवार, २४ दिसम्बर, १९५३ तक

लखनऊ:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)।

१९५४

मूल्य: बिना महसूल ४ आने; महसूल सहित ५ आने।

वार्षिक चन्दा: बिना महसूल १० रुपये; महसूल सहित १२ रुपये।

विषय सूची

सोमवार, २१ दिसम्बर, १९५३

मंगलवार, २२ दिसम्बर, १९५३

बुधवार, २३ दिसम्बर, १९५३

बृहस्पतवार, २४ दिसम्बर, १९५४

शासन

राज्यपाल

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी ।

मन्त्रि–परिषद्

श्री गोविन्द वल्लभ पंत, बी० ए०, एल०-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, मुख्य मंत्री तथा सामान्य प्रशासन, सहकारिता और नियोजन मंत्री।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल०-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, वित्त तथा विद्युत मंत्री ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी०-एस० सी०, विधान सभा सदस्य, गृह तथा श्रम मंत्री ।

श्री हुकुम सिंह, बी० ए०, एल०-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, उद्योग तथा पुनर्वासन मंत्री ।

श्री गिरधारी लाल, एम० ए०, विधान सभा सदस्य, निर्माण–मंत्री ।

श्री चन्द्र भानु गुप्त एम० ए०, एल०-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, स्वास्थ्य तथा अन्नमंत्री ।

श्री सैयद अली जहीर, बार-ऐट-ला, विधान सभा सदस्य, न्याय तथा मादक-कर मंत्री ।

श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस० सी०, एल०-एल० बी, विधान सभा सदस्य, माल तथा कृषि मंत्री ।

श्री हरगोविन्द सिंह, बी० एस०-सी० एल०-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री ।

श्री मोहन लाल गौतम, बी० ए० (आनर्स) विधान सभा-सदस्य, स्वशासन मंत्री ।

श्री कमलापति त्रिपाठी, विधान सभा सदस्य, सूचना तथा सिंचाई मंत्री ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा, विधान सभा-सदस्य, परिवहन मंत्री ।

उपमन्त्री

श्री मंगला प्रसाद, बी० ए०, एल०-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, सहकारिता उपमंत्री ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल०-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, वन उपमंत्री ।

श्री फूल सिंह, बी० ए०, एल०-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, नियोजन उपमंत्री ।

श्री जगन प्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल०-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, कृषि उपमन्त्री ।

श्री मुजफ्फ़र हसन, विधान सभा-सदस्य, कारावास उपमंत्री ।

श्री राममूर्ति, एम० ए०, एल०-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, सिंचाई उपमंत्री ।

श्री चतुर्भुज शर्मा, बी० ए०, एल०-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य निर्माण, उपमंत्री ।

सभा–सचिव

मुख्य मंत्री के सभा-सचिव

श्री कृपाशंकर, विधान सभा-सदस्य ।

अन्न मंत्री के सभा-सचिव

१—श्री बलदेव सिंह आर्य, विधान सभा-सदस्य ।

२—श्री बनारसी दास, विधान सभा-सदस्य ।

उद्योग मंत्री के सभा-सचिव

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफरी, एम० ए०, विधान सभा सदस्य ।

माल मंत्री के सभा-सचिव

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य, बी० ए०, एल०-एल० बी०, विधान सभा सदस्य ।

शिक्षा मन्त्री के सभा-सचिव

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (विस), पी–एच० डी०. विधान सभा सदस्य ।

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
१—अंसमान सिंह, श्री	..	बस्ती (पूर्व)
२—अक्षयवर सिंह, श्री	..	गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व)
३—अजीज इमाम, श्री	..	मिर्जापुर (दक्षिण)
४—अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री	..	रुड़की (दक्षिण)
५—अनन्त स्वरूप सिंह, श्री	..	फतेहपुर (दक्षिण)–खागा (दक्षिण)
६—अब्दुल मुईज खां, श्री	..	खलीलाबाद (मध्य)
७—अब्दुल रऊफ खां श्री		फतेहपुर (पूर्व) खागा (उत्तर)
८—अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री		मिर्जापुर (उत्तर)
९—अमृतनाथ मिश्र, श्री	..	उतरौला (दक्षिण)
१०—अली जहीर, श्री सैयद	..	लखनऊ नगर (मध्य)
११—अवधशरण वर्मा, श्री	..	फतेहपुर (उत्तर)
१२—अवधेशचन्द्र सिंह, श्री	..	छिब्रामऊ (पूर्व)—फर्रुखाबाद (पूर्व)
१३—अवधेशप्रताप सिंह, श्री	..	बीकापुर (पूर्व)
१४—अशरफ अली खां, श्री	..	सादाबाद (पूर्व)
१५—आत्मा राम गोविन्द खेर, श्री	..	झांसी (पूर्व)
१६—आर्थर ग्राइस, श्री	..	नाम निर्देषित आँग्ल भारतीय
१७—आशालता व्यास, श्रीमती	..	फूलपूर (दक्षिण)
१८—इर्तिजा हुसैन, श्री	..	बुलन्दशहर (उत्तर–पश्चिम)
१९—इसरारुल हक, श्री	..	फीरोजाबाद, फतेहाबाद
२०—इस्तफा हुसैन, श्री	..	गोरखपुर (मध्य)
२१—उदयभान सिंह, श्री	..	डलमऊ (पूर्व)
२२—उमाशंकर, श्री	..	सगरी (पश्चिम)
२३—उमाशंकर तिवारी, श्री	..	चंदौली (दक्षिण–पश्चिम) रामनगर
२४—उमाशंकर मिश्र, श्री	..	नवाबगंज (दक्षिण) हैदरगढ़ रामसनेही घाट
२५—उम्मेद सिंह, श्री	..	उतरौला (उत्तर पूर्व)
२६—उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री		ऐतमादपुर आगरा (पूर्व)
२७—ऐजाज रसूल, श्री	..	शाहाबाद (पश्चिम)
२८—ओंकार सिंह, श्री	..	दातागंज (उत्तर) बदायूं
२९—कन्हैयालाल, श्री	..	सिधौली (पश्चिम)
३०—कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री	..	शाहाबाद (पूर्व) हरदोई (उत्तर–पश्चिम)
३१—कमलापति त्रिपाठी, श्री	..	चकिया-चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३२—कमला सिंह, श्री	..	सैदपुर
३३—कमाल अहमद रिजवी, श्री	..	मोहमदी (पूर्व)
३४—करण सिंह यादव, श्री	..	गुन्नौर (उत्तर)
३५—करन सिंह, श्री	..	निघासन लखीमपुर (उत्तर)
३६—कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री	..	इलाहाबाद नगर (मध्य)
३७—कल्याण राय, श्री	..	हजूर मिलक (उत्तर)
३८—कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री	..	चंदौली (उत्तर)
३९—कालिका सिंह, श्री	..	लालगंज (दक्षिण)

सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
४०—कालीचरण टंडन, श्री	..	कन्नौज (उत्तर)
४१—काशीप्रसाद पांडेय, श्री	..	कादीपुर
४२—किन्दरलाल, श्री	..	हरदोई (पूर्व)
४३—किशनस्वरूप भटनागर, श्री	..	खुरजा
४४—कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री	..	सुल्तानपुर (पश्चिम)
४५—कृपाशंकर, श्री	..	हरैया (पूर्व) बस्ती (पश्चिम)
४६—कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री	..	सीतापुर (दक्षिण—पूर्व)
४७—कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री	..	ललितपुर (दक्षिण)
४८—कृष्ण शरण आर्य, श्री	..	मिलक (दक्षिण)—शाहाबाद
४९—केदारनाथ, श्री	..	मुरादाबाद (दक्षिण)
५०—केवल सिंह, श्री	..	सिकन्दराबाद (पूर्व)
५१—केशभान राय, श्री	..	बांसगांव (मध्य)
५२—केशव गुप्त, श्री	..	कैराना (उत्तर)
५३—केशव पांडेय, श्री	..	गोरखपुर (उत्तर—पूर्व)
५४—केशवराम, श्री	..	सहसवान (पूर्व)
५५—कैलाश प्रकाश, श्री	..	मेरठ नगरपालिका
५६—खयालीराम, श्री	..	अमरोहा (पूर्व)
५७—खुशीराम, श्री	..	पिथौरागढ़, चम्पावत
५८—खूब सिंह, श्री	..	धामपुर (उत्तर—पूर्व) नगीना (पूर्व)
५९—गंगाधर, श्री	..	चमोली (पश्चिम) पौड़ी (उत्तर)
६०—गंगाधर जाटव, श्री	..	फीरोजाबाद, फतेहाबाद
६१—गंगाधर शर्मा, श्री	..	मिश्रिख
६२—गंगाप्रसाद, श्री	..	तरबगंज (दक्षिण—पूर्व)-गोंडा (दक्षिण)
६३—गंगाप्रसाद सिंह, श्री	..	रसरा (पश्चिम)
६४—गजेन्द्र सिंह, श्री	..	बिधूना (पूर्व)
६५—गज्जूराम, श्री	..	मऊ-मोठ (दक्षिण)—झांसी (पश्चिम—ललितपुर (उत्तर)
६६—गणेशचन्द्र काछी, श्री	..	मैनपुरी (उत्तर)—भोगांव (उत्तर)
६७—गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री	..	इलाहाबाद नगर (पूर्व)
६८—गणेशप्रसाद पांडेय, श्री	..	बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)
६९—गिरजारमण शुक्ल, श्री	..	पट्टी (दक्षिण)
७०—गिरधारी लाल, श्री	..	धामपुर (उत्तर-पूर्व) नगीना (पूर्व)
७१—गुप्तार सिंह, श्री	..	डलमऊ (दक्षिण—पश्चिम)
७२—गुरुप्रसाद पांडेय, श्री	..	खजुहा (पश्चिम)
७३—गुरुप्रसाद सिंह, श्री	..	मुसाफिरखाना (दक्षिण)—अमेठी (पश्चिम)
७४—गुलजार, श्री	..	मुसाफिरखाना (उत्तर)-सुल्तानपुर (उत्तर)
७५—गेंदा सिंह, श्री	..	पडरौना (पूर्व)
७६—गोपीनाथ दीक्षित, श्री	..	इटावा (दक्षिण)
७७—गोवर्धन तिवारी, श्री	..	अल्मोड़ा (दक्षिण)
७८—गोविन्द वल्लभ पंत, श्री	..	बरेली नगरपालिका
७९—गौरीराम, श्री	..	फरेंदा (मध्य)
८०—घनश्यामदास, श्री	..	नवाबगंज (दक्षिण)—हैदरगढ़ रामसनेही घाट
८१—घासीराम जाटव, श्री	..	बिधूना (पश्चिम)-भरथना (उत्तर)—इटावा (उत्तर)

सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
८२—चतुर्भुज शर्मा, श्री	..	उरई-जालौन (दक्षिण)
८३—चन्द्रभानु गुप्त, श्री	..	लखनऊ नगर (पूर्व)
८४—चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री	..	तराबगंज (दक्षिण-पूर्व) गोंडा (दक्षिण)
८५—चन्द्रवती, श्रीमती	..	बिजनौर (मध्य)
८६—चन्द्र सिंह रावत, श्री	..	पौड़ी (दक्षिण)-चमोली (पूर्व)
८७—चन्द्रहास, श्री	..	हरदोई (पूर्व)
८८—चरण सिंह श्री	..	बागपत (पश्चिम)
८९—चित्तर सिंह निरंजन, श्री	..	कोंच
९०—चिरंजीलाल जाटव, श्री	..	जलेसर-एटा (उत्तर)
९१—चिरंजीलाल पालीवाल, श्री	..	छिबरामऊ (दक्षिण)-कन्नौज (दक्षिण)
९२—चुन्नीलाल सगर, श्री	..	बिसौली-गुन्नौर (पूर्व)
९३—छेदालाल, श्री	..	शाहाबाद (पूर्व)-हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
९४—छेदालाल चौधरी, श्री	..	लखीमपुर (दक्षिण)
९५—जगतनारायण, श्री	..	नवाबगंज (उत्तर)
९६—जगदीश प्रसाद, श्री	..	हसनपुर (दक्षिण)-सम्भल (पश्चिम)
९७—जगदीश सरन रस्तोगी, श्री	..	सम्भल (पूर्व)
९८—जगन प्रसाद रावत, श्री	..	खैरगढ़
९९—जगन्नाथ प्रसाद, श्री	..	निघासन लखीमपुर (उत्तर)
१००—जगन्नाथ बख्श दास, श्री	..	रामसनेही घाट
१०१—जगन्नाथ मल्ल, श्री	..	पडरौना (उत्तर)
१०२—जगन्नाथ सिंह, श्री	..	बलिया (उत्तर-पूर्व) बांसडीह (दक्षिण-पश्चिम)
१०३—जगपति सिंह श्री	..	मऊकरवी बबेरू (पूर्व)
१०४—जगमोहन सिंह नेगी, श्री	..	लैन्सडाउन (पश्चिम)
१०५—जटाशंकर शुक्ल, श्री	..	पुरवा (उत्तर) हसनगंज
१०६—जयपाल सिंह श्री	..	रुड़की (पश्चिम)-सहारनपुर (उत्तर)
१०७—जयराम वर्मा, श्री	..	अकबरपुर (पश्चिम)
१०८—जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	..	खेन-टेहरी, (उत्तर)
१०९—जवाहरलाल, श्री	..	करछना (उत्तर)-चायल (दक्षिण)
११०—जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर	..	कानपुर नगर (पूर्व)
१११—जुगलकिशोर, श्री	..	मथुरा (दक्षिण)
११२—जोरावर वर्मा, श्री	..	महोबा, कुलपहाड़ चरखारी
११३—ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री	..	गोंडा (पश्चिम)
११४—झारखंडेराय, श्री	..	घोसी (पश्चिम)
११५—टीकाराम, श्री	..	संडीला-बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व)
११६—डल्लाराम, श्री	..	मिश्रिख
११७—डालचन्द, श्री	..	माट-सादाबाद (पश्चिम)
११८—तिरमल सिंह, श्री	..	कासगंज (उत्तर)
११९—तुलसीराम, श्री	..	बदायूं (दक्षिण पश्चिम)
१२०—तुलाराम, श्री	..	औरैया-भरथना (दक्षिण)
१२१—तुलाराम रावत श्री	..	मलिहाबाद-बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)
१२२—तेजप्रताप सिंह, श्री	..	मौदहा (दक्षिण)
१२३—तेजबहादुर, श्री	..	लालगंज (उत्तर)
१२४—तेजा सिंह, श्री	..	गाजियाबाद (उत्तर-पश्चिम)
१२५—त्रिलोकीनाथ कौल, श्री	..	बहराइच (पश्चिम)

सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
१२६—दयालदास भगत, श्री	..	घाटमपुर-भोगनीपुर (पूर्व)
१२७—दर्शनराम, श्री	..	मऊ-करवी, बबेरू (पूर्व)
१२८—दलबहादुर सिंह, श्री	..	सलोन (दक्षिण)
१२९—दाऊदयाल खन्ना, श्री	..	मुरादाबाद (उत्तर)
१३०—दाताराम, श्री	..	नकुड़ (दक्षिण)
१३१—दीनदयालु शर्मा, श्री	..	अनूपशहर, (उत्तर)
१३२—दीनदयालु शास्त्री, श्री	..	रुड़की (पूर्व)
१३३—दीपनारायण वर्मा, श्री	..	जौनपुर (पश्चिम)
१३४—देवकीनन्दन विभव, श्री	..	आगरा
१३५—देवदत्त मिश्र, श्री	..	पुरवा (दक्षिण)
१३६—देवदत्त शर्मा, श्री	..	बुलन्दशहर (दक्षिण)—अनूपशहर (दक्षिण)
१३७—देवनन्दन शुक्ल, श्री	..	सलीमपुर (पश्चिम)
१३८—देवमूर्ति राम, श्री	..	बनारस (पश्चिम)
१३९—देवराम, श्री	..	सैदपुर
१४०—देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री		गोरखपुर (पश्चिम)
१४१—द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री	..	मुजफ्फरनगर, (मध्य)
१४२—द्वारका प्रसाद मौर्य श्री	..	मरियाहूं (उत्तर)
१४३—द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री	..	फरेंदा (दक्षिण)
१४४—धनुषधारी पांडेय, श्री	..	खलीलाबाद (दक्षिण)
१४५—धर्म सिंह, श्री	..	बुलन्दशहर (दक्षिण)-अनूपशहर (दक्षिण)
१४६—धर्मदत्त वैद्य, श्री	..	बहेड़ी (दक्षिण-पश्चिम)-बरेली (पश्चिम)
१४७—नत्थू सिंह, श्री	..	आओं (पूर्व) फरीदपुर
१४८—नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री	..	हाथरस
१४९—नरदेव शास्त्री, श्री	..	पश्चिमीय दून दक्षिण पूर्वीय दून
१५०—नरेन्द्र सिंह विष्ट श्री	..	पिथौरागढ़-चम्पावत
१५१—नरोत्तम सिंह, श्री	..	दातागंज (दक्षिण)—बदायूं (दक्षिण-पूर्व)
१५२—नवलकिशोर, श्री	..	आओंला (पश्चिम)
१५३—नागेश्वर द्विवेदी, श्री	..	मछलीशहर (उत्तर)
१५४—नाज़िम अली, श्री	..	मुसाफिरखाना (उत्तर)-सुल्तानपुर (उत्तर)
१५५—नारायण दत्त तिवारी, श्री	..	नैनीताल (उत्तर)
१५६—नारायणदास, श्री	..	फैजाबाद (पूर्व)
१५७—नारायण दीन वाल्मीकि, श्री	..	पवायां-शाहजहांपुर (पूर्व)
१५८—निरंजन सिंह, श्री	..	पीलीभीत (पूर्व)-बीसलपूर (पश्चिम)
१५९—नेकराम शर्मा, श्री	..	सिकन्दराराव (दक्षिण)
१६०—नेत्रपाल सिंह, श्री	..	सिकन्दराराव (उत्तर)—कोइल (दक्षिण-पूर्व)
१६१—नौरंगलाल, श्री	..	नवाबगंज
१६२—पद्मनाथ सिंह, श्री	..	मुहम्मदाबाद गोहना (दक्षिण)
१६३—परमानन्द सिन्हा, श्री	..	सोराव (दक्षिण)
१६४—परमेश्वरी राम, श्री	..	केराकट जौनपुर (दक्षिण)
१६५—परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री	..	महाराजगंज (उत्तर)
१६६—पहलवान सिंह चौधरी, श्री	..	बांदा
१६७—पातीराम, श्री	..	छिबरामऊ (पूर्व)-फर्रुखाबाद (पूर्व)
१६८—पुत्तूलाल, श्री	..	ऐतमादपुर-आगरा (पूर्व)
१६९—पुद्दनराम, श्री	..	बांसी (उत्तर)

सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
१७०--पुलिन विहारी बनर्जी, श्री	..	लखनऊ नगर (पश्चिम)
१७१--प्रकाशवती सूद, श्रीमती	..	हापुड़ (उत्तर)
१७२--प्रतिपाल सिंह, श्री	..	शाहजहांपुर (पश्चिम)--जलालाबाद (पूर्व)
१७३--प्रभाकर शुक्ल, श्री	..	हरैया (उत्तर-पश्चिम)
१७४--प्रभुदयाल, श्री	..	बस्ती (पश्चिम)
१७५--प्रेमकिशन खन्ना, श्री	..	पवायां-शाहजहांपुर (पूर्व)
१७६--फ़ज़लुल हक़, श्री	..	रामपुर नगर
१७७--फ़तेह सिंह राणा, श्री	..	सरधना (पश्चिम)
१७८--फूल सिंह, श्री	..	देवबन्द
१७९--बद्रीनारायण मिश्र, श्री	..	सलेमपुर (दक्षिण)
१८०--बनारसीदास, श्री	..	बुलन्दशहर (मध्य)
१८१--बलदेव सिंह, श्री	..	बनारस (मध्य)
१८२--बलदेव सिंह आर्य, श्री	..	पौड़ी (दक्षिण)-चमोली (पूर्व)
१८३--बलवीर सिंह, श्री	..	गाजियाबाद (दक्षिण)
१८४--बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री	..	उतरौला (उत्तर)
१८५--बलवन्त सिंह, श्री	..	मुजफ्फरनगर (पूर्व)-जानसठ (उत्तर)
१८६--बशीर अहमद हकीम, श्री	..	सीतापुर (पूर्व)
१८७--बसन्तलाल, श्री	..	कालपी-जालौन (उत्तर)
१८८--बसन्तलाल शर्मा, श्री	..	नानपारा (उत्तर)
१८९--बाबूनन्दन, श्री	..	शाहगंज (पूर्व)
१९०--बाबूराम गुप्त, श्री	..	कासगंज (पश्चिम)
१९१--बाबूलाल कुसुमेश, श्री	..	रामसनेहीघाट
१९२--बाबूलाल मित्तल, श्री	..	आगरा नगर (उत्तर)
१९३--बालेन्दुशाह, महाराजकुमार	..	टेहरी (दक्षिण) प्रतापनगर
१९४--बिशम्बर सिंह, श्री	..	सरधना (पूर्व)
१९५--बेचनराम श्री	..	ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
१९६--बेचनराम,गुप्त, श्री	..	ज्ञानपुर (पूर्व)
१९७--बेनीसिंह, श्री	..	कानपुर तहसील
१९८--बैजनाथ साद सिंह, श्री	..	बांसडीह (मध्य)
१९९--ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री	..	कानपुर नगर (दक्षिण)
२००--भगवतीदीन तिवारी, श्री	..	जौनपुर (उत्तर)-शाहगंज (पश्चिम)
२०१--भगवतीप्रसाद दुबे, श्री	..	बांसगांव (पूर्व)-गोरखपुर (दक्षिण)
२०२--भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री	..	प्रतापगढ़ (पूर्व)
२०३--भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री	..	फतेहपुर (दक्षिण)
२०४--भगवानदीन वाल्मीकि, श्री	..	फतेहपुर (दक्षिण)-खागा (दक्षिण)
२०५--भगवान सहाय, श्री	..	तिलहर (दक्षिण)
२०६--भीमसेन, श्री	..	खुरजा
२०७--भुवरजी, श्री	..	फूलपुर (पूर्व)-हंडिया (उत्तर-पश्चिम)
२०८--भूपाल सिंह खाती, श्री	..	अल्मोड़ा (उत्तर)
२०९--भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	..	बांसगांव (दक्षिण-पूर्व)
२१०--भोला सिंह यादव, श्री	..	गाजीपुर (दक्षिण-पश्चिम)
२११--मकसूद आलम खां, श्री	..	पीलीभीत (पश्चिम)
२१२--मंगला प्रसाद, श्री	..	मेजा-करछना (दक्षिण)
२१३--मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री	..	फर्रुखाबाद (पश्चिम) छिबरामऊ

सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
२१४—मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री	..	बांसी (उत्तर)
२१५—मदनगोपाल वैद्य, श्री	..	फैजाबाद (पूर्व)
२१६—मदनगोपाल उपाध्याय, श्री	..	रानीखेत (उत्तर)
२१७—मन्नीलाल गुरुदेव, श्री	..	महोबा–कुलपहाड़–चरखारी
२१८—मलखान सिंह, श्री	..	कोइल (मध्य)
२१९—महमूद अली खां, श्री	..	सुमर–टांडा–बिलासपुर
२२०—महमूद अली खां, श्री	..	सहारनपुर (उत्तर-पश्चिम) नकुड़ (उत्तर)
२२१—महाजन, श्री सी० बी०	..	आगरा नगर (पश्चिम)
२२२—महादेव प्रसाद, श्री	..	गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
२२३—महाराज सिंह, श्री	..	शिकोहाबाद (पश्चिम)
२२४—महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री	..	हंडिया (दक्षिण)
२२५—महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री	..	मोहनलालगंज
२२६—महावीर सिंह, श्री	..	हाटा (उत्तर) देवरिया
२२७—महीलाल, श्री	..	बिलारी
२२८—मान्धाता सिंह, श्री	..	रसरा (पूर्व) बलिया (दक्षिण–पश्चिम)
२२९—मिजाजीलाल, श्री	..	करहल (पूर्व)–भोगांव (दक्षिण)
२३०—मिहरबान सिंह, श्री	..	बिधूना (पश्चिम) भरथना (उत्तर) इटावा (उत्तर)
२३१—मुज़फ़्फ़र हसन, श्री	..	चायल (उत्तर)
२३२—मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री	..	पूरनपुर–बीसलपुर (पूर्व)
२३३—मुन्नूलाल, श्री	..	बिसवां–सिधौली (पूर्व)
२३४—मुरलीधर कुरील, श्री	..	बिल्हौर–अकबरपुर
२३५—मुश्ताक अली खां, श्री	..	सहसवान (पश्चिम)
२३६—मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री	..	डुमरियागंज (दक्षिण)
२३७—मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री	..	बिजनौर (उत्तर) नजीबाबाद (पश्चिम)
२३८—मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री	..	बनारस नगर (उत्तर)
२३९—मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज	..	नगीना (दक्षिण–पश्चिम)–धामपुर (उत्तर-पूर्व)
२४०—मुहम्मद तकी हादी, श्री	..	अमरोहा (पश्चिम)
२४१—मुहम्मद नबी, श्री	..	बुढ़ाना (पूर्व)–जानसठ (दक्षिण)
२४२—मुहम्मद नसीर, श्री	..	टांडा
२४३—मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री	..	देवरिया (उत्तर–पूर्व)
२४४—मुहम्मद मंजूरुलनबी, श्री	..	सहारनपुर नगर
२४५—मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री	..	मछलीशहर, (दक्षिण)
२४६—मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री	..	उतरौला (मध्य)
२४७—मुहम्मद सआदत अली खां, राजा		नानपारा (दक्षिण)
२४८—मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री	..	डुमरियागंज (उत्तर–पूर्व)–बांसी (पश्चिम)
२४९—मोहनलाल, श्री		सफीपुर–उन्नाव (उत्तर)
२५०—मोहनलाल गौतम, श्री	..	खैर–कोइल (उत्तर-पश्चिम)
२५१—मोहन सिंह, श्री	..	बुलन्दशहर (उत्तर पूर्व)
२५२—मोहन सिंह शाक्य, श्री	..	अलीगंज (दक्षिण)
२५३—यमुना प्रसाद, श्री	..	बहराइच (पश्चिम)
२५४—यमुना सिंह, श्री	..	गाजीपुर (मध्य)–मुहम्मदाबाद (उत्तर-पश्चिम)
२५५—यशोदादेवी, श्रीमती	..	बांसगांव (दक्षिण–पश्चिम)
२५६—रघुनाथ प्रसाद, श्री	..	मेजा करछना (दक्षिण)
२५७—रघुराज सिंह, श्री	..	तरबगंज (पश्चिम)

सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
२५८—रघुवीर सिंह, श्री	..	बागपत (दक्षिण)
२५९—रणंजय सिंह, श्री	..	अमेठी (मध्य)
२६०—रतनलाल जैन, श्री	..	नजीबाबाद (उत्तर)-नगीना (उत्तर)
२६१—रमानाथ खैरा, श्री	..	महरौनी
२६२—रमेशचन्द्र शर्मा, श्री	..	मरियाहूं (दक्षिण)
२६३—रमेश वर्मा, श्री	..	किराउली
२६४—राघवेंद्र प्रताप सिंह, राजा	..	उतरौला (दक्षिण-पश्चिम)
२६५—राजकिशोर राव, श्री	..	बहराइच (पूर्व)
२६६—राजकुमार शर्मा, श्री	..	चुनार (उत्तर)
२६७—राजनारायण, श्री	..	बनारस (दक्षिण)
२६८—राजनारायण सिंह, श्री	..	चुनार (दक्षिण)
२६९—राजवंशी, श्री	..	पडरौना (दक्षिण-पश्चिम)-देवरिया (दक्षिण-पूर्व)
२७०—राजाराम, श्री	..	अतरौली (दक्षिण)—कोइल (पूर्व)
२७१—राजाराम किसान श्री	..	प्रतापगढ़ (पश्चिम)—कुन्डा (उत्तर)
२७२—राजाराम मिश्र, श्री	..	फैजाबाद (पश्चिम)
२७३—राजाराम शर्मा, श्री	..	खलीलाबाद (उत्तर)
२७४—राजेन्द्र दत्त, श्री	..	मुज़फ़्फ़रनगर (पश्चिम)
२७५—राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री	..	बिलग्राम (पूर्व)
२७६—राधामोहन सिंह, श्री	..	बलिया (पूर्व)
२७७—राम अधार तिवारी, श्री	..	प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)—पट्टी (उत्तर-पश्चिम)
२७८—रामअधीन सिंह यादव, श्री	..	पुरवा (मध्य)
२७९—राम अनन्त पांडेय, श्री	..	बलिया (मध्य)
२८०—राम अवध सिंह, श्री	..	फरेंदा (उत्तर)
२८१—रामकिंकर, श्री	..	प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)—पट्टी (उत्तर—पश्चिम)
२८२—रामकुमार शास्त्री, श्री	..	बांसी (दक्षिण)
२८३—रामकृष्ण जैसवार, श्री	..	मिर्जापुर (दक्षिण)
२८४—रामगुलाम सिंह, श्री	..	जलालाबाद (पश्चिम)
२८५—रामचन्द्र विकल, श्री	..	सिकन्दराबाद (पश्चिम)
२८६—रामचरनलाल गंगवार, श्री	..	बरेली (पश्चिम)
२८७—रामजी लाल सहायक, श्री	..	मवाना
२८८—रामजी सहाय, श्री	..	देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)-हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
२८९—रामदास आर्य, श्री	..	बुढाना (पूर्व)—जानसठ (दक्षिण)
२९०—रामदास रविदास, श्री	..	अकबरपुर (पश्चिम)
२९१—राम दुलारे मिश्र, श्री	..	अकबरपुर (दक्षिण)
२९२—रामनरेश शुक्ल, श्री	..	कुन्डा (दक्षिण)
२९३—रामनारायण त्रिपाठी, श्री	..	अकबरपुर (पूर्व)
२९४—रामप्रसाद, श्री	..	रायबरेली, डलमऊ (उत्तर)
२९५—रामप्रसाद देशमुख, श्री	..	खैर-कोइल (उत्तर—पश्चिम)
२९६—रामप्रसाद नौटियाल, श्री	..	लैन्सडाउन (पूर्व)
२९७—रामप्रसाद सिंह, श्री	..	महाराजगंज (दक्षिण)
२९८—रामबली मिश्र, श्री	..	सुल्तानपुर (पूर्व)—अमेठी (पूर्व)
२९९—रामभजन, श्री	..	मोहमदी (पश्चिम)
३००—राममूर्ति, श्री	..	बहेड़ी (उत्तर—पूर्व)
३०१—रामरतन प्रसाद, श्री	..	रसरा (पूर्व)—बलिया (दक्षिण-पश्चिम)

सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
३०२—रामराज शुक्ल, श्री	..	पट्टी (पूर्व)
३०३—रामलखन, श्री	..	चकिया-चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३०४—रामलखन मिश्र, श्री	..	डुमरिया गंज (उत्तर-पश्चिम)
३०५—रामलाल, श्री	..	बस्ती (पश्चिम)
३०६—रामवचन यादव, श्री	..	फूलपुर (दक्षिण)
३०७—रामशंकर द्विवेदी, श्री	..	रायबरेली-डलमऊ (उत्तर)
३०८—रामशंकर रविवासी, श्री	..	लखनऊ (मध्य)
३०९—रामसनेही भारतीय, श्री	..	बबेरी (पश्चिम)
३१०—रामसहाय शर्मा, श्री	..	गरोधा—मोठ (उत्तर)
३११—रामसुन्दर पांडेय, श्री	..	घोसी (पूर्व)
३१२—रामसुन्दर राम, श्री	..	खलीलाबाद (दक्षिण)
३१३—रामसुभग वर्मा, श्री	..	पडरौना (पश्चिम)
३१४—रामसुमेर, श्री	..	टांडा
३१५—रामस्वरूप, श्री	..	दूधी-राबर्टसगंज
३१६—रामस्वरूप गुप्त, श्री	..	भोगनीपुर (पश्चिम)—डेरापुर (दक्षिण)
३१७—रामस्वरूप भारतीय, श्री	..	कुन्डा (दक्षिण)
३१८—रामस्वरूप मिश्र "विशारद", श्री		महाराजगंज (पश्चिम)
३१९—रामहरख यादव, श्री	..	बीकापुर (पश्चिम)
३२०—रामहेत सिंह, श्री	..	छत्ता
३२१—रामेश्वर प्रसाद, श्री	..	महाराजगंज (पश्चिम)
३२२—रामेश्वर लाल, श्री	..	देवरिया (दक्षिण)
३२३—लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री	..	नैनीताल (दक्षिण)
३२४—लक्ष्मणराव कदम, श्री	..	मऊ—मोठ (दक्षिण)—झांसी (पश्चिम)—ललितपुर (उत्तर)
३२५—लक्ष्मीदेवी, श्रीमती	..	संडीला बिलग्राम (दक्षिण—पूर्व)
३२६—लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री	..	माट-सादाबाद (पश्चिम)
३२७—लक्ष्मीशंकर यादव, श्री	..	शाहगंज (पूर्व)
३२८—लताफत हुसैन, श्री	..	हसनपुर (उत्तर)
३२९—लालबहादुर सिंह, श्री	..	केराकट-जौनपुर (दक्षिण)
३३०—लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री	..	बनारस (उत्तर)
३३१—लीलाधर अष्ठाना श्री	..	उन्नाव (दक्षिण)
३३२—लुत्फ अली खां, श्री	..	हापुड़ (दक्षिण)
३३३—लेखराज सिंह, श्री	..	सम्भल (पूर्व)
३३४—वंशनारायण सिंह, श्री	..	ज्ञानपुर (उत्तर—पश्चिम)
३३५—वंशीदास धनगर, श्री	..	करहल (पश्चिम) शिकोहाबाद (पूर्व)
३३६—वंशीधर मिश्र, श्री	..	लखीमपुर (दक्षिण)
३३७—वसी नकवी, श्री	..	महाराजगंज (पूर्व)—सलोन (उत्तर)
३३८—वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री	..	कानपुर नगर (मध्य-पश्चिम)
३३९—विचित्र नारायण शर्मा, श्री	..	गाजियाबाद (उत्तर-पूर्व)
३४०—विजय शंकर प्रसाद, श्री	..	मुहम्मदाबाद (दक्षिण)
३४१—विद्यावती राठौर, श्रीमती	..	एटा (पूर्व) अलीगढ़ (पश्चिम)—कासगंज (दक्षिण)
३४२—विश्रामराय, श्री	..	सगरी (पूर्व)
३४३—विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री	..	गाजीपुर (पश्चिम)
३४४—विष्णु दयाल वर्मा, श्री	..	जसराना

सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
३४५—विष्णुशरण दुब्लिश, श्री	..	मवाना
३४६—वीरसेन, श्री	..	हापुड़ (दक्षिण)
३४७—वीरेंद्रनाथ मिश्र, श्री	..	बिलग्राम (पश्चिम)
३४८—वीरेंद्रपति यादव, श्री	..	मैनपुरी (दक्षिण)
३४९—वीरेंद्र वर्मा, श्री	..	कैराना (दक्षिण)
३५०—वीरेंद्र विक्रम सिंह, श्री	..	नानपारा (पूर्व)
३५१—वीरेंद्रशाह, राजा	..	कालपी-जालौन (उत्तर)
३५२—ब्रजभूषण मिश्र, श्री	..	दूधी राबर्टसगंज
३५३—ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती	..	बिल्हौर-अकबरपुर
३५४—ब्रजबासी लाल, श्री	..	बीकापुर (मध्य)
३५५—ब्रजबिहारी मिश्र, श्री	..	फूलपुर (उत्तर)
३५६—ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री	..	घाटमपुर भोगनीपुर (पूर्व)
३५७—शंकर लाल, श्री	..	कादीपुर (मध्य)
३५८—शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री	..	बाह
३५९—शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री	..	चकराता-पश्चिमी दून (उत्तर)
३६०—शिवकुमार मिश्र, श्री	..	तिलहर (उत्तर)
३६१—शिवकुमार शर्मा, श्री	..	बिजनौर (दक्षिण) धामपुर (दक्षिण-पश्चिम)
३६२—शिवदान सिंह, श्री	..	इगलास
३६३—शिवनाथ काटजू, श्री	..	फूलपुर (मध्य)
३६४—शिवनारायण, श्री	..	हरैया (पूर्व)-बस्ती (पश्चिम)
३६५—शिवपूजन राय, श्री	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर-पूर्व)
३६६—शिवप्रसाद, श्री	..	हाटा (मध्य)
३६७—शिवमंगल सिंह, श्री	..	बांसडीह (पश्चिम)
३६८—शिवमंगल सिंह कपूर, श्री	..	डुमरियागंज (पश्चिम)
३६९—शिवराजबली सिंह, श्री	..	खजुहा (पूर्व)—फतेहपुर (दक्षिण-पश्चिम)
३७०—शिवराज सिंह यादव, श्री	..	बिसौली-गुन्नौर (पूर्व)
३७१—शिवराम पाण्डेय, श्री	..	डोरापुर (उत्तर)
३७२—शिवराम राय, श्री	..	सदर (आजमगढ़) उत्तर
३७३—शिववक्ष सिंह राठौर, श्री	..	करहल (पूर्व)–भोगांव (दक्षिण)
३७४—शिववचन राव, श्री	..	सलीमपुर (उत्तर)
३७५—शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री		बहराइच (पूर्व)
३७६—शिवस्वरूप सिंह, श्री	..	ठाकुरद्वारा
३७७—शुकदेव प्रसाद, श्री	..	महाराजगंज (दक्षिण)
३७८—शुगन चन्द, श्री	..	रुड़की (पश्चिम)--सहारनपुर (उत्तर)
३७९—श्याममनोहर मिश्र, श्री	..	मलिहाबाद–बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)
३८०—श्यामलाल, श्री	..	उतरौला (उत्तर)
३८१—श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री		नरैनी
३८२—श्रीचन्द, श्री	..	बुढ़ाना (पश्चिम)
३८३—श्रीनाथ भार्गव, श्री	..	मथुरा (उत्तर)
३८४—श्रीनाथ राम, श्री	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर)–घोसी (दक्षिण)
३८५—श्रीनिवास, श्री	..	उतरौली (उत्तर)
३८६—श्रीनिवास पण्डित, श्री	..	बदायूं (उत्तर)
३८७—श्रीपति सहाय, श्री	..	राठ

सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
३८८—सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती		कासगंज (पूर्व)—अलीगंज (उत्तर)
३८९—संग्राम सिंह	..	सोरें (उत्तर) फूलपूर (पश्चिम)
३९०—सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री	..	सलीमपुर (पूर्व)
३९१—सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती	..	गोंडा (पूर्व)
३९२—सत्यनारायण दत्त, श्री	..	औरय्या-भरथना (दक्षिण)
३९३—सत्यसिंह राणा, श्री	..	देवप्रयाग
३९४—सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती		बरेली (पूर्व)
३९५—सम्पूर्णानन्द, डाक्टर	..	बनारस नगर (दक्षिण)
३९६—सहदेव सिंह, श्री	..	जलेसर-एटा (उत्तर)
३९७—सावित्रीदेवी, श्रीमती	..	मुसाफिरखाना (मध्य)
३९८—सियाराम गंगवार, श्री	..	फ़र्रुखाबाद (मध्य)—क़ायमगंज (पूर्व)
३९९—सियाराम चौधरी, श्री	..	कैसरगंज (मध्य)
४००—सीतारम, डाक्टर	..	देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)-हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
४०१—सीताराम शुक्ल, श्री	..	हरैया (दक्षिण-पश्चिम)
४०२—सुखीराम भारतीय, श्री	..	सिराथू-मंझनपुर
४०३—सुन्दरलाल, श्री	..	आओला (पूर्व)—फ़रीदपूर
४०४—सुरुजूराम, श्री	..	सदर (आजमगढ़) (उत्तर)
४०५—सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री	..	हमीरपुर-मौदहा (उत्तर)
४०६—सुरेशप्रकाश सिंह, श्री	..	बिसवां-सिधौली (पूर्व)
४०७—सुल्तान आलम खां, श्री	..	क़ायमगंज (पश्चिम)
४०८—सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री	..	कानपुर नगर (उत्तर)
४०९—सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री	..	हाटा (मध्य)
४१०—सेवाराम, श्री	..	पुरवा (उत्तर) हसनगंज
४११—हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री	..	सिधौली (पश्चिम)
४१२—हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री	..	सफ़ीपुर-उन्नाव (उत्तर)
४१३—हबीबुर्रहमान आजमी, श्री	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर)—घोसी (दक्षिण)
४१४—हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री	..	शाहजहांपुर (मध्य)
४१५—हमीद खां, श्री	..	कानपुर नगर (मध्य-पूर्व)
४१६—हरखयाल सिंह, श्री	..	बाग़पत (पूर्व)
४१७—हरगोविन्द पन्त, श्री	..	रानीखेत (दक्षिण)
४१८—हरगोविन्द सिंह, श्री	..	जौनपुर (पूर्व)
४१९—हरदयाल सिंह पिपल, श्री	..	हाथरस
४२०—हरदेव सिंह, श्री	..	देवबन्द
४२१—हरसहाय गुप्त, श्री	..	बिलारी
४२२—हरिप्रसाद, श्री	..	बिसलपुर (मध्य)
४२३—हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री	..	सीतापुर (उत्तर-पश्चिम)
४२४—हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री	..	लखनऊ (मध्य)
४२५—हरिसिंह, श्री	..	हापुड़ (उत्तर)
४२६—हुकुमसिंह, श्री	..	कैसरगंज (दक्षिण)
४२७—हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री	..	करछना (उत्तर) चैल (दक्षिण)
४२८—होतीलाल दास, श्री	..	एटा (दक्षिण)
४२९—(रिक्त)	..	कैसरगंज (उत्तर)
४३०—(रिक्त)	..	गाजीपुर (दक्षिण)
४३१—(रिक्त)	..	सिराथू मंझनपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी०।

उपाध्यक्ष

श्री हरगोविन्द पन्त, बी० ए०, एल-एल० बी०।

सचिव

श्री कैलासचन्द्र भटनागर, एम० ए०।

सहायक सचिव

श्री राधेरमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस-सी०।

विशेषाधिकारी

श्री रामप्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी०।

अधीक्षक

श्री देवकीनन्दन मित्थल, एम०, ए०, एल-एल० बी०।

श्री भोलादत्त उपाध्याय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २१ दिसम्बर, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६४)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अमृत नाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
काली चरण टंडन, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशी राम, श्री
गंगा धर, श्री
गंगा धर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पांडेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरी राम, श्री

घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र भानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालोवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदा लाल, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगत नारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीका राम, श्री
डल्ला राम, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसी राम, श्री
तुला राम, श्री
तुला राम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाता राम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौरंग लाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभू दयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़जलुल हक़, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्री नारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबू नन्दन, श्री

बाबू राम गुप्त, श्री
बाबू लाल कुसुमेश, श्री
बाबू लाल मीतल, श्री
बिशम्बर सिंह, श्री
बिश्राम राय, श्री
बेचन राम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती दीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नी लाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)।
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
मही लाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजा राम मिश्र, श्री
राजा राम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधा मोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण जैसवार, श्री
राम गुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री

रामनरेश शुक्ल, श्री
राम नारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राम भजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
राम सनेही भारतीय, श्री
राम सहाय शर्मा, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सुन्दर राम, श्री
राम सुभग वर्मा, श्री
राम सुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
राम हरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती

सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविंद पन्त, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अस्थाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
होती लाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

नागर क्षेत्र ज़मींदारी उन्मूलन विधेयक के सम्बन्ध में पूछताछ

*१—श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या राजस्व मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि नागर क्षेत्र ज़मींदारी उन्मूलन विधेयक विधान सभा के समक्ष कब उपस्थित किया जायगा ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—नागर क्षेत्र ज़मींदारी उन्मूलन विधेयक जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ था अभी हाल ही में सभा द्वारा फिर से प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया गया है। समिति द्वारा उस पर विचार हो जाने पर उसे सभा के समक्ष उपस्थित किया जायगा।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—इस विधेयक को विधान सभा के समक्ष उपस्थित करने में इतनी देर क्यों लगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—विधान सभा के समक्ष यह विधेयक उपस्थित किया गया तो इसी विधान सभा ने इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया। वहां से विचार होकर आने पर यह उपस्थित किया जायगा।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या यह सही है कि इसलिये देर की गई ताकि म्युनिसिपल चुनावों पर इसका विपरीत असर न पड़े।

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाज़त नहीं देता। यह आक्षेप है।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोई बिल सिलेक्ट कमेटी में जाय तो कितने दिन में वह वापस आजाना चाहिये इसके सम्बन्ध में क्या कोई नियम है ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता । आपको नियम जानना चाहिये ।

श्री राम नारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---इसको एक्जामिन किया जा रहा है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बिल को प्रवर समिति में पेश किये हुये कितने दिन हो गये ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---यह विधान सभा की पिछली बैठक में प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया था वैसे ठीक तारीख तो मुझे याद नहीं है ।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह विधेयक कितनी बार प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---यह विधान सभा के प्रत्येक सदस्य को मालूम है कि पहली दफा प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया था । प्रवर समिति की रिपोर्ट के आने पर यह विधेयक फिर से प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया गया ।

श्री नेकराम शर्मा---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ३ मास से अधिक हो जाने पर भी प्रवर समिति की रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आयी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---अभी प्रवर समिति की बैठक नहीं हो पायी है, मुमकिन है उसके लिये समय बढ़ाने के लिये विधान सभा से आज्ञा लेनी पड़े ।

पर्वतीय क्षेत्रों के लिये ज़मींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार सम्बन्धी विधेयक

*२---श्री राम नारायण त्रिपाठी---क्या राजस्व मंत्री कृपा कर यह बतायेंगे कि पर्वतादि क्षेत्रों में ज़मींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार सम्बन्धी विधेयक विधान सभा के समक्ष कब उपस्थित किया जायगा ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---यह विषय सरकार के विचाराधीन है और बहुत जल्दी निर्णय होगा ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या यह बात सही है कि पर्वतीय क्षेत्रों में ज़मींदारी उन्मूलन का प्रश्न सन् १९३७ ई० से विचाराधीन पड़ा हुआ है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा यहां पर भी १९५२ में ज़मींदारी उन्मूलन विधेयक पास हुआ है । सभी प्रश्नों पर इसके सम्बन्ध में अर्से से सोचा जा रहा है । ज़मींदारी विनाश विधेयक जब पास हो गया तो पहाड़ी इलाकों में भी सोचा जा रहा है कि किस रूप में वहां इसको लागू किया जाय ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---क्या यह सही है कि सरकार ने एक साल पहले भी यही उत्तर दिया था कि विचाराधीन है, क्या अब यह आशा की जा सकती है कि बजट के पहले यह सभा के सामने आ जायगा ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---यह तो ठीक नहीं कहा जा सकता कि बजट के पहले आ जायगा, लेकिन वह अर्से से विचाराधीन है, सरकार उसके बारे में अभी किसी अन्तिम फैसले पर नहीं पहुंची है ।

श्री राम नारायण त्रिपाठी---क्या पर्वतीय क्षेत्रों में ज़मींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में सर्वे या रिकार्ड आपरेशन्स हुए हैं ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--सर्वे जौनसार भाभर में हुयी है जिसके बारे में माननीय सदस्य को मालूम भी होगा। वैसे जमींदारी के सिलसिले में सर्वे आदि नहीं हो रही है सिर्फ यह देखा जा रहा है कि क्या दिक्कतें हैं तथा वहां परिस्थितियों के अनुसार किस प्रकार वह लागू किया जा सकता है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या सरकार को यह मालूम है कि पहाड़ों पर जमींदारी उन्मूलन न होने की वजह से जमीदारों और किसानों में बड़ी भारी लड़ाई चल रही है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जमींदारों और किसानों की किस तरह की लड़ाई चल रही है इसकी सूचना इस समय तो नहीं है, सूचना प्राप्त होने पर यह पता चल सकता है कि लड़ाई किस प्रकार की है?

रामनगर (बनारस) के बिजलीघर के मजदूरों को नोटिस

*३--श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायगी कि रामनगर (बनारस) के बिजलीघर के मजदूरों को सरकार द्वारा नौकरी से अलग करने को नोटिस दे दी गयी है?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)--जी हां।

*४--श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायगी कि राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की ओर से सरकार के पास कई मास पहिले इन मजदूरों के सम्बन्ध में कोई आवेदन पत्र आया था? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री मोहन लाल गौतम--जी हां। एक आवेदन-पत्र जून, १९५३ ई० में प्राप्त हुआ था। बिजलीघर के जो कर्मचारी किसी अन्य विभाग में लिये जाने के लायक होंगे उन्हें जगह होने पर वहां रखने का प्रयत्न किया जायगा। बाकी कर्मचारियों को टेहरी-गढ़वाल रामपुर ऐन्ड बनारस (डिस्चार्ज पर्सनल रूल १९५० के अन्तर्गत जो पेंशन, ग्रेचुइटी या मुआविजा) मिल सकता है वह दिया जायगा।

तारांकित प्रश्न

रोडवेज विभाग के सम्बन्ध में पूछ-ताछ

*१--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले चार वर्षों में रोडवेज विभाग में कितने केस गबन के हुये, उनमें कितना नुकसान हुआ, कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी और कितनों को सजा हुयी?

*२--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रोडवेज की सेंट्रल और रीजनल वर्कशाप का कितना रुपया उन व्यक्तियों पर पावना है जिन्होंने अपनी गाड़ियों की वर्कशाप में मरम्मत करवाई है?

*३--क्या सरकार इस सम्बन्ध में अंतिम आडिट नोट के उद्धरण मेज पर रखने की कृपा करेगी?

कृषि-उप मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)--इस सम्बन्ध में पूर्ण सूचना अभी एकत्रित नहीं की जा सकी है। सम्पूर्ण सूचना लगभग चार सप्ताह में एकत्रित करके उत्तर दिया जायगा।

तराई की बोक्सा जाति के निष्कासित काश्तकारों का पुनर्वासन

*४—श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि किछा कोलोनाइजेशन की असावधानी से तराई के पुराने कृषकों व बोक्सा जाति के काश्तकारों के अनेक गांव जबर्दस्ती कोलोनाइजेशन में शामिल कर नये कृषकों को एलाट कर दिये गये? अगर हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त गांवों के नाम बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—पुराने कृषक अथवा बोक्सा जाति के काश्तकार की जमीन जबरदस्ती कोलोनाइजेशन क्षेत्र में शामिल नहीं की गयी। राजकीय नीति के अनुसार उन कृषकों की भूमि, जो पहले से खेती करते चले आये हैं छोड़ दी जाती है या उनको अन्य किसी स्थान पर भूमि दे दी जाती है। गांवों के नाम बतलाने का प्रश्न नहीं उठता।

*५—श्री नारायण दत्त तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायगी कि वह ऐसे निष्कासित बोक्सा जाति के तथा अन्य पुराने काश्तकारों को दुबारा आबाद करने के लिये क्या योजना बना रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—प्रश्न नहीं उठता।

तराई के हेमपुर स्टेट फार्म में गन्ने की उपज

*६—श्री नारायण दत्त तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायगी कि तराई के हेमपुर स्टेट फार्म में पिछले तीन वर्षों में कुल कितना गन्ना (अलग अलग सीजन में) कितने एकड़ भूमि में लगाया गया और परिणामस्वरूप कितना गन्ना पैदा हुआ ?

श्री जगन प्रसाद रावत—आवश्यक सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १११ पर)

सरकारी ट्रैक्टरों की संख्या तथा क्रय

*७—श्री श्रीचन्द—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसके पास अब कितने ट्रैक्टर हैं और वे कितने रुपयों में किन-किन कम्पनियों से मोल लिये गये थे ?

श्री जगन प्रसाद रावत—सरकार के पास अब ५५८ ट्रैक्टर हैं और वे जिन कम्पनियों से जितने में मोल लिये गये हैं उसके लिए सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ११२-११३ पर)

*८—श्री श्रीचन्द—क्या सरकार बतायगी कि क्या सब ट्रैक्टर काम में लाये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगन प्रसाद रावत—नहीं, क्योंकि कुछ ट्रैक्टरों की मरम्मत हो रही है, कुछ स्पेयर पार्ट्स के अभाव में बेकार पड़े हैं और कुछ चलते-चलते अब अनुपयोगी (unserviceable) हो गये हैं।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने ट्रैक्टर्स इस समय काम में आ रहे हैं और कहां-कहां पर हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत--इस समय ३०४ ट्रैक्टर्स चालू हालत में हैं जो काम में आ रहे हैं। १२७ ट्रैक्टर्स अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर सिंचाई विभाग के पास हैं, ७३ डिप्टी-डायरेक्टर मिकेनाईजेशन, ४२ डायरेक्टर आफ कोलोनाईजेशन और ६२ अन्य विभागों के पास हैं।

श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो ट्रैक्टर्स स्पेयर पार्ट्स के अभाव के कारण पड़े हुये हैं उनके न मिलने के कारण क्या हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत--उनके न मिलने के कारण यही हैं कि वे यहां मौजूद नहीं थे और उनके मंगाने की कोशिश की जा रही है।

श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि ऐसे ट्रैक्टर्स जिनके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते किस लागत के होंगे ?

श्री जगन प्रसाद रावत--इसकी सूचना तो इस समय मेरे पास नहीं है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उनको बता दूंगा।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन ट्रैक्टरों की संख्या, जो कि स्पेयर पार्ट्स न मिलने के कारण बेकार पड़े हुये हैं, कितनी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--उनकी तादाद १७ है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--क्या यह सही है कि ट्रैक्टर विभाग ने क़रीब ३ लाख रुपये के टायर और ट्रैक्टर्स के ऐसे पुर्जे खरीदे, जो दुनिया के किसी मुल्क में काम नहीं आते ?

श्री जगन प्रसाद रावत--ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

राजा वीरेन्द्र शाह--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इन ट्रैक्टरों में से एक ट्रैक्टर सहारनपुर के एक माननीय सदस्य के पास पांच साल से पड़ा हुआ है ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--एक ट्रैक्टर एक माननीय सदस्य के पास जरूर था और वह ट्रैक्टर अब उन्होंने खरीद लिया है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या सरकार इस बीच में कोई नये ट्रैक्टर्स खरीदना चाह रही है ?

श्री चरण सिंह--आजकल तो कोई नहीं खरीद रही है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या सरकार इन ट्रैक्टर्स को, जिनके पुर्जे बेकार पड़े हुये हैं, बेचना चाहेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत--माननीय सदस्य अगर खरीदना चाहें तो बेचने में कोई एतराज नहीं है ?

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फ़रनगर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो ट्रैक्टर्स किसी को बेचे जाते हैं उनकी कोई क़ीमत लगायी जाती है या नीलाम किये जाते ह। ?

श्री जगन प्रसाद रावत--उनकी क़ीमत लगायी जाती है। हम यह देखते हैं कि उसमें हमें कोई घटी न रहे।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या माननीय कृषि मंत्री को मालूम है कि इन ट्रैक्टरों में ८ ट्रैक्टर्स राजा साहब भदरी, प्रतापगढ़ को दिये गये थे और वहां से सब बरबाद होकर लौटे हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत—मुझे तो इसकी कोई सूचना नहीं है। सम्भवतः माननीय त्रिपाठी जी को कोई सूचना हो।

श्री बलवन्त सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर के जिन सदस्य को ट्रैक्टर बेचा गया है वह कौन सा मेक था और किस क़ीमत पर बेचा गया?

श्री चरण सिंह—मेक तो इस वक्त मुझे याद नहीं है और न कितनी क़ीमत पर बेचा गया यही ठीक याद है। कुछ उनका रुपया गवर्नमेंट पर वाजिब था और कुछ गवर्नमेंट का उन पर वाजिब था तो हिसाब फहमी के बाद गवर्नमेंट ने जितना रुपया उस ट्रैक्टर का लेना मुनासिब समझा उतने रुपये में वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पर और उस जोन के जो ऐग्रीकल्चर इंजीनियर हैं उन दोनों पर छोड़ दिया गया था कि उस पर उनको बेच दिया जाय।

टिड्डी दलों से हानि

*९—श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस साल टिड्डियों के कितने दल यू० पी० में आये और इससे सूबे को क्या हानि हुई?

श्री चरण सिंह—सन् १९५३ में उत्तर प्रदेश में टिड्डी दलों का प्रवेश १७ मई से आरम्भ हुआ और १८ जुलाई तक जारी रहा। इस काल में कुल मिला कर लगभग ३१ टिड्डी दल इस प्रदेश में पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम दिशाओं से प्रविष्ट हुये। इन टिड्डी दलों द्वारा प्रदेश के २० जिलों में कुल मिला कर ४६५२.५५ एकड़ के क्षेत्रफल में कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का, सनई, गन्ना, धान, सांवा, महुवा, अरहर, ढेंचा, मूंग, उर्द, और खरबूजा की फसलों तथा ६,११० आम, अमरूद, जामुन, इमली, महुआ, शीशम, पीपल, बरगद, बबूल, बांस, खजूर, नीम व ढांक के वृक्षों को हानि पहुंची। अनुमानित हानि लगभग २९,००० रुपयों की हुई।

*१०—श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन टिड्डी दलों से बचने के कौन से उपाय सरकार ने किये और उनका क्या फल निकला?

श्री चरण सिंह—१९ जिलों में कुल मिला कर १२,४८८ एकड़ के क्षेत्रफल में जिलों के टिड्डी विनाशक संगठन व राजकीय कृषि रक्षा सेवा द्वारा इन टिड्डी दलों को नष्ट करने का कार्य किया गया, जिसके फलस्वरूप लगभग १२३ मन टिड्डियां नष्ट की गयीं। यह कूतना बहुत मुश्किल है कि यदि इतनी टिड्डियां नष्ट न की जातीं तो उनसे और कितना नुक्सान होता परन्तु यह प्रत्यक्ष है कि इनके मारने से फायदा तो हुआ ही इसके अतिरिक्त कुछ टिड्डी दलों ने जुलाई के महीने में मैनपुरी, मथुरा तथा बदायूं के जिलों में अंडे दिये थे। इन अंडों तथा उनसे निकलने वाले टिड्डी के बच्चों को नष्ट करने का कार्य सब मिला कर २,७२७ एकड़ के क्षेत्र फल में इन तीन जिलों के टिड्डी विनाशक संगठन व कृषि रक्षा सेवा द्वारा किया गया। इसके फलस्वरूप मैनपुरी तथा मथुरा के जिलों में लगभग १,९६३८ रुपये की फसलों की बचत हुई।

गन्ने की उपज का तखमीना तथा गुड़ उत्पादन

*११—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस वर्ष के लिये कितना एकड़ गन्ना प्रदेश में बोया गया था और उसमें कितनी उपज का तखमीना लगाया गया था?

श्री चरण सिंह--इस वर्ष (सन् १९५२-५३) प्रदेश में २६,४५,०६१ एकड़ गन्ना बोया गया था और उसमें लगभग ७१.५७ करोड़ मन उपज का अनुमान किया गया था।

*१२--श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)--इस समय तक कुल कितना गन्ना पेरा जा चुका है, कितना खेत में खड़ा है और कितने का गुड़ बनाया गया है?

श्री चरण सिंह--चीनी मिलों द्वारा १९.५३ करोड़ मन गन्ना पेरा गया और लगभग ३५.१६ करोड़ मन गन्ने का गुड़ बनाया गया। शेष गन्ना बीज, चूसने तथा और अन्य कामों में लाया गया। केवल ४७ हजार मन गन्ना (२० हजार मन खड्डा मिल क्षेत्र में और २७ हजार मन रामपुर मिल क्षेत्र में) बगैर पेरे रह गया।

कुर्क अमीनों का वेतन तथा भत्ता

*१३--श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुर्क अमीनों के तनख्वाह की शरह क्या है? क्या सरकार उनका वेतन बढ़ाने का इरादा रखती है?

श्री चरण सिंह--कुर्क अमीनों के मासिक वेतन की दर ६०-४-८०-५-१२० रु० है। ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*१४--श्री राम सुभग वर्मा (अनुपस्थित)--क्या कुर्क अमीनों को वसूल किये हुये रुपये प्रति सप्ताह तहसील में जमा करने पड़ते हैं? यदि हां, तो उनके आने-जाने का मार्ग-व्यय क्या सरकार देती है? यदि नहीं, तो क्या देने का विचार कर रही है?

श्री चरण सिंह--जी हां।

नियमों के आधार पर अस्थायी कुर्क अमीन अपने हल्के के अन्दर रेल व्यय प्रति मील के अतिरिक्त किसी और प्रकार के मार्ग-व्यय के अधिकारी नहीं हैं।

जी नहीं।

जिला देवरिया में फार्मों की संख्या

*१५--श्री राम सुभग वर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया के अन्दर ५० एकड़, १०० एकड़ तथा इससे अधिक के कितने फार्म हैं?

श्री चरण सिंह--देवरिया जिले में ५० एकड़ से १०० एकड़ वाले फार्मों की संख्या १२ तथा इनसे, अधिक क्षेत्रफल वाले फार्मों की संख्या १४ है।

*१६-१८--श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)--[स्थगित किये गये।]

बस्ती जिले में सरकार द्वारा वितरित धान के बीज की शिकायत

*१९--श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)--क्या माल मंत्री कृपया बतलायेंगे कि सरकार द्वारा वितरित धान के बीज से जो धान के पौदे उत्पन्न हुये थे उनके सम्बन्ध में बस्ती जिला से कोई शिकायत उनके पास आई थी?

श्री जगन प्रसाद रावत--जी हां।

*२०--श्री झारखण्डे राय--अगर हां, तो वह शिकायत क्या थी?

श्री जगन प्रसाद रावत--बीज गोदामों से लिये गये धान के बीज से फसल अच्छी पैदा नहीं हुई।

*२१—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बतायेगी कि उसने इस विषय में क्या कार्यवाहीं की?

श्री जगन प्रसाद रावत—अधिकारियों से कह दिया गया है कि जिन लोगों की फसल खराब हो गई है उनसे बीज की वसूली अगली फसल तक स्थगित कर दी जाय और उनसे देर की अदायगी के कारण कोई तावान न लिया जाय।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि खराब बीजों की वजह से कितनी हानि हुई है?

श्री जगन प्रसाद रावत—बीजों के खराब होने की वजह से कोई हानि नहीं हुई। असल में कारण यह था कि उस साल पानी सितम्बर में नहीं बरसा और उसकी वजह से फसल को हानि हुई। लेकिन जो कुछ हानि इस कारण से भी हुई उसके लिये भी उनके साथ रियायतें की गईं।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या सरकार बतायेगी कि यह बीज जो सरकार किसानों को देती है उस का जरमिनेशन प्रतिशत क्या होती है?

श्री जगन प्रसाद रावत—ऐसे तो कोई सही आंकड़े हमारे पास नहीं हैं।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि सीड स्टोर से बीज देने से पहले ऐसा कोई टेस्ट लिया जाता है?

श्री जगन प्रसाद रावत—वहां जो कृषि के अधिकारी होते हैं वह देख लेते हैं कि बीज खराब नहीं है और उसमें कोई दोष नहीं है।

श्री शिव कुमार शर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि इसके क्या कारण हैं कि बीज खराब हो जाते हैं और उनकी वाइटेलिटी गिर जाती है?

श्री जगन प्रसाद रावत—बीज खराब न हों तो उसके कारण ही क्या बताये जायं।

नैनीताल जिले में मुक्तेश्वर केन्द्र की पट्टियों में टिड्डियों से हानि

*२२—श्री नारायण दत्त तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर केंद्र के आस-पास की पट्टियों में टिड्डियों ने तमाम फसल को नष्ट कर डाला? अगर हां, तो पीड़ित ग्रामों को क्या-क्या सहायता दी जा रही है?

श्री चरण सिंह—मुक्तेश्वर केंद्र की तल्ली कोटोली और मल्ली कोटोली पट्टियों में टिड्डियां बहुत थोड़े समय के लिये आई थीं जिससे मडुये की फसल को कुछ हानि हुई, जो नहीं के बराबर थी। अतः किसानों को सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जिले में मालगुजारी की वसूली में वारन्ट गिरफ्तारी तथा कुर्की

*२३—श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)—क्या राजस्व मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि देवरिया जिले की चारों तहसीलों में चालू वर्ष की मालगुजारी की वसूली में कितने व्यक्तियों के नाम वारंट, गिरफ्तारी तथा वारंट कुर्की जारी किये गये?

श्री चरण सिंह—देवरिया जिले की चारों तहसीलों में फसली १३६० में मालगुजारी की वसूली के सिलसिले में १,१४५ व्यक्तियों के नाम वारंट गिरफ्तारी तथा ४७० व्यक्तियों के नाम वारंट कुर्की जारी किये गये थे।

*२४—श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)—जिन व्यक्तियों के ऊपर उक्त प्रकार की कार्यवाही की गयी क्या ये उन गांवों के मालगुजार हैं जहां ओले से क्षति हुई है ?

श्री चरण सिंह—जिन व्यक्तियों के ऊपर उक्त प्रकार की कार्यवाही की गई उनमें से कुछ व्यक्ति उन गांवों के भी मालगुजार हैं जहां ओले से क्षति हुई।

*२५—श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)—ओले से क्षति-ग्रस्त गांवों में वारंट गिरफ्तारी तथा वारंट कुर्की कितने व्यक्तियों पर की गई, कितने लोग गिरफ्तार हुये और कितने लोगों के पशु मवेशीखाने तक पहुंचाये गये ?

श्री चरण सिंह—ओले से क्षति-ग्रस्त १,०४४ गांवों में २५६ व्यक्तियों पर वारंट गिरफ्तारी तथा १३ व्यक्तियों पर वारंट कुर्की जारी की गई। केवल एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ और ३ व्यक्तियों के पशु मवेशीखाने तक पहुंचाये गये।

जौनपुर जिले में भूदान-यज्ञ के लिए प्राप्त भूमि का वितरण

*२६—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की प्रत्येक तहसील में कितनी भूमि श्री विनोवा जी को भूदान यज्ञ में मिली है और उसका वितरण किस प्रकार किया गया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—३१ अगस्त, १९५३ तक प्रत्येक तहसील में प्राप्त भूमि के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

शाहगंज में	..	..	३०४३.९५ एकड़
केराकत में	..	..	४७७.८० ,,
मछली शहर में	..	..	४६५.६१ ,,
मड़ियाहूं में	..	..	५०१.३९ ,,
जौनपुर में	..	..	४८०.०० ,,

इसके अतिरिक्त महाराजा बनारस से १०७८.९३ एकड़ भूमि प्राप्त हुई जिसका तहसीलवार विभाजन अभी ज्ञात नहीं हो पाया है। जहां तक वितरण का प्रश्न है, शाहगंज तथा मछलीशहर तहसीलों में अभी वितरण नहीं हो सका है। अन्य तहसीलों में जो भूमि वितरित हुई है उसका रक़बा इस प्रकार है :—

जौनपुर में	..	..	१३० एकड़
केराकत मे	..	..	६० ,,
मड़ियाहूं में	..	..	५३ ,,

*२७—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुल भूमि में से कितनी भूमि हरिजनों को दी गयी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—वितरित की गयी भूमि में से ९५ प्रतिशत भूमि हरिजनों को दी गई है। इस प्रश्न तथा प्रश्न संख्या २६ के उत्तर में जो आंकड़े सूचित किये गये हैं वे स्थानीय भू-दान समिति से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हैं।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि महाराजा बनारस से जो भूमि प्राप्त हुई है उसका विभाजन कब तक होने की सम्भावना है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह तो भू-दान समिति करेगी।

श्री बाबूनन्दन—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शाहगंज के मछलीशहर में अब तक वितरण क्यों नहीं हुआ ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह सब भू-दान समिति के अधिकार में है, वही करेगी।

श्री बलवन्त सिंह--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह भूमि हरिजनों के लिये है या भूमिहीन किसानों के लिये है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--आचार्य विनोवा भावे भूमिहीन किसानों के लिये मांगते हैं, उनमें हरिजन भी हैं।

लाखीपुर, जिला आजमगढ़ में वृक्षारोपण

*२८--श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत लाखीपुर ग्राम में दिसम्बर, ५२ में सरकार की ओर से कितने पेड़ लगाये गये थे?

श्री जगन प्रसाद रावत--सामुदायिक विकास क्षेत्र घोसी के अन्तर्गत स्थित ग्राम लाखीपुर में गत अगस्त व सितम्बर में ९५ फलदार वृक्ष लगाये गये। दिसम्बर मास में कोई भी वृक्ष नहीं लगाया गया।

*२९--श्री राम सुन्दर पाण्डेय--क्या माल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन पेड़ों में से कितने लगे और कितने सूख गये और उनके लगाने में कुल व्यय कितना हुआ?

श्री जगन प्रसाद रावत--उन पेड़ों में से केवल २७ लगे और ६८ सूख गये। उनके लगाने में सामुदायिक विकास क्षेत्र, कृषि विभाग, या किसी अन्य शासकीय विभाग की किसी भी मद से कोई व्यय नहीं हुआ। उन वृक्षों में से अधिकतर वृक्षों को सम्बन्धित ग्राम सभा ने लगाया था और उसमें उस निमित्त कुल ८० रु० व्यय किये।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या सरकार को मालूम है कि लाखीपुर ग्राम के बगीचे के उत्सव में राज्यपाल महोदय भी गये थे?

श्री जगन प्रसाद रावत--जी हां।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ८० रु० जो व्यय इस बगीचे के लगाने में हुआ वह किस ग्राम सभा ने दिया?

श्री जगन प्रसाद रावत--लाखीपुर ग्राम सभा ने दिया।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय--क्या माननीय कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह ग्राम सभा सामुदायिक विकास क्षेत्र में है और सामुदायिक विकास क्षेत्र में इन पेड़ों को लगाने के लिये पैसे दिये गये थे?

श्री जगन प्रसाद रावत--यह तो मैंने पहले ही निवेदन किया है कि यह सामुदायिक विकास क्षेत्र के किसी मद से नहीं है, लेकिन सामुदायिक विकास क्षेत्र में जो भी ग्राम सभायें होती हैं काम करने के लिये सामुदायिक विकास योजना के अनुसार उनसे सम्बन्ध रखने वाले कामों के लिये सहायता अवश्य दी गयी है।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय--क्या माननीय कृषि मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बगीचे की रखवाली के लिये ग्राम सभा की ओर से कोई कर्मचारी नियुक्त है?

श्री जगन प्रसाद रावत--यह तो ग्राम सभायें स्वयं ही रखवाली के लिये, जहां भी जिसको सुपुर्द करती हैं, कर देती हैं। हर ग्राम सभा के लिये यह कोई निश्चित नहीं है कि वे कोई रखवाला रखें।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या यह बात सही है कि जो पेड़ लगाने के लिये दिये जाते हैं इन विकास एरियाज़ के अन्दर, उन पेड़ों को सरकार देती है गांव वालों को ?

श्री जगन प्रसाद रावत--जो पेड लगाने के लिये दिये जाते हैं वे दाम लेकर भी दिये जाते हैं । जो ग्राम सभायें चाहती हैं तो बिना क़ीमत के भी पेड़ लगाने के लिये दिये जाते हैं ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या सरकार ऐसे विकास एरियाज़ के अन्दर बाहर से पेड़ों का प्रबन्ध करने के बजाय वहां पर नर्सरी जारी करने को सोच रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--इस बात का प्रबन्ध किया जा रहा है कि जहां तक सम्भव हो सके, जहां कहीं भी पेड़ लगने वाले हों, हर जिले में नर्सरी से ही पेड़ दिये जायं और सरकार हर जिले में ज्यादा से ज्यादा नर्सरीज़ लगाने का प्रबन्ध भी कर रही है ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--जहां पर सरकार खुद अपनी नर्सरीज नहीं लगा रही है, क्या सरकार वहां पर वहां की ग्राम सभाओं को अपनी-अपनी नर्सरी लगाने के लिएकुछ मदद देने को सोच रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--कोई ग्राम सभा इस प्रकार की कोई योजना हमारे पास भेजेगी तो उस पर अवश्य विचार किया जायगा ।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ९५ पेड़ जो लाखीपुर ग्राम में लगाये गये हैं उन्हें सरकारी पैसे से खरीदा गया या गांव वालों ने खुद अपने पैसे से खरीदा है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--यह तो मैं नहीं कह सकता कि सरकारी पैसे से खरीदा गया या ग्राम सभा ने स्वयं अपने पैसे से खरीदा। इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन जो पेड़ खरीदे जाते हैं उनकी क़ीमत ऐसी नहीं ली जाती जो बहुत ज्यादा हो ।

जिला फैज़ाबाद के ओरिल और रम्भोपुर ग्रामों को आजमगढ़ जिले में मिलाना

*३०--श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या यह सत्य है कि जिला फैजाबाद, तहसील अकबरपुर, परगना सुरहरपुर के ओरिल और रम्भोपुर ग्राम पुलिस विभाग के मामलों के लिये आजमगढ़ में मिला दिये गये हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य-- जी हां ।

*३१--श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या राजस्व मन्त्री फैजाबाद तथा आजमगढ़ के जिलाधीशों से रिपोर्ट मंगाकर दीवानी और माल के मामलों के लिहाज से भी इन गावों को आजमगढ़ जिले में जिसका, सदर मुकाम इन गावों से केवल २५ मील है, मिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य-- इस विषय पर एक रिपोर्ट भूमि व्यवस्था कमिश्नर, उत्तर प्रदेश से अभी हाल में ही प्राप्त हुयी है और सरकार के विचाराधीन है।

तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया में सरजू नदी की बाढ़ से क्षति

*३२--श्री बद्री नारायण मिश्र (जिला देवरिया)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया में १९५२ में सरजू नदी की बाढ़ से कितनी खेती नष्ट हुई ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—सन् १९५२ ई० में तहसील सलेमपुर में सरयू नदी में बाढ़ नहीं आई थी, केवल नदी का पानी कुछ बढ़ा था और किनारे की लगभग १९० एकड़ भूमि जलमग्न हो गई थी, परन्तु इससे खड़ी फ़सल को कुछ भी क्षति नहीं पहुंची।

*३३—श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या ऐसे बाढ़ को रोकने का कोई प्रबन्ध सरकार कर रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—सरयू नदी की बाढ़ को रोकने की कोई विशिष्ट योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। बाढ़ के प्रभाव को तथा उससे होने वाली क्षति को यथाशक्ति कम करने के सामान्य प्रश्न पर अभी हाल में बाढ़ समिति ने विचार किया है। उसकी सिफारिशों पर सरकार उचित कार्यवाही करेगी।

श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सलेमपुर तहसील में मंझरिया में पीड़ी के पास हर साल हजारों लोग बाढ़ से डूब जाते हैं और तबाह हो जाते हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जिस गाँव का नाम लिया गया इसकी सूचना तो हमको नहीं है, लेकिन यह सत्य है कि सरजू नदी की बाढ़ से कुछ गाँव जरूर डूब जाते हैं और इस साल १२,२२३ एकड़ भूमि बाढ़ के पानी में आ गयी थी।

ताल कटोरा वर्कशाप, (लखनऊ) और बगवाड़ा कैम्प (नैनीताल तराई) में पड़े हुये ट्रैक्टरों का उपयोग

*३४—श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ताल-कटोरा (लखनऊ) और बगवाड़ा कैम्प (नैनीताल) तराई में जो ट्रैक्टर और तत्सम्बन्धी सामान और औजार पड़े हैं उनको उपयोग में लाने के सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—ताल कटोरा वर्कशाप (लखनऊ) और बगवाड़ा कैम्प (नैनीताल तराई) में जो ट्रैक्टर तथा अन्य सामान पड़े हैं उनकी जहाँ तक सम्भव है मरम्मत की जा रही है। जो सामान ठीक होता जा रहा है उसको कृषि इंजीनियरिंग विभाग तथा अन्य शासकीय विभागों को, जहाँ इनकी जरूरत है, भेजा जा रहा है।

श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या यह सत्य है कि आज ४ साल से बगवाड़ा में जो सामान पड़ा हुआ है उसमें से बहुत सा सामान चोरी चला गया है और बहुत से सामान की मरम्मत नहीं हुयी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत— चोरी चले जाने की कोई इत्तिला सरकार को नहीं है।

श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या यह सही है कि ऐसा वहाँ पर है ?

श्री जगन प्रसाद रावत— वह सामान वहाँ पर पड़ा नहीं है कुछ खराब जरूर हुआ है, लेकिन साथ ही साथ यह है कि जो सामान अभी तक काम में नहीं लिया जा सका है इस बात की कोशिश की जा रही है कि वह मरम्मत करके काम में ले लिया जाय।

चुनार तहसील में पशु चिकित्सालय की आवश्यकता

*३५—श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि २० मील के घेरे में चुनार तहसील के भुइली परगने में केवल एक पशु चिकित्सालय अलदहटा में है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—अलदहटा में केवल एक पशु सेवा केन्द्र (स्टाकमेन सेन्टर) है।

श्री राजकुमार शर्मा—क्या सरकार इस बीस मील वाले क्षेत्र में पशु चिकित्सालय खोलने पर विचार करेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इस समय तो कोई पशु चिकित्सालय खोलने की वहाँ पर सम्भावना नहीं है।

अल्मोड़ा के बारामंडल सब-डिवीजन में विचाराधीन मुक़दमे

*३६—श्री भूपाल सिंह खाती (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला अल्मोड़ा के बारामंडल सब-डिवीजन में कितने मुकदमे एस० डी० एम० और जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों की अदालतों में इस समय विचाराधीन हैं ?

श्री चरण सिंह—३० सितम्बर, १९५३ तक एस० डी० एम० की अदालत में २,३९१ मुकदमे और जुडीशियल मजिस्ट्रेटों की अदालतों में २९८ मुकदमे।

*३७—श्री भूपाल सिंह खाती (अनुपस्थित)—इनमें से ऐसे मामले कितने हैं जो दो वर्ष पूर्व दायर हुये थे ?

श्री चरण सिंह— १८०।

*३८—श्री भूपाल सिंह खाती (अनुपस्थित)—एक साल से पूर्व दायर हुये पंचायती अदालतों की नजर सानियों (Revisions) की संख्या क्या है ?

श्री चरण सिंह—एक।

पहाड़ी क्षेत्रों के भूमिहीन काश्तकारों को भू-दान

*३९—श्री खुशी राम (जिला अल्मोड़ा)—क्या यह सच है कि पहाड़ी क्षेत्रों के भूमिहीन काश्तकारों के लिये ३ हजार एकड़ भूमि देने का सरकार ने फैसला किया है ? यदि हां, तो यह भूमि तराई भावर में कहां-कहां, किस-किस स्थान पर है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी हां। पहले यह निश्चय किया गया था कि निम्नलिखित स्थानों पर ३,००० एकड़ जमीन भूमिहीनों को दी जाय—

१—हिम्मतपुर ब्लाक	७५६.८ एकड़
२—खमियां ब्लाक	२५७०.२ ,,

अब सरकार ने फैसला किया है कि बजाय ३,००० एकड़ के ४,५०० एकड़ दी जाय। ३,००० एकड़ उपरोक्त स्थानों पर होगी और बाकी किसी और ब्लाक में दी जायगी।

*४०—श्री खुशीराम— इस भूमि को आबाद करने वालों को सरकार क्या-क्या सुभीते देने का विचार रखती है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इन काश्तकारों को यह भूमि तराई व भावर गवर्नमेंट इस्टेट्स खाम टर्म्स रिवाइज्ड १९४८ [Tarai and Bhabar Govt. Estates Kham Terms (Revised) 1948] के अनुसार दी जायगी। जो सुविधायें इन खाम टर्म्स में दी हुई हैं वही इन लोगों को दी जायेंगी। मुख्य २ सुविधाओं की सूची नत्थी है। (देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ११४ पर)

श्री खुशीराम--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह बजाय ३ हजार के जो ४॥ हजार एकड़ भूमि बांटी जायगी यह बाकी भूमि किस जगह कहां-कहां पर और किन-किन स्थानों पर है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इस ३ हजार के बजाय जो १,५०० एकड़ जमीन और है वह किन-किन स्थानों पर मिलेगी इसका जवाब अभी नहीं दिया जा सकता है।

राजा वीरेन्द्र शाह--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जो ३ हजार एकड़ जमीन सरकार भूमिहीन किसानों में बांट रही है, उसमें एक किसान को कितनी जमीन देगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--साढ़े सात एकड़ देने का निश्चय किया गया है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह ३ हजार एकड़ जमींन देने का फैसला सरकार ने कब किया था ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--३ हजार एकड़ देने का फैसला तो काफी पहले हो चुका था फिर बाद को साढ़े चार हजार एकड़ का कर दिया गया।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस ४ हजार एकड़ में से कुछ भूमिहीनों को अभी तक जमीन दी भी गई है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--चूंकि उस जमींन को देने के पहले जमीन का सर्वे करना जरूरी है कि सड़क कहां होनी चाहिए, आबादी कहां होनी चाहिए और सर्वे अभी हुआ नहीं, इसलिये अभी जमीन का बटवारा हुआ नहीं है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कब तक यह जमीन उन भूमिहीन किसानों को दे दी जावेगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह तो भूदान कमेटी को इस काम को सिपुर्द किया गया है। भूदान कमेटी की बैठक २३-११-५३ को हुई थी। जमीन के बांटने के निर्णय की सूचना अभी मिली नहीं है, लेकिन उनकी सहायता से जमीन बांटी जायगी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय-- क्या पहाड़ी क्षेत्र में जो रहने वाले भूमिहीन लोग हैं उन्हे जो जमींन ३ हजार से साढ़े चार हजार कर दीगई है उसमें से कुछ पहाड़ी इलाकों में भी दी जायगी ?

श्री चरण सिंह--सारी पहाड़ी इलाके वालों के लिए ही है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या सरकार उन भूमिहीन किसानों को जो पहाड़ी इलाकों से यहां बसने के लिए आयेंगे, कुछ आर्थिक सहायता भी देगी, जिससे वह कुछ खा-पी सकें।

श्री चरण सिंह--अगर गवर्नमेंट की आर्थिक स्थिति इजाजत देगी तो उनको आर्थिक सहायता दी जायगी, वरना नहीं।

बस्ती जिले में पटवारियों के त्यागपत्र

*४१--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में तहसीलवार कितने-कितने पटवारी त्याग-पत्र दे चुके हैं और उनमें से कितनों के इस्तीफे वापस हो गये और कितने मंजूर हो गये?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य-- बस्ती जिला के प्रत्येक तहसील के पटवारियों की संख्या, जिन्होंने त्याग-पत्र दे दिया है और जो इस्तीफे वापस हुये तथा मंजूर हुये निम्नलिखित हैं--

तहसील		त्याग पत्र दिये पटवारियों की संख्या	इस्तीफे वापस हुये पटवारियों की संख्या	इस्तीफे मंजर हुये पटवारियों की संख्या
बस्ती	..	१८९	१३६	५३
हरैया	..	१४९	९१	५८
खलीलाबाद	..	..	..	..
डुमरियागंज	..	१६४	२१	१४३
बांसी	..	१४९	१४८	१
योग	..	६५१	३९६	२५५

श्री राजाराम शर्मा--और जगह जो लेखपाल मुकर्रर किए गये हैं उनमें क्या हरिजन भी हैं?

श्री चरण सिंह--बस्ती जिले में कुल ५७ आदमी नये भर्ती किये गये हैं और वह सबके सब वह हैं जो पहले पटवारी की ट्रेनिंग हासिल कर चुके थे। हरिजन उनमें कितने हैं मालूम नहीं है, लेकिन ख्याल है कि शायद ही कोई हो। क्योंकि पहले जिन्होंने ट्रेनिंग पायी थी उनमें हरिजन ज्यादा नहीं थे।

बस्ती जिले में गांव सभाओं द्वारा मालगुजारी की वसूली

*४२--श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पहिली अप्रैल से जिन २८१ ग्राम सभाओं को मालगुजारी वसूल करने का कार्य सौंपा जायगा उनमें बस्ती जिले की कितनी गांव सभायें सम्मिलित हैं, और उनके नाम क्या हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--रबी १३६० फसली में बस्ती जिले की किसी गांव सभा को मालगुजारी वसूल करने का काम नहीं सौंपा गया है।

श्री राजाराम शर्मा--बस्ती जिले में जो मालगुजारी की वसूली का कार्य ग्राम सभाओं को नहीं सौंपा गया उसके क्या कारण हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--वहां के जिलाधीश अगर अधिकार देने के लिए सिफारिश करेंगे तो विचार किया जायगा। अब तक तो किसी गांव पंचायत को अधिकार देने की बात लागू भी नहीं है।

मुंडेरवा मिल जोन में केन डेवलपमेंट विभाग द्वारा जनहित के कार्य

*४३--श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि केन० डे० विभाग की तरफ से मुंडेरवा मिल जोन में कौन-कौन से काम जनता के हित में किये गये हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत--जो मेरे पास प्रश्न भेजा गया और जो एजेंडा में छपा है उसमें अन्तर है। जो मेरे पास भेजा गया था उसमें तो लिखा था "काम किये जाते हैं" और एजेंडे में छपा है "काम किये गये"। तो इसको सुधार लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--तो मैं इसको मुल्तवी कर देता हूं, क्योंकि इसमें बड़ा अन्तर है।

श्री जगन प्रसाद रावत--असेम्बली विभाग से जो प्रश्न गया था उसमें था "किये जाते हैं"।

श्री अध्यक्ष--श्री राजाराम शर्मा! आप क्या चाहते हैं?

श्री राजाराम शर्मा--मैं तो "किये गये हैं" चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--तो मैं इसको मुल्तवी किए देता हूं। दो हफ्ते के लिए कर दूं?

श्री जगन प्रसाद रावत--मेरे ख्याल में अगर दूसरा सवाल कर दिया जाय तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष--ठीक है।

आगरा सदर तहसील के अरतौनी आदि गांवों में बन्दरों तथा जंगली गायों का उपद्रव

*४४--श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या सरकार को मालूम है कि आगरा सदर तहसील अरतौनी और आस-पास के गांवों में बन्दरों तथा कुछ गावों में जंगली गायों का उपद्रव बढ़ता जा रहा है? सरकार उसे रोकने के लिये क्या सोच रही है?

श्री जगन प्रसाद रावत--जी हां। इस सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं परन्तु अभी कोई निर्णय नहीं हो सका है।

आगरा में पेट्रोल में आग लग जाने के कारण बस दुर्घटना

*४५--श्री देवकी नन्दन विभव--क्या यातायात मंत्री को विदित है कि आगरा में पेट्रोल में आग लग जाने के कारण रोडवेज की एक बस जल गई? यदि हां, तो उससे कितने आदमी मरे और कितने घायल हुये? क्या सरकार उसके कारणों की जांच करेगी?

परिवहन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)--जी नहीं। आगरा रीजन की कोई बस आग से नहीं जली।

*४६--श्री देवकी नन्दन विभव--क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे मृतक व्यक्तियों के परिवारों को मुआविजा देने पर विचार कर रहे हैं?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--प्रश्न नहीं उठता।

जौनपुर जिले के कुछ गांवों का सुल्तानपुर जिले में मिलाया जाना

*४७--श्री रमेश चन्द्र शर्मा--क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर ज़िले के कुछ गांव सुल्तानपुर तथा प्रतापगढ़ जिले में मिलाये जा रहे हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जौनपुर जिले के कुछ गांव सुल्तानपुर जिले में अवश्य मिलाये गये हैं, परन्तु प्रतापगढ़ में कोई भी गांव नहीं मिलाया गया है।

*४८--श्री रमेश चन्द्र शर्मा--यदि हां, तो कितने और कौन-कौन गांव मिलाये जाने वाले हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--२६ गांव सुल्तानपुर जिले में मिलाये गये हैं जिनकी एक सूची नत्थी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ११५ पर)

श्री रमेश चन्द्र शर्मा--क्या माननीय माल मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो गाँव जौनपुर जिले से सुल्तानपुर जिले में मिलाये गये हैं वहाँ की जनता सुल्तानपुर जिले में नहीं जाना चाहती थी?

श्री चरण सिंह--यह २६ गाँव जो सुल्तानपुर जिले में मिलाये गये हैं वह तकरीबन चारों तरफ से सुल्तानपुर के गांवों से घिरे हुये थे और सुल्तानपुर और कादीपुर तहसील वहाँ से निकट पड़ती है बनिस्बत जौनपुर के। दोनों जिलाधीशों की राय यही थी कि इससे शासन के लिये सुविधा हो जायगी और गाँव वालों के लिये भी सुविधा हो जायगी अगर यह सुल्तानपुर में मिला दिये जायेंगे। यह बात सही है कि कुछ गाँव वालों ने चाहा था कि सुल्तानपुर में न मिलाये जायं, लेकिन आम जनता का हित सुल्तानपुर में मिलाने में ही था।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा--क्या माननीय मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के सरहद गौरीपुर गाँव में किसी राजनैतिक सम्मेलन में किसी माननीय मंत्री महोदय के सामने प्रस्ताव द्वारा जनता ने पास किया था कि हमारा गाँव न मिलाया जाय?

श्री चरण सिंह--यह ठीक है कि मैं वहाँ एक सभा में गया था और वहाँ इस तरह का प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन कुल मौके को देख कर और दोनों जिला अधिकारियों से बात करके मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि आम जनता का हित सुल्तानपुर के मिलाने ही में था। जिस तरह से प्रस्ताव पास किये जाते हैं वह तो मुझे और श्री रमेशचन्द्र जी को दोनों को ही मालूम है।

श्री बाबू नन्दन--क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो गाँव एक जिले से दूसरे जिले में मिलाये गये हैं उनसे संबंधित कागजात भेज दिये गये या नहीं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--वह तो गजट में भी छाप दिया गया और अधिकारियों को भी सूचना दे दी गई कि यह गाँव मिला दिये गये।

श्री बाबू नन्दन--मैंने कागजात के संबंध में पूछा था। जो गाँव मिलाये गये हैं उनसे संबंधित कागजात एक जिले से दूसरे जिले में भेज दिये गये या नहीं?

श्री चरण सिंह--अगर अभी तक न भी भेजे गये होंगे तो भेज दिये जायेंगे।

गोरखपुर से फरेंदा तक रोडवेज की बस चलाने का सुझाव

*४९--श्री गौरी राम (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर से फरेंदा तक रोडवेज की बस चलने वाली थी? यदि हाँ, तो वह क्यों नहीं चली?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी नहीं। ऐसा कोई विचार नहीं था।

रायबरेली जिले की तहसील सलोन की ग्राम सभाओं का सार्वजनिक सम्पत्ति पर कब्जा

*५०--श्री दल बहादुर सिंह (जिला रायबरेली)--क्या सरकार को ज्ञात है कि रायबरेली जिले की तहसील सलोन के कमोली सवैया हसन, सवैयामीरा ग्रामों की ग्राम सभाओं को, सार्वजनिक भूमि, पेड़, तालाब आदि पर कब्जा नहीं मिला ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--ग्राम सभाओं को सार्वजनिक भूमि, पेड़, तालाब आदि का कब्जा नहीं दिया गया है यह सब गाँव समाजों में निहित हुई है और उनका कब्जा है।

*५१--श्री दल बहादुर सिंह--क्या यह सही है कि इन ग्रामों के भूतपूर्व जमींदारान उक्त भूमि, पेड़, तालाब, आदि पर अब भी जबरदस्ती कब्जा किये हुये हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी नहीं, इस प्रकार की शिकायत न तो जिलाधीश को मिली और न सरकार में आई।

*५२--श्री दल बहादुर सिंह--क्या यह सही है कि उक्त ग्रामों के पंचायत अधिकारियों के रिपोर्ट करने पर भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी नहीं, गाँव समाजों में जो भी सार्वजनिक सम्पत्ति निहित हुई है उनके कब्जे के संबंध में जमींदारों द्वारा हस्तक्षेप करने की कोई शिकायत नहीं हुई, कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री दल बहादुर सिंह--क्या माननीय मालमंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि ग्राम समाज कमौली सवैया हसन, सवया मीरा को कितनी एकड़ जमीन, पेड़ आदि मिले ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री दल बहादुर सिंह--क्या सरकार यह बतायेगी कि १५ नवम्बर, १९५२ और ३१ दिसम्बर, १९५२ के बीच में कितने प्रार्थना पत्र वहाँ के सभापतियों ने जिला पंचायत अधिकारियोंकी मार्फत जिलाधीश और सरकार को भेजे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इसकी सूचना तो ठीक नहीं है लेकिन जो नियम ११५ (सी) और ११५ (एस) इसके लिये बना दिये गये हैं उसके अनुसार भूमि प्रबन्धक समितियाँ प्रस्ताव पास करके जिलाधीश के पास भेजें तो जिलाधीश महोदय उस पर उचित कार्यवाही करेंगे।

जौनपुर जिले में कलेक्टरी कचेहरी से मिसलों के गायब होने की सूचना

*५३--श्री बाबू नन्दन--क्या यह सच है कि अभी हाल ही में जौनपुर जिले की कलक्टरी कचेहरी में कुछ मिसलें गायब हो गई हैं ? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी हाँ, मिसलों के खोने की सूचना १६ जनवरी, १९५३ को प्रातःकाल कचहरी खुलने पर मिली, ये मिसलें जुडिशल आफिसर के इजलास की थीं। मिसलों के खोने के कारण का ठीक-ठीक पता नहीं लग सका।

*५४--श्री बाबू नन्दन--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वे मिसलें कितनी और किस-किस केस के संबंध की थीं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--कुल ७५ मिसलें गायब हुई जिनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ११६-११७ पर।)

श्री बाबू नन्दन--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो मिसलें गायब हो गयी हैं उसके संबंध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जो मिसलें गायब हो गयी हैं उनकी दूसरी फाइलें तैयार कर ली गई ह, केवल चार का अभी तक पता नहीं है। जो उनमें फरीकैन हैं उनका पता नहीं चला है। लेकिन और सभी मिसलें तैयार कराई जा चकी हैं और यह चार भी तैयार हो जायंगी।

श्री बाबू नन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन मिसलों के गायब होन के कारण जिन को जो क्षति पहुंची है, उसकी व्यवस्था क्या सरकार कर रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह तो मुकदमे अदालत में हैं और अदालत में जो उन मुकदमों की दूसरी फाइलें तैयार हुई हैं उनके मुताबिक फैसला होगा, उसमें क्षति का सवाल कहाँ पैदा होता है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि मिसलों के गायब होने का कारण क्या है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--अदालत में जिन दो अहलमदों ने मिसलों को पहले दिन रखा था और दूसरे दिन नहीं मिलीं, उनके खिलाफ मुकदमे पुलिस ने चलाये और अदालत ने उनको छोड़ दिया, अब कौन सा आदमी उसका जिम्मेदार हुआ यह तो पता चला नहीं।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जुडीशल आफिसर्स या दूसरे मैजिस्ट्रेट्स और असिस्टेंट कलेक्टर्स के अहलमद और पेशकार के खानगी मुहर्रिर भी इन मिसलों को ले जाया करते हैं ?

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)--अध्यक्ष महोदय, मुझे प्वांइट आफ आर्डर रेज करना है कि क्या अखबार पढ़ने का अधिकार सदन में माननीय सदस्यों को है ?

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, माननीय सदस्य जो अखबार पढ़ रहे हों, वे खामोशी से प्रश्नोत्तर भी सुना करें तो अच्छा है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--अदालतों में जो सरकारी कर्मचारी हैं, फाइलों को लेने, रखने वगैरा का अधिकार उन्हीं को है। जाब्ते से दरख्वास्त दे करके जो फाइलें देखना चाहें उन्हें भी देखने का अधिकार है।

श्री अब्दुल मुईज खां--क्या सरकार ने यह जानने की कोशिश की है कि जिन अहलमद के हाथ से मिसलें गायब हुई, क्या उनके किसी खानगी मुहर्रिर के हाथ से तो नहीं गायब हुईं ?

श्री चरण सिंह--मुकामी अधिकारियों ने पूरी जाँच की है और तहकीकात के बाद जिन लोगों को उन्होंने मुजरिम समझा उनका चालान कराया, और अदालत से वे छूट गये। अब यह कि वे घर पर ले गये थे या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन रिपोर्ट से पता लगता है कि फाइलें दफ्तर से गायब हुईं।

श्री ऐजाज़ रसूल (जिला हरदोई)--क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके बतलायेगी कि वह दोनों अहलमद अब भी सरकारी मुलाजिम हैं या नहीं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--बोर्ड ने इनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये ताकीद की है।

जिला जौनपुर में भूमिधरों की मंसूख सनदें

*५५--श्री बाबू नन्दन--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में भूमिधर होने के लिये जिन्होंने दसगुना जमा किया था उनमें से कितनों की सनदें मंसूख हुई और क्यों ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जौनपुर जिले में कुल ३११ सनदें मंसूख हुई जिनमें ५० सनदें रुपया कम जमा करने के कारण और बाकी २६१ सनदें उत्तर प्रदेशीय काश्तकार विशेषाधिकार उपार्जन अधिनियम, १९४९ ई० की धारा १२ के अन्तर्गत मंसूख हुईं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार जिनकी सनदें मंसूख हुईं उनका रुपया वापस करेगी?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--नियमों के मुताबिक कार्यवाही हो रही है।

श्री अब्दुल मुईज खां--क्या १३५६ फसली के बाद की जमनदस्त के लिखे हुये किसानों को जो सनदें खिलाफ कानून जारी की गई थीं उनको मंसूख करने का आर्डर अब भी जारी है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--दफा १२ के मुताबिक कार्यवाही अब भी हो सकती है।

ब्रज-भूमि को मरुभूमि में परिणत होने से बचाने की योजना

*५६--श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि व्रजभूमि (जिला मथुरा) की रक्षा के लिये बढ़ते हुये रेगिस्तान को रोकने के हेतु कोई योजना सरकार बना रही है?

श्री जगन प्रसाद रावत--योजना बन चुकी है और उसके अनुसार कार्य हो रहा है।

*५७--श्री रामहेत सिंह--यदि हाँ, तो उस योजना के अन्तर्गत जो चरागाह व बंजर जमीन १९४६ के बाद तोड़ी गई है उन्हें चरागाह व जंगलात के लिये लेने पर क्या सरकार विचार करेगी?

श्री जगन प्रसाद रावत--आवश्यकता पड़ने पर सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी।

*५८--श्री रामहेत सिंह--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि मथुरा जिले में ब्रज-भूमि को हरा-भरा बनाने के हेतु एक योजना बनाई है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उस योजना का संक्षेप में स्पष्टीकरण देगी?

श्री जगन प्रसाद रावत--जी हाँ। योजना का अभिप्राय राजस्थान के बढ़ते हुये रेगिस्तान को रोकना तथा आगरा और मथुरा जिलों में जिसमें बृज-भूमि स्थित है शनैः-शनैः मरुभूमि में परिणत होने से बचाना है। इसके अन्तर्गत आगरा-मथुरा सड़क, गोबर्धन-बरसाना सड़क और गिरि गोबर्द्धन के परिक्रमा मार्ग के दोनों तरफ घनी वृक्षावली तैयार की जा रही है। गिरि गोबर्द्धन और परिक्रमा मार्ग के बीच की भूमि में कुंज एवं सघन वृक्षावलियाँ लगाई जा रही हैं। बृज भूमि के प्रसिद्ध १२ वनों तथा २४ उपवनों में भी वृक्ष लगाये जा र हैं। इसके अतिरिक्त बेकार जमीनों में भी वृक्ष लगाये जायेंगे। आगरा और मथुरा जिलों की पहाड़ियाँ तार से घेरी जायंगी ताकि उनपर स्वाभाविक रूप से घास इत्यादि उग सकें उसके बाद वहाँ भी वृक्ष लगाये जायंगे।

श्री रामहेत सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जितने भी पेड़ लगाये गये वे प्रायः पानी की कमी के कारण मर चुके हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत--यह इत्तिला माननीय सदस्य की सही नहीं है। जितने भी पेड़ लगाये जाते हैं उनका कुछ फीसदी तो हमेशा मर जाया करता है और कहीं पर भी पेड़ १०० फीसदी पूरे नहीं हो पाते। लेकिन साधारण तरीके से जितने फीसदी पेड़ बचते हैं उससे हमको अधिक ही सफलता प्राप्त हुई है।

श्री रामहेत सिंह--क्या इन सब योजनाओं को बढ़ावा देने के लिये वहाँ खास सिंचाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता है?

श्री जगन प्रसाद रावत--माननीय सदस्य का अभिप्राय मथुरा जिले से है। तो मथुरा तो उन जिलों में से है जहाँ सिंचाई की काफी आवश्यकता है पेड़ लगाने के अतिरिक्त भी।

श्री रामहेत सिंह--इस योजना के साथ-साथ नन्दगाँव बरसाना के आस-पास के तीर्थस्थानों में अभी भी क्या कदम की खंडी काटी जाती है और क्या उसे रोकने के लिये सरकार कोई सख्त कदम उठावेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत--वृक्षों को कटने से बचने के लिये काफी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार यह बतावेगी कि अब तक कितने हजार एकड़ में ये बन लगाये जा चुके हैं ?

श्री चरण सिंह--२,३०० एकड़ में।

अपार वृष्टि से पहाड़ी जिलों में हानि

*५९--श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को पता है कि अपार वृष्टि होने के कारण राज्य के पहाड़ी जिलों में विशेष हानि हुई है ?

श्री चरण सिंह--अति वृष्टि के कारण राज्य के पहाड़ी जिलों में इस वर्ष कोई विशेष हानि नहीं हुई। गढ़वाल जिले में केवल ६ आदमियों की मृत्यु हुई और टेहरी-गढ़वाल में १८ गाँवों की २७ एकड़ भूमि की खेती को बाढ़ से हानि हुई।

*६०--श्री रामनरेश शुक्ल--यदि हाँ, तो क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि वहाँ की क्षतिग्रस्त जनता की क्या सहायता की गयी ?

श्री चरण सिंह--उपर्युक्त अवस्था में किसी विशेष प्रकार की सहायता का प्रश्न ही नहीं उठता, परन्तु गढ़वाल, टेहरी-गढ़वाल तथा अलमोड़ा जिलों के कुछ भागों में अन्नाभाव की स्थिति प्रकट हो रही थी। अतः शासन ने टेस्ट वर्क्स, मुफ्त सहायता, तकावी, सस्ते अन्न की दुकानों आदि का प्रबन्ध किया है। इन सुविधाओं का उपभोग बाढ़ पीड़ितों ने भी किया।

नैनीताल-तराई कोलोनाइजेशन में जालसाजी से भूमि-प्राप्ति

*६१--श्री शिवबचन राव (जिला देवरिया)--क्या सरकार के पास यह शिकायत आई है कि नैनीताल तराई कोलोनाइजेशन में कुछ आदमियों ने कलेक्टर के जाली हस्ताक्षर से सर्टिफिकेट बना कर जमीन ली है और उसके बाद कम सूद पर सरकार से कर्ज भी लिया है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--जी हां।

*६२--श्री शिवबचन राव--यदि हां, तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है और सरकार इन पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--जांच करने से ज्ञात हुआ कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या ५ है, इनमें से ४ पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। ५वें व्यक्ति के सम्बन्ध की रिपोर्ट अभी उपलब्ध नहीं हुई है। रिपोर्ट आने पर उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या सरकार उन व्यक्तियों के नाम बताने की कृपा करेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत--उन पांच व्यक्तियों के नाम यह हैं--श्री राजकिशोर, नागेश्वर राय, राजेश्वर प्रसाद, सत्यदेव और बैजनाथ तिवारी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह पांचों व्यक्ति किन-किन जिलों के रहने वाले हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत---यह तो देवरिया जिले के रहने वाले हैं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---क्या सरकार को यह मालूम है कि यह लोग वहां न रह कर अपनी जमीन सब-लेट कर गये हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जिन लोगों के नाम मैंने पढ़ कर अभी सुनाये हैं उनकी बाबत यह बात सही नहीं है कि वह लोग चले गये हैं।

श्री शिव कुमार मिश्र (जिला शाहजहांपुर)---क्या इन लोगों पर विभागीय कार्यवाही की जा रही है या अदालत में मुकद्दमा चल रहा है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जब उनके खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं होता तो कोई कार्यवाही करने का सवाल पैदा नहीं होता।

हेमपुर मेकेनाइज्ड फार्म (काशीपुर क्षेत्र) में भूसे की बिक्री

*६३---श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)---क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हेमपुर (काशीपुर क्षेत्र) मेकेनाइज्ड फार्म में कितना भूसा प्रति वर्ष इकट्ठा होता है और उसकी बिक्री की क्या व्यवस्था है ?

श्री चरण सिंह---फार्म पर भूसे की गत पांच वर्षों की उत्पत्ति की मात्रा संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है। फार्म की अपनी आवश्यकताओं से अधिक जो थोड़ा सा भूसा होता है वह स्थानीय रूप से बेच दिया जाता है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ. ११८ पर)

*६४---श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (अनुपस्थित)---क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूसे की कमी के क्षेत्रों के लिये कितना भूसा निर्यात किया जाता है ?

श्री चरण सिंह---भूसे की कमी के क्षेत्रों को भूसा निर्यात नहीं किया गया, क्योंकि फार्म की आवश्यकता से अधिक भूसा थोड़ा ही बचता है।

*६५---श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (अनुपस्थित)---क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किस फार्म में खरीफ की फसल का चारा (पुआल, करब) कितना इकट्ठा होता है और उसकी बिक्री की कुल आय कितनी होती है ?

श्री चरण सिंह---फार्म पर उत्पन्न हुये चारे तथा उसकी बिक्री के गत पांच वर्षों के आंकड़े संलग्न विवरण-पत्र में दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ११८ पर)

बुलन्दशहर जिले की माल, फौजदारी और दीवानी अदालतों में विचाराधीन मुकदमे

*६६---श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले की माल, फौजदारी और दीवानी अदालतों में कितने केस ऐसे हैं जो गत २ वर्षों से चालू हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---४५१ मुकदमे माल के और ३४५ मुकदमे दीवानी के। फौजदारी का मुकदमा कोई नहीं।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन मुकद्दमों में ज्यादा देर होने के क्या-क्या कारण हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——कई कारण होते हैं। एक तो स्टे आर्डर के बमूजिब रोक दिये गये थे और दूसरे समन वगैरह की तामील में देर हो जाती है। इन्हीं कारणों से देरी हुई है। इसके अलावा माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं यह कह देना चाहता हूं कि वह जल्दी करें और हफ्तेवारी रिपोर्ट दें कि कितने मुकदमे फैसल हो चुके हैं।

श्री रामचन्द्र विकल——क्या यह सही है कि एक कारण तो सरकारी अधिकारियों का समय पर न पहुंचना भी है ?

श्री चरण सिंह——यह कारण नहीं है।

पूर्वी जिलों के अधिवासियों की जबरदस्ती बेदखली

*६७——श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)——क्या सरकार को ऐसी सूचनायें प्राप्त हुई हैं कि पूर्वी जिलों में बहुत से अधिवासियों को जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——जमींदारी प्रथा का विनाश हो जाने पर १९५२ ई० के प्रारम्भ में सरकार को कुछ ऐसी शिकायतें मिली थीं कि लोग अधिवासियों के कब्जे में खलल डाल रहे हैं। कृषक समाज के इस सबसे दुर्बल वर्ग के रक्षार्थ ही उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (अनुपूरक) अधिनियम, १९५२ पारित किया गया जिसके निदेशों के फलस्वरूप अधिवासियों के अधिकार तथा कब्जा पूर्णतया सुरक्षित रह सकें।

*६८——श्री नागेश्वर द्विवेदी——यदि हां, तो क्या सरकार अधिवासियों को भूमिधरी अधिकार दिये जाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——माननीय सदस्य का ध्यान १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २३५ की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें अधिवासियों द्वारा भूमिधरी अधिकार उपार्जित किये जाने का निदेश मौजूद है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी——क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास ऐसी भी सूचना आई है कि बहुत से अधिवासियों के ऊपर दबाव डालकर सीधा ले लिया गया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——ऐसी कोई सूचना नहीं मिली।

श्री बाबूनन्दन——क्या माननीय मंत्री जी बताने कि कृपा करेंगे कि पूर्व के किन-किन जिलों से जबर्दस्ती बेदखल करने की खबरें आई हैं और सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——जैसा कि जवाब में बतला दिया गया है कि इसीलिये यह कानून बना दिया गया है ताकि अधिवासियों के अधिकार सुरक्षित रह सकें।

जगनपुर, जिला आज़मगढ़ के निवासियों द्वारा ग़लत इन्दराज के विरुद्ध दरख्वास्त

*६९——श्री रामसुन्दर पाण्डेय——क्या सरकार को पता है कि ग्राम जगनपुर, थाना मधुबन, जिला आजमगढ़ के निवासियों ने २३-७-५२ को जिलाधीश आजमगढ़ के पास उस ग्राम के मध्य में स्थित गड़ही और पास में जंगल के गलत इन्दराज के विरुद्ध कोई दरख्वास्त दी थी ? यदि हां, तो उसकी जांच किस निरीक्षक द्वारा कराई गई ?

नोट——प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो जाने के कारण प्रश्न ६९——९० सदन में नहीं लिए गए।

श्री चरण सिंह—२३-७-५२ वाली दरख्वास्त तो जिलाधीश के कार्यालय में मौजूद नहीं है, किन्तु प्रार्थियों की १४-९-५२ की दरख्वास्त में उक्त दरख्वास्त का हवाला था और उसकी जांच जुडीशल आफीसर श्री दुर्गादत्त सिंह द्वारा कराई गई।

जालौन-रामपुरा सड़क की मरम्मत की आवश्यकता

*७०—राजा वीरेन्द्र शाह—क्या सरकार को मालूम है कि जो सड़क जालौन से ग्राम रामपुरा को जाती है वह ग्राम रजपुरा और रामपुरा के बीच जहां सड़क बांध पर से जाती है बहुत कट गई है और उस पर चलना खतरे से खाली नहीं है? क्या सरकार उसकी मरम्मत कराने पर विचार कर रही है?

श्री चरण सिंह—सरकार को यह मालूम है कि जो सड़क रामपुरा व रजपुरा के बीच से बांध पर से गुजरती है काबिल मरम्मत है। बहुत जल्दी इस बात का फैसला किया जायगा कि आया यह सड़क डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दी जाय या पी० डब्ल्यू० डी० को, और उसके बाद उसकी मरम्मत की जायेगी।

भूतपूर्व मध्यवर्तियों और साधारण काश्तकारों के बागों पर लगान नियत करने की नीति

*७१—श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)— क्या सरकार यह स्पष्ट करने की कृपा करेगी कि भूतपूर्व मध्यवर्तियों के बागों पर और साधारण काश्तकारों के बागों पर लगान नियत करने के सम्बन्ध में उसकी नीति में भिन्नता है?

श्री चरण सिंह—भूतपूर्व मध्यवर्तियों के बागों पर मालगुजारी लगाने की नीति जमींदारी अबालीशन ऐक्ट की धारा २४५ (१) (क) और इसी ऐक्ट के अन्तर्गत नियम १९४ में दी हुई है और साधारण काश्तकारों के बागों पर मालगुजारी लगाने की नीति धारा २४५ (१) (ख), जैसा कि वह संशोधित हो गई है, में दी हुई है।

*७२—श्री रणंजय सिंह—क्या सरकार का कोई ऐसा आदेश है कि काश्तकारों के इमारती लकड़ी के बागों पर तो मालगुजारी न कायम की जाय परन्तु भूतपूर्व मध्यवर्तियों के इमारती लकड़ी के बागों पर मालगुजारी कायम की जाय?

श्री चरण सिंह—जी नहीं, मगर जमींदारी विनाश के पहिले बहुत से काश्तकार इमारती लकड़ी के बागों पर लगान नहीं देते थे, इसलिये धारा २४५ (१) (ख) के अन्तर्गत उन पर कोई मालगुजारी नहीं कायम की गई।

*७३—श्री रणंजय सिंह—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि बीजू, आम तथा महुवा जिनकी गणना इमारती लकड़ी में की जाती थी, १३६० फसली की खतौनियों में उनके बाग फलदार पेड़ों वाले बाग लिखे जा रहे हैं?

श्री चरण सिंह—जी नहीं।

पोखरों की मछली तथा सिंघाड़ा आदि के नीलाम का प्रबन्ध

*७४—श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गांव समाज के अन्तर्गत छोटे-छोटे पोखरों की मछली सिंघारा आदि के नीलाम और प्रबन्ध का काम भूमि प्रबन्धक समिति को न देकर पशु चिकित्सकों के जिम्मे कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री चरण सिंह--जी नहीं। बड़े-बड़े तालाबों को छोड़ कर बाकी सभी तालाब और पोखर गांव समाजों में निहित किये गये है।

रामपुर ज़िले में ज़मींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में सरकार का निश्चय

*७५--श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करगे कि रामपुर जिले में ज़मींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निश्चय किया?

श्री चरण सिंह--विधान मंडल द्वारा विधेयक पास हो जाने के बाद शीघ्र ही रामपुर में ज़मींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था ऐक्ट लागू किया जायगा।

रोडवेज़ के ड्राइवरों व कनडक्टरों का दैनिक भत्ता

*७६--श्री राजवंशी (जिला देवरिया)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि रोडवज ड्राइवरों व कन्डक्टरों को दैनिक भत्ता कितना मिलता है? क्या कन्डक्टरों को भी माइलेज मिलता है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--रोडवेज ड्राइवरों को १ रुपया प्रति रात, कन्डक्टरों को १२ आना प्रति रात व क्लीनर कन्डक्टरों को १० आना प्रति रात दिया जाता है। कन्डक्टरों को माइलेज भत्ता नहीं मिलता है।

*७७--श्री राजवंशी--यदि नहीं, तो क्या सरकार कन्डक्टरों को भी माइलेज का भत्ता देने की व्यवस्था करने जा रही है? यदि हां, तो कितना और कब तक?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--कन्डक्टरों को माइलेज भत्ता देने का सवाल नहीं होता क्योंकि उन्हें गुड काण्डक्ट एलाउन्स मिलता है। ड्राइवर्स जिन्हें यह भत्ता दिया जाता है वे मोटर चलाते हैं और जितना ज्यादा मील वे चलते हैं उतनी ज्यादा मेहनत उनको पड़ती है। कन्डक्टर को चाहे ८० मील की जगह १०० मील चलना पड़े तो विशेष अन्तर नहीं पड़ता है।

देवरिया ज़िले में ईख उत्पादकों की मालगुजारी के सम्बन्ध में गिरफ्तारी

*७८--श्री गेंदा सिंह--क्या यह सही है कि देवरिया जिले के पडरौना, कठकुइयां, लक्ष्मीगंज, खड्डा और छितौनी इलाके के ईख उत्पादकों की मालगुजारी के सम्बन्ध में गिरफ्तारी हो रही है?

श्री चरण सिंह--पडरौना, कठकुइयां, लक्ष्मीगंज, खड्डा तथा छितौनी में १३६०फसली में मालगुजारी की वसूली के सिलसिले में २६५ वारंट गिरफ्तारी जारी किये गये थे परन्तु वास्तव में २१ आदमी ही गिरफ्तार किये गये थे।

नैनीताल जिले की कोस्यां घाटी में अतिवृष्टि से क्षति

*७९--श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि जुलाई मास में अतिवृष्टि के कारण नैनीताल जिले को कोसी नदी की कोस्यां घाटी में अनेक गांवों की उपजाऊ भूमि व फसल बह गई? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में सहायता सम्बन्धी क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री चरण सिंह--कोशी नदी के दोनों किनारों पर पट्टी धनियां कोट, पल्ला कोश्या, ऊंचा कोट, तल्ला कोश्या तथा तल्ला कोटा के कुछ किसानों ने नदी के बहाव के उस स्थान तक खेती कर ली है जो बरसात में प्रायः डूब जाती है। केवल ऐसी ही भूमि की खेती इस वर्ष कोसी की बाढ़ में बह गई। अन्य कोई भूमि खंड बाढ़ से क्षति ग्रस्त नहीं हुआ। अतएव सहायता का प्रश्न नहीं उठता।

नैनीताल जिले में टिड्डी दल से हानि

*८०--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को मालूम है कि जुलाई के प्रथम पखवारे में एक बड़े टिड्डी दल ने अल्मोड़े जिले के बारामंडल परगने व नैनीताल जिले की कुटौली पट्टियों के अनेक गांवों में खड़ी फसल को बिल्कुल बरबाद कर दिया? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में ग्रामवासियों को क्या सहायता दे रही है?

श्री चरण सिंह--६ जुलाई, १९५३ को अल्मोड़ा जिले के बारामंडल परगने में एक छोटा सा टिड्डी दल ऊपर उड़ता हुआ देखा गया जो थोड़ी-थोड़ी देर के लिये नीचे भी उतरा इससे फसल को कोई हानि नहीं हुई।

एक टिड्डी दल, करीब आधा मील लम्बा नैनीताल जिले के पूर्वी आगर और मल्ली कोटौली पट्टियों में जो मुक्तेश्वर के पास हैं, ६ जुलाई, १९५३ को नीचे उतरा और बैठा रहा। इससे मंडुए की फसल को जो हानि हुई वह नहीं के बराबर थी।

जब फसल को कोई विशेष हानि नहीं हुई, तो इस सम्बन्ध में किसानों को सहायता का प्रश्न उठता ही नहीं।

तराई-भावर खास स्टेट में १०० एकड़ से अधिक फ़ार्म

*८१--श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तराई भावर खास स्टेट में कितने फार्म ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल १०० एकड़ या १०० एकड़ से अधिक है? क्या सरकार साथ ही इन सभी फार्मों के मालिकों का नाम भी बताने की कृपा करेगी?

श्री चरण सिंह--ऐसे कुल १०६ फार्म हैं। उनके मालिकों के नाम की सूची मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ११९-१२१ पर)

वेटेरिनरी कालेज मथुरा का परीक्षाफल

*८२--श्री श्रीचन्द--क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वेटेरिनेरी कालेज मथुरा का परीक्षाफल प्रत्येक कक्षा का गतवर्ष कितने प्रतिशत रहा?

श्री चरण सिंह--पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशु पालन महाविद्यालय, मथुरा का परीक्षाफल प्रत्येक कक्षा का गत वर्ष १९५२-५३ का निम्नांकित रहा:--

प्रथम वर्ष	..	९१.९ प्रतिशत
द्वितीय वर्ष	..	८२ प्रतिशत
तृतीय वर्ष	..	५४.५ प्रतिशत
चतुर्थ वर्ष	..	९१.६ प्रतिशत

खलिहान में आग लगने से माधोगढ़, जिला जालौन में किसानों को हानि

*८३--राजा वीरेंद्र शाह--क्या सरकार को मालूम है कि आग लग जाने से जिला जालौन के कस्बा माधोगढ़ के किसानों का रबी फसल का पूरा गल्ला जल गया और हजारों

रुपये की हानि हुई? यदि हाँ, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि किसानों को सहायता के रूप में क्या दिया गया?

श्री चरण सिंह—जी हाँ, कस्बा माधोगढ़, जिला जालौन के कुछ किसानों का कुल गल्ला खलिहान में आग लग जाने से नष्ट हो गया।

पीड़ित किसानों की सहायता के लिये जो कार्यवाही की गई वह इस प्रकार है:—

(१) ४,००० रुपये की तकावी वितरित की गई।

(२) खरीफ १३६० फसली में स्थागित १९८ रुपये ३ आने मालगुजारी, जो रबी में वसूल की जाने वाली थी, वह माफ कर दी गई। तथा रबी १३६० फसली की ३१२ रु० ६ आना मालगुजारी माफ की गई।

बारा, जिला रायबरेली के किसानों पर ज़मींदारों का आतंक

*८४—**श्री दल बहादुर सिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास शिकायत आई है कि तहसील सलोन, जिला रायबरेली के ग्राम बारा के किसानों की जमीन पर उक्त गाँव के भूतपूर्व जमींदारों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है?

श्री चरण सिंह—जी हाँ।

*८५—**श्री दल बहादुर सिंह**—क्या यह सही है कि १७ मई, १९५३ ई० को सलोन, जिला रायबरेली में उद्योग मंत्री के पधारने पर बारा गाँव के किसानों ने उन्हें उपर्युक्त विषय के प्रार्थना-पत्र दिये? क्या मंत्री महोदय ने उक्त प्रार्थना-पत्र जिलाधीश रायबरेली को दे कर जाँच करने का आदेश दिया था? यदि हाँ, तो इस सम्बंध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री चरण सिंह—ग्राम बारा, जिला रायबरेली के किसानों ने अपना प्रार्थना-पत्र स्थानीय मंडल काँग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय की मारफत उद्योग मंत्री महोदय को दिया तथा मौखिक शिकायतें भी कीं। मंत्री जी के आदेशानुसार प्रार्थना-पत्र की गई शिकायतों पर जाँच करने के उपरान्त जिलाधीश द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई।

*८६—**श्री दल बहादुर सिंह**—क्या यह सही है कि उक्त गाँव में भूतपूर्व जमींदारों के आतंक से कुछ लोग गाँव छोड़कर भाग गये हैं?

श्री चरण सिंह—गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

किछा, नैनीताल तराई और काशीपुर में ५०० एकड़ से अधिक भूमि पाने वालों की सूची

*८७—**श्री रामनारायण त्रिपाठी**—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सरकार द्वारा किछा, नैनीताल तराई और काशीपुर में गत वर्षों में कौन-कौन व्यक्तियों को पाँच सौ एकड़ से अधिक जमीन दी गयी है?

श्री चरण सिंह—एक सूची मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १२२ पर)

गलत राजनैतिक पीड़ित प्रमाण-पत्र द्वारा तराई नैनीताल में ज़मीन तथा कर्ज लेना

*८८—**श्री गौरी राम गुप्त**—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिला देवरिया के कितने आदमियों ने, जो राजनैतिक-पीड़ित नहीं है, राजनैतिक-पीड़ित का प्रमाण-पत्र लेकर तराई नैनीताल में सरकार से कर्जा तथा ज़मीन ली है?

श्री चरण सिंह—इस तरह के आरोप कुछ व्यक्तियों के सम्बन्ध में लगाये गये हैं जिनकी जाँच की जा रही है।

*८९—श्री गौरी राम गुप्त—क्या सरकार इस बात की जाँच कराकर ऐसा करने वालों से जमीन वापस लेने का विचार रखती है?

श्री चरण सिंह—जाँच के पश्चात् उचित कार्यवाही की जायगी।

भूमि प्रबन्धक समितियों द्वारा बाजारों, पोखरों, आदि का प्रबन्ध

*९०—श्री प्रभु दयाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भूमि प्रबन्धक समितियों को गाँव के अन्तर्गत बाजारों, पोखरों, तालों और २५०) से कम ठीके के घाटों का प्रबन्ध और नीलाम आदि का अधिकार कब सुपुर्द किया जायगा?

श्री चरण सिंह—इलाहाबाद, बनारस तथा फैजाबाद डिवीजन को छोड़कर अन्य सभी डिवीजनों में बाजारों का प्रबन्ध गाँव समाजों को सुपुर्द किया जा चुका है। जिन बाजारों की आमदनी २,००० रु० सालाना से ज्यादा थी उन्हें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दिया गया है। इन तीन डिवीजनों के छोटे बाजारों का भी प्रबन्ध शीघ्र ही इसी तरह सुपुर्द कर दिया जायगा। छोटे पोखरों और तालों का प्रबन्ध भी गाँव समाजों को दिया जा चुका है।

२,०००रु० से कम वार्षिक आय वाले घाटों का प्रबन्ध गाँव समाजों को देने का सरकार निर्णय कर चुकी है और इस विषय में शीघ्र ही सरकारी विज्ञप्ति जारी की जायगी।

अतारांकित प्रश्न

जौनपुर जिले के रामपुर बाजार में नया बीज गोदाम

१—श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर की मड़ियाहूं तहसील के रामपुर बाजार में नया बीजगोदाम खुल रहा है?

श्री चरण सिंह—जी नहीं।

जौनपुर जिले में पटवारियों की नियुक्ति के संबंध में आदेश

२—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में सरकार की तरफ से कोई आदेश भेजा गया है कि पटवारी के स्थान पर पहले उन व्यक्तियों को चुना जाय जो नये पटवारगीरी पास हों या पढ़ते हों?

श्री चरण सिंह—जी हाँ, केवल जौनपुर जिले में ही नहीं किन्तु राज्य के अल्मोड़ा, गढ़वाल व टेहरी-गढ़वाल के जिलों को छोड़कर अन्य समस्त जिलाधीशों को आदेश दिया गया था कि उन व्यक्तियों को विशेषता दी जाये जो पटवारी स्कूल परीक्षा पास हों या उस साल पटवारी स्कूल में पढ़ रहे हों।

प्रश्नों की कार्यसूची में अधिक प्रश्न रखने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मेरी एक प्रार्थना है कि बहुत से प्रश्न एक दिन के लिये रखे जाते हैं जिसके कारण बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न रह जाते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रश्न कम रखे जाया करें ताकि जवाब भी समय पर मिल सके और दुबारा उन प्रश्नों को देना न पड़े।

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य नियमों को अध्ययन करके मेरे पास कमरे में आ जायं, विचार कर लिया जायगा। बात यह है कि मिनिस्टरों के हिसाब से प्रश्न बाँट दिये जाते हैं, इसलिये किसी दिन अधिक प्रश्न हो जाते हैं और किसी दिन कम रह जाते हैं। इन सुविधाओं के देखने के कारण यह गड़बड़ी हो जाती है। अगर आप उसका कोई और रास्ता बतायेंगे तो उस पर विचार कर लिया जायगा।

छात्र-आंदोलन सम्बन्धी गृहमंत्री के भाषण के सम्बन्ध में विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री ने गत १८ दिसम्बर को सदन में एक बयान दिया था उस बयान में कई बातें भ्रामक तथा असत्य हैं। मैंने उनसे संबंध स्थापित करने की कोशिश की लेकिन गृहमंत्री महोदय यहाँ उपस्थित नहीं हैं। अतः आप कृपया उनको सूचित कर दें कि मैं उसके बारे में सदन में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---यह मुझे आपने अभी दिया है, उसको पूरा पढ़ने के बाद ही मैं उस पर कोई फैसला दे सकूंगा।

मुख्य मंत्री द्वारा उद्धृत उपकुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय के पत्र को सदन के समक्ष रखने की प्रार्थना

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---उस दिन माननीय मुख्य मंत्री ने वाइस चाँसलर के लेटर का एक पोर्शन पढ़ा था, मैंने उनसे निवेदन किया था कि उसकी एक कापी मुझको दे दी जाय। उन्होंने कहा था कि केवल आपको देखने के लिये कापी दी जा सकती है। मैंने उनसे निवेदन यह किया कि वह मेरे पास भिजवा दी जाय। लेकिन वह अभी तक मुझे नहीं मिली है, अतः माननीय मुख्य मंत्री जी को आदेश दे दिये जायं कि वाइस चाँसलर के जिस पत्र का अंश उन्होंने पढ़ा था वह पूरा पत्र सदन के समक्ष अवलोकनार्थ उपस्थित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---वे दोनों साहब यहाँ मौजूद नहीं हैं, उनकी मौजूदगी में ही इस प्रश्न को उठाइये।

विभिन्न समितियों के लिए नाम-निर्देशन-पत्रों के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं कि स्थायी समितियों में जो स्थान रिक्त हुये हैं उनके लिये नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिये जो तिथि रखी गयी थी, उस दिन तक इस प्रकार से नाम प्राप्त हुये हैं।

१---प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड की स्थायी समिति में एक स्थान रिक्त हुआ था, उसके लिये केवल एक ही नाम श्री दीन दयालु शर्मा, बुलन्दशहर का प्राप्त हुआ है।

२---उत्तर प्रदेश संग्रहालय परामर्शदात्री समिति में दो स्थान रिक्त थे जिसके लिये दो ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुये हैं---

१---श्री पुलिन बिहारी बनर्जी,
२---श्री कल्याण चन्द्र मोहिले।

३---सार्वजनिक निर्माण (सिंचाई) स्थायी समिति में दो स्थान रिक्त हुये थे उनके लिये दो ही नाम प्राप्त हुये---

१---श्री विश्राम राय, आजमगढ़,
२---श्री उदयभानु सिंह, रायबरेली।

[श्री अध्यक्ष]

४—शिक्षा की स्थायी समिति में एक स्थान रिक्त हुआ था उसके लिये एक नाम ही प्राप्त हुआ है—

१—श्री हरदेव सिंह, एटा।

५—कृषि पशुपालन स्थायी समिति में दो स्थान रिक्त थे जिनके लिये दो नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए हैं।

१—श्री महावीर सिंह, देवरिया,
२—श्री कन्हैयालाल, सीतापुर।

६—आबकारी स्थायी समिति में एक स्थान के लिये एक नाम श्री रामेश्वर प्रसाद देवरिया का प्राप्त हुआ है।

इनकी सूक्ष्म परीक्षा की गयी और निर्दिष्ट नाम निर्देशन पत्र विधिवत् पाये गये।

जिन लोगों के नाम निर्दिष्ट हुए हैं उनकी संख्या जितने स्थान रिक्त थे, उनके बराबर है। फिर भी वापस लेने की अंतिम तारीख २२ दिसम्बर रखी गयी है अगर उस समय तक किसी ने नाम वापस नहीं लिया तो उनके नाम निर्वाचित घोषित कर दिये जायेंगे।

१९५१-५२ के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन‡

उद्योग मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद ३२३ के खंड (२) के अनुसार वित्तीय वर्ष १९५१–५२ के लिये उत्तर प्रदेश लोक-सेवा आयोग (उ० प्र० पब्लिक सर्विस कमीशन) के वार्षिक प्रतिवेदन‡ को तत्संबंधी ज्ञापन (मेमोरेंडम) सहित सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, चूंकि पब्लिक सर्विस कमीशन से इसका संबंध है इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इसके लिये एक दिन इस सदन को विवाद के लिये दे। पहले भी वादा सरकार कर चुकी है। मैं समझता हूं कि उस वादे के अनुसार आपको कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी।

श्री हुकुम सिंह—इस प्रश्न पर सरकार की क्या राय है इसको मैं लंच के बाद ही अर्ज करूंगा।

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री नहीं हैं, इसलिये शायद आप ऐसा कह रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह—जी हाँ।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के अनुपूरक अनुदान

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—मैं उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के अनुपूरक अनुदान उपस्थित करता हूं।

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३

*खंड ११ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार जारी रहेगा। उस दिन श्री राज नारायण जी बोल रहे थे। आज वे अपना भाषण जारी रखेंगे।

---

‡ छापा नहीं गया।

* १७ दिसम्बर, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, उस दिन में निवेदन कर रहा था कि माननीय शिक्षा मंत्री जी जो चांसलर का अधिकार देने जा रहे हैं सीट वेकेंट डिक्लेअर (स्थान रिक्त घोषित) करने का वह अधिकार सिनेट को दिया जावे और उसी आशय का जो संशोधन हमारे साथी ने रखा है उसके समर्थन में मैं बोल रहा था। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस संबंध में जो तर्क उपस्थित किया, मैं अब भी उनके तर्क के साथ चल सकने को अपने को असमर्थ पा रहा हूं। मैं बार-बार निवेदन कर रहा हूं कि आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि जितनी दूर तक संभव हो सके उतनी दूर तक एक व्यक्ति के हाथ में सारी ताकत दे देने के बजाय उस ताकत को हम बाटें। क्योंकि श्रीमन् हम बार-बार जनतंत्र की बात करते हैं तो मैं आपके द्वारा इस सदन के सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जनतंत्र कोई एक राजनैतिक दर्शन ही नहीं है बल्कि एक सर्वांगीण विषय है जो मनुष्य के सामाजिक जीवन से संबंध रखती है, जो मनुष्य जीवन के रहन-सहन से संबंध रखती है, इसलिये हमें जनतंत्र के लिये अपना कानून ऐसा बनाना चाहिये, अपना नियम ऐसा बनाना चाहिये जो विकेन्द्रित प्रणाली की ओर अग्रसर हो कर सच्चे जनतंत्र की ओर ले जाय। इसी बात को दृष्टिकोण में रखते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि चांसलर की जगह पर सिनेट शब्द रखा जाय।

एक बात माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह कही कि यह सिनेट जो होगा उसकी बैठक साल में एक बार ही होती है। मैंने कहा था कि तीन लगातार मीटिंग में कोई सदस्य नहीं आवे तो उसकी सीट वैकेंट (खाली) घोषित कर दी जायगी। तो तीन साल तक तो इसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। चौथे साल उसकी नियुक्ति की बात आती है। हमने यह देखने की कोशिश की इस संशोधन विधेयक में कि अगर बीच में स्थान खाली होता है तो उसकी पूर्ति कैसे होगी, इसकी कोई व्यवस्था इस विधेयक के अन्दर नहीं है। श्रीमन्, उसमें एक बात और है, अगर डाइरेक्ट एलेक्शन भी हो जाता है तब भी बीच में अगर कमेटी में कोई जगह खाली होती है तो उसकी पूर्ति कोआप्शन से हो जाती है। जो जगह खाली होती है उसकी जगह पर दूसरा कोआप्ट हो जाता है। तो आखिर इस आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट ने ऐसा कौन सा अपराध किया है? जिनकी सीट खाली घोषित हो जाती है उनकी जगह पर उनको अधिकार होता है कि वे दूसरे को कोआप्ट कर लें। यह तो एक प्रचलित परिपाटी है, सामाजिक संस्थाओं की परिपाटी है, राजनीतिक संस्थाओं की परिपाटी है। मैं श्रीमन् समझता हूं कि एक प्रचलित परिपाटी को छोड़ कर जो जनतंत्रीय प्रणाली का हनन किया जा रहा है उसे माननीय शिक्षा मंत्री जी को नहीं करना चाहिये। मैं चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बात को मान लें, कि चांसलर की जगह सिनेट को अधिकार हो कोआप्शन करने का कि अगर बीच में कोई सीट सिनेट खाली डिक्लेअर करे तो उसकी पूर्ति स्वयं सिनेट ही करे। उस व्यवस्था को सामने रखते हुए मैं जोरदार शब्दों में निवेदन करता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इस संशोधन को मान लें।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, सिनेट एक सम्मानित सभा है। जब उसमें तीन बार बराबर कोई सदस्य अनुपस्थित रहे तो सीट खाली होगी तो उसको काज दिखाना पड़ेगा, जो अनुपस्थित रहा है। धारा में यह लिखा हुआ है "विदाउट सफीशियेंट काज" तो उसकी सफीशियेंट काज देना पड़ेगा, जो बराबर तीन मीटिंगों में हाजिर नहीं हो सका। मंत्री जी चाहते हैं कि चांसलर उसको घोषित करें। तो वह एक तरीके से एक्सप्लेनेशन हो जायगा और यह एक सम्मानित सभा के सदस्य के लिये और उस सभा के लिये भी आघात सा है। वह सभा ही उससे पूछ ले कि वह तीन सभाओं में बराबर उपस्थित क्यों नहीं रहे। इससे सभा का सम्मान बढ़ता है। इसलिये मैं शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उस संस्था के सम्मान के लिये उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिये। वैसे तो पांच वर्ष के बाद चुनाव होगा और अगर कोई तीन वर्ष तक तीन मीटिंग में बराबर नहीं आता है तो केवल एक वर्ष ही अन्त में बचता है तो उसके लिये यह चाहना कि चांसलर महोदय द्वारा वह फिर से नियुक्त कर दिया जाय उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर एक वर्ष वह सीट खाली रहेगी तो

[श्री गंगाधर मैठाणी]

कोई आपत्ति तो वहां आ नहीं जायगी। लेकिन अगर वह चाहते ही हैं तो जैसा जनतंत्र में होता है कि जिस सभा का कोई सम्मानित सदस्य उस सभा में उपस्थित नहीं रहता है तो वही सभा उसकी सीट को वैकेंट डिक्लेयर करे।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--पहले ही रोज मैं उसका उत्तर दे चुका था। अगर कोई जानबूझ कर ही न समझना चाहे तो मेरे पास युक्ति नहीं है कि उसको समझा दूं। जहां तक यह कहा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये बिल में कोई धारा नहीं है तो मैं बता दूं कि ऐक्ट की धारा ३६ में उसका प्राविजन है। उसमें यह दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति होगी। जहां तक सिनेट का संबंध है मैं कह चुका हूं कि वह वर्ष में एक दफा मिलती है। मान लीजिये कि कोई दूसरी, तीसरी और चौथी मीटिंगों में नहीं आता है, पहले में रहा तो पांचवें में सिनेट खत्म हो जायगा और ६वीं में यह तय होगा कि उसने जो न आने का कारण दिया है वह उपयुक्त है या नहीं। उस वक्त तक तो वह सिनेट खत्म हो जायगा। इतनी मोटी सी बात न समझ में आवे तो मैं उसको समझाने में असमर्थ हूं। लिहाजा मैं इसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ११ में नयी धारा १४ की उपधारा (४) में शब्द "Chancellor" के स्थान पर शब्द "senate" रख दिया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड १२

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा १६ का संशोधन।

१२--मूल अधिनियम की धारा १६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

Powers and duties of the Senate,

16. (1) The Senate shall be the supreme Governing Body of the University, and shall have power to review the acts of the Executive Council (save when the Council has acted in accordance with the power conferred on it under this Act, the Statutes, Ordinances or the Regulations), and shall exercise all the powers of the University not provided for by this Act. the Statutes, the Ordinances and the Regulations.

(2) In particular and without prejudice to the foregoing provision the Senate may—

(*a*) make Statutes, amend and repeal them;

(*b*) consider and cancel Ordinances ;

(*c*) consider and pass resolutions on the annual report, the annual accounts and the financial estimates;

(*d*) consider and pass resolutions on any matter of general policy connected with the University;

(*e*) make Regulations.

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १३

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा १७ का संशोधन।

१३--मूल अधिनियम की धारा १७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

The Executive Couucil.

17. (1) The Executive Council shall be the Chief executive body of the University. The constitution of the Executive Council shall be as follows :

(i) The Vice-Chancellor;

(ii) The Director of Education, Uttar Pradesh;

(iii) The Deans of the Faculties of Arts, Science, Medicine and Agriculture and two other Deans;

(iv) Three Principals of affiliated colleges to be selected in the manner prescribed by the Statutes;

(v) Four persons nominated by the Chancellor of whom one shall be an expert in Engineering;

(vi) Five members of the Senate not being members mentioned in clauses (i) to (v) above who are not engaged in teaching in the University or an affiliated college, elected by the Senate according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote;

(vii) One person, not belonging to any of the above categories, to be elected by the Academic Council.

(2) The Statutes shall prescribe the manner of selection and appointment and the qualification of the members belonging to clauses (iii), (iv) and (vii) of sub-section (1).

(3) The Statutes relating to the nomination, election and appointment of members of the Executive Council shall contain suitable provisions so as to secure that not more than one person connected with any one affiliated college as Principal or member of the Managing Body or in any other capacity shall be member of the Executive Council.

(4) Subject to the provisions of Section 36 the term of office of members other than *ex-officio* member shall be five years."

श्री गंगाधर मैठाणी—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में धारा १७ की उपधारा (1) का भाग (ii) निकाल दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह एक्जिक्यूटिव कौंसिल का प्रश्न है। जब सीनेट का प्रश्न आया था तो उस समय भी हमने कहा था कि वहां पर डाइरेक्टर आफ एजुकेशन का रखना जरूरी नहीं है। उनके पास बहुत ज्यादा काम होता है और अगर उसको वहां उस ड्यूटी से रिलीव कर दिया जाय तो बहुत अच्छा होगा। डाइरेक्टर आफ एजुकेशन के रखने का अर्थ जहां तक हम समझ पाये हैं यह मालूम पड़ता है कि शिक्षा मंत्री महोदय यह चाहते हैं कि राज्य की तरफ से यूनिवर्सिटी की एक्जिक्यूटिव कौंसिल के मामलों में अपनी राय दे दिया करें। शिक्षा संचालक को रखने से वहां पर काफी अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करा सकेंगे। डाइरेक्टर महोदय जसा कि पहले कहा जा चुका है काफी व्यस्त रहते हैं और उनके पास काफी काम रहता है। यूनिवर्सिटी का काम जितना होता है उसकी सारी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व एक्जिक्यूटिव कौंसिल के ऊपर रहता है। अगर वहां पर राज्य की तरफ से यूनिवर्सिटी के काम में दखल दिया जायगा तो उसका जो अधिकार है और स्वतंत्रता है वह समाप्त हो जायगी। इसलिये जो यह संशोधन रखा गया है कि शिक्षा संचालक को वहां पर न रखा जाय इसको माननीय मंत्री स्वीकार करें और यूनिवर्सिटी के मामलों में किसी प्रकार से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कराने का प्रयत्न न करें।

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि अगर डाइरेक्टर आफ एजूकेशन को किसी शिक्षा की संस्था में रखा जायगा तो उस संस्था की अटोनामी एकदम नष्ट हो जायगी। इस प्रकार अटोनामी का हौवा बना लिया है कि अगर सरकार अपना कोई आदमी उसमें रखेगी तो वहां की अटोनामी भी डूब जायगी। अगर अटोनामी इस तरह की कोई चीज होगी तो मेरा ख्याल है कि वह अटोनामी नाम की कोई चीज ही वहां न रह जायगी। शिक्षा के मामले में डाइरेक्टर आफ एजुकेशन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिये उस एक्जिक्यूटिव कौंसिल में उसका रहना न केवल आवश्यक है बल्कि उसका रहना नितान्त आवश्यक है। सरकार का एक प्रतिनिधि वहां पर रहे। सरकार अपनी एक पालिसी निर्धारित करती है, वहां के लिये बजट बनाती है और उस शिक्षा को उस पालिसी के अनुरूप ही सरकार चलाना चाहती है तो इसमें इस बात के संदेह की गुञ्जाइश नहीं है कि वह वहां पर रहे। यदि शिक्षा संचालक वहां पर रहेगा तो वह सरकार की पालिसी का जानकार होगा,

[श्री पद्मनाथ सिंह]
बहुत सी बातों में वह सलाह देगा। इसी वजह से एक्जिक्यूटिव कौंसिल में उसका रहना जरूरी समझा गया है कि उसको वहां पर रखा गया है। इन कारणों के आधार पर मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि शिक्षा संचालक वहां पर जरूर रहें।

श्री हरगोविन्द सिंह—एक्जिक्यूटिव कौंसिल में डाइरेक्टर आफ एजुकेशन का रहना जरूरी समझा गया है और इसी वजह से उनको वहां पर रखा गया है। जो युक्ति श्री पद्मनाथ सिंह जी ने दी है वह ठीक है और मैं पहले ही कह चुका हूं कि डाइरेक्टर आफ एजुकेशन का रहना उस में जरूरी है। और इसलिये उनको रहने दिया जाय।

श्री गंगाधर मैठाणी—अभी जो तर्क दिया गया है कि राज्य की नीति को एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सामने रखने के लिये शिक्षा संचालक का रहना बहुत जरूरी है लेकिन लिस्ट में प्रिंसिपल सरोजनी नाइडू मेडिकल कालेज, आगरा प्रिंसिपल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कालेज कानपुर, ४ प्रतिनिधि फैकल्टी के डीन्स में से होंगे, जो स्टेच्यूट्स के मुताबिक लिये जायेंगे, ३ एफिलियेटेड कालेज के प्रिंसिपल होंगे, ४ आदमी चांसलर द्वारा नामिनेटेड होंगे जिनमें एक इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट होगा और ५ आदमी एफिलियेटेड कालेज को छोड़कर अन्य होंगे और १ आदमी एकेडेमिक कौंसिल का नामिनेटेड होगा। जब इतने लोग होंगे जो कि एजूकेशन पालिसी से सम्बद्ध होंगे और विज्ञान के जानकार भी होंगे। जैसे कि शिक्षा मंत्री जी ने तर्क दिया कि बिना राम के रामायण नहीं हो सकती, लेकिन अगर राम राम रहें तो अच्छा है परन्तु अगर वह रावण का रूप धारण कर लें तो माध्यमिक शिक्षा ही खराब न होगी बल्कि यूनिवर्सिटी शिक्षा भी वही रावण राज्य न ले आये। इसलिये मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री जी इस ओर ध्यान दें और इसे स्वीकार करें।

श्री हरगोविन्द सिंह—मैं ऐसी युक्ति का क्या जवाब दूं। अगर बात बिलकुल ही युक्तिहीन हो तो उस का उत्तर देना ही व्यर्थ है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ में धारा १७ की उपधारा (1) का भाग (*ii*) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गंगाधर मैठाणी—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड १३ में नयी धारा १७ की उपधारा (1) का भाग (*v*) निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय—

"Four persons of whom (*a*) two will be nominated by the Chancellor out of which one will be an expert of Engineering, (*b*) one person nominated by the High Court of the State not necessarily from their own number, and (*c*) one will be nominated by U. P. Public Service Commission, not necessarily from among themselves."

अध्यक्ष महोदय, मूल अधिनियम की धारा १७ धारा के सातवें भाग में बताया गया है कि जो ४ आदमी चांसलर द्वारा नामिनेट होंगे उन में से एक आदमी इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट भी होगा। इस संशोधन में भी यही चाहा गया है कि इन ४ आदमियों में से २ चाँसलर द्वारा नामिनेट किये जायं जिन में से एक इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट हो और इसी तरह से हम यह चाहते हैं कि जो अन्य तीन व्यक्ति हों उनकी भी क्वालिफिकेशन्स निर्धारित कर दी जायं और उन क्वालिफिकेशंस में से एक इंजीनियरिंग तो ठीक है, लेकिन उसके साथ हम यह चाहते हैं कि एक व्यक्ति हाईकोर्ट से हो, मेरा मतलब जजों से ही नहीं है, जज हों या उनसे बाहर के हों जो कि लीगल ओपीनियन के हो सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट के लोगों का कानूनी लोगों से संबंध है इसलिये एक कानून का जानकार भी हो तो एक्जीक्यूटिव कौंसिल को ज्यादा सुविधा रहेगी। हम

देखते हैं कि युनिवर्सिटी में बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं जैसे कि पिछली दफ़ा पुलिस के मामले में हो गयी, तो कानून की जानकारी रखने वाला भी एक व्यक्ति होना चाहिये। उसके साथ साथ एक व्यक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन का भी रख लिया जाय क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन एक इंडिपेंडेंट बाडी है। सरकार के द्वारा भेजे गये या बाहर के लोगों के द्वारा भेजे गये आदमियों की अपेक्षा वह ज्यादा इंडिपेंडेंट राय दे सकेगा और उसमें अधिक मादा होगा उपयुक्त राय देने का। इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है। मुझे आशा है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे और इसे स्वीकार करने में उन्हें कोई विशेष आपत्ति भी न होगी।

श्री हरगोविन्द सिंह--श्रीमन्, मैं इस संशोधन की मुखालिफत करता हूं। हाईकोर्ट और पब्लिक सर्विस कमीशन का युनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं है। इलाहाबाद युनिवर्सिटी के संबंध में मूथम इन्क्वायरी कमेटी ने शायद ऐसा कहा है, मुझे याद पड़ता है कि चूंकि इलाहाबाद वहां की स्थानीय युनिवर्सिटी है इसलिये वहां के लिये तो शायद उसकी उपयोगिता कुछ हो सकती है, उसके पक्ष में शायद कुछ कहा जा सकता है लेकिन आगरा यूनिवर्सिटी जो इलाहाबाद से ३०० मील की दूरी पर है वहां हाई कोर्ट का या पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा मनोनीति कोई एक्जीक्यूटिव का सदस्य हो यह मेरी समझ में ठीक नहीं है। इसमें जो चांसलर के लिये चार नामजदगियां रखी गयी हैं उनमें एक के लिये तो यह प्रतिबन्ध है कि वह इंजीनियरिंग का एक एक्सपर्ट हो लेकिन और जो प्रतिबन्ध आप लगा रहे हैं उसमें उन व्यक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं कि वह किस प्रकार के या किस चीज के विशषज्ञ होंगे। आप सिर्फ यह बतला रहे हैं कि उन्हें मनोनीति करने वाले एक तो हाई कार्ट के जज लोग हों और एक पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग हों। मैं यह नहीं समझता कि हाई कार्ट या पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग चांसलर से अधिक इस बात में दिलचस्पी रखते होंगे कि आगरा यूनिवर्सिटी में कैसे लोगों का प्रतिनिधित्व हो। यह कहना कि यह काम चांसलर से अधिक उपयोगिता के साथ हाईकार्ट के जस्टिसेज या पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बरान कर सकते हैं, मैं इसको नहीं मानता और इसीलिये इसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री गंगाधर मैठाणी--इलाहाबाद में तो हाई कोर्ट है इसलिये मूथम ने यह रिकमेंडेशन की कि हाईकोर्ट से भी कोई सदस्य एक्जीक्यूटिव कौंसिल में लिया जाय, लेकिन हाईकोर्ट से संबंधित लोग आगरा में भी होंगे और आगरा युनिवर्सिटी के कालेज उत्तर प्रदेश के प्रायः प्रत्येक जिले में हैं जहां कि रेजीडेंशल यूनिवर्सिटी नहीं है। इसलिये हाईकोर्ट से संबंधित लोगों का अगर उसमें समावेश किया जाय तो मूथम कमेटी रिपोर्ट के खिलाफ जाना नहीं होगा। मूथम इन्क्वायरी कमेटी ने इलाहाबाद युनिवर्सिटी के संबंध में हाईकोर्ट का रिप्रजेंटेशन इसीलिये दिया है कि वहां से जो व्यक्ति जायंगे वे ज्यादा स्वतंत्र मनोवृत्ति के होंगे और यूनिवर्सिटी की ज्यादा सेवा कर पायेंगे। चाहे बरेली में कालेज हो, मेरठ में कालेज हों, वहां भी हाईकोर्ट से संबंधित लोग चाहें वह जजेज हों, चाह वह और कोई हों वह वहां पर भी मिल सकते हैं। इसलिये इसके मान लेने से युनिवर्सिटी के काम में अधिक आसानी होगी। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी को इसे मान लेने में कोई विशेष आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री हरगोविन्द सिंह--मुझे और कुछ कहना नहीं है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १३ म नयी धारा १७ की उपधारा (1) का भाग (v) निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय--

"Four persons of whom (a) two will be nominated by the Chancellor out of which one will be an expert of Engineering, (b) one person nominated by the High Court of the State not necessarily from their own number, and (c) one will be nominated by U. P. Public Service Commission, not necessarily from among themselves."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

*श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं—

खंड १३ में धारा १७ की उपधारा (1) के उपभाग (vi) की पंक्ति २ में शब्द "who" के स्थान पर शब्द "at least two of whom" रख दिये जायें तथा शब्द "not" निकाल दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, खंड १३ में प्रस्तावित धारा १७ के जिस उपभाग का जिक्र मैंने किया वह इस प्रकार है—

"Five members of the Senate not being members mentioned in clauses (i) to (v) above who are not engaged in teaching in the University or an affiliated college, elected by the Senate according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote;"

अगर मेरा संशोधन उसमें जोड़ दिया जाय तो वह इस प्रकार हो जायगा—

"Five members of the Senate not being members mentioned in clauses (i) to (v) above at least two of whom are engaged in teaching in the University or an affiliated college, elected by the Senate according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote;"

मेरे संशोधन का मंशा यह है कि यह जो ५ मेम्बर्स सिनेट एलैक्ट करेगी उसमें दो कम से कम ऐसे होने चाहिये, जो कि यूनिवर्सिटी के या अफ़िलिएटेड कालेजेज़ के अध्यापक हों।

श्री अध्यक्ष—आपका मतलब यह है कि पाँचों भी हो सकते हैं और दो तो जरूर ही हों ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जी हाँ, जब मैं इस एग्जिक्यूटिव कौंसिल के निर्माण की तरफ ध्यान करता हूं तो उसमें पहला स्थान तो वाइस चाँसलर का स्थान है। दूसरा है डायरेक्टर आफ एजूकेशन, उत्तर प्रदेश, तीसरा Deans of the Faculties of Arts, Science, Medicine and Agriculture and two other deans. (iv) Three principals of affiliated colleges to be selected in the manner prescribed by the Statutes; (v) Four persons nominated by the Chancellor of whom one shall be an expert in Engineering.

कौंसिल में यूनिवर्सिटी या कालिज के अध्यापकों का जो अध्यापन कार्य करते हैं एक भी प्रतिनिधित्व नहीं है। मुझे विधेयक के इस क्लाज को देख कर के काफी ताज्जुब सा हुआ। माननीय शिक्षा मंत्री ने अपने हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिये एक व्यवस्था की है कि वहाँ जो १५ आदमियों की एग्जिक्यूटिव कौंसिल होती है एक दो मेम्बर अध्यापक भी रहने चाहिये।

श्री हरगोविन्द सिंह—अध्यक्ष महोदय, वह गलत इन्फार्मेशन दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—आप जवाब में बतला दीजियेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—तो एक व्यक्ति कम से कम ऐसा होना चाहिये जो कि अध्यापकों का प्रतिनिधि हो। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि २१ आदमियों में यों ही थोड़े से आदमी हैं जो वाकई उस यूनिवर्सिटी से सम्बन्ध रखते हैं। चाँसलर वगैरा के नामजद लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन अध्यापकों का प्रतिनिधित्व न होना बहुत खटकने वाली बात है। यह उचित प्रस्ताव है, और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिये यह व्यवस्था आपने दे भी दी है, इसलिये वे मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, माननीय सदस्य की इत्तला के लिये बताना चाहता हूँ कि मैंने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है कि हायर सेकेंडरी स्कूल्स में मैनेजिंग कमेटीज़ में टीचर्स की व्यवस्था जरूरी हो। जहाँ तक इसका सम्बन्ध है, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस बात का प्रबन्ध किया गया है कि कार्यकारिणी में टीचरों का अनुपात आधे से अधिक न हो और आधे तक उनको अनुपात दिया जाय। तो २१ में १० तो इसमें हैं ही। श्री त्रिपाठी जी समझते हैं कि इसमें एक भी नहीं है। उनको मैं इसी में से १० गिनाये देता हूँ। ६ तो डीन रहेंगे, यह जितने भी डीन्स होते हैं वह सब यूनिवर्सिटी के अध्यापक होते हैं, तीन प्रिंसिपल होंगे, ६ और ३, ९ और एक एकेडेमिक कौंसिल द्वारा चुना जायगा। इस तरह से २१ में १० तो टीचर्स रखे गये हैं और १० दूसरे होंगे जो कि यूनिवर्सिटी के टीचर्स न हों, वे बाहर के भी हो सकते हैं। इस तरह से आगरा यूनिवर्सिटी के टीचर्स का जहाँ तक संबंध है उनका प्रतिनिधित्व एग्जीक्यूटिव कौंसिल में दस का रखा गया है। इससे अधिक देना ठीक नहीं होगा और राधाकृष्णन कमीशन ने भी यही किया है कि एग्जीक्यूटिव में यूनिवर्सिटी टीचर्स का अनुपात आधे के करीब होना चाहिये और वह आधा इसमें सुरक्षित है। इसलिये और किसी टीचर को इसमें स्थान देना हमें स्वीकार नहीं है। इसीलिये मैं इसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री राजनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री रामनारायण त्रिपाठी के संशोधन में यह स्पष्ट है कि टीचर्स (लेक्चरर्स) का रिप्रेजेन्टेशन (प्रतिनिधित्व) होना चाहिये। यह प्रिंसिपल आदि जो होते हैं वह पदाधिकारी होते हैं, वह केवल टीचर ही नहीं होते हैं। टीचर और पदाधिकारी, इन दोनों की अलग कैटेगरीज़ बनी हुई हैं। मैनेजमेंट जो होता है वह श्रीमन्, कभी-कभी ऐसा करता है जिससे कि टीचरों का अहित हो जाता है। संशोधन कुछ है और माननीय मंत्री जी ने जवाब कुछ दिया है। संशोधन में केवल इतना ही निवेदन किया गया है कि टीचर्स का रिप्रेज़ेन्टेशन होना चाहिये और वह भी केवल दो के लिये। जिस समय श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने यह संशोधन रखा था उस समय उनके दिमाग में यह बात थी कि जो यह प्रिन्सिपल्स और डीन्स आयेंगे वे कुछ न कुछ पढ़ाई-लिखाई का काम करते हैं लेकिन वे पदाधिकारी हैं और वहाँ के प्रबन्ध में उनका काफी हाथ भी रहता है। मैं तो यहाँ तक समझता हूं कि अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी डिटेल में जायं तो वे कोई भी ऐसी शिक्षा संस्था नहीं पायेंगे जहाँ पर कि पदाधिकारियों और वहाँ के अध्यापकों में संघर्ष की परिस्थिति न पैदा हो गई हो। इसलिये श्रीमन्, अध्यापकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिये यह संशोधन कह रहा है कि उनका प्रतिनिधित्व हो। यह माँग बहुत छोटी और कायदे की है। इसलिये श्रीमन् मैं समझता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी सरकार की ऐसी पालिसी को ले चलना चाहते हों कि चाहे जो संशोधन उपस्थित किया जाय वह माना ही न जाय तब तो बात दूसरी है अन्यथा मैं निवेदन करूंगा कि इस संशोधन के बिना टीचर्स छूटे जा रहे हैं इसलिये वे इस संशोधन को कबूल करें।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने रखा है उस पर जो चर्चा हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने की उससे मैं भी सहमत हूं। वह इसलिये कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि टीचर्स के नाम से दस प्रिंसिपल वग़ैरह मिला कर हो जाते हैं, यह ठीक है कि कालेजों में प्रिंसिपल भी पढ़ाते हैं यानी वे भी टीचिंग का काम करते हैं। डीन जो होते हैं वह भी पढ़ाते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, प्रिंसिपल्स ऐसे भी होते हैं जो कि वहाँ की मैनेजिंग कमेटी से संबंधित होते हैं और वहाँ की मैनेजिंग कमेटी जो पालिसी निश्चित करती है उसी को वे कार्य रूप में परिणत करने की कोशिश करते हैं। वे हमेशा इस बात को नहीं देखते हैं कि टीचर का

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

क्या इंटेरेस्ट वहाँ होगा, वे अपनी कमेटी का इंटेरेस्ट ही वहाँ पर देखते हैं। इसलिये या तो यह हो जाता कि जहाँ पर प्रिंसिपल्स लिखा हुआ था, प्रिंसिपल्स के बजाय यह लिखा जाता कि कोई भी टीचर्स उन कालेजों के जिसमें प्रिंसिपल भी शरीक है तब तो उनका मतलब ठीक हो जाता लेकिन उनमें से जब छांट होती तो कोई न कोई टीचर जिसका बहुमत होता वह वहाँ ले लिया जाता, जैसा कि ४ में है—

"Three principals of affiliated colleges to be selected in the manner prescribed by the Statutes.' '

अगर इसमें प्रिंसिपल्स के बजाय अफिलिएटेड कालेजेज के ट्रेंड टीचर्स का हो जाता, तो टीचरों को इस बात की तसल्ली हो जाती कि हमारा भी रिप्रेजेंटेशन एक्जिक्यूटिव कौंसिल में है। आज जिस तरह से बिल हमारे सामने रखा गया है उसमें निम्न श्रेणी के टीचर्स का प्रतिनिधित्व इस रूप में बिल्कुल नहीं होता है। अगर हम इन टीचर्स को एक्जिक्यूटिव कौंसिल में रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि उसमें इनकी कुछ वाइस हो, तो माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने जो संशोधन सदन के सामने रखा है, माननीय मंत्री जी को उसे स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं होगा और मुझे आशा है कि वे इसे स्वीकार करेंगे।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)— माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन रखा गया है और जो उसका समर्थन किया गया है, उसको देख कर मुझे आश्चर्य होता है। प्रिंसिपल तमाम टीचर्स का मुख्य है और उसी पर विश्वास न करना बुद्धिमानी नहीं है। टीचर्स में से ही प्रिंसिपल होता है। डीन्स जो फैकल्टीज के प्रधान होते हैं वे भी अध्यापकों के हेड हैं। ऐसा हम नहीं समझते और न होना चाहिये कि कालेजों में, प्रिंसिपलों में और साधारण अध्यापकों में आपस में खींचातानी हो। उनमें आपस में मेल होना चाहिये और मेल होता है। जहाँ पर प्रिंसिपल में और अध्यापकों में झगड़ा हो तो वहाँ पर झगड़ा होना ही अनुचित है और इस स्पिरिट का होना कि टीचर अलग, प्रिंसिपल अलग, ही ग़लत है। हमें ऐसा करना चाहिये कि तमाम अध्यापक और प्रिंसिपल मेल से रहें और प्रिंसिपल और डीन तमाम अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करें। इस तरह का भेदभाव पैदा करना किसी तरह उचित नहीं है। इसलिये हमें इस संशोधन को मानना नहीं चाहिये और मैं इसीलिये इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में विशेष तो नहीं कहना है। माननीय शिक्षा मंत्री जी को अवश्य यह गलतफहमी हुई थी कि मैंने डीन्स आफ फैकल्टीज और प्रिंसिपल्स के प्वाइंट को नहीं देखा। मैंने सिर्फ इसीलिये टीचर्स के प्रतिनिधित्व के लिये कहा था। उत्तर प्रदेश में दर्जनों ऐसे कालेज हैं जो गोरखपुर से आगरा तक और उत्तरी खंड से दक्षिणी खंड तक फैले हुए हैं और जिनका सम्बन्ध आगरा युनिवर्सिटी से है। एक्जिक्यूटिव कौंसिल में आर्ट्स, साइंस, मेडिसिन और ऐग्रीकल्चर की फैकल्टीज के डीन्स को रखा गया है और इसको इतना महत्व दिया गया है कि आखिर में यह लिखा है "ऐंड टू अदर डीं स।" अगर्चे यह बिल सिलेक्ट कमेटी में गया और माननीय शिक्षा मंत्री के समक्ष डेढ़ या दो महीने रहा, फिर भी सरकार अभी तक यह नहीं बता सकी कि टू अदर डीं स कौन होंगे। इसमें तीन-तीन प्रिंसिपल्स और पाँच-पाँच डीन्स रखे गये हैं, लेकिन अध्यापकवर्ग जो सही माने में काम करता है उसका एक भी प्रतिनिधि नहीं है। मैंने दो के लिये रखा है। कम से कम दो अगर ले लिये जाते हैं तो कोई पार्टीबाजी का सवाल नहीं पैदा होता है २१ आदमियों की कमेटी में अगर दो आदमियों का प्रतिनिधित्व पहुंच जाय, तो वे पार्टीबाजी क्या करेंगे, वे सिर्फ अपनी आवाज ही पेश करेंगे। गवर्नमेंट का हाथ

मज़बूत हो, इसलिये मैंने यह नहीं रखा कि उनका टीचर्स खुद सेलेक्शन करें, बल्कि उनका सेनेट चुनाव करे। इतनी चेक्स ऐंड बैलैंसेज़ मैंने माननीय शिक्षा मंत्री के लिये लगायीं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, उसके बावजूद भी माननीय शिक्षा मंत्री टीचर्स के दो प्रतिनिधियों को भी स्थान देना नहीं चाहते, यह सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ।

माननीय रतनलाल जैन ने कहा कि यह अविश्वास करने की बात है। यह अविश्वास की बात नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की बात है कि उनकी बात वहाँ कौन कहेगा। टीचर्स और प्रिंसिपल्स का सम्बन्ध जैसा आजकल की आर्थिक और राजनैतिक दशा में हो रहा है और जैसा कि सरकार का इस कानून में विशेषाधिकार है, उसको देखते हुए प्रिंसिपल सरकार के रुख पर चल सकते हैं क्योंकि वे कालेज के ऊंचे पदाधिकारी हैं और वे सरकार को नाराज नहीं कर सकते। ऐसी दशा में टीचर्स का प्रतिनिधित्व अगर कोई कर सकता है तो टीचर्स के दो प्रतिनिधि ही कर सकते हैं। इस पर भी माननीय शिक्षा मंत्री जी इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं, यह आश्चर्य की बात है।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, यों तो श्री रामनारायण जी त्रिपाठी और श्रीराजनारायण जी को पूरा अधिकार है कि वह जो भी परिभाषा टीचर की देना चाहें दे सकें और दें भी लेकिन इस बिल में टीचर की परिभाषा दी जा चुकी है और उसमें प्रिंसिपल और टीचर का कोई अन्तर नहीं समझा गया। मैं कम से कम प्रिंसिपल और टीचर में कोई अन्तर नहीं समझता। दूसरी बात यह है कि शायद वह यह समझते हैं कि जैसे यह विधान भवन राजनैतिक मतभेद का अखाड़ा बन सकता है वैसे ही यूनिवर्सिटीज़ की एग्जिक्यूटिव भी बननी चाहिये, जिसमें प्रिंसिपल टीचर से लड़े, डीन से लड़े और डीन वाइस चाँसलर से लड़े। मैं तो कम से कम इसे ऐसा अखाड़ा नहीं बनाना चाहता हूं। इसलिये एज़ टीचर, एज क्लर्क और एज़ लाइब्रेरियन किसी विश्वविद्यालय के काम करने में किसी को स्थान नहीं देना चाहिये। इसलिये मुझे अफ़सोस है कि मैं इस संशोधन को मंजूर नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ में धारा १७ की उपधारा (1) के उपभाग (vi) की पंक्ति २ में शब्द "who" के स्थान पर शब्द "at least two of whom" रख दिये जायं तथा शब्द "not" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१६

विपक्ष में—११२)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन पेश करता हूं—

"खंड १३ में नई धारा १७ की उपधारा (1) के भाग (vi) की तीसरी पंक्ति में शब्द 'in teaching' के पश्चात् के शब्द 'in the University or an affiliated College' निकाल दिये जायं।"

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन बिलकुल डी० डी० टी० लोशन के समान है। जिस तरह से वह लोशन कीटाणुओं को नष्ट करता है उसी प्रकार से मेरा यह संशोधन टीचर्स रूपी कीटाणुओं को नष्ट करेगा और दूसरी ओर शिक्षक वर्ग ग्राम जनता या यूनीवर्सिटी की जो उन्नति होने वाली है उसमें यह बहुत सहायक होगा।

[श्री नेकराम शर्मा]

अध्यक्ष महोदय, हमारे इस प्रस्तुत ऐक्ट में एक्जिक्यूटिव कौंसिल की स्ट्रेंग्थ २१ है। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने अभी कहा कि १० टीचर्स हैं तो यदि हम इस संशोधन को नहीं मानेंगे तो कौंसिल में फिर टीचर्स का बहुमत हो जायगा और जिस मकसद के लिये यह बिल लाया गया है उसमें हम सफलीभूत नहीं हो सकेंगे, क्योंकि जिस उद्देश्य से इस ऐक्ट के लाने की आवश्यकता पड़ी है वह इसीलिये कि जो विश्वविद्यालय में इंट्रीग्स चल रही थीं उनको खत्म किया जाय। इसलिये यदि हम इस संशोधन को नहीं मानते हैं तो कौंसिल में टीचर्स का बहुमत हो जायगा और एक्जीक्यूटिव कौंसिल को जो अधिकार ११ पृष्ठ पर सेक्शन (जे) और (के) में दिये गये हैं वह इतने हैं कि उनमें फेवरटिज्म, निपोटिज्म तथा गुटबन्दी चलेगी। इसलिये हमें आवश्यक है कि टीचर्स की संख्या को हम कम कर दें। यदि हम उपधारा को ऐसे मान लेंगे तो टीचर्स बहुमत में हो जायेंगे। मंत्री महोदय ने उसको रोकने के लिये बैन भी लगाया है। विश्वविद्यालय तथा अफीलीएटेड कालेजेज के टीचर्स नहीं चुने जायेंगे। हमारे मंत्री महोदय कह सकते हैं कि ऐसा करने से हम सारी टीचर्स क्लास को डिसक्वालीफाई किये देते हैं। उपधारा ६ के (५) के अन्दर वाइस चाँसलर नामीनेट कर सकता है। अगर कोई ऐसा टीचर है जिसे लाना है वह इसमें आ सकता है। लेकिन इसको इसी तरह से रहने देने का नतीजा होगा कि टीचर्स का बहुमत हो जायगा। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट में भी यह था कि टीचर्स का बहुमत न हो। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को जरूर मान लें।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन् मुझे अफसोस है कि मैं इस संशोधन को नहीं मान सकता। राधाकृष्णन कमीशन के मुतालिक तो मैंने यह कहा था कि यूनीवर्सिटी की कार्यकारिणी म आधे व्यक्ति ऐसे होने चाहिये कि जो उसी यूनीवर्सिटी से सम्बन्धित हों यह नहीं कि जो शिक्षक है यूनीवर्सिटी में या यूनीवर्सिटी के बाहर उनको किसी भी यूनीवर्सिटी में स्थान न दें। मैं समझता हूं कि यह तो बड़ा प्रतिक्रियावादी कदम होगा कि एक यूनीवर्सिटी में इस तरह से लोगों को रखा जाय कि कहीं भी दुनिया के पर्दे में यदि कोई शिक्षक हो तो उसे वहां न लिया जा सके यह मेरा खयाल है कि बड़ा पिछड़ा काम होगा। इसलिये हम उसको मंजूर नहीं कर सकते।

श्री नेकराम शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहता था कि ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल में १० और ५ मिल कर टीचर्स की संख्या १५ हो जाती है, इसलिये अगर मेरा यह संशोधन नहीं माना जाता है तो उसकी वजह से जो खराबी थी वह दूर नहीं हो पायेगी। यह अच्छा होता यदि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को मान लेते। अगर वे इसे नहीं मानते तो मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री गंगाधर मैठाणी—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है कि खंड १३ में धारा १७ की उपधारा (1) के उपभाग (vii) की पंक्ति १ से "Not belonging to any of the above categories" निकाल दिया जाय और उपभाग के अन्त में निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Out of the teachers of the Univerity. affiliated colleges of the other than the deans of Faculties and principals of other colleges."—

अध्यक्ष महोदय, यह एक छोटा सा संशोधन है और ऊपर जो "Not belonging to any of the above categories" शब्द आये हैं उनमें उनका रिप्रेजेन्टेशन तो आ ही गया, इसलिये यह शब्द निरर्थक मालूम पड़ते हैं। इसलिये उनको

निकाल देना चाहिये। क्योंकि यह प्रश्न टीचर्स का चल रहा है इसलिये उनका रिप्रेजेण्टेशन इसमें होना चाहिये; टीचर्स तथा डीन्स आफ फेकल्टीज और प्रिन्सिपल्स में बहुत अन्तर होता है। जो संशोधन मैंने रखा है कि 'अदर देन दि डीन्स आफ फेकल्टीज एण्ड प्रिन्सिपल्स आफ कालेजेज" जोड़ दिया जायगा तो टीचर्स को रिप्रेजेण्टेशन मिल जायगा क्योंकि डीन्स और प्रिंसिपल इक्जीक्यूटिव अधिकारियों में आ जाते हैं। चाहे वे किसी भी कालेज के हों, चाहे तो वह मेडीकल कालेज हो या इंजीनियरिंग का कालेज हो, वे सब ऐक्जीक्यूटिव अधिकारियों में आ जाते हैं और प्रायः टीचर्स को कोई रिप्रेजेण्टेशन नहीं मिलता है। यह सिर्फ एक ही सीट का सवाल है अतः डीन्स आफ फेकल्टीज तथा प्रिंसिपल को छोड़ कर यह सीट टीचर्स को रिजर्व कर दी जाय तो अच्छा होगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी, जिनकी टीचर्स के ऊपर बहुत कृपा है, उनके लिये उन्हें एक सीट रिजर्व करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मैठाणी जी ने सदन के सामने रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी जो संशोधन माननीय रामनारायण जी ने रखा था उसके सिलसिले में माननीय मंत्री जी ने हम लोगों का ध्यान टीचर्स की डैफीनीशन की ओर आकर्षित किया था जो इस प्रकार है--

"(ff) 'teachers of affiliated colleges' means persons employed in affiliated colleges for giving instruction for University degrees ;"

इसमें ऐक्जीक्यूटिव में टीचर्स के लिये सीट रिजर्व कर दी गयी है लेकिन उसमें प्रिंसिपल के लिये रखी गयी है। अगर प्रिंसिपल शब्द के आगे यह और कर दिया जाय कि "that includes teachers also" तब कुछ ठीक हो जायगा और टीचर्स को भी तसल्ली हो जायगी कि कभी न कभी हमारा प्रतिनिधित्व भी हो जायगा। अगर डेफीनीशन में यह कर दिया जायगा तो सब ठीक हो जायगा क्योंकि अब टीचर्स का नाम एक्जीक्यूटिव कौंसिल में नहीं रहा, इसीलिये इसको रखना चाहते हैं। भले ही माननीय नेकराम जी शर्मा टीचर्स के खिलाफ हों, लेकिन फिर भी टीचर्स वहां रखे गये। तो हम चाहते हैं कि उनके प्रतिनिधि का नाम एक्जीक्यूटिव कौंसिल में आ जाय और उनका कोई न कोई मेम्बर उसमें हो। इसीलिये हम चाहते हैं कि टीचर का किसी न किसी रूप में एक्जीक्यूटिव कौंसिल में मेम्बर हो जाय, इससे टीचर बेचारे का नाम एक्जीक्यूटिव कौंसिल की फेहरिस्त में लिखा रहेगा। इसी मन्शा से यह संशोधन रखा गया है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से आशा करता हूं कि इस रूप में इस संशोधन को मान लेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह--श्रीमन्, मुझे माननीय उपाध्याय जी के वक्तव्य को सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि वे ज्वाइण्ट सेलेक्ट कमेटी में थे और उनका एक डिसेंटिंग नोट भी है, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने नहीं कहा और न नोट में ही कहा।

जहां तक इस संशोधन का संबंध है अगर उसको देखा जाय तो वह कैटिगरीज जिनका कि ऊपर जिक्र है उसमें तो एक बैन लगा हुआ है। जो आदमी एकेडेमिक कौंसिल से चुने जायं वे न डीन हो सकते हैं न प्रिंसिपल हो सकते हैं तो फिर आप ही सोच सकते हैं कि वह कौन होगा। वह डीन होगा नहीं, वाइस चांसलर होगा नहीं, प्रिंसिपल होगा नहीं, तो सिवाय टीचर के और कौन होगा। मैंने एक सिद्धांत के ऊपर प्रिंसिपल से टीचर्स को अलग करके रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहा है और इसीलिये मैंने उसको पहले भी नहीं रखा था और अब भी यों रखा है कि जो आदमी चुना जायगा वह न डीन हो, न प्रिंसिपल हो, न वाइस चांसलर हो, तो फिर टीचर्स के सिवाय दूसरा नहीं हो सकता, इसलिये मैं इसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मुझे फिर सखेद माननीय शिक्षा मंत्री से कहना पड़ता है जब कि वहां पर खुद लिखते हैं कि टीचर्स इन्क्लूड प्रिंसिपल में मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक साधारण सा फारमूला है कि हर एक वर्ग समानान्तर चतुर्भुज हो सकता है मगर हर समानान्तर चतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता। इसी तरह से हर प्रिंसिपल टीचर हो सकता है लेकिन हर टीचर प्रिंसिपल नहीं हो सकता। इस साधारण सी बात को माननीय शिक्षा मंत्री जी क्यों नहीं ग्रहण करते। माननीय रामनारायण त्रिपाठी का संशोधन इसी बात को समझाता है, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी उसी पुराने तर्क पर अब भी जमे हुये हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं जब कि रामनारायण जी के संशोधन का और मंत्री जी का मन्तव्य एक है उसमें कोई फर्क नहीं है तो फिर उनको मान लेना चाहिये क्योंकि उनके कथन में और जो भाषा है उसमें शंका है। लेकिन कानून की भाषा ऐसी होनी चाहिये जो स्पष्ट हो और आशंका की गुंजाइश न रह जाय। मैठाणी जी ने जो रामनारायण जी का संशोधन प्रस्तुत किया वह इस शंका को हटा देता है और माननीय मंत्री जी की शंका को और अधिक स्पष्ट बना देता है। जब यह संशोधन उनकी मंशा की पूर्ति और स्पष्ट तरीके से कर देता है तो फिर उसको न मानने पर मुझे अफसोस होता है कि अगर वे इतना सीधा सा संशोधन नहीं मानेंगे तो फिर मुझे यह कहने में हिचक नहीं है कि वे हठवादिता के कारण डटे हुये हैं। इसलिये मैं पुनः चाहता हूं कि हठवादिता को वे छोड़ दें जब कि उनके उद्देश्य में और संशोधन के उद्देश्य में कोई अन्तर नहीं है और संशोधन की भाषा स्पष्ट है। मैं सदन के तमाम सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे भी इसको समझें और विचार करें और कोई ऐसी परिस्थिति पैदा करें जिससे कि इस स्पष्टतर ढंग पर माननीय शिक्षा मंत्री की मंशा को पूरा करने वाले इस संशोधन को सदन मान ले।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष महोदय, यों तो जो प्रश्न उपस्थित किया गया है उसका जवाब हो चुका है लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री ने यह बतलाया कि—

"one person, not belonging to any of the above categories, to be elected by the Academic Council."

उनका कहना है कि जब तमाम कटेगरीज हो गयीं तो ऐफिलिएटेड कालेजेज के टीचरों के लिये कुछ बच ही जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड १५ के अन्दर जो एकेडेमिक कौंसिल के नियम हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। खंड १५ की नयी धारा १९ इस प्रकार है—

"(19) (1) The Academic Council shall be the academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, have the control and general regulation, and be responsible for the maintenance of standards of instruction, education and examination and for research in the University, and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes. It shall further have the right to advise-the Executive Council on all academic matters."

उपधारा २ इस प्रकार है:—

(2) The constitution of the Acadamic Council and the term of office of its members shall be prescribed by the Statutes."

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यहां देख सकते हैं कि एकेडेमिक कौंसिल के पर्सनेल कौन होंगे, यह इस विधेयक के अन्दर साफ नहीं है। तो संभव यह है कि एकेडेमिक कौंसिल की तरफ से कोई एक प्रिंसिपल एक्जीक्यूटिव कौंसिल में चला जाय। तो यह कैसे गारंटी हो जाती है। माननीय शिक्षा मंत्री जी कैसे गारंटी करते हैं, एकेडेमिक कौंसिल के सामने कोई चारा नहीं है कि एफिलियेटेड कालेज के ही जायेंगे। प्रिंसिपल तथा डीन आदि भी उसके अन्दर

जा सकते हैं, ऐसी आशंका है। मैं समझता हूं कि अच्छा होगा कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी माननीय मैथानी जी के संशोधन को मान लें। आप एकेडेमिक कौंसिल के च्वायस पर पाबन्दी लगाना चाहते हैं, एकेडेमिक कौंसिल का अधिकार अवश्य होगा, लेकिन जो अध्यापक यूनिवर्सिटी या एफिलिएटेड कालेज में हैं उनकी जगह पर प्रिंसिपल पहुंच जायेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी का मंशा भी कुछ ऐसा ही मालूम होता है, उपधारा १७ के जरिये। अगर माननीय मैठाणी जी का संशोधन मान लिया जाय तो कम से कम एक टीचरों का प्रतिनिधि तो वहां अवश्य पहुंच ही जायगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वह मसला ज्यों का त्यों रह जाता है।

श्री गंगाधर मैठाणी--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी के यह मानने के बाद कि उस कटेगरी में कोई रह ही नहीं जाता लेकिन टीचर ही बाकी रह जाते हैं। मैं तो समझता हूं कि एकेडेमिक कौंसिल में इतना स्पष्ट कर दिया जाय तो एक सीट टीचरों को अवश्य ही मिल जायगी। माननीय शिक्षा मंत्री जी की राय भी है कि उन्हें प्रतिनिधित्व देना चाहिये। तो इसलिये वे बहुत आपत्ति न करें। इसलिये कि यूनिवर्सिटी तथा एफिलिएटेड कालेज के टीचर्स जिनकी संख्या बहुत काफी है अगर उनको आप एक सीट दे देते हैं तो उसमें किसी को कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इस तरह से टीचरों को एकेडेमिक कौंसिल में अपने शब्दों को या यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि को अपने विचार वहां प्रकट करने का काफी अवसर मिलेगा, इसलिये मैं चाहता हूं कि यह संशोधन मान लिया जाय। इसलिये कि विद्यार्थियों का टीचरों से बहुत निकटतम संबंध है और घुणाक्षर न्याय के अनुसार यूनिवर्सिटी के अध्यापकों से भी उनका निकटतम सम्पर्क रहता है। इसलिये माननीय शिक्षा मंत्री जी को उन्हें एक सीट देने में बहुत दुख तो न होना चाहिये। मुझे आशा है कि कि आप इसको अवश्य स्वीकार कर लेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह--इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि और न कोई संदेह है और पहले भी हम इस बात को कह चुके हैं कि टीचर भले ही एक्जिक्यूटिव कौंसिल में आ जायं और वह किसी प्रकार से भी चुने जायं इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह कहना कि हम प्रिंसिपल और डीन के अतिरिक्त उनको अलग श्रेणी मानकर उनको अलग प्रतिनिधित्व दिया जाय इस बात की हमने सम्पूर्ण बिल में हर जगह मुखालफत की है और उसको स्पष्ट कर दिया है कि हम टीचर्स की अलग श्रेणी मानकर अलग से कोई प्रतिनिधित्व देने के लिये तैयार नहीं हैं।

जहां तक दफा १५ की बात है उसकी बाबत उनको गलतफहमी है इसलिये कि एकेडमिक कौंसिल में केवल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ही रखे जा सकते हैं और कोई एकडमिक कौंसिल में नहीं रह सकता है। ऐसी बात नहीं है कि एकेडमिक कौंसिल में ऐसे व्यक्ति नहीं रहेंगे जिनका संबंध यूनिवर्सिटी से न हो और बाहर के आदमी हों। इसलिये उसमें यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि एकेडमिक कौंसिल एक व्यक्ति को चुनेगी जो प्रिंसिपल और डीन नहीं होगा मुझे काई संदेह नहीं है कि वह टीचर ही होगा लेकिन वह जो चुना जायगा वह कोई टीचर का प्रतिनिधि होकर नहीं जायगा बल्कि वह एक्जिक्यूटिव कौंसिल का प्रतिनिधि होकर जायगा। टीचरों का अलग से प्रतिनिधित्व करने के लिये वह नहीं जायगा। अलग प्रतिनिधित्व करने की हमने मुखालिफत की है, क्योंकि यह यूनिवर्सिटी के हित में नहीं रहेगा। इसी वजह से मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १३ में धारा १७ की उपधारा (१) के उपभाग (vii) की पंक्ति १ से "not belonging to any of the above categories" निकाल दिया जाय और उपभाग के अन्त में निम्नलिखित रख दिया जाय--

"Out of the teachers of the affiliated colleges of the University other than the Deans of Faculties and principals of other colleges."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१६

विपक्ष में--९०)

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १४

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा १८ का संशोधन।

१४—मूल अधिनियम की धारा १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

18. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Executive Council shall have the following powers and duties, namely—

Powers and duties of the Executive Council.

(*a*) to hold, control and administer the property and funds of the University;

(*b*) to accept the transfer of any movable or immovable property on behalf of the University;

(*c*) to administer any funds placed at the disposal of the University for specific purposes;

(*d*) to frame the Budget of the University;

(*e*) to award fellowships, scholarships, bursaries, medals and other rewards in accordance with the Statutes and Ordinances relating thereto;

(*f*) save as otherwise provided for by this Act and the Statutes, to appoint the officers, teachers of the University and other servants of the University, to define their duties and the conditions of their service and to provide for the filling of temporary vacancies in their posts;

(*g*) to prescribe the courses of study for the examinations, certificates and degrees of the University;

(*h*) to arrange for the holding of examinations and publication of the results;

(i) subject to the previous sanction of the Chancellor, to grant affiliation to a college for teaching for specified degrees and to withdraw such affiliation;

(*j*) to arrange for and direct the inspection of all affiliated colleges and hostels;

(*k*) to control and manage and to frame rules for the University Library or Libraries and to appoint a Library Committee;

(*l*) to direct the form, custody and use of the Common seal of the University;

(*m*) to regulate and determine all matters concerning the University in accordance with this Act the Statutes, and the Ordinances, and to exercise such other powers as may be conferred or imposed on it by this Act and the Statutes.

(2) The Executive Council shall not exceed the limits of recurring and non-recurring expenditure to be incurred in each financial year as determined by the Finance Committee;

(3) The Executive Council shall take no action in regard to the courses of study except after considering the advice of the Academic Council;

(4) No teacher shall be employed by the University until provision has been made for his salary in the Budget of the University;

(5) It shall be the duty of the Executive Council to carry out the resolutions passed by the Senate, but where in any case it is not able to do so it shall inform the Senate of its inability with the reasons therefor."

श्री गंगाधर मैठाणी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४ में धारा १८ की उपधारा (४) की पंक्ति २ में शब्द "in" और उसके बाद का वाक्यांश निकाल दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इस धारा में यह शब्द लिखे गये हैं--

"No teacher shall be employed by the University until the Provision has been made for his salary".

हमारा प्रस्ताव है कि आगे के शब्द 'in the Budget of the University' निकाल दिये जायं। इससे जितने शब्द इसमें रखे गये हैं सैलरी के अन्दर उन शब्दों से पूरा उसका समर्थन निकल जाता है और 'इन दी बजट आफ दी यूनिवर्सिटी सुपरफ्लुअस, मालूम होते हैं। प्रायः किसी यूनिवर्सिटी का बजट वर्ष में एक ही समय पास किया जाता है। यह तो ठीक है कि जब तक यूनिवर्सिटी में किसी टीचर के वेतन का प्रावीजन नहीं किया जाता है तब तक उसकी नियुक्ति न की जाय। इन शब्दों से हैज बीन मेड फार हिज सैलरी यहां तक तो हम इससे सहमत हैं। लेकिन उससे आगे इन दी बजट आफ दी यूनिवर्सिटी ये शब्द सुपरफ्लुअस हैं। इसका मतलब यह होगा कि यदि किसी कालेज या यूनिवर्सिटी में बजट वर्ष के आने से पहले यह आवश्यक हुआ कि किसी टीचर की या किसी प्रोफेसर की नियुक्ति कर दी जाय तो इन शब्दों के कारण साल भर के अन्दर उसकी नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिये ये शब्द इन दी बजट आफ दी यूनिवर्सिटी सुपरफ्लुअस मालूम पड़ते हैं। इनके निकालने से हमारे इस अधिनियम में एक विशेषता आ जायगी। वह यह होगा कि जब उसकी सैलरी का प्राविजन रहेगा तो हमें पूरा मौका मिलेगा। इन दी बजट आफ दी यूनिवर्सिटी निकालने से हमें साल भर के लिये रुकना नहीं पड़ेगा और इसलिये मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह संशोधन कर लिया जाय। माननीय शिक्षा मंत्री से भी मैं आशा करता हूं कि वह इसको मान लेंगे।

श्री हर गोविन्द सिंह--मेरी समझ में बहुत तो नहीं आया कि क्यों ये शब्द निकाल दिये जायं। इसमें तो सिर्फ यही कहा गया है कि जब तक उसकी सेलरी का प्रावीजन बजट में न हो तब तक उसकी नियुक्ति न की जाय। किस तरह से यह सुपरफ्लुअस हैं, नहीं आने चाहिये यह मेरी समझ में आया नहीं और इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री गंगाधर मैठाणी--उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कहने का मतलब बहुत स्पष्ट है, क्योंकि किसी विश्वविद्यालय का बजट जो है साल भर में एक दफे बनता है। यदि साल भर के अन्दर जब तक कि दूसरा बजट पेश होगा उसके अन्दर किसी टीचर को रखने की आवश्यकता होती है तो जब तक कि दूसरा बजट आप पास नहीं करते हैं तब तक आप उस टीचर की नियुक्ति नहीं कर सकते और यहां तक तो हम भी सहमत हैं कि 'अंटिल दी प्राविजन हैज बीन मेड फार हिज सैलरी' यह तो ठीक है कि जब तक उसकी सैलरी का प्राविजन नहीं किया जाता जब तक उस टीचर की नियुक्ति न की जाय, लेकिन 'इन दी बजट आफ दी यूनिवर्सिटी, का

[श्री गंगाधर मैठाणी]

मतलब यह है कि साल के अन्दर, जब तक कि दूसरा बजट नहीं आता है तब तक आप उसकी नियुक्ति नहीं कर सकते, यह हमारे कहने का उद्देश्य है।

श्री हरगोविन्द सिंह--तो आशय भी यही है कि जब तक बजट में प्राविजन न हो जाय तब तक किसी की नियुक्ति न की जाय। बजट के दौरान के अन्दर अगर किसी नियुक्ति की आवश्यकता होगी तो और आगे जो फाइनेंस कमेटी है उसमें यह किया गया है कि लिमिट के अन्दर अगर होगा तो यूनिवर्सिटी एक्जीक्युटिव कर सकती है और बजट फिर मंजूर कर लेगा लेकिन यह कि बजट में प्राविजन न हो और नियुक्ति हो जाय यह ठीक नहीं है और इसी को रोकने के लिये यह प्रबन्ध किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १४ में धारा १८ की उपधारा (4) की पंक्ति २ में शब्द "in" और उसके बाद का वाक्यांश निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १४ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १५

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा १९ का संशोधन।

१५--मूल अधिनियम की धारा १९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"19 (1) The Academic Council shall be the academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinanecs, have the control and general regulation, and be responsible for the maintenance of standards of instruction, education and examination and for research in the University, and shall exercise such other powers and per-form such other duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes, It shall further have the right to advise the Executive Council on all academic matters.

Academic Council

(2) The Constitution of the Academic Council and the term of office of its members shall be prescribed by the Statutes."

श्री रामनारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १५ में धारा १९ की उपधारा (१) की पंक्ति ८ में से प्रारम्भ होने वाला वाक्य निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"The Executive Council shall take no action in regard to the courses of study except on the advice of the Academic Council."

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इस संशोधन का मतलब इस प्रकार है। खंड १५ में प्रस्तावित धारा १९ की उपधारा (i) इस प्रकार है--

"19. (1) The Academic Council shall be the academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, have the control and general regulation, and be responsible for the maintenance of standards of instruction, education and examination and for research in the University, and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes. It shall further have the right to advise the Executive Council on all academic matters."

मै चाहता हूं कि इसका अंतिम वाक्य निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर यह रख दिया जाय कि एग्जिक्युटिव कोई ऐक्शन नहीं लेगी--

"Except on the advice of the Academic Council."

उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्तावित उपधारा १९(१) है उसमें सलाह देने का एकडेमिक कौंसिल को अख्तियार है कि आम तौर पर वह सलाह दे, लेकिन संशोधन का मतलब यह है कि बगैर उसकी सलाह के एग्जिक्युटिव कौंसिल किसी भी एकडेमिक मैटर में कोई फैसला न करे। दोनों का अन्तर स्पष्ट है और माननीय शिक्षा मंत्री को मैं समझता हूं, इसको मानने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, युनिवर्सिटीज के मामले में सरकारी हस्तक्षेप की बात तो अलग है, चूंकि एग्जिक्युटिव कौंसिल एक व्यापक बाडी है और उसका काम और भी है उसके अतिरिक्त यह भी कि वह एकडेमिक मैटर्स में कोई फैसला ले और इसी एग्जिक्यूटिव कौंसिल की सहायता के लिये ही एकडेमिक कौंसिल का निर्माण इस विधेयक में हुआ है। तो मैं यह चाहता हूं कि एकडेमिक कौंसिल जो है एकडेमिक मैटर्स में आखिरी सलाह वही दे सके और जो कुछ वह सलाह दे उसी में एग्जिक्युटिव कौंसिल को काम करना पड़े और मैं आशा करता हूं कि शिक्षा मंत्री इसको स्वीकार करेंगे।

श्री हर गोविन्द सिंह--श्रीमन्, जो आशय इस संशोधन का है वह इस विधेयक में पूर्णतया सुरक्षित है। मैं माननीय सदस्य का ध्यान खंड २४ की धारा २७ (a) के उपखंड ३ की ओर दिलाना चाहता हूं:

(3) Ordinances shall be made by the Executive Council but no Ordinance shall take effect until it has been approved by the Chancellor after considering the views of the Senate :

Proivided that no Ordinance—

(i) affecting the admission or enrolment of students or prescribing examinations to be recognised as equivalent to the University examinations; or

(ii) affecting the conditions and mode of appointment or duties of examiners or the conduct or standard of an examiation or any course of study;

shall be made, amended, repealed or added to unless a draft of such Ordinance has been proposed or previously approved by the Academic (Board) Council.

एक यह है। फिर आप खंड २५ में नई धारा २८ जो है उसके उपखंड ३ को देखिये--

(3) The Executive Council may direct the amendment, in such manner as it may specify, of any Regulation made under this section or the annulment of any Regulation made under sub-section (1) by an authority other than the Senate:

Provided that any authority or Board of the University which is dissatisfied with any such direction may appeal to the Chancellor, whose decision in the matter shall be final.

(4) The Executive Council shall make Regulations laying down---

(i) the courses of study for various examinations of the University;

(ii) the assignment of subjects to the various faculties;

after receiving drafts of the same from the Academic Council

[श्री हरगोविन्द सिंह]

The Executive Council may not alter a draft received from the Academic Council but may reject the draft received or return it to the Academic Council for further consideration together with its own suggestions.

इसलिये जो इस संशोधन का आशय है वह इस विधेयक में आगे सुरक्षित है। इसलिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, यह मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि कम से कम माननीय शिक्षा मंत्री जी मेरे इस संशोधन के आशय से सहमत हैं। खंड २५ की प्रस्तावित नई धारा २८ के आखिर में इस प्रकार से है—

"The Executive Council may not alter a draft received from the Academic Council but may reject the draft received or return it to the Academic Council for further consideration together with its own suggestions."

इसमें एक शब्द "may" है। इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि एकडेमिक कौंसिल का जो ड्राफ्ट होगा वह एक्जीक्यूटिव कौंसिल करेगी या उसी के लिये छोड़ दिया गया है। मान लीजिये कि एकडेमिक कौंसिल ने कोई ड्राफ्ट भेजा तो उसके बाद क्या रास्ता होगा? मैं समझता हूं कि शायद कानून में भी, अध्यक्ष महोदय गलतफहमी पैदा कर दी गई है और उसमें यह अधिकार एकडेमिक कौंसिल को नहीं है कि उसकी च्वायस, उसकी आवाज जो हो, वह फाइनल हो। ऐसी सूरत में मैं मजबूर हूं। चूंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी मेरे इस संशोधन के नियमों से सहमत हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि यह बिलकुल साफ तरह से दर्ज कर दिया जाय कि एकडेमिक कौंसिल के मामलों में एक्जीक्यूटिव कौंसिल कोई इण्टरफियरेंस नहीं करेगी। इस बिल में यह बिलकुल साफ हो जाय, इसी आशय से मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है।

श्री हरगोविन्द सिंह—मैं समझता हूं कि इस प्रकार से कार्यकारिणी को पूर्णतया वंचित कर दिया जाय कि वह अपनी राय एकडेमिक कौंसिल के जो विचार उसके सम्मुख आवेंगे, उन पर न दे सके, यह ठीक नहीं होगा। जैसा कि मैंने इस में बताया कि विधेयक में यह तो है ही कि जब तक एकडेमिक कौंसिल की सहमति एक्जीक्यूटिव को नहीं मिल जायगी तब तक वह कोई आर्डिनेंस नहीं जारी करेगी, ऐसी स्थिति में एक्जीक्यूटिव के ऊपर, जो कि यूनिवर्सिटी की करीब-करीब सिनेट के बाद सब से हायस्ट एथारिटी होगी, कोई ऐसा प्रतिबन्ध लगा देना जिससे कि वह अपनी राय भी एकडेमिक बोर्ड को एकडेमिक मैटर्स में न दे सके, यह ठीक नहीं होगा।

इसमें इतना तो संरक्षण है ही कि जो एकडेमिक कौंसिल की सिफारिशें कोर्सेज की निस्बत होंगी उनपर एक्जीक्यूटिव कौंसिल बिला उसकी राय के कोई निर्णय नहीं दे सकती। तो मेरा खयाल है कि इतना ही उपयुक्त और ठीक है। इससे अधिक उसके अधिकारों को घटाना ठीक नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १५ में धारा १९ की उपधारा (१) की पंक्ति ८ में "it" से प्रारम्भ होने वाला वाक्य निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"The Executive Council shall take no action in regard to the courses of study except on the advice of the Academic Council."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १५ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १६

१६—मूल अधिनियम की धारा २० के स्थान पर निम्नलिखित धारायें २० और २०–ए के रूप में रख दी जायें:— यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २० का संशोधन।

"Finance Committee. 20. (1) The Finance Committee shall consist of—

(i) The Vice-Chancellor, who shall be the Chairman;

(ii) Two persons nominated by the State Government ;

(iii) Two persons who are not in the service of University or of any affiliated college, elected by the Senate so, however, that not more than one is a member of the Executive Council.

(2) The Registrar shall be the Secretary of the Committee.

(3) Three members (of whom at least one shall be a member nominated by the State Government) shall form a quorum.

(4) Members of the Finance Committee other than *ex-officio* members shall hold office for five years.

20-A. (1) The Finance Committee shall have the following duties, namely—

(*a*) it shall examine the accounts and the Audit Report and make recommendations to the Executive Council in regard to them;

(*b*) it shall fix limits for the total recurring and the total non-recurring expenditure for the ensuing year based on the income and resources of the University;

(*c*) it shall scrutinize the financial estimates of the University for the ensuing year and make its comments on them, which shall the be considered by the Executive Council;

(*d*) it shall perform such other functions as may be assigned to it by the Statutes.

(2) The Finance Committee shall take into consideration the views of the Executive Council in performing its duties referred to in clauses (*b*) and (*c*) of sub-section (1)."

श्री गंगाधर मैठाणी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६ में धारा २० की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(1). The Finance Committee shall consist of—

(i) The Vice-Chancellor who shall be the chairman of the Committee.

(ii) One person elected by the Executive Council not necessarily out of its personnel.

(iii) One person who is in the service of the affiilated colleges elected by the State.

(iv) The Accountant General of U. P."

उपाध्यक्ष महोदय, जो मूल अधिनियम है उसमें पाँच व्यक्ति दिये गये हैं। एक तो वाइस-चाँसलर है। इसमें कोई अन्तर हमारे प्रस्ताव से नहीं आता है। "who shall be the chairman"

[श्री गंगाधर मैठाणी]

"Two persons nominated by the State Government."

इसमें हमारा परिवर्तन आता है। इसके स्थान पर हम यह चाहते हैं--

"One person elected by the Executive Council not necessrily out of its personnel."

एक्जिक्यूटिव कौंसिल का एक व्यक्ति होगा और अगर एक्जिक्यूटिव कौंसिल चाहे तो अपने में से दे और अगर न चाहे तो बाहर के व्यक्तियों को भी दे सकती है जो कि फाइनेंस में एक्सपर्ट होंगे।

तीसरा यह है--

"One person who is in the service of the affiliated colleges elected by the State."

इस संबंध में मूल अधिनियम में यह आता है--

"Two persons who are not in the service of the University or of any affiliated college, elected by the Senate so, however, that not more than one is a member of the Executive Council."

चौथे में यह हमारा प्रस्ताव है कि "The Accountant General of U. P." यह कहा जाता है कि यह अधिनियम इसलिये बन रहा है कि चूंकि यूनिवर्सिटी की फाइनेंसेज प्रापरली युटिलाइज नहीं होती है। इसीलिये मूल अधिनियम में गवर्नमेंट के दो प्रतिनिधि शिक्षा मंत्री की तरफ से रखे गये हैं। हमारा प्रस्ताव यह है कि उनके बजाय एकाउन्टेंट जनरल को रखा जाय ताकि फाइनेंसेज पर अच्छी तरह से नियंत्रण रखा जाय। और व्यक्तियों के संबंध में हमारा कोई मतभेद नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट के नामिनेटेड पर्सन्स हैं उनके बजाय हम यह चाहते हैं कि एकाउन्टटेंट जनरल रख दिया जाय जिस से यूनिवर्सिटी और कालेजेज की आर्थिक व्यवस्था सुन्दर हो सके। इस प्रकार फाइनेंसेज के प्रापरली युटिलाइज न होने की आपत्ति भी नहीं रहेगी। हम केवल यही चाहते हैं कि युनिवर्सिटी के फाइनेंसेज में गवर्नमेंट अधिक हस्तक्षेप न करे। ऐसी दशा में मुझे विश्वास है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस संशोधन को जो सुन्दर और पाक है, स्वीकार करने में कोई विशेष आपत्ति नहीं होगी।

श्री हरगोविन्द सिंह--श्रीमान्जी, इस संशोधन में एक सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें सीनेट का कोई प्रतिनिधि इस कमेटी में नहीं आता। जैसा कि इस विधेयक में आप पास कर चुके हैं, सीनेट यूनिवर्सिटी की सुप्रीम बाडी है। उसका कोई प्रतिनिधि उसमें न हो, यह ठीक नहीं मालूम होता। दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने एकाउन्टेंट जनरल के लिये कहा तो शायद वह हमारे अधिकार के बाहर की बात हो कि हम उन्हें अपने किसी विशेष विधेयक के द्वारा इस बात के लिये मजबूर करें कि वह हमारी किसी कमेटी के मेम्बर हों क्योंकि वह गवर्नमेंट आफ इंडिया सर्विस के आदमी हैं। इसलिये मैं इन दोनों सुझावों को नहीं मान सकता। विधेयक में जो रखा गया है कि वाइस चांसलर उसका चेयरमैन हो, यह तो आपको मंजूर है ही। इसके अलावा टू पर्सन्स नामीनेटेड बाई दी स्टेट गवर्नमेंट हमने रखे हैं। फ़ाइनेंस के मामलों में स्टेट गवर्नमेंट का कोई प्रतिनिधि न हो, यह भी ठीक नहीं है। आगे यह है कि "Two persons who are not in the service of University or of any affiliated college, elected by the Senate so, however, that not more than one is a member of the Executive Council." तो इस तरह से उसमें सीनेट को प्रतिनिधित्व मिल जाता है और एग्जीक्यूटिव कौंसिल को भी प्रतिनिधित्व मिल जाता है। ऐसी अवस्था में मेरा अपना ख्याल है कि जिस प्रकार से इस विधेयक में रखा गया है फाइनेंस कमेटी वैसी ही रहनी चाहिये। इसलिये यह संशोधन मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री राजनारायण---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत ही अनुगृहीत हूं कि उन्होंने इस संशोधन में जो एक बात किसी कारणवश छूट गई थी, शायद प्रिंटिंग से, कि सीनेट का भी एक प्रतिनिधि उसमें रहे उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराया, उसके लिये मैं उनका अनुगृहीत हूं। उसके साथ-साथ मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि वह अपने लोभ को कुछ संवरण करें। उसमें संशोधन उपस्थित करने वाले और माननीय मंत्री जी के बीच में कोई अन्तर नहीं है कि वाइस चाँसलर महोदय हों और वह चेयरमैन हों। जहाँ यह है कि टू पर्सन नामीनेटेड बाई दी स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर बुनियादी तौर से संशोधन में और माननीय मंत्री जी की मूलधारा में अन्तर पड़ता है। संशोधन की मंशा यह है कि जहाँ तक हो सके यूनिवर्सिटी की आंतरिक परिस्थिति में सरकारी हस्तक्षेप कम से कम हो और ऐसी भी बात न हो कि सरकार वहाँ के खर्चे की शैली को देख न पाये और सब कुछ मनमाने ढंग पर होता रहे। इसलिये मैं समझता था कि इस कमी की ओर संकेत करते हुये मंत्री जी इतनी उदारता और व्यापकता जरूर ग्रहण करेंगे कि प्रस्तावक महोदय का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने कितनी खूबी के साथ इसमें संशोधन उपस्थित किया है। उनका कहना है कि "वाइस चाँसलर शैल बी दी चेयरमैन आफ दी कमेटी" जिससे सरकार सहमत है। लेकिन जहां सरकार २ सदस्यों को रखना चाहती है वहां प्रस्तावक महोदय "One person elected by the Executive Council not necessarily out of its personnel" चाहते हैं। यह रख दिया जाय कि एक व्यक्ति एक्जीक्यूटिव कौंसिल का हो और दूसरा संशोधन जिसकी ओर माननीय मंत्री जी ने संकत किया है सीनेट के लिये भी एक क्लाज जोड़ा जा सकता है और मैं समझता हूं कि हमारे साथी श्री गंगाधर जी मैथाणी को भी इसमें कोई ऐतराज नहीं होगा कि एक मेम्बर सीनेट का भी इस कमेटी में भेजा जा सके। इसी के साथ-साथ जहां पर श्रीमन्, हम एक तरफ सरकार द्वारा नियुक्त दो सदस्यों को फायनेंस कमेटी में नहीं रखने देना चाहते हैं वहां पर हम यह भी कहते हैं कि ए० जी० (एकाउण्टेण्ट जनरल) जो उत्तर प्रदेश के सारे हिसाब-किताब की देखरेख करते हैं और संकेत किया करते हैं वह भी इसमें रहें। वह लियाजों का काम करेंगे बिटवीन दी स्टेट गवर्नमेंट एण्ड दी फायनेंस कमेटी इसलिये सारी की सारी बात भी अच्छी तरह से आ जायगी और सरकार पर भी दोषारोपण नहीं होगा कि सरकार हर तरह से फायनेंस कमेटी पर कब्जा करके जिस तरह से चाहेगी उसको नियंत्रित करेगी। इस तरह से यह सरकार के लिये और हमारे समाज के लिये एक शुभ लक्षण होगा और यूनिवर्सिटी भी अपना काम सुचारुरूप से सम्पादित कर पायेगी।

मैं ज्यादा न कह कर माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी भी सदन में उपस्थित हैं। इसलिये शिक्षा मंत्री जी को आसानी है कि वह इस समय मुख्य मंत्री जी की राय लेकर इस संशोधन को स्वीकार करने में आसानी महसूस करेंगे। इसलिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह इसको मान लें और इसको मान लेने से सारी की सारी दिक्कत और सरकार पर जो आक्षेप होता है वह भी खत्म हो जायगा और यूनिवर्सिटी का काम भी सुचारु-रूप से सम्पादित होगा।

श्री रतन लाल जैन---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय नेता विरोधी दल ने रखा है कि सरकार की तरफ से कोई मेम्बर नहीं होना चाहिये यह ठीक नहीं है क्योंकि यह रुपये का मामला है, अर्थ व्यवस्था का मामला है, यूनीवर्सिटी को जो खर्चा करना पड़ता है अगर वह ज्यादा हो जाता है तो जिम्मेदारी सरकार की आती है, क्योंकि सरकार का काम है कि शिक्षा को ठीक तरह से चलाये और रुपये का प्रबन्ध करे। इसलिये यह भी नितान्त आवश्यक है कि सरकार का प्रतिनिधि फायनेंस कमेटी में रहे। वहां की अर्थ व्यवस्था इस तरह से चले कि जितना रुपया गवर्नमेंट खर्च करना चाहती है उसी के अनुसार बजट

[श्री रतनलाल जैन]

बनाये। जब सरकार की पूरी जिम्मेदारी है तो यह भी बिल्कुल जरूरी है कि उसका प्रतिनिधि वहां पर हो। यह यूनीवर्सिटी के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं है क्योंकि सरकार का काम है कि शिक्षा का काम ठीक तरह से चले। अगर रुपये का मसला आता है तो सरकार की अंतिम जिम्मेदारी है कि यूनीवर्सिटी को ठीक तरह से चलाये और अगर रुपये की कमी पड़े तो वह दे। ऐसी अवस्था में सरकार का प्रतिनिधि होना आवश्यक है कि सीनेट जो गवर्निंग बाडी है उसका भी प्रतिनिधि हो। इसलिये सीनेट का तथा गवर्नमेंट का प्रतिनिधि न रखना किसी भी तरह से उचित नहीं है। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री गंगाधर मैठाणी—उपाध्यक्ष महोदय, खैर प्रिंटिंग की गल्ती हो या जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बतलाया है उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें स्वीकार है जैसा कि हमारे नेता जी ने कहा है। यह कहना कि गवर्नमेंट का प्रतिनिधि अवश्य होना चाहिये क्योंकि रुपये के मामले में गवर्नमेंट का पूरा उत्तरदायित्व है। जहां तक प्रजातन्त्र का सम्बन्ध है तो प्रत्येक नागरिक अपनी सरकार के रुपये पैसे के मामले में पूर्ण उत्तर-दायी है। और जहां तक एकाउन्टेंट जनरल का ताल्लुक है मैं समझता हूं गवर्नमेंट के किसी और नामिनी के बजाय वह रुपये पैसे के मामले को ज्यादा अच्छी तरह से देख सकेगा। इस सम्बन्ध में जैसा कि शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा हम यह मानने को तैयार हैं कि एक आदमी सीनेट का होना चाहिये। जहां तक गवर्नमेंट के नामिनी का ताल्लुक है उस कमेटी के अध्यक्ष वाइस चांसलर होंगे जो कि गवर्नर महोदय के ही चुने हुए होंगे क्योंकि गवर्नर महोदय ही उसके चांसलर हैं। मैं समझता हूं कि इस संशोधन को जो बहुत ही शुभ और सुन्दर है, माननीय शिक्षा मंत्री को मानने में कोई आपत्ति न होगी, क्योंकि यह उनकी मंशा के बहुत दूर भी नहीं जाता है।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता जी ने इस संशोधन के सम्बन्ध में मुझे भी यह हिदायत दी है कि मैं अपने विचार इस बारे में जाहिर करूं और उनका कहना है कि मैं उस संशोधन के उस अंश को, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के दो प्रतिनधि फाइनेंस कमेटी में होने के बारे में हैं, उसको मान लूं। मैं समझता हूं कि जो फाइनेंस कमेटी बनी है उसका कोई खास उद्देश्य है और उसमें यह ध्यान रखा गया है कि फाइनेंस कमेटी ऐसी होनी चाहिये जिसमें स्टेट फाइनेंसेज, यूनिवर्सिटी रिसोर्सेज और यूनिवर्सिटी की आवश्यकताओं, सबका समन्वय कर सके। इस गरज के लिये यह फाइनेंस कमेटी बनायी जाती है। अब इस वक्त इस यूनिवर्सिटी में जहां कि खर्चा बढ़ता जा रहा है आमतौर पर करीब-करीब सारा, सिवाय फीस वगैरह की आमदनी के स्टेट को व्यय करना पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट को अगर आप इस निगाह से देखें कि वह लेजिस्लेचर की एक प्रतिनिधि ऐक्जीक्यूटिव बाडी है और वह लेजि-स्लेचर सारे प्रदेश की प्रतिनिधि है, तो उसकी यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वह यह देखे कि उसके कोष का सदुपयोग हो रहा है।

इस समय जो इलाहाबाद यूनीवर्सिटी है उसका ओवर ड्राफ्ट और कर्जा २० लाख रुपये से ज्यादा हो गया है। लखनऊ युनिवर्सिटी का कर्जा भी करीब-करीब इतना ही आता है। अब यह हालत हो गयी है कि युनिवर्सिटीज को बाज वक्त अपने टीचर्स की तनख्वाह देने के लिये रुपया मुहैया करना मुश्किल हो जाता है, बैंक से ओवर ड्राफ्ट भी नहीं मिलता। तब गवर्नमेंट से कहा जाता है कि रुपया न दोगे तो यूनीवर्सिटी बन्द कर दी जायगी। अब सवाल यह आता है कि गवर्नमेंट जो लेजिस्लेचर की प्रतिनिधि है ऐसे मौकों पर क्या करे। कहा जाता है कि इतने लाख रुपया कर्जा हो गया है, अदा करो वरना यूनिवर्सिटी बन्द हो जायगी। यूनिवर्सिटी बन्द हो या न हो लेकिन अगर

इसी तरह से यूनिवर्सिटीज़ अपने ख़र्चे और उसके साथ ही साथ अपने कर्जे को बढ़ा लें और फिर जब कर्ज दे नहीं सकते हैं, वे जानते हैं उनके लिये देना मुमकिन नहीं है, फिर कहें गवर्नमेंट से कि नहीं देते हो तो यूनिवर्सिटी बन्द हो जायगी, गवर्नमेंट का बहैसियत एक रेप्रेजेंटेटिव पब्लिक और बहैसियत इस हाउस के एक्जीक्यूटिव होने के ऐसे मौके में यह खयाल होना लाजिमी है कि यूनिवर्सिटी बन्द न हो और उसका काम जारी रखा जाय। तो ऐसी हालत जब होती है तो रुपया गवर्नमेंट को फिर वह चाहे या न चाहे मुहइया करने की कोशिश करनी पड़ती है। तो इस तरह की हालत में ठीक हो या न हो, अगर यह ठीक नहीं है तो इसके लिये कोई ऐसी तजवीज होनी चाहिये जिससे यूनिवर्सिटी का जो कुछ काम है वह अच्छी तरह चले और उसके फाइनेंसेज जो हैं वे ऐसी हालत में रहें कि इस तरह की क्राइसेज यूनिवर्सिटी के अन्दर न पैदा होकर यूनिवर्सिटी का काम सुचारुरूप से चले और चूंकि यूनिवर्सिटी में जरूरी है कि जब गवर्नमेंट के रेप्रेजेंटेटिव उस फाइनेंस कमेटी में रहते हैं तो उस यूनिवर्सिटी की असली जरूरियात भी गवर्नमेंट ज्यादा समझ सकती है और इस हैसियत से गवर्नमेंट के लिये यह ज्यादा मुमकिन है कि वह यूनिवर्सिटी की असली जरूरियात के लिये ज्यादा रुपये की जरूरत है तो वह इस बारे में इस हाउस को इत्मीनान दिला सकती है कि यूनिवर्सिटी को ज्यादा रुपया देना चाहिये। इसलिये यूनिवर्सिटी के लिये भी, पब्लिक के लिये भी और गवर्नमेंट के लिये भी यानी इन तीनों के लिये इस बात की ज्यादा जरूरत है कि वहां स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव रहें। स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के माने हैं उस पब्लिक एक्सचेकर और जिस जमाने में जो भी हो, उसकी जिम्मेदारी जनता पर है कि वह अपने प्रतिनिधि भेज सके ताकि यूनिवर्सिटी का काम अच्छी तरह चल सके। यूनीवर्सिटी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कोई कानफ्लिक्ट तो है नहीं। लेकिन इस बात की जरूरत है कि इनका समन्वय हो।

इस सिलसिले में जो रिपोर्ट निकली है उसे आप लोगों ने देखा होगा उससे मालूम हो सकता है कि किस तरीके से बदउनवानी के साथ खर्चे बढ़ाये गये हैं और इसके लिये कोई ऐसी कमेटी बनाना जरूरी है। जो कम्पोजीशन इस कमेटी का दिया गया है वह उसी तरह का है जैसा कम्पोजीशन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिये, बनारस यूनिवर्सिटी के लिये और बोलपुर के शान्ति निकेतन के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया ने बनाया है। वह ऐक्ट के अन्दर की चीज इस विधेयक के अन्दर भी है। उसको हम इसी तरह का बना रहे हैं। इसलिये यह कोई नयी चीज नहीं है। जो रुपया इसमें लगेगा वह यहां इसीलिये रखा जाता है। और मेरी समझ में यह इस हाउस के लिये यूनिवर्सिटी के लिये और पब्लिक के लिये, तीनों के लिये अच्छा है। इसी तरह की चीज उसमें है।

जहां तक एकाउण्टेंट जनरल की बात है, तो एकाउंटेंट जनरल का काम उस पालिसी का नहीं होता है कि क्या किया जाय। वह तो एकाउंट चेक करता है और जहां पर कोई गलत बात समझता है उसे बतलाता है। इसके अलावा इसमें और कोई बात इनवाल्व करना या उलझाव करना ठीक नहीं है। क्योंकि उनका काम जो एकाउंट का है इस यूनिवर्सिटी का, वह भी डाइरेक्ट या इनडाइरेक्ट तरीके से उनके पास चेक होने के लिये जा सकता है। इस तौर पर उनका फाइनेंस कमेटी द्वारा कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर एकाउंटेंट जनरल का रखना जरूरी समझा जावे और गवर्नमेंट आफ इंडिया इस पर राजी हो और यह खयाल हो कि इससे फायदा ज्यादा हो सकता है तो जो रिप्रेजेंटेटिव स्टेट गवर्नमेंट को भेजना हो उसमें मुमकिन हो सकता है कि एक एकाउंटेंट जनरल को ही रखा जाय और एक दूसरे को रखा जाय। लेकिन मैं तो समझता हूं कि इससे उलझन ही पैदा होगी। मैं आशा करता हूं कि जैसा यह क्लाज है वैसा ही यह सभी को मंजूर होगा।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय शिक्षा मन्त्री जी को क्या कुछ कहना है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--कोई आवश्यकता नहीं है सिवा इसके कि मैं माननीय नेता विरोधी दल का ध्यान उस नोट आफ डिसेंट की तरफ दिलाऊं। उसमें यह आक्षेप नहीं किया गया है कि फाइनेंस कमेटी में गवर्नमेंट का प्रतिनिधि नहीं रखना चाहिये। उनके जिन सदस्यों ने नोट आफ डिसेंट लिखा है जिन्होंने यह आक्षेप नहीं किया है कि एकाउण्टेण्ट जनरल या गवर्नमेंट का कोई प्रतिनिधि फाइनेंस कमेटी में न हो।

श्री राजनारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि जब कि मुख्य मंत्री जी ने यह कहा है कि अगर गवर्नमेंट आफ इंडिया को एतराज नहीं होगा तो इसमें दो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्ज में से एक एकाउंटेंट जनरल को भी रख लेंगे तो अगर यह बात की जायगी तो एक अंश तक इस संशोधन की पूर्ति हो सकती है। अगर मुख्य मंत्री जी इसको जरा और स्पष्ट कर दें तो इसके मूवर (संशोधक) को कुछ अन्तिम फैसला लेने में बड़ी आसानी होगी।

दूसरी बात यह है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी बार-बार यह कहा करते हैं कि सेलेक्ट कमेटी में हमारे सदस्यों ने यह नहीं कहा या यह नहीं लिखा तो मैं यह कहता हूं कि अगर सेलेक्ट कमेटी में ही तमाम बातें फायनल (अन्तिम) हो जायं तो सदन में बिल को ले जाने की जरूरत ही क्या है। इसलिये मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस तरह की बातें करके सदन का समय नष्ट न करें।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--यह जो एकाउंटेंट जनरल की बात है उसके लिये तो मैंने यह कहा कि उसका जो काम है वह अलग है। वह एकाउंटस चेक करने का काम है। उसको देखते हुये उसको इस कमेटी में रखना मुनासिब होगा या नहीं, पहले तो यही गौरतलब है और दूसरे यह कि वह गवर्नमेंट आफ इंडिया के आदमी हैं। अगर यह पालिसी के मुताबिक उनको रखना ठीक समझा जाय तब भी गवर्नमेंट आफ इंडिया की रजामन्दी होना जरूरी है और गवर्नमेंट आफ इंडिया को एतराज न हो तो गवर्नमेंट उनको रखने की सोच सकती है। मैंने जो कहा है उसमें मैं समझता हूं कि कोई गलतफहमी नहीं हो सकती कि क्या कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १६ में धारा २० की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(1) The Finance Committee shall consist of—

(i) The Vice-Chancellor who shall be the chairman of the Committee.

(ii) One person elected by the Executive Council not necessarily out of its personnel.

(iii) One person who is in the service of the affiliated Colleges elected by the State.

(iv) The Accountant General of U. P."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १७ तथा १८

१७—मूल अधिनियम की धारा २१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २१ का संशोधन।

The Faculties. 21. (1) The University shall include such Faculties as may be prescribed by the Statutes. Each Faculty shall, subject to the control of the Academic Council have charge of the courses of study and direction of research work in the subjects assigned to it by the Ordinances.

(2) The consitituion and powers of the Faculties shall be prescribed by the Statutes.

(3) There shall be a Dean of each Faculty who shall be responsible for the due observance of the Statutes, Ordinances and Regulations relating to the Faculty.

(4) The manner of appointment and the term of office of the Dean shall be prescribed by the Statutes."

१८—मूल अधिनियम की धारा २२ निकाल दी जाय। यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २२ का संशोधन।

उपाध्यक्ष— खंड १७ तथा १८ में किसी संशोधन की सूचना नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड १७ तथा १८ इस विधेयक के अंग माने जायं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १९

१९—मूल अधिनियम की धारा २३ की उपधारा (२) में शब्द "Regulations to be made by the Executive Council after consideration of the recommendations of the Academic Board" के स्थान पर शब्द "the Statutes" रख दिये जायं। यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २३ का निकाला जाना

श्री उपाध्यक्ष— प्रश्न यह है कि खंड १९ इस विधेयक का अंग माना जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २०

२०—मूल अधिनियम की धारा २४ के स्थान पर निम्नलिखित धारायें २४ तथा २४-ए के रूप में रख दी जायं— यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २४ का संशोधन।

Affiliated Colleges. 24. (1) Every college which was an affiliated college on the first day of July, 1953, under and in accordance with the provisions of this Act, shall continue to be such college until the affiliation is cancelled or otherwise withdrawn under this Act.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act or in the conditions of affiliation of any affiliated college, it shall not be lawful, so long as the affiliation continues, for an affiliated college having post-graduate classes to maintain Intermediate classes simultaneously with post-graduate classes.

Provided that any such college which on the Ist day of July, 1953, was maintaining simultaneously intermedidate and post-graduate classes may, at its option, continue both the Intermediate and post-graduate classes so, however, that one or the other of these classes shall cease to be maintained before the expiry of the academic year 1956-57.

(3) Without prejudice to the provisions of the foregoing sub-sections, no college shall after the commencement of the Agra University (Amendment) Act, 1953, be affiliated if it maintains classes for preparing students for the Intermediate examination.

(4)Every application for affiliation to the University by a college not already affiliated and every application of an affiliated college for starting courses of instructions for a new degree shall, subject to the provisions of clause (i) of sub-section (1) of Section 18, be dealt with in accordance with the Statutes. But nothing in this sub-section shall be deemed to require the previous sanction of the Chancellor under clause (i) aforesaid for the granting of an application of an affiliated college to start instruction in a subject, being a subject in which instruction is not already given for a Bachelor's degree in respect of which the college is already affiliated and every such application may be dealt with by the Executive Council without reference to the Chancellor.

(5) Every affiliated college shall furnish such reports, returns and other particulars as the Executive Council may call for on its own motion or at the instance of the Academic Council.

(6) The Executive Council shall cause every affiliated college to be inspected from time to time at intervals not exceeding five years by one or more person authorised by it, in this behalf.

(7) The Executive Council may call upon any affiliated college so inspected to take within specified period such action as may appear to it to be necessary.

(8) The affiliation of an affiliated college which fails to comply with the directions of the Executive Council or to fulfil the conditions of affiliation may be withdrawn in accordance with the provisions of the Statutes."

"24-A. (1) It shall be lawful for the University to grant to an affiliated College, which satisfies the conditions prescribed in this behalf by the Statutes, the privilege of varying for the students receiving instruction in such college, the courses of study prescribed by the University and holding examinations in the courses so varied. The extent to which the courses may be varied and the manner of holding examinations conducted by such College shall be determined in each case by the University. Such a College shall be declared to be an 'Autonomous College' in the manner prescribed by the Statutes.

(2) The University may, under conditions prescribed by the Statutes, recognise an affiliated College, as a "Working Men's College", for the purpose of providing courses for degrees to persons (otherwise eligible for admission to such courses) who may be unable to enrol as whole-time students by reason of being engaged full-time in business, trade or industry, or employed in other forms of service. The course for such students shall extend over a period which shall not be less than one and a half

times the prescribed duration thereof. Such courses shall be organized separately."

श्री विष्णुदयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सदन के समक्ष यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २० में नई धारा २४ की उपधारा (3) की तीसरी पंक्ति में शब्द 'affiliated' तथा शब्द 'if' के मध्य में शब्द 'for post-graduate classes' रख दिये जायं।

श्रीमान जी, यह संशोधन हो जाने के बाद जो तीसरी उपधारा होगी उसका रूप यह होगा :

"(3) Without prejudice to the provisions of the foregoing sub-sections, no college shall after the commencement of the Agra University (Amendment) Act, 1953, be affiliated for post, graduate classes if it maintains classes for preparing students for the Intermediate examination."

श्रीमन्, यह संशोधन रखने का मेरा उद्देश्य यह है कि यदि यह संशोधन नहीं किया जाता है तो कोई भी इन्टर कालेज भविष्य में आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलियेटेड नहीं हो सकेगा और यदि ऐसा नहीं हो सकता तो फिर हमारे प्रान्त में शिक्षा के लिए एक बड़ी भारी असुविधा होगी, क्योंकि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी एजुकेशन की किसी तरह से तरक्की नहीं होने पायेगी। हम इस तरह की क्लाजेज ब्रिटिश हुकूमत के जमाने में बरदाश्त कर सकते थे मगर इस वक्त नहीं बरदाश्त कर सकते हैं जब कि हमारी पापुलर गवर्नमेंट है और जब कि शिक्षा के लिए अधिक सुविधा देना चाहिए और उसको अधिक लिबरल बनाना चाहिए। इस बिल में इस तरह के क्लाज को लाकर हमारे प्रान्त की शिक्षा को बरबाद किया जा रहा है। तो मैं इस बात को बरदाश्त नहीं कर सकता हूं। इसलिए मैं शिक्षा मन्त्री से यह निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री हरगोविन्द सिंह--श्रीमन्, यह प्रश्न बड़े महत्त्व का है और समय-समय पर जितने कमीशन या कमेटीज विश्वविद्यालय की शिक्षा के सम्बन्ध नियुक्त हुई उन सबने इस बात पर अपने विचार प्रकट किये हैं। सैडलर कमीशन ने कहा है कि डिगरी कालेज और इण्टर कालेज के इकट्ठा रहने से डिगरी कालेज का स्तर नीचे हो जाता है। इस मायने में जो शिक्षकगण अधिकतर होते हैं, जो इण्टर कालेज में पढ़ाते हैं वही डिगरी कालेज में भी पढ़ाते हैं और आगरा यूनिवर्सिटी में तो इस समय ऐसी स्थिति आ गयी है कि यदि मैं आपको बतलाऊं तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कहीं-कहीं तो शायद ऐसा भी न हो कि जो एक हाई स्कूल रहा उसमें जो शिक्षक नियुक्त हुये जैसा कि इस समय है कि वही इस वक्त एम० ए० को भी पढ़ाते हैं और ऐसा तो आपको बहुत मिलेगा कि जो ऐसे कालेज डिगरी कालेज हुए वही टीचर डिगरी कालेज में भी गये और अब वे पोस्ट ग्रैजुएट हो गये और वही पोस्ट ग्रैजुएट क्लासेज को पढ़ाते हैं। इस कारण उसमें बहुत सी त्रुटियाँ रह गयी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आगरा यूनिवर्सिटी खुद कोई कालेज नहीं है उसके साथ बहुत से कालेजेज का संगठन किया गया है और उसको हम विश्वविद्यालय कहते हैं।

तो प्रत्येक कालेज के द्वारा यह प्रयत्न होना स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ अधिक संख्या में विद्यार्थी आवें और उसमें सब से बड़ा प्रलोभन यह दिया जा सकता है कि उनको पास किया जाय। तो ऐसी दशा में, प्रत्येक कालेज में विद्यार्थी की संख्या बढ़ाने की होड़ होना स्वाभाविक है। तो उसके लिए उनको किसी प्रकार से पास कर देना भी वहाँ के कालेज के प्रबन्धकर्ताओं का और शिक्षकों का एक कार्य हो गया है। तो इस लिए यह रखा गया है और जो सैडलर कमीशन ने सिफारिश की थी कि इण्टर कालेजेज को पृथक कर देना चाहिए। तो हमारा यह प्रान्त सब में अग्रसर था और उसमें इण्टरमीडियेट को विश्वविद्यालयों से अलग कर दिया। इलाहाबाद में हुआ, लखनऊ में हुआ, वही हम यहाँ पर चाहते हैं।

[श्री हरगोविन्द सिंह]

आगरा युनिवर्सिटी में भी हम ऐसा ही चाहते हैं। प्रान्त में दो प्रकार की नीति नहीं रख सकते कि कहीं पर इण्टरमीडियेट को कालेज का अंग माना जाय और कहीं पर न माना जाय। तो इस प्रकार से जो यह बात कही गयी है वह ठीक नहीं है।

दूसरी बात यह है कि इण्टर कालेज इतने हैं कि हर एक इस बात की इच्छा प्रकट करता है और कोशिश भी करता है और चाहता भी है कि हमारे यहाँ पोस्ट ग्रैजुएट तक हों चाहे कालेज के पास सामग्री हो या न हो, इससे कोई मतलब नहीं लेकिन हर एक चाहता है कि हमारा कालेज हो जाय और जो प्रिंसिपल है वह तो अवश्य ही चाहता है इस लिए कि उस का वेतन बढ़ जाता है और इसी तरह से दूसरे टीचर्स भी चाहते हैं। इसलिए अगर हम अपने स्तर को ऊंचा रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी जो ३ स्टेट युनिवर्सिटीज हैं उनके स्तर में एक समानता हो और वह एक दूसरे से छोटी-बड़ी न गिनी जायं और इसलिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार का प्रबन्ध किया जाय कि जो इण्टरमीडियेट या डिग्री कालेजेज हो गये हैं, वह तो हो गये हैं, उन में तो हम हस्तक्षेप करना नहीं चाहते, लेकिन जहाँ पोस्ट ग्रैजुएट क्लासेज हैं, उन्हें इण्टर-मीडियेट से अलग कर दें, या पोस्ट ग्रैजुएट क्लासेज को अलग कर दें। अगर इसी तरह से उन की संख्या बढ़ने दी जाय तो वह बहुत घातक होगी। डिग्री कालेज में एम० ए० क्लासेज हों तब तो ठीक है क्योंकि उन के यहाँ की टीचर्स की नियुक्तियाँ आदि भी उसी स्तर की होती हैं लेकिन अगर हर एक स्कूल को पोस्ट ग्रैजुएट तक के लिए छूट दे दी जाय तो वहाँ न विशेष प्रकार के शिक्षक ही होंगे और न कोई विशेष सामग्री ही उनके पास होगी। ऐसी हालत में डर है कि वहाँ के स्नातकों का भी स्तर गिर जाय। इसलिए मैं इस संशोधन को मानने में असमर्थ हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शिक्षा मन्त्री जी की बातों को बहुत ध्यान से सुना। इस बिल की धारा २४ में जो प्रस्तावित खंड २० है, उसकी उपधारा (२) इस प्रकार है---

"(2) Notwithstanding anything contained in this Act or in the conditions of affiliation of any affiliated college it shall not be lawful, so long as the affiliation continues, for an affiliated college having post-graduate classes to maintain intermediate classes simultaneously with post-graduate classes."

और आगे उपधारा (३) इस प्रकार है---

"(3) Without prejudice to the provisions of the foregoing sub-sections, no college shall after the commencement of the Agra University (Amendment) Act, 1953, be affiliated if it maintains classes for preparing students for the Intermediate examination."

जहाँ तक उपधारा २ का सम्बन्ध है, मेरे ख्याल से शिक्षा मन्त्री जी का मतलब यह है कि जो कालेज आज तक इण्टरमीडियेट के लिए विद्यार्थी तैयार करते थे और डिग्री और पोस्ट ग्रैजुएट क्लासेज भी चलाते थे, वह या तो पोस्ट ग्रैजुएट क्लासेज निकाल दें, या इण्टरमीडियेट क्लासेज निकाल दें, लेकिन धारा में यह है कि भविष्य में जो भी बी० ए० वगैरा की डिग्री देते थे वे इण्टर-मीडियेट न रखेंगे। तो आगरा युनिवर्सिटी की तो वही परिस्थिति, है जैसा कि स्वयं मन्त्री जी ने कहा था कि अगर आगरा में जाकर कोई मालूम करे कि आगरा यूनिवर्सिटी कहाँ है तो लोग उसको पागल ही समझेंगे। मिसाल के तौर पर मैं फैजाबाद की अपने यहाँ की ही बतलाता हूं कि वहाँ एक कालेज है, जिस में पोस्ट ग्रैजुएट क्लासेज नहीं हैं महज डिग्री क्लासेज हैं, सिर्फ बी० ए०, बी० एस सी के क्लासेज हैं, और वहाँ विद्यार्थियों की इतनी कम संख्या होती है कि जितने भी अध्यापक वहाँ होते हैं, उनका वेतन भी मुश्किल से पूरा होता है, क्योंकि हमारे शिक्षा मन्त्री की सरकार में एक फीस ही ऐसा जरिया है, क्योंकि सरकारी सहायता तो केवल नाम मात्र को

ही होती है। तो क्या यह विषय विचाराधीन नहीं है कि भविष्य में अगर पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज हटाते हैं, तो ऐसी व्यवस्था भी कायम रखी जाय कि भविष्य में पोस्ट ग्रेजुएट न रखे जायं। लेकिन डिग्री और इन्टरमीडियेट एक साथ रखे जायं। अध्यक्ष महोदय, इसमें तो कोई बहस ज्यादा नहीं है। सचमुच यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इन्टरमीडियेट क्लासेज और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज एक साथ न रखे जायं। इस पर भिन्न-भिन्न लोगों के मत हैं। एक मत है कि स्टैन्डर्ड इस तरह से गिर जाता है, वहीं पर यह भी कहा जा सकता है कि अगर एम० ए० और बी० ए० पढ़ाने वाले अध्यापकों की संगत इन्टरमीडियेट वालों को मिल जायगी तो उससे हो सकता है कि उनकी शिक्षा का स्टैण्डर्ड और बढ़ जाय और उनको मौका मिल सकता है कि वह इन्टरमीडियेट के विद्यार्थी होते हुए भी डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट के अध्यापकों से भी लाभ उठा सकें। इसका एक उदाहरण काशी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है, इण्टरमीडियेट कालेज सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल का है, जहाँ कि विद्यार्थियों को इससे एक विशेष लाभ पहुंचता है। लेकिन खैर इस वाद-विवाद में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं। आगरा युनिवर्सिटी की विशेष परिस्थिति देखकर और जिसके कि अफिलियेटेड कालेजेज प्रदेश भर में फैले हुए हैं, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट तथा इण्टरमीडियेट तो एक साथ न हों, लेकिन डिग्री क्लासेज और इण्टरमीडियेट तो एक साथ रहने चाहिए। इस से आर्थिक दृष्टिकोण से भी संचालन अच्छा होगा और उसूलों के मातहत भी माननीय शिक्षा मन्त्री को कोई आपत्ति न होनी चाहिए क्योंकि इन्हीं दिक्कतों को मानते हुए वह पहले के कालेजेज में इण्टरमीडियेट और डिग्री क्लासेज को रखना चाहते हैं।

श्री गंगाधर मैठाणी——उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। वास्तव में यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण संशोधन है। यह ठीक है जैसा कि माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय कहते हैं कि स्टैण्डर्ड कम न हो जाय। इसलिए वह चाहते हैं कि इण्टरमीडियेट कालेजेज डिग्री कालेजेज से अलग हों। लेकिन मैं तो शिक्षा मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि उन्होंने आर्थिक दृष्टिकोण से इसे नहीं देखा है। क्योंकि हमारे यहाँ जगह-जगह जिलों में डिग्री कालेजेज हैं, और वह डिग्री कालेज, गवर्नमेंट की सहायता से नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की सहायता एक किस्म से नगण्य सी मिल सकती है, बल्कि लड़कों की फीस से चलते हैं और इण्टरमीडियेट क्लासेज में अधिक विद्यार्थी होते हैं जिनके कारण उन कालेजों को अधिक पैसा मिल पाता है और वे कालेज सुचारु रूप से चल पाते हैं। बहुत से कालेजों की ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि वहाँ पर वह प्रोफेसरों को और लेक्चरर्स को नियमित समय पर वेतन भी नहीं दे पाते हैं। अगर आप इण्टरमीडियेट क्लासेज अलग निकाल देते हैं तो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन और भी खराब हो जायगी।

दूसरे दृष्टिकोण से यह तो कुछ माना भी जा सकता है जैसा कि शिक्षा मन्त्री जी कहते हैं लेकिन जहाँ तक कि साइंस कालेजेज से मतलब है वहाँ पर साइंस के विद्यार्थियों को यह मौका मिलता है कि जो प्रोफेसर और लेक्चरर बी० एस-सी० और एम० एस-सी० के छात्रों को पढ़ाते हैं अगर वह इण्टरमीडियेट क्लासेज के छात्रों को भी कभी-कभी पढ़ा देते हैं, तो इससे उनके ज्ञान में ज्यादा वृद्धि होती है, तो वह इस दृष्टिकोण से भी देखें, और फाइनेंशियल दृष्टिकोण को भी सामने रखें। बी० एस-सी और एम० एस-सी० के पढ़ाने वाले प्रोफेसर और टीचर जो हैं, अगर इण्टरमीडियेट के छात्रों को कभी-कभी हफ्ते में एक बार भी पढ़ा देते हैं तो उस से छात्रों के ज्ञान में अधिक वृद्धि होती है, और उस से उन लड़कों की शिक्षा का स्टैण्डर्ड बढ़ेगा, घटेगा नहीं।

इसलिए जो संशोधन यहाँ पर रखा गया है, आर्थिक दृष्टिकोण के विचार से बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी स्टेट के अन्दर इतना पैसा तो नहीं है, कि प्रत्येक डिग्री कालेज को वह पूरी मदद दे सके। इसलिए बाद को ऐसी परिस्थिति आयेगी, कि बहुत से डिग्री कालेजज जो कि इस समय फीस से चलते हैं, उनका चलना कठिन हो जायगा और दूसरा सवाल आयेगा एकोमोडेशन का, इसकी भी दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सी जगह आप डिग्री कालेजेज अलग कर देंगे, तो आपके इण्टरमीडियेट क्लासेज को रखने के लिए भी वहाँ पर स्थान नहीं रहेगा। इस समय गवर्नमेंट के सामने यह प्रश्न आयेगा कि उनको रखने के लिए भवनों का क्या प्रबन्ध किया

[श्री गङ्गाधर मैठाणी]

जाय। या तो आपको इण्टरमीडियेट तोड़ना पड़ेगा, या बी० ए० और एम० ए० तोड़ना पड़ेगा। यह दिक्कत आपके सामने आयेगी। आपने मुरादाबाद वगैरह में देखा होगा कि बहुत से डिग्री कालेजेज हैं, जहाँ कि डिग्री कालेज और इण्टरमीडियेट कालेज की बिल्डिंग एक ही है। अगर आप उनको अलग कर देते हैं, तो भवन की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल हो जायगा। इसके कारण मैनेजमेंट की भी दिक्कत बढ़ेगी, और स्कूलों तथा डिग्री कालेजों की उचित व्यवस्था में भी कठिनाई होगी, साथ ही शिक्षा का प्रसार भी एक दफे रुकेगा, और खुद शिक्षा मन्त्री को भी विशेष कष्ट और भार उठाना पड़ेगा।

इस लिए मैं चाहता हूं कि आप इस संशोधन पर सोचिये और कम से कम फिलहाल के लिए (टेम्पोरेरिली) अगर स्वीकार कर लेते हैं तो इसमें हमारे उत्तर प्रदेश का लाभ होगा और उन का लाभ होगा, जो कि रेजिडेंश्यल युनिवर्सिटी, इलाहाबाद में पढ़ नहीं सकते हैं। वह भी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ शहर में ठहर कर बी० एस०-सी०, एम० एस०-सी० हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर मैं समझता हूं कि इस से बहुत अधिक लाभ होगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय विष्णु दयाल जी ने सदन के सामने रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि हमारे प्रान्त में बहुत से ऐसे कालेजेज हैं, जो कि इण्टरमीडियेट कालेज हैं देहातों में। शहरों में जो कालेज हैं, उनमें तो डिग्री क्लासेज क्या, पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज भी ली जाती हैं। लेकिन बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पर इण्टरमीडियेट कालिज हैं और अगर उनको डिग्री क्लासेज तक बढ़ा दिया जायगा तो हमारे गाँव के रहने वालों का भला होगा। जिन विद्यार्थियों के लिए नौकरी के लिए आगे पढ़ना बहुत आवश्यकीय है, उन्हें भी ग्रेजुएट होने का मौक़ा मिलेगा। हमारे प्रान्त में ऐसे डिग्री कालेजेज तो होंगे ही। उस दिन भी माननीय मन्त्री ने कहा था कि हम अपने प्रान्त में इस चीज को डिस्करेज करना चाहते हैं, कि इन्टरमीडियेट कालेज के साथ बी० ए० क्लासेज रहें, और ऐसी नीति रखना चाहते हैं, जिससे आइन्दा ऐसे कालेज न बढ़ें, और यह भी करेंगे कि पोस्ट ग्रैजुएट क्लासेज के साथ जहाँ इण्टरमीडियेट क्लासेज भी हैं तो इण्टरमीडियेट क्लासेज को हटा लेंगे। तो हमारा कहना यह है कि जब तक कि कोई नयी शिक्षा की पालिसी निर्धारित न हो जाय, तब तक के लिए यह प्रतिबन्ध लगाया जाता कि आइन्दा के लिए जो इण्टर-मीडियेट कालेज, डिग्री क्लासेज खोलना चाहें तो उन्हें युनिवर्सिटी अफिलियेशन नहीं देगी। इससे शिक्षा में बड़ी रुकावट होगी।

मुझे बड़ा अफसोस है। कल परसों से जो विवाद इस सदन के अन्दर हो रहा है उसमें हमारे माननीय शिवनारायण जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। वह भी शिक्षा से सम्बन्ध रखते हैं। मैं तो बहुत विषयों पर उनकी राय जानना चाहता था क्योंकि वह बहुत अवलोकन किया करते हैं, उनके यहाँ भी शायद दिक्कतें पड़ जायं। और भी बहुत से भाई हैं, जो कि महसूस करते होंगे कि बहुत से इण्टरमीडियेट कालेजेज को बी० ए० क्लासेज में टर्न कर देना अच्छा है। उन में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। मुमकिन है कि हमें क्वालिफ़ाइड आदमी न मिलें। लेकिन उसका भी स्टेज आ जायगा और इस कानून में कोई संशोधन भी कर दिया जायगा। यदि माननीय मन्त्री जी आगे के लिए ऐसा प्रतिबन्ध न लगायें, या थोड़े साल के लिए बढ़ा दें तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है और कोई प्रेस्टीज का भी सवाल नहीं है। अगर वह समझते हैं कि इस से हमारे प्रान्त का फ़ायदा हो सकता है तो वह इसे अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय उपाध्याय जी को बताना चाहता हूं कि आज जो इतने इण्टरमीडियेट कालेज खुले हुए हैं, जहाँ पर वे चाहते हैं कि डिग्री कालेज खुल जायं, तो उससे बड़ा इण्डिस्पिलिन फैल जायगा। विधेयक

में जो चीज रखी गयी है, वह बड़ी सुन्दर है। मैं उपाध्याय जी को बताना चाहता हूं कि आज प्रान्त में जो इण्डिसिप्लिन फैल रहा है उसका मुख्य कारण यही है कि छोटे बच्चे और बड़े बच्चे एक साथ पढ़ते हैं और बड़ा गड़बड़-सड़बड़ होता है। डिसिप्लिन नहीं रहता। यह हंसने की बात नहीं है। यह मैंने एक बड़ी साईकालोजिकल बात कही, बड़ी मनोवैज्ञानिक बात आपको बतायी। आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो रही है। देश की डिमाण्ड है कि नयी प्रणाली प्रचलित हो। वह रिपोर्ट में आने वाली है और जब आ जायगी तो शिक्षा के ढांचे में बहुत बड़ा सुधार होगा। आज अच्छे से अच्छे लेक्चरर्स की जरूरत है, अच्छे से अच्छे विद्वानों की जरूरत है जिनको कि हम बड़े बड़े डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासों में लगायें। ऐसे विद्वानों के पैदा करने की कोशिश में मैं आप के साथ हूं। पसे की कमी अगर होगी गवर्नमेंट चाहेगी तो वह ऐसे विद्वान् पैदा करेगी और उसके लिये उसे पैसा खर्च करना पड़ेगा। मैं आपको यह गवर्नमेंट की तरफ से विश्वास दिलाता हूं।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)--यह जो संशोधन उपस्थित किया गया है मैं समझता हूं कि यह बड़ा महत्वपूर्ण है। इस मानो में मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर विचार करें। इसमें ऐसा रखा है कि कुछ कालेजेज ऐसे होंगे जो कि इण्टरमीडिएट क्लासों को रखते हुए डिग्री कालेज तक चलेंगे और बाकियों के ऊपर आप प्रतिबन्ध लगा रहे हैं कि वे डिग्री कालेजेज नहीं हो सकेंगे। मैं जहां तक समझता हूं इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि अगर कोई इंटरमीडिएट कालेज है, जैसा कि मेरे भाई उपाध्याय जी ने कहा कि बहुत से देहातों में इंटरमीडियेट कालेजेज खुल रहे हैं, उनमें अफीलियेशन की शर्तों को आप कड़ा कर दीजिए जैसे कि वहां पर अच्छे से अच्छे प्रोफेसर्स हों, उसका स्टैण्डर्ड ऊंचा हो, लेकिन यह कि आगे चल कर वह कालेज डिग्री कालेज न हो सके यह ठीक नहीं है। जब कि हमारे ही प्रान्त में, मैं यह कह सकता हूं, बहुत से ऐसे डिग्री कालेजेज हैं जिनको कि अफ़ीलियेशन नहीं मिलना चाहिये था, उनको अफ़ीलियेशन मिला है और जिनको मिलना चाहिये था उनको किसी कारण से नहीं दिया गया है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि बड़ी मुनासिब बात यही होगी कि आप अफ़ीलियेशन की शर्तों को कड़ी से कड़ी रखें लेकिन यह प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं है कि आगे कोई इण्टर-मीडियेट कालेज डिग्री कालेज नहीं हो सकेगा।

मैं यह भी समझता हूं कि आगे चलकर आप जहां पर कि पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज चल रहे हैं जिनकी तादाद सिर्फ़ उंगलियों पर गिनने भर की है जैसे आगरा कालेज और मेरठ कालेज हैं। उन्हें भी उस हालत में कायम रखेंगे जैसे कि आज आप डिग्री कालेजों को रखने जा रहे हैं, अगर आप इनमें से इंटरमीडियेट क्लासेज को हटायेंगे तो उससे बड़ी दिक्कत आवेगी। आज हमें हजारों की तादाद में इंजीनियर्स की जरूरत है, टैक्निकल विशेषज्ञों की जरूरत है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम और आप बैठकर ठंडे दिल से ग़ौर करें तब इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो इंटर-मीडियेट क्लासेज चल रहे हैं उनमें जरूर हम डिग्री कालेज तक अफीलियेशन दें। लेकिन वहीं तक जहाँ तक कि हम मुनासिब समझें हम शर्तें लगा दें, लेकिन एक प्रतिबन्ध यह न लगावें कि आज तक जिन इंटरमीडियेट कालेजेज को अफिलिएशन मिल गया, है, वह तो ठीक है, लेकिन आइन्दा एक भी इंटरमीडियेट कालेज आफ़िलिएशन नहीं पा सकता। यह प्रतिबन्ध मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं होगा और इसीलिये मैं इस संशोधन का समर्थन कर रहा हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सशोधन का विरोध करता हूं जो इस सदन में पेश किया गया है। प्रश्न यह है कि इंटरमीडिएट कालेजेज जो डिग्री क्लासेज के लिए अफ़िलिएशन की दरख्वास्त दें, उनको मान्यता दी जाय या न दी

[श्री नवल किशोर]

जाय ? श्रीमन्, यह एक बुनियादी प्रश्न है और मुझे ताज्जुब हुआ जब उपाध्याय जी ने विशेष तौर से इसका समर्थन किया। यह प्रश्न आज का नहीं है। आज से ४० वर्ष पहले जब कलकत्ता युनिवर्सिटी कमीशन बैठा था तब भी उनकी मुख्य सिफ़ारिश यह थी कि इंटरमीडियेट क्लासेज़ को डिग्री क्लासेज़ से अलग कर दिया जाय। होता यह है कि पहले हाई स्कूल होता है, उसके बाद इंटरमीडियेट बन जाता है और करीब-करीब स्टाफ वही होता है और वही स्टाफ जब डिग्री क्लासेज़ वहाँ खोले जाते हैं तब डिग्री क्लासेज़ को भी पढ़ाता है जिसके कारण शिक्षा का स्तर काफ़ी नीचे गिर जाता है।

इसके अलावा श्रीमन्, दूसरा प्रश्न यह भी है कि इस युग में जब कि इतनी तेज़ी से एजूकेटेड अनएम्प्लायमेंट बढ़ रहा है, तो इस तरह से मशरूम क्लासेज़ को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसी सिलसिले में शहर और देहात का सेंटीमेंट भी कुछ माननीय मित्रों ने यहाँ पर पेश किया। मैं समझता हूं कि इसमें शहर व देहात का कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि इंटरमीडियेट क्लासेज़ के रखने से स्टैण्डर्ड गिरता है या नहीं? मैं श्रीमन्, अधिक न कह कर विरोधी दल के माननीय सदस्यों से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी ने भी यही स्पष्ट कहा है कि इंटरमीडियेट क्लासेज़ को डिग्री क्लासेज़ से फ़ौरन सेप्रेट कर दिया जाय और किसी भी ऐसे कालेज को ऐसी मान्यता नहीं होनी चाहिये जिसमें इंटरमीडियेट क्लासेज़ हों क्योंकि उससे बहुत ही लो स्टैण्डर्ड के स्टूडेण्ट्स डिग्री क्लासेज़ में आते हैं और सिवाय इसके कि उनकी तादाद दिन-दिन बढ़ती जाती है और कोई अधिक लाभ नहीं होता है। ऐसी दशा में मैं समझता हूं कि कम से कम शिक्षा के स्तर को ऊंचा रखने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि इंटरमीडियेट क्लासेज़ को डिग्री कालेज से अलग रखना चाहिये और कम से कम जहाँ तक नये डिग्री कालेजेज़ की बात है उनको उनमें से कोई मान्यता प्रदान करने का प्रश्न उठता ही नहीं है जिनमें इंटरमीडियेट क्लासेज़ अलग न हों।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, शिवनारायण जी तो चले गये, उन्होंने आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट की चर्चा की और अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने भी चर्चा की। क्या माननीय मंत्री जी थोड़े में यह बतायेंगे की आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी पर निर्धारित जो सिफ़ारिशें हैं, उसके मुताबिक क्या वे संगठन करने जा रहे हैं? जो उनका (सरकारी शिक्षा बोर्ड) है उसने बहुत सफ़ाई से कहा है कि हाई स्कूल और इंटरमीडियेट की पढ़ाई जिस तरीके से पहले होती थी उसी तरीके से हो, वह आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी की राय से सहमत नहीं है। अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बतायें कि आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार वे शिक्षा का संगठन करने जा रहे हैं, तो कुछ और सोचा जा सकता है। मगर जब उनका बोर्ड यह कहता है कि हाई स्कूल पहले की तरह से चले और इंटरमीडियेट के दो क्लासेज पहले की तरह चलें, और डिग्री क्लासेज़ पहले की तरह से चलें, तो आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी का हवाला बार बार लाना उचित नहीं है।

श्री हरगोविन्द सिंह--किसने कहा ?

श्री राजनारायण--अभी-अभी हमारे एक सम्मानित सदस्य ने कहा और माननीय शिवनारायण जी ने कहा। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो आचार्यजी जी की रिपोर्ट है.......

श्री शिवनारायण--प्वाइंट आफ़ आर्डर सर आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट की जिस बात के बारे में मैं कह रहा था उसका ज़िक्र इसमें नहीं है। मैंने एक हवाले के तौर पर कहा कि भविष्य में शिक्षा पर सुधार होने वाला है तो शायद सरकार उसे मान ले।

श्री उपाध्यक्ष--यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री राजनारायण--मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, क्योंकि हमारे ठाकुर मलखान सिंह जी ने कह ही दिया है कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री विष्णुदयाल वर्मा--मैंने माननीय मंत्री जी का भाषण ध्यानपूर्वक सुना। मुझे बड़ा दुख हुआ कि माननीय मंत्री जी अपने देश की तुलना उन देशों से करना चाहते हैं जो शिक्षा में हमसे बहुत अधिक आगे हैं। इसलिये वह क्वाँटिटी को बिल्कुल छोड़कर क्वालिटी की तरफ अधिक जाना चाहते हैं। । लेकिन मैं समझता हूं कि इंटरमीडियेट के लड़के पोस्ट ग्रेजुएट वाले लड़कों के साथ पढ़ते हैं तो उनका स्टैण्डर्ड आटोमेटिकली ऊंचा हो जाता है। नहीं मालूम, हमारे शिक्षा मंत्री जी किस तरह से कहते हैं कि उनका स्टैन्डर्ड गिरता चला जाता है। दूसरी बात यह है कि इस धारा में यह भी प्राविजन किया जा रहा है कि यहाँ २ तरह के कालेजेज़ होंगे, एक तो वे जिनमें डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज होंगे और दूसरी तरह के वे जिनमें इंटरमीडियेट और डिग्री क्लासेज़ होंगे। तो फिर भविष्य में उन इंटर वाले कालेजेज़ पर क्यों प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है, जो आगे के लिये डिग्री क्लासेज के लिये एफीलिएशन चाहेंगे। यह प्रतिबन्ध हमारे प्रांत की शिक्षा के लिये घातक होगा। तो मैं शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर वह स्टैण्डर्ड ही बढ़ाना चाहते हैं तो सब कालेजेज को बन्द करके नये तरीके से कालेजेज खोले तो अच्छा हो अतः मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री तहेदिल से सोचकर उचित व्यवस्था करें ताकि हमारे प्रांत की शिक्षा आगे बढ़े।

श्री हरगोविन्द सिंह--श्रीमन्, इस प्रश्न के २ अंग हैं, एक तो यह कि जहाँ इंटरमीडियेट हो वहां पोस्ट ग्रेजुयेट स्टडीज़ हों या न हों और दूसरा यह कि इण्टरमिडीयेट और डिग्री कालेजेज खाली बी०ए० तक हों वहाँ उनका क्या सम्बन्ध होगा जो वादविवाद हुआ उससे मुझे ऐसा आभास तो होता है कि जहाँ तक इंटर और पोस्ट ग्रेजुएट का सम्बन्ध है उसके बारे में सब लोग एक राय के हैं कि दोनों का एक ही कालेज में रहना शायद ठीक नहीं है। जैसा कि इस विधेयक में प्रोवाइड किया गया है, इसके पास हो जाने के बाद और उस निश्चित समय के बाद हर कालेज को जिसके पास इंटर और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों हैं यह तय करना होगा कि यह आया वह इंटरमीडियेट को अपने यहां से पृथक् करें या पोस्ट ग्रेजुएट को। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में आपस में कोई वादविवाद नहीं है।

अब प्रश्न यह है कि इंटरमीडियेट और डिग्री कालेजेज़ को रखा जाय या न रखा जाय। इसमें मैं समझता हूं कि हमें अपने दिमाग साफ कर लेने चाहियें। इसमें तो संदेह नहीं कि विरोधी नेता ने यह प्रश्न उठाया है कि अगर सरकार भवन में कहने के लिये तैयार है कि सेकेंडरी एजूकेशन इंक्वायरी कमेटी की--आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट को अगर सरकार मान लेती है तो इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। अगर नहीं तो ज्यों की त्यों यह चीज रखी जाय और इंटर कालेजेज डिग्री कालेजेज हो जांय, चाहे पोस्ट ग्रेजुयेट कालेज के खोलने की अनुमति न दी जाय लेकिन बी० ए० के खोलने की इजाजत दे दी जाय। ऐसा विचार नेता विरोधी दल की तरफ से रखा गया है। यह प्रश्न तो सरकार के विचाराधीन है कि हम इस रिपोर्ट के प्रति क्या कदम उठायें। लेकिन इतना मैं आप से कह देना चाहता हूं कि सरकार इस निर्णय पर तो पहुंच गयी है कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसको हमें परिवर्तित करना है।

अब प्रश्न यह रह जाता है कि आया वह परिवर्तन उसी दिशा में होंगे जिसकी ओर कमेटी ने निर्देश किया है, या सुझाव रखे हैं, या फिर उन में उलट फेर होगी। इसी विषय पर आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी और मुदालियर कमेटी बैठी थीं और दोनों की रिपोर्ट्स

[श्री हरगोविंद सिंह]

प्रकाशित हो गयी हैं और क़ानून में यह आवश्यक था कि इसमें बोर्ड की राय ले ली जाय इसलिये वह वहाँ भेजी गयी है। अखबारों में तो मैंने देखा है लेकिन अभी तक विभागीय तौर पर वह हमारे पास नहीं आई है। हम इस पर विचार करेंगे। यह तो निश्चित है कि हम इस पद्धति में परिवर्तन करना चाहते हैं।

अब, प्रश्न यह है कि एक ओर तो आप इस बात का प्रयत्न करें कि इसमें परिवर्तन हो जांय। इसके लिये संदेह नहीं कि काफी धनराशि की आवश्यकता होगी, इसका भी प्रबन्ध किया जाय और दूसरी ओर हम इस समस्या को बढ़ाते जांय तो दोनों चीजें साथ नहीं चलेंगी। अगर आप इस समस्या पर किसी प्रकार से हाथ में लेकर काबू पाना चाहते हैं तो एक बात मैं माननीय सदस्यों से स्पष्ट कह दूं कि मैं आपके इन विचारों से सहमत नहीं हूं कि बड़ा भारी अनर्थ हो जायगा अगर हम इंटर कालेजेज को डिग्री कालेजेज होने की अनुमति न दें, ऐसा कम से कम मेरा विश्वास नहीं है।

आप जानते हैं कि पहले जो कमेटी १९३९ या ४२ में सम्पूर्णानन्द कमेटी के नाम से बैठी थी जिसके प्रमुख सदस्य आचार्य जी थे उस वक्त में आगरा युनिवर्सिटी में ९ कालेज थे। उसने उस समय भी यही कहा था कि यह प्रथा बंद होनी चाहिये। इसके बाद १९४२ तथा १९४६ में एक यूनिवर्सिटी रिप्रेजेण्टेटिव कमेटी बैठी थी जिस को हमारे पूर्वाधिकारियों ने बिठाया था जिसमें हमारे सारे प्रांत की यूनिवरसिटीज के प्रतिनिधि थे, उसने भी यही कहा था कि धीरे धीरे सब इसी ढांचे में आजायं और किसी इंटरमीडियेट कालेज को डिग्री कालेज के लिये अनुमति न दी जाय। जैसा कि मैंने उस रोज कहा था कि अगर किसी पर हम और आपको संतोष हो जाय कि शिक्षा की बड़ी भारी सेवा की है, चाहे योग्यता हो या न हो, जितना शिक्षा का स्तर होना चाहिये उस स्तर पर वह पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन उनको उपाधि दे दी जाय। मैंने जैसा कि उस दिन कहा था कि यदि हम इसको दोहराना चाहते हैं तो यह नीति हमारे देश के लिये बड़ी घातक सिद्ध होगी और ऐसे अधपके बी० ए० निकलेंगे जो हमारे देश के लिए एनीमी नंबर वन होंगे। इसलिये हम उनकी संख्या नहीं बढ़ाना चाहते हैं। मुझे कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में यह बात समझ में नहीं आती कि यह कहा जाय कि सरकार को जितना देना चाहिये उतना वह नहीं दे सकती। मान लीजिये कि हमारा प्रांत ग़रीब है अगर उतना रुपया शिक्षा के लिये नहीं दे सकता है जितने की आवश्यकता है तो फिर क्या उसका अर्थ यह है कि हम सब लोगों को ग़लत और बुरी शिक्षा दे डालें। इससे न सरकार का, न देश का ही स्तर ऊंचा और विद्यार्थियों का ही इसमें कोई भला होगा। बल्कि एक माने में स्तर और नीचा होता जायगा। हमारे प्रांत में बहुत से ऐसे कालेजेज हैं जो इंटरमिडियेट की फ़ीस पर डिग्री कालेज रखे हुये हैं लेकिन फिर भी इस विधेयक में हमने इस बात का प्रबंध रखा है कि जो इस वक्त इंटरमीडियेट कालेजेज डिग्री कालेजेज हैं वे रहेंगे। उनमें रद्दोबदल न होगी। यह तो केवल आगे के लिये रखा गया है कि जो कालेजेज इंटरमीडियेट हैं वे डिग्री कालेज न हो पायें।

मैं कभी भी यह स्वीकार नहीं कर सकता कि शिक्षा का क्षेत्र व्यवसाय का क्षेत्र बन जाय, जिसमें यह देखा जाय कि मुनाफा हो रहा है या नहीं। लेकिन यह बात सही है कि यह व्यवसाय का क्षेत्र होता जा रहा है। अगर आप मेरे दफ्तर में आयें तो मैं आपको दिखाऊं कि जिसको कोई काम नहीं मिलता है वह स्कूल खोल लेता है। उसके पास न कोई इमारत होती है, न कोई सामग्री होती है और स्कूल खुल जाता है। कोई फोर्थ में फेल हो गया, कोई सिक्स्थ में फेल हो गया, उसने फीस दी और फार्म उसका भर दिया कि यह पढ़ा हुआ नहीं है तथा इस प्रकार से हाई स्कूल में प्राइवेट तौर पर इम्तहान दिला दिया। वे किस प्रकार से पास हो जाते हैं यह तो आप जानते ही हैं। अगर आप इसी को शिक्षा की संज्ञा देना चाहते हैं तो मैं इसको नहीं मान सकता। इस प्रकार से हम शिक्षा का प्रसार नहीं करते बल्कि इसको बिगाड़ते हैं। इसको पंगु बनाते हैं।

कोई किसान है जिसके पास १००,२०० बीघा ज़मीन है, उसके लड़के ने बी०ए० पास कर लिया तो वह १००,१२० रुपये की नौकरी के लिये मारा मारा फिरता है। किस लिये ? इसलिये कि वह पंगु हो गया है। वह उस कार्य को करना अपनी बेइज्ज़ती समझता है। घर वाले समझते हैं कि पढ़े लिखे खेत क्या कर सकते हैं। एक साहब हैं जिनके पास दो ढाई सौ बीघा का फार्म है। उनके लड़के ने एग्रीकल्चर में बी०ए० पास किया था। वे उसको लेकर मेरे पास आये। मैंने उनसे कहा कि आपके पास तो फार्म है। इस पर उन्होंने कहा कि फार्म का काम तो मैं चला ही रहा हूं, यह वहाँ कर ही क्या सकता है। वे समझते हैं कि इसे जो शिक्षा दी गयी है उससे इस फार्म के उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकता है। इस प्रकार से इस शिक्षा के द्वारा हम पंगु बनाते जा रहे हैं। इस प्रकार की शिक्षा से हमारे देश का अहित ही होगा। क्या इस प्रकार की शिक्षा से आपने उनको काबिल बनाया ? नहीं, न तो वे काबिल ही बने और न दूसरे देशों के मुकाबिले में वे खड़े ही हो सकते हैं, इसके अतिरिक्त जो काम वे करते थे उसको भी छीन उनको पंगु बना दिया। इसलिये इसके द्वारा हम इस ओर कुछ नियंत्रण लगाना चाहते हैं और उस बीच में शिक्षा विधि में कुछ वाँछनीय परिवर्तन करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में विचार हो रहा है। अतः मैं समझता हूं कि सदन इस संशोधन को अस्वीकार कर देगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २० में नई धारा २४ की उपधारा (3) की तीसरी पंक्ति में शब्द "affiliated" तथा शब्द "if" के मध्य में शब्द "for post-graduate classes" रख दिये जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री राम नारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपने संशोधन ४९–क अ तथा ४९–क के स्थान पर अब निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं :

"खंड २० में प्रस्तावित नयी धारा २४ की उपधारा (2) के परंतुक की अंतिम पंक्ति में अंतिम शब्द 1956-57 के स्थान पर 1960-61 कर दिया जाय।"

मेरे संशोधन के कर देने से यह परंतुक इस प्रकार पढ़ा जायगा :

"Provided that any such college which on the first day of July, 1953, was maintaning simultaneously Intermediate and post-graduate classes may,at its option, continue both the Intermediate and post-graduate classes, so, however, that one or the other of these classes shall cease to be maintained before the expiry of the academic year 1960-61."

अब तक १९५६–५७ है। इसके पूर्व के संशोधन में कि पोस्टग्रेजुएट क्लासेज एक साथ रहें या अलग-अलग इस पर भवन के सभी सदस्यों ने काफी दिलचस्पी ली और जहाँ तक हम विरोधी दल के लोगों का सम्बन्ध है हमने भी यही कहा कि यह समस्या अत्यन्त महत्वपूर्ण है। विद्वानों के विभिन्न मत हैं। इसलिये हम ज्यादा जोर नहीं देना चाहते थे उस पर लेकिन जो हमने संशोधन अब रखा है कि ५६–५७ के स्थान पर ६०–६१ कर दिया जाय तो उसका अर्थ यह है कि गवर्नमेंट सिर्फ एक साल का मौका दे रही है और सिर्फ ५५ में ही दाखिला हो सकेगा। लेकिन इसमें बहुत दिक्कत होगी। मिसाल के लिये सेंट जाँस कालेज, आगरा, आगरा कालेज, आगरा और बलवन्त राजपूत कालेज, आगरा उन पर अगर यह व्यवस्था लागू कर दी जाय तो कम से कम एक हजार साइन्स के विद्यार्थी ऐसे होंगे जो साइन्स की पढ़ाई से वंचित रह जायेंगे। मेरा संशोधन यह है कि यह व्यवस्था पाँच साल तक और चलती रहे। उसमें सभी के लिये आसानी होगी। जो इंटरमीडियेट क्लासेज अलग होंगे वे पूरी तौर से स्टैबिलाइज कर सकेंगे और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज के लोग भी समझ लेंगे कि इंटरमीडियट क्लासेज की फीस नहीं आयगी और वह अपनी व्यवस्था कर लेंगे। सरकार

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

को भी सुविधा होगी कि इन पाँच सालों के लिये मजबूर किया जाय चाहे इंटरमीडियेट क्लासेज को सहायता दे कर चाहे पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज को सहायता देकर, स्टैबिलाइज कर दें और मैं समझता हूं इसमें माननीय शिक्षा मंत्री को कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि वह स्वयं एक साल की सुविधा देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सेपरेशन में ५ साल का समय हो जिसमें हर पार्टी को सुविधा हो और कोई ऐसी गड़बड़ उत्पन्न न हो जिसकी आशंका है।

श्री हर गोविंद सिंह--जैसा मैंने कहा इस विधेयक के इस खंड में दो प्रश्न हैं जिनमें एक प्रश्न पर मैं भी समझता था कि जहाँ तक इंटरमीडियेट और पोस्ट ग्रेजुएट का सम्बन्ध है, इसमें कोई मतभेद नहीं है कि उन दोनों का आपस में एक ही जगह रहना ठीक नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं तो समझता था कि भवन पूर्णतया सहमत है। मैं अपने मित्र श्री त्रिपाठी जी को बतलाऊं कि इस सम्बन्ध में शिक्षा विशेषज्ञों में किसी का भी मतभेद नहीं है कि इंटरमीडियेट और ग्रेजुएट दोनों क्लासेज को एक जगह नहीं रहना चाहिये। इसमें करीब-करीब सब एकमत हैं कि इन दोनों का इकट्ठा रहना यह शिक्षा के लिये श्रेयस्कर नहीं है। इसमें कोई मतभेद की बात नहीं है। इससे कोई बड़ी भारी आर्थिक समस्या भी सामने नहीं आयेगी। जिसके पास इंटरमीडियेट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिग्री कालेज हैं वह पोस्ट ग्रेजुएट क्लास को निकाल देगा। मैं समझता हूं कि बहुत से कालेज ऐसे हैं जो इंटरमीडियेट और डिग्री कालेज रखेंगे और पोस्ट ग्रेजुएट निकाल देंगे। तो इसमें कोई आर्थिक बात भी नहीं आती सिवा इसके कि कुछ टीचरों का जरूर नुकसान होगा। और मैं तो समझता हूं कि अभी तक उन्होंने जो उसका फायदा लिया तो वही क्या कम था। उनको नुकसान होगा उसके लिये मुझे दुख है, लेकिन मैं समझता हूं कि किसी को कुछ व्यक्तिगत नुकसान हो और उससे शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, उस पद्धति में परिवर्तन हो जिससे हम अच्छाई की आशा कर सकते हैं तो उनको सहर्ष अपने इस त्याग को मजबूरन स्वीकार करना चाहिये। मैं तो समझता हूं कि इतने दिन तक जो विलम्ब हो गया वही बहुत काफी है। सन् ४०,४२ में जो रिपोर्ट निकली वह अब कहीं जाकर सन् ५३ में आयी। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट को इस्तीफा न देना पड़ा होता, अगर बीच में ऐसे आन्दोलन नहीं उठ जाते तो जो यह रिफार्म था वह कभी का हो गया होता। अब इतने दिनों के बाद फिर इस दूषित प्रणाली को ५ वर्ष का जीवन दिया जाय, वह मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा। इसलिये मुझे अफसोस है कि मैं उसको मंजूर नहीं कर सकता सन् ५६-५७ में ही यह चीज हो जानी चाहिये।

श्री मलखान सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि बहुत से कालेज उनकी राय में यह पसन्द करेंगे कि वे अपने यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट क्लास अलहदा कर दें और सिर्फ डिग्री क्लास ही रखें। मैं बड़ी नम्रता के साथ उनसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आगरा कालेज है, सेंट जान्स कालेज है, या मेरठ कालेज है या दूसरे बड़े-बड़े कालेजेज हैं जिनका नाम आपने आटोनामस दे रखा है, मैं समझता हूं कि वे कभी इस बात को पसन्द नहीं करेंगे कि उनके यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट क्लास हटा दिये जांय।

श्री हर गोविन्द सिंह--मैंने बहुत से कालेजों के लिये कहा। उनका नाम मैंने नहीं लिया।

श्री मलखान सिंह--लेकिन वे भी तो बड़े-बड़े कालेज हैं जिनके यहाँ आज तक अगर देखा जाय तो कभी इंटरमीडियेट के स्टूडेंण्ट्स का कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उनका स्टैण्डर्ड बढ़ा और उनको किसी तरह की हानि नहीं पहुंची। तो ऐसी संस्थाओं के लिये अगर आप टाइम नहीं देते हैं जो कि मिलना चाहिये ताकि वे अपने यहाँ से इनको हटा दें। नहीं तो इंटरमीडियेट कालेज से साइंस के जो स्टूडेण्ट्स निकलेंगे, अकेले आगरा शहर के ही कम से कम १ हजार ऐसे स्टूडेण्ट्स होंगे जो मारे-मारे फिरेंगे तथा बहुत से टीचर्स

भी बेकार हो जायंगे। इससे अनएम्लायमेंट भी फैलेगा। मैं समझता हूं कि न्याय संगत बात यह है कि आप उन बड़े-बड़े कालेजों को जिनको आटोनामस कहते हैं कुछ समय दें। सन् ६०-६१ न करके अगर आप ५९-६० तीन साल का ही वक्त दे दें ५६-५७ की जगह पर, तो मैं समझता हूं कि यह न्यायोचित ही होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन तो बिल्कुल साफ है और इस सम्बन्ध में यहाँ पर काफी विवाद हो चुका है। मैं तो यह महसूस करता था कि इससे काफी दिक्कतें होंगी। ऐसे-ऐसे कालेजों के बहुत से टीचर्स तथा आगरा यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोशियेशन के भी कुछ लोग हम लोगों के पास आये थे और मुझे मालूम हुआ कि वे लोग माननीय मुख्य मंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास भी आये थे। तो मुझे यह पता लगा था कि मुख्य मंत्री जी विशेष प्रभावित हुये और उन्होंने वास्तव में दिक्कतों को महसूस किया। दलील तो दोनों तरफ से दी जा सकती है, लेकिन मैं यह समझता हूं कि अगर किसी प्रकार समझौता कर लिया जाय और बजाय २ साल के ३ साल रख दिया जाय तो वह ३ साल को मानने के लिये तैयार हो सकते हैं। अगर दोनों के बीच समझौता हो जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री हरगोविन्द सिंह--समझौते की बात नहीं है और इन्तजाम भी सोचने की बात है। आप उसको प्रैक्टिकल तरीके पर सोचें कि आखिर क्या संख्या मान ली जाय जैसा कि हमारे मित्र मलखान सिंह जी ने कहा कि ऐसे कालेज हैं जो अपने यहां से ग्रेजुएट क्लासेज को हटाना नहीं चाहते हैं। मान लीजिये ऐसा है कि इन्टरमिडियेट को अपने यहां से अलग कर के एक दूसरी प्रबन्ध कारिणी कमेटी बना देंगे और उसमें वास्तव में यह होगा कि इन्टर वाले टीचर पोस्ट ग्रेजुयेट क्लासेज को नहीं पढ़ा पायेंगे। यदि आप इसका विश्लेषण करें तो आप यह देखेंगे कि उससे यह होगा कि टीचर इन्टरमीडियेट को पढ़ा लेते हैं बी० ए० को पढ़ा लेते हैं और पोस्ट ग्रेजुयेट को पढ़ा लेते हैं वह इस तरह से करते रहेंगे। आप को शायद मालूम नहीं कि बहुत जगहों पर ऐसा है कि ऐसे भी पोस्ट ग्रेजुएट के टीचर हैं जिन्होंने कोई परीक्षा भी पास नहीं की है और पोस्ट ग्रेजुएट को पढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं एम० ए० भी नहीं हैं। तो जब यह कार्यान्वित होगा तो उसमें इतना अन्तर पड़ जायगा कि वे टीचर सब जगह नहीं पहुंचेंगे। जो इन्टर के टीचर हैं वे अलग हो जायंगे और जो बी० ए० के हैं वे अलग हो जायंगे। तो इसमें समय देने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री मलखान सिंह--पोस्ट ग्रेजुएट के जो टीचर हैं वे इतने मिलते हैं कि इंटर वाले उनको ले लेंगे और इससे उनको फायदा पहुंचेगा।

श्री हर गोविन्द सिंह--अगर ऐसा होता तो ठीक था। मगर इस प्रकार की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खण्ड २० में प्रस्तावित धारा २४ की उपधारा (2) के परन्तुक में अंक "1956-57" के बजाय "1960-61" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड २० में धारा २४ की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"Without prejudice to the provisions of the foregoing sub-sections, a college, not being a college intended exclusively for the education of women, shall not be affiliated after the commencement of the Agra University (Amendment) Act, 1953, if it maintains classes for preparing students for the Intermediate Examination".

श्री हरगोविन्द सिंह--मैं इसको मान लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खण्ड २० में धारा २४ की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(3) Without prejudice to the provisons of the foregoing sub-sections, a college, not being a college intended exclusively for the education of women, shall not be affiliated after the commencement of the Agra University (Amendment) Act, 1953 if it maintains classes for preparing students for the Intermediate Examination".

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गंगाधर मैठाणी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २० में नयी धारा 24-A की उपधारा (2) की पंक्ति ६ में शब्द "full-time" निकाल दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो प्रशंसनीय है कि इसमें वर्कमेन्स कालेज की व्यवस्था की गई है जिससे लेबर क्लास को भी स्वाध्याय का मौका मिल सकेगा। यद्यपि प्रदेश में ऐसे बहुत से स्थान नहीं होंगे जहां ऐसे कालेजेज चल सकेंगे। स्वाभाविक है कि कानपुर, आगरा या इलाहाबाद जैसे शहरों में ही चल सकेंगे क्योंकि वहां पर थोड़ी बहुत फैक्टरी वगैरह हैं और वहां लेबर रहता है। वैसे तो सारे शहरों को ही लाभ होगा। अगर 'फ़ुल टाइम' निकाल दिया जाय तो केवल "इनगेज्ड इन बिजिनेस" रह जायगा और उससे अर्थ में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक तरफ तो आप अधिकार दे रहे हैं कि वर्कमेन पार्ट टाइम पढ़ कर लाभ उठावें लेकिन "फुल टाइम" हटा देने से इसकी सार्थकता और भी बढ़ जाती है। यह बेकार के शब्द हैं निकाल दिये जायं तो अच्छा है। इसलिये शिक्षा मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इसे स्वीकार कर लें।

श्री हरगोविन्द सिंह--मुझे यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २० में नयी धारा 24-A की उपधारा (2) की पंक्ति ६ में शब्द "full-time" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड २० में नयी धारा 24-A की उपधारा (2) की पंक्ति ६ में शब्द "trade" तथा शब्द "or" के बीच शब्द " agriculture" रख दिया जाय।

अभी इसी धारा का जिक्र मेरे साथी मैठाणी जी कर चुके हैं। यदि शब्द "trade" और "or" के बीच में शब्द "agriculture" और बढ़ा दिया जाता है तो जो सुविधा रोजगार और उद्योग वालों को दी जा रही है वही कृषकों को भी मिल सकेगी। यह संशोधन भी आशा है मंत्री जी स्वीकार करेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह--मुझे यह भी स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खण्ड २० में नयी धारा 24-A की उपधारा (2) की पंक्ति ६ में शब्द "trade" तथा शब्द "or" के बीच शब्द "agriculture" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २१

२१—मूल अधिनियम की धारा २५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय —

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २५ का संशोधन।

25. (1) There shall be a Selection Committee for each subject of study which shall consist of—

Appointment of teachers of the University and affiliated colleges.

(i) The Vice-Chancellor who shall, be the Chairman ;

(ii) The Dean of the Faculty concerned ;

(iii) The Head of Department teaching the subject concerned in the University, or a Principal, or Head of Department of an affiliated college teaching post-graduate degrees and possessing expert knowledge of the subject, to be nominated by the Academic Council:

(iv) two persons possessing expert knowledge of the subject, to be nominated by the Chancellor.

(2) Before nominating the experts referred to in sub-section (1), the Chancellor shall obtain from the relevant Faculties of at least two Universities of India names of experts in each subject and shall nominate two persons from amongst them.

(3) Teachers of the University shall be appointed by the Executive Council in accordance with the provisions of clause (*f*) of sub-section (1) of section 18 on the advice of the Selection Committee concerned. Where the Executive Council disagrees with the advice of the Selection Committee, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.

(4) Every decision to make a substantive appointment of a teacher in an affiliated college, not being maintained exclusively by Government, shall be reported by the management of the college to the Vice-Chancellor within 15 days from the date thereof. The continuance of the appointment shall be subject to the approval of the Vice-Chancellor who may with the concurrence of the Selection Committee concerned disapprove of the same, in which case it shall be terminated as soon as may be but not later than the date of expiry of period of probation."

श्री गंगाधर मैठाणी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २१ में नयी धारा 25 की उपधारा (i) के भाग (iv) की पहली पंक्ति के शब्द "to be" के पश्चात् का वाक्यांश निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर "elected by the senate" रख दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह है कि "(iv) two persons possessing expert knowledge of the subject to be nominated by the Chancellor." हमारा यहां पर यह प्रस्ताव है कि इस स्थान पर टु बी के बाद का यह सब निकाल दिया जाय और वहां पर रखा जाय–"एलेक्टेड बाई दी सीनेट", क्योंकि सीनेट एक बड़ी रिप्रिजेंटेटिव बाडी है और उसे यह अधिकार दे दिया जाता है तो यह अच्छा और सुन्दर होगा और इसके बाद जो यह सब बनेगा वह बहुत ही सुन्दर और सही होगा। इसलिये मैं आशा करता हूं कि शिक्षा मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह--मुझे अफसोस है कि इस संशोधन को मैं नहीं स्वीकार कर सकता। आपने गौर से यदि इस विधेयक को पढ़ा होगा तो इसमें इस बात का प्रयत्न किया गया है कि चुनाव की पद्धति जितनी कम से कम हो उतनी कम रखी जाय और जहां आवश्यक हो गया है वहां वह बाई सिंगिल ट्रांसफरेबुल वोट की पद्धति से चुनाव रखा गया है। सेलेक्शन कमेटी जो नियुक्त करें उसमें दो मेम्बर चुनाव द्वारा आवें सीनेट से, यह मैं समझता हूं कि सेलेक्शन कमेटी को दूषित करना होगा तो इस ख्याल से मैं समझता हूं कि हमारे मित्र अपने इस संशोधन को वापस लेंगे और उसे इसी प्रकार रहने देंगे जैसा कि इस विधेयक में रखा गया है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खण्ड २१ में नयी धारा 25 की उपधारा (1) के भाग (iv) की पहली पंक्ति के शब्द "to be" के पश्चात् का वाक्यांश निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर "elected by the ssenate" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री राम नारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित कर रहा हूं--

खण्ड २१ में धारा 25 की उपधारा (1) के उपभाग (iv) के अन्त का पूर्ण विराम हटा कर उसके बाद निम्नलिखित रख दिया जाय--

"Out of list of such experts maintained by the Board of studies of the subject concerned."

उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा संशोधन खण्ड २१ में प्रस्तावित धारा २५ की उपधारा (i) के उपभाग (iv) में है जो इस प्रकार है--

"(iv) two persons possessing expert knowledge of the subject to be nominated by the Chancellor."

वहां पर फुलस्टाप के बजाय कामा लगा कर यह रख दिया जाय--

"Out of list of such experts maintained by the Board of studies of the subject concerned."

मैं समझता हूं कि इसमें मेरे संशोधन द्वारा चांसलर को उनको नामिनेट करने का अख्तियार अछूता रह जाता है और साथ ही साथ चांसलर को एक मदद भी मिल जाती है कि बोर्ड आफ दि स्टडीज आफ दी सबजेक्ट कंसर्न्ड की एक्सपर्ट्स की लिस्ट में से ही नियुक्त करें और मैं समझता हूं कि इसमें माननीय मंत्री जी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं चांसलर के लिये कुछ सलाहकारों द्वारा एक लिस्ट भी उनकी मदद के लिये पेश कर रहा हूं।

श्री हरगोविन्द सिंह--मुझे दुःख है कि मैं इसको भी स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिये कि अगर यह संशोधन मान लिया जाता है तो इसका मतलब यह होगा कि आगरा यूनिवर्सिटी एक लिस्ट एक्सपर्ट्स की मेंटेन करेगी। उसको एकेडेमिक बोर्ड या बोर्ड आफ स्टडीज मेंटेन करेगा और उसमें से वाइस चांसलर नियुक्ति करेंगे। उसके लिये तो आगे चल कर खण्ड २ में प्रबन्ध किया गया है--

"(2) Before nominating the experts referred to in sub-section (1) the Chancellor shall obtain from the relevant faculties of at least two Universities of India names of experts in each subject and shall nominate two persons from amongst them."

तो एक्सपर्ट्स कहां से आवें, कौन उनकी लिस्ट मेनटेन करे? तो मैं समझता हूं जो दायरा विधेयक में रखा गया है वह बड़ा वसीय है। इसके पहले कि वह दो एक्सपर्ट सेलेक्ट कमेटी में रखें, वह हिन्दुस्तान की दो यूनिवर्सिटीज से एक्सपर्ट्स के नाम मांगेंगे। और भी बहुत से नाम आ सकते हैं लेकिन कम से कम दो से जरूर मांगना है और उसमें से एक्सपर्ट्स चुन सकते हैं।

और सचमुच में यदि आप चाहते हैं कि सेलेक्शन कमेटी ऐसी हो जिसमे लोगों का विश्वास हो, और उनमें यह विश्वास पैदा हो कि जो सचमुच काम के आदमी होंगे और उपयुक्त होंगे उन्हीं को नियुक्त किया जायगा तो आप को सेलेक्शन कमेटी भी ऐसी ही रखनी पड़ेगी जिसके लिये दूसरे के दिल में कभी संदेह न हो। किसी को यह शंका न हो कि सेलेक्शन कमेटी में ऐसे वैसे लोग आ गये हैं यों तो हर एक शंका करता ही है लेकिन प्रयत्न अधिक से अधिक होना चाहिये कि वह सेलेक्शन कमेटी ऐसी हो जो लोगों में विश्वास पैदा करे और इसी लिये एक्सपर्ट्स की नियुक्ति का विधेयक में जो तरीका है वह बहुत ठीक है। मैं इस कारण इस संशोधन को मानने में असमर्थ हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा उद्धृत उपधारा (२) को देखा। इस समय तो म इस आशा से इस संशोधन को वापस ले रहा हूं कि माननीय मंत्री जी उस उपधारा में जो मेरा संशोधन है उसको स्वीकार कर लेंगे।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री राम नारायण त्रिपाठी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं--

खंड २१ में धारा २५ की उपधारा (२) की पंक्ति ३ में शब्द 'two' के स्थान पर शब्द 'three' रख दिया जाय तथा पंक्ति ३ में शब्द "India" के बाद "including Agra University" रख दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन होने के बाद धारा २१ में प्रस्तावित धारा २५ की उपधारा (२) इस प्रकार हो जायगी--

"Before nominating the experts referred to in sub-section (1), the Chancellor shall obtain from the relevant Faculties of at least three Universities of India including Agra University names of experts in each subject and shall nominate two persons from amongst them."

मैं यह समझता हूं कि मेरे पहले संशोधन को मानने में शिक्षा मंत्री को यह आपत्ति हो सकती थी कि यह सेलेक्शन कमेटी एक बहुत महत्त्वपूर्ण कमेटी है...

श्री हरगोविन्द सिंह--आप से हमारा समझौता हो जाय "Three" तो मैं मान लेता हूं, लेकिन "including Agra University" यह नहीं मानूंगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैं माननीय शिक्षा मंत्री से कहूंगा कि समझौते में थोड़ी सी कसर रह गयी। पहले में यह हो सकता था कि आगरा युनिवर्सिटी विभाग को ही लिस्ट बनाने का अधिकार हो, लेकिन शिक्षा मंत्री उसको काफी वसीय बनाना चाहते हैं और कई फ़ैकल्टीज आफ यूनिवर्सिटीज से लिस्ट मांगेंगे। तो मैंने आगरा यूनिवर्सिटी इसलिये उसमें मिला दिया, क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, एक तो यह नामुनासिब बात है कि आगरा यूनिवर्सिटी के लोगों को कुछ कहने का उसमें मौक़ा न हो कि वह कौन सा एक्सपर्टस् चाहते हैं और दूसरी दिक्क़त यह होगी कि वह उसमें उतनी दिलचस्पी न लें और यों ही कोई एक्सपर्ट भेज दें जो कि माननीय शिक्षा मंत्री जी के हित में मुजिर हो सकती है। यदि आगरा यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट उसमें होंगे तो चान्सलर को लिस्ट बनाने में सहूलियत होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे शिक्षा मंत्री जी कुछ मूड में हैं और वे हमारे संशोधन को मान रहे हैं ऐसी सूरत में मैंने यह कहा कि आगरा यूनिवर्सिटी की फ़ैकल्टीज और दो बाहर की यूनिवर्सिटीज मिल कर जो लिस्ट बनावेंगी वह मुनासिब होगी।

श्री हरगोविन्द सिंह--श्रीमन्, इसमें यह नहीं है कि आगरा यूनिवर्सिटी को निकाल दिया है। लेकिन आप तो यह लाजिमी कर देते हैं कि आगरा यूनिवर्सिटी जरूर एक्सपर्ट्स भेजे। इसलिये मैं उसको नहीं मानता हूं। आगरा यूनिवर्सिटी के सेलेक्शन कमेटी में उसके डीन रहेंगे। इसलिये हम यह अनिवार्य रूप से नहीं रखना चाहते कि आगरा यूनिवर्सिटी जरूर एक्सपर्ट्स भेजे। यह मुझे स्वीकार नहीं है, लेकिन दो के स्थान पर तीन कर दिया जाये, इसे मैं स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं इसे दो खण्डों में अलग-अलग उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि खंड २१ की धारा 25 की उपधारा (२) की पंक्ति ३ में शब्द "two" के स्थान पर शब्द "three" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--अब दूसरा प्रश्न यह है कि खंड २१ में धारा 25 की उपधारा (२) की पंक्ति ३ में शब्द "India" के बाद शब्द "including Agra university" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गंगाधर मैठाणी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २१ में नयी धारा 25 की उपधारा (3) का शब्द "where" से प्रारम्भ होने वाला दूसरा वाक्य निकाल दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस धारा के प्रिंसिपल का सम्बन्ध है, उसमें मेरा संशोधन नहीं है, लेकिन उसके बाद "Where the Executive Council disagrees with the advice of the Selection Committee, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final" से सहमत नहीं हूं। क्योंकि प्रायः ऐसे मौके बहुत कम आयंगे, जब कि सेलेक्शन के सम्बन्ध में सेलेक्शन कमेटी का डिसऐग्रीमेंट हो और उसका चान्सलर के सामने रिफर करने का प्रश्न उठे। इसलिए यह शब्द निरर्थक से मालूम पड़ते हैं। इसका अर्थ ऐसा भी निकल सकता है कि चांसलर अपने आदमियों को उसमें नियुक्त करा सके। मैं यह नहीं कहता कि शिक्षा मन्त्री जी ऐसा करेंगे लेकिन बाद में जब इसका इण्टरप्रिटेशन होगा, तब उसका अर्थ यह निकल सकता है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी इसे स्वीकार करेंगे और इसमें उन्हें कोई बहुत बड़ी आपत्ति भी नहीं होगी।

श्री हरगोविन्द सिंह--श्रीमन्, एक बात बड़ी गलत है कि बार बार इस सदन में यह कहा जाता है कि जिस को गवर्नमेंट अप्वाइण्ट करना चाहेगी, उसको अप्वाइण्ट कर लेगी, यह बड़े छोटे स्तर की बात है, और बार बार इसको दोहराना स्वयं इस बात को जाहिर करता है कि माननीय सदस्य उसी स्तर पर सोचते हैं। यह संशोधन मुझे इस लिए नहीं मान्य है कि अगर इसमें से यह निकाल दिया जाय कि अगर एक्जीक्युटिव कौंसिल सेलेक्शन कमेटी से डिसऐग्री करे तो वह मामला चांसलर को जायगा और चांसलर का फैसला उसमें अन्तिम होगा। अगर ऊपर का ही अंश रह जाता है, तो आशंका इस बात की है कि एक्जीक्युटिव कौंसिल सेलेक्शन के रेकमेंडेशन कमेटी की अवहेलना करे। इसको हम इस विधेयक में एक आशय से ले आये हैं, और उसको मैं छिपाना नहीं चाहता और वह यह है कि जो यूनिवर्सिटी में अप्वाइण्टमेंट्स हों वे इतने ऊंचे स्तर के हों कि जिस समय सेलेक्शन कमेटी विचार करके किसी का अप्वाइण्टमेंट एक्जीक्युटिव कौंसिल के पास भेजे, और जब तक कोई बहुत खास कारण न हो, तब तक एक्जीक्युटिव कौंसिल उस से सहमत न हो। अगर एक्जीक्युटिव कौंसिल और सेलेक्शन कमेटी दोनों में भेद होता है, तो उस हालत में चांसलर को रखा गया है। इस लिए उपखंड के आखिरी अंश को निकालने के लिए मैं सहमत नहीं हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय अध्यक्ष महोदय, जल्दी से माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान इसी तरफ चला गया कि हम उनकी नीयत पर हमला करते हैं। श्री गंगाधर मैठाणी ने यह भी कहा कि लोग सिफारिश के लिए माननीय शिक्षा मन्त्री के पास आयंगे कि गवर्नर महोदय के यहां मेरा नाम गया है, आप सिफारिश कर दीजिये। ऐसी सिफारिशें जब तक हिन्दोस्तान है और हिन्दोस्तान में वर्तमान सरकार है, कम नहीं होंगी। हम माननीय शिक्षा मन्त्री जी की दिक्कतों को दूर करना चाहते हैं। हो सकता है कि माननीय शिक्षा मन्त्री के बजाय गवर्नर महोदय के यहां लोग पहुंच जांय। तो जो दिक्कत होगी, वह वैसी ही रह जायगी। इस लिए यह संशोधन विशेष महत्व का है। असल में मुझे अफसोस है कि इतने नीचे स्तर की बात उन्होंने की कि इस किस्म का हमारा मतलब है कि हम उनकी नेकनीयत पर अविश्वास करते हैं।

श्री गंगाधर मैठाणी--उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह तो नहीं कहा कि हम माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय की नीयत पर विश्वास नहीं करते। मैंने यह कहा कि इस इन्टरप्रिटेशन से यह अर्थ निकल सकता है। मैंने यह कहा था कि इसके निकालने से एक्जीक्यूटिव कौंसिल को अप्वाइंट करने का पूरा अवसर मिलेगा और गवर्नमेंट, चान्सलर महोदय या गवर्नर महोदय को इन्टरवीन करने का मौका नहीं आयेगा। इसलिए मैंने यह प्रस्ताव उपस्थित किया है।

श्री हरगोविन्द सिंह--मैं समझता हूं कि जो हमारा संविधान बना हुआ है कि उसमें मेरा ख्याल है कि शिक्षा मन्त्री के लिए यह बात गौरव की नहीं होगी कि उसको चांसलर महोदय से सिफारिश न करना पड़े। संविधान के अनुसार एजूकेशन मिनिस्टर को चांसलर या गवर्नर महोदय से सिफारिश करनी पड़ती है, और उन्हीं के नाम से हर हुक्म निकलता है। इस लिए इसमें गवर्नमेंट के लिए डरने की बात नहीं हो सकती है। अगर कभी ऐसा प्रश्न आये कि सेलेक्शन कमेटी किसी के लिए यह बताये कि इसकी नियुक्ति होनी चाहिए और एक्जीक्यूटिव कौंसिल अपने कारण बताये कि इस आदमी की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, तो फिर चांसलर महोदय को यह अवसर मिलेगा कि वे दोनों की बातों को तौलें, और फिर जो निर्णय उनकी समझ में ठीक आये, उसको दें, तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। इस प्रकार जो आदमी नियुक्त होगा, वह उच्च कोटि का होगा, उपयुक्त होगा। इसी लिए यह रखा गया है। लिहाजा मैं यह संशोधन मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २१ में नयी धारा 25 की उपधारा (3) का शब्द "where" से प्रारम्भ होने वाला दूसरा वाक्य निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री वीरेन्द्रपति यादव--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड २१ में धारा 25 की उपधारा (4) के शब्दों "within 15 days from the date thereof" के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जावें--

"along with all necessary papers and applications received from candidates."

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में हमारी गवर्नमेंट की ओर से यह आभास किया गया है कि हमारे कालेजेज की प्रबन्धक समितियों की ओर से काफी गड़बड़ होती है। वहां पक्षपात चलता है और प्रार्थीगण के साथ अन्याय होता है। इस अन्याय को दूर करने के लिए सरकार ने रखा है कि प्रबन्धक समिति किसी नियुक्ति के बारे में, चाहे वह लेक्चरर, प्रोफेसर या प्रिंसिपल की हो, १५ दिन के अन्दर वाइस चांसलर को सूचना दे। अगर वह उसे ठीक नहीं समझता, तो सेलेक्शन कमेटी की राय से वह सेलेक्शन कर सकता है। मेरा अभिप्राय इस संशोधन से यह है कि जब सूचना वाइस-चांसलर के पास जाय, तो एक ही नाम होने से उसे कोई आल्टरनेटिव नहीं है और उसे किसी एक नाम पर मोहर लगा देनी होगी।

श्री हरगोविन्द सिंह--क्या कहना है, जल्दी कहिये, हम इसे स्वीकार करते हैं। इस तरह से कि "Every decision to make a substantive appointment of a teacher in an affiliated college, not being maintained exclusively by Government, shall be reported by the management of the college to the Vice-Chancellor within 15 days from the date thereof with all the applications and connected papers".

श्री वीरेन्द्रपति यादव--तब ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २१ में धारा 25 की उपधारा (4) के शब्दों "within 15 days from the date thereof" के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--
'with all the applications and connected papers.'

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २२

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ में नयी धारा २५-ए, २५-बी और २५-सी का रखा जाना।

२२--मूल अधिनियम की धारा २५ के बाद निम्नलिखित नयी धारायें २५-ए, २५-बी, और २५-सी के रूप में जोड़ दी जायें

"25-A. (1) No teacher recruited after the commencement of the Agra University (Amendment) Act, 1953, shall be entitled to impart instruction for a post-graduate degree or to guide research unless he is recognised for these purposes by the Chancellor on the advice of the Selection Committee referred to in sub-section (1) of Section 25.

(2) No teacher recruited before the commencement of the Agra University (Amendment) Act, 1953, shall, with effect from such date not later than one year from the said commencement as the State Government may by notification fix, be entitled to impart instruction for post-graduate degrees or to guide research unless—

(*a*) he was recruited to a post carrying the emoluments assigned in accordance with the scales prescribed in the college concerned for teachers intended for post-graduate teaching; or

(*b*) he was recruited expressly for imparting instruction for post-graduate degrees; or

(*c*) he had for a total period of seven years before the said commencement imparted instruction to post-graduate classes; or

(*d*) he has been approved for the purpose by the Chancellor upon the recommendation of a Selection Committee constituted in accordance with sub-sections (1) and (2) of section 25.

Conditions of service of officers and teachers.

25-B. (1) Subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances every salaried officer and teacher of the University shall be appointed under a written contract which shall be lodged with the University and a copy of which shall be furnished to the officer or teacher concerned.

(2) Any dispute arising out of a contract referred to in sub-section (1) shall, on the request of the officer or teacher concerned, be referred to a tribunal of arbitration whose decision shall be final. Every such request shall be deemed to be submission to arbitration upon the terms of this section within the meaning of the Arbitration Act, 1940 (Act X of 1940) and all the provisions of that Act with the exception of section 2 thereof shall as far as posible apply.

(3) The tribunal of arbitration provided for in sub-section (2) shall consist of one member nominated by the Executive Council, one member nominated by the officer or teacher concerned and an umpire appointed by the Chancellor.

(4) The University shall constitute for the benefit of its officers, teachers, clerical staff and (servants) other employees in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the Statutes, such pension, gratuity, insurance and provident funds as it may deem fit.

25-C (1) Every teacher in an affiliated college, not being a college maintained exclusively by Government, who is recruited after the commencement of the Agra University (Amendment) Act, 1953, shall be appointed under a written contract which will contain such terms and conditions as may be laid down by the Statutes.

(2) Every decision by the Management of an affiliated college, other than a college maintained by Government, to dismiss or remove from service a teacher shall be reported forthwith to the Vice-Chancellor and subject to provisions to be made by Statutes shall not take effect until it has been approved by the Vice-Chancellor."

श्री राम नारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं--

खंड २२ में धारा 25-A की उपधारा (2) के भाग (C) में शब्द "seven" के बजाय शब्द "five" रख दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस धारा के उपभाग में मेरा संशोधन है, वह इस प्रकार है--

(c) He had for a total period of seven years before the said commencement imparted instruction to post graduate classes or;

मैं चाहता हूं कि इसमें सात साल के बजाय पांच साल कर दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, यह धारा बहुत महत्त्वपूर्ण है, इस माने में नहीं कि आगरा यूनिवर्सिटी या एफिलियेटेड कालेजेज के जितने अध्यापक हैं, उनकी आगे की नियुक्ति ही में नहीं बल्कि पिछली नियुक्ति के सम्बन्ध में भी अधिकार होगा कि वह देखे और रिव्यू करे और कुछ को निकाल भी दे और इस सम्बन्ध में, काफी व्यापक अधिकार दिये गये हैं। यह भले ही आब्जेक्शनेबिल हों। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज में ऐसे टीचर्स हों, जो हाई स्कूल पास हों, जैसा कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने बतलाया है ....

श्री हरगोविन्द सिंह--मैंने यह कहा कि वह उस सब्जेक्ट में एम० ए० नहीं हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अब आप इसके ए. और बी. भी देखिये। वह इस प्रकार हैं कि--

"(a) he was recruited to a post carrying the emoluments assigned in accordance with the scales prescribed in the College concerned for teachers intended for post graduate teaching, or

(b) he was recruited expressly for imparting instruction for post-graduate degrees; or"

अगर कोई टीचर हर तरह से क्वालिफाइड है और सात साल तक उसने अध्यापन कार्य नहीं किया है तो वह अलग किया जा सकता है।

श्री हरगोविन्द सिंह--यहां पर वर्ड or है and नहीं है। एक आदमी जो पोस्ट-ग्रैजुएट क्लासेज की टीचिंग के लिए रखा गया है, उसके लिए यह अप्लाई नहीं करेगा यह तो उसके लिए किया गया है जो इसके लिए नहीं थे, बल्कि धीरे धीरे सीढ़ी-सीढ़ी चलकर पोस्ट-ग्रजुएट क्लासेज को पढ़ा रहे हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--इसमें भी मैं समझता हूं कि ऐसी व्यवस्था है कि तजुर्बेकारी की बुनियाद पर योग्यता रखी जाती है। मैं इसमें दो साल बढ़ा रहा हूं। कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें गरीबों का फायदा होगा और शिक्षा मन्त्री जी को इस से क्या आपत्ति हो सकती है।

श्री हरगोविन्द सिंह--मुझे अफसोस है और मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई गरीबों का मामला है। मैं यह चाहता हूं कि पोस्ट-ग्रैजुएट क्लासेज के ऐसे टीचर्स हों जिनके निस्बत कोई कुछ न कह सके। इस लिए जो यह प्रतिबन्ध लगाया गया है, यह अपनी जगह पर बिलकुल ठीक है। जिनका अप्वाइन्टमेंट पोस्ट-ग्रैजुएट क्लासेज के लिए होगा, उनको यह एप्लाई नहीं करेगा। जो धीरे-धीरे लोग चढ़ गये हैं, उनके लिए यह सात साल रखा गया है। इस लिए इसमें गरीबों का कोई सवाल नहीं है। मेरा ख्याल यह है कि यह अच्छा होगा कि इन सब चीजों के अलग दृष्टिकोण से हम इस धारा को देखें। मुझे अफसोस है कि मैं इस संशोधन को नहीं मान सकता।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २२ में नयी धारा 25-A की उपधारा (2) के भाग (*c*) में शब्द "seven" के बजाय शब्द "five" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २२ में नयी धारा 25-C की उपधारा (2) की द्वितीय पंक्ति में शब्द 'maintained' और शब्द 'by' के बीच शब्द 'exclusively' जोड़ दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह शब्द छूट गया है और यदि जोड़ दिया जाय तो अर्थ स्पष्ट हो जायगा।

श्री हरगोविन्द सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा झगड़ा पैदा हो जायगा। नैनीताल कालेज में बिष्ट साहब ने ४, ५ लाख रुपया दिया तथा ज्ञानपुर में महाराजा बनारस ने रुपया दिया। अगर एक्सक्लूसिवली शब्द रख दिया जायगा तो उनको हम इस श्रेणी में नहीं रख सकेंगे। यह हर आदमी जानता है कि कौन सा कालेज गवर्नमेंट का है और कौन सा नहीं है। इस लिए मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री जयराम वर्मा—मेरा ख्याल है कि इससे मतलब और साफ हो जाता है। पृष्ठ १५ पर उपधारा ४ में यह शब्द इस्तेमाल किया गया है। मेरे ख्याल में यह अच्छा नहीं मालूम देता कि एक जगह यह शब्द इस्तेमाल किया जाय और एक जगह न किया जाय। लेकिन क्योंकि माननीय मन्त्री जी को यह स्वीकार नहीं है इसलिए मैं इसको वापिस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जयराम वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २२ में नयी धारा 25-C की उपधारा (2) की पंक्ति ४ में शब्द "statutes" के बाद निम्नलिखित रख दिया जाय—

"shall take effect only when it has been approved by the Vice-Chancellor."

श्रीमान् जी, इससे अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे अर्थ में कुछ फोर्स आ जाता है।

श्री हरगोविन्द सिंह—मैं इसको स्वीकार नहीं करता।

श्री जयराम वर्मा—मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २२ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन आज तब तक बैठा रहेगा जब तक कि आगरा यूनिवर्सिटी बिल पास न हो जाय और सरकार की तरफ से कुछ एनाउंसमेंट न कर दिया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, यों तो यह बात बहुत उचित नहीं है। इसलिए कि आज भी सरकार ने जो कार्यक्रम एक हफ्ते का रखा उस समय भी यह बात हाउस के सामने नहीं रखी। लेकिन मुझे सरकार की तरफ से यह सूचना मिली है कि कल कौंसिल के पास कोई काम नहीं है। तो काम के अभाव में बहुत सा रुपया बरबाद हो जायगा। इसलिए विशेष परिस्थिति में मैं इस प्रस्ताव पर कोई एतराज नहीं करता।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन आज तब तक बैठा रहेगा जब तक कि आगरा यूनिवर्सिटी बिल पास न हो जाय और सरकार की तरफ से कुछ एनाउन्समेंण्ट न कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ (क्रमागत)

खण्ड २३

२३—मूल अधिनियम की धारा २६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :— यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २६ का संशोधन।

"Statutes 26. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter relating to the University and shall in particular provide for the following—

(*a*) the constitution, powers and duties of the Authorities of the University;

(b) the election, appointment and continuance in office of the members of the said Authorities of the University and the filling of vacancies and all other matters relative to those Authorities for which it may be necessary or desirable to provide;

(c) the appointment, powers and duties of the officers of the University ;

(d) the constitution of a pension or provident fund and the establishment of an insurance scheme for the benefit of officers, teachers and other employees of the University and of affiliated colleges;

(e) the conferment of honorary degrees ;

(f) the withdrawal of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions ;

(g) the establishment, combination, sub-division and abolition of Faculties ;

(h) the conditions under which colleges and other institutions may be admitted to the privileges of the University and be liable to the withdrawal of such privileges ;

(i) the inspection of affiliated colleges;

(j) the maintenance of a Register of Registered Graduates ;

(k) the holding of Convocation ;

(l) the institution of fellowships, scholarships, medals and prizes; and

(m) all other matters which are required by this Act to be provided for by the Statutes."

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २३ में मूल अधिनियम की धारा २६ के भाग (b) की तीसरी पंक्ति में शब्द "relative" के स्थान पर शब्द " relating " रख दिया जाय ।

शिक्षा मन्त्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—ला डिपार्टमेंट ने जो शब्द रखा है, मैं उसी को ठीक समझता हूं । इसलिए मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री जयराम वर्मा—अगर आप नहीं मानते हैं, तो मैं इसको वापिस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस किया गया ।)

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २३ में मूल अधिनियम की धारा २६ का भाग (m) निकाल दिया जाय ।

श्रीमान् जी, (m) में यह लिखा है—

"All other matter which are required by this Act to be provided for by the Statutes"

लेकिन इसका उल्लेख तो धारा २६ के प्रारम्भ में ही आ गया है, उसके शब्द ये हैं—

"Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter relating to the University and shall in particular provide for the following:"

चूंकि इसकी व्यवस्था पहले हो चुकी है, इसलिए मेरे ख्याल में यहां पर (m) का रहना बेकार है। इसके बगैर भी काम चल सकता है ।

श्री हरगोविन्द सिंह--मेरे ख्याल में (*m*) का भी रहना जरूरी है।

श्री जयराम वर्मा--मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २३ में धारा २६ को उक्त धारा की उपधारा (1) के रूप में रख दिया जाय तथा निम्नलिखित को उपधारा (2) के रूप में रख दिया जाय--

"(2) The Statutes framed in accordance with sub-section (i) shall come into force at once but will be presented before the U. P. Legislature for approval in the session following."

उपाध्यक्ष महोदय, यह स्टैटचूट का विषय है, और बहुत लम्बा चौड़ा है, इसमें बहुत से विषय जैसे एलेक्शन, एप्वाइन्टमेंट, कन्फरमेंट आफ आनरेरी डिग्रीज आदि बहुत से गम्भीर विषय होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जैसे जमींदारी अबालिशन या कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्स में सरकार ने यह माना है कि जो स्टेटयूट्स पास होंगे, वह इस हाउस के सामने रखे जायेंगे। वही इसमें भी हो। इससे यह नहीं हंगा कि काम में देर हो, बल्कि यह फौरन लागू हो जायेंगे, सिर्फ इतना है कि सदन के सामने सदन की जानकारी के लिए रखे जायेंगे। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही उचित प्रस्ताव है और माननीय शिक्षा मन्त्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह--स्टैटचूट्स कभी लेजिस्लेचर्स के सामने ऐप्रुवल के लिए नहीं रख गये। यों तो स्टैटचूट ऐक्ट पूरा बन गया है और ज्वाइण्ट सेलेक्ट कमेटी के मेम्बरों के पास भी भेज दूंगा लेकिन मैं इसमें असमर्थ हूं कि उसको लेजिस्लेचर के सामने रखूं और उस पर लेजिस्लेचर्स का ऐप्रुवल हो और इसमें मेरा ख्याल है कि दो तीन महीने ऐप्रुवल लेने में ही लगेंगे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी यूनिवर्सिटी का स्टैटचूट स्टेट लेजिस्लेचर में ऐप्रुवल के लिये लाया गया हो। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--मैं समझता हूं कि जल्दी में माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने माननीय गंगाधर जी के संशोधन को पढ़ा नहीं। उनके संशोधन में तो साफ लिखा हुआ है कि जो स्टैटचूट सरकार बनावेगी, वह फौरन लागू हो जायगा लेकिन वह विधान मण्डल की जानकारी के लिए रख दिया जायगा ताकि उसमें उचित संवर्द्धन या परिवर्तन कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि इसमें कोई खास आपत्ति की बात तो नहीं है। वैसे तो व्यक्तिगत रूप से सुझाव भेजे जायं, तो उसको वह स्वीकार करते ही हैं।

"(2) The statutes framed in accordance with sub-section (i) shall come into force at once but will be presented before the U. P. Legislature for approval in the session following."

लेकिन आगरा यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में कुछ ऐसे विशेषाधिकार लिये जा रहे हैं कि आज तक किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं लिये गये हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा जरूरी मालूम होता है कि विधान सभा या विधान परिषद् के सामने वह रेगुलेशन जरूर आवें। चूंकि शिक्षा मन्त्री जी को इसमें कोई रुकावट नहीं है, कि सही या गलत स्टैटयूट बने और वह लागु हो जाये, लेकिन हम उनकी सहायता करना चाहते हैं और उचित ढंग से सहायता करना चाहते हैं और वह इस लिए कि कहीं पर इसमें कोई त्रुटि न रह जाये। विधान सभा के सामने आने पर इसमें और सुधार हो जायगा। हमारे इस संशोधन में भी तुरन्त लागू करने की बात है। इस कारण मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय इसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह--जो उनका संशोधन है वह तो उन स्टैच्यूट के लिए है जो यूनिवर्सिटी के लिए बने हैं। यह इस तरह से आज तक नहीं हुआ है और न होना चाहिए। इस लिए मैं इसका विरोध करता हूं।

(*b*) the election, appointment and continuance in office of the members of the said Authorities of the University and the filling of vacancies and all other matters relative to those Authorities for which it may be necessary or desirable to provide;

(*c*) the appointment, powers and duties of the officers of the University ;

(*d*) the constitution of a pension or provident fund and the establishment of an insurance scheme for the benefit of officers, teachers and other employees of the University and of affiliated colleges;

(*e*) the conferment of honorary degrees ;

(*f*) the withdrawal of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions ;

(*g*) the establishment, combination, sub-division and abolition of Faculties ;

(*h*) the conditions under which colleges and other institutions may be admitted to the privileges of the University and be liable to the withdrawal of such privileges ;

(*i*) the inspection of affiliated colleges;

(*j*) the maintenance of a Register of Registered Graduates ;

(*k*) the holding of Convocation ;

(*l*) the institution of fellowships, scholarships, medals and prizes; and

(*m*) all other matters which are required by this Act to be provided for by the Statutes."

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २३ में मूल अधिनियम की धारा २६ के भाग (*b*) की तीसरी पंक्ति में शब्द "relative" के स्थान पर शब्द " relating " रख दिया जाय।

शिक्षा मन्त्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—ला डिपार्टमेंट ने जो शब्द रखा है, मैं उसी को ठीक समझता हूं। इसलिए मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री जयराम वर्मा—अगर आप नहीं मानते हैं, तो मैं इसको वापिस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस किया गया।)

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २३ में मूल अधिनियम की धारा २६ का भाग (*m*) निकाल दिया जाय।

श्रीमान् जी, (*m*) में यह लिखा है—

"All other matter which are required by this Act to be provided for by the Statutes"

लेकिन इसका उल्लेख तो धारा २६ के प्रारम्भ में ही आ गया है, उसके शब्द ये हैं—

"Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter relating to the University and shall in particular provide for the following:"

चूंकि इसकी व्यवस्था पहले हो चुकी है, इसलिए मेरे ख्याल में यहां पर (*m*) का रहना बेकार है। इसके बगैर भी काम चल सकता है।

श्री हरगोविन्द सिंह—मेरे ख्याल में (*m*) का भी रहना जरूरी है।

श्री जयराम वर्मा—मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २३ में धारा २६ को उक्त धारा की उपधारा (1) के रूप में रख दिया जाय तथा निम्नलिखित को उपधारा (2) के रूप में रख दिया जाय—

"(2) The Statutes framed in accordance with sub-section (i) shall come into force at once but will be presented before the U. P. Legislature for approval in the session following."

उपाध्यक्ष महोदय, यह स्टैटयूट का विषय है, और बहुत लम्बा चौड़ा है, इसमें बहुत से विषय जैसे एलेक्शन, एप्वाइन्टमेंट, कन्फरमेंट आफ आनरेरी डिग्रीज आदि बहुत से गम्भीर विषय होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जैसे जमींदारी अबालिशन या कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्स में सरकार ने यह माना है कि जो स्टेटयुट्स पास होंगे, वह इस हाउस के सामने रखे जायेंगे। वही इसमें भी हो। इससे यह नहीं होगा कि काम में देर हो, बल्कि यह फौरन लागू हो जायेंगे, सिर्फ इतना है कि सदन के सामने सदन की जानकारी के लिए रखे जायेंगे। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही उचित प्रस्ताव है और माननीय शिक्षा मन्त्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह—स्टैटयूट्स कभी लेजिस्लेचर्स के सामने ऐप्रुवल के लिए नहीं रख गये। यों तो स्टैटयूट ऐक्ट पूरा बन गया है और ज्वाइण्ट सेलेक्ट कमेटी के मेम्बरों के पास भी भेज दूंगा लेकिन मैं इसमें असमर्थ हूं कि उसको लेजिस्लेचर के सामने रखूं और उस पर लेजिस्लेचर्स का ऐप्रुवल हो और इसमें मेरा ख्याल है कि दो तीन महीने ऐप्रुवल लेने में ही लगेंगे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी यूनिवर्सिटी का स्टैटयूट स्टेट लेजिस्लेचर में ऐप्रुवल के लिये लाया गया हो। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—मैं समझता हूं कि जल्दी में माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने माननीय गंगाधर जी के संशोधन को पढ़ा नहीं। उनके संशोधन में तो साफ लिखा हुआ है कि जो स्टैटयूट सरकार बनावेगी, वह फौरन लागू हो जायगा लेकिन वह विधान मण्डल की जानकारी के लिए रख दिया जायगा ताकि उसमें उचित संवर्द्धन या परिवर्तन कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि इसमें कोई खास आपत्ति की बात तो नहीं है। वैसे तो व्यक्तिगत रूप से सुझाव भेजे जायं, तो उसको वह स्वीकार करते ही हैं।

"(2) The statutes framed in accordance with sub-section (i) shall come into force at once but will be presented before the U. P. Legislature for approval in the session following."

लेकिन आगरा यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में कुछ ऐसे विशेषाधिकार लिये जा रहे हैं कि आज तक किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं लिये गये हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा जरूरी मालूम होता है कि विधान सभा या विधान परिषद् के सामने वह रेगुलेशन जरूर आवें। चूंकि शिक्षा मन्त्री जी को इसमें कोई रुकावट नहीं है, कि सही या गलत स्टैट्यूट बने और वह लागू हो जाये, लेकिन हम उनकी सहायता करना चाहते हैं और उचित ढंग से सहायता करना चाहते हैं और वह इस लिए कि कहीं पर इसमें कोई त्रुटि न रह जाये। विधान सभा के सामने आने पर इसमें और सुधार हो जायगा। हमारे इस संशोधन में भी तुरन्त लागू करने की बात है। इस कारण मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय इसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह—जो उनका संशोधन है वह तो उन स्टैच्यूट के लिए है जो यूनिवर्सिटी के लिए बने हैं। यह इस तरह से आज तक नहीं हुआ है और न होना चाहिए। इस लिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री गंगाधर मैठाणी—यह तो फर्स्ट स्टैट्यूट के लिए भी है जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग के लिए जो नियम बनाये जायेंगे, वह सरकार यहां पर पेश करेगी और यहां से उनकी स्वीकृति लेगी। इसी प्रकार हम यह चाहते हैं कि जो स्टैट्यूट्स बनें, वह यहां पर विचार करने के लिए आवें। युनिवर्सिटी का कोई काम रुकेगा नहीं, क्योंकि वहां पर तो वह बराबर लागू होते रहेंगे। इस कारण मैं यह समझता हूं कि शिक्षा मन्त्री जी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री हरगोविंद सिंह—मैं इसको मंजूर नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २३ में धारा २६ को उक्त धारा की उपधारा (१) के रूप में रख दिया जाय तथा निम्नलिखित को उपधारा (2) के रूप में रख दिया जाय:

"(2) The statutes framed in accordance with sub-section (i) shall come into force at once but will be presented before the U. P. Legislature for approval in the session following."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २४

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ में नयी धाराओं २७-ए और २७-बी का रखा जाना।

२४—मूल अधिनियम की धारा २७ के बाद निम्नलिखित धारायें २७-ए—और २७-बी के रूप में रख दी जायं:

Ordinances.

27-A.(1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for any matter permitted by this Act or the Statutes to be provided for by Ordinances and for any other matter including the giving of religious instruction, which the Executive Council considers it advisable to provide for by Ordinances.

(2) Without prejudice to the generality of the power conferred by sub-section (1), the Ordinances shall provide for the following matters, namely—

(*a*) the admission of students to the University and their enrolment as such ;

(*b*) the conditions under which students shall be admitted to the degree and other courses and to the examinations of the University and shall be eligible for degrees and certificates ;

(*c*) the fees to be charged for courses of study and for admission to the examinations, degrees and certificates of the University ;

(*d*) the remuneration and allowances, including travelling and daily allowances, to be paid to examiners, tabulators, inspectors and other persons employed on the business of the University.

(*e*) the number, qualifications, emoluments and the terms and conditions of service of teachers of the University ;

(*f*) the conditions of the award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(*g*) the conduct of examinations, including the term of office, the manner of appointment and the duties of examining bodies examiners and moderators ;

(*h*) the conditions of the residence of students,

(i) the maintenance of discipline among students;

(j) all other matters which by this Act or by the Statutes are required to be or may be provided for by the Ordinances.

(3) Ordinances shall be made by the Executive Council but no Ordinance shall take effect until it has been approved by the Chancellor after considering the views of the senate :

Provided that no Ordinance—

(i) affecting the admission or enrolment of students or prescribing examinations to be recognised as equivalent to the University examinations ; or

(ii) affecting the conditions and mode of appointment or duties of examiners or the conduct or standard of an examination or any course of study ;

shall be made, amended, repealed or added to unless a draft of such Ordinance has been proposed or previously approved by the Academic Council.

(4) The Executive Council shall not have power to amend any draft referred to in the proviso to sub-section (3) but may reject the proposals or return the draft to the Academic Council for reconsideration, either in whole or in part, together with any amendments which the Executive Council may suggest. Where the Executive Council rejects the draft, the Academic Council may appeal to the Senate, which shall consider the draft at its next meeting and its decision shall be final.

(5) An Ordinance made by the Executive Council under sub-section (3) shall be submitted, as soon as may be, to the Chancellor and the Senate. It shall be considered by the Senate at its next meeting. The Senate shall have the power, by a resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members voting, to reject any such Ordinance.

(6) After the Senate has approved an Ordinance, it shall forward its views to the Chancellor who may either allow or disallow it.

27-B (1) Notwithstanding anything in section 27-A the Executive Council may frame and enforce a temporary Ordinance on any of the matters referred to in sub-section (2) of the said section.

(2) An Ordinance framed under sub-section (1) shall have the same force and effect as an Ordinance framed and enforced under and in accordance with section 27-A, but every such Ordinance shall be submitted to the Senate and the Chancellor and shall cease to operate at the expiration of one year from the date of its enforcement or if the Senate or the Chancellor disapprove it before the expiration of one year upon such disapproval."

श्री राधामोहन सिंह—मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २४ में धारा 27-A की उपधारा (2) के खंड (a) म शब्द "Uuniversity" के स्थान पर शब्द " affiliated colleges " रख दिये जायं। यह एक शाब्दिक संशोधन है और इसका कोई खास मतलब नहीं है। मुझे आशा है कि शिक्षा मन्त्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह—यह मुझे मंजूर है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २४ में धारा 27—A की उपधारा (2) के खंड (a) में शब्द "University" के स्थान पर शब्द "affiliated colleges" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २४ में धारा 27—A की उपधारा (2) में उपभाग (i) के बाद निम्नलिखित उपभाग (j) रख दिया जाय—

"(j) Formation of compulsory student unions and other matters concerned with its formation."

उपाध्यक्ष महोदय, विद्यार्थियों के एडमिशन, डिसिप्लिन और फीस वगैरह के बारे में तो बहुत सी चीजें रख दी गयी हैं, लेकिन विद्यार्थी यूनियन का मामला जिसने प्रान्त में अभी एक उग्र रूप धारण कर लिया था, उस के सम्बन्ध में कोई भी चीज यहां नहीं रखी गयी है। इस की न तो स्टैच्युट में और न आर्डिनेंसेज में कोई चर्चा है। यूनिवर्सिटी वालों को पहले से ही मालूम होना चाहिए कि हमारे यहां विद्यार्थियों की यूनियन बनाने का अधिकार होगा या नहीं और क्या उस के लिए यहां कोई प्राविजन करना जरूरी है यह सवाल है। जो इतना बड़ा मामला यूनियन का लखनऊ में और इलाहाबाद में उठ चुका है, वह आप सब जानते हैं। मेरी मन्शा है कि इस के लिए भी आर्डिनेंसेज बनाने के अख्तियार दिये जायें कि किस प्रकार की यूनियनें युनिवर्सिटीज में होनी चाहिए। हम यूनियनों के बारे में निश्चय करना चाहते हैं कि आगरा युनिवर्सिटी में कम्पलसरी युनियन बनें। इसी लिए मैं ने यह संशोधन रखा है। किस प्रकार वह बनेंगी, कैसे चलेंगी कितनी फीस होगी, कैसा विधान होगा, यह तो फिर भी तय हो सकता है, लेकिन वह कम्पलसरीली बनें इस के लिए आर्डिनेंस बनाने का अधिकार युनिवर्सिटी को होना चाहिए। मैं इस विषय में इस समय बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, मन्त्री जी के जवाब के बाद और जो कुछ कहना होगा, वह कहूंगा। अभी तो मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि वह इस को केवल मान लें, फिर और बात बाद में तय हो सकती है।

श्री हरगोविंद सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन के मानने की कोई आवश्यकता नहीं समझता। इसलिए कि इस बिल में और इस खंड में इस बात का प्रबन्ध है कि आगरा युनिवर्सिटी को यूनियन के सम्बन्ध में अपने विद्यार्थियों के लिए आर्डिनेंसेज या स्टैच्यट्स बनाने चाहिए और उनके लिए कोई प्रतिबन्ध इस पर नहीं है। मैं यह भी कह दूं कि न युनिवर्सिटी इस बात के लिए बाध्य है, कि वह कम्पलसरी यूनियन बनवाये और ऐसा करना ठीक भी नहीं है। एक तरफ तो बिल के शुरू के वादविवाद में युनिवर्सिटी आटोनामी की बात कही जाती थी और बड़ी दुहाई दी जाती थी और अब जहां युनिवर्सिटी की आटोनामी कहीं भी कुंठित होती है, वहां भी हनन की बात उन को दिखायी देती है, और आप कम्पलसरी यूनियन के लिए युनिवर्सिटी को बाध्य करते हैं। यह तो अधिकार युनिवर्सिटी को दिया जा रहा है तो हम उन के इस महत्वपूर्ण विषय पर यहां कैसे फैसला कर दें। जब हम युनिवर्सिटी आटोनामी की बात करते हैं तो उनके लिए हम कम्पलसरी यूनियन की बात रख दें यह मुनासिब न होगा। लिहाजा इस भवन में इस समय हमें, इन बातों में जाने की जरूरत नहीं है कि यूनियन कम्पलसरी हो या न हो, न हमें यह यहां देखना है कि कैसा उन का विधान हो, वह कम्पलसरी हो या आप्शनल हो, यह तो वह स्वयं तय करेंगे। हमारे लिए इस सवाल को यहां तय करना तो विषयांतर होगा। यह मसला युनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का है। जैसा वहां के लोग ठीक समझें उसके मुताबिक अपने स्टैच्यट्स और आर्डिनेंसेज बनावें, हम उस से परे ही रहें, तो अच्छा है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब भी सदन में किसी आवश्यक विषय पर चर्चा होती है, तो हमारे मुख्य मन्त्री जी यहां से अनुपस्थित रहते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के ह्विप से निवेदन करूंगा कि वह उन को खबर दे दें तो अच्छा हो, क्योंकि यह संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्रीमन्, आपने अभी गत १८ तारीख को इस सदन में जो लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र से सम्बन्धित यूनियन का एक झगड़ा चला था, उस पर वादविवाद सुना होगा और माननीय मुख्य मन्त्री ने श्री झारखंडे राय को संबोधित करते हुए उनसे एक अपील भी की कि छात्रों के बीच में राजनीतिक दल हस्तक्षेप न करें, और यहां उन्होंने कहा कि क्या कम्युनिस्ट पार्टी स्टूडेंट्स फेडरेशन को तोड़ने के लिए तैयार है। अब मैं आपके द्वारा माननीय शिक्षा मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उन से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सही माने में वह शिक्षा संस्था में अनुशासन कायम रखना चाहते हैं, तो इस संशोधन पर उनको बहुत ही ध्यान से विचार करना होगा।

श्रीमन्, अगर ४ वर्ष पहले छात्रों में किस तरीके से काम किया जाय, राजनैतिक पार्टियों की गति-विधि क्या हो, इस पर माननीय मन्त्री जी ख्याल करेंगे, तो उन्हें मालूम होगा कि एक कमेटी बनी जिस में श्री पं० जवाहर लाल जी नेहरू, आचार्य नरेन्द्र देव ऐसी प्रतिभा सम्पन्न लोग थे। श्री जयप्रकाश नारायण भी थे। इन तमाम लोगों के मत से यह फैसला किया गया कि स्टूडेंट्स कांग्रेस तोड़ दी जाय, क्योंकि वह एक राजनीतिक संस्था का स्वरूप लेती चली जा रही है, और इससे विद्यार्थियों में राजनीतिक पार्टियों का असर होता है, विद्यार्थियों में अनुशासन नहीं रहने पाता। यह तमाम बातें हुईं। तो उसी समय, श्रीमन्, एक सवाल आया था, कि नेशनल यूनियन आफ स्टूडेंट्स बनायी जाय और मैं आप के द्वारा माननीय शिक्षा मन्त्री से निवेदन करूंगा कि मुझे अफसोस है कि इतने महत्वपूर्ण सवाल पर आज शिक्षा मन्त्री को छोड़ कर कोई दूसरा मन्त्री नहीं दिखायी देता है। माननीय रामनरेश शुक्ल दौड़ कर समय बढ़ाने के लिए पन्त जी के पास जाते हैं, लेकिन इस महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए उनको बुलाने कोई नहीं जाता।

श्री हरगोविंद सिंह--आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, हमारे लिए नहीं है।

श्री राजनारायण--अगर यह महत्वपूर्ण प्रश्न हल नहीं होता, तो यह कहने के लिए तैयार हूं कि शिक्षा मन्त्री अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पायेंगे। अगर वह यूनियन को नहीं बनायेंगे और यूनियन के बनने में विश्वविद्यालय के अधिकारी हस्तक्षेप करते रहेंगे, तो छात्रों के लिए कौन सी ऐसी संस्था होगी, जिस के जरिये वे अपनी मांगों और कठिनाइयों को रखेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई, जिसमें लखनऊ के सम्बन्ध में चर्चा भी हुई थी अगर उसकी प्रोसीडिंग्ज को आप देखेंगे, और जो बातें समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थीं, उन पर ख्याल करेंगे तो आपको मालम होगा कि आज कांग्रेस हाई-कमाण्ड भी चाहता है कि विद्यार्थियों के अन्दर राजनीतिक पार्टियों की दस्त-अन्दाजी न रहे। मगर मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी और सरकार इस समय मौके बेमौके विद्यार्थियों के अन्दर राजनीतिक भेद-भाव को घुसेड़ा करती है। मैं आज सफाई के साथ कहना चाहता हूं उसी फैसले के मातहत जो सर्व-सम्मति से स्टूडेंट्स कांग्रेस को तोड़ने के लिये किया गया था जिस में सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे और इलाहाबाद में कनवेंशन बुला कर स्टूडेंट्स कांग्रेस को भंग कर दिया गया उसके बाद फिर एक नये रूप में उसकी स्थापना हुई और आज भी स्टूडेंट्स कांग्रेस के जरिये इस राज्य के कितने ही रुपये को खर्च किया जा रहा है। भूतपूर्व शिक्षा मंत्री मुझे मालूम है कि गरमी में कुछ जिलों को, कुछ स्टूडेंट्स कमेटियों को पैसा देते थे कि वह इधर उधर प्रचार करें शिक्षा का। तो कांग्रेस सरकार की मनोवृत्ति है कि जहां भी मौका पाती है वह दखल देने

[श्री राजनारायण]

की कोशिश करती है। उसी के प्रमाण में आप देखिए कि कांग्रेस सरकार ने स्टूडेंट्स कांग्रेस के भंग हो जाने के बाद भी स्टेट के पैसे से स्टूडेंट्स कांग्रेस को अब तक कैसे कायम कर रखा है? यह क्या नीति है?

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (जिला हरदोई)--श्रीमन्, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि यह विवाद कांग्रेस कमेटी पर हो रहा है या अमेंडमेंट पर हो रहा है?

श्री राजनारायण--यह प्वाइण्ट आफ आर्डर है, श्रीमन्?

श्रीमन्, मेरा संशोधन है कि यूनियन को कम्पलसरी बनाया जाय और उस संशोधन पर में आपके द्वारा सदन में निवेदन कर रहा था कि यह बिल्कुल आर्डर में है और आप ने हमें इस समय बोलने की इजाजत दी। मैं समझता हूं, अब कम से कम आगे इस सदन के ट्रेज़री बेन्चेज के लोगों को, उस वक्त जब कि अपोजीशन वाले अपनी बात ठीक तरह से रख रहे हों, व्यर्थ के प्वाइंट आफ आर्डर उठाने का मौक़ा नहीं मिलेगा। आखिर हम भी तो कम से कम इस सदन में हैं। इस तरह तो चाहे प्वाइंट आफ आर्डर उचित हो या अनुचित हो, कोई भी आदमी कुछ न कुछ बोलता चला जाय इसलिये श्रीमन् प्वाइंट आफ आर्डर में कोई वास्तविकता होनी चाहिये।

मैं आप के द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि यूनियनों को कम्पलसरी बनाया जाय। क्यों? "This why should be explained" इसका कारण मुझे बतलाना चाहिये। अगर हम इस का कारण नहीं बताते हैं तो हम अपने कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं और माननीय मन्त्री जी कहेंगे कि विरोधी पार्टी अनावश्यक संशोधन दे दिया करती है। यह अनावश्यक नहीं है। यह बहुत ही आवश्यक है। आज की परिस्थिति विशेष को देखते हुए यह आवश्यक मालूम होता है कि यूनियनें बनें। श्रीमन्, अगर यूनियनें नहीं बनती हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजनीतिक पार्टियों के पास विद्यार्थी जायंगे। विद्यार्थी अपने ऊपर जो जोर जुल्म होते हैं वह अपनी आकांक्षाओं को प्रस्फुटित और प्रतिबिम्बित करने के लिए कोई न कोई आर्गेनाइजेशन (संगठन) करेंगे। आज नेशनल यूनियन आफ़ स्टूडेण्ट्स की स्थापना अच्छे तरीक़े पर इसलिये नहीं हो पाई है क्योंकि ऐसे कालेजों और युनिवर्सिटियों में जहां पर कि पदाधिकारी प्रतिक्रियावादी विचार धारा के लोग रहे हैं उन्होंने यूनियनों को बनने नहीं दिया। और जब वहां पर यूनियनें नहीं बनी तो स्टूडेंट्स फेडरेशन, स्टूडेन्ट्स कांग्रेस और यूथ कांग्रेस भी वहां कागजी संस्थाओं के रूप में पड़ी हुई हैं। श्रीमन्, आपको मालूम होना चाहिये कि बनारस में एक बैठक हुई थी कांग्रेस कमेटी की पारसाल जब कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी से और लखनऊ युनिवर्सिटी से बहुत से विद्यार्थी सरकारी मंत्रियों द्वारा प्रेरित आये थे.....

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--प्वाइंट आफ आर्डर सर, यह बहस जो हो रही है, मैं समझता हूं कि बिलकुल इरेलेवेण्ट है।

श्री उपाध्यक्ष--यह तो आउट आफ आर्डर नहीं समझा गया है।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--लेकिन अमेंडमेंट पर जो बहस हो रही है वह आउट आफ आडर है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे संशोधन पर ही बोलें।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से इसी संशोधन को पुनः पढ़ देना चाहता हूं ताकि जिन माननीय सदस्यों ने इसे बिना पढ़े हुये आउट आफ आर्डर कह दिया है वे समझ लें। श्री मदन मोहन उपाध्याय का संशोधन यह है कि खण्ड २४ में धारा 27-A की उपधारा (२) में उपभाग (i) के बाद निम्नलिखित उपभाग (j) रख दिया जाय:

"(j) Formation of compulsory student unions and other matters concerned with its formation".

श्रीमन्, यह संशोधन यूनियन के इन्फार्मेशन के सम्बन्ध में है। अब मैं कुछ यूनियन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। नेशनल यूनियन्स आफ स्टूडेंट्स के बनाने की पवित्र भावना पंडित जवाहर लाल नेहरू, आचार्य नरेन्द्र देव और श्री जय प्रकाश नारायण के दिल में उत्पन्न हुई। उसी भवना से प्रेरित हो कर हम लोगों ने एक क़दम आगे बढ़ाया और उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट कांग्रेस को भंग कर दिया, इलाहाबाद में कनवेन्शन बुलाकर। हम तारीफ़ करेंगे लखनऊ के विद्यार्थियों की कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में कालेजों में जितनी यूनियनें हैं उनके प्रतिनिधियों को लखनऊ में बुलाया..........

श्री उपाध्यक्ष--इस पुराने इतिहास को दुहराने से कोई फायदा नहीं है। आप अपने संशोधन की आवश्यकता पर बोलें।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, यूनियन के फारमेशन की इतनी जबर्दस्त आवश्यकता है कि आज भी शिक्षा मंत्री जी आगरा यूनिवर्सिटी के कानून में संशोधन करने जा रहे हैं। तो आज क्या हर्ज है कि आज वे सफाई के साथ जो वहां के अधिकारी वर्ग हैं उन्हें बता दें कि वे यूनियन की फार्मेशन (संगठन) को होने दें और यूनियन के फार्मेशन को कम्पलसरी (आवश्यक) कर दें। जब एक राजनीतिक संस्था तमाम विद्यार्थियों की रहती है तो दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लिए परिस्थिति कम रहती है, मौका कम मिलता है और विद्यार्थी खुद उनसे कहते कि साहब यहां पर और किसी संस्था के बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तमाम विद्यार्थियों की एक यूनियन है। आवश्यकता इस बात की है कि तमाम विद्यार्थी उस यूनियन के सदस्य हों और तमाम विद्यार्थियों से सम्बन्धित मांगें उसी यूनियन से पूरी हों। आगे चल कर उनका एक फेडरेशन बन सकता है और उसका प्रान्तीय और देशरूपी स्वरूप हो सकता है। ऐसा इस समय भी है लेकिन कुछ ऐसे कालेजेज हैं जहां पर अधिकारी इतने प्रतिक्रियाशील हैं कि वे विद्यार्थियों को यूनियन बनाने नहीं देते। इसलिये जब मौका मिला, हमारे साथी माननीय मदन मोहन उपाध्याय जी को, जो इस दिक्कत को बराबर महसूस करते रहे, उन्होंने इसको इस संशोधन के रूप में यहां पर रखा ताकि माननीय शिक्षा मंत्री जी और यह सम्मानित सदन इस पर विचार करे और यूनियन बनने दे। और जो अधिकारी प्रतिक्रियावादी मनोवृत्ति के हों उनसे यूनियन बनवायें। कानून के जरिये उनको बाध्य कर दिया जाय कि वे यूनियन बनने में बाधा न उत्पन्न करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि माननीय उपाध्याय जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसके महत्व को माननीय मंत्री जी समझें। मैं यह भी माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि वे यदि किसी आवेश में आकर के इस संशोधन को स्वीकार नहीं करेंगे तो इस आदरणीय सदन में जो सम्मानित सदस्य बैठे हुये हैं वे इस बात को याद रखेंगे कि इस संशोधन पर बोलते हुये मैंने यह कहा था कि अगर यूनियन बनने देने की परिस्थिति सरकार पैदा नहीं करेगी तो सरकार इसके लिये जिम्मेदार होगी यदि अनुशासनहीनता किसी भी जगह होगी।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मदनमोहन जी उपाध्याय ने जो संशोधन रखा है उसके समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं। अभी माननीय राजनारायण जी ने ऐसी बातों की ओर इस सदन का और माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान दिलाया कि जिन पर मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी विचार कर ही रहे होंगे और मैं ऐसा नहीं समझता कि माननीय राजनारायण जी की बातों को उन्होंने बिना गौर किये ही नामंजूर कर दिया होगा। लेकिन मैं फिर माननीय राजनारायण जी की बातों को थोड़ा और मजबूत करने के लिए दो एक बातों की तरफ माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह यह कि अभी पिछले दिन जब हम लखनऊ यूनिवर्सिटी की बातचीत करते हुए वादविवाद कर रहे थे तो उस समय माननीय गृह मंत्री जी ने इस बात पर बार-बार जोर दिया था कि देश के विद्यार्थियों में बड़ी भारी अनुशासनहीनता आ गयी। और भी बहुत सी चीजें उन्होंने कही थीं। यदि उस दिन अवसर मिला होता तो मैं जरूर

[श्री गेंदा सिंह]

इस बात को कहता कि अनुशासनहीनता यदि आयी तो उसकी जिम्मेदारी किसी के ऊपर होनी चाहिए। केवल विद्यार्थियों के ऊपर इस दोष को थोप देना उचित नहीं होगा। मै तो ऐसा समझता हूं कि अनुशासनहीनता की जिम्मेदारी बुजुर्गों के ऊपर से छोड़ी नहीं जा सकती। अगर बुजुर्गों ने अपने बच्चों को अनुशासनहीन बनने दिया तो मैं ऐसा समझता हूं कि उससे किसी तरह से भी कोई समझदार आदमी बरी नहीं कर सकता उन बुजुर्गों को। अब अगर बुजुर्गों की कोई जिम्मेदारी है और उनके बच्चे अनुशासनहीन होते हैं तो क्या इस प्रदेश की सरकार उस जिम्मेदारी से बरी हो सकती है। जहां कहीं भी कोई राज्य आता है तो वह राज्य अपने दोस्तों के संगठन की तैयारी करता है। तो क्या उत्तर प्रदेश की युनिवर्सिटी और कालेजों में जो लड़के पढ़ते हैं वे उत्तर प्रदेश की सरकार के दोस्त नहीं हैं। अगर वे दोस्त हैं तो फिर उत्तर प्रदेश की सरकार को उन्हें शिक्षित और दीक्षित बनाना चाहिये ताकि विद्यार्थी लोग सरकार के स्थान को अपने समय में ले सकें।

अगर यह कहा जाता है कि विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है तो उसके लिये उपाय हम बता रहे हैं। अंगेजों ने अपने जमाने में ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन बनाया और यह रखा कि हर जमींदार को इसमें आना होगा और इसका चन्दा मालगुजारी के साथ वसूल किया जायगा ताकि कोई जमींदार इससे बच नहीं सकता था। वे यह समझते थे कि जमींदार ही उनके राज्य के खम्भे हैं। इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को हमारी सरकार अपने खम्भे समझे और उनके लिये यूनियन कम्पलसरी बनावे। मेरी राय तो इस संशोधन को बिना विवाद के मान लिये जाना चाहिये। हमारे विद्यार्थियों को देश का उत्पादन बढ़ाना है, यहां का शासन करना है और बेरोजगारी को हल करना है तो फिर उनको कारपोरेट लाइफ न दिखाई जाय, यह सरकार की कमी की बात होगी। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी संतोषजनक उत्तर इस बात का नहीं दे पावेंगे और मैं फिर इस बात पर जोर देकर उनसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश का भविष्य हमारे नौजवानों पर निर्भर करता है इसलिये उन्हें अपने संघटन बनाने के लिए कम्पलसरी तौर पर प्रेरित करनाँ होगा। जो कुछ माननीय राजनारायण जी ने नेशनल स्टूडेन्ट्स फेडेरेशन के बारे में कहा, मैं समझता हूं कि मालूम नहीं कि कितने दिनों में यह बात हो सकती है कि स्वेच्छा से सारे देश के विद्यार्थी एक साथ होकर अपना संगठन बना सकें। मैं कहता हूं कि इस बात की आवश्यकता है कि देश के समझे बूझे लोगों को इस बात की आदत डाली जाय कि वह आपस में विचार विनिमय कर सकें और अपने यूनियन का शासन चलाने की बात सोच सकें। अगर हम यह समझते हैं कि यूनियनों के द्वारा लड़के गड़-बड़ करते हैं तो मैं समझता हूं कि अपने देश के सारे नौजवानों को असंगठित कर के हम उन्हें एक कैओस के लिए छोड़ रहे हैं जिसमें उनका कोई संगठन न हो और कोई कारपोरेट लाइफ न हो सके। इसलिये मैं आप से आग्रह करूंगा और माननीय सदन को इसे स्वीकार करना चाहिये। माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी काफी सुलभ होगा। इससे कोई काम गड़बड़ होने वाला नहीं है। केवल आगरा युनीवर्सिटी की ही तो बात है। वहां पर एक्सपेरीमेंट कर के देखा जाय कि इससे बात बनती है या बिगड़ती है। फिर यदि बात बिगड़े तो माननीय सदन बैठा हुआ है और माननीय शिक्षा मंत्री जी मौजूद रहेंगे और साल डेढ़ साल बाद इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र (जिला कानपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन सदन के सामने उपस्थित हुआ है उसमें मैं संशोधन उपस्थित करता हूं जो इस प्रकार है:—

"compulsory" के बाद शब्द "Students Union" निकाल दिया जाय और उसकी जगह पर "social working units" कर दिया जाय।

श्रीमन्, मैं इस संशोधन में संशोधन उपस्थित करके सदन को सूचना देना चाहता हूं कि कोई माने या न माने, कोई समझे या न समझे, मैं इतना तो कहने का यद्यपि दावा नहीं

रखता हूं, फिर भी कहना चाहता हूं कि मैं यूनियन्स के कार्यक्रम को जानने की थोड़ी सी तमीज रखता हूं और मैं ने जब से शिक्षा संस्थाओं में और पौलिटिक्स में काम किया है आज तक बराबर यूनियन्स में ही काम करता रहा हूं। इसलिये मुझे यह कहने का थोड़ा हक़ है कि मैं आप के द्वारा सदन को बतला दूं कि जो बाल्यावस्था में घुट्टी दी जाती है, वह युवावस्था में आ जाने के बाद कारगर नहीं होती है बल्कि कभी-कभी तो वह नुक्सान भी पहुंचा देती है।

यूनियन शब्द का अर्थ साहित्य में सीधा सादा है। लेकिन गत कई वर्षों से इसका प्रयोग और आज भी इसका प्रयोग इस रूप में हो रहा है कि माना यह जाय कि आज भी कोई ऐसा संघर्ष चल रहा है जैसे कि कैपिटलिस्ट और लेबर में है। वहां पर तो यूनियन्स का बनाना आज मैं स्वीकार करता हूं। श्रीमन्, इसलिये स्वीकार करता हूं कि हम सब लोग जो आज एक तरह से इस बात के विचारक हो गये हैं कि श्रेणी विहीन समाज बनें। उनका निश्चय है कि जब तक कैपिटलिस्ट्स रहेंगे एक्सप्लायटेशन भी रहेगा और अगर एक्सप्लायटेशन रहेगा तो लेबर का कभी हित नहीं हो सकता है। इसलिये एक्सप्लायटेशन को खत्म करने के लिये यूनियन्स का संगठन किया जाय और कैपिटलिज्म को समाप्त किया जाय।

ऐसे स्थान पर जहां शिक्षा का सवाल है संगठन की बात समझ में नहीं आती है, हां ऐसी जगह तो ठीक है जहां पर एक क्लास के इंटरेस्ट का सवाल संघर्ष के रूप में दूसरी क्लास के साथ हो। श्रीमन्, शिक्षा संस्थाओं में यह चीज समझ में नहीं आती है।

श्रीमन्, यह पेश करना चाहता हू कि शिक्षा संस्थाओं में यूनियनका जिस समय प्रादुर्भाव किय गया उस समय एकही मकसदथा और वह यह था कि हमारा देश गुलाम था। विद्यार्थी जब ऐसा था मैकाले के शब्दों में "शिक्षा ऐसी हो कि देखने में आदमी हिन्दुस्तानी हो और दिमाग़ और मस्तिष्क ऐसा हो जो अंग्रेजों की रीति, नीति और रिवाज का बन जाय ताकि उनका राज्य भारतवर्ष में बहुत दिनों तक चलता रहे श्रीमान्, उस समय हमने यूनियन्स को प्रोत्साहित किया और इन यूनियन्स ने उस दौरान में, जब कि आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, काफी काम किया और यूनियन्स ने आजादी की लड़ाई में आगे बढ़ कर हिस्सा लिया। देश को इस बात पर गर्व है। परन्तु स्वतंत्र भारत में कर्त्तव्य और रचनात्मक कार्य के पौडवाले संगठन चाहिये पर क्या आप विद्यार्थी यूनियन से आशा रखते हैं। अगर आप आज देखें फिर चाहे वह लेबर का यूनियन हो, विद्यार्थियों का यूनियन हो या और कोई यूनियन हो, यूनियन शब्द जहां लगा हुआ हो वहां उसके माने लोग यही लगाते हैं कि अपनी मांगें बढ़ा बढ़ाकर सामने रक्खो, अपने हकों को सामने रक्खो। इस पर कोई ध्यान नहीं देता है कि हमारा कर्त्तव्य क्या है। आज यूनिवर्सिटी यूनियन्स को आप देखें तो आपको मालूम होगा कि विद्यार्थी अपनी मांगें पेश करते हैं। फीस कम कर दी जाय, इस प्रिन्सिपल को निकाल दिया जाय, उसको बैठा दिया जाय, हमको यह चाहिये, हमारी यह मांग पूरी कर दी जाय, लेकिन हमारा कर्त्तव्य क्या है इस पर कोई ध्यान नहीं देता। चाहे वह स्टूडेंट्स का यूनियन हो या लेबरर्स का यूनियन हो सब की हालत ऐसी ही है।

(इस समय ५ बजकर ३२ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता मंडल के एक सदस्य श्री राधाकृष्ण अग्रवाल पीठासीन हुये।)

अब हमारा देश स्वतंत्र हो गया है अब उसमें आन्दोलनकारी कार्यक्रम, सिवाय उस स्थिति को छोड़कर कि हमारे बीच में जबतक ऐक्सप्लायटेशन है, उसको दूर करने तक आन्दोलन करना है, नहीं रहना चाहिये। केवल ऐक्सप्लायटेशन को अन्त करने के लिये इस रूप में संगठन करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त ऐसा संगठन हमें न करना चाहिये जिसमें हम अपना कर्तव्य न समझें, डिस्पिलिन को न समझें और केवल अपनी मांगों को पेश करते रहें। आजकल यूनियन के एक ही माने हैं और वह हैं "वर्ग संघर्ष"। श्रीमन्, इसलिये मैंने यह संशोधन पेश किया है कि यूनियन शब्द को हटा कर "सोशल वर्कर्स यूनिट्स" रख दिया जाय। माननीय श्री गेंदा सिंह जी ने यह विचार प्रकट किये कि हमें इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिये कि कर्मनिष्ठ नागरिक हो और देश हित समझे वह भी सोशल यूनिट्स से ही पूरा

[श्री बासुदेव प्रसाद मिश्र]

होगा। हमें इंजीनियरों की आवश्यकता है और इस प्रकार के लोगों की आवश्यकता है, इसलिये हमारे कामों में कैसा वर्ग विभाजन होना चाहिये उसके लिये यह नितान्त आवश्यक है कि "यूनियन्स" के स्थान पर "सोशल वर्कर्स यूनिट्स" की स्थापना की जाय। जो जिन कामों से प्रेम करते हैं उनके सुपुर्द वे काम कर दिये जायं। जिसके लिये उन्हें ग्रान्ट्स भी दी जायं, उन्हीं मामलों पर वे डिबेट करें और उन्हीं कामों को वे करें जिनमें उनकी रुचि हो, जिन सब्जैक्ट्स के वे माहिर हों। इस प्रकार जब वे व्यावहारिक दुनिया में आ जायंगे तो समझदार विद्यार्थी और समझदार नागरिक सिद्ध हो सकेंगे। अतः मैं इस संशोधन को पेश करता हूं। यदि इसके पेश करने वाले महोदय, श्री मदन मोहन जी उपाध्याय इसको मंजूर कर लें तो ठीक है वर्ना उनके संशोधन का मैं विरोध करता हूं।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो श्री मदन मोहन उपाध्याय जी ने संशोधन रखा है, मैं उसके समर्थन में बोल रहा हूं और आवश्यकता इसलिये पड़ी है कि ह से कोई भी एक आदमी इस बात से आंख मिचौनी नहीं कर सकता है कि हमारे सूबे में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी कालेजेज हैं उनमें जो कुछ भी हो एक तरह से संघर्ष चल रहा है। वह इसी मसले को ले कर चल रहा है. इसमें कोई दो बातें नहीं हो सकतीं और जब भाग्य से आगरा यूनिवर्सिटी संशोधन बिल हमारे सामने आया और इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न को हमारे सामने लाकर रखा गया है तो हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। हम इस सूबे की जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से यहां पर इकट्ठे हैं। हम लोगों को भी अपनी पक्की राय इस विषय में दे देनी चाहिये क्योंकि अभी पिछले दिनों कहा गया कि एक डेढ़ लाख से ऊपर का यहां नुक्सान हुआ, जानें भी गयीं और जैसा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने, मैं कहूंगा कि बड़ी उदारता से उसकी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली और लेनी चाहिये। हम और आप में से कोई भी आज सर ऊंचा नहीं कर सकता है, जो कुछ कि यहां लखनऊ में हुआ या दूसरे शहरों में हुआ और हम यह भी नहीं कह सकते कि आज जो कुछ भी वातावरण पैदा हो गया है उस वातावरण के पैदा करने में हमारे जितने भाई हैं जिन्होंने पिछले चार छः वर्षों से एक जिम्मेदारी अपनी सरकार की ली है उनके माथे पर या उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी नहीं आती। ऐसा भी समझता हूं कि कोई भी कह नहीं सकता है। आज हम विद्यार्थियों को कितना ही दोष दे दें, लेकिन जैसा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह एक बड़ी शर्मनाक बात है कि हम अपने विद्यार्थियों के मनों को भी न जीत सके कि वे हमारी बातों को मान जाते। यह कमजोरी कम से कम उन्होंने मान ली और मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं यह हमी लोगों की गलती है, त्रुटि है जिनकी वजह से हम आज यह वातावरण देख रहे हैं। इसलिये मैं इस प्रश्न को बहुत महत्व का प्रश्न समझता हूं और बहुत से भाइयों ने यह भी कहा.....

अधिष्ठाता—उस दिन की बहस को दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मलखान सिंह—मैं एक शब्द भी नहीं दोहराऊंगा। जो कुछ यहां कहा गया है वही मैं कहना चाहता हूं। एक लांछन यहां पर यह लगाया गया है कि उस परिस्थिति को हमारे यहां के लेजिस्लेचर के मेम्बर होते हुये भी वे लोग यह देखते रहे और उन्होंने उसे काबू में नहीं किया और उन्होंने कोई हाथ नहीं लिया तो मैं समझता हूं कि आज जब यह सवाल हमारे सामने आ गया है तो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न और कोई भी नहीं हो सकता जिसको लेकर खासतौर से अभी अभी हमारे मंत्री महोदय ने हमारी पार्टी के लोगों का ध्यान इस तरफ दिलाया कि हम लोग यूनिवर्सिटी आदि के बारे में बहुत बातें करते हैं और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने भी चाहा था कि वहां पुलिस की मदद दी जाय, लेकिन गवर्नमेंट ने वहां पुलिस की मदद नहीं दी। यह एक बड़ा श्रेयस्कर काम सरकार ने किया, लेकिन ठीक उसके खिलाफ जब लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइसचांसलर ने सरकार को लिखा.....

अधिष्ठाता--माननीय सदस्य को उस दिन की बहस को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आप संशोधन के ऊपर ही आवें।

श्री मलखान सिंह--मैं उसी प्रश्न पर आ रहा हूं। चूंकि स्टूडेंट्स का प्रश्न है....

अधिष्ठाता--आप उस दिन की बहस न दोहरावें।

श्री मलखान सिंह--मैं उस दिन की बहस को नहीं दोहरा रहा हूं, बल्कि आर्गुमेंट्स दे रहा हूं।

अधिष्ठाता--संशोधन के ऊपर ही आप बोलें।

श्री मलखान सिंह--चूंकि यह स्टूडेंट्स यूनियन के लिये संशोधन पेश किया गया है। वह ऐक्ट की चीज है, वह बनना चाहिए और उसके संगठन का नियम अनिवार्य कर देना चाहिए। इसी संशोधन के ऊपर ही मैं बोल रहा हूं.....मैं इसी पर बोल रहा हूं और इसोलिये जहाँ तक उन बातों का संबंध इस प्रस्ताव से आता है, मैं कह रहा हूं। अगर अध्यक्ष महोदय, मुझे इजाजत नहीं देंगे तो मैं नहीं कहूंगा।

अधिष्ठाता--आप सिर्फ हवाले के तौर पर उन बातों को कह सकते हैं, लेकिन सारी बहस जो उस दिन हुई है उसको अगर दोहरायेंगे तो वह आउट आफ आर्डर है। आप संक्षेप में हवाला दे कर अपने प्वांइण्ट पर आ जाइये।

श्री मलखान सिंह--मैं आपकी इस बात को मानता हूं और मैं इस पूरी बहस को नहीं दोहरा रहा हूं। शिक्षा मंत्री जी ने यूनिवर्सिटी आटोनामी की बात कही थी कि उस पर और सब बातों को छोड़ दिया जावे। तो मैं कहूँगा कि अगर बातें यूनिवर्सिटी आटोनामी पर छोड़ दी गई होतीं तो १८ तारीख की बहस की जरूरत पड़ती और न यह सब वाकयात हुये होते। यूनिवर्सिटी आटोनामी पर उन्हीं की तरफ से कुठाराघात किये गये हैं न कि हमारी तरफ से मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि यह जो त्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव माननीय उपाध्याय जी का है इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। यह संशोधन किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, बल्कि यह चाहता है कि हमारे विद्यार्थी वह सब चीजें सीखें जो राज्य प्रणाली से संबंधित हैं और उसके अनुसार शिक्षा ग्रहण करते हुये अपना काम अपने आप चलाने के लिये तैयार हों, जिसको हम आप सभी चाहते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि इस विषय पर हमको और आप को यह तय कर लेना चाहिये कि हमें क्या करना है। मैं जानता हूं कि मंत्री जी के साथ बहुमत है और वह जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि हम बड़ी जिम्मेदारी से भागेंगे अगर हमने इस संशोधन पर विचार न किया और जैसा श्री राजन रायण जी ने एक चेतावनी दी मैं भी कुछ भविष्यवाणी कर सकता हूं कि आगे भविष्य के लिये कोई अच्छी मिसाल आप पेश नहीं करने जा रहे हैं और शाँति का वातावरण पैदा करने के बजाय अशाँति का वातावरण पैदा करेंगे। इसलिये यह आवश्यक है और मैं फिर शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने बड़े ध्यान से विरोधी दल के सदस्यों के भाषण सुने और अपने साथी बासुदेव मिश्र की भी बातें सुनीं। अधिष्ठाता महोदय, मुझे कुछ विद्यार्थियों के बीच में काम करने का अवसर मिला है और मेरा सौभाग्य था कि मैंने माननीय नेता विरोधी दल के साथ भी वर्षों विद्यार्थी आन्दोलन में काम किया है। यह बात हममें से हर एक को माननी पड़ेगी कि हमें विद्यार्थियों के बीच अभी कुछ करना है। मैं समझ रहा हूं इस तमाम वादविवाद में केवल मतभेद यही है कि हमें क्या करना है। जहाँ तक क्या करने का प्रश्न है आज की जो वर्तमान स्थिति है उस पर भी हमें दृष्टि डालनी होगी। वर्तमान स्थिति यही है कि मुझे यह तो ज्ञात नहीं है कि कोई भी विद्यार्थी

[श्री रामनरेश शुक्ल]
यूनियन या विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना उत्तर प्रदेश की कांग्रेस ने की हो, लेकिन अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस बात की इत्तिला जरूर है कि करीब-करीब सभी युनिवर्सिटियों में और कालेजों में समाजवादी युवक संघ की रचना हुई है।

अधिष्ठाता—माननीय सदस्य को उन बातों का जिक्र करने की जरूरत नहीं है न उन बातों के जवाब देने की जरूरत है जो दूसरी ओर से रेलिवेंट नहीं कही गयी हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल—बहरहाल, मैंने यह तो यों ही कह दिया था। लेकिन यह बात अपनी जगह पर जरूर है कि आज यूनिवर्सिटी और कालेजेज के अन्दर विद्यार्थियों के संगठन जो हैं वह ठीक ढंग पर नहीं जा रहे हैं। मैं अपने मित्र मिश्र जी के विचारों से सहमत हूं और मेरा यह ख्याल है कि माननीय मंत्री जी को आज वर्तमान स्थिति को देखते हुये इस नतीजे पर आना होगा कि हमें यूनिवर्सिटी और कालेजेज के अन्दर विद्यार्थियों के संगठन को बनाना होगा क्योंकि यदि इस प्रकार का सामाजिक कार्यकर्ताओं का संगठन नहीं बना तो यह निश्चित है कि यह विद्यार्थी कहीं न कहीं निकल जायेंगे और आज भी निकलते जा रहे हैं। यूनियन्स की माँग ठीक है लेकिन "यूनियन्स" शब्द ठीक नहीं है क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ झलकती हुई दिखाई पड़ती है कि उससे वहाँ पर लेबर, कैपिटल की बातें युनिवर्सिटी और कालेजेज में शुरू हो रही हैं। इसलिये मैं तो फिर इस बात को सोचता हूं कि जिस भावना को मिश्र जी ने यहाँ पर रखा है उनको कार्य रूप में परिणत करने का प्रयत्न किया जाय और जहाँ पर "यंग सोशलिस्ट यूनियन" का नाम लिया है इसका मैं यह अर्थ समझता हूं कि कई यूनियन्स हो सकती हैं। हम में से कौन प्रसन्न नहीं होगा जब हम नुमाईश के अन्दर पी० ई० सी० के जवानों को काम करते हुये देखते हैं। बहुत से लोगों को भ्रम हो जाता है कि यह पुलिस के इतने छोटे-छोटे लड़के कैसे पुलिस में भर्ती हो गये। मैंने यहाँ तक देखा है कि यह जवान बहुत मायनों में पुलिस से अच्छा काम करते हुये दिखाई पड़ते हैं। तो क्या इस प्रकार से अलग-अलग यूनिट्स बनाने की जरूरत नहीं है? जो पी० ई० सी० में काम करना चाहते हैं वह उधर जायं, जो गाँव में काम करना चाहते हैं वह उधर जायं, जो पंचवर्षीय योजना के अन्दर काम करना चाहते हैं वह उधर जायं। कहने का मतलब यह है कि यूनिट्स हमारी हो जायं और प्रत्येक विद्यार्थी किसी न किसी यूनिट का सदस्य होकर उसके नियमों का पालन करते हुये काम करे। एक यूनियन तो उन देशों में कामयाब हो सकती है जहाँ पर मजबूरत या कम्पल्सरी एक प्रकार की विचारधारा जवानों के दिमाग में भरने की कोशिश वहाँ की सरकार की तरफ से की जाय।

इसलिये एक यूनियन केवल साम्यवादी देशों में ही चल सकती है और कामयाब हो सकती है और वहाँ पर एक प्रकार की यूनियन बनाकर एक प्रकार की विचारधारा उन पर लाद दी जा सकती है। किन्तु हमारे देश में उन विचार धाराओं को स्थान नहीं है और उनकी यहाँ पर आवश्यकता भी नहीं है। तो मैं यह प्रार्थना करूंगा कि मिश्र जी ने जो सुझाव दिया है कि यह निश्चित करके कि प्रत्येक विद्यार्थी किसी न किसी यूनिट का सदस्य बनकर काम करे तो यह ठीक है। जो एक विद्यार्थी किसी यूनिट में जाकर काम करेगा तब वह उस यूनिट का एक भाग हो जायगा और उसका उससे संबंध होने पर वह कुछ काम करेगा और फिर न कोई यूनियन का झगड़ा रहेगा और न विद्यार्थियों और अध्यापकों का ही कोई झगड़ा होगा। यदि श्री मदन मोहन जी, मिश्रा जी के संशोधन को स्वीकार करें तो पूरे संशोधन पर गौर किया जा सकता है वर्ना मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन श्री मदन मोहन उपाध्याय की ओर से प्रस्तुत हुआ है मैं उसका दो कारणों से विरोध करता हूं। पहला कारण तो यह है कि यह संशोधन इस बिल के साथ किसी हालत में भी नहीं सधता है और

यह ईर्रिलेवेंट है। इसका संबंध यूनिवर्सिटी के मेनेजमेंट कंट्रोल जो ऐडमिनिस्ट्रेशन वगैरा का है आर्थिक व्यवस्था आदि के प्रश्न हैं उनसे संबंध रखता है, लड़कों की फीस क्या हो उनका दाखिला कैसे हो इन सब बातों से यह संबंध रखता है। लड़कों की यूनियनों का कोई संबंध युनिवर्सिटी से नहीं आता है। यूनियन दूसरी चीज है अगर यूनियन का इससे संबंध होता तो हमें इस जगह पर इस चीज को डिफाइन करना पड़ता कि वह किस प्रकार की होंगी और क्या उनकी लाइबिलिटी होंगी और क्या उनके राइट्स होंगे। जहाँ तक युनिवर्सिटी ऐक्ट का संबंध है उससे यूनियन का कोई संबंध नहीं है।

दूसरे कम्पलसरी यूनियनों का होना जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके भी विरुद्ध पड़ता है और इस तरह से संविधान के भी विरुद्ध है। अगर कोई लड़के यूनियन में शरीक होना नहीं चाहते तो कोई भी युनिवर्सिटी उनको मजबूर नहीं कर सकती कि तुम्हें जबर्दस्ती यूनियन में दाखिल होना पड़ेगा, कोई भी संस्था या आदमी किसी से यह नहीं कह सकती कि तुमको जबरन फलाँ पार्टी में दाखिल होना पड़ेगा। इस तरह का कम्पलशन फंडामेंटल हकूक और संविधान के विरुद्ध है। इसलिये यूनियन का कम्पलसरी होना तो बिलकुल ही गलत बात है। प्रथम कमेटी ने भी इस पर अपना एकमत प्रकट किया है, अगर्चे वह स्पष्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि वह वालंटरी होनी चाहिये जो चाहें उनमें शामिल हों या न हों। राधाकृष्णन रिपोर्ट में भी उन्होंने कहीं पर भी कम्पलसरी यूनियन की भावना को नहीं रखा है बल्कि इंडिविजुअल च्वाइस की बात ही रखी है। मैं इसमें नहीं जाता जैसा कि राम नरेश जी ने कहा कि उनका पिछला तर्जुबा अच्छा नहीं है लकिन वह हमारे फंडामेंटल राइट्स के भी खिलाफ जाती हैं। मैं तो यहाँ तक करूंगा कि जबतक विद्यार्थी किसी विश्वविद्यालय में पढ़ता है उस वक्त तक उसको किसी भी संस्था या पार्टी का सदस्य न होने देना चाहिये बल्कि उसे इन तमाम चीजों से परे रखना चाहिये लेकिन जहाँ तक विद्यार्थियों के आन्तरिक प्रबन्ध का संबंध है और शिक्षा के हेतु किसी समुदाय या समिति का संबंध है तो वह उस के लिये अपनी वालंटरी यूनियन बना सकते हैं। उसके नियम वह स्वयं बना सकते हैं। लेकिन ऐसी यूनियनों का शिक्षा से ही संबंध होना चाहिये और बाहर की चीजों से उनका कोई संबंध न होना चाहिये। यह खराबी जो अभीतक युनिवर्सिटीज में पैदा हुई वह इसलिये हुई कि हमने पोलिटिकल पार्टीज को वहाँ स्थान दिया, चाहे वह काँग्रेस हो, सोशलिस्ट पार्टी हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो, उनको अपना प्रचार करने की आज्ञा दी इसी कारण से यह सब झगड़े वहाँ बढ़े।

इसलिये मैं श्री उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा कि वह उन बातों पर विचार करें और विद्यार्थियों को केवल विद्या ही की ओर ध्यान देने की बात सोचें और उनको बाहर की चीजों की ओर जिनसे उनका संबंध नहीं है न जाने दें। इससे मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों का और देश का भविष्य उज्ज्वल होगा। अगर हम कम्पलसरी रखेंगे तो वह चाहे कोई भी आने वाली सरकार हो, सोशलिस्ट सरकार हो या कम्युनिस्ट सरकार हो किसी के लिये भी वह बाँछनीय न होगा कि यूनियनें कम्पलसरी बनें। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और श्री मदन मोहन जी से प्रार्थना करता हूं कि वह अपने इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने हाउस के दोनों तरफ के भाषणों को सुना है और मैंने कानून कसौटी पर और प्रोसीड्योर जोकि सदन के किसी मामले को टेक अप करने की होती है उस पर अमेंडमेंट को और उसके ऊपर जो दूसरा अमेंडमेंट इस सदन में पेश कर दिया गया है, दोनों को कसा। मैंने देखा कि दोनों के अन्दर इनहेरेंट डिफिकल्टीज इतनी बड़ी हैं कि वे तो सेल्फ एक्सप्रेसिव भी नहीं हैं और पूरे नहीं हैं। इसलिये न तो वे सदन के अन्दर आ सकते हैं और न टिक सकते हैं। अमेंडमेंट में कहीं नहीं है कि स्टूडेंट्स यूनियन के मानी क्या होंगे और क्या राइट्स होंगे। यह तो केवल सदन के अमूल्य समय को जाया करना है। दूसरा जो अमेंडमेंट है उस में भी वही डिफिकल्टी है। इसलिये मैं इस प्वाइण्ट पर दोनों का अपोजीशन करता हूं।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

हमें यह देखना चाहिये कि आगरा यूनिवर्सिटी का करैक्टर क्या है। वह प्योरली एक एग्जामिनिंग बाडी है, रेजिडेंश्यल युनिवर्सिटी नहीं है। उससे जो अफिलिएटेड कालेजेज हैं वह वह हमारे यू० पी० के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से बाहर भी बहुत से हैं जोकि इम्तहान का रिश्ता रखते हैं। आप अगर इस प्रकार की कोई कम्पलसरी व्यवस्था स्टूडेंट्स के लिये ऐक्ट में कर देते हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास कोई अधिकार है कि आप इस कानून के प्रोविडिएंस को एग्जेक्ट कर सकते हैं उन कालिजों से जोकि आपके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से बाहर हैं? मैं समझता हूं कि कानून के दृष्टिकोण से भी इस प्रकार का अमेंडमेंट इस विधेयक के अन्दर आ नहीं सकता और इस सदन को कोई अधिकार नहीं कि उस पर विचार कर सके। इस प्वाइन्ट से भी मैंने इन संशोधनों का जोरदार विरोध करता हूं। ये टेक्नीकल डिफिकल्टीज मैंने पेश कर दीं।

अब जहां तक उसूल का सवाल है, मैं मानता हूं कि स्टूडेंट्स के अन्दर अपनी ट्यूशनल क्लासेज के बाहर किसी न किसी प्रकार की एक व्यवस्था होनी चाहिये जिससे उनका माइन्ड और करैक्टर डेवलप हो सके। मैं इस बात का कतई विरोधी हूं कि शिक्षालय, युनिवर्सिटीज और कालेजेज जो चरित्र के निर्मल सूत्रों को बहाते हैं वे चरित्र व ज्ञान के स्रोतों को प्वाइजन कर दें। मैं समझता हूं कि वे पार्टियां और व्यक्ति जो आज उन नौजवान बच्चों के दिमागों को दूषित करना चाहते हैं और उन संस्थाओं में विरोधी भावनाओं का समावेश करना चाहते हैं और भारतवर्ष के नौजवान को फिजिकली, मारली, मेंटली और स्पिरिचुअली फ़िट करने के बजाय उनको एक दूसरे स्थान में रख कर हमारी राष्ट्रीय प्रगति को दुर्गति में परिणत करना चाहते हैं वह हमारे राष्ट्र के साथ गद्दारी करते हैं। हमारा मुल्क प्रगति करना चाहता है, इसलिये मैं समझता हूं कि कि इस प्रकार भावनाओं को जो कि राजनीति और दूसरी चीजों से संबंध रखती हों वह नहीं आनी चाहिये। मैं इसका घोर विरोधी हूं। उस प्वाइण्ट आफ व्यू से भी मैं इन दोनों संशोधनों का विरोध करता हूं। मैं नहीं चाहता कि वे किसी भी पार्टी के अन्दर दखल दें। उन का इस तरह का दखल देना राष्ट्र की प्रगति को गर्त में ढकेलना है।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)--अधिष्ठाता महोदय, मैं क्लोजर मूव करता हूं।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मदन मोहन उपाध्याय--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने बहुत से माननीय सदस्यों के भाषण इस सदन सुनें। मेरी समझ में यह आया कि या तो माननीय सदस्यों ने मेरे संशोधन को पढ़ा ही नहीं या वह किसी हवा में बह गये। मुझे यह भी ख्याल नहीं था कि इस पर इस प्रकार बहस हो जायगी। मैं एक एक बात का जवाब जोकि माननीय सदस्यों ने यहां कहीं हैं, देना चाहता हूं। मैं तो यह चाहता था कि चूंकि इतनी बड़ी किताब जो कि इस कानून की बनी उसमें कहीं भी चूंकि स्टूडेंट्स यूनियन की चर्चा नहीं है इस लिये वह होना चाहिये। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि हमारे श्री केशव गुप्त जो कि एक वकील भी हैं उन्होंने बड़े जोरदार शब्दों में इसका विरोध किया और कानूनी नुक्ता चीनी इस बात की की इस में कहीं पर भी यूनियन की परिभाषा नहीं है। अगर यूनियन की कहीं पर परिभाषा दी हुई होती तब तो हम डिस्कस कर सकते थे। चूंकि परिभाषा नहीं है इसलिये हम नहीं कर सकते। इस सारी किताब में कहीं पर भी "डिसिप्लिन" की परिभाषा नहीं है और जहां पर यह आर्डिनेंस बनाने का सवाल है वहां पर यह लिखा गया है कि.........

"Without prejudice to the generality of the power conferred by sub-section (1) the Ordinances shall provide for the following matters."

इस में बहुत सी चीजें हैं। मैं लास्ट में पढ़ना चाहता हूं—

"The conditions of the award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes."

इतनी छोटी बातें दी गई हैं कि इनके लिये आर्डिनेंस बनाया जा सकता है। फिर लिखा है—

"The conduct of examination, including the term of office, the manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators"

"माडरेटर्स" की कोई परिभाषा नहीं है। फिर लिखा है—

"The conditions of residence of students;"

कैसे विद्यार्थी रखे जायेंगे, क्या उनके खाने पीने का प्रबन्ध होगा यह भी इसमें लिखा है। एक चीज और है—

"The maintenance of discipline among students"

डिसिप्लिन पर भी आर्डिनेंस बनाया जायगा लेकिन यूनियन के फार्मेशन के लिये आर्डिनेंस नहीं बनाया जायगा। इसकी चर्चा इसमें कहीं नहीं है। मैं यह समझता था कि शायद माननीय मंत्री जी भूल गये होंगे और उसको भी इसके अन्दर अब कर लेंगे। किस किस्म की यूनियन हो यह स्टेट्यूट्स के ऊपर छोड़ दिया जाय। सारे प्रान्त में यही राय है कि कम्पलसरी स्टूडेंट्स यूनियन हो। अगर माननीय मंत्री जी यह कहते कि "कम्पलसरी" लफ्ज हटा दिया जाय क्योंकि यह एक विवाद का प्रश्न हो सकता था लेकिन जहांतक यूनियन्स के बनाने का प्रश्न है इस में कोई विवाद का प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया। आज दुनिया में जहां कहीं भी युनिवर्सिटीज हैं आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी जिनका कि नाम बहुत लिया जाता है, सब जगह यूनियन्स हैं और कम्पलसरी हैं। मेरे पास एक पत्र इंगलैन्ड से आया है। यूनियन्स करीब-करीब सभी जगह हैं। अंग्रेजों वक्त में भी यूनियन्स थीं, आज अगर युनिवर्सिटी में कांग्रेस का बहुमत होता, तो यूनियन का नाम सब से पहले आता कि स्टूडेंट्स यूनियन कयम की जाय। मैं तो यही चाहता हूं कि वहां से पार्टी पालिटिक्स हटे। वहां ऐसी एक यूनियन बने जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग हों। कम से कम किसी एक यूनियन में सब मिल तो सकें। रामनरेश शुक्ल जी ने इस बात को माना कि संगठन होना चाहिये। उसका नाम आप कुछ रख लीजिये। जिससे काम बन जाय वह किया जाय। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने विरोध में यहां तक कह दिया कि यूनियन होना ही नहीं चाहिये। हमारे माननीय चन्द्र सिंह जो, जो कि एक वकील हैं, उन्होंने कुछ कानूनी बात करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि यह युनिवर्सिटी केवल इम्तहान लेने के लिये है। यूनियन से युनिवर्सिटी का क्या मतलब है ? अधिष्ठाता महोदय, इसमें सारी युनिवर्सिटी की चर्चा है। मैं फिर उनके ध्यान के लिये पढ़ता हूं। शायद किताब उनके पास नहीं होगी क्योंकि उससे उनका मतलब नहीं है। २७(ए), (२) यदि वे पढ़ें तो उसमें कालेज की चर्चा नहीं है :

"Without prejudice to the generality of the power conferred by sub-section (1), the Ordinances shall provide for the following matters, namely—

(a) the admission of students to the University,"

कोई युनिवर्सिटी नहीं है आगरे की, लेकिन "ऐडमिशन आफ स्टूडेंट्स टू दी युनिवर्सिटी" कहां से आ गया।

"and their enrolment as such;

(*b*) the conditions under which students shall be admitted to the degree and other courses and to the examinations of the University and shall be eligible for degrees and certificates;"

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

इसमें भी युनिवर्सिटी आगयी है। फिर--

"The fees to be charged for courses of study and for admission to the examinations, degrees and certificates of the University;"

मैं इसलिये उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सब जगह युनिवर्सिटी है। हम भी जानते हैं कि वह एक्जामिनिंग युनिवर्सिटी है। इस संशोधन से हमारा मतलब सिर्फ यह है कि जहां आपने यह रखा है कि डिस्प्लिन कैसे रहेगा, फीस का क्या होगा वहां इतना और ऐड कर दिया जाय--"फार दी फार्मेशन आफ यूनियन्स आलसो।" इस संबंध में और बातें जो होंगी, उनको आर्डिनेंस बनाने वाले तय कर लेंगे। इन्हीं सब बातों की वजह से मैं यह चाहता हूं कि एक ऐसा आर्गेनाइजेशन बनाया जाय जो कम्पलसरी हो। किसी साहब ने कहा कि कोई कहेगा कि हमारी यूनियन में आओ और कोई कहेगा कि हमारी यूनियन में आओ। इसीलिये तो हम ऐसा चाहते हैं क्योंकि तब चार यूनियनें नहीं होंगी। हम यह चाहते हैं कि सब एक यूनियन में आ करके खड़े हों। अधिष्ठाता महोदय, हमारे बहुत से साथियों ने यह कहा कि वे बहुत सी यूनियनों के मेम्बर रहे होंगे। मैं बहुत सी यूनियनों का मेम्बर और एक जिम्मेदार व्यक्ति रहा हूं।

श्री हरगोविन्द सिंह--तब कहां यूनियनें थीं?

श्री मदन मोहन उपाध्याय--सारा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर मैंने वहां से सीखा है। हमारे चन्द्र सिंह जी और माननीय केशव जी शायद कभी नहीं रहे हैं, नहीं तो ऐसी बात नहीं करते। यूनियन में बहुत चीजें सीखते हैं, समाज की सेवा भी कर सकते हैं। जितनी सर्विस माननीय वासदेव जी ने कहीं वे सब उसमें कर सकते हैं। उसकी अलग अलग ब्रांचेज भी हो सकती हैं। जैसे साइंस एसोसियेशन वगैरह। यह बिलकुल इन्नोसेंट संशोधन मेरा है। अगर मंत्री जी कम्पलसरी वर्ड को हटाना चाहें तो हटा दें लेकिन यूनियन तो रखें कि यूनियन बने मैं युनिवर्सिटी में कोई पोलीटिक्स नहीं लाना चाहता। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी मुझे अलग न समझते हुये मेरे संशोधन को मान लें।

श्री हरगोविन्द सिंह--श्रीमन्, इस संशोधन पर भवन का काफी समय लगा और वह शायद इसलिये कि माननीय सदस्यों ने यह उपयुक्त और आवश्यक समझा कि इस संशोधन से १-१२ हजार मील परे जाकर ऐसी बातें कहें कि जिनसे ख्वाहमख्वाह यहां आवेश बढ़े। इस विधेयक में यदि यह कहा गया होता कि नहीं विश्वविद्यालय यूनियन के संबंध में कोई आर्डिनेंस नहीं बना सकती तब तो मेरी समझ में यह आता था कि उस पर इतना जोर दिया जाता। और विरोधी दल के नेता तो शायद यह समझते हैं कि जब वह बोलते हैं तो इतने महत्व की बात होती है कि सिवाय मुख्य मंत्री के और कोई उसका जवाब ही नहीं दे सकता। लेकिन चूंकि इस भवन का नियम ही यह है कि इसमें चाहे आप जो बोलते जाइये वरना अगर कहीं अदालत में वह इस तरह से बोलते तो शायद एक मिनट भी कोई सुनना गवारा न करता।

श्री राजनारायण--तहसील में, जहां आप प्रक्टिस करते थे।

श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं, मैं तहसील में प्रैक्टिस नहीं करता था।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--प्वाइण्ट आफ आर्डर, सर मैं समझता हूं कि यह कह कर कि इस भवन का नियम है कि जो चाहे बोलता चला जाय, इस सदन की और अध्यक्ष जी की तौहीन की है। मैं समझता हूं कि इस भवन की इज्जत के लिये ये शब्द उन्हें वापस लेने चाहिए।

अधिष्ठाता--इसमें इज्जत का कोई सवाल नहीं है। (श्री हरगोविन्द सिंह से) आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री हरगोविन्द सिंह—इस विधेयक में कोई इस बात की मनाही नहीं थी कि अगर युनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव यह चाहे तो उसके लिये नियम न बना दे। तो इसकी कोई आवश्यकता मेरी समझ में नहीं आती। मैं चाहता था और इसलिये मैंने अपने प्रारम्भ वाले जवाब में ही कहा था कि विधेयक के संबंध में जो वाद विवाद भवन में हुआ उसमें शायद विरोधी दल के कोई माननीय सदस्य ऐसे नहीं थे जो किसी संशोधन पर बोलते समय युनिवर्सिटी आटोनामी की दुहाई न देते हों। ऐसा मालूम होता था कि युनीवर्सिटी आटोनामी का सम्पूर्ण कार्य और उसकी रक्षा केवल उन्हीं लोगों के हाथ में है और भवन का प्रत्येक सदस्य इस बात पर तुला हुआ है कि युनिवर्सिटी आटोनामी को किसी तरह से कुचला जाय।

जब मैंने यह कहा कि यदि यूनियन को आप शिक्षा का साधन समझते हैं, यदि सचमुच आप यूनियन को मजदूर संघ का अखाड़ा नहीं बनाना चाहते हैं तो यह कार्य केवल युनिवर्सिटी और उन लड़कों का ही होना चाहिये और उन कालेजेज का ही होना चाहिये। मैं माननीय सदस्यों से पूछता हूं जो इसके समर्थन में बोले कि क्या उनके पास निस्संदेह इस बात का सबूत है कि युनीवर्सिटी का प्रत्येक बालक कम्पलसरी यूनियन चाहता है, क्या उनकी यह बात निर्विवाद रूप में मान ली जाय कि युनिवर्सिटी का हर एक बालक यह चाहता है कि उसके ऊपर जबरन यह नियम लगाया जाय कि तुमको रुपया देना होगा और चाहे तुम चाहो या न चाहो इस यूनियन का सदस्य बनाना पड़ेगा ?

ऐसा मालूम होता है कि विद्यार्थियों की मांगें और उनके हित की बात युनिवर्सिटी से विरोध खाते हैं। युनिवर्सिटी की संस्था मिल मालिकों की तरह से है और यह विद्यार्थी मजदूरों की तरह से हैं और दोनों के परस्पर विरोध चल रहा है और जब तक इस विरोध को त्याग करके एक औजार विद्यार्थियों के हाथ में नहीं रहेगा तब तक उनका काम किसी तरह से नहीं चल सकता है।

मैं श्रीमन्, थोड़ा सा विषयांतर में जरूर चला गया, इसके लिये आप से क्षमा मागूंगा। लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि यदि यह प्रवृत्ति किसी राजनैतिक दल की रही तो वह इस देश को और विद्यार्थियों को ऐसे खंदक में ले जायगा जिस से देश कभी नहीं उठ सकेगा। इतना बड़ा क्षेत्र हमारे और आपके सामने है और जहां आपका कोई राजनीतिक विरोध हमारे साथ है तो हम और आप उस अखाड़े में लड़ सकते हैं। हम जीत सकते हैं या आप जीत सकते हैं। आप यहाँ बैठ सकते हैं और हम वहां बैठ सकते हैं। लेकिन आप विश्वास रखिये कि यदि हम इस बात के लिये प्रयत्न करेंगे कि हम इन भोले-भाले विद्यार्थियों को, जिनके माता-पिता हम नहीं जानते कि कितने कष्ट सहकर वह इन लड़कों को कालेज तथा स्कूलों में शिक्षा के लिये भेजते हैं, यह विश्वास रख कर कि हमारे लिये यह एक साधन होगा, हमारे जीवन में यह एक लकड़ी का काम करेगा, उनको हम राजनैतिक पेचों में खींचने के लिये, महज इसलिये कि हमारा राजनीतिक बल जरा सा बढ़ जायगा, उनके बीच में घुसते हैं। मुझे अफसोस हुआ जब कि श्री मदन मोहन उपाध्याय ने यह कहा कि यदि उनमें कांग्रेस की यूनियन्स होतीं तो यह बिल में जरूर होता। मैं समझता हूं कि इससे यह झलक तो मिली कि उनको यदि इधर बैठने का मौका मिला तो उनकी तरफ से ही विधेयक बनेंगे जैसा कि वह कहते हैं। लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि हम हमेशा इस बात के लिये रहे और आगे भी हमें इन विद्यार्थियों में इस प्रकार की मनोवृत्ति नहीं पैदा करनी चाहिये क्योंकि उसके दुष्परिणाम हम देख चुके हैं। मुझे तनिक भी इस विचार को व्यक्त करने में डर नहीं है कि इस प्रकार की जो यूनियनबाजी हो रही है उससे हमारी आने वाली संतानों का लाभ नहीं हो सकता, और अगर ये कालेज और युनिवर्सिटी में न हों तो हमारे बच्चों का इससे बड़ा कल्याण होगा। अगर कोई चाहे तो कर सके और न चाहे तो न करे, इस प्रकार से विधेयक में किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अतः चूंकि इस चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण--मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे गेम्स फीस और ट्यूशन फीस भी कम्पलसरी रखना चाहते हैं या नहीं?

श्री हर गोविन्द सिंह--ऐसा तो आप सोचते होंगे।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड २४ में धारा 27-A की उपधारा (२) में उपभाग (i) के बाद निम्नलिखित उपभाग (j) रख दिया जाय--

"(*j*) Formation of compulsory student unions and other matters concerned with its formation."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र--श्रीमन्, मेरे अमेंडमेंट का क्या हुआ?

अधिष्ठाता--आपका तो संशोधन में संशोधन था, इसलिये संशोधन के गिर जाने से वह स्वतः गिर गया।

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र--सम्भव था कि अगर मेरा संशोधन स्वीकार हो जाता तो भवन उस संशोधित संशोधन को मान लेता।

अधिष्ठाता--ऐसा नहीं है।

श्री जयराम वर्मा--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २४ में नयी धारा 27-A की उपधारा (5) की पंक्ति ५ में शब्द "members" के पश्चात् तथा शब्द "voting" के पूर्व शब्द "present and" बढ़ा दिये जायं और पंक्ति ६ के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:

"or by a simple majority to return the same for reconsideration."

श्रीमान् जी, उपधारा के अन्तर्गत ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल जो आर्डीनेंस बनायेगी वह सीनेट के पास जायगा और फिर चान्सलर के पास जायगा। सीनेट उसके ऊपर पहली मीटिंग में विचार करेगी। उसके बारे में सीनेट को इस उपधारा में यह अधिकार दिया गया है कि उस पर विचार करने के बाद या तो सीनेट उसको स्वीकार कर ले या अगर सीनेट को वह स्वीकार नहीं है तो अगर उसका दो-तिहाई बहुमत हो जाय तब वह उसे अस्वीकार कर सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर सीनेट का बहुत बड़ा बहुमत उस आर्डीनेंस को पसंद नहीं करता है और दो-तिहाई बहुमत उसके अस्वीकार करने के पक्ष में नहीं है तो मजबूरन उस आर्डिनेंस को उसे स्वीकार करना होगा। इस प्रकार अल्पमत की बात बहुमत को स्वीकार करनी होगी। यह एक बड़ी पेचीदा बात हो जाती है। इसलिये मेरा विचार है कि ऐसी हालत में जब कि सीनेट का बहुमत उसको पसंद न करता हो लेकिन अगर दो-तिहाई बहुमत उसके पक्ष में न हो तो सीनेट को यह अधिकार दिया जाना चाहिये कि ऐसी स्थिति में वह उस आर्डीनेंस को साधारण बहुमत से पुर्नविचार के लिये कौंसिल के पास भेज दे।

श्री हरगोविन्द सिंह--मुझे यह मंजूर है।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खण्ड २४ में नई धारा 27-A की उपधारा (5) की पंक्ति ५ में शब्द "members" के पश्चात् तथा शब्द "voting" के पूर्व शब्द "present and" बढ़ा दिये जायं और पंक्ति ६ के अंत में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय--

"present and or by a simple majority to return the same for reconsideration"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड २४ इस विधेयक का अंश माना जाय।
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २५

२५--मूल अधिनियम की धारा २८ और २९ के स्थान पर निम्नलिखित धारा २८ के रूप में रख दिया जाय: यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६, की धारा २८ और २९ के स्थान पर एक नई धारा का रखा जाना।

"28 (1) The authorities 'and the Boards of the University may make Regulations consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances:

(*a*) laying down the procedure to be observed at their meetings and the number of members required to form a quorum;

(*b*) providing for all matters which by this Act, the Statutes or the Ordinances are to be prescribed by Regulations; and

(*c*) providing for all other matters solely concerning such authorities and Boards as are not provided for by this Act, the Statutes or the Ordinances.

(2) Every authority of the University shall make Regulations providing for the giving of notice to the members of such authority of the dates of meetings and of the business to be considered at meetings and for the keeping of a record of the proceedings of meetings.

(3) The Executive Council may direct the amendment, in such manner as it may specify, of any Regulation made under this section or the annulment of any Regulation made under sub-section (1) by an authority other than the Senate :

Provided that any authority or Board of the University which is dissatisfied with any such direction may appeal to the Chancellor, whose decision in the matter shall be final.

(4) The Executive Council shall make Regulations, laying down—

(*i*) the courses of study for various examinations of the University ;

(*ii*) the assignment of subject to the various Faculties; after receiving drafts of the same from the Academic Council.

The Executive Council may not alter a draft received from the Academic Council but may reject the draft received or return it to the Academic Council for further consideration together with its own suggestions.

(5) No Regulation shall be made in respect of matters which are to be provided for by Statutes and Ordinances under this Act."

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खण्ड २५ इस विधेयक का अंश माना जाय।
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २६

२६--मूल अधिनियम की धारा ३० में वर्तमान धारा को उपधारा (१) के रूप में परिगणित किया जाय और उसके बाद निम्नलिखित उपधारा (२) में रख दिया जाय-- यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६, की धारा ३० का संशोधन।

"(2) The University shall not, save with the previous sanction of the State Government, recognise (for the purpose of admission to a course of study for a degree) any degree conferred by any other University

as equivalent to the Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh any examination conducted by any other authority."

श्री राम नारायण त्रिपाठी—अधिष्ठाता महोदय, मैं खण्ड २६ का विरोध करना चाहता हूं। खण्ड २६ की उपधारा (२) इस प्रकार है—

"The University shall not, save with the previous sanction of the State Government, recognise (for the purpose of admission to a course of study for a degree) any degree conferred by any other University or as equivalent to the Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh, any examination conducted by any other authority."

मेरा मतलब खासतौर से यहां "The University shall not, save with the previous sanction of the State Government."

"शैल नाट सेव विद दि प्रीवियस सेंक्शन आफ दि स्टेट गवर्नमेंट" से है। माननीय शिक्षा मंत्री जी तो यूनिवर्सिटी के एटानामस नाम ही से काफी चिढ़ते हैं। लेकिन कम से कम यूनिवर्सिटी के एटानामस में बाधा डाली जाय, या खलल डाली जाय यह एक विवादपूर्ण विषय हो सकता है। कम से कम एकेडेमिक मामलों में युनिवर्सिटी को एटानोमस होना चाहिये। इस बात को माननीय शिक्षा मंत्री जी मान सकते हैं। इस उपधारा का जो प्राविजन है उसमें यह है कि अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो किसी और ऐसी परीक्षा को बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐंड इंटरमीडियेट एजूकेशन के समक्ष मान कर किसी विद्यार्थी को बी० ए० या एम० ए० में प्रवेश का अधिकार दे सकती है। लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया है कि वह मुनासिब समझ कर और स्टेट गवर्नमेंट से पूछ कर इस तरह की कोई व्यवस्था की जा सकती है। यह तो कोई आर्थिक मामला है नहीं। एक्जीक्यूटिव निर्माण के प्रश्न को, सिनेट निर्माण के प्रश्न को तो किसी हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है लेकिन यहां तो एकेडेमिक मामला है। मैं हाउस का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। राधाकृष्णन कमेटी रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में कहा गया है कि एकेडेमिक आटोनामस पूर्णतया यूनिवर्सिटी के हाथ में रहना चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस संशोधन को मान लेना चाहिये।

श्री हरगोविन्द सिंह—आप मेरी यह बात मान लें और इसको इस तरह से कर दें:—

"Concurrence of the Universities of Allahabad and Lucknow and of such other Universities as are established."

चूंकि इलाहाबाद और लखनऊ युनिवर्सिटी में यही प्रोविजन है इसलिये यह रखा गया है। यह न आप समझें कि यह किसी और कारण से है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—श्री अध्यक्ष महोदय....

अधिष्ठाता—आप कोई संशोधन पेश करना चाहते हैं तो पेश कीजिये, वरना जो विरोध आप कर रहे थे वह शुरू कीजिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मेरा विरोध कायम है। मैं चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट उनकी आटानामी में इंटरफियरेंस न करें। यूनिवर्सिटी आटोनामी में यह इंटरफियरेंस स्टेट गवर्नमेंट का नामुनासिब है।

श्री हरगोविन्द सिंह—अटानामी का यह मतलब नहीं होता कि जिस इम्तिहान को चाहे अपने बी० ए० या एम० ए० के बराबर मान ले वह कोई ऐकेडेमिक अटोनामी नहीं होती। युनिवर्सिटी अटोनामी के मतलब यह होते हैं कि उसका स्टैंडर्ड ठीक रहे। और इसीलिये रखा गया है कि जिस एक्जामिनेशन को चाहे अपने बी० ए० और एम० ए० के बराबर न मान ले। यही लखनऊ युनिवर्सिटी में रखा गया है और उसी को यहां रख दिया गया है जिसमें स्टैंडर्ड लो न हो क्योंकि जैसे आप अपनी बी० ए० की डिग्री के बराबर किसी इम्तहान को मान लें तो मैं समझता हूं कि जो स्नातक बी० ए० पास हो वह उसका बेकार हो जायगा और वह आगरा युनिवर्सिटी में भरती हो जायगा। उसको रोकना चाहिये। इसलिये जो स्टैंडर्ड हो वह सब जगह का बराबर हो और उसको रखना चाहिये। इसलिये माननीय त्रिपाठी जी ने जो विरोध किया है वह ठीक नहीं है।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खण्ड २६ इस विधेयक का अंग माना जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २७

२७—मूल अधिनियम की धारा ३१ में — यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६, की धारा ३१ का संशोधन।

(१) उपधारा (१) के अंतिम शब्द "and all examiners shall be appointed by the Executive Council" निकाल दिये जायं।

(२) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(3) At least one-half of the number of paper setters for each subject of study prescribed for a degree and as nearly as possible one-half of the number of examiners appointed in each subject shall be persons not in the service of the University or an affiliated college."

(३) उपधारा (३) के बाद निम्नलिखित नई उपधारायें (४) तथा (५) के रूप में जोड़ दी जायं :—

"(4) The examiners in each subject shall be appointed by the Vice-Chancellor in the manner prescribed by the Statutes.

(5) Every person appointed as examiner shall, as a condition of appointment, agree that he will not undertake examination work in excess of the limits laid down in the Ordinances."

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र—श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २७ के उपखंड (२) में मूल अधिनियम की धारा ३१ की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(3) There shall be at least two paper setters for each subject of study prescribed for a degree and as nearly as possible one-half of the number of examiners, other than Post-graduate Examinations, in each subject, shall be persons not in the service of the University or an affiliated college, whereas, there shall not be even one for any subject in the Post-graduate Examination, in the service of the University or an affiliated college."

[श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र]

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को यहां पर बारबार कहा गया है और मेरा स्वयं भी ऐसा विचार है कि शिक्षा का स्तर हमारे प्रदेश में और देश के अन्दर गिरता जा रहा है। उसको ऊपर उठाने की आवश्यकता है। तथ्य यह है कि पास होने के कुछ २,३ तरीके हैं जिनको लड़के इस्तेमाल करते हैं। एक तो यह है कि यह पता लगाया जाता है कि परीक्षक कौन है उसके द्वारा किस किताब में और किस सबजेक्ट पर जोर दिया गया है तथा किस चेप्टर पर हिन्ट दिया गया है। दूसरा यह है कि जब परीक्षा हो जाती है तो लड़के कन्वेंसिंग करना शुरू कर देते हैं और जो परीक्षक होते हैं उन पर किसी तरह से प्रभाव डलवाया जाता है और कोई न कोई सोर्स निकाल कर कुछ नम्बर बढ़वा लिये जाते हैं। तीसरा "तिकड़म" जिसके लिए मैं कह सकता हूं कि इम्तहान के पास करने में इस्तेमाल किया जाता है। मेरे जमाने में तो यह तिकड़मबाजी नहीं चलती थी और पूरे तौर पर तिकड़म मैं जानता भी नहीं हूं क्योंकि विद्यार्थी जीवन से बहुत दिनों से अलग हूं। फल यह होता है कि हमारी शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। लेकिन अगर परीक्षकों की नियुक्ति बाहर से हो और उनका कालेज से सम्बन्ध न हो तो इस दिशा में अधिक लाभ हो सकता है। यदि बाहर के परीक्षक हों तो उनका पता चलाना भी कठिन हो जायगा और वह लोग भी किसी दूसरी प्रकार सही उन कापियों की जांच करेंगे। इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस उद्देश्य को लेकर वह इस बिल को लाए हैं कि हमारे यहां शिक्षा का स्तर ऊंचा हो और हमारे यहां से करप्शन दूर हो वह मकसद इस बिल के द्वारा तभी दूर हो सकता है जब कि इस प्रकार से इस पर ध्यान दिया जाय।

हमारी शिक्षा का स्तर इतना नीचा हो गया है कि बाहर की युनिवर्सिटियां भी इस बात को कहती हैं। अगर हमारे यहां के शिक्षार्थियों को उचित योग्यता प्राप्त न कराई गई तो उन्हें स्वीकार करने से इन्कार कर दिया जायेगा। इन सब बातों पर ध्यान देते हुये इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाना आवश्यकीय हो गया है। अस्तु सदन इसे स्वीकार कर के शिक्षा का स्तर ऊंचा करने में सहायता होगा।

श्री हरगोविन्द सिंह--श्रीमन्, निस्सन्देह आगरा युनिवर्सिटी की स्थिति की ओर ध्यान देते हुये यदि यह संशोधन मान लिया जाय तो कोई हर्ज नहीं होगा। उसकी स्थिति ऐसी है कि यह संशोधन मान लेना ठीक होगा लेकिन उसमें दो बातों की दिक्कत हैं। एक तो शायद बाहर के एग्जामिनर्स ठीक से न मिल सकें क्योंकि बड़ी भारी युनिवर्सिटी है और बहुत बड़ी संख्या की जरूरत है। दूसरे वहां के लोगों में इससे पूर्णतया विश्वास हो जायगा, जो कि मैं नहीं चाहता कि हो और उनको यह तो बिल देख कर ही मालूम हो गया होगा कि उनके प्रति कम से कम इस बिल में ऐसा सोचा जा रहा है कि उनसे जिस आदर्श की आशा की जाती है उसको उन्होंने नहीं रखा है। इसलिये उनको पूर्णतया परीक्षाओं से अलग रखना ठीक न होगा। इसलिये मैं श्री वासुदेव जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र--मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २७ के उपखण्ड (२) में धारा ३१ की उपधारा (3) के बजाय निम्नलिखित रख दिया जाय—

"While in post-graduate examinations at least one-half of the paper setters and chief examiners in each subject shall be teachers who are not in the service of the Agra University or its affiliated colleges, in other examinations at least one paper setter and Chief Examiner in each subject which has more than one paper shall be a teacher who is not in the service of the Agra University or its affiliated colleges as far as possible one-half of the Deputy Chief Examiners shall be teachers who are not in the service of the Agra University and its affiliated colleges. The co-examiners shall be appointed in the manner determined by the Statutes, provided that not more than one-half of them in each subject shall be persons other than teachers of the Agra University or its affiliated colleges."

श्री रामनारायण त्रिपाठी—कोरम नहीं है, श्रीमन्।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही फिर आरम्भ हुई।)

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अधिष्ठाता महोदय, मैं इस पर भाषण देना नहीं चाहता लेकिन एक दिक्कत पेपर सेटर्स में आवेगी कि जहां पर एक इम्तहान के लिये तीन तीन पेपर्स होते हैं, वहां पर किस प्रकार आधा होगा। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि जहां पर तीन पेपर हों वहां दिक्कत न हो। बहुत साफ यह नहीं हो पाया है कि ३ पेपर्स जहां पर हो जायेंगे तो क्या डेढ़ डेढ़ का हिस्सा बंटेगा बाहर वालों के, और अन्दर जो एम्पलाईज हैं अफिलिएटेड कालिजेज के? तो इससे माननीय मंत्री अगर कुछ सफाई कर दें तो कुछ सल्युशन हो जायगा वर्ना मेरा संशोधन इसको साफ करता है। इसलिये उसको स्वीकार कर लिया जाय।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, जो इसमें रखा गया है वही ठीक है। उसमें तो रखा गया है कि—

"At least onehalf of the number of paper-setters for each subject of study prescribed for a degree and as nearly as possible one-half of the number of examiners appointed in each subject shall be persons not in the service of the University or an affiliated college;"

तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं रह जाती।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—लेकिन उससे वह बात साफ नहीं होती जो मैंने पहले कही थी कि तीन पेपर्स में से कैसे हिस्सा होगा?

श्री हरगोविन्द सिंह—वहां लिखा तो है "as nearly as possible."

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २७ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २८—३५

२८—मूल अधिनियम की धारा ३३ की उपधारायें (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६, की धारा ३३ का संशोधन।

"(2) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and shall be submitted to the State Government for purposes of audit. The State Government shall appoint an Auditor possessing appropriate professional qualifications and engaged in the active practice of his profession and shall determine the scale of his remuneration. After audit the accounts and balance sheet together with the Audit Report shall be published by the Executive Council in the Government *Gazette* and copies thereof shall be submitted to the Senate and to the State Government."

२९—मूल अधिनियम की धारा ३३ की उपधारा (३) के रूप में निम्नांकित बढ़ा दिया जाय :—

"(3) It shall be lawful for the State Government to require any person, who is found to have spent or authorised the expenditure of funds in excess of the amount provided in the financial estimates or in violation of any provision of this Act, the Statute or the Ordinance, to reimburse the amount so spent and the Government may take all such steps as may be deemed necessary."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६, की धारा ३५ का संशोधन।

३०—मूल अधिनियम की धारा ३५ में शब्द "Body of the University" और शब्द "the matter" के बीच निम्नलिखित रख दिया जाय :

"or whether any decision of the University or any Authority thereof is in conformity with this Act, the Statutes and the Ordinances".

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६, की धारा ३६ का संशोधन।

३१—मूल अधिनियम की धारा ३६ में निम्नलिखित उपधारा (२) के रूप में बढ़ा दिया जाय और वर्तमान धारा की संख्या बदल कर उपधारा (१) कर दी जाय :

"(2) A person who is a member of an Authority of the University as a representative of another body whether of the University or outside shall retain his seat on the University Authority so long as he continues to be a member of the body by which he was appointed or elected and thereafter till his successor is duly appointed."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६, की धारा ३७ का संशोधन।

३२—मूल अधिनियम की धारा ३७ में शब्द "members" के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"or by reason of some person having taken part in the proceedings who is subsequently found not to have been entitled to do so."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६, की धारा ३९ का निकाला जाना।

३३—मूल अधिनियम की धारा ३९ निकाल दी जाय।

३४—(ए) पद "Rajputana" जहां कहीं भी मूल अधिनियम में आया हो, निकाल दिया जाय। पद 'राजपूताना' का निकाल दिया जाना और "Academic Board" के स्थान पर "Academic Council" का रखा जाना।

३४—(बी) मूल अधिनियम में जहां कहीं भी शब्द "Academic Board" आयें हों उनके स्थान पर शब्द "Academic Council" रख दिये जायं।

३५—मूल अधिनियम, आगरा यूनीवर्सिटी (अनुपूरक) अधिनियम, १९५२, अथवा इस अधिनियम में किसी भी बात के होते हुए, इस अधिनियम के सरकारी गजट में प्रथम प्रकाशन के बाद किसी भी समय चांसलर किसी भी व्यक्ति को वाइसचांसलर नियुक्त कर सकते हैं और ऐसी नियुक्ति करने के लिए धारा ९ में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करना आवश्यक न होगा। इस प्रकार नियुक्त वाइस चांसलर इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन वाइसचांसलर के सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा तथा कर्तव्यों और कार्यों का सम्पादन करेगा और एक वर्ष तक अपने पद पर रहेगा परन्तु यदि आवश्यकता प्रतीत हो तो चांसलर अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकते हैं।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खण्ड २८ से लेकर ३५ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३६

३६—मूल अधिनियम की धारा ४० के बाद धारा ४०–ए के रूप में निम्न–लिखित जोड़ दिया जाय:

"40-A. The State Government may, for the purpose of removing any difficulties, in relation to the transition from the provisions of this Act, as it existed prior to its amendment by the Agra University (Amendment) Act, 1953, (hereinafter referred to as 'the Amending Act'), to the provisions of this Act, as amended by the Amending Act, by order published in the official *Gazette*—

(*a*) direct that this Act, amended as aforesaid, shall during such period as may be specified in the order, take effect subject to such adaptations whether by way of modification, addition or omission, as it may deem fit to be necessary or expedient; or

(*b*) direct that till such time, not exceeding one year from the commencement of the Amending Act, as the University Authorities are constituted or appointed under and in accordance with this Act, amended as aforesaid, the powers, duties and functions, exercisable or dischargeable by such University Authorities shall be exercised and discharged by the corresponding authorities established on the date immediately before the commencement of the Amending Act; or

(*c*) direct that any Statute or Regulation in force at the date immediately preceding the coming into force of the Amending Act shall continue in force subject to such alteration, modification, addition or omission, as it may deem fit to be necessary or expedient, until superseded by anything done or any action taken under this Act, as amended by the aforesaid Act ; or

(*d*) make such other temporary provision for the purpose of removing any such difficulty as it may deem fit to be necessary or expedient :

Provided that no such order shall be made affer twelve months from the date of the commencement of the Amending Act."

श्री मदन मोहन उपाध्याय—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खण्ड ३६ में धारायें ४० तथा ४०-ए निम्नलिखित रूप में रख दिया जायः—

"(*a*) Section 40 of the Principal Act and proposed section 40-A be substituted by the following sections :

40. Any officer or authority of the university exercising any functions under this Act, immediately before the commencement of the Agra University (Amendment) Act, 1953, (hereinafter referred to as "the Amending Act") shall continue to exercise such functions until the corresponding new officer or authority is appointed, elected or constituted in accordance with the provisions of this Act as amended by the Amending Act or the Statutes as adopted or modified under this Act.

40-A. The State Government may, by notification in the official *Gazette*, frame such new Statutes and make such adaptations and modifications in the Statutes in force immediately before the commencement of the Amending Act as in its opinion may be necessary or expedient to bring the provisions of the Statutes into accord with the provisions of this Act as amended by the Amending Act. Provided that nothing in this section shall be deemed to empower the State Government to frame any new Statutes or make any adaptation or modification of Statutes after the expiration of six months from the commencement of the Amending Act, and provided further that Statutes so framed, adopted or modified by the State Government under this section shall be sumbmitted to the U. P. Lagislature for its approval."

इसमें हम यह चाहते हैं कि जो स्टेट्यूट्स बनाये जायं वह लेजिस्लेचर के सामने अप्रूवल के लिये आवें। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह—इसके पहले एक संशोधन और आ चुका है जिसको मैंने इसीलिये अस्वीकार किया था कि उसमें भी लेजिस्लेचर के सामने लाने की बात थी। उसी बिना पर मैं इसका विरोध करता हूं।

अधिष्ठाता—क्या आप अपना संशोधन वापस लेते हैं?

श्री मदनमोहन उपाध्याय—जी नहीं।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३६ में धारायें ४० तथा ४०–ए निम्नलिखित रूप में रख दी जायं—

"(*a*) Section 41 of the Principal Act and proposed section 40-A be substituted by the following sections :

41. Any officer or authority of the university exercising any functions under this Act, immediately before the commencement of the Agra University (Amendment) Act, 1953, (hereinafter referred to as "the Amending Act") shall continue to exercise such functions until the corresponding new officer or authority is appointed, elected or constituted in accordance with the provisions of this Act as amended by the Amending Act or the Statutes as adopted or modified under this Act.

41-A. The State Government may, by notification in the official *Gazette*, frame such new Statutes and make such adaptations and modifications in the Statutes in force immediately before the commencement of the Amending Act as in its opinion may be necessary or expedient to bringthe provisions of the Statutes into accord with the provisions of this Act as amended by the Amending Act. Provided that nothing in this section shall be deemed to empower the State Government to frame any new Statutes or make any adaptation or modification of Statutes after the expiration of six months from the commencement of the Amending Act, and provided further that Statutes so framed, adopted or modified by the State Government under this section shall be submitted to the U. P. Lagislature for its approval."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खण्ड ३६ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३

आगरा युनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६, को और अधिक संशोधित करने का विधेयक — यू० पी० एक्ट ८, १९२६।

ऐसे प्रयोजनों के निमित्त जो यहां पर आगे चलकर प्रतीत होंगे, आगरा युनिवर्सिटी एक्ट, १९२६, में संशोधन करना आवश्यक है, — यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६।

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

१—(१) यह अधिनियम आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५३, कहलायेगा। — संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(२) यह धारा और धारायें ३५ और ३६ उस दशा को छोड़कर जिसके लिये इसमें व्यवस्था की गई है, तुरन्त प्रचलित होंगी और अन्य धारायें ऐसे दिनांक से प्रचलित होंगी जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस संबंध में निश्चित करे,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सरकारी गजट में इस अधिनियम के प्रथम प्रकाशन के बाद, किसी भी समय राज्य सरकार के लिये इस अधिनियम से संशोधित आगरा युनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६, के अनुसार, युनिवर्सिटी अथारिटीज के सामान्यतः उपर्युक्त संगठन के लिये आवश्यक कोई भी कार्य करना जिसके अन्तर्गत स्टेट्यूट्स बनाना (framing of Statutes) भी है, वैध होगा, किन्तु धारा ३६ के अन्तर्गत किसी भी आज्ञा को मानते हुये, इस प्रकार संगठित कोई भी युनिवर्सिटी अथारिटी तब तक सत्तारूढ़ (come into being) न हो सकेगी अथवा कार्य आरम्भ नहीं कर सकेगी जब तक दूसरी धारायें प्रचलित न हो जायं,

और प्रतिबन्ध यह भी है कि पूर्वगामी प्रतिबन्धात्मक वाक्य द्वारा मिले अधिकारों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा बनाये गये कोई भी स्टेट्यूट्स तब तक प्रचलित रहेंगे जब तक इस अधिनियम द्वारा संशोधित आगरा युनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६, के अधीन की गयी कोई बात या किये गये किसी कार्य द्वारा वे अधिक्रांत (superseded) न हो जायं।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खण्ड १, शीर्षक और प्रस्तावना इस विधेयक का अंश माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हरगोविंद सिंह--मैं प्रस्ताव करता हूं कि आगरा युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३, पारित किया जाय।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि आगरा युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३, जैसा कि इस सदन से संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन के भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

मुख्य मंत्री (श्री गोविंद वल्लभ पन्त)--सूचना की कोई खास बात नहीं है। कल माननीय न्याय मंत्री उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) विधेयक के संबंध में अपना सुझाव पेश करेंगे कि वह बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाय। उसके बाद फिर यह जो और बिल्स आर्डर पेपर पर हैं वे लिये जायेंगे। अगर यह बिल कल खत्म न हुये तो मैं चाहूंगा कि २६ तारीख यानी सटरडे को सेशन हो जाय। हमारा खयाल यह है कि २६ तक अगर हम काम पूरा कर सकें, तो फिर हम कुछ दिनों के बाद सेशन करें। मगर मैं यह चाहता हूं कि जितना हमारा एजेंडा है वह हो जाय और मैं समझता हूं कि वह हो सकता है बगैर किसी दिक्कत के। इसलिये २६ के लिये अनुमति सदन दे दे कि उस रोज बैठ जायं। २७ से फिर बैठने की जरूरत न हो कई कारणों से। कुछ यह कहा गया कि पब्लिक सरविस कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके लिये समय दिया जाय। फिर पीछे जब सेशन होगा तो उसके लिये दो घंटे या लंच के बाद जैसा समझा जायगा समय दे दिया जायगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--जनवरी में होगा?

श्री गोविंद वल्लभ पन्त--यह फिर बाद में ठीक बतलाया जायगा कि कब होगा।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन यह है कि २४ तारीख तक हम लोग बैठ ही रहे हैं, तो २४ को देख लें कि कितना काम होता है। फिर माननीय मुख्य मंत्री जी से यह सब बातें हो जायेंगी कि कौन-कौन सी बातें विशेष आवश्यक हैं। मुख्य मंत्री से बातें करने के बाद फिर जब हमने एजेंडा को देखा, तो फिर हमने सोचा कि मुख्य मंत्री से फिर बात करें। लेकिन पता लगाने से मालूम हुआ कि मुख्य मंत्री कहीं चले गये हैं। अगर आवश्यक समझा जायगा तो २४ तारीख को ही तय कर लेंगे कि आगे क्या करना है।

अधिष्ठाता--जैसा कार्यक्रम है उसके मुताबिक तय कर लें।

श्री गोविंद वल्लभ पन्त--असल बात यह है कि २७, २८ और २९ को हमारे मित्र जो उधर बैठे हैं उनको सूट नहीं करता और मैं चाहता हूं कि उनको इन दिनों अवकाश मिले। वे इन दिनों जो कुछ काम करना चाहें उसे कर सकें। अगर हो सके तो २६ को बैठें। इसको हम पहले ही बैठ कर तय कर लेंगे।

अधिष्ठाता--इस पर २४ तारीख को विचार कर लेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बज कर ५७ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
२१ दिसम्बर, १९५३।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८ पर।)

सूची

साल	क्षेत्रफल	उत्पादन मात्रा
१९५०–५१	१८२.२	४१,८०५ मन
१९५१–५२	२४५.०	१,२५,७७३.६ मन
१९५२–५३	६४२.०	३,०८,४४९ मन २ सेर

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८ पर।)

ट्रैक्टर्स की सूची तथा उनके मूल्य और उन कम्पनियों के नाम जहां से खरीदे गये

क्रम-संख्या	फर्म/कम्पनी का नाम	संख्या	मूल्य (रुपयों में)	विवरण	रिमार्क
१	२	३	४	५	६
१	मेसर्स पाशा भाई पटेल एन्ड कम्पनी, बम्बई	१	९६,३०५	ए० सी० एच० डी० १९	
		१३	४,१६,९५३	ए० सी० एच० डी० १०	
		१२१	२२, ७३, ५९०	ए० सी० एच० डी० ७	
		१	४३,३५८	ए० सी० पावर ग्रेडर	
२	सर्वश्री मुन्ना लाल ऐन्ड सन्स, कानपुर	६	२,४६,९७१	आनसेली ट्रैक्टर	
		२१	४,०२,७८०	उस्ट्रैक ट्रैक्टर	
		५	७३,६५०	सिम्पसन ट्रैक्टर	
		६	५,३४,०००	केटर पिलर डी० ८	
३	सर्वश्री बाल्कार्ट ब्रदर्स, कलकत्ता	१	४३,९६६	इन्टर नेशनल टी० डी० १८	
		२४	७,९२,७६५	,, ,, ,, १४	
		२०	२,९३,१५५	,, डब्लू० ,, ९	
		१०	१,१६,३५१	,, टी० ,, ९	
४	सर्वश्री बी० के० खन्ना एन्ड कम्पनी, नई दिल्ली।	२५	३,७९,३११	एम० एम० ट्रैक्टर्स	
५	सर्वश्री मार्शल सन्स एन्ड कम्पनी, कलकत्ता	२	२२,३००	फील्ड मार्शल व्हील टाइप	
		२	३२,४६७	,, क्रालर टाइप	
६	सर्वश्री विलियम जेक्स एन्ड कम्पनी, कलकत्ता	७	८५,९२९	ओलिवर बी०डी० ट्रैक्टर	
		१	३२,४६७	ओलिवर बी० डी० एच० ट्रैक्टर	
		९	३,०१,८६६	ओलिवर डी० डी० ट्रैक्टर	
		६	१,८०,६३६	ओलिवर डी० डी० एच० ट्रैक्टर	
		४	२,१८,३२०	ओलिवर एफ० डी० ई० ट्रैक्टर	पुराना स्टाक
७	सर्वश्री कान्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट कम्पनी, कानपुर	४२	५,३३,६००	मैसी हैरिस ५५ के०	
		२०	१,८९,७०३	मैसी हैरिस ४४ के०	
		४	२९,७७४	मैसी हैरिस ३० के०	
८	सर्वश्री जान फाउलर एन्ड कम्पनी, कलकत्ता	१४	३,५९,८०४	एफ० डी० ३ ट्रैक्टर्स	
९	सी० टी० ओ०, नई दिल्ली	१	१८,६२६	एफ० डी० २ ट्रैक्टर्स	
०	एम० टी० वी०, एयर क्राफ्ट सालवेज डिपो	४	८,५४०	केस ट्रैक्टर्स	

क्रम-संख्या	फर्म/कम्पनी का नाम	संख्या	मूल्य (रुपयों में)	विवरण	रिमार्क
१	२	३	४	५	६
११	कानपुर इंजीनियरिंग स्टोर्स	४	५३,१८१	केस० एल० ए०	पुराना स्टाक राजासाहब भदरी को बेचा गया।
१२	अमेरिकन डिस्पोजल्स	४	४५,३२०	केटर पिलर डी० ७	
		१	१३,०००	केटर पिलर डी० ५०	
		१	१२,०००	केटर पिलर डी० ४०	पुराना स्टाक
१३	यू० पी० कामरशियल कारपोरेशन	९३	७,९०,६८४	फोर्डसन ट्रैक्टर्स	
		३	५३,१५०	,, हाफ ट्रैक	पुराना स्टाक
१४	सी० टी० ओ० नई दिल्ली	१५	१,०६,४१६	फर्गुसन	
१५	लैन्ड लीज़	१	४,७००	आलिवर ८८ केडी	पुराना स्टाक
		२	१८,९२३	,, ८० केडी	,,
१६	सर्वश्री ट्रैक्टर्स (इंडिया) लिमिटेड	८	१,५०,२८७	केटर पिलर डी० ६	
		८	२,६६,८४०	,, डी० ४	
१७	लैन्ड लीज़	१	१०,०००	आर० डी० ४ ट्रैक्टर	
१८	सर्वश्री यूनाइटेड मशीन कम्पनी	२	६,५९२	बी० एम ०ब० गार्डेन ट्रैक्टर	
१९	सर्वश्री मार्शल सन्स एन्ड कम्पनी	१	२,८१०	रोटरी हू किचेन ट्रैक्टर	
२०	सर्वश्री फार्म इक्विपमेंट कम्पनी	१	२,७२०	विलियर्स गार्डेन ट्रैक्टर	
२१	सी० टी० ओ०, नई दिल्ली	१४	६६,८२४	फोर्डसन मेजर	
		१९	९९,७४०	जान लियर्स	स्पेयर्स का मूल्य भी शामिल है।
२२	सर्वश्री बर्टफोड जेम्स एन्ड कम्पनी, बरेली	२	३२,२००	एन० एच० माडेल ७४४ डी०	
२३	फार्म मिकेनिजेशन कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ	२	१८,२२०	फरगुसन ट्रैक्टर्स	
२४	डिस्पोजल्स	२	११,६००	केटर पिलर डी० ४	
२५		१		आर० डी० ४	ये चार ट्रैक्टर्स शासकीय यांत्रिक फार्मों पर पहले ही से वर्त्तमान हैं। इनके मूल्य इत्यादि के विषय में ठीक ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है।
		२		टी० डी० ९	
		१		आई० एच० सी० फारमल	
		५५८	९५,०१,३९४		

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ १८ पर)

तराई व भाबर गवर्नमेंट स्टेट्स, नैनीताल में नये बसने वालों को तराई व भाबर गवर्नमेंट स्टेट्स खार्न टर्मस रिमाइण्ड, १९४८ के अनुसार निम्नलिखित सुविधायें दी जाती हैं :—

तराई और भाबर के तमाम गाँवों में सिवाय ५५ बोक्सा गाँवों को छोड़ कर जो नये काश्तकर बसाये जाते हैं वह मौरूसी काश्तकार हो जाते हैं।

तराई १—लगान—वह जमीन जो ५ साल पहले से जोती न गयी हो निम्नलिखित लगान पर दी जायगी :—

पहले २ साल में—कोई लगान नहीं लिया जायगा।

३रे, ४थे और ५वें साल— जोतें हुए क्षेत्र में २ आने बीघा या पूरी जोत पर १ आना बीघा।

६वें और ७वें साल में—जोते हुए क्षेत्र पर ४ आने बीघा या पूरी जोत पर २ आना बीघा।

८वें और उसके बाद के सालों में—लगान चालू बन्दोबस्त की दरों के हिसाब से कम से कम ६० प्रतिशत पूरी जोत से लिया जावेगा।

२—उपरोक्त शर्तों के अधीन जो काश्तकार जमीन लेगा और वह अपनी जोत के किसी हिस्से या पूरी जोत को चारों तरफ से दीवार या तार से घेर लेगा तो उसके लिये इतने क्षेत्र का लगान तीसरे और चौथे साल के लिये भी माफ कर दिया जायेगा। अगर बहुत से काश्तकार मिल कर अपनी जोतों के चारों ओर इस सूरत में दीवार या तार लगवा लेंगे तो उनको भी उनके हिस्से के अनुसार यह रियायत दी जायेगी।

३—जो काश्तकार नमूने के अनुसार अपनी जमींन पर जमींन दिये जाने ८ साल के अन्दर पक्का मकान बनवायेगा तो उसको भी लगान में सुविधा दी जायेगी।

४—कर्जे—इन काश्तकारों को लैन्ड इम्प्रूवमेन्ट्स लोन्स ऐक्ट के अधीन कर्जे भी दिये जायेंगे।

५—लकड़ी और चराई की रियायतें—लकड़ी और चराई की रियायतें भी नियमों के अनुसार इन काश्तकारों को दी जायेंगी।

६—सुपरिटेंडेंट तराई व भाबर काश्तकारों की जरूरत की लिहाज से—

(अ) छप्पर डालने का सामान।

(ब) मकानों, दीवारों और सिंचाई की नालियों के लिये चूना, तार व खम्भे भी दे सकते हैं।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१ पर।)

श्री रमेश चन्द्र शर्मा जी के प्रश्न संख्या ४८ में वर्णित सूची--

क्रम-संख्या	गाँवों के नाम
१	मलहीपुर
२	वाजिदपुर
३	सनाबन
४	फरमानपुर
५	तिलोकपति
६	सिहौली
७	क्योरीपुर
८	कंधारपती
९	बमहानपुर
१०	बैतीकलाँ
११	तमारीपुर
१२	बैती खुर्द
१३	नेवाजगढ़
१४	पाठनीपुर
१५	सराय गोपाल
१६	सुल्तानपुर
१७	शिखपुरा
१८	गौरा
१९	लौआ
२०	छितौना कलाँ
२१	सलाहपुर
२२	शिवपुर
२३	छितौना खुर्द
२४	बनेहरा
२५	लौरपुर
२६	दसौपुर

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२ पर।)

चोरी गई हुई मिसलों की सूचीः—

नम्बर सिलसिलेवार	दफा		नाम फरीकैन		
१	१८०	..	अमर बहादुर	बनाम	महाबल
२	१४४	..	बच्चा	,,	बचई
३	४९	..	दूधनाथ	,,	महेश
४	५९	..	मुन्ना	,,	राम दवर
५	५९	..	मथुरा	,,	कस्तूरी
६	४७६	..	मथुरा	,,	कस्तूरी
७	१८०	..	मु० सुराज देवी	,,	सुन्दर
८	२८८	..	रामदेव	,,	रामस्वरूप
९	४९	..	रामजस	,,	अम्बिका
१०	४९	..	रामराजी	,,	रामनिहोर
११	२८८	..	गौरी शंकर	,,	भैयालाल
१२	२८८	..	लल्लू खां	,,	सुन्दर
१३	२८८	..	मुहम्मद मोईन	,,	हबीब
१४	१२	..	छतरपाल	,,	एम० टिलकी
१५	५९	..	अधिलाख	,,	विशुन
१६	५९	..	नसीर	,,	अकबाल
१७	५९	..	नसीर	,,	अकबाल
१८	५९	..	लल्लू	,,	रामप्रसाद
१९	५९	..	जगरूप	,,	मु० परताबी
२०	१२	..	विश्वनाथ	,,	शिवमूरत
२१	२८८	..	बंशीधर	,,	बच्चा
२२	५९	..	चेखुरी	,,	छंगन
२३	इक्जीक्यूशन	..	दलपत	,,	रामबहादुर
२४	१४४	..	रेखई	,,	राम खेलावन
२५	रिस्टोरेशन	..	ओंकारनाथ	,,	रामसुन्दर
२६	,,	..	संतू	,,	झगरू
२७	४९	..	रम्भन	..	गया
२८	रेस्टोरेशन	..	ओंकारनाथ	,,	रामसुन्दर
२९	४९	..	सुखराज	,,	हंसराज
३०	४९	..	रामनरेश	,,	गंगा
३१	२८८	..	सोमारू	,,	रामफेर
३२	२३२	..	झुगुना	,,	हुबराज
३३	रिस्टोरेशन	..	विदेशी	..	काशी
३४	१८०	..	झुरनपत	,,	रामनिहोर
३५	१८०	..	फजल करायैन	,,	बिहारी
३६	१८०	..	,,	,,	फेरू
३७	इक्जीक्युशन	..	रघुबीर	,,	जगरूप

नम्बर सिलसिलेवार	दफा		नाम फरीकैन		
३८	५६	..	मोहिबअली	,,	हुब्बन
३६	५६	..	जोखन	,,	राजदेव
४०	४६	..	श्रीराम	,,	राजाराम
४१	४६	..	रजेसरा	,,	देवसरन
४२	रेस्टोरेशन	..	राम सिंह	,,	त्रिवेनी
४३	रेस्टोरेशन इक्जीक्यूशन	..	शंकर	,,	गहंगू
४४	,, ,,	..	जै नाथ	,,	बासुदेव
४५	,, ,,	..	रामदास	,,	रामचरन
४६	१४४	..	रेखई	,,	रामखेलावन इक्जीक्युशन फाइल के साथ
४७	,,	..	,,	,,	,,
४८	,,	..	,,	,,	,,
४६	,,	..	,,	,,	,,
५०	,,	..	,,	,,	,,
५१	४६	..	रामजस	,,	अम्बिका
५२	इक्जीक्यूशन	..	प्रेमबिहारी	,,	गुरूदीन
५३	१८०	..	झूरी	,,	सुन्दर
५४	५६	..	भगवती प्रसाद	,,	गयादीन
५५	५६	..	रघुनाथ	,,	शिवमूरत
५६	५६	..	घिराऊ	,,	अद्याशंकर
५७	रेस्टोरेशन फाइल के साथ	..	शिव नारायन	,,	बच्चा
५८	,,	..	रामदुलार	,,	रामसुन्दर
५६	,,	..	,,	,,	,,
६०	,,	..	रामनाथ	,,	लोकपत
६१	,,	..	,,	,,	,,
६२	,,	..	शिवमुरत	,,	झरहग
६३	,,	..	,,	,,	,,
६४	,,	..	,,	,,	,,
६५	,,	..	,,	,,	,,
६६	,,	..	,,	,,	,,
६७	,,	..	,,	,,	,,
६८	,,	..	,,	,,	,,
६६	रेस्टोरेशन	..	ठाकुरदीन	,,	,,
७०	,,	..	वासदेव	,,	महानन्द
७१	,,	..	,,	,,	,,
७२	,,	..	,,	,,	,,
७३	,,	..	,,	,,	रामसमुझ
७४	,,	..	जगन्नाथ	,,	राजकरन
७५	,,	..	सुभान	,,	अंगू

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६३–६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६ पर)

राजकीय यांत्रिक कृषि क्षेत्र, हेमपुर पर चारों की उत्पत्ति का विवरण

क्रम संख्या	फसल का नाम	१९४८–४९				१९४९–५०				१९५०–५१				१९५१–५२				१९५२–५३			
		उत्पत्ति की मात्रा	मात्रा जानवरों को खिलाई गई	बिक्री की मात्रा	आय	उत्पत्ति की मात्रा	मात्रा जानवरों को जो खिलाई गई	बिक्री की मात्रा	आय	उत्पत्ति की मात्रा	मात्रा जानवरों को जो खिलाई गई	बिक्री की मात्रा	आय	उत्पत्ति की मात्रा	मात्रा जानवरों को जो खिलाई गई	बिक्री की मात्रा	आय	उत्पत्ति की मात्रा	मात्रा जानवरों को जो खिलाई गई	बिक्री की मात्रा	आय
		मन				मन				मन				मन				मन			
१	हरी चरी	१,८६४	१,८६४	..	..	१,९००	१,९००			३,१४०	३,१४०			४,८९१	४,८९१			१,२९८	१,२९८		
२	हरी मक्का चारा	..	..	..	..	१,८००	१,८००			१,१४५	१,१४५			२५१८	२,५१८			१,१८३	१,१८३		
३	हरी बरसीम	१,०२७	१,०२७	..	..	५,७७४	५,७७४			७,५८७	७.५८७			३,६७०	३,६७०			३,७९०	३,७९०		
४	हरी जई	..	..	..	..	६७२	६७२			..	..			७,३५४	७,३५४			४,२०३	४,२०३		
५	हरी गुआर	..	..	..	..	..	..			..	..			५,७४५	५,७४५			१,७२७	१,७२७		
६	हरा सोयाबीन	..	..	..	..	..	..			..	..			..	..			६००	६००		
७	हरी लाही	..	..	..	..	..	..			..	..			२,७३१	२,७३१			..	..		
८	करबी	११५	११५	..	..	..	..			१,७७५	१,७७५			२,०२८	३८०	१६,४८	१,६४८	६,१२०	६,१२०		
९	पुआल ..	५६	५६	..	..	१,९१७	१,९१७			८,५८४	८,५८४			६,५६४	३,८८४	२,६८०	१,००५	४००	४००		
१०	भूसा गेहूं	७६०	५७९	१८१	५४३	१,७२८	१,७२८			६,४६०	६,४६०			१,४३६	१,४१७	१९	४९।।।=)	९५०	९५०		
११	भूसा जौ	..	..	..	..	४००	४००			१,४३५	१,४३५			१,२२५	१,२२५			१००	१००		
१२	भूसा चना	..	..	..	..	४००	४००			२,०५२	२,०५२			१,८७३	१,८११	६२	७७।।)	३००	३००		
१३	भूसा जई	..	..	..	..	..	..			४००	४००			१,९५०	१,९५०			..	..		
१४	भूसा मंटर	..	..	..	..	..	..			..	..			४७०	४७०			..	..		

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३० पर।)

श्री खुशीराम जी के तारांकित प्रश्न संख्या ८१ में वर्णित सूची --

क्रम संख्या	मालिकों के नाम	क्षेत्रफल एकड़ों में
	तहसील हलद्वानी	
१	मेजर आई० एस० बक्शी, इकबाल सिंह और अन्य	१००
२	श्रीमती विशनी देवी, वेवा पत्नी श्री दीवान सिंह पालनी	१००
३	श्री भगवान दास गोयल	११०
४	श्री महेन्द्र सिंह और श्रीमती अमृत कौर पत्नी श्री महेन्द्र सिंह	१३६
५	श्री छननसिंह और ५ अन्य	१२१
६	श्री सतीश कुमार और २ अन्य	१६६
७	श्री निजामुद्दीन और २ अन्य	१४२
८	श्री हरीदत्त	१००
९	श्री गोपीनाथ सिंघल	१००
	तहसील कालाढूंगी	
१०	कर्नल पद्म सिंह	१७२
११	,, चन्दन सिंह	१४५
१२	श्री निर्मल किशन	१००
१३	श्री हरीराम बेणीराम	१०८
१४	श्री जगजीत सिंह	१३३
१५	श्री बालमुकुन्द चोपड़ा	१००
१६	श्री आर० एल० उप्पाल	१००
१७	सर्वश्री विद्याभूषण और अन्य	४९७
१८	दी कुमार रेजीमेंटल फार्म	१५६
१९	सर्वश्री जगन्नाथ वजीरचन्द और अन्य	२१९
२०	सर्वश्री ब्रह्मकिशोर और अन्य	२४२
	तहसील रामनगर	
२१	डा० दलेलसिंह और अन्य	१७६
	तहसील बाजपुर	
२२	श्री विद्यासागर अग्रवाल	१००
२३	श्री ओम् प्रकाश	१००
२४	केप्टन इन्द्र सिंह	२००
२५	श्री चन्दा सिंह	१००
२६	श्री बैसाका सिंह	१३९
२७	ब्रिगेडियर गुरदीपसिंह	५००
२८	केप्टन बहादुर सिंह	१००
२९	श्री ग्यान सिंह	१००
३०	केप्टन देवदार सिंह	१००

क्रम संख्या	मालिकों के नाम			क्षेत्रफल एकड़ों में
३१	श्री ज्ञान सिंह	..	..	१००
३२	श्री अजयाब सिंह	..	..	१००
३३	श्री भगत सिंह	..	..	१००
३४	केप्टन प्रीतम सिंह	..	..	१००
३५	,, सूरज सिंह	..	..	१००
३६	,, उधम सिंह	..	..	१००
३७	,, बालासिंह	..	..	१००
३८	श्री घासीराम	..	..	१००
३९	श्री इकबाल सिंह	..	..	१००
४०	श्री हरदीप सिंह	..	..	१००
४१	मेजर ए० के० अकमल	..	..	१००
४२	लेफ्टिनेंट आत्मासिंह	..	..	१००
४३	मेजर रामसिंह	..	..	१००
४४	केप्टन राजेन्द्रनाथ	..	..	१००
४५	श्रीमती रघुवीर कौर	..	..	१००
४६	सरदार शिवदेव सिंह	..	..	१००
४७	लेफ्टिनेंट कृपाल सिंह	..	..	१००
४८	,, जगीत सिंह	..	..	१००
४९	मेजर गुरदयाल सिंह	..	..	१००
५०	केप्टन हरवंशसिंह	..	..	१००
५१	श्री पानसिंह बुक्सा	..	..	१००
५२	सर्वश्री मोहनलाल श्यामसुन्दर लाल		..	४,८०५
५३	सर्वश्री नारायन शर्मा और अमरनाथ जेटली		..	१,०३४
५४	श्री हरी सिंह	..	..	१००
	तहसील किच्छा			
५५	श्री किला चन्द	..	..	३९५
५६	सर्वश्री ब्रह्मस्वरूप बृजेन्द्र स्वरूप और अन्य		..	१,०५३
५७	श्री शमशुल हसन खां	..	..	३१८
५८	मेजर शिवदत्त सिंह	..	..	१००
५९	श्री हरी सिंह	..	..	१००
६०	श्री चतुरपाल सिंह	..	..	१००
६१	श्री जानकी कुंवर	..	..	१००
६२	श्री शैल कुंवर	..	..	१००
६३	सर्वश्री दर्शन सिंह और अन्य	..	..	२०५
६४	मेजर रिखी	..	..	१००
६५	ब्रिगेडियर कुलवन्तसिंह	..	..	१००
६६	श्री चन्दनलाल डुंगर	..	..	१००
६७	श्री कन्हैयालाल डुंगर	..	..	१००
६८	श्रीमती छैलावती	..	..	१००
६९	श्री बालचन्द	..	..	१००
७०	श्रीमती श्रीदेव	..	..	१००

क्रम संख्या	मालिकों के नाम		क्षेत्रफल एकड़ों में
७१	श्रीमती कलावती वर्मा ..	..	१००
७२	श्री हैदर खां ..	..	१००
७३	श्री इकबाल अहमद ..	..	३४६
७४	श्री एच० के० सिंह ..	..	१००
७५	श्री रतन कुंवर ..	..	१००
७६	श्री देवपति चक्रवर्ती ..	..	१००
७७	श्री विकावत जी ..	..	१००
७८	सर्वश्री एस० प्रताप नरायन शिवनरायन	..	५,१६३
७९	श्री सरवतयारखां, दराबी किच्छा ..	..	२५०

<u>तहसील सितारगंज</u>

८०	श्री जोगेन्द्र सिंह ..	..	१८४
८१	सर्वश्री बचन सिंह और अन्य ..	..	४६६
८२	श्री इकबाल सिंह ..	..	२१५
८३	श्री दाहर सिंह ..	..	५००
८४	श्री बीर सिंह और अन्य ..	..	५००
८५	श्री बासदेवसिंह ..	..	२००
८६	सर्वश्री रामसुमेर और अन्य ..	..	७३४
८७	श्री दामोदर प्रसाद ..	..	४६०
८८	श्री फतेह सिंह ..	..	२३३
८९	सर्वश्री जय सिंह और अन्य ..	..	३६२
९०	,, अनसूया प्रसाद सिंह और अन्य	..	२,६१८
९१	सर्वश्री सज्जन सिंह और अन्य ..	..	२,९९८
९२	,, बलवन्तसिंह और अन्य ..	..	१,०५७
९३	अनसूया सिंह और अन्य ..	..	१,८४०
९४	,, ,, ,, ..	..	६००
९५	,, इकबाल और अन्य ..	..	८५०
९६	श्री अजुध्या सिंह ..	..	५००
९७	श्री कुलदीप सिंह ..	..	२७५
९८	श्री रघुवीर सिंह ..	..	१,१०७

<u>तहसील खटीमा</u>

९९	श्री ए० पी० प्यानटर ..	..	३६६
१००	श्री एम० डी० स्टांग ..	..	१००
१०१	श्री लछमन सिंह ..	..	१००
१०२	श्री विन्द्रावन बिहारी ..	..	१००
१०३	श्री रूप नारायण ..	..	१००
१०४	श्री प्रेम नरायन ..	..	१००
१०५	श्रीमती चमेली देवी ..	..	१००
१०६	श्री हरिदर्शन सिंह ..	..	१००
१०७	डा० रामेश्वर सिंह, लखनऊ ..	..	१,१८९

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१ पर)

उन लोगों को सूची जिन्हें किच्छा, नैनीताल, तराई और काशीपुर क्षेत्रों में ५०० एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के खेत पट्टे पर दिये गये हैं :—

क्रम संख्या	नाम		क्षेत्रफल (एकड़ में)	पट्टे देने की तारीख
१	श्री कामेन्द्र नारायण और श्री शिवनारायण	..	३,७८१	१–१०–१९३२
२	सर्वश्री बी० एस० भटनागर और बी० एस० वर्मा	..	१,०५३	१–४–१९३६
३	डा० रामेश्वर सिंह	..	१,१८९	१–७–१९५०
४	ब्रिगेडियर गुरदीपसिंह	..	५००	१८–५–१९४७ १७–११–१९४७
५	लाला मोहनलाल और श्यामसुन्दरलाल		४,८०५	१–४–१९१९
६	(१) श्री एस० एन० शर्मा, सरकार्स, तहसील बाजपुर (२) श्री ए० एन० जेतली	..	१,०३४	१–४–१९३२

काशीपुर

७	रानी पद्मावती धर्मपत्नी श्री हरिश्चन्द्र, राजसिंह	..	५९७	२२–७–१९५०
८	रामगढ़ लानू	..	२,०९१	२२–७–१९५०
९	सोदी महिन्द्र सिंह	..	५५७	२२–७–१९५०
१०	श्री बनारसी दास	..	५००	२२–७–१९५०

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १०५ एल० ए०–१९५४—८५०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २२ दिसम्बर, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७०)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसराउल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री

गोविन्द वल्लभ पंत, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र भानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवल किशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री

बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंज़ूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री

रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
राम सहाय, श्री
रामजी दास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
राम नारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिवबक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी,शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री

श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीता राम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरख्याल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

(१५ दिसम्बर, १९५३ के स्थगित तारांकित प्रश्न)

*　*　*　*　*

अलीगढ़ जिले में उद्योग तथा कृषि पर बिजली का खर्चा

*११--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले में उद्योग तथा कृषि पर कितनी पावर प्रति वर्ष व्यय होती है और सन् १९५१-५२ ई० से कितनी अधिक पावर और बढ़ाई गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)--अलीगढ़ जिले में उद्योग तथा कृषि पर बिजली का खर्चा हर साल का मुख्तलिफ है। सन् १९५२-५३ में उद्योग पर ५३०४६४६ यूनिट और कृषि पर ६२८९६५ यूनिट बिजली खर्च हुई। सन् १९५१-५२ से इस जिले में लगभग १५६ किलोवाट बिजली और बढ़ाई गई।

*१२--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुटीर उद्योग और कृषियों के लिये जनसाधारण को विद्युत शक्ति मिलना कब से देना आरम्भ हो सकेगा?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--जन साधारण के लिये पथरी और हरदुआगंज स्कीमों के पूरा हो जाने पर सन् १९५४ के खत्म होने तक बिजली देने की आशा है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या माननीय मंत्री यह बतावेंगे कि अलीगढ़ कुटीर उद्योगों का कार्य सिर्फ बिजली काफी न मिलने की वजह से रुका पड़ा है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--हां, यह जवाब में कहा जा चुका है कि बिजली वहां काफी नहीं है और अब जल्द हो जाने वाली है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या यह सच है कि अलीगढ के पावर हाउस में बिजली काफी है और एक्स्ट्रा बची रहती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह बात गलत है।

राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)--अलीगढ़ पावर हाउस में २ स्टैंडबाई प्लाट्स में से १ क्यों नहीं चलाया जा रहा है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--वहाँ ट्रांसफार्मर नहीं था जो अब आया है और जनवरी फरवरी तक वह लग जायगा। तब वह बिजली दे सकेगा। इसलिये वहाँ पर स्टैंडबाई पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है।

* * *

सचिवालय के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनवाने की योजना

*१५--श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)--क्या सरकार सेक्रेटेरियट के सब कर्मचारियों के रहने के लिये क्वार्टर बनवाने के लिये विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक, अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--सचिवालय के कर्मचारियों के रहने के लिये क्वार्टर बनवाने की एक योजना पर सरकार विचार कर रही है। इस योजना के बनने पर क्वार्टर बनवाये जायेंगे।

श्री राम सुभग वर्मा--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्वार्टर बनवाने वाली योजना की अवधि क्या है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--अभी बनने शुरू नहीं हुये हैं। एक स्कीम है जिसके मंजूर होने पर शुरू होंगे। २५० क्वार्टर गालिबन २ साल में जाकर बनेंगे।

श्री राम सुभग वर्मा--इस योजना में कितना रुपया व्यय किये जाने की संभावना है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--इस समय यह तो मुझे याद नहीं है लेकिन तजवीज यह है कि २५० क्वार्टर बनवाये जावें।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अब तक कितने कर्मचारियों को क्वार्टर्स मिले हुये हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--हाल में तो कोई बने नहीं हैं।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह स्कीम कब से विचाराधीन है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह स्कीम अभी विचाराधीन तो थोड़े दिनों से है लेकिन यह खयाल सन् १९४६ ई० से पैदा हुआ था और इसके लिये लखनऊ में साइट तलाश करके कि किस जगह यह बनाये जायं, विचार हुआ था। मुख्तलिफ जगह तलाश की गई, किसी में सेक्रेटेरियट को ऐतराज हुआ और किसी में म्युनिसिपैलिटी को ऐतराज हुआ। इसलिये कोई साइट तय नहीं हो पाई।

श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि साइट तय हो चुकी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--इस वक्त तो महानगर स्कीम में साइट तय है।

* * *

शुगर मिलों से बिजली लेकर सिंचाई की योजना

*२०--श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)--क्या विद्युत मन्त्री कृपा करके बतायेंगे कि देवरिया जिला के शुगर मिल मालिकों से बिजली लेकर ट्यूबवैल (Tube well) चलाने के संबंध में जो वार्ता चल रही थी उसमें कहाँ तक सफलता मिली?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--देवरिया शुगर मिल मालिकों ने अभी तक बिजली विभाग द्वारा अप्रैल में पूछे गये प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। चूंकि एक सरकारी पावर हाउस ट्यूब वेलों को बिजली देने की गरज से देवरिया में बनाया जा रहा है। इसलिये इस मामले में और ज्यादा कार्यवाही करने का ख्याल छोड़ दिया गया है।

*२१--श्री बद्री नारायण मिश्र--क्या विद्युत् मंत्री कोई ऐसी योजना बना रहे हैं जिससे गोरखपुर जिले की चीनी मिलों से बिजली लेकर वहाँ की सिंचाई की समस्या हल हो जाय?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मिलों की बिजली खरीदने के मसले पर गौर करने क बाद सरकार ने इस तजवीज को आर्थिक विचार से लाभदायक ख्याल नहीं किया है।

श्री बद्री नारायण मिश्र--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो बिजली का पावर हाउस बन रहा है वह कहाँ बन रहा है और कब से शुरू हो रहा है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जवाब में बतलाया गया है कि देवरिया में बन रहा है, १९५५-५६ तक बनेगा।

श्री बद्री नारायण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरदार-नगर मिल सस्ती दर पर सिंचाई के लिये बिजली देने के लिये तैयार है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--नाम तो इस वक्त मुझे ठीक तरह से याद नहीं है लेकिन उस तरफ की एक मिल ने लिखा था और उनसे जो बातचीत की गई ट्यूबवेल्स के लिये बिजली देने के लिये, तो उन्होंने ५/६ आने के हिसाब से बताया था, इसलिये इंकार कर दिया गया, क्योंकि हम तो एक आने के हिसाब से देते हैं। इसलिये एक आने या डेढ़ आने से ज्यादा देना बेकार है।

* * *

कोसी इलेक्ट्रिक सप्लाई के कार्यारम्भ में विलम्ब

*२६--श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)--क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोसी इलेक्ट्रिक सप्लाई के ठेके को दिये तीन साल हो गये हैं परन्तु अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं, काम तो बहुत दिनों से शुरू हो गया था और १६ फरवरी, १९५३ से बिजली भी दी जा रही है।

*२७--श्री रामहेत सिंह--यदि हाँ, तो क्यों?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामहेत सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय कोसी एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को ठेका दिया गया था उस समय कुछ छाता तहसील एरिया को लिया गया था लेकिन उसमें अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं इस बात को पहली दफा सुन रहा हूं माननीय सदस्य से, इसलिये अगर वह मुझे ठीक तरह से बतलायेंगे तो मैं इसके मुताल्लिक मालूमात कर लूंगा।

*   *   *

प्रतापगढ़ में बिजलीघर

*२८—श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिलाधीश प्रतापगढ़ ने डेढ़ वर्ष पहले प्रतापगढ़ के मुख्य मंत्री द्वारा बिजली घर की नींव डलवाई थी?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हाँ, अक्टूबर सन् १९५१ में जब मुख्य मंत्री प्रतापगढ़ में वाटरवर्क्स की नींव डालने गये थे, उस समय बिजलीघर की भी नींव डाली गयी थी, क्योंकि प्रतापगढ़ के श्री रामपाल सिंह शहर में बिजली लगाना चाहते थे। परन्तु देहान्त हो जाने से वह बिजली का लाइसेंस न ले सके।

*२९—श्री राम नरेश शुक्ल (अनुपस्थित)—यदि हाँ, तो क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह बिजलीघर बन कर तैयार हो गया या नहीं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह प्रश्न नहीं उठता।

*   *   *

लखनऊ में ए० सी० तथा डी० सी० बिजली का वितरण

*४१—श्री पुलिन विहारी बनर्जी (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कब और किन परिस्थितियों के अन्तर्गत लखनऊ में बिजली की नियंत्रित सप्लाई की व्यवस्था की गई और उस समय ए० सी० और डी० सी० मेंस पर दोनों प्रकार की बिजली का खर्च क्या था?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—पिछली लड़ाई के जमाने में बाहर से मशीन वगैरह मंगाने की दिक्कत की वजह से और साथ ही साथ बिजली के लड़ाई के जरूरी कामों में इस्तेमाल की गरज से लखनऊ और दूसरे शहरों में अप्रैल सन् १९४२ से बिजली की सप्लाई पर कंट्रोल लगाया गया। उस समय लखनऊ में बिजली का खर्च ए० सी० (A. C.) मेंस पर ११२०१७ यूनिट और डी० सी० (D. C.) मेंस पर १००८१५४ यूनिट था।

*४२—श्री पुलिन विहारी बनर्जी (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि किस तारीख से नियंत्रण में ढील दी गई और ढील देने की तिथि को ए० सी० और डी० सी० मेंस पर दोनों प्रकार की बिजली का खर्च क्या था और वर्तमान स्थिति क्या है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—१५ अक्तूबर सन् १९५२ से सिवाय दो सब-स्टेशनों के पूरे शहर से कंट्रोल हटा लिया गया था। उस समय ए० सी० (A. C.) बिजली का खर्च ९१४७०० यूनिट और डी० सी० (D. C) बिजली का १७७५५९५ यूनिट था और मौजूदा खर्च यह है—

ए० सी० (A. C.) १५,०१,०८४ यूनिट।
डी० सी० (D. C.) १९,८९,८०९ यूनिट।

*४३—श्री पुलिन विहारी बनर्जी (अनुपस्थित)—ऐबैट रोड और विक्टोरिया स्ट्रीट स्थित बिजली के सब स्टेशनों पर ए० सी० और डी० सी० दोनों प्रकार की बिजली के खर्च की स्थिति क्या है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—इन सब स्टेशनों पर बिजली का खर्च अलग से नहीं दिया जा सकता। चूंकि सप्लाई कम्पनी के सब-स्टेशनों पर किलोवाट आवर(Kilowatt Hour) मीटर नहीं लगे हुये हैं।

*　　　*　　　*

(२२ दिसम्बर, १९५३ के प्रश्न)

तारांकित प्रश्न

पूर्वी जमुना नहर के लोअर डिवीजन में कुओं व रजबहों से सिंचाई

*१—श्री श्रीचन्द—क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि पूर्वी जमुना नहर के लोअर डिवीजन में तीन-चौथाई से अधिक सिंचाई कुओं से की जाती है ?

सिंचाई उप-मन्त्री (श्री राम मूर्ति)—लोअर डिवीजन पूर्वी जमुना नहर में पक्के कुओं से की गयी सिंचाई सिंचन विभाग द्वारा दर्ज नहीं की जाती है। कुछ खेत नहर से पानी लेने के अतिरिक्त कुओं में से भी पानी नहर बरहा द्वारा लेते हैं। इस पर वसूलयाबी सिंचाई के दर पर की जाती है। लोअर डिवीजन पूर्वी जमुना नहर के ३ लाख एकड़ वार्षिक नहरी सींच में ऐसे खेत अनुमानतः लगभग ५ प्रतिशत हैं।

*२—श्री श्रीचन्द—क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पूर्वी जमुना नहर के लोअर डिवीजन में कुल सिंचाई योग्य कितने कुयें हैं ?

श्री राम मूर्ति—लोअर डिवीजन के अन्तर्गत पूर्वी जमुना नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र में निजी कुओं की संख्या तथा उन से अनुमानित सिंचाई क्षेत्र के आंकड़े निम्नलिखित हैं—

जिला	कुओं की संख्या	अनुमानित क्षेत्र (एकड़ों में)
१—मुजफ्फरनगर	७,५००	४२,०००
२—मेरठ	८,०००	४८,०००
३—दिल्ली	१००	१,०००
योग ..	१५,६००	९१,०००

*३—श्री श्रीचन्द—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस डिवीजन में नहरी कमान्ड में कितना क्षेत्रफल है और १३६० फसली में तीनों फसलों में कितने कितने क्षेत्रफल की सिंचाई रजबहों से हुई ?

श्री राम मूर्ति—लोअर डिवीजन जमुना नहर के अधिकृत क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि ३,३५,२२१ एकड़ है। १३६० फसली में तीनों फसलों में सींच के आंकड़े निम्नलिखित हैं—

	एकड़
खरीफ	१,४३,११३
रबी	१,८३,५७६
फसल जायद	७८,१५४

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अगर कोई किसान मेंड़ अलग करके कुएं से सींचता है, तो क्या उस पर भी महसूल आबपाशी लग जाता है ?

श्री राम मूर्ति—अगर वे नहर के बरहे के जरिये से पानी लेते हैं, तो उन पर महसूल लग जाता है।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि नहर के पानी के अभाव में अगर कोई किसान अपने खेतों को कुएं से सींचता है, तो उस पर भी क्या पूरा महसूल आबपाशी लगाया जाता है ?

श्री राम मूर्ति—अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी खुशी की बात होगी कि नहर के पानी के अभाव में अगर लोग कुएं से सिंचाई कर लें, लेकिन अगर वह पानी नहर के बरहे से जाता है, तो विभाग के कर्मचारियों को यह मालूम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कि पानी नहर से लिया गया है, या कुए से। इसलिए मजबूर होकर सिंचाई कर लगाना पड़ता है।

श्री रामहेत सिंह—क्या जिन दिनों कुलाबे में पानी बन्द रहता है, उन दिनों में भी कोई किसान अगर कुएं से सिंचाई करता है, तो क्या उसके बारे में पता लगाने में पतरौल को कठिनाई होती है ?

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य अगर स्वयं नियम देख लें, तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि महसूल आबपाशी लगाने के नियम उत्तर प्रदेश में एक से हैं या अलग-अलग हैं ?

श्री राम मूर्ति—यह इसके ऊपर मुनहसिर है कि कहां पर रेग्युलर वाटर सप्लाई है और कहां पर नहीं, लेकिन जो सिस्टम है, वह एक सा है।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो ९१ हजार एकड़ कुएं से सिंचाई बतायी गयी है, वह नहर से ३ लाख एकड़ होने वाली सिंचाई में शामिल है ?

श्री राम मूर्ति—जी नहीं, मैंने यह पहले ही बताया है कि कुएं से सिंचाई अलग होती है और नहर से अलग होती है। नहर की सिंचाई में वह शामिल नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब नहर के पानी से किसान सिंचाई नहीं करते, और नहर के पानी के लिए पैसा लग जाता है तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि उस पर लगान न लगाया जाय ?

श्री राम मूर्ति—मैंने अध्यक्ष महोदय, अर्ज किया कि कर्मचारियों के लिए यह मुश्किल हो जाता है। वह पता नहीं लगा पाते कि पानी कुएं का आ गया है या नहर का। ऐसी मालूमात की दिक्कत होने की वजह से यह तय करना कि किस जगह पानी कुएं का और किस जगह नहर का पानी इस्तेमाल हुआ है। अगर किसान पानी कुएं से लेते हैं, तो कुएं के बराबर बरहा डाल दें, तो कुएं के पानी के ऊपर कोई महसूल नहीं लगेगा।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि कुएं और नहरों के पानी के झगड़े के प्रार्थनापत्र किसानों के २, २ वर्ष से अभी तक लटके हुए हैं और सरकार उन पर कोई निर्णय नहीं कर सकी है ?

श्री राम मूर्ति—इस तरह से जनरल तो कोई बात नहीं है। अगर माननीय सदस्य किसी विशेष दरख्वास्त के बारे में जिक्र करें, तो उसे देख लिया जायगा।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब कुएं के पानी से सिंचाई करने पर भी किसानों पर नहर का टैक्स लगा दिया जाता है तो सरकार उसके लिए कोई उपाय निकालेगी कि ऐसा न हो?

श्री राम मूर्ति—इसका तो बहुत आसान हल किसानों के पास है। वे अपने कुएं के बराबर बरहा बना लें और उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जायगा।

*४—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—[२४ दिसम्बर, १९५३ के लिए प्रश्न संख्या २० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जिला नैनीताल में पदमपुरी–शरना–ओखलकांडा सड़क का निर्माण

*५—श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार को विदित है कि ओखलकांडा, जिला नैनीताल में गोविन्द वल्लभ पन्त हायर सेकेण्डरी स्कूल खुल जाने के कारण पदमपुरी-शरना-च्यूरीगाढ़-सुरंग-ओखलकांडा पैदल सड़क का महत्त्व बहुत बढ़ गया है? अगर हां, तो क्या पी० डब्ल्यू० डी० विभाग उपर्युक्त सड़क की क्षत-विक्षत स्थिति को देखते हुए उसका प्रबन्ध अपने हाथ में लेने की कृपा करेगा?

निर्माण मन्त्री (श्री गिरधारी लाल)—इस सड़क के निर्माण के प्रश्न पर सड़क निर्माण योजना के द्वितीय चरण में विचार किया जायगा।

जिला नैनीताल में गरजिया–भूजान सड़क का रख-रखाव

*६—श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गरजिया-खौला-बेतालघाट-भुंजाण सड़क के रख-रखाव तथा गरजिया पर बरसाती पुल के निर्माण में वार्षिक कितना व्यय होता है?

श्री गिरधारी लाल—गरजिया से कुमरिया तक की सड़क सरकार के अधीन है और इसके रख-रखाव पर सरकार करीब ५,५०० रुपया प्रति वर्ष व्यय करती है। शेष भाग कुमरिया से भुंजाण तक जिला बोर्ड नैनीताल के अधीन है जिसके निमित्त वह ४,३६८ रु० प्रति वर्ष व्यय करता है।

गरजिया पर बरसाती पुल के निर्माण में सरकार का २,००० रुपया प्रति वर्ष लगता है, किन्तु पिछले दो वर्षों से इस पुल का निर्माण जंगल विभाग के ठेकेदार, जिनका इस इलाके में काम चालू है, करा लेते हैं और जनता इसी पुल का उपयोग करती है।

धरमधर से थल (अल्मोड़ा) तक की सड़क का निर्माण

*७—श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार को विदित है कि जिला अल्मोड़ा में धरमधर से थल तक अकाली सड़क बनायी जा रही थी, जिसमें काम करने वाले मजदूरों को अभी तक पूरी मजदूरी नहीं वितरित हुई, जब कि काम किये हुए तीन महीने व्यतीत हो चुके हैं?

निर्माण उप-मन्त्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—पूरी मजदूरी वितरित हो चुकी है।

*८—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार को विदित है कि धरमधर से थल (अल्मोड़ा) तक की सड़क अधूरी ही बनी है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

*९—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—यदि हां, तो सरकार उक्त सड़क का कब तक पूर्णतया निर्माण करने का विचार रखती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह सड़क अकाल पीड़ित क्षेत्र के निवासियों का कष्ट दूर करने के लिए बनायी जा रही थी। स्थिति में सुधार होने के कारण अब निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है। फ़िलहाल इस समय इस सड़क पर और कुछ निर्माण कार्य करने का कोई विचार नहीं है।

श्री नरेंद्रसिंह विष्ट—क्या सरकार को विदित है कि १० मील लम्बी सड़क बन चुकी है और अब सिर्फ दो मील बनना बाकी है और एक पुल का काम बाकी रह गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कुछ सड़क अवश्य बन चुकी है, लेकिन पूरी इत्तिला नहीं है। शायद मेम्बर साहब की इत्तिला सही हो।

श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—वहां मजदूरी किस दर से वितरित की गयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—रेट तो वही फ़िक्स होता है जो अकाल-पीड़ित क्षेत्रों में होता है, लेकिन उसकी कोई डेफ़िनिट इत्तिला नहीं है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या अब उस सड़क को जिस पर दो तीन हज़ार रुपया खर्च होना बाकी है, सरकार बनवा देने का कोई उपाय करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितनी जरूरत है। यह तो माननीय सदस्य का विचार है कि दो तीन हजार रुपया लगेगा। अगर बाद में देखा जायगा और पैसा बजट में होगा, तो इसका विचार किया जायगा।

नार्दर्न रेलवेज़ द्वारा में लखनऊ हेडक्वार्टर्स बनाने के सम्बन्ध में पूछ-ताछ

*१०—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या यह बात सही है कि रेलवे रिग्रूपिंग के होने के बाद Northern Railways ने उत्तर प्रदेश सरकार से कोई पत्र-व्यवहार अपना हेडक्वार्टर्स लखनऊ में बनाने के बारे में किया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं।

*११—श्री भगवान सहाय—यदि हां, तो उसका परिणाम क्या हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री भगवान सहाय—क्या केन्द्रीय सरकार से इस बारे में कोई पत्र-व्यवहार हुआ है कि लखनऊ में रेलवे का हेडक्वार्टर बनाया जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं हुआ है।

हमीरपुर मुन्सिफ़ी में कार्य की कमी

*१२—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या यह सत्य है कि जिला हमीरपुर की मुन्सिफ़ी में लगभग ६ महीने से कोई मुन्सिफ़ नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)—जी हां। हमीरपुर की मुन्सिफ़ी में २७ अप्रैल, १९५३ से मुन्सिफ़ नहीं है, क्योंकि वहां की कचहरी में काम कम हो गया है।

*१३—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुन्सिफ के न होने पर मुकदमों के फैसलों का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर—बांदा जिले के मुन्सिफ को हमीरपुर का एडीशनल मुन्सिफ बना दिया गया है, और वह महीने में कुछ दिन हमीरपुर जाकर वहां के मुकदमों का फैसला करते हैं ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय न्याय मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किस तारीख से यह व्यवस्था की गयी है, उस व्यवस्था के बाद कितने मुकदमे किन किन तारीखों को फैसले हुए हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—तारीख की बाबत तो मैंने बतला दिया कि २७ अप्रैल, सन् १९५३ ई० से वहां पर मुन्सिफ नहीं है । कितने मुकदमे हुए यह तो मैं इस वक्त नहीं बतला सकता ।

श्री जोरावर वर्मा—जिस तारीख से यह व्यवस्था की गयी है, उस व्यवस्था के बाद कितने मुकद्मे किन किन तारीखों को फैसले किये गये हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—यह तारीख तो मैं नहीं बतला सकता मगर मेरा ख़याल है कि जब से मुन्सिफी वहां पर खत्म की गयी, तब से बांदा से हमीरपुर मुन्सिफ के जाने का इन्तजाम हुआ होगा ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या यह सत्य है कि यह व्यवस्था किये जाने पर मुन्सिफ साहब अभी तक कभी हमीरपुर तशरीफ नहीं ले गये हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—यह मेरे इल्म में नहीं है । अगर यह वाकया है, तो आप लिख कर दें, मैं दरियाफ्त करूंगा ।

कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन

*१४—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए वह ऐसे उद्योगी व्यक्तियों तथा संस्थाओं को बिक्री कर से मुक्त करने जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब से ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सरकार ने यह आम फैसला करना जरूरी नहीं समझा है कि सभी घरेलू धन्धों (कुटीर उद्योगों,) को बिक्री कर से मुक्त कर दिया जाय । जो तरीका काम में लाया जाता है, वह यह है कि हर एक चीज के बारे में छानबीन की जाती है और यह फैसला किया जाता है कि इसे टैक्स से मुक्त किया जाय या नहीं ।

*१५—श्री नंदकुमार देव वाशिष्ठ—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेशीय शासन का कुटीर-उद्योग धन्धों पर लगे बिक्री कर से कितनी आय वार्षिक होती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—घरेलू धन्धों की ऐसी चीजों पर लगाये जाने वाले बिक्री कर से जो आमदनी होती है, उसके अलग अलग आंकड़े मौजूद नहीं हैं ।

*१६—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ ताला उद्योग से गत वर्ष कितना बिक्री कर वसूल हुआ और यह कर पिछले तीन साल से कितना घटा या बढ़ा है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अलीगढ़ ताला उद्योग से पिछले वर्ष (१९५२–५३) में बिक्री कर के रूप में १६,१९८ रु० मिला। १९४९–५०, १९५०–५१ और १९५१–५२ के बारे में आंकड़े इस प्रकार हैं—

				रु०
१९४९–५० ..	..	..	..	१,७३,४९९
१९५०–५१ ..	..	..	..	४३,९०७
१९५१–५२ ..	..	..	..	२२,०६४

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९४९–५० में जो आंकड़े दिखाये गये हैं कि १,७३,४९९ रुपया वह सन् १९५१–५२ में २२,०६४ रुपया क्यों रह गया। इसके घटने का क्या कारण है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इसके घटने का कारण था कि हमारे संविधान में जो धारा २८६ है, जिसका ताल्लुक बाहर की स्टेट के रहने वालों से लेन देन करना है, इसी वजह से यह कमी थी।

श्री नंदकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सेल्स टैक्स के बढ़ने से जो कारीगर बेकार होते जा रहे हैं, उस की वजह से वहां बेकारी बहुत बढ़ गयी है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह तो जनरल सवाल है, अगर कोई ऐसे केसेज हैं और उनके मुतालिक मेम्बर साहबान मुझे बतलायेंगे तो मैं उन पर गौर करूंगा।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या मन्त्री जी यह पता लगाने की कृपा करेंगे कि ताला उद्योग के बहुत से कार्यकर्त्ता बेकार होते चले जा रहे हैं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—उन का एक वफ्द है, जिस ने मेरे पास खत भेजा है, मैं ने उन को बुला रखा है और जब वह आवेंगे, तो मैं उनकी सुनूंगा।

श्री राम प्रसाद देशमुख—क्या मन्त्री जी को मालूम है कि अलीगढ़ ताला एसोसियेशन की ओर से कोई रिप्रेजेन्टेशन आया है और उस पर क्या विचार हो रहा है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—उनका जो रिप्रेजेन्टेशन आया था उसी के नतीजे पर उन का वफ्द मुझ से मिलने वाला है, मैं ने उन को तारीख दी है वह आवेंगे तो उन से बातचीत होगी।

शीशगढ़–रुद्रपुर सड़क को पक्की बनवाने का विचार

*१७—श्री कल्याण राय (जिला रामपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि बरेली से शीशगढ़ होकर रुद्रपुर जाने वाली सड़क सिर्फ शीशगढ़ तक पुख्ता है और बाकी कच्ची है? यदि हां, तो क्या सरकार उसको रुद्रपुर तक पुख्ता कराने का विचार रखती है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस सड़क का केवल शीशगढ़ से बिलासपुर तक लगभग १० मील लम्बा भाग कच्चा है। इस कच्चे भाग को पक्का करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*१८—श्री कल्याण राय—क्या सरकार को मालूम है कि रामपुर जिले की जनता इस सड़क को पुख्ता कराने के लिए १/३ खर्चा (श्रमरूप) देने को तयार है? यदि हां, तो क्या सरकार बाकी २/३ हिस्सा खर्च करके इस सड़क को पुख्ता करायेगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—प्रथम भाग—सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

द्वितीय भाग—जी नहीं।

श्री रामचरन लाल गंगवार (जिला बरेली)—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कच्चा टुकड़ा बरेली रामपुर से कितनी दूर है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह फासला तो नहीं बता सकता, लेकिन शीशगढ़ और रुद्रपुर के बीच में दस मील का फासला बताया जाता है ।

श्री राम चरन लाल गंगवार—क्या मंत्री जी को मालूम है कि इस हल्के से बरेली-रामपुर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस की कोई सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

श्री राम चरन लाल गंगवार—जिस समय मंत्री जी रामपुर गये थे तो क्या श्री कल्याणराय ने जनता की कठिनाई का जिक्र करते हुये इस सड़क को पुख्ता बनवाने के लिए कहा था ?

श्री गिरधारी लाल—जी हां ।

श्री रामचरन लाल गंगवार—उसके लिये मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की ?

श्री गिरधारी लाल—मैंने उनसे कहा था विचार किया जायगा, अब उसका जवाब आ गया है ।

जिला अल्मोड़ा में पिठौरागढ़—कण्डाली छीना सड़क का निर्माण

*१९—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला अल्मोड़ा में पिठौरागढ़ से कन्डालीछीना तक सरकार मोटर सड़क बना रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां । अकाल-पीड़ित क्षेत्रों के कष्ट निवारणार्थ योजना में इस सड़क का निर्माण स्वीकृत किया गया था ।

*२०—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार बतलायेगी कि उक्त सड़क में कितनी धनराशि व्यय होगी और कितने साल में यह सड़क पूर्णतया बन सकेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस सड़क के निर्माण में लगभग १० लाख रुपया व्यय होगा। इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि कितने साल में यह सड़क पूर्णतया बन सकेगी, क्योंकि यह धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या यह सही है कि पिछले साल बजट में ३ लाख रुपये इस सड़क के लिये मंजूर हुये थे और वह लैप्स हो गये और इस साल केवल एक ही लाख रुपया फिर मंजूर हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो इत्तला जो आप दे रहे हैं इसके बारे में अभी बतलाया जा चुका है ।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—तो क्या सरकार बतलायेगी कि वह रकम लैप्स कैसे हुई और बाद को फिर कम रक़म बजट में क्यों मंजूर हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—काम नहीं हुआ, उस पर काम करने की सुविधा नहीं हुई होगी, इसलिये लैप्स हुआ और अब कम काम, होने की आशा थी, इसलिये इतना ही रख दिया गया।

*२१-२२—श्री रामनरेश शुक्ल—[२३ दिसम्बर, १९५३ के लिये प्रश्न संख्या ४०—४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

लकड़मन्डी–बस्ती सड़क का तारकोल से निर्माण

*२३––श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)––क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो सड़क बस्ती से लकड़मन्डी जाती है उस पर सन् १९५२ ई० में कितने मील तारकोल की सड़क बनी है?

श्री चतुर्भुज शर्मा––केवल दो मील तारकोल किये गये।

*२४––श्री शिवनारायण––क्या यह सही है कि उक्त सड़क की दशा फिर बिगड़ गई?

श्री चतुर्भुज शर्मा––जी नहीं, सड़क की दशा पहले की अपेक्षा सुधर गई है। मील ९०–९३ नवनिर्माण योग्य थे जिनमें से २ मील निर्माण किये जा चुके हैं। बाक़ी २ मीलों के नवनिर्माण का भी प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री शिवनारायण––बस्ती से लकड़मंडी तक सड़क कितनी लम्बी है? क्या बाकी पूरी सड़क को तारकोल कराया जायगा?

श्री चतुर्भुज शर्मा––सड़क की लम्बाई तो इस वक्त लिखी नहीं है लेकिन इस सड़क पर तारकोल करना शुरू कर दिया गया है। धीरे धीरे जैसे जैसे पैसा मिलता जायगा, इस पर तारकोल करते जायंगे।

श्री शिवनारायण––मैंने सरकार से यह पूछा कि क्या पूरी सड़क तारकोल करायी जायगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा––जितनी ज्यादा से ज्यादा सड़कें तारकोल की बन सकें उतनी बनायी जायं, यह पालिसी गवर्नमेंट की है लेकिन यह पैसा मिलने के ऊपर है। बजट में जितना पैसा होगा, वैसी व्यवस्था की जायगी।

*२५––श्री शिवनारायण––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त सड़क पर कितना रुपया खर्च हुआ?

श्री चतुर्भुज शर्मा––१९५२ ई० में इस सड़क के रख-रखाव पर ९०,००० रुपया और उपर्युक्त २ मीलों को तारकोल करने पर ६७,००० रुपया व्यय हुआ।

श्री शिवनारायण––जितनी सड़क निर्माण के अधीन है क्या वह मार्च सन् १९५४ तक तैयार हो जायगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा––जो काम हो रहा है, जितना हो सकता है किया जायगा। आशा तो की जाती है कि तैयार हो जायगी।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)––चूंकि यह सड़क बस्ती से अयोध्या को जाती ह इस दृष्टि से क्या इसको तारकोल कराने में सरकार इसको प्राथमिकता देगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा––चूंकि उसमें काम शुरू किया गया है इसके माने हैं कि उसको प्राथमिकता दी गई है, शुक्ल जी देखेंगे कि जो इसका महत्व है उस महत्व को ध्यान में रखते हुये काम शुरू कर दिया गया ह।

आजमगढ़ जिला मैजिस्ट्रेट की अदालत में तीन वर्ष से पड़े हुए मुकदमे

*२६––श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)––क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला मैजिस्ट्रेट की अदालत में कितने मुकदमें ऐसे हैं जो तीन वर्ष से पेशी में पड़े हुए हैं?

श्री सैयद अली जहीर—केवल ६ माल की अपीलें।

*२७—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमों के फैसले में विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

श्री सैयद अली जहीर—शान्ति व अनुशासन कायम रखने के कार्यों तथा चुनाव, बाढ़, सूखा व जमींदारी विनाश व और जरूरी कामों में व्यस्त रहने की वजह से जिला मैजिस्ट्रेट इन अपीलों का फैसला नहीं दे पाये।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या न्याय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जब यह सवाल सरकार के पास ६–८–५३ को भेजा गया था, उस वक्त जिलाधीश की अदालत में कितनी अपीलें थीं?

श्री सैयद अली जहीर—इस सवाल का जवाब तो अगस्त में आया था और गालिबन अगस्त की इस तारीख को इतने मुकदमें उनके यहां थे।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेंगी कि ६ माल की अपीलें जो अभी तक बाक़ी हैं वह किस महीने में दाखिल हुईं?

श्री सैयद अली जहीर—महीना, मैं इस वक्त नहीं बतला सकता।

न्याय और प्रशासन विभागों को अलग करने की योजना

*२८—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि न्याय और प्रशासन विभाग अलग अलग करने की योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री सैयद अली जहीर—न्याय और प्रशासन के पृथक्करण की योजना पहले ही राज्य के १८ जिलों में लागू की गयी है। इस योजना को शेष जिलों में जारी रखने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

चुनाव चिन्ह देने के लिये राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का अधिकार

*२९—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चुनाव आयोग के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार ने प्रदेश के किन किन राजनीतिक दलों को प्रादेशिक आधार पर मान्यता प्रदान की है?

श्री सैयद अली जहीर—राज्य सरकार को किसी भी राजनीतिक दल को प्रादेशिक आधार पर मान्यता प्रदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सेंट्रल एलेक्शन ट्रिब्यूनल ने एक फैसला किया था कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट, प्रजा सोशलिस्ट और जनसंघ के अतिरिक्त जिन संस्थाओं को उसने अखिल भारतीय आधार पर चुनाव चिन्ह देने के लिये मान्यता प्रदान की है उन्हें प्रान्तीय सरकार और उसके चुनाव अफसर से लिखा पढ़ी करनी होगी?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, एक दफा शुरू में उन्होंने सूबे के चुनाव अफसरों को यह अधिकार दिया था लेकिन उसके बाद जब चुनाव हो गया तो उन्होंने यह अधिकार वापस ले लिया और अब यह अधिकार उन्हीं के पास है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पिछले लोकल बोर्ड्स के चुनाव में इस राज्य की किसी संस्था ने चुनाव चिन्ह के लिये प्रान्तीय सरकार के पास प्रार्थना-पत्र दिया था?

श्री सैयद अली ज़हीर—म्युनिसिपल एलेक्शन का सवाल न तो इस वक्त दरपेश है और न उसका जवाब मेरे पास मौजूद है।

अस्थायी आबकारी इन्स्पेक्टरों की छटनी

*३०—श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेशीय आबकारी विभाग में ३० नये आबकारी इन्स्पेक्टरों के पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा चुनाव के कारण अस्थायी आबकारी इन्स्पेक्टरों की छटनी की जा रही है? यदि हाँ, तो उस छटनी का आधार और ऐसे लोगों की संख्या क्या है?

श्री सैयद अली ज़हीर—हां, अस्थायी आबकारी इंस्पेक्टरों की छटनी का आधार उनका कार्य और ईमानदारी है। अभी तक केवल तीन ऐसे इन्स्पेक्टरों की छटनी की गई है।

श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन तीन इन्स्पेक्टरों की छटनी के अलावा और लोगों को छांटने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है?

श्री सैयद अली ज़हीर—जहाँ तक मैं समझता हूं इस वक्त तो वे तीस इन्स्पेक्टर जो पब्लिक सर्विस कमीशन से मंजूर हो कर आये थे उनको इस वक्त जगह मिल गयी है और सरेदस्त किसी और इन्स्पेक्टर को अलहदा करने का प्रश्न नहीं है।

कस्बा छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद में जी० टी० रोड के मील नं० ६९८ की मरम्मत

*३१—श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—क्या यह सत्य है कि G.T. रोड़ का Bye pass कस्बा छिबरामऊ (जिला फर्रुखाबाद) के बाहर से बन जाने के कारण सड़क का मील नं० ६९८ छिबरामऊ टाउन एरिया की देखरेख में दे दिया गया है? यदि हाँ, तो कब और क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, १६ अप्रैल, १९५२ ई० से। सरकार के नियम के अनुसार Bye Pass के दोनों सिरों के बीच की सड़क, जो आबादी में से जाती है, वहां की स्थानीय संस्था को ही देखना भालना चाहिये।

*३२—श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इस मील की दशा अत्यन्त खराब है और टाउन एरिया कमेटी छिबरामऊ इसकी मरम्मत कराने में असमर्थता प्रकट कर चुकी है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, टाउन एरिया कमेटी ने अपनी असमर्थता प्रकट की है।

*३३—श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी—क्या सरकार इस मील की मरम्मत करवाने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों की मरम्मत स्थानीय संस्था को ही करना चाहिये।

श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी—क्या सरकार को यह मालूम है कि टुकड़ा क़रीब डेढ मील का है और इसके बनाने में लगभग २० हजार रुपया खर्च होगा?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो मुझे पता नहीं है कि यह डेढ़ मील का है या कितना खर्च होगा, जितना बड़ा टाउन है, मैं समझता हूं उतना ही खर्च होगा, टाउन के इधर-उधर से बाई-पास निकाला गया है।

श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी--क्या यह सत्य है कि जिस समय यह टुकड़ा टाउन एरिया को दिया गया, गाड़ियों के चलाने के काबिल नहीं था?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी--क्या सरकार टाउन एरिया को अनुदान दे कर इस टुकड़े को बनवाने के लिये विचार करेगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह जो लोकल बाडीज़ का खर्चा होता है वह इकट्ठा जाता है। लोकल सेल्फ-डिपार्टमेन्ट से इसकी बाबत कहा जाय तो वह देंगे।

नानपारा एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के विरुद्ध शिकायत

*३४--श्री राजाराम शर्मा (ज़िला बस्ती)--क्या वित्त मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास नानपारा जिला बहराइच के नानपारा एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के विरुद्ध वहां की जनता की शिकायती दरख्वास्तें आई हैं?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--जी हां।

*३५--श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार को यह मालूम है कि इस कम्पनी ने १६ जुलाई, सन् १९५३ से बिजली देना एक दम बन्द कर दिया है?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--जी हां।

*३६--श्री राजाराम शर्मा--क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--कम्पनी के खिलाफ़ मुक़दमा चल रहा है।

श्री राजाराम शर्मा--मुक़दमा कब से चल रहा है?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--जहाँ तक मुझे याद है ढाई तीन महीने से मुकदमा चल रहा है।

माला, जिला पीलीभीत के निकट रिजर्वायर बनाने की योजना

*३७--श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ग्राम माला, जिला पीलीभीत के निकट वर्षा ऋतु के पानी को एकत्रित करने के लिये कोई सागर (रिजर्ववायर) बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री राम मूर्ति--जिला पीलीभीत में सुरई व माला में रिजर्वायर बनने थे पर इसके लिये बहुमूल्य साल का जंगल काटना पड़ता। इसलिये अब मुख्य सारदा नहर के बायें किनारे पर चूका रिजर्वायर बनाने की योजना कार्यान्वित की जा रही है।

*३८--श्री धर्मदत्त वैद्य--यदि हां, तो इसमें कितने रुपये व्यय होने की संभावना है और उससे कितने एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी?

श्री राम मूर्ति--चूका रिजर्वायर के पहले स्टेज पर २७३.२८ लाख रुपया व्यय होगा। इसमें मुख्य नहर तथा उसकी शाखाओं के पुनर्निर्माण और जौनपुर ब्रान्च पर ३०० मील लम्बी नहर बनाने का व्यय भी सम्मिलित है। इसके द्वारा १,९०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

*३९--श्री धर्मदत्त वैद्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस योजना में क्या वहां के निकटवर्ती फार्म करने वाले या छोटे छोटे किसानों की जमीन भी सरकार लेगी ?

श्री राम मूर्ति--इस योजना में १६,००० एकड़ भूमि जलमग्न होगी जिसमें में से १,२०० एकड़ भूमि पर खेती होती है।

श्री धर्मदत्त वैद्य--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सुरई और माला में रिजर्वायर की स्कीम बनाने में सरकार को कितना रुपया व्यय करना पड़ा ?

श्री राम मूर्ति--स्कीम बनाने में तो कुछ व्यय करना नहीं पड़ा। जो रिजर्वेयर बनेगा उसमें ३ करोड़, ७३ लाख रुपया व्यय करने होंगे।

श्री धर्मदत्त वैद्य--क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि १,२०० एकड़ भूमि जो कृषकों से इस कार्य के लिये ली जायगी वह किस प्रकार ली जायगी ?

श्री अध्यक्ष--आप अपने प्रश्न को स्पष्ट कीजिये "किस प्रकार ली जायगी" से आपका क्या मतलब है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--जिस जमीन पर खेती होती है और जोकि रिजर्वायर बनाने के लिये ली जा रही है, उस जमीन के बदले में उन्हें दूसरी जमीन दी जायगी या मुआविजा दिया जायगा ?

श्री राम मूर्ति--मुआविजा तो दिया ही जायगा और अगर जमीन पास पड़ोस में हो तो सरकार को उसको भी देने में कोई एतराज नहीं होगा।

श्री धर्मदत्त वैद्य--उस १,२०० एकड़ भूमि में कितने किसान भूमिहीन हो जायंगे ?

श्री राम मूर्ति--कोई लगभग १२ या १५ आदमी हैं।

शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी में लाइट तथा पावर कनेक्शन के लिए प्रार्थनापत्र

*४०--श्री महाराज सिंह (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी में लाइट कनेक्शन तथा पावर कनेक्शन प्राप्त करने के लिये अनेकों व्यक्तियों की दरख्वास्तें कई सालों से विचाराधीन हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--इस समय कोई भी दरख्वास्त विचाराधीन नहीं है लेकिन पुरानी दरख्वास्तों पर विचार करने के बाद रोशनी के कुछ नये कनेक्शन पेश्तर दिये जा चुके हैं।

*४१--श्री महाराज सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन व्यक्तियों को शिकोहाबाद तथा सिरसागंज में पावर कनेक्शन केवल रात ही में प्रयोग में लाने के लिये दिये गये हैं उनकी संख्या क्या है और वह लोग कितनी मुद्दत से इस पावर कनेक्शन का प्रयोग कर रहे हैं ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--जिन लोगों को सिर्फ रात में इस्तेमाल करने के लिये पावर कनेक्शन दिये गये हैं उनकी संख्या और मुद्दत इस प्रकार हैं --

शिकोहावाद में ४--	एक १९४४ से,
	दो १९४८ से, और
	एक १९४९ से।
सिरसागंज में ५--	तीन १९४४ से,
	एक १९४६ से, और
	एक १९४८ से।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि जो टेम्पोरेरी कनेक्शंस थे उन्हें सरकार परमानेन्ट करने जा रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—टेम्पोरेरी कनेक्शन जो थे वह परमानेन्ट किये जा चुके हैं ।

श्री महाराज सिंह—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कुल कितनी दरख्वास्तें आईं और उनमें से कितने व्यक्तियों को कनेक्शंस दिये गये ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह सवाल अगर सिर्फ शिकोहाबाद के लिये है तब तो इसका जवाब नहीं है और अगर जनरल है तो २५ हजार अप्लीकेशन्स आईं । उनमें से शायद ढाई या तीन हजार आदमियों को कनेक्शंस दिये गये ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार उन गांवों की संख्या बताने की कृपा करेगी जहां इस समय रोशनी के लिये बिजली देने का विचार किया गया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मतलब सवाल का यह मालूम होता है कि डोमेस्टिक कनेक्शंस (यानी पंखे और रोशनी के लिए) कितने दिये गये । उनकी ठीक तादाद तो मेरे पास इस वक्त नहीं है ।

श्री महाराज सिंह—मैंने माननीय मंत्री जी से यह सवाल किया था कि शिकोहाबाद में कितनी दरख्वास्तें आई थीं और उनमें से कितने व्यक्तियों को कनेक्शंस दिये गये लेकिन माननीय मंत्री जी ने सारे उत्तर प्रदेश की संख्या बतलायी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—शिकोहाबाद की संख्या इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

मऊ, जिला आजमगढ़ के पावर हाउस का निर्माण

*४२—श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मऊ, जिला आजमगढ़ के पावर हाउस के निर्माण की प्रगति अब तक क्या हुयी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मऊ में १०,००० K.W. स्टीम पावर हाउस बनाने के लिये जमीन ले ली गयी है । मशीन (Plant) खरीदने के लिये आर्डर दे दिया गया है । प्रोटास इंजिनियरिंग कं० (Protos Engineering Co.) इस पावर हाउस का (lay out) तैयार कर रही है और इस के तैयार होने पर पावर हाउस बनने का काम जल्दी ही शुरू कर दिया जायेगा । इस पावर हाउस के अलावा एक अस्थायी (temporary) पावर हाउस के लिए एक इमारत तैयार हो गयी है । जिसमें १५० K. W. के चार डिजिल जेनरेटिंग सेट (Diesel Generating Sets) लगाने का काम चालू है । एक और पावर हाउस की इमारत बनने का काम काफी हो चुका है, जिसमें १,६०० K. W. (Steam Generating Set) स्टीम जनरेटिंग सेट लगाया जायगा ।

*४३—श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या वित्त मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि यह पावर हाउस कब तक पूर्ण हो सकेगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—१०,००० K.W. वाले स्टीम पावर हाउस के पूरा होने की आशा १९५९ तक की जाती है । डिजिल पावर हाउस और १६०० K. W. स्टीम पावर हाउस के पूरे होने की आशा मार्च, १९४८ तक की जाती है ।

*४४—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या वित्त मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि मऊ पावर हाउस पर कुल कितना व्यय होने वाला है और कितना अब तक व्यय हो चुका है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---इस काम का कुल तखमीना १२८.३१ लाख रुपये का है जिसमें से अक्तूबर १९५३ तक ६,०३,१३९ रुपये का खर्चा हो चुका है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या वित मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रोटेस इंजीनियरिंग कम्पनी कहां को है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जहां तक मेरा ख्याल है इंगलिस्तान की है और यहां उसके एजेंट हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १५० और १६ सौ के जो जेनरेटिंग सेट स्टीम के लगे हैं इनसे ट्यूबवेलों को कब शक्ति मिलेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जो यह नये सेट लगे हैं इनसे तो अब बिजली मिलना शुरू हो जायगी। जनवरी के महीने में उसकी ओपनिंग सेरिमनी हो रही है और ट्यूबवेल्स को तो इस वक्त भी बिजली दी जा रही है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या यह सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अक्तूबर, सन् १९५३ तक जितना रुपया खर्च हुआ है वह किस मद में खर्च हुआ है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मेम्बर साहब मेरे पास तशरीफ लायेंगे तो मैं बतला दूंगा।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---क्या यह सही है कि जब तक इस योजना के मातहत नया प्लांट लगे, उसके पहले सरकार ने नागपुर से एक नया प्लान्ट यहां लगाने के लिए खरीदा है, अगर हां, तो कितने रुपये का ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---रुपये तो मुझे याद नहीं हैं, लेकिन खरीदा है न सिर्फ यहां लगाने के लिये बल्कि और जगह भी लगाने के लिये।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---क्या माननीय वित्त मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ शहर में विद्युत शक्ति के बटवारे की क्या व्यवस्था है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मेरे ख्याल में तो यह सवाल उठता ही नहीं है। आजमगढ़ का पावर हाउस बिलकुल जुदा है। आगे इसके मुताल्लिक सवाल हैं और उसका जवाब भी दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष---तो फिर ठीक है, बाद में वह आ जायगा।

बदायूं जिले में 'नयी दुनियां' समाचार-पत्र का प्रवेश

*४५---श्री राम नारायण त्रिपाठी---क्या यह सही है कि जिला मैजिस्ट्रेट, बदायूं ने दैनिक 'नयी दुनियां' दिल्ली का प्रवेश जिले में दो महीने के लिये किसी समाचार के प्रकाशित होने के कारण बन्द कर दिया है ?

श्री राम मूर्ति---जिलाधीश बदायूं ने ६ जुलाई, १९५३ को एक आदेश के द्वारा बदायूं जिले में 'नयी दुनियां' दैनिक समाचार-पत्र का प्रवेश २ महीने तक बन्द कर दिया था। वह आदेश दो महीने के बाद समाप्त हो गया।

*४६---श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या यह सही है कि जिला मैजिस्ट्रेट ने सम्पादक 'नयी दुनियां' से उस समाचार के भेजने वाले व्यक्ति का नाम पूछा था ?

श्री राम मूर्ति---जी नहीं।

*४७—श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या यह सही है कि वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन, लखनऊ की तरफ से कोई प्रतिनिधि मंडल जिला मैजिस्ट्रेट को इस आज्ञा के विरुद्ध मुख्य मंत्री से मिला था ?

श्री राम मूर्ति—मुख्य मंत्री जी को इसका स्मरण नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या यह सही है कि 'नयी दुनियां' ने पुलिस की धांधली के सम्बन्ध में स्पष्ट समाचार छापे थे, इसीलिए यह रोक लगायी गयी ?

श्री राम मूर्ति—जी नहीं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—तो वह कौन सा समाचार है जिसके सम्बन्ध में यह रोक लगायी गयी।

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—उन्होंने जो समाचार छापे थे और लेख छापे थे उसमें साम्प्रदायिक भावना को बहुत उत्तेजित किया था। उसकी प्रतिलिपि मेरे पास मौजूद है, माननीय सदस्य चाहें तो आ करके देख सकते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या यदि मैं माननीय मंत्री जी को जिलाधीश बदायूं और 'नयीदुनिया' के सम्पादक के नाम समाचार भेजने वाले का नाम बचाते हुए, पत्र दिखलाऊं तो उसके सम्बन्ध में सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कार्यवाही करना कोई जुर्म की बात तो है नहीं लेकिन सरकार की यह नीति नहीं है कि कोई सोर्स आफ इंफार्मेशन किसी से पूछा जाय।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार को यह मालूम है कि 'नयी दुनियां' अखबार सामान्यतः साम्प्रदायिकता बढ़ाने वाला है और देश की नीति के विरुद्ध लिखता रहता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, यह सही है।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन, लेबर यूनियन की तरह से ही यूनियन बनी हुयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गवर्नमेंट का, वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री केशव गुप्त—सरकार इस अखबार के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है जिससे वह इस प्रकार के लेख न लिखे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बदायूं जिले में तो उसका आना बन्द ही कर दिया है और अगर आपत्तिजनक लेख लिखे जाते हैं तो जो कानूनी कार्यवाही होती है, वह की जाती है।

जिला देवरिया में सलेमपुर-तुर्तीपार सड़क पर महुआबारी के पास पुल की आवश्यकता

*४८—श्री बद्रीनारायण मिश्र—क्या निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सलेमपुर तुर्तीपार रोड (देवरिया) के बीच में महुआबारी के पास जो पुल बना हुआ है उसे कंकड़ डाल कर बंद किया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस सड़क पर महुआबारी के पास कोई पक्का पुल नहीं है। परन्तु सड़क का तल ऊंचा होने के कारण खेतों के पानी की निकासी के लिए सड़क के इस स्थान पर एक पाइप डाल दिया गया था जो कलवर्ट का काम दे रहा था। अब महुवा-बारी से तुर्तीपार तक एक नाली बना दी गयी है और पानी इस नाली से निकलता है। नाली बन जाने के बाद पाइप बन्द कर दिया गया।

*४९--श्री बद्रीनारायण मिश्र--क्या सरकार को मालूम है कि इस पुल के बन्द करने से किसानों के कितने ही खेत पानी में डूब गये हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--भाग १--किसानों के खेत पाइप बन्द करने से नहीं परन्तु वर्षा अधिक होने से बीच बीच में कुछ दिनों के लिए डूब गये थे और जैसे-जैसे पानी निकल गया खेत पानी से खाली हो गये।

भाग २--यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री बद्रीनारायण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उस सड़क पर नये एस्टिमेट में पक्का पुल बनाने की कोई आयोजना है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--उसमें पहले पक्का पुल बनाने की आयोजना थी लेकिन गांव वालों में झगड़ा हो गया। एक गांव वाले चाहते हैं कि बन जाय और दूसरे गांव वाले चाहते हैं कि न बने। इससे मारपीट और अशांति की नौबत आ गई। इसलिये अब इस पुल के बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है और न वहां कोई जरूरत ही है।

आजमगढ़ के पावर हाउस की हालत

*५०--श्री व्रजविहारी मिश्र--क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़ शहर के पावर हाउस की हालत इस समय बहुत खराब हो रही है जिसके कारण रात तथा दिन में घंटों लोगों को बिजली नहीं मिलती है ? यदि हां, तो क्यों और कब से ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं। इस समय आजमगढ़ पावर हाउस की हालत खराब नहीं है और यह ग़लत है कि दिन में लोगों को घंटों बिजली नहीं मिलती।

श्री बद्री नारायण मिश्र--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह उत्तर उनको किस तारीख को प्राप्त हुआ ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--किस रोज़ गवर्नमेंट के यहां इस सवाल का जवाब आया था वह तारीख तो मुझे याद नहीं है।

श्री राजनारायण--क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि आजमगढ़ के अस्पताल में बिजली की कमी की वजह से पंखे नहीं चल पाते हैं और रोगियों को परेशान होना पड़ता है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--पिछले दिनों बारिश बहुत हुई उन दिनों वह खराब हो गया था लेकिन अब ठीक हो गया है।

श्री बद्रीनारायण मिश्र--आजमगढ़ के पावर हाउस के कर्मचारियों में आपस में बड़ा विरोध रहता है जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--हालत खराब होने का जहां तक ताल्लुक है उसके मुताल्लिक तो मुझे मालूम है कि किस-किस वक्त में किस-किस वजह से हालत खराब हुयी, लेकिन यह बात मुझे नहीं मालूम कि वहां हालत खराब होने की यह भी एक वजह है।

*५१-५२--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--[१८ जनवरी, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या १६-१७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

नोट--प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो जाने के कारण प्रश्न ५१--८३ सदन में नहीं लिये गये।

फतेहपुर के अन्दर जी० टी० रोड को कोलतार से बनाने का विचार

*५३--श्री अनन्त स्वरूप सिंह (जिला फ़तेहपुर)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनका विचार जिला फतेहपुर की सीमा के अन्दर के (G. T. Road) के हिस्से को कोलतार की सड़क बनाने का है ?

श्री गिरधारी लाल--जी हां, फ़तेहपुर जिले की सीमा के अन्दर जी० टी० सड़क के मील संख्या ५४३ से ५६६ तक को कोलतार करना स्वीकृत हो चुका है।

*५४--श्री अनन्त स्वरूप सिंह--अगर हां, तो यह काम कब तक शुरू हो जायगा ?

श्री गिरधारी लाल--यह काम शुरू हो चुका है।

शरणार्थी एक्साइज इन्स्पेक्टरों की छटनी

*५५--श्री अनन्त स्वरूप सिंह--क्या मादक कर मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिन एक्साइज इन्स्पेक्टरों की छटनी की जा रही है उनमें कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो शरणार्थी होने के कारण एक्साइज इन्स्पेक्टर नियुक्त किये गये थे ?

श्री सैयद अली जहीर--शरणार्थी होने के कारण नियुक्त किये गये अस्थायी एक्साइज इन्स्पेक्टरों में से केवल एक इन्स्पेक्टर की छटनी की गयी है।

*५६-५८--श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--[५ जनवरी, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

खलीलाबाद के दक्षिण क्षेत्र के द्वाबा में पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्माणकार्य

*५९--श्री राम सुन्दर राम (जिला बस्ती)--क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में तहसील खलीलाबाद के दक्षिणी क्षेत्र के द्वाबा में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई निर्माण कार्य हो रहा है ?

श्री गिरधारी लाल--पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई निर्माण कार्य इस क्षेत्र में नहीं हो रहा है किन्तु इस योजना के पूर्व ही प्रथम चरण में निम्नलिखित सड़कों की पूर्ति कर दी गयी थी--

विश्वनाथ घनघटा--५ मील ओ० डी० आर० घनघटा सिरसी--६ मील वी० आर०। अब यह सड़क जिला बोर्ड को दे दी गयी है।

*६०--श्री राम सुन्दर राम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उस निर्माण-कार्य में मुखलिसपुर के पुल को जो कुआनो नदी पर है बनवाने की योजना सम्मलित है ?

श्री गिरधारी लाल--मुखलिसपुर का पुल जिस सड़क पर पड़ता है वह सड़क जिला बोर्ड के अधीन है। अतः इस पुल के निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

रामपुर के वर्तमान आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति

*६१--श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर के वर्तमान आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कब हुई थी ?

श्री सैयद अली जहीर—रामपुर जिले के निम्नलिखित आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति उनके नाम के सम्मुख लिखित दिनांक को हुई थी :

१—श्री ए० ए० क़िदवई	आनरेरी स्पेशल मैजिस्ट्रेट	१०-२-५१
२—श्री लक्ष्मी नारायण ३—श्री बक़ायुल हक़ ४—हिदायत अली खां ५—श्री अहमद रज़ा खां ६—श्री बी० एल० गुप्ता	आनरेरी बेंच मैजिस्ट्रेट	१०-२-५१
७—श्री विशनु कुमार जिंदल	आनरेरी बेंच मैजिस्ट्रेट	२१-५-५३

*६२—श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या यह सही है कि इन आनरेरी मैजिस्ट्रेटों में से कुछ हिन्दी न जानने के कारण मुक़द्दमों के फैसले अभी तक उर्दू में लिखते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—आनरेरी बेंच मैजिस्ट्रेटों को हिन्दी का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण तथा अधिक कार्य के कारण उर्दू में काम करना पड़ता है ।

*६३—श्री राम चरन लाल गंगवार—[७ जनवरी, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या ४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

बरेली जिले में नलकूपों की संख्या

*६४—श्री रामचरन लाल गंगवार—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरेली जिले में कितने Tube wells बनवाये गये हैं ? उनमें कितने चालू हालत में हैं और उनसे कितनी भूमि की सिंचाई की जाती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बरेली जिले में ६४ राजकीय नलकूप बनवाये गये हैं यह सब नल कूप इस समय चालू हालत में हैं । इनसे १३६० फसली वर्ष में कुल १८,३२७ एकड़ भूमि की सिंचाई की गयी है ।

*६५—श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र (जिला कानपुर)—[१५ जनवरी, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या ६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया] ।

आजमगढ़ में नलकूपों के नल टूटने के कारण

*६६—श्री श्रीनाथ राम (जिला आजमगढ़)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कहां-कहां के नलकूपों के नल बोरिंग के समय टूट गये हैं और टूटने के क्या कारण हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आजमगढ़ जिले में जिन स्थानों पर नलकूपों के नल हाथ से बोरिंग के बाद, निकालते समय टूटे हैं उनका ब्यौरा निम्नलिखित है—

नाम संख्या	नाम ग्राम	तहसील
२९	शाहगढ़	मोहम्मदा बाद गोहना
५	देवपार	घोसी
५१	खुखंदवा	घोसी

टूटने का कारण केवल नीचे की जमीन की असाधारण व्यवस्था है ।

*६७—श्री श्रीनाथ राम—टूटे हुये नलों को निकालने में कितना धन व्यय हुआ है और जो निकाले जाने वाले हैं उन पर कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—टूटे हुये नलों को निकालने पर, अभी तक कुछ व्यय नहीं हुआ है और न अधिक व्यय होने की कोई सम्भावना ही है।

*६८—श्री श्रीनाथ राम—क्या इन नलों को निकालने के लिये अलग से विशेषज्ञ बुलाने पड़े हैं? यदि हां, तो कहां से?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। विभागीय इंजीनियर इस कार्य को सरलता पूर्वक करने की क्षमता रखते हैं। बाहर से विशेषज्ञ बुलाने की आवश्यकता नहीं है।

गाजीपुर के सिउरी अमहट व अमदा असकरन मौजों में राज सहायता से निर्मित कुएं

*६६—श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर के सर्किल पंचायत करीमउद्दीनपुर में सिउरी अमहट व अमदा-असकरन मौजों में सन् १६५०–५१ में कितने कुएं सरकारी सहायता से बनवाये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१६५०–५१ वर्ष में ग्राम सिउरी अमहट में तीन और ग्राम अमदा असकरन में दो पक्के कुएं राज सहायता द्वारा बनवाये गये थे।

*७०—श्री शिवपूजन राय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त मौजों में कितने प्रार्थी किसानों को कुएं बनवाने के लिये सहायता मिल गयी है और कितनों को मिलनी बाक़ी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उपरोक्त प्रश्न में उल्लिखित सब कुओं पर राजसहायता दी जा चुकी है।

कानपुर बिजली सप्लाई प्रशासन की सम्पत्ति के मूल्य-निर्धारण का आधार

*७१—श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि कानपुर बिजली सप्लाई प्रशासन १६४७ में अपने अधिकार में ली हुई सम्पत्ति के मूल्य-निर्धारण का आधार क्या माना है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—कानपुर बिजली सप्लाई प्रशासन ने अपने अधिकार में जो सम्पत्ति ली थी उसका मूल्य इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १६१० की धारा ५ (ब) के आधार पर नियत हुआ था।

*७२—श्री देवकी नन्दन विभव—१६५०–५१ में स्थिर यन्त्र और मशीन का मूल्य १,२२,४४,५०० रु० कूता गया है उसमें कारपोरेशन से स्थानान्तरित हुई मशीनों का मूल्य क्या है और कारपोरेशन का मूल्य क्या था ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—१,२२,४४,५०० रु० की सारी रक़म उन यन्त्रों व मशीनों की क़ीमत है, जो कानपुर इलेक्ट्रिक कारपोरेशन से ली गई थी। कारपोरेशन की सारी सम्पत्ति, जो सरकार ने ली थी उसका मूल्य २८५ लाख रुपया था।

नैनीताल जिले में बकरिया डिग्गी से आबादी तक पानी की पक्की नाली लाने के लिए प्रार्थना-पत्र

*७३—श्री खुशी राम (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला नैनीताल के धुना पाइली ग्राम की सिंचाई के लिये पानी की पक्की नाली बकरिया डिग्गी से आबादी तक लाने के लिये सन् ४७–४८ से कई बार ग्रामवासियों ने सरकार के पास प्रार्थना-पत्र भेजे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी——१५ दिसम्बर, १९४९ तक नहर विभाग का कोई डिवीजन पहाड़ी क्षेत्र में नहीं था। ग्रामवासियों का प्रथम प्रार्थना-पत्र एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर कुमायूं सर्वे डिवीजन, नैनीताल ने २४, जुलाई १९५२ को प्राप्त किया। इस गूल के लिये पानी भुवाली गधेरे से लिया जा सकता है। इस विभाग को बकरिया डिग्गी के विषय में कोई ज्ञान नहीं है।

*७४——श्री खुशी राम——क्या यह सही है कि सन् ५१-५२ में उक्त पक्की नाली बनाने के लिये सिंचाई विभाग द्वारा नाप जोख (सर्वे) हुई थी ? यदि हां, तो अब क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी——जी हां। पाड़ली योजना की नाप जोख (survey) की जा चुकी है और आवश्यक तखमीना भी बन चुका है। पहाड़ में नहरों के निर्माण का कार्य नियोजन विभाग द्वारा किया जा रहा है, किन्तु इस वित्तीय वर्ष में उक्त योजना के चालू करने में अर्थ सम्बन्धी कठिनाई है।

विभिन्न विभागों में फिजूल खर्च रोकने के लिए आदेश

*७५——श्री देवकी नन्दन विभव——क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने विभिन्न विभागों को फजूल खर्च रोकने के लिये कोई आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम——जी हां। कार्यकुशलता को कम किये बगैर सरकारी खर्च में जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा कमी करने के लिये कड़े आदेश किये गये हैं।

*७६-७७——श्री रामनरेश शुक्ल——[५ जनवरी, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

बुलन्दशहर में नलकूप बनवाने की योजना

*७८——श्री रामचन्द्र विकल——क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि दोआबा हीन्डन व जमुना तथा हीन्डन नदी के बायें किनारे के क्षेत्र (जिला बुलन्दशहर) में ट्यूबवेल बनवाने की योजना पर वह विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी——इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई योजना नहीं है।

बुलन्दशहर में सिंचाई के लिये भूमि का सर्वे

*७९——श्री रामचन्द्र विकल——क्या सरकार ने बुलन्दशहर जिले की ऐसी भूमि का जहां सिंचाई का कोई साधन नहीं है सर्वे कराया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी——हां, इस क्षेत्र का सर्वे किया जा चुका है।

*८०——श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)——[५ जनवरी, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

तहसीलों के खजान्चियों (तहवीलदारों) की नियुक्ति, बरखास्तगी तथा वेतन आदि

*८१ श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)——क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसीलों में जो खजान्ची (तहवीलदार) काम करते हैं वह क्या सरकारी कर्मचारी हैं ? यदि नहीं, तो उनकी नियुक्ति व बरखास्तगी आदि तथा वेतन कौन नियत करता है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—तहवीलदार सरकारी नौकर नहीं हैं बल्कि सरकारी खजांचियों के निजी कर्मचारी हैं। तहवीलदारों का वेतन सरकार शासकीय आज्ञा द्वारा नियत करती है पर उनकी नियुक्ति और बर्खास्तगी का अधिकार सरकारी खजान्चियों को होता है जिनके कि वे कर्मचारी हैं, पर शर्त यह है कि खजाने या मातहत खजाने में किसी व्यक्ति को नियुक्त करने के पहले जिलाधीश की मंजूरी लेना जरूरी है। सरकारी खजांचियों के लिये यह भी लाजिमी है कि जिलाधीश के आदेश पर वे अपने किसी भी कर्मचारी को नौकरी से हटा दें।

*८२—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त खजांचियों (तहवीलदारों) की नौकरी किन नियमों पर आधारित है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—तहवीलदार सरकारी नौकर नहीं हैं, इसलिये उनकी नौकरी के नियमों का कोई सवाल नहीं उठता।

*८३—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त खजांचियों का उत्तर प्रदेशीय तहवीलदार यूनियन की ओर से सरकार की सेवा में क्या मांगें पेश की गई थीं तथा ८ नवम्बर, ५२ को उनके शिष्ट मंडल ने वित्त मंत्री से जो भेंट की थी उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—तहवीलदारों की यूनियन ने समय-समय पर बहुत सी मांगें पेश की हैं, जिनमें मुख्य ये हैं—

(१) सरकारी खजांचियों की नियुक्ति के तरीके को खत्म कर देना और तहवीलदार, स्टेम्प वेंडर और मनी-टेस्टर को सरकारी नौकर घोषित करना।
(२) तहवीलदारों को ७५–५–१२० रुपया प्रति मास की दर से वेतन देना।
(३) डाक्टरी सार्टिफिकेट पर पूरे वेतन पर छुट्टी देना।
(४) नौकरी से हटाने या बरखास्त करने की आज्ञा के विरुद्ध अपील का अधिकार।
(५) काम के घंटे मुक़र्रर करना।
(६) केन्द्रीय सरकार की दर से महंगाई भत्ता देना।
(७) साधारण कर्मचारियों की तरह पेंशन का फायदा।
(८) नान-बैंकिंग खजानों के बैंकिंग खजानों में बदले जाने पर जिन तहवीलदारों की नौकरी समाप्त हो जाय उनको नौकरी देना।

तहवीलदारों के शिष्ट मंडल ने ८ नवम्बर, सन् १९५२ ई० को वित्त मंत्री से मिलने पर इनमें से कुछ मांगों को दोहराया। उन मांगों पर विचार किया गया, जिन्हें मौजूदा तरीके में आमूल परिवर्तन किये बिना मंजूर किया जा सकता था और उनके सम्बन्ध में आवश्यक सरकारी आज्ञा जारी की जा चुकी है। मिसाल के तौर पर इम्पीरियल बैंक की नई शाखायें खुल जाने पर कुछ तहवीलदार बेकार हो गये थे। उनके बारे में इम्पीरियल बैंक से लिखा-पढ़ी की गयी और छटनी में आये हुये उन तहवीलदारों को बैंक नौकरी में रखने के लिये राजी हो गया, जिनके पास आवश्यक योग्यता थी। इस आशय की भी आज्ञा जारी हो चुकी है कि किसी सरकारी खजान्ची को तहवीलदार को छुट्टी वेतन उसी सूरत में मिलेगा जब कि किसी तहवीलदार को सचमुच पूरे वेतन पर छुट्टी दी गई हो। सरकारी खजांचियों को इस बात की भी चेतावनी दे दी गई है कि यदि तहवीलदारों आदि के साथ उनकी धांधली का कोई मामला सरकार के सामने आया तो वह सरकार की नाराजगी का बायस होगा। बाक़ी मांगों में से कुछ पर अभी विचार किया जा रहा है और कुछ इसलिये नामंजूर कर दी गई हैं कि उन्हें माना नहीं जा सकता था, (जैसे कि ऊपर की मांग नं० २।)

अतारांकित प्रश्न

कुटीर उद्योगों के लिए बिजली की दर कम करने पर विचार

१—श्री देवकी नन्दन विभव—क्या सरकार कुटीर उद्योगों के लिये बिजली की दर कम करने पर विचार कर रही है ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं।

अमेठी तहसील, जिला सुल्तानपुर में नहर की योजना

२— श्री रणञ्जय सिंह (ज़िला सुल्तानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अमेठी तहसील (जिला सुल्तानपुर) में कब तक नहर के चालू हो जाने का सम्भावना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सुल्तानपुर जिले में जौनपुर ब्रांच की जो बड़ी शाखा बनाई जा रही है, उसका कुछ भाग अमेठी तहसील में हो कर जाती है। इस भाग की खुदाई हो चुकी है और पुल आदि बनने का कार्य शुरू होने वाला है। इस नहर के चालू होने में लगभग दो वर्ष लगेंगे क्योंकि इसमें पानी उस समय आ सकेगा जब ऊपर की नहरें चौड़ी हो जायेंगी।

३—श्री रणञ्जय सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अमेठी तहसील में नहर की योजना के अनुसार अब तक कितना धन व्यय किया गया है तथा कुल कितने व्यय का अनुमान है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अमेठी तहसील में नहर योजना के सम्बन्ध में २०,००० रुपया खुदवाई पर और २०,००० रुपया ईंटे फुकवाने पर, अर्थात् कुल ४०,००० रुपया अब तक व्यय किया जा चुका है।

इस तहसील में जौनपुर ब्रांच की बड़ी शाखा के अतिरिक्त चिलबिला डिस्ट्रीब्यूटरी के ६ मील भी बनेंगे। अनुमान है कि इस कुल काम पर १,५०,००० रुपया व्यय होगा।

४—श्री रणञ्जय सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अमेठी तहसील में नहर योजना के कारण किसानों के कितने एकड़ खेत लिये गये तथा उन्हें कितना प्रतिकर दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अमेठी तहसील में नहर योजना को नियत समय में समाप्त करने के हेतु लगभग ६० एकड़ भूमि प्राप्त हो गई है। भूमि अधिकृत करने की कार्यवाही के कागजात इस समय सम्बन्धित जिलाधीश के पास हैं। अभी कोई प्रतिकर नहीं दिया गया है। चीफ इंजीनियर को आदेश दिया गया है कि शीघ्र प्रतिकर देने की कार्रवाई का प्रयत्न करें।

५—श्री रणञ्जय सिंह—क्या यह सत्य है कि अमेठी तहसील में नहर की योजना सम्प्रत्ति स्थगित कर देने का सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक के लिये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अमेठी तहसील में नहर की योजना सम्प्रति स्थगित करने का कोई विचार नहीं है।

तहसील अमेठी में नलकूप की योजना

६—श्री रणञ्जय सिंह—क्या अमेठी तहसील में नल कूप की भी योजना पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अमेठी तहसील में नलकूप की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

फ़तेहपुर में बिजली उत्पादन के लिये योजना

७—श्री अनंतस्वरूप सिंह—क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर सिटी में बिजली उत्पादन के लिए सरकार कोई योजना तैयार कर रही है ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—सरकार इस पर विचार कर रही है कि फतेहपुर को बिजली कैसे दी जाय।

शाहदरा-सहारनपुर सड़क को बागपत से शाहदरा तक पक्की करने की आवश्यकता

८—श्री रघुवीर सिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शाहदरा-सहारनपुर सड़क को बागपत से शाहदरा तक पक्की बनवाने का सरकार का विचार है ?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं।

९—श्री उमाशंकर—[१८ दिसम्बर, १९५३ ई० को प्रश्न संख्या ४ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

रामपुर में नलकूपों की गूलों की लम्बाई

१०—श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर जिले की तहसील शाहाबाद तथा मिलक के क्षेत्रों में स्थित किन-किन सरकारी ट्यूब वेलों की गूलें कितनी-कितनी लम्बाई में पक्की बनी हुई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—रामपुर जिले की मिलक तहसील में कोई सरकारी नलकूप नहीं है। इस जिले की शाहाबाद तहसील में २५ सरकारी नलकूप हैं जिनमें से १८ नलकूपों पर गूलें १/४ मील से १ मील की लम्बाई तक पक्की बनी हुई हैं।

*उत्तर प्रदेश सिविल लाज़ (सुधार तथा संशोधन) विधेयक, १९५३

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के सामने में यू० पी० सिविल लाज (रिफार्म्स ऐन्ड अमेंडमेंट्स) बिल पेश कर रहा हूं। इसके साथ मेरी तजवीज यह है कि यह बिल एक सेलेक्ट कमेटी के सिपुर्द कर दिया जाय, लेकिन विरोधी दल की तरफ से यह कहा गया है कि वह इस पर गौर करेंगे। चुनांचे यह मामला उस दिन आगे नहीं बढ़ सका। आज में फिर यह तजवीज करता हूं कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी के हवाले कर दिया जाय। सन् १९५० में सरकार ने एक कमेटी जिसके सदर जस्टिस वांचू थे बनायी थी। उस कमेटी ने काफी लोगों के बयान ले कर अपनी रिपोर्ट मुकम्मल सरकार को दी, जो मेम्बरान को आज के कब्ल मिल चुकी होगी। और उन्हें इत्तिला होगी कि इसमें क्या लिखा है। यह पहला कदम सरकार ने इस लिए उठाया है कि हम अपने कुछ दीवानी के कानूनों में कुछ तब्दीली करना चाहते हैं, जैसे Indian Evidence Act, Transfer of Property Act, Provincial Small Cause Courts Act and the Code of Civil Procedure, etc.

गालिबन बिल के उसूलों से किसी को इख्तिलाफ नहीं होगा। वांचू रिपोर्ट की दूसरी सिफारिशों पर गौर हो रहा है। इस वक्त तो यह मसला है कि यह मौजूदा बिल सेलेक्ट कमेटी को दे दिया जाय, जिनके नाम में यह तजवीज करता हूं—

(१) श्री हबीबुर्रहमान अन्सारी
(२) श्री अब्दुल मुईज खां

*१४ दिसम्बर, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री सैयद अली जहीर]

(३) श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)
(४) श्री अजीज इमाम
(५) श्री बाबूराम गुप्त
(६) श्री त्रिलोकी नाथ कौल
(७) श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा
(८) श्री भूपाल सिंह खाती
(९) श्री लक्ष्मण दत्त भट्ट
(१०) श्री केदारनाथ
(११) श्री कल्याण राय
(१२) कुंवर बलबीर सिंह
(१३) श्री धर्मसिंह
(१४) श्री वीरेन्द्रपति यादव
(१५) श्री शिवराज सिंह
(१६) श्री नारायण दत्त तिवारी
(१७) श्री मदनमोहन उपाध्याय
(१८) श्री मलखान सिंह
(१९) श्री उम्मेद सिंह
(२०) श्री जोरावर वर्मा

मैं विधान सभा से इस्तदुआ करूंगा कि मेरी इस तजवीज को मान लें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--यह वाकया है कि सरकार का इरादा कुछ अंश तक निर्दोष है और इस बिल की मंशा से किसी का विरोध नहीं हो सकता। लेकिन हमें आशा थी कि इस मौके पर न्याय मन्त्री की ओर से एक व्यापक संशोधन के रूप में बड़ा विधेयक उपस्थित होगा यह हमारी तरफ से अध्यक्ष महोदय मांग होती रही है। अगर्चे हमारे देश में सन् १९४६ ई० से यानी ७-८ साल से कांग्रेस सरकार है, लेकिन जनता की मांग, पार्लियामेंट के मेम्बरों की मांग, विधान सभा के सदस्यों की मांगों के अलावा भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इन्डियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड में बहुत आंशिक संशोधन हुए हैं। माननीय न्याय मन्त्री जी ने अभी आनरेबिल जस्टिस वांचू की अध्यक्षता में जो कमेटी बैठी थी, उसका जिक्र किया है। इस कमेटी की रिपोर्ट भी सरकार के पास लगभग दो साल से है और मुझे ताज्जुब हुआ कि दो साल की मेहनत के बाद भी न्याय मन्त्री जी ने एक साधारण सा विधेयक उपस्थित किया और नाम-मात्र के लिए सिविल लाज में सुधार किये गये हैं। इस विधेयक द्वारा आठ कानूनों में सुधार करने की व्यवस्था की गयी है, जैसे कोड आफ सिविल प्रोसीजर, ट्रांस्फर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, इन्डियन एविडेंस ऐक्ट, प्राविंशियल इन्सालवेंसी ऐक्ट, प्राविन्शियल स्माल काज कोर्टस् ऐक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यू० पी० ऐग्रीकल्चर कोड, यू० पी० ऐग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट, इत्यादि। इस तरह से ८ कानून हैं, और संशोधन भी ८ हैं।

सरकार ने इसलिए कि जनमत जबरदस्त है और विरोधी दल भी दो साल से मांग करता रहा है कि इन लाज में व्यापक सुधार होने चाहिए। इसलिए इस जबरदस्त मांग के लिए एक बहाने की शक्ल में यह विधेयक आया है ताकि जनता भी कहे कि सरकार सुधार करती चली जा रही है और किसी को आपत्ति न हो सके।

अध्यक्ष महोदय, जस्टिस वांचू की अध्यक्षता में जो कमेटी बैठी थी, उसके टर्म्स आफ रिफ़्रेंस को मैं संक्षिप्त रूप में यहां पर रखना चाहता हूं। उसके टर्म्स आफ रिफ़्रेंस इस प्रकार हैं कि --

(1) to enquire into the system of administration of Justice in this State with particular reference to—

(*a*) the causes accounting for delay in the disposal of cases and other proceedings ;

(*b*) the rules of procedure and other factors which encourage unnecessary litigation and involve the parties in heavy expense ; and

(2) To report—

(*a*) What reforms are desirable in the present system of administration of Justice as will ensure to the people of the State Justice expeditiously, at less expense and without unnecessary litigation ;

(*b*) what changes are required in—

(i) the law of procedure, civil and criminal ; and in other laws, and

(ii) in the rights of appeal, etc.,

so as to simplify the processes of law and bring justice within the reach of the common man ;

(*c*) whether the system of trial with the aid of jury or assessors should be further extended, limited or eliminated and, if so, in what class or classes of cases;

(*d*) what steps are necessary to minimise the evil of perjury in law courts ; and;

(*e*)) what should be the general set-up, powers and jurisdiction of the courts, original and appellate, for attainment of the object referred to in clause (*a*) aforesaid.

अध्यक्ष महोदय, आपने ध्यान दिया है कि कितने व्यापक सुधारों के बारे में टर्म्स आफ रिफ़्रेंस थे और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उक्त कमेटी ने कितनी संख्या में सुधार प्रस्तावित किये थे, वह न्याय मन्त्री जी को मालूम होगा। जूडीशियल रिफार्म्स कमेटी की रिपोर्ट भी दो साल से हमारे सामने है, और सरकार की आसानी के लिए उसमें समरी भी दे दी गयी है ताकि हमारे न्याय मन्त्री जी को कोई दिक्कत भी न हो। इसमें अध्यक्ष महोदय, रिफ़्रेंस बाई चेंजेज इन लाज करके कितने सुधार किये जा सकते हैं, यह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। जनरल रिफार्म्स की संख्या ८ है।

कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जनरल रिफार्म्स की संख्या ८ है, सिविल की ३६, और रेवेन्यू की ३० है। विदाउट रिफरेंस चेंजेज की संख्या इस प्रकार बतायी गयी है— जनरल १६, सिविल ४, क्रिमिनल ७। जनरल वर्किंग के बारे में जो सुधार बताये गये हैं वे इस प्रकार हैं—सिविल ९, जनरल ९ तथा क्रिमिनल ३।

वांचू कमेटी ने इतने जबरदस्त सुधार रिकमेन्ड किये हैं लेकिन माननीय मन्त्री ने केवल दो विधेयक इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किये हैं—क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दो धारायें बदली जा रही हैं, तथा सिविल में केवल ८ धाराओं में ८ संशोधन उपस्थित किये गये हैं।

इन सब के अतिरिक्त एक और व्यापक प्रश्न था, जिसकी ओर भी सरकार का पूरा ध्यान नहीं गया है। विरोधी दल और सरकारी दल की तरफ से तथा जनता की तरफ से इस

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

बात की बहुत मांग थी, कि जुडिशियरी को ऐडमिनिस्ट्रेशन से अलहदा किया जाय, लेकिन अभी तक केवल १० जिलों में ही नाममात्र को सेपरेशन किया गया है, तथा उनको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स के अधीन रखा गया है। वांचू कमेटी ने भी जो रिपोर्ट पेश की है, उसमें भी इस बारे में जबरदस्त मांग की गयी है लेकिन इतने दिनों के बीत जाने पर भी केवल १० जिलों में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अलहदा किये गये हैं और उनको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अधीन रखा गया है। वांचू कमेटी ने कहा है कि उनको हाई कोर्ट के अधीन रखा जाना चाहिए ताकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उन पर बेजा असर न डाल सकें। इस सम्बन्ध में विरोधी दल और जनता को शांत करने के लिए दिखावे के तौर पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को रख दिया है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उनके कामों में इन्टरफियरेंस करते हैं, ऐसी कितने ही जुडिशियल आफिसरों की शिकायत है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही उनकी तरक्की आदि के बारे में रिपोर्ट देते हैं और जैसी उनकी रिपोर्ट होती है, वैसी ही कार्यवाही की जाती है। एक बात और है, वह यह है कि जहां तहसीलदारों को ५०० रुपया तनख्वाह २५ रु० माहवार तरक्की दी जाती है, और उनकी तरक्की हजारों रुपये तक जाकर वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तक हो सकता है। वहां जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को केवल ३०० रुपया से ५०० रुपया तक दिया जाता है। उससे आगे उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)——व्यवस्था का प्रश्न। श्रीमान् जी, जो विधेयक इस समय विचाराधीन है, वह सिविल के बारे में है, इसलिए उसके सिलसिले में क्रिमिनल लाज और रेवेन्यू लाज का हवाला देना असंगत मालूम देता है।

श्री अध्यक्ष——आप अपने को विधेयक तक ही सीमित रखें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी——श्रीमान् जी, यह मैंने इसलिए कहा कि वांचू कमेटी का हवाला उद्देश्य और कारणों में भी दिया हुआ है। वहां पर लिखा हुआ है——

> "सन् १९५० में राज्य सरकार ने इलाहबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति श्री के० एन० वांचू की अध्यक्षता में न्याय प्रशासन की प्रणाली की जांच करने के लिए और विशेषतः मुकदमों के निस्तारण में देरी, कार्यवाहियों की बहुलता और अधिक व्यय के विषय में जांच करने और अनावश्यक मुकदमेबाजी को समाप्त करने और अल्प अवधि में ही शीघ्र न्याय प्राप्ति के लिए सुझाव देने के निमित्त एक समिति नियुक्त की थी।"

और माननीय न्याय मन्त्री ने समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही संशोधन रखे हैं। इसलिए उसके बारे में मैंने पासिंग रिफरेंस दे दिया था।

श्री अध्यक्ष——आप पासिंग रिफरेंस दे सकते हैं लेकिन उसकी डिटेल में नहीं जा सकते।

श्री रामनारायण त्रिपाठी——अध्यक्ष महोदय, वांचू कमेटी ने जो सुझाव दिये हैं, मैं उनकी तफसील में न जाऊंगा, लेकिन उसमें से कुछ नमूने मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वे इस प्रकार हैं——

"1. More cases may be tried as Small Cause Court cases.

2. The period of limitation for suits under summary procedure may be increased.

Process may by issued simultaneously by registered post."

ये तीन मामूली सुधार हैं जो मैंने आपके सामने रखे।

"Presumption of section 90 should also apply to certified copies of documents which are 30 years old.

Registered documents or their certified copies produced from proper custody may be accepted by the Courts."

इस समय ये सुधार उपस्थित किये गये हैं। क्रिमिनल के सम्बन्ध में तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड खुद आने वाला है। तो जेनरल में ऐसे सुधार हैं जिनको कानूनी रूप में देने की जरूरत नहीं है। मैं दो तीन सुझाव आपके सामने रखता हूं।

"Refund voucher should be delivered within four days.
Senior lawyers should appear with comp tent juniors.
Emergent matters relating to companies and other Civil matters should also be heard during Civil Court vacations."

तो ये साधारण सुधार तो कानून में बिना परिवर्तन हुए हो सकते थे। यदि ऐसा नहीं होता, तो ऐसी सूरत में इस विधेयक का स्वागत करना काफी तो है ही। लेकिन सरकार ने देर से ही सही, "देर आयद दुरुस्त आयद" जनमत का थोड़ा सा प्रभाव उसके ऊपर पड़ा और उसने थोड़े से सुधार किये। लेकिन मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए यह बतलाना चाहता हूं कि यह जनमत की और हमारी भी जबरदस्त मांग है।

श्री अध्यक्ष—आप इस प्रस्ताव के अपोजीशन में बोल रहे हैं, या कोई संशोधन आप पेश कर रहे हैं?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—शुरू में ही मैंने कह दिया था कि सरकार की तरफ से जो सुधार उपस्थित किये गये हैं, मैं इस अवसर को लेते हुए इसकी इनएफिशियेंसी के बारे में कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—आखिर आप क्या कह रहे हैं?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—सरकार ने जो सुधार पेश किया है, वह नाकाफी है, उसी पर मैं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—तो क्या आप इसका सरकुलेशन चाहते हैं या कोई अन्य बात चाहते हैं?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं सरकार के समर्थन में ही कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—तो समर्थन के लिए इतना डिटेल में जाने की विशेष आवश्यकता नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैंने इस अवसर का लाभ उठाकर माननीय न्याय मन्त्री से इशारा मात्र किया है कि जनमत की ओर से विरोधी दल की जबरदस्त मांग है कि सिविल ला के सम्बन्ध में शीघ्र ध्यान दिया जावे और एक व्यापक विधेयक इस सदन के सामने उपस्थित किया जावे।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो सम्मानित सदन के समक्ष उपस्थित किया गया है, इसके विरोध में म खड़ा हुआ हूं, क्योंकि इसके उद्देश्य और कारण पर यदि दृष्टिपात किया जाय, तो इस विधेयक के द्वारा उस मंशा और उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती, जिसक लिए कि यह विधेयक इस सदन के सामन लाया

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

गया है। श्रीमन्, माननीय जस्टिस वांचू की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गयी थी। उसका मंशा यह था, और इस कर्तव्य के लिए वह नियुक्त की गयी थी कि मुकदमेबाजी में जो फिजूलखर्ची है, वह कम की जाय। जस्टिस में जो डिले होता है, वह दूर किया जाय और जिस कदर हो सके फिजूल मुकदमेबाजी को रोका जाय। श्रीमन्, इस विधेयक को देखते हुए इसके ऊपर जितने भी संशोधन लाये गये हैं, वे इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक भी नहीं दिखलायी देते हैं।

अब मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान एविडेंस ऐक्ट की दफा ९० का तरफ दिलाता हूं। जो डाकुमेंट्स २० साल पुराने हैं, उनको साबित करने के लिए इस बात की जरूरत नहीं थी कि उसके लिए किसी दीवानी अदालत में कोई साक्षी बुलाया जावे, या एक्जीक्यूटर बुलाया जावे या किसी तरह की शहादत हो। लेकिन इस विधेयक में ३० साल से कम करके २० साल किया गया है। श्रीमन्, स्वयं माननीय न्याय मन्त्री जी को भी इसका अनुभव होगा और वे भविष्य में भी देखेंगे कि इस तरह के संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं थी। ड्यूली रजिस्टर्ड डाकुमेंट्स जो हैं उनको प्रमाणित करने के लिए किसी भी दीवानी अदालत में जाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन श्रीमन्, इसका परिणाम यह होगा कि बहुत से ऐसे डाकूमेंट्स जो रजिस्टर्ड कराये जाते हैं, गवाह जिस तरह से उन पर होते हैं उनकी वजह से बहुत से दस्तावेज जैनुइन नहीं होते हैं। अब उनको जैनुइन मान लिया जायगा महज इस वजह से कि उनके गवाह नहीं आ सकेंगे। अब श्रीमन्, किन सरकमस्टांसेज में वह डाकूमेंट्स किये गये थे इसका कोई सबूत नहीं होगा। इससे बहुत सी गड़बड़ियां उत्पन्न हो जायंगी और माननीय मंत्री एक तरह से लोगों को बेईमानी कराने पर उतारू करने के लिये आमादा हैं।

इसी तरह से एक संशोधन इंडियन एवीडेंस ऐक्ट में है। ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट की धारा १०६ में अमेंडमेंट किया जा रहा है। इस संशोधन से कोई लाभ नहीं निकलने वाला है। अब १५ दिन की नोटिस की मियाद को बढ़ाकर ३० दिन की नोटिस का किया जा रहा है। इससे न कोर्ट्स के काम में कमी होती है और न फिजूलखर्ची में कमी होती है और न जस्टिस की डिले में कमी होती है। महज नोटिस देने वालों के लिए एक थोड़ा सा प्रतिबन्ध होता है और नोटिस देने के लिये एक सहूलियत जो यह बरती गयी है कि उस नोटिस की मियाद किरायेदारी की आखिरी तारीख की नहीं रहेगी इससे इस विधेयक के उद्देश्य में कोई सरोकार नहीं है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया इस पर प्रकाश डालें। ट्रांसफर आफ इंडियन प्रापर्टी ऐक्ट की धारा १०६ में परिवर्तन करने से जस्टिस के जल्दी मिलने या कम खर्च में मिलने में कौन सा लाभकारी, कल्याणकारी और श्रेयस्कर कदम उन्होंने उठाया है?

प्राविंशियल स्माल काजेज कोर्ट्स ऐक्ट के शिड्यूल २ में भी संशोधन किया जा रहा है। जहां तक किसी अदालत के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की बात है उसमें मुझे हर्ष है और मैं मंत्री महोदय को बधाई भी दे सकता हूं परन्तु इससे भी विधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं होता। मैंने यह माना कि अधिकार क्षेत्र बढ़ने से और अदालतों का काम हलका होता है लेकिन स्माल काजेज कोर्ट्स का जहां तक सम्बन्ध है उनके पास भी काम किसी माने में कम नहीं है। बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ में जो संशोधन किया जा रहा है उससे भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। अब तक ५ हजार से ऊपर हाईकोर्ट के अधिकार-क्षेत्र में था और १० हजार तक उसको मुकदमा देखने की इजाजत दी जा रही है। बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट की दफा २० में यह प्राविजन है कि कोई भी आर्डर जो है वह अपीलेबिल है।...

श्री अध्यक्ष—आप मुख्तसिर में कहिये। आपका जो उद्देश्य कहने का है वह तो यही है कि इस बिल में जितने अधिनियम में परिवर्तन या संशोधन किये जा रहे हैं उनसे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। मैंने इसीलिये बीच में आपको नहीं टोका कि अगर

आप उदाहरण नहीं देंगे तब तक समझ में आपकी बात नहीं आयेगी लेकिन आप सब संशोधनों की बात शुरू कर देंगे तब तो वह क्लाज बाई क्लाज डिस्कशन हो जायगा और उसकी मैं इजाजत इस वक्त नहीं दूंगा ।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं सिविल प्रोसीजर कोड के बारे में कह रहा हूं और उदाहरण देकर बतला रहा हूं, उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है, यह बात आप क्लाज लेकर बतला रहे हैं। एक एक क्लाज़ को लेकर आप यह बतला रहे हैं कि क्लाज़ में जो सुधार किया गया है उससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--यह जो विधेयक पेश किया गया है इसमें महत्वपूर्ण संशोधन किये जा रहे हैं। उसके विरोध में मुझे यह कहना है कि जहां तक मुकदमेबाजी का ताल्लुक है शुरुआत में यह हुआ करता है कि अगर किसी पार्टी ने शुरुआत में यह उजर नहीं लिया कि यह डिफेन्स का क्लेम है और प्रिविलेज है तो श्रीमन्, तब तक यह प्ली नहीं हो सकती ह कि अदालत के हाथ बांधे जायं। माननीय मंत्री जी स्पेशल क्लाजेज़ पास कर रहे हैं। अगर किसी पार्टी की हुकूमत है और दूसरी पार्टी या फरीक इस बात पर आपत्ति करता है कि यह उसका प्रिविलेज है और उस वक्त वह इस बात को प्ली नहीं लेता है तो अदालत के लिये यह मौका है कि मुकदमे की पैरवी हो। किसी के पास धन की कमी है जिसकी वजह से वह अदालत में न्याय नहीं पाता है तो डिफेन्स का यह प्रिविलेज है। मैं समझता हूं कि यह अधिकार सिविल प्रोसीजर कोड में है और वह जरूरी मालूम होता है।

जहां तक दूसरे संशोधन का सम्बन्ध है जो कि सिविल प्रोसीजर कोड में संशोधन हो रहा है वह तो मुझे कबूल है और उस पर मुझे विशेष आपत्ति नहीं है। इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट में हम यह करने जा रहे हैं कि डिगरीदार अपनी डिगरी को जिन्दा रखने के लिये और अपनी मियाद बढ़ाने के लिये केस दायर करता है और इसमें वह मियाद बढ़ाई गयी है। उसका ३ साल से ६ साल कर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप ६ साल के बजाय उसका १२ साल कर दें तो यह उचित होगा, क्योंकि उसमें भी आपको आपत्ति नहीं होगी

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह डिटेल की बात है सेलेक्ट कमेटी में भी कही जा सकती है।

श्री केशव गुप्त--अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय न्याय मंत्री ने प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के सम्बन्ध में विधान सभा के सामने रखा है मैं उसका स्वागत करता हूं। यह बात मानी हुई है और स्वयंसिद्ध है कि हमारे यहां जो मौजूदा न्याय की प्रणाली है वह हमारे देश और प्रदेश की परम्परा और वर्तमान परिस्थिति के बिलकुल विपरीत है। मैं यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि जिन लोगों को इन कोर्टस में प्रैक्टिस करने का मौका मिला या जिनको अदालत में मुकदमा ले जाने का मौका मिला वह जानते हैं कि आज न्याय दिया नहीं जाता है बल्कि आज न्याय बेचा जाता है। जितना पैसा जिसके पास होता है उतना न्याय उसको मिलता है। जिसके पास पैसा कम है उसको न्याय नहीं मिलता है। इंग्लैंड के अन्दर भी न्याय दिया जाता है लेकिन वहां पर पैसा नहीं लिया जाता है। हमारे यहां पर गरीब लोगों को न्याय मिलने की सुविधा नहीं है। इस सिविल ला के अन्दर आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है और ऐसा न्याय बनाने की आवश्यकता है जिससे सरल और सीधा न्याय हम दे सकें और पैसे से हम न्याय न दें।

[श्री केशव गुप्त]

इसीलिये वान्चू कमेटी रिपोर्ट में राइटिंग आन प्रिंसिपल ला के अन्दर इस ओर इशारा भी किया गया है, लेकिन यह मानी हुयी बात है कि इन सिविल लाज को जिनको हम तरमीम कर रहे हैं उनका सम्बन्ध सारे देश से है और उनकी आवश्यकता भी है। उनका यह कहना भी ठीक है कि यदि हम उन में आमूल परिवर्तन करना चाहते हैं तो वह तो हमारे देश की संसद को करना होगा ताकि वह सारे देश और प्रदेशों में एकसा लागू हो सके। लेकिन अपने प्रदेश की परिस्थिति को देखते हुए जितना हम कर सकते हैं और हमारी जितनी न्याय की सीमा है उसको सामने रखते हुये हम भी एक हदतक जा सकते हैं। इस तरफ वांचू कमेटी की रिपोर्ट में भी इशारा किया गया है। परन्तु हमें इस बात का दुख है कि संशोधन का दायरा बहुत ही सीमित रखा गया है और जिन सीमित संशोधनों की ओर इशारा किया गया है वे बहुत ही आवश्यक हैं और उनकी ओर जल्द ही क़दम उठाना चाहिये था। उस रिपोर्ट को सामने आये हुये भी आज २ साल हो गये लेकिन दो साल के बाद भी जो बिल आता है तो उसमें भी केवल ४—५ संशोधन ही सामने रखे गये हैं और ५०—६० सिविल लाज के संशोधन छोड़ दिये जाते हैं जो बहुत आवश्यक थे। मौजूदा संशोधनों में समय कम लगे इसके लिये बहुत कम तरकीब की गयी है। अगर प्रोसीजर में कुछ तब्दीली कर दी जाती तो देर जरूर आगे कम लगने की सम्भावना हो सकती थी। जैसे मिसाल के तौर पर प्रोसेस सर्वर के जरिये से तामील में बहुत देर लगती है। उसके बजाय अगर रजिस्ट्री डाक से करने की तजवीज होती तो बहुत अच्छा था, क्योंकि अब देश के कोने-कोने में डाकखाने मौजूद हैं। ऐसा संशोधन भी बहुत जल्द हो सकता था। इसी तरह से गार्जियन्स के एप्वाइन्टमेन्ट के बारे में भी बड़ी आसानी से तरमीम की जा सकती थी, इसी तरह से प्राविंशियल स्माल काजेज कोर्ट की सीमा को भी ५०० रुपये तक आसानी से कर सकते थे। इसके अलावा जिन चीजों से आज दिक्कत होती हैं उनमें थोड़ा सा परिवर्तन इस समय हो सकता था जिससे सूबे में जरा खलबली मच सकती थी।

जो संशोधन किये जा रहे हैं उनका तो मैं स्वागत करता हूं, परन्तु मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट में जो १५ दिन के बजाय ३० दिन की अवधि रखी गयी है और आप ने एक्सपायरी आफ डेट की बात अब नहीं रखी है। जिसकी वजह से दोबारा-तिबारा मुकदमें लाना पड़ते थे लेकिन आप ने जो सहूलियत लैन्डलार्ड को दी है उसी तरह से लेसी को भी आप को मौका देना चाहिये और जिस तरह से वह खतम कर सकता है उसी तरह से उसको भी किसी भी तिथि को ३० दिन का नोटिस देकर टेनेन्सी खत्म करने का मौक़ा मिलना चाहिये। आप की तरमीम से तो केवल लैन्डलार्ड को ही सुविधा मिलती है, लेकिन किरायेदार की दिक्कतें वैसी ही बनी रहेंगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि प्रवर समिति में इस बात के ऊपर ध्यान रखा जाय और जो चीजें वांचू कमेटी की रिपोर्ट में हैं उनका विस्तार भी प्रवर समिति में बढ़ाया जा सकता है। इस तरह की रूलिंग भी हो चुकी है कि धाराओं के आगे भी उसके रूप को आप ले जा सकते हैं। इसलिये प्रवर समिति में जितने और संशोधन इसमें हो सकते हैं वह और किये जायं और वांचू कमेटी की रिपोर्ट के काफी सुझाव इसमें लाये जा सकते हैं ताकि वांचू कमेटी की रिपोर्ट का सफल इस्तेमाल हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नौरंग लाल (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, माननीय न्याय मंत्री जी की ओर से जो प्रस्ताव इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के सम्बन्ध में आया है उसका मैं समर्थन करता हूं। अब तक विरोध केवल इस बात का किया गया है कि इसका प्रसार बहुत कम है और जो सिफारिशें वांचू कमेटी रिपोर्ट में हैं वे इसमें नहीं हैं। लेकिन यह जरा सोचने की बात है कि जहां तक सिविल लाज का ताल्लुक है तो जुरिस्प्रूडेंस इस बात

को बताती है कि सिविल ला चूंकि कन्वेंशन पर निर्धारित हुआ करता है और ये कन्वेंशन जो होते हैं वह बाप दादों के जमाने से चले आते हैं। इसलिये हर गवर्नमेंट का यह फ़र्ज़ है कि जहां तक सिविल लाज़ में परिवर्तन का ताल्लुक है वह परिवर्तन कम से कम किए जाय जहां तक क्रिमिनल लाज़ के परिवर्तन का प्रश्न है उससे तो इतनी ज्यादा हानि नहीं होती लेकिन सिविल लाज़ को चेंज करने में हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिये यह पुराने ज़माने से चले आते हैं और इनका बड़ा भारी असर हम सब पर पड़ता है। इसलिये इनमें कम से कम चेंज होने चाहिये। मेरा ख्याल यह है कि माननीय मंत्री जी ने जो थोड़े से इनमें चेंजेज़ किये हैं वह इस ख्याल के मातहत किये हैं कि देखें इसका असर पब्लिक पर क्या पड़ता है। अगर यह असर अच्छा पड़ेगा और अगर ये सफल हो जायंगे तो मेरा ख्याल यह है कि यह हमारा पहला इंस्टालमेंट होगा। इसके बाद दूसरे इंस्टालमेंट आयेंगे और जितनी रिकमेंडेशन वांचू रिपोर्ट में दी गयी हैं उन सबको मान लिया जायगा। अपने इस आइडिया के मातहत जहां तक मेरा ख्याल है मंत्री जी ने इस सिविल लाज में संशोधन किया है। एक बड़ी गलतफहमी हो गई, ला के बारे में हमारे माननीय सदस्य को कि जिसमें उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट यह ला बदल रही है कि एविडेंस ऐक्ट में जो डाकुमेंट्स होंगे उनकी सर्टीफाइड कापीज ही पर्याप्त हो जायंगी एक जज के लिये इस बात को तय करने के लिये कि वह लेख्य कहां तक सही है। यहां जो शब्द है, वह है प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन और पर्याप्त में बड़ा अन्तर है। पर्याप्त मान लिया जायगा उनका यह कहना गलत है। प्रिजम्पशन के माने यह हैं कि बगैर किसी विरोध के वह document उस वक्त तस्लीम कर लिया जायगा जब तक कि वह दूसरी पार्टी की ओर से झूठा निर्णीत न हो जाय। फर्ज कर लीजिये कि पार्टी ने कोई गलत डाकुमेंट्स दे दिये तो दूसरी पार्टी उस प्रिजम्पशन को तोड़ सकती है। दूसरी पार्टी और साक्षियों को बुला सकती है और बुला करके उस प्रिजम्पशन को रद्द कर सकती है और बेइमानी का भंडाफोड़ कर सकती है। चूंकि उन्होंने पर्याप्त का शब्द इस्तेमाल किया, इसलिये वह यह दलील दे गये। लेकिन वह दलील गलत है।

अब सिर्फ दो एक बातें सिविल लाज को चेंज करने के संबंध में वांचू कमेटी के सामने थीं। एक तो यह थी कि यह भ्रष्टाचार कैसे दूर हो और दूसरी यह थी कि डिले कैसे दूर हो। हमें यह देखना चाहिये कि इन उद्देश्यों से जो इस ला में संशोधन किया गया है वह कहां तक पर्याप्त है। यह सही है कि यह उतनी हद तक नहीं जाता जितनी कि वांचू कमेटी रिपोर्ट ले जाना चाहती है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ दूर तक तो आता ही है।

जहां तक कि करप्शन का ताल्लुक है उसमें मैं कहूंगा कि अगर इसमें प्रसार बढ़ सके तो जिस वक्त कि यह प्रवर समिति के सामने जाय उस वक्त इसके स्कोप को बढ़ाया जाय और माननीय मंत्री जी को दो बातों का इसके लिये ख्याल रखना चाहिये। जहां तक करप्शन का सवाल है, जुडिशल आफिसर्स के अप्वाइन्टमेंट्स जो होते हैं, उनमें जरूर कुछ न कुछ परिवर्तन होना चाहिये। इनके अप्वाइन्टमेंट्स के बारे में वांचू कमेटी में भी काफी रिकमेंडेशन है, उनको भी सोचना चाहिये और अपने जो ओरिजनल विचार हों इसके संबंध में उनको भी सोचना चाहिये। इनके अप्वाइंटमेंट्स में जो मुंसिफ वगैरह आ जाते हैं इनके बारे में विचार करना चाहिये। दूसरे यह कि करप्शन को दूर करने के लिये यह जो वांचू कमेटी रिपोर्ट है कि सेपरेशन आफ पावर हो, जुडिशियरी को एक्जीक्यूटिव से अलग होना चाहिये। इस पर भी विचार करना कि कहां तक हम इसको ले जा सकते हैं। इस बिल के अन्दर यह नहीं है लेकिन यह चीज जरूरी है कि सेपरेशन आफ पावर हो। इसे सोचना चाहिये और यह भी देखना चाहिये कि क्या यह ठीक होगा कि हम जुडिशिल मैजिस्ट्रेट की जगह क्रिमिनल मुंसिफ रख दें। जहां तक इस ला का ताल्लुक है मेरा ख्याल है कि इसमें तो जरूरत नहीं है क्योंकि सिविल ला में तो जज पहले से अलग हैं। क्रिमिनल ला में इसकी जरूरत पड़ेगी।

जहां तक डिले का ताल्लुक है उसमें एक चीज जरूर सोच लेनी है वह यह है कि प्रोसेस के संबंध में हमें जरूर कुछ न कुछ करना है। सर्विस में जो डिले हो जाती है उसको

[श्री नौरंग लाल]

जरूर चेक करना है। उसकी वजह यह है कि सिविल ला पर इससे असर नहीं पड़ेगा। प्रोसेस जो होता है यह सब्सटैंशियल ला से अलग है, इसमें तब्दीली आसानी से कर सकते हैं। तो जिस वक्त यह प्रवर समिति के सामने पेश हो उस वक्त यह सोच लेना चाहिये कि प्रोसेस में जहांतक हो सके तबदीली की जाय। सेक्शन ३ से ५ तक प्रोसेस के बारे में इसमें है और यह कि वकील मौजूद हो, मुवक्किल के होने की जरूरत नहीं है, तो यह चीज भी आसानी से ली जा सकती है। यह कोई ला में रिवाल्यूशनरी चेंज नहीं है। इससे प्रोसेस में थोड़ा बहुत सुधार अवश्य हो जायगा। तो जिस वक्त यह प्रवर समिति के सामने जाय, इन चीजों पर विचार कर लिया जाय।

इस तरह से, चूंकि यह एक माडेस्ट ला है, पहला इंस्टालमेंट है, जल्दी में लाया गया है, एक काम्प्रिहेंसिव ला जैसा कि हमारे विरोधी दल के भाई चाहते हैं, एक सम्पूर्ण ला जिसमें वांचू कमेटी की सारी रिकमेंडेशंस आ जायं और मान ली जायं और करप्शन दूर हो जाय, उसे लाने में तो अभी देर लगेगी। क्योंकि जो लाज कि सालों से बने हैं, जिन पर रूलिंग हो चुकी है, पब्लिक जिनकी काफी आदी हो गयी है उनको एक दम चेंज करके गवर्नमेंट भी सुख से नहीं रह सकती है। लाज के चेंज के लिये एक साल, दो साल की मुद्दत कोई चीज नहीं होती है। उसमें १०–५ साल लग सकते हैं। इसलिये इस देरी से बेचैन नहीं हो जाना चाहिये। इसलिये जहां तक काम्प्रिहेंसिव चेंज का ताल्लुक है उसमें समय लगेगा, लेकिन यह छोटा सा इंस्टालमेंट है उसको मैं खुशआमदीद कहता हूं, इसका शुभागमन करता हूं। अगर लागू होने के बाद इसको कामयाब समझा गया तो हम आगे चल कर अधिक परिवर्तन भी करेंगे। इतना कहने के पश्चात् जो कि प्रस्ताव आया है उसका मैं हृदय से स्वागत और समर्थन करता हूं और अपने विरोधी नेताओं से और माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप लोग सबर से बैठें जल्दी न करें। एक दो साल के अन्दर सारे ला में परिवर्तन हो जायगा जैसा माननीय सदस्य चाहते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि जो बातें यहां कही गयी हैं उनको दोहराना ठीक नहीं समझता हूं और जो अमेंडिंग बिल सदन के सामने रखा गया है उसका स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

लेकिन स्वागत करते हुये श्रीमान, सरकार से इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं कि वांचू कमेटी की रिपोर्ट में जितने और भी आइटम्स थे जिन पर वह रिफार्म्स चाहते थे उनपर अगर एक काम्प्रिहेंसिव बिल बहुत जल्दी आ जायगा तो जो वांचू कमेटी बैठी थी उसका फायदा हमारी प्रान्त की जनता को भी मिल जायगा। हमारे माननीय नौरंग लाल जी का तो कहना है कि वह कानून जो पुराने वक्तों से चले आ रहे हैं और लोगों को आदत पड़ी हुई है और गांव के जो बैरिस्टर्स होते हैं उनकी समझ में वे वकीलों से ज्यादा कानून जानते हैं और उनकी ही सलाह का फायदा माननीय नौरंगलाल जी उठाना चाहते हैं, इसलिये वह चाहते हैं कि यह पुराने कानून चलते रहें और उनमें तब्दीली न हो। उनका मंशा है। यह जो उद्देश्य माननीय मंत्री जी ने रखा है वह बहुत अच्छा है लेकिन जितना वह कहते हैं वह करते नहीं हैं, इसी का अफसोस है। इसमें लिखा है——"In 1950 the State Government appointed a committee under the chairman-ship of Mr. Justice K. N. Wanchoo of the Allahabad High Court to enquire into the system of administration of justice in this state with particular reference to the causes accounting for delay in the disposal of cases, multiplicity of proceedings, and heavy expenses and to suggest measures to curtail unnecessary litigation and to secure speedy justice at less expense..."

[सन् १९५० में राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति श्री के० एन० वांचू की अध्यक्षता में न्याय प्रशासन की प्रणाली की जांच करने के लिये और विशेषतः मुकदमों के निस्तारण में देरी, कार्यवाहियों की बहुलता और अधिक व्यय के विषय में जांच करने और अनावश्यक मुकदमेबाजी को समाप्त करने और अल्प अवधि में ही शीघ्र न्याय प्राप्ति के लिये सुझाव देने के निमित्त एक समिति नियुक्त की थी।]

अध्यक्ष महोदय, इन में से कोई भी चीज नहीं हुई है। खर्चे की भी कमी नहीं होती है। आज कल की अदालतों में गरीब आदमी जो जा ही नहीं सकता है। आजकल जस्टिस बहुत कास्टली हो गई है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सेलेक्ट कमेटी में जितने भी इसमें चेंजेज हो सकती हैं या जितने अडीशन्स हो सकते हैं वह सब किये जायं। मैं सरकार से भी प्रार्थना करूंगा कि जस्टिस वांचू कमेटी की जो रिपोर्ट उनके सामने आई है उसमें जहां जहां भी उन्होंने सिविल लाज और क्रिमिनल लाज में संशोधन सजेस्ट किये हैं वह सब हाउस के सामने लाये जायं।

मुख्य मन्त्री (श्री गोविन्दवल्लभ पन्त)--श्री मदनमोहन उपाध्याय जी ने जो बातें कही हैं उनके संबंध में मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि सरकार उन सब बातों को, जिनकी ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है, यथासंभव करना चाहती है। वान्चू कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसके तीन हिस्से हैं। एक हिस्सा वह है जिसके बारे में एक्जीक्यूटिव को इंस्ट्रक्शन देने थे। उसके बारे में कोई कायदा या कानून बनाने की जरूरत नहीं थी बल्कि सिर्फ हिदायतें भेजनी थीं अदालतों को। वह सब भेज दी गई हैं। जहांतक एक्जीक्यूटिव का ताल्लुक है, जो चीजें ऐसी थीं जिन के बारे में हाई कोर्ट को रूल्स तैयार करने थे। उसके लिये हाई कोर्ट को लिखा गया। हाईकोर्ट ने कुछ कर दिये हैं और मुझे आशा है कि और भी कर देंगे। अब सिर्फ जिनमें कानून बदलना था, जिनमें तरमीम करनी थी, उनके बारे में जो दीवानी के मामलात थे, उनके लिये यह बिल पेश है। जो फौजदारी या क्रिमिनल से ताल्लुक रखते हैं उनके लिये बिल दूसरा बन रहा है और वह भी शीघ्र सदन के सामने आजायगा। तो जितनी भी बातें इस समय थीं उनको यथासंभव हम जल्दी करना चाहते हैं। गवर्नमेंट आफ इंडिया भी इस पर विचार रही है। लेकिन चूंकि इसमें देरी न हो इसीलिये हमने इसे यहां आना जरूरी समझा। इसलिये मैं समझता हूं कि हमारे और श्री मदनमोहन उपाध्याय जी के बीच में इस बात को पूरा करने में कोई अन्तर नहीं है। मैं आशा करता हूं कि दूसरा बिल जब हो जायगा वह भी सब को मंजूर होगा। जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, कोई मतभेद इसके बारे में मालूम नहीं होता है, कम से कम सिद्धांत के संबंध में। अब अगर इसकी तफसील में कोई तरमीम करनी होगी तो वह सेलेक्ट कमेटी में हो जायगी। इसलिये मेरा सदन से यह निवेदन है कि इसे सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय।

श्री सैयद अली जहीर--अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी के तकरीर करने के बाद कोई ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। वान्चू कमेटी की रिपोर्ट में जो आखिर में रिक्मेंडेशन्स दी हुई हैं, उनकी तरफ मैं तवज्जह दिलाऊंगा। जैसा अभी मुख्य मंत्री जी ने बताया, उसके कई हिस्से हैं और उन मुख्तलिफ क़िस्म के हिस्सों के ऊपर मुख्तलिफ क़िस्म की कार्यवाहियां करनी हैं। यह जो मौजूदा बिल है यह महज एक जुज है। इसके मानी यह नहीं हैं कि उनकी और जो बहुत सी रिक्मेंडेशन्स हैं उन पर अमलदरामद नहीं किया जायगा या यह कि आइन्दा उनके ऊपर बिना किसी बिल के लाये अमलदरामद नहीं होगा। वह सब कार्यवाहियां जारी हैं। बाज़ी रेक्मेंडेशन्स ऐसी हैं जिनमें ज़मींदारी एबालिशन ऐक्ट की वजह से बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। सूरते हाल में अब उस सूरत से पेश करने की शायद ज़रूरत न हो। और अगर होगी भी तो कोई दूसरा कानून उसके मुताल्लिक़ बाद में आयेगा मसलन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ ऐक्ट। जहां तक फौजदारी के मामलात का ताल्लुक़ है उनपर हम भी ग़ौर कर रहे हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट आफ इंडिया भी ग़ौर कर रही है। हम यह नहीं चाहते

[श्री सैयद अली ज़हीर]

कि कोई ऐसी बात हो जिसमें हमारा और उनका इख़्तिलाफ़ हो जाय इसी लिये इस में देर हो रही ह, उन तजावीज़ को इस हाउस में पेश करने में। इस तरह से जो दीवानी के कानूनों में तब्दीली करने की ज़रूरत थी वह हमने मौजूदा बिल की शक्ल में हाउस के सामने पेश किया है।

मैं एक छोटी सी बात याद दिलाऊंगा। वांचू कमेटी की रिपोर्ट में यह था कि जूरी सिस्टम एबालिश कर दिया जाय। चूंकि इस सिलसिले में किसी कानून के तरमीम करने की ज़रूरत नहीं थी, महज़ एक नोटिफिकेशन की ज़रूरत थी, वह हमने कर दिया। इसी तरह से बहुत सी ऐसी बातें आप को इस रिपोर्ट में मिलेंगी कि जिनके लिये किसी कानून की ज़रूरत नहीं थी बल्कि सिर्फ अहकामात जारी करने की ज़रूरत थी और वह हमने कर दिया है। जो बातें बाक़ी हैं उनके मुताल्लिक़ हम ग़ौर कर रहे हैं और मुनासिब कार्यवाहियां की जा रही हैं। सिविल प्रोसीजर कोड में आप जानते हैं कि बहुत सा प्रोसीजर शेड्यूल २ में जो रूल्स दिय हुये ह उनके मातहत होता है और उन रूल्स को तब्दील करने का अख़्तियार गवर्नमेंट और हाईकोर्ट को है। जो कुछ तरमीमात उनके मुताल्लिक़ करने की ज़रूरत है, वह सब की जा रही हैं। मैं यह अर्ज़ करूंगा कि यह ख़याल करना कि जो बातें रिपोर्ट में लिखी गयी हैं उनकी तरफ से हम गाफिल हैं या बिला वजह देर कर रहे हैं, यह सही नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि मौजूदा बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और इसके ऊपर गौर किया जाय। बक़िया जो और बातें होती रहेंगी, उनके मुताल्लिक़ जो कुछ इत्तिलाआत मांगी जायंगी, वह आपको दी जायंगी कि उनके ऊपर क्या कार्यवाही की गयी है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सिविल लाज़ (सुधार तथा संशोधन) विधेयक, १९५३, एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय, जिसके निम्न सदस्य हों—

१—श्री हबीबुर्रहमान अन्सारी
२—श्री अब्दुल मुईज़ खां
३—श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)
४—श्री अज़ीज़ इमाम
५—श्री बाबूराम गुप्त
६—श्री त्रिलोकी नाथ कौल
७—श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा
८—श्री भूपाल सिंह खाती
९—श्री लक्ष्मणदत्त भट्ट
१०—श्री केदारनाथ
११—श्री कल्याणराय
१२—कुंवर बलवीर सिंह
१३—श्री धर्म सिंह
१४—श्री वीरेन्द्रपति यादव
१५—श्री शिवराज सिंह
१६—श्री नारायणदत्त तिवारी
१७—श्री मदनमोहन उपाध्याय
१८—श्री मलखान सिंह
१९—श्री उम्मद सिंह
२०—श्री ज़ोरावर वर्मा

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—इस प्रवर समिति का अध्यक्ष मैं श्री न्याय मंत्री जी को मनोनीत करता हूं।

*रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३, पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, रामपुर की रियासत में गवर्नमेंट का इरादा था कि जमींदारी एबालिशन ऐक्ट को एक विज्ञप्ति के द्वारा नाफ़िज़ कर दें। लेकिन वहां रियासत की तरफ से कई सौ गांवों में मुस्ताजिरी इजरा या ठेकेदारी का एक तरीका था कि जिसमें कई कई साल के लिये लोगों को पट्टे पर या ठेके पर जमीन रियासत की तरफ से दी गयी थी। तो जब तक उस पट्टेदारी या ठेकेदारी को न खत्म कर लिया जाय तब तक जैसा कि जमींदारी एबालिशन ऐक्ट है उसको उस स्टेट में लागू करना कानूनन मुमकिन नहीं था। इस लिये वहां लैंड लार्ड और टेनेंट सिस्टम को खत्म करने से पहले यह जरूरी है कि एक छोटा सा अधिनियम बनाया जाय और पट्टेदारों के जो राइट्स या इंट्रेस्ट्स हैं वे ले लिये जायं और उनको कुछ थोड़ा बहुत मुआवजा, जो कानूनन निकलता हो, वह दे दिया जाय। सन् १९३७ में रामपुर में एक कानून क़ब्जा आराजी बना। उसके पहले से इलाक़ा क़दीम और इलाक़ा जदीद दो हिस्सों में सारी रियासत बटी हुई है तो इलाका क़दीम में रियासत मुस्ताजरियों को ठेका दे दिया करते थे। पहले ठेके मुख्तलिफ क़िस्म के थे। साल ब साल चलते थे लेकिन सन् १९२९ में स्टेट की तरफ से सहसाला स्कीम निकाली गई अर्थात् तीस साला ठेका देने की स्कीम निकाली गई। क्योंकि ३३, ३४ गाँव गैर आबाद हो चुके थे इसलिये रामपुर की गवर्नमेंट यह चाहती थी कि ये गाँव आबाद हो जायं। ३३ गाँव को ठेके दिये गये और शर्त यह थी कि ५ साल के अन्दर जो ठेकेदार निस्फ आराजी को रिक्लेम कर लेगा तो उस ठेकेदार को उस आराजी में जमींदार के हकूक़ दे दिये जायंगे। इस शर्त को १९ गाँवों के ठेकेदारों ने पूरा किया और वह ठेकेदार वहाँ के जमींदार हो गये। १४ गाँव उस शर्त को पूरा नहीं कर सके। १९३३ के बाद इजरायदारी का सिस्टम बन्द कर दिया गया और ४ साल तक बन्द रहा और फिर ३३ में रामपुर आराजी ऐक्ट बना और उसमें चैप्टर ३३ के मुताबिक फिर ठेकेदारी कायम की गई और एक दस साला स्कीम निकाली गई। दस साला स्कीम का यह मतलब था कि दस साल का ठेका लोगों को दिया जाता था और टर्म खत्म होने पर ५ साल के लिये टर्म फिर रिन्यु हो जाता था। ठेकेदार सारी शर्तें पूरी कर लेता था। एक नोटिफिकेशन २८ मई, १९३८ को निकाला गया था और उसी के मुताबिक यह ठेका दिया गया।

एक स्कीम बीस साला निकाली गयी थी। उसके मुताल्लिक़ १२ मार्च, १९४९ को नोटिफिकेशन निकाला गया था। उसमें इब्तदाई मियाद दस साला रक्खी गई लेकिन कुछ शर्तों को पूरा कर लेने पर दस साल के रिन्युअल का अधिकार मिल गया था। इस तरह से तीन स्कीम्स थीं। सह साला, दस साला और तीस साला। इन तीनों स्कीमों के अन्दर २९० गाँव ठेकेदारी में हैं। इसके अलावा दो गाँव और हैं जो गोशालाओं को दिये हुये हैं। ये स्पेशल टर्म्स में आते हैं और बाक़ी इन तीनों स्कीम के अन्दर आते हैं। इन सब बातों को जो मैंने अर्ज किया उनका निचोड़ यह है कि बन्दोबस्त सह साला जो है उसमें १४ गाँव हैं। इनकी साल भर की जमा ६,४७५ रु० है। ३९ गाँव २० साला स्कीम्स में हैं और उनका जमा २०,०१५ रु० है और १ गाँव स्पेशल २० साला लीज पर है उसकी जमा ६५० रु० है। दस साला स्कीम के अन्दर ६६ गाँव हैं और उनकी जमा १,९८,३५७ रु० है और १७० गाँव ऐसे हैं जिनकी लीज साल ब साल खत्म होती है। उनकी जमा ३,९२,०४७ रु० है। इस तरह से कुल जमा ६,१७,५४४ रु० है। जिस तरह से जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट में मध्यवर्तियों की सारी आय को निकाला गया फिर जितना खर्चा उनका होता है वह सब मिनहा किया गया और जो बाक़ी बचा उस पर आय निकालते हुए ८ से लेकर २८ गुना तक मुआविजा दिया गया है। मोटे तौर पर वही स्कीम इस विधेयक में रक्खी गई है लेकिन इसमें एक सूरत यह भी है कि ५

*१४ दिसम्बर, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री चरण सिंह]

गुने से ज्यादा जितने उनके नेट एसेट्स हैं और जो पक्की आय सालाना निकलती है और जितने साल के लिए उसका ठेका अभी बाक़ी है उस सबका हिसाब लगा कर उतने गुना मुआविज़ा उनको दिया जा सकता है। मान लीजिये कि किसी ठेकेदार की अभी ३ साल की मुद्दत बाक़ी है तो उसके नैट असैट्स का तीन गुना मुआवज़ा उसे दिया जायगा। लेकिन ओवर राइडिंग कंडीशन यह है कि किसी को भी ५ गुने से ज्यादा नहीं दिया जायगा। यह मोटी सी स्कीम इस विधेयक की है। यह बहुत छोटा सा विधेयक है और ज़मींदारी विनाश से पहले ऐसा क़ानून ज़रूरी है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को सदन के विचार के लिए पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसे जल्दी स्वीकार करेगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३, को सदन प्रवर समिति को विचारार्थ भेजने का निश्चय करता है। मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी का भाषण बड़े ग़ौर से सुना। मैं यह पहले ही स्वीकार कर लेता हूं कि मेरी जानकारी रामपुर की खेतीबाड़ी के सम्बन्ध में कम है लेकिन मैं समझता हूं कि रामपुर अब हमारे प्रदेश का भाग है और वहाँ के किसानों की तक़लीफ भी उत्तर प्रदेश के और किसानों की तरह होगी। मैं इस तरह की भी जानकारी रखता हूं कि उत्तर प्रदेश के रामपुर के इर्द गिर्द के ज़िले, बरेली और मुरादाबाद, रामपुर से कुछ अधिक सुविधा प्राप्त किये हुये हैं। इस सदन में कई बार एसी चर्चा हुई और माननीय राजस्व मंत्री जी क मुंह से भी मुझे सुनने को मिला कि बरेली और मुरादाबाद के जिले क मुक़ाबल म रामपुर म ८ और १० गुने तक ज्यादा लगान और मालगुजारी है।

श्री चरणसिंह--मैंने ऐसी ग़लती कभी नहीं की

श्री गेंदासिंह--इस समय तो मैं उन प्रोसीडिंग्स को पेश करने में लाचार हूं। उन्होंने ८ और १० गुना सदन में न स्वीकार किया हो, लेकिन काग़ज़ ऐसा बताते हैं कि बरेली और मुरादाबाद के काश्तकारों के मुकाबले ८ गुना और १० गुना लगान रामपुर के काश्तकारों से लिया जाता है। इसके लिये बार बार आग्रह भी किया गया कि वहाँ लगान कम होना चाहिये। मैं इस बात की अब भी उम्मीद करता हूं कि यह कमी सेलेक्ट कमेटी में जाने के बाद ठीक कर दी जाय। माननीय राजस्व मंत्री जी ने पट्टेदारी, ठेकेदारी और मुस्ताजिरी के कारण रामपुर में ज़मींदारी विनाश होने में देर की चर्चा की। मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर यह बात थी तो रामपुर इसके लिये हक़दार था कि ऐसा विधेयक आ सकता था कि जो कुछ नुक़सान उसने इस विधेयक के न आन स उठाया वह नहीं उठाया जाना चाहिये था। बहरहाल, मैं उनको उलाहना न देकर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जो कमी इस विधेयक में है उसे पूरा करने की कोशिश की जाय। मैं अभी तराई भावर के इलाक़े में गया था। वहां ३, ४ दिन रहने के बाद मेरी रामपुर के सम्बन्ध में जानकारी हुई। संयोग से तराई भावर और रामपुर की सरहद दोनों मिली हुई हैं। जब मैंने तराई भावर स्टेट फार्म की बड़ी चर्चा सुनी तो मैंने भी किसानों के हित को सोचकर यह सोचा कि उसे ज़रूर देखना चाहिये। चूंकि इस विधेयक से और तराई भावर स्टेट फार्म से कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिये मैं सदन का अमूल्य समय इसकी चर्चा करने के लिए नहीं लेना चाहूंगा। माननीय राजस्व मंत्री जी, जो कि कृषि मंत्री भी हैं, उनकी जानकारी में इन बातों को मैं लाऊंगा ताकि सम्भव है कि उस तराई भावर स्टेट फार्म का कुछ सुधार हो जाय। इस तराई भावर स्टट फार्म के जो सदर हैं उनको देखने की मेरी इच्छा हुई तो उसके लिये मुझे रामपुर जाने की नौबत आयी और मैं रामपुर स्टेट में और कुछ २-४ साथियों के साथ उनको देखने के लिये गया लेकिन इससे अधिक जानकारी मुझे नहीं मिली। लेकिन यह बात देखने को मिली कि रामपुर जो पुरानी स्टेट थी अभी तक वहाँ पर इस कानून के लागू न होने की वजह से जैसा कि ज़मींदारी विनाश ऐक्ट में यह

गुंजायश है कि कोई भी ३० एकड़ से ज्यादा भूमि में खेती नहीं कर सकता है वहाँ पर इसके लिये बहुत छूट है और इससे रामपुर में इस जमाने में भी जब कि खेती के लिये जमीन की बड़ी कमी पड़ रही है, बाहर के लोग वहाँ १००-४००-५०० एकड़ भूमि के काश्तकार बन रहे हैं और रामपुर के ग़रीब लोगों के खर्चे पर वहाँ फार्म्स बन रहे हैं।

रामपुर के गरीब किसान चाहते हैं कि उनको खेती करने के लिये भूमि प्राप्त हो लेकिन इसकी गुंजायश इस विधेयक में क़तई नहीं है। इसमें इस बात की तो गुंजायश है कि वहाँ के पट्टेदार जिनके पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है वे ग़ैर दखीलकार माने जायंगे और उनसे वह जमीन निकल जायगी और भी बहुत सी बातों की गुंजायश है। जो पट्टे ऐसे वक्त में किये गये हैं जब कि जमींन की लूट थी उनको भी लीगेलाइज़ किया जा रहा है यानी उनको क़ानूनन करार दे कर मुआवज़ा देने की बात है, उनको ३० एकड़ तक जमींन देने की बात भी कही जा रही है.....

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं आप की इजाज़त से एक बात कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि मेरे मित्र को कुछ ग़लतफ़हमी है। अगर वह दूर हो जायगी तो जो वह लम्बी तक़रीर कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं रहेगी। यह जो विधेयक है यह तो जो ठेकेदार हैं उनके हक़ खत्म करने के लिये लाया जा रहा है और जो काश्तकार हैं उनके पास कितने बड़े खेत हैं इससे कोई वास्ता नहीं है जब वहाँ जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट लागू होगा तो उसमें करें या न करें, यह बात दूसरी है। यह विधेयक तो जो कई गाँवों के ठेके हैं, वह जो काश्तकार आबाद कर सकते थे उनके लिये है और लैसी का इससे कोई वास्ता नहीं है।

श्री गेंदासिंह--बहुत अच्छा हुआ अगर पट्टेदारों के विषय में भी राजस्व मन्त्री ने कुछ कहा होता। पट्टेदारों के माने जहाँ तक मैं समझता हूं और यह विधेयक बतलाता है कि जिनके पास जमीन है और उसमें से यह कहना कि ३० एकड़ से ज्यादा जमीन ले ली जायगी, इसकी इस विधेयक में गुंजायश है। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान इस विधेयक की धारा ४ की उपधारा (ख) की तरफ दिलाऊंगा, जहाँ पर इस बात का जिक्र है। खंड ४ के उपखंड (ख) के (१) में यह है--"किन्तु, प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि का क्षेत्रफल ३० एकड़ से अधिक हो तो वह अधिक क्षेत्र रिक्त भूमि हो जायगी और उसे रिक्त भूमि समझा जायगा तथा पट्टेदार को ऐसे अधिक क्षेत्र से बेदखल किया जा सकेगा।"

श्री चरणसिंह--धारा २ की उपधारा ६ में देखिये, लीज़ की डैफीनीशन क्या है।

श्री गेंदासिंह--जो सीधी बात है और जो सीधा अर्थ इसका निकलता है उसी को समझ कर मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि ३० एकड़ से अधिक इस बात की गुंजायश रखी गयी है कि अगर ३० एकड़ से अधिक जमीन होगी तो वह अधिक भूमि समझी जायगी और अधिक भूमि समझ कर उसको बेदखल किया जा सकता है।

पट्टेदारों के सम्बन्ध में मैं यह कह रहा था कि जब यह चर्चा चल रही थी कि रामपुर रियासत भारत में मर्ज होने जा रही है, इस सदन में इसी तरह से पट्टों की बाबत कहा गया था। मिसाल के तौर पर मैं चर्चा कर दूं कि तराई भावर में एक बड़े हाकिम हैं.....

श्री अध्यक्ष--वह इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री गेंदासिंह--ऐसे पट्टे ४००,५०० या १००० के क़रीब किये गये थे। और अब इसी प्रकार के पट्टों को कानूनी करार दिया जा रहा है। अगर नहीं किया जा रहा है तो माननीय राजस्व मंत्री मेरी ग़लतफहमी को दूर कर दें तो मेरी दिक्क़त आसान हो जायगी। माननीय राजस्व मंत्री मेरी इस ग़लतफहमी को दूर कर दें कि जब से यह चर्चा हुई है कि रामपुर रियासत भारत में मिलने जा रही है, उस समय से जो पट्टे हुये हैं उनके ग़ैर कानूनी करने को, नाजायज़ करार दिये जाने की गुंजाइश इस विधेयक में नहीं है।

[श्री गेंदा सिंह]

इस विधेयक के सिलसिले में मैं दो तीन बातों को खासतौर पर बतला देना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि आजकल जमीन की भूख है। कोई भी कानून जो बने उसमें यह गुंजायश होनी चाहिये कि जमीन जोतनेवाले को, जमीन के द्वारा अपने परिवार का गुजारा करने वाले को जमीन मिलने की गुंजाइश होनी चाहिये। दूसरी बात यह होनी चाहिये कि अगर वे लगान के बोझ से पीड़ित हैं, चाहे लड़ाई के जमाने में किसानों की हालत अच्छी हो गयी हो लेकिन आज अगर व उस लगान को देने में समर्थ नहीं हैं तो उनका लगान कम होना चाहिये। तीसरी बात यह है कि जो जमीन जोत रहा है, चाहे उसे पट्टेदार ने या ठेकेदार ने दी है, जोतने के बाद उसे वह अनाज पैदा करता है और अपने परिवार की गुजर करता है, तो वह उससे नहीं छीनी जानी चाहिये। जो कानून ऐसा नहीं बनेगा उस कानून का असर अच्छा नहीं पड़ेगा। जब मैंने इस कानून को पढ़ा तो मैंने इस बात की गुंजायश कहीं भी नहीं पायी।

श्री खयालीराम, सदस्य विधान सभा, की गिरफ्तारी तथा मुचलके पर रिहाई की सूचना

श्री अध्यक्ष--मुझे श्री खयाली राम के संबंध में एक सूचना देनी है। उनके संबंध में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जो इत्तिला दी है उसकी सूचना में इस सदन को देता हूं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मुरादाबाद ने लिखा है--

"मुझे आपको यह सूचना देनी है कि इस जिले के थाना अमरोहा के ग्राम जलालपुर थाना के निवासी बाबूराम की हत्या का, भारतीय दंड विधान की धारा ३०२ के अन्तर्गत श्री खयाली राम शास्त्री सदस्य विधान सभा पर अभियोग है। इस संबंध में उनकी उपस्थिति न्यायालय में आवश्यक है, तदनुसार उनकी गिरफ्तारी के लिये वारण्ट जारी किया गया है।"

इसके बाद वे गिरफ्तार नहीं हो पाये, चूंकि वे लापता थे। फिर उसके बाद दूसरी सूचना यह है--

"आपके पत्र संख्या ४९०३/९०/५२ दिनांक १५ दिसम्बर, १९५३ के सन्दर्भ में मुझे यह सूचित करना है कि १४-१२-५३ को विधान सभा के सदस्य श्री खयालीराम ने अपने आपको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। ३,००० रुपये की दो जमानतें और इतनी ही रकम के लिए व्यक्तिगत मुचलका देने पर उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया।"

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३ (क्रमागत)

श्री गेंदा सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी के कहने के अनुसार इस विधेयक को फिर गौर से पढ़ा और कुछ माननीय सदस्यों से बातें कीं जो रामपुर के जमीन के कानून के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं, लेकिन फिर भी मेरा वह शुबहा दूर नहीं हुआ जो कि मैं दूर कराना चाहता था। मैं यह कहता हूं कि यह बहुत ही महत्त्व की बात है कि रामपुर में पिछले जमाने में जिस वक्त यह राज्य मर्जर होने की चर्चा में था उस वक्त ऐसे लोगों के पास भी जमीनों के पट्टे दिये गये जिन को वाकई कोई जमीन की जरूरत नहीं थी। इस इलाके में, न सिर्फ रामपुर में बल्कि नैनीताल में जैसा कि अभी कल माननीय मंत्री जी ने नारायण दत्त जी तिवारी के एक प्रश्न के उत्तर में बताया एक तरह से हम उसको लूट कहें तो कोई अनुचित नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक बहुत लम्बी चौड़ी फेहरिस्त नैनीताल जिले के भूमि जोतने वालों की है जिसमें कि पांच पांच हजार, तीन तीन हजार,

दो दो हजार और एक एक हजार एकड़ की काश्त उनको कहें या फार्म वाले कहें वह बनते चले जा रहे हैं। जिस प्रकार नैनीताल के तराई भावर के इलाके में इस तरह के लोग बनते चले जा रहे हैं खेती करने वाले इसी तरह से रामपुर जिले में भी बहुत बड़े बड़े लोग तीन तीन हजार, दो दो हजार और एक एक हजार एकड़ के फार्मर बनते चले जा रहे हैं। मैं बड़ी उम्मीद में था कि जो कोई भी कानून रामपुर के संबंध में आवेगा उसमें जरूर इस प्रकार से जो नाजायज तरीके से जमीन पर कब्जा किये हुये हैं या जो अनुचित ढंग पर जमीन के मालिक बनना चाहते हैं उनको मालिक बनने से रोका जायगा। इस कानून में उनकी कमी देखता हूं और इसलिये मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस कानून में इस प्रकार की कोई गुंजाइश कर दें कि जो इस तरह से जमीन हथियाये हुये हैं उनको उससे अलग किया जा सके।

दूसरी बात यह है कि लगान के सिलसिले में मैंने बहुत आग्रहपूर्वक यह बात कही थी कि रामपुर का लगान जो इस विधेयक में मानने के लिये रखा गया है उसमें कहीं इस बात की गुंजाइश नहीं है कि रामपुर का लगान जो निकट के जिलों से अधिक होगा उस लगान को कम करके लगान माना जायगा। इसलिये इस लगान के कम करने की गुंजाइश इस कानून में करना जरूरी हो जाता है कि उसमें पट्टेदार और ठेकेदार जो हैं उनके लिये मुआविजे का प्राविजन इस कानून में किया गया है कि उनको मुआविजा दिया जाय। इन लोगों के लिये जो रकम मुकर्रर की जायगी वह उनकी कच्ची निकासी और पक्की निकासी के आधार पर उनकी मुआविजे की रकम मुकर्रर की जायगी। यदि वह लगान जैसा कि मेरी जानकारी है बहुत ज्यादा है तो उसी लगान के आधार पर कच्ची निकासी और पक्की निकासी का अन्दाजा किया जायगा और पक्की निकासी के आधार पर उसका बोझा खेत जोतने वाले पर जाकर पड़ेगा। अगर उनको मुआविजा देना है मैं नहीं समझता कि उसका बोझ रामपुर के किसानों पर पड़े। मैं चाहता हूं कि यह बोझ उन रामपुर के किसानों पर न पड़े। जो ज्यादा लगान उन्होंने अब तक दिया अब आगे उसी आधार पर उनको और ज्यादा रकम न देनी पड़े इस तरह का कानून आप बनावें। अब उसी लगान के खिलाफ कच्ची और पक्की निकासी न जोड़ी जाय और उसी कच्ची और पक्की निकासी के आधार पर मुआविजा न दिया जाय।

तीसरी बात जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं यह है कि जब देश के सामने बेरोजगारी का प्रश्न है और अभी दो दिन पहले जैसा कि मैंने अखबारों में देखा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात को कहा है कि सबसे अधिक प्राथमिकता वह इस बात के लिये देंगे कि इस देश से किस तरह से अनइम्प्लायमेंट दूर किया जा सके। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जो जरिया है वह जरिया भूमि है। यदि हम इस भूमि को उन लोगों को जो बेरोजगार हैं उनको देने की बात नहीं मानते हैं और इस सिद्धांत को नहीं मानते हैं और ऐसे कानून नहीं बनाते हैं जिससे बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाया जा सके तो मैं नहीं समझता कि कोई कानून बनाकर उससे हम अधिक लाभ उठा सकेंगे। तो फिर यदि हम भूमि संबंधी कानून बनाते हैं और उसमें हम इस बात की सुविधा नहीं देते हैं कि जो बहुत बड़ी भूमि के मालिक बनते जा रहे हैं उनके लिये कोई रोक हो और बेरोजगार लोगों को एक जरिया गुजारे का पैदा हो तो उससे क्या लाभ हो सकता है। मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री जी को जानकारी होगी कि आज रामपुर के अन्दर इन ३, ४ वर्ष के भीतर बड़े बड़े फार्मर कितने ही हो गये हैं और इस प्रकार के लोग हो गये हैं कि जिनकी शक्ति ज्यादा जमीन को जोतने की नहीं है। ऐसी हालत में भी उनका रहन सहन बहुत मजे के साथ चल सकता है यदि उनके पास वह जमीन न रहे। वहां पर कोई रिटायर्ड कप्तान है, कोई कमान्डर इन चीफ़ है, कोई सेक्रेटरी है और कोई चीफ सेक्रेटरी है। इस प्रकार के लोगों की जिन्दगी बहुत मजे के साथ चल सकती है क्योंकि वे लोग पेंशन पाते हैं। लेकिन उन लोगों को कोई पेंशन का भरोसा भी नहीं है और उनके लिये एक साधन और जरिया भी गुजारे का हो सकता है। पेंशन के जरिये को छोड़कर अगर वे कोई दूसरा जरिया जोतने का अपने लिये बनाना चाहते हैं तो यह चीज मुनासिब नहीं मालूम होती है और फिर वैसी हालत में अगर हम यह कहें कि सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिये कटिबद्ध नहीं है तो हमारे राजस्व मंत्री जी को नाराज न होना चाहिये।

श्री चरण सिंह—जीने का कोई तो सहारा हो।

श्री गेंदासिंह—जो रामपुर के लोग हैं उन्हीं के लिये तो हम भी जीने का सहारा ढूंढना चाहते हैं। जो उनके प्राविन्शियल लेबर ग्रुप में भरती होते हैं और वहां जाकर वह यातनायें भोगते हैं जिनका जिक्र करना प्रान्तीय सरकार की शान के खिलाफ है और वह बेचारे अगर वहां नहीं जाते हैं तो उनको खाने को नहीं मिलता और अगर वे दूसरी जगह कम मजदूरी पर काम करते हैं तो उनको वह खूराक भी नहीं मिलती जो जीवन के लिये शक्ति देने वाली है और जरूरी है, इसीलिये वह बाहर जाकर गुजर करते हैं। इसलिये अगर सरकार उनको सहायता देगी और उन भूमिहीनों के लिये जमीन देगी जो बेकार घूमते हैं तो इससे बेरोजगारी दूर हो सकती है और उस के साथ ही ला एन्ड आर्डर का जो सवाल है वह भी हल हो सकता है। अभी सवाल यह भी है कि तराई भावर में ला एन्ड आर्डर ठीक नहीं है और वहां की हालत कहा जाता है कि पूर्वी पंजाब के लोगों के आने से हालत ठीक नहीं है और वह लोग खानाबदोश हैं। मैं समझता हूं कि जो कोई भी खानाबदोश होता है उसकी कुछ न कुछ बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मैं नहीं कहता कि बाहर से आने वाले लोग ही वहां की डकैतियों के कारण हैं।

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे श्रीमान् माफ करें अगर मैं यह कहूं कि मेरे लायक दोस्त आपकी उदारता का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और इर्रिलेवेन्ट जा रहे हैं। ज़मीन तकसीम करने से, बेरोजगारी से, तराई भावर के ला एन्ड आर्डर से इस बिल का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य बिल पर ही बोलें तो अच्छा है।

श्री गेंदासिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं तो माननीय राजस्व मंत्री जैसे आदमी को किसानों के मामले में बहुत उदार समझता हूं लेकिन जब वे कहते हैं कि इन सब बातों का बिल से सम्बन्ध नहीं है। मैं समझता हूं कि वे तमाम बातें इस बिल से पूरा सम्बन्ध रखती हैं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि एक चतुर वक्ता किसी भी विषय को संगत बना सकता है लेकिन जिन बातों का सीधा सम्बन्ध हो उनका ही जिक्र करना ठीक होगा।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, मैं चतुर वक्ता तो नहीं हूं और न मैं ऐसा दावा करता हूं। मैं तो अपनी सीधी सी बात कहना चाहता हूं। यदि माननीय मंत्री जी को आपत्ति है तो मैं अब अधिक समय नहीं लूंगा। मैं तो इस बिल में जो कमी है उनकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैंने ला एन्ड आर्डर की बात इस लिये कही कि भूखे आदमी के लिये मुसीबत हो जाती है कि वह सोचे कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। मैं बेरोजगारी की बात कह रहा था, जिसका सम्बन्ध ज़मीन से है। अगर ज़मीन ऐसे लोगों के पास पहुंच जाती है जो बगैर जरूरत के बड़े बड़े इलाकों के मालिक हो जाते हैं तो वे बेरोजगारी के कारण हो जाते हैं और उस के फलस्वरूप ला एन्ड आर्डर का सवाल पैदा हो जाता है। इसलिये मेरे इतना कहने में मंत्री जी को आपत्ति न होनी चाहिये। मैं यह कहूंगा कि इन तीन चार बातों की अभी गुंजायश है, जिनका प्रबन्ध बिल में होना चाहिये था। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा और इस मौके पर हम माननीय राजस्व मंत्री जी को प्रसन्न रखना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य ही गड़बड़ में न पड़ जाय और उस हालत में हमारे बहुत दिक्कत में पड़ जाने की सम्भावना है इसलिये उनको प्रसन्न करने के लिये मैं अपनी बात जल्द खत्म कर दूंगा। मैं उन से कहूंगा कि वह इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मेहरबानी करें और वहां जा कर देखें कि यह बिल किसानों की कठिनाई को दूर करने में कहां कहां काम नहीं कर रहा है। या कुछ शब्दों में हेर फेर करने से या जो इस विधेयक की धारायें हैं उन धाराओं में हेर-फेर करने से अगर उन कठिनाइयों को दूर किया जा सके तो फिर दूर कर दिया जाय।

मैं यह भी उनसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि उन्होंने यह जरूर कहा कि जमींदारी विनाश अधिनियम जो है उसके लागू हो जाने के बाद ये कठिनाइयां दूर हो जायंगी। लेकिन म उनसे कहना चाहता हूं कि जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम जो है वह बड़ा भारी अधिनियम है, सारे प्रदेश के लिए अधिनियम है। उसमें कहीं इस बात की गुंजायश नहीं है कि जितने भी बड़े-बड़े फार्म हैं उन फार्मों को मंसूख कर दिया जाय। उनको मंसूख करने की कोई धारा उसमें नहीं है। जहां तक कि मेरी जानकारी है अगर ऐसी कोई धारा हो तो माननीय राजस्व मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे और हम उस पर विचार करेंगे। लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि ऐसी कोई धारा उसमें नहीं है। आज इस कानून के पास हो जाने के बाद मैं जानता हूं कि उनकी कठिनाई बढ़ेगी और जो लोग वहां जमीनों पर कब्जा किये हुए हैं उनको एक मौका मिल जायगा कि वे उससे लाभ उठावें, मुआविजा हासिल करें या और कानूनी फायदा उठा करके उस पर कब्जा जमाये रहें। इस कानून के आने के बाद मैं समझता हूं कि जो कठिनाई वह आज बता रहे हैं वह कठिनाई हल नहीं होने वाली है। फिर दूसरी बात लगान की ह। अगर इस विधेयक के जरिये लगान कम नहीं कर दिया गया तो सरकारी खजाने से अगर मुआविजा दिया गया तो वह ज्यादा देना पड़ेगा या किसानों से लेकर अगर देने का तय किया कि १० गुना या कोई गुना लेकर देंगे तो उससे उनके ऊपर बोझ पड़ेगा। इसलिए लगान का कम किया जाना बहुत आवश्यक है। अगर यह कम नहीं किया गया तो यह बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा या किसानों पर पड़ेगा। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर इस विधेयक में परिवर्तन कर देने की आवश्यकता है। हम यह दावा नहीं करते कि हम इस विधेयक की सारी चीजों को समझते हैं, अगर हमारी समझदारी में कमी हो तो वह हम वहां बैठकर आपस में समझ लेंगे। ऐसे कुछ तो माननीय राजस्व मंत्री का रोब हम पर गालिब हो जाता है और मैं यह समझने लगता हूं कि उनकी जानकारी मुझ से ज्यादा है और फिर वह कुछ इधर उधर से समझा देते हैं, बस सब खत्म हो जाता है। तो समझने बूझने के बाद कोई फर्क होगा, तो वह दूर हो जायगा।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी तथा उनके द्वारा सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस रामपुर पट्टेदारी और ठेकेदारी विनाश विधेयक को इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया। ३० जून, सन् १६४६ को जब रामपुर की रियासत का अंतिम दिवस था और पहली जुलाई, १६४६ को जब रामपुर केन्द्रीय सरकार का एक अंग बना तो उसी समय वहां के लोग ४ लाख किसानों को इस बात की आशा बंधी थी कि प्रदेश के अन्य किसानों की भांति वे भी उसी प्रकार के सारे अधिकार अपने प्रयोग में ला सकेंगे जैसे कि प्रदेश के अन्य भागों में किसानों को प्राप्त थे। रियासती समय में रामपुर के किसानों को हर प्रकार से कुचला गया और वह न केवल लगान के मसले में बल्कि हर तरह की स्वतंत्रता उनकी पड़ोस के जिलों के किसानों से अधिक कुचली हुई थी और उस कुचली हुई अवस्था का एक विशेष कारण यह ठेकेदारी थी जो वहां पर कृषि के प्रबन्ध के संबंध में थी।

वहां पर सन् १६३७ से पहले एक कानून बनाया गया था और उसी कानून के अनुसार वहां जमीन का इन्तजाम हुआ करता था। उसके बाद सन् १६३७ में कानून कब्जये आराजी रियासत रामपुर बना और वह कुछ नहीं है अलावा इसके कि सन् १६२६ का जो आगरा टेनेंसी ऐक्ट है उसका शाब्दिक अनुवाद है। उसमें भी जो बाद को संशोधन किये यू० पी० की सरकार ने, वे वहां पर नहीं किये गये जैसे कि बाद में यहां पर जो स्टेच्युटरी राइट्स जमीन के लिये काश्तकार को दिये गये, रामपुर में वे भी रियासत के अन्त तक नहीं दिये गये हैं। तो १६३६ का टेनेंसी ऐक्ट यू० पी० में बना वह वहां पर नहीं लागू हुआ और रामपुर में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। वहां का किसान सन् १६२६ का जो आगरा टेनेंसी ऐक्ट था उसी के अनुकूल बने हुये सन् १६३७ के कानून कब्जा आराजी के तहत अपनी भूमि की व्यवस्था से पीड़ित था और उसके अधिकार बहुत छिने हुये थे। मुस्ताजिर या ठेकेदार या पट्टेदार चाहे वह एक साल के हों, १० साल के हों या २० साल के हों उन्होंने वहां यह किया कि गांवों को बेआबाद कर दिया। उन्होंने वहां के किसानों को तंग किया, गांवों में आग लगवा दी, किसान गांव छोड़ कर भाग गये।

[श्री कृष्ण शरण आर्य]

उसके बाद वहां के नवाब साहब ने एक सुधार यह किया कि मुस्ताजिरी के गांव जो बहुत बेआबाद हो गये थे वे जब नीलाम हुआ करते थे तो नीलाम में, जो आमदनी हुआ करती थी बोलियों से, उस से कहीं ज्यादा हुआ करती थी और उस ठेके की रकम की कमी को पूरा करने के लिये ठेकेदार वहां लगान या भेंट या अनेक प्रकार से किसानों से वसूली किया करते थे। इसके बाद वहां के नवाब साहब ने एक ऐसा नियम बनाया कि जो वहां की निकासी हो, जो वहां की नेट इनकम हो जब बोली उसके करीब १५ फीसदी कम तक आ जाय तो उस बोली को खत्म कर दिया जाय और इस तरह से नीलाम हो जाया करे। सन् १९३८ में यह कानून लागू हुआ तो फिर ठेकेदारों और मुस्ताजिरों ने यह किया कि वहां के पटवारियों और अधिकारियों से मिल कर जो निकासी थी वह कम दर्ज करवाई और उनको पहले से और ज्यादा मुनाफा हासिल होने लगा। इससे कुछ लाभ किसानों को नहीं हुआ। अतः मुस्ताजरी सिस्टम के कारण किसानों को तकलीफ थी।

दूसरी लगान वाली बात जो माननीय गेंदा सिंह जी ने कही, ठीक है। मैंने पहले भी अनेक अवसरों पर माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान आपके द्वारा इस ओर दिलाने की कोशिश की थी कि वहां लगान अड़ोस-पड़ोस के जिलों से अपेक्षाकृत ज्यादा है। मुझे विश्वास है कि माननीय राजस्व मंत्री जी, जब जमींदारी विनाश विधेयक वहां पर लागू होगा, तो उस समय इस बात को अवश्य ही ध्यान में रखेंगे कि काश्तकार इस प्रकार की लगान इत्यादि की तकलीफों से छूट सकें। लेकिन इस समय तो लगान की ज्यादती का इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि इस विधेयक का संबंध तो सीधा साधा वहां की जो मुस्ताजरी, ठेकेदारी या पट्टेदारी थी उसके अधिकारों और सरकार के अधिकारों से है। तो यह विधेयक आज इस सदन में आने के बाद वहां के किसानों को यह अवश्य महसूस होगा कि वास्तव में रामपुर में भी जमींदारी उन्मूलन होगा और वहां के भी किसान अपने बराबर वाले किसानों की भांति ही अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे।

इसके अतिरिक्त सरकार ने इस विधेयक के बनाने में जो ध्यान दिया है वह बहुत अच्छा है और बेरोजगारी के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। रामपुर शहर में वहां के लोगों की आजीविका के तीन साधन विशेष थे। एक वहां की सरकारी नौकरियां, दूसरा वहां का मुस्ताजरी ठेकेदारी सिस्टम और तीसरा व्यापार। उस मुस्ताजरी सिस्टम के अन्त होने पर यह स्वाभाविक है कि वह तीन सौ गांवों से संबंधित लोग जो अब तक गांव के ठेकेदार या मुस्ताजिर या पट्टेदार रहे हैं वह बेरोजगार हो जायेंगे। तो यह समस्या थी तो बहुत दिनों से और वह लोग खुद समझते थे कि पता नहीं जमींदारी उन्मूलन के बाद सरकार इन पट्टेदारों को मध्यवर्ती माने या न माने और इनको कोई कम्पेंसेशन दे या न दे, यह समस्या थी। हो सकता है कि हमारे उस तरफ क बठन वाले लोग यह कहें कि उनको कोई कम्पेंसेशन नहीं देना चाहिये था क्योंकि वे तो केवल कमीशन एजेन्ट्स थे लेकिन सरकार के सामने तो हर एक बात विचारणीय होती है। जिन लोगों से वह ठेकेदारी के अधिकार ले रही है उनको आइन्दा के लिये भी तो कोई साधन किसी भी रूप में दे। सरकार न यह कार्य बेरोजगारी के मसले को हल करने में मैं समझता हूं बड़ी उदारता से किया है कि उन्होंने उनके लिये मुआविजा (कम्पेन्सेशन) देने की बात निश्चित की है। सरकार की ओर से यह बड़ी उदारता की बात है। इसके अलावा जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने यह बात कही कि जब रियासत खत्म हो रही थी उस वक्त अन्धाधुन्ध तरीके से बड़ी बड़ी जमीनें लोगों को दी गईं जिस से कि आज बहुत बड़े बड़े फार्म्स चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। यह काश्तकारों के लिये बड़ी तकलीफ की बात है, लेकिन उसका इस बिल से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि वह जो बड़ी बड़ी जमीनें वहां दी गई हैं उनमें बहुत सी तो ऐसी हैं जो कि खास इलाके की हैं और कुछ पट्टेदारों की भी हैं जिन्होंने कि पगड़ी लेकर के दे दी हैं। यह जरूर है कि पहले ऐसा समय था जबकि रामपुर की जमीनों को कोई पूछता नहीं था। ठेकेदार लोग लोगों से कहा करते थे कि भाई तुम लोग इस जमीन को जोतो लेकिन वह कहते थे कि भाई मैं तो नहीं जोतता, मैं तो बटाई पर ही जोतूंगा। जब से अन्न का अकाल पड़ा तब से रामपुर में भी

जमीन की मांग बढ़ी। जब से मांग बढ़ी उस वक्त से ठेकेदारों की ऐसी मिसालें जरूर हैं कि उन्होंने बहुत सी जमीनें अपने भाइयों को दे दीं, अपने सगे संबंधियों को दे दी या अपने दोस्तों को देदी। ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने कुछ जमीन अपने नाबालिग बच्चों के नाम करा ली और कुछ जमीन अपनी स्त्री के नाम करा ली। उस समय के बाद जबकि उनको यह आभास हो गया कि अब ठेकेदारी खत्म हो जायगी, अगर कोई ऐसी जमीनें प्रयुक्त की गई हैं तो वह अवश्य इस कानून के द्वारा अवैध की जा रही हैं। जैसा कि जमींदारी विनाश विधेयक में उनको खुदकाश्त के लिये ३० एकड़ से अधिक जमीन नहीं दी गई है उसी तरह इस विधेयक में भी ठेकेदारों और मुस्ताजिरों के लिये यदि उन्होंने रियासत मिलने के बाद अपनी काश्त में लिया होगा यानी ३० जून, सन् १९४९ के बाद लिया होगा तो उसे अवैध किया जा रहा है। मैंने एक सुझाव यह दिया कि उन के डेपेंडेंट्स के लिये नाबालिग बच्चों और उनकी स्त्री को भी इसी में शामिल कर लिया जाय। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी उसे स्वीकार करेंगे। इन शब्दों के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी को और उनके द्वारा सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने आज इस विधेयक को इस सदन में लाकर रामपुर के किसानों को यह विश्वास करने का मौका दिया है कि रामपुर में जमींदारी उन्मूलन हो जायगा और वहां के किसान अपने निकटवर्ती जिलों के अन्य किसानों की भांति अपने अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय गेंदा सिंह जी ने सदन के सामने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। क्योंकि माननीय गेंदा सिंह जी माननीय राजस्व मंत्री जी को नाराज नहीं करना चाहते, उनको खुश करना चाहते हैं, इसलिये मुझे इस मामले में भी उनका समर्थन करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस इस बात का है कि सारे कानून इस प्रान्त में बने, जमींदारी यहां प्रांत भर में खत्म की गयी, उसके बाद देहरादून की तरफ जौनसार भावर का जो इलाका है उसके लिये भी कानून बना, लेकिन हम लोग जो कुमायूं के रहने वाले हैं, पर्वतीय देशों के, उनके लिये जमींदारी विनाश का कानून सन् ३७ से इस सरकार के विचाराधीन है। माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हो रहा है। शायद मुझे रामपुर का नाम लेना पड़ेगा। तो रामपुर का भी यह जमींदारी विनाश बिल आ गया। सन् ३७ से हमारे पहाड़ के लिये कमेटियां बन रही हैं और १३, १४ साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक वहां के लिये कोई कानून नहीं बना है। माननीय राजस्व मंत्री जी हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी की उदारता का फायदा उठा रहे हैं। इस रामपुर के विनाश का जो बिल हमारे सामने आया है उसका समर्थन करने के लिये तो हम हैं ही और इसके लिये हमें खुशी है कि अब वहां के किसान भी कुछ फायदा उठायेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि पर्वतीय इलाके के रहने वाले किसान भी कुछ फायदा उठायें। जब कभी इस संबंध में सवाल पूछते हैं तो यह कह दिया जाता है कि यह प्रश्न विचाराधीन है। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि तिब्बत के बार्डर के पास जो किसान हैं, उनकी पोजीशन बड़ी महत्व की है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)——प्वाइन्ट आफ आर्डर सर। माननीय सदस्य रामपुर वाले विधेयक पर बोल रहे हैं या पहाड़ वाले विधेयक पर बोल रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की रूलिंग चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष——माननीय सदस्य के साथ पूरी सहानुभूति होते हुये भी मैं समझता हूं कि उन्हें विधेयक पर बोलना चाहिये।

श्री मदन मोहन उपाध्याय——मैं सिर्फ माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। प्रश्न हम पूछते हैं लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता है। हमारे यहां पी० सी० जोशी साहब ने बड़े लेख लिख डाले हैं और उसका नाजायज फायदा लोग उठा रहे हैं। सरकार तो ऐसे मौके पर आगे आती है जब सब लोग फायदा उठा लेते हैं। हम स्वयं फायदा नहीं उठाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य रामपुर विधेयक पर ही बोलें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ रामपुर के बारे में है उसको न मैंने ज्यादा समझने की कोशिश की है और न समझा हूं। लेकिन इतना जरूर चाहता हूं कि रामपुर में किसानों को फायदा हो जाय और यह ठेकेदारी जो है यह हट जाय। इसी के साथ साथ माननीय मंत्री जी से यह भी प्रार्थना करूंगा कि पहाड़ का कानून भी आ जाय और माननीय गेंदा सिंह जी ने जो प्रस्ताव सेलेक्ट कमेटी में इस विधेयक को भेजने का रखा है, वह स्वीकार किया जाय।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--श्रीमन् उपाध्यक्ष महोदय माननीय माल मंत्री जी ने रामपुर मर्जर के बाद रामपुर में जो टेन्योर सिस्टम है, भूमि व्यवस्था है, उसमें तब्दीली करने के लिये जो बिल इस भवन के सामने उपस्थित किया है, उसके लिये मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने दौरान स्पीच में मुस्ताजिर, पट्टेदार और ठेकेदारों का जिक्र किया है और यह भी बताया है कि यह कई पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन इसके इतिहास को अगर देखा जाय और जो लोग रामपुर के निकट के हैं या रामपुर में रहते रहे हैं, उनसे अगर पता लगाया जाय तो जरूर कुछ न कुछ इसमें अन्तर होगा। इस सदन के सदस्य भी वहां के टेन्योर सिस्टम से ज्यादातर वाकिफकार नहीं हैं। इस वास्ते माननीय मंत्री जी के लिये यह बहुत जरूरी था कि वे इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर देते ताकि हमारे समझने में सहूलियत होती। मुझे केवल इतना मालूम हुआ है कि यह मुस्ताजिर सिस्टम तब तोड़ा गया जब मुस्ताजिरों ने ज्यादा ज्यादती करनी शुरू की और उस धांधली के बदले में इस ठेकेदारी और पट्टेदारी को कायम किया गया। जहां तक इस ठेकेदारी के सिस्टम के तोड़ने का सवाल है मैं उससे मुत्तफिक हूं। लेकिन मर्जर के आगे और पीछे, जैसा कि हमारे सामने यह अभी वर्तमान ही का इतिहास है कि जब जमींदारी उन्मूलन की तैयारी होने लगी तो बहुत से लोग जिनके पास बड़ी बड़ी जमींदारियां और ताल्लुकेदारियां थीं, उन्हें अपने रिश्तेदारों को और अपने दोस्तों को जमीन उठाने में तरह तरह की कोशिश करनी पड़ी और भारी नजराना देकर व्यवस्था की और उसका जीता जागता नमूना भवन के सामने आता रहता है। टेन्योर सिस्टम जो तब्दील किया गया ह उसमें दिक्कत आई, उसके बाद मर्जर हुआ है और हजारों एकड़ जमीन रामपुर में लोगों को दी गई हैं। पिछले वर्ष का अनुभव यह है कि लाखों बीघा जमीन में गल्ला बोया गया और जो लोग काश्त करते थे उनको घाटा हुआ। कारण यह है कि बरेली के करीब जो लोग रहते हैं उनके पास इर्रीगेशन का सोर्स अच्छा नहीं है। इस बीच में जब वह स्टेट मर्ज हुई तो वहां का सिस्टम बदलने वाला था तो हजारों एकड़ जमीन ऐसे लोगों को बांट दी गई जो उसका ठीक तरह से इन्तजाम नहीं कर सकते थे। जब अपने देश में अनएम्पलायमेंट का सवाल है तो ऐसे लोगों के हाथ में हजारों बीघा जमीन काश्त के लिये दी गई तो कहीं यह नतीजा न हो कि भुखमरी की जो शिकायत है वह रामपुर के इलाके में भी हो जाय। यों जमींदारी का उन्मूलन अपने यहां किया गया। बहुत से जिलों में छोटे छोटे जमींदारों और काश्तकारों में जिनके पास दस दस और १५, १५ एकड़ जमीन है उनमें यह झगड़ा चल रहा है कि उस पर कब्जा किसका हो। हम चाहते हैं कि जिनका असली कब्जा हो उन्हीं के हाथ में वह जमीन जाय।

दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हजारों बीघा जमीन एक एक आदमी लिये बैठा है। कल के प्रश्नों के उत्तर में देखा कि तीन चार हजार एकड़ जमीन एक आदमी लिये हुये बैठा है। हो सकता है कि उसके पास साधन काफी उपलब्ध हों बनिस्बत छोटे काश्तकार के। तो दूसरी तरफ यह भी रुकावट नहीं है कि किसी के पास ३ हजार बीघा जमीन का फार्म हो तो उसको औरों में बांट दिया जाता, क्योंकि हमारे देश में अन्न की कमी रहती है। मगर इस वक्त जब हम यह कानून बनाने जा रहे हैं और मंत्री जी यह कहते हैं कि अभी रामपुर में जमींदारी उन्मूलन के प्रश्न का जहां तक संबंध है वह हमारे सामने आया नहीं है, हम केवल ठेकेदारों को अलग करना चाहते हैं तो समझ में नहीं आता कि मर्जर होने के बाद जिनके हाथों में तीन तीन हजार एकड़ के फार्म हैं उनके पास इतनी जमीन रखने के क्या मानी हैं, उनकी क्या नवैय्यत है। जो लोग पहले

से हजारों बीघा जमीन पर कब्जा किये हुए हैं उस पर भी माननीय मंत्री जी को रोकथाम लगाना चाहिये था मगर वह नहीं किया गया। जो छोटे छोटे काश्तकार हैं उनको न देकर हम ऐसे लोगों को जमीन देते चले जा रहे हैं जो वहां के निवासी भी नहीं हैं, इस पर माननीय मंत्री जी को प्रकाश डालना होगा। मेरे व्याख्यान देने का मतलब यह है कि अगर इस बिल को प्रवर समिति के सामने रख दिया जाय तो काफी विस्तार से हमें इस पर मनन करने का अवसर प्राप्त होगा और उससे वहां के बसने वाले जो किसान हैं उनका कल्याण होगा और वहां के जो बसने वाले किसान हैं उनके लिये यह भूमि व्यवस्था का एक पायेदार कानून होगा। मुझे केवल इतना ही कहना है।

श्री फजलुलहक (जिला रामपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो तकरीरें हुई हैं उन्हें गौर से सुना है और बाज बातें हमारे साथियों ने ऐसी कही हैं जिनसे गलतफहमी पैदा हो सकती है। जहां तक मुस्ताजिरी ठेकेदारी और पट्टेदारी का सवाल है, इनमें थोड़ा ही फर्क है। मुस्ताजिरी सिस्टम वह कहलाता था जो सन् ३० से पहले रायज था और उसमें जो गांव वगैरह दिये जाते थे वह बोली के तहत दिये जाते थे। उनमें बाज औकात निकासी से कमी बहुत ज्यादा पड़ जाया करती थी और उसे पूरा करने के लिये मुस्ताजिर को ज्यादा कोशिश करनी पड़ती थी। इसलिये सन् ३३ में वह सिस्टम खत्म कर दिया गया।

यह बात बिलकुल गलत है कि आग लगाई जाती थी और किसानों के साथ जुल्म किया जाता था। जब किसी गांव में कोई कमी निकासी के एतबार से वाकय हो जाया करती थी तो उनसे उसका हरजाना लिया जाया करता था और वे कोई ऐसी ज्यादती नहीं कर सकते थे जैसी कि यहां पर कही गयी है। लेकिन उन दिक्कतों को देखते हुये ठेकेदाराना सिस्टम रायज किया गया। सन् ३७ में ठेकेदारों को इतने महदूद अख्तियारात थे कि वह लगान वसूल करने, जमीन देने या बकाया लगान की नालिश करने के अलावा कोई और काम नहीं कर सकते थे। वे उसमें दखीलकारी के राइट्स भी नहीं दे सकते थे। पट्टेदारी का सिस्टम ३७ के कानून के १३वें बाब के तहत चला और लोगों को पट्टे पर गांव दिये जाते थे। यह बात अपनी जगह पर बिलकुल सही है कि रियासत के मर्जर के बाद वहां के किसानों को वे तमाम सहूलियतें नहीं मिल सकीं जो यू० पी० के दूसरे अजलाअ में किसानों को मिली हुई थीं। हम यह उम्मीद करते थे कि कोई कानून जल्दअजजल्द ऐसा यहां आवेगा जिससे रामपुर के किसान भी उन सहूलियतों को हासिल कर सकते जो कि बाकी यू० पी० के किसानों को हासिल हैं। लेकिन अब इस कानून के आने पर हम यह कह सकते हैं कि ४ लाख आदमियों को वाकई इतमीनान के साथ जिन्दगी गुजारने का मौका मिलेगा। गांव वाले पट्टेदारों के साथ जहां इसमें और बहुत सी पाबन्दियां लगाई गई हैं वहां खंड ४ (झ) में यह रखा गया है कि जितनी इमारतें ठेकेदारों ने वहां बनाई थीं वे उनके पास उस मुद्दत तक छोड़ी जावेंगी जिस तक वे गांव अपने पास रखने के मुस्तहक थे। जमींदारों की इमारतों का जहां तक ताल्लुक है, वे उनको दे दी गई हैं। क्या ही अच्छा होता कि उनको वे इमारतें जो उन्होंने अपने पैसे से बनवाई थीं दे दी जावें। जहां तक उनकी गैरदखीलकारी काश्त का ताल्लुक है, जो जमीन उनके पास ३० एकड़ से ज्यादा है उसमें से ३० एकड़ जमीन उनके पास छोड़ कर बाकी जमीन उनसे निकाल ली जावेगी। यह ठीक है और इसके मुताल्लिक मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी कोई ऐसा उपाय करेंगे कि यह ठेकेदारी सिस्टम खत्म होने के बाद उनकी वह जमीन जो उनके पास बचेगी उसमें दखीलकार के हकूक भी मिल सकेंगे। जहां तक मरजर से पहले और बाद की जमीन का ताल्लुक है अलावा इस सिस्टम के जो जमीन दी गई थी उसमें इस खुसूसियत के साथ दी गई थी जो न ठेकेदार कहे जा सकते हैं, न पट्टेदार और उनको उर्फ आम में फारमर कहा जा सकता है।

यहां यह भी कहा गया है कि उनसे जमीन निकाल ली जाय। यह ठीक है कि उनके पास जरूरत से ज्यादा जमीन है और ऐसे काश्तकार भी मौजूद हैं जिनके पास एक बीघा जमीन तक नहीं है जिससे वह अपना गुजारा कर सकें और अपना तन ढक सकें। मैं नहीं कहता कि इसी वक्त इस बिल पर कोई तजवीज की जाय जिससे इन लोगों की तकलीफ दूर हो सकें, लेकिन कम से कम आइन्दा चलने के बाद इस किस्म की चीज इस हाउस में आनी चाहिये

[श्री फ़जलुल हक़]

और ऐसे रूल्स बना दिये जायं कि वह तमाम जमीन जो उन लोगों के पास है, उनसे खाली कराने के बाद उन्हीं लोगों को दी जाय या वह जमीन जो ठेकेदार या पट्टेदार के पास मौजूद है वह उनसे खाली कराई जायगी, वह उन्हीं लोगों को दी जाय जो अपने हाथ से काश्त करने वाले हैं न कि उन लोगों को जो बटाई पर काम में लायें या किसी और दीगर तरीके से काम में लायें।

जहां तक लगान का ताल्लुक है यह बिलकुल ठीक है कि हमारे जो नवाई अजलाअ हैं उनमें बहुत ही कम हैं। यहां पर ८, ९ गुना लगान ज्यादा अदा करना पड़ता है। इन काश्तकारों को जो ८ या ९ गुना ज्यादा लगान अदा कर रहे हैं कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि साल भर मेहनत करके अपनी सारी कमाई ठेकेदार को दें या उन लोगों को दे दें जिनका उस पर कब्जा हो। इसलिये यह जरूरी है कि इसी कानून में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाती जिससे लगान में कमी हो जाती तो बेहतर था लेकिन अगर यह मुमकिन नहीं है तो आइन्दा इसके इंतजाम होने की बहुत जरूरत है।

यहां पर यह भी कहा गया है कि उन तमाम पट्टों को जो ठेकेदारी सिस्टम खत्म होने के पहले किये गये हैं और जिनकी मियाद ३० नवम्बर मुकर्रर की गई है, उनको कैंसिल कर दिया जाय। यदि ऐसा किया गया तो न सिर्फ उन लोगों पर इसका असर पड़ेगा जो खेती करने वाले हैं बल्कि उन लोगों पर भी पड़ेगा जो कि ठेकेदारों के छोटे छोटे काश्तकार हैं और जिनको यह ठेकेदार जमीन काश्त करने के लिये देते हैं। इसलिये छानबीन करने के बाद जो ठेकेदार ने काश्त के लिये जमीन दी और उसमें काश्त नहीं की गई तो उनको खत्म कर देना मुनासिब होगा। लेकिन आपने वैसे ही सबको खारिज कर दिया तो यह न काश्तकारों के लिये और न हमारे हितों के लिये ही मुफीद हो सकता है।

मैं इस विधेयक के लिये अपने माल मंत्री जी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसके सिलसिले में जो रूल्स बनेंगे उनमें उन तमाम चीजों को जो मैंने और मेरे साथियों ने रखी हैं, बढ़ा देंगे ताकि यह मुश्किलात दूर हो सकें।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३ के विरोध में मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, यह विधेयक जो इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है, उसके उद्देश्य और कारणों पर यदि ध्यान दिया जाय तो यह स्पष्ट है कि माननीय राजस्व मंत्री जी का अंतिम लक्ष्य यह है कि रामपुर की जमींदारी प्रथा का विनाश किया जाय। जहां तक उनके इस आशय का ताल्लुक है उसके विरुद्ध कुछ कहना समय नष्ट करना होगा। मैं आपके द्वारा यह अवश्य याद दिलाना चाहता हूं कि जब कि जमींदारी प्रथा के विनाश का उनका अंतिम लक्ष्य है तो फिर उनको ऐसा पीस मील लेजिस्लेशन नहीं करना चाहिये और न उससे कोई लाभ ही हो सकता है। यह तो ठीक है कि इससे पट्टेदारी और ठेकेदारी का अन्त किया जा सकता है लेकिन उससे जो और दूसरी खराबियां हैं, वे दूर नहीं हो सकतीं। मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे ऐसे वक्त में इस लेजिस्लेशन को प्रस्तुत कर रहे हैं जब कि उनकी सारी इच्छायें इससे पूरी नहीं होतीं। श्रीमान् जी, इस दौरान बहस में बड़ी बड़ी शानदार तकरीरें सुनीं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जो उस तरफ बैठे हुये हैं वे शायद रामपुर से ही आते हैं, उनकी बातों पर ज्यादा महत्व मैं इसलिये देता हूं कि वे उन्हीं के पक्ष के हैं, विरोधीदल के नहीं हैं, उन पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि वे अनर्गल बातें कहते हैं, जैसा कि सरकार विरोधीदल के लोगों पर आरोप लगाती है।

श्रीमन्, यह बात मेरी समझ में नहीं आयी जब कि यह कहा कि रामपुर के रहने वाले पट्टेदारों, ठेकेदारों और दूसरे जमींदारों ने अपनी जमीन को अपने रिश्तेदारों और भाई बंदों को पट्टा कर दिया। श्रीमान् जी, मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब तक संविधान और ट्रांसफर आफ प्रापरटी ऐक्ट मौजूद है, तब तक

जमींदारों या और लोगों को अपनी प्रापर्टी को ट्रांसफर करने का पूरा अधिकार है। अगर माननीय सदस्यों को उसके बारे में कोई आपत्ति है तो पहले वे संविधान में संशोधन करें और ट्रांसफर आफ प्रापरटी ऐक्ट में तरमीम करें तब इस प्रकार का वे कानून पास कर सकते हैं। उन कानूनों के रहते हुये ऐसी कोई नाजायज बात करना सहल काम नहीं है। क्योंकि उनसे माननीय मंत्री महोदय के भी हाथ बंधे हुये हैं। माननीय सदस्य, बस्ती वालों ने यह फरमाया कि पट्टेदार, ठेकेदार ताजिर तथा अन्य लोगों ने वहां पर बड़ा अत्याचार किया है इसलिये इस प्रथा को नष्ट किया जा रहा है। लेकिन आज कांग्रेस पक्ष के माननीय सदस्य के कहने के बाद यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने अत्याचार किया है। यह भी कहा गया कि सन् ३९ में जो टेनेंसी ऐक्ट आया उससे वहां के लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंचा। पहुंच भी नहीं सकता था क्योंकि उसमें वैधानिक आपत्तियां थीं। आज माननीय मंत्री उस क्षेत्र पर जमींदारी उन्मूलन लागू करने की सोच रहे हैं लेकिन इस ठेकेदारी और पट्टेदारी को समाप्त करके माननीय मंत्री कृषकों का अथवा उन लोगों का, जिन्होंने उस जमीन को ठीक करने में अपनी पूंजी लगायी है, भला नहीं कर सकते, पूरा लाभ उनको नहीं दे सकते। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इस पट्टेदारी और ठेकेदारी के समाप्त होने से कोई लाभ नहीं होगा। अतः इस प्रकार के पीसमील लेजिस्लेशन से कोई लाभ किसी को नहीं पहुंच सकता। उस पक्ष को तो इस "विनाश" का अनुभव हो चुका है, इस पक्ष को भी इसका आनन्द आता है, लेकिन इस प्रकार नष्टभ्रष्ट करने से अन्त में कोई लाभ नहीं हो सकता है।

आज उत्तर प्रदेश में जहां जमींदारी तोड़ी गयी है, जहां करोड़ों जमींदारों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया है, वहां यह कोई कठिन बात नहीं है कि ठेकेदारी और पट्टेदारी को भी समाप्त कर दिया जाय। रहा यह कि जहां तक उनकी विध्वंसात्मक कार्यवाहियों का प्रश्न है उसमें वे सदैव अग्रसर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे सोशलिस्ट भाइयों की तृप्ति नहीं होती है। माननीय गेंदा सिंह ने फरमाया कि खानाबदोशी में लोग अपने कर्त्तव्य को भूल जाते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत से खानाबदोश अपने कर्त्तव्य का पालन पूर्ण रूप से करते हैं। इसलिये यह कहना कि खानाबदोश कर्त्तव्यपरायण नहीं होते हैं यह बहुत हद तक लागू नहीं होता है। यदि कांग्रेस गवर्नमेंट यह समझती है कि जमींदारी उन्मूलन करके उसने इस उत्तर प्रदेश में स्वर्ग स्थापित कर दिया है तो उनको पूर्णतया यह ज्ञात रहना चाहिये और यह भूलना नहीं चाहिये कि वे चल कर अभी किसानों से पूछ लें कि वे आपके अमीनों, नायब तहसीलदारों तहसीलदारों से विशेष तृप्त हैं या वे उन पुराने जमींदारों से संतुष्ट थे ? इस सदन के हर माननीय सदस्य की जबान पर यही रहता था कि जमींदार डकैत हैं, लुटेरे हैं और इस काम में वे बराबर अग्रसर रहे। श्रीमन्, बहुत से माननीय सदस्यों के और खास कर कांग्रेस पार्टी के एक माननीय सदस्य के यह कहने के बाद अगर सरकार को संदेह रह जाता है कि ठेकेदारों और पट्टेदारों ने रामपुर में अत्याचार किया तो मैं समझता हूं कि यह एक भ्रम ही हो सकता है, यह उसकी हठधर्मी ही हो सकती है।

जहां तक माननीय उपाध्यक्ष जी का यह कहना था कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिये कुछ नहीं किया गया है, जायज है। लेकिन उनको यह शिकायत माननीय राजस्व मंत्री से नहीं करना चाहिये बल्कि माननीय मुख्य मंत्री से करना चाहिये क्योंकि दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं, निकट हैं और मैं समझता हूं कि इस तरह की शिकायत करते रहने से संभव है कि लोग माननीय मुख्य मंत्री को एहसान फरामोश न समझने लगें। श्रीमन्, पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में मैं बहुत कम समझ पाता हूं कि आखिर इतना समय क्यों लिया जा रहा है और मैं यह उचित समझता हूं कि यदि रामपुर के प्रश्न को उस समय तक टाल दिया जाय तो उसमें सरकार को विशेष आपत्ति न होनी चाहिये।

श्रीमन्, जहां तक माननीय राजस्व मंत्री की बुद्धि की तीव्रता का प्रश्न है उसके लिये कुछ कहा नहीं जा सकता है। वे अपने सब्जेक्ट पर ऐसा हावी रहते हैं, जैसा कि शास्त्री जी ने कहा कि यदि इस सदन के सम्मुख इस विधेयक पर और प्रकाश डाला गया होता तो संभव है

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

कि बहुत से सदस्यगण इस विवाद में भाग ले सकते और इस पर विशेष रूप से प्रकाश डाल सकते। लेकिन इन सब बातों के होते हुये भी मैं आपके द्वारा उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस विधेयक को वापस ले लें और मैं समझता हूं कि यह विधेयक इस समय अनावश्यक है क्योंकि इस सदन के इस पक्ष वाले सदस्य भी किसी माने में इससे सन्तुष्ट नहीं हैं। इन थोड़े से शब्दों के साथ में इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस विषय पर बहस बन्द की जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से संबंध रखने वाला विधेयक है और मैं समझता हूं कि जब माननीय विरोधी दल के नेता अपनी जगह पर खड़े हैं तो यह प्रश्न न उठाया जाय तो अच्छा है।

श्री राम नरेश शुक्ल--श्रीमन्, इस पर काफी वाद विवाद हो चुका है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं विरोधी पक्ष के नेता को मौका देता हूं। इसके बाद इस प्रश्न पर राय लूंगा।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--श्रीमन्, बहस बन्द करने का प्रश्न तो आना ही नहीं चाहिये।

श्री शिवनारायण--आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, मैं खड़ा हुआ था और वे बैठे हुये थे। अगर उनको इजाजत दी जाती है तो मुझे भी मिलनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--मैं उनको पहले इजाजत दे चुका हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, यों तो हम सब लोग विरोधी पार्टी के सदस्य बराबर यही चाहते हैं कि शिवनारायण जी बराबर बोलें हमारी तरफ से कभी नहीं हुआ कि हम उनको बोलने न देना चाहें? वह जितना चाहें बोलें उससे हमको नसीहत ही मिलती है इसलिये हमारी ओर से ऐसी कोई आपत्ति नहीं है।

श्रीमन्, आज इस विधेयक को इतने दिनों की इंतजारी के बाद माननीय राजस्व मंत्री जी ने उपस्थित किया है। उसके संबंध में हमारे एक भूतपूर्व जमींदार साहब ने बोलते हुए अभी कहा कि विरोधी दल भी चाहता है कि यह अभी न आवे। मैं उनसे बता देना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। मैं इसके बारे में सफाई दे दूं। वह बराबर यह समझते हैं कि समथिंग इज बेटर दैन नथिंग। यह कुछ तो है लेकिन सब जगह नहीं। माननीय माल मंत्री जी और सरकारी पक्ष के और सम्मानित सदस्यों, जिनसे बात करने का मौका मुझे मिला है, के ऐंगिल आफ विज़न में और हमारे ऐंगिल आफ विज़न में मौलिक भेद है और उसको मैं थोड़े शब्दों में यह बता दूं कि कोई भी पिछड़ा हुआ स्थान होगा, अगर वह अपने यहां उन्नति की शक्ल को देखना चाहेगा तो जो आगे बढ़े हुये स्थान होते हैं उनकी तरफ देखता है। यह साधारण तरीके से मानी हुई बात है। मगर जब मैं इसके उद्देश्य और कारण को देखता हूं जिसको कि माल मंत्री जी न प्रस्तुत किया है तो यह अंतिम वाक्य लिखा जाता है "उक्त क्षेत्र में जमींदारी का उन्मूलन करने और भूमि व्यवस्था प्रचलित करने के विचार से प्रथम प्रयास के रूप में यह अधिनियम प्रस्तुत किया जाता है।" तो यह आज प्रथम प्रयास हो रहा है। इस सदन में अक्सर इस बात की चर्चा होती ह कि सूबे के दूसरे हिस्सों के बराबर रामपुर के किसानों को लाया जाय। तो उस स्थिति को लाने के लिये दूसरा प्रयत्न किया जा रहा। म इस विचारधारा का सख्त विरोधी

हूं। श्रीमन्, में सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय माल मंत्री जी इस बात को देखें और जहां भी मौका मिले और उन्नति की चरमावस्था जहां भी ला सकने की परिस्थिति हो तो वहां जितनी दूर तक जा सकते हों वहां तक चरमावस्था लायें। क्योंकि हम श्रीमन्, इसके भुक्तभोगी है। बनारस स्टेट में जमींदारी उन्मूलन बहुत बाद में लागू हुआ और वहां पर जो सप्लीमेंट्री ऐक्ट पास हुआ, जो वहां के किसानों को दफा ४ के मुताबिक थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता था वह उससे भी वंचित रह गये। सन् १३५६ फसली में उनके नाम में इन्दराज होने के कारण फायदा मिल सकता था वह उस फायदे से भी वंचित रह गये। तो इस तरह की कमियां वहां जो सही मानों में खेत जोतने वाले हैं उनको है और वह बावजूद पट्टेदारी और ठेकेदारी के हैं। तो में माननीय माल मंत्री जी से कहना चाहता हूं जो सदैव किसानों के लाभ के लिये परेशान रहते हैं और चिन्तित भी रहते हैं कि वह जो प्रयत्न करते हैं वह सही प्रयास हो और प्रथम प्रयास पूर्ण प्रथम चरण के रूप में हो। अब इसमें किसी थ्योरेटिकल डिस्कशन की गुंजाइश नहीं है। कम से कम वाद विवाद होते होते हम सबके दिमाग में इतना तो साफ हो ही गया है कि ऐक्चुअल टिलर आफ दि स्वायल जो है उसके ही हित में यह सब होना चाहिये। इस सफाई के बाद भी मैं माननीय माल मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस रूप में वह इस विधेयक को प्रस्तुत कर रहे हैं उससे उनके हकों की हिफाजत होती है।

श्रीमन् मैंने जल्दी में कुछ प्वाइन्टस नोट कर लिये हैं कि मैं क्यों चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सामने भेजा जाय जैसा कि मेरे भाई माननीय गेंदा सिंह जी ने प्रस्तुत किया है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जरा इसकी सफाई कर दें कि इसमें कहीं ऐसा प्राविजन है जिसके मुताबिक सकिल रेट फिक्स्ड होता हो। जहां तक मैं समझता हूं कि इस प्रोपोज्ड बिल में कोई डेफनीशन सर्किल रेट के संबंध में नहीं दी गई है। दूसरी बात मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि जो मुस्ताजिर हैं जिन्होंने लो रेट पर बहुत बड़े नजराने लेकर अपने रिश्तेदारों को पट्टा दिया है और बिलासपुर तहसील में काफी तादाद में ऐसा हुआ है उनके बारे में इस विधेयक में कौन सी धारा बनाई गयी है जिससे कि वह इस कमी को यहां पूरा करने जा रहे हैं।

तीसरी बात मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुस्ताजिर लोगों ने अपने रिश्तेदारों के नाम में, अपने बच्चों के नाम में, अपनी स्त्री के नाम में और दूसरे लोगों के नाम में नामिनल रेट पर बहुत सी जमीन दी है। तो जब आप साम्य अवस्था लाना चाहते हैं तो जिनके कम रेट हैं उनको आप बढ़ायें और जिनके रेट ज्यादा हैं उनको घटायें। जैसा कि आपने देखा होगा कि इस सदन में रामपुर से आने वाले हमारे सम्मानित सदस्यों ने जिन दो के भाषण मैंने अभी सुने हैं, उन्होंने भी उसी दृष्टिकोण को सामने रखा और स्पष्टरूप से इस बात को स्वीकार किया है जो कि गेंदा सिंह जी ने कही थी कि वहां ५ र ७ गुना और ८ गुना किसानों पर अधिक रेट है बनिस्बत दूसरे जिलों के। तो फिर जिनके ऊपर रेट ज्यादा है उनके रेट को कम करने की इस विधेयक में क्या गुंजाइश है? इस विधेयक में मैंने देखा कि कोई भी गुंजाइश नहीं है।

इसके बाद वह बात है जिसका इस सदन में काफी चर्चा हुआ है। इस विधेयक में एक जगह पर ३० एकड़ का चर्चा हुआ है। ३० एकड़ के माने क्या हैं? यदि हम इस बात को सोचें तो यह मालूम होगा कि जिनके पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है वह उसकी हिफाजत नहीं कर पाते हैं। तो उत्पादन की दृष्टि से और गल्ला बढाने की दृष्टि से मैं यह निवेदन करूंगा कि जिसके पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन हो वह उससे ले ली जाय पहले चाहे वह उसकी जोत में रही हो और बाद में पट्टा ले लिया हो। अगर ३० एकड़ हो तो ठीक है और इससे ऊपर हो यानी ३० एकड़ से ज्यादा हो तो वह ले ली जाय और ३० एकड़ उनके पास रहे। इसके बारे में मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा प्राविजन होना चाहिये कि जिससे अधिक जमीन किसी के पास न रहने पावे वह एक्स मुस्ताजिर ने ले रखी हो।

[श्री राजनारायण]

श्रीमन्, जब मैं कम्पन्सेशन की क्लाज को देखता हूं तो मेरी परेशानी बढ़ जाती है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो मुस्ताजिर थे यह कौन थे। यह मुस्ताजिर केवल लगान वसूल करते थे और रेन्ट कलेक्टर कहलाते थे यह महज १५ फीसदी लेकर सरकार का लगान वसूल करके खजाने में दाखिल किया करते थे। फिर जब उनसे यह हक़ छीना जा रहा है तो उनके लिये कम्पन्सेशन की व्यवस्था क्यों की गयी है? हमारे रामपुर के एक सम्मानित सदस्य ने इस पर अपने विचार प्रकट करते हुये कहा था कि सरकार ने मुआविजे के मुताल्लिक इस क्लाज में उदारता से काम लिया है। तो जब उन्होंने यहां पर उदारता से काम लिया है तो फिर दूसरी जगह क्यों न रखी जाय। हम यह नहीं कहते कि आप तमाम बड़े-बड़े बिग लैन्ड होल्डर के गले पर छुरी चला दीजिये। अगर आपका बड़े जमींदारों के प्रति प्रेम है और मुहब्बत है तो वही प्रेम और मुहब्बत छोटे किसानों के प्रति भी होनी चाहिये। जो लोग जमीन को जोतने वाले हैं उनके लिये भी क्यों न रखी जाय? श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बहुत आब्जक्शनेबिल क्लाज है और इस कम्पन्सेशन की शिकायत कैसे कम होगी और कम्पेन्सेशन कैसे होगा, क्या होगा और आगे जितनी दूर तक जाते हैं उसमें गड़बड़ी बढ़ती चली जाती है।

इसके बाद श्रीमन्, यह जो पट्टेदारी है इसको भी मैं चाहता हूं कि इतना वाइड किया जाय कि इस में संस, वाइफ़, माइनर, चिल्ड्रेन और संयुक्त परिवार के सदस्य भी शामिल हों। अगर वे शामिल नहीं होते तो खानदान में इतनी ज्यादा जमीन चली जायगी कि जिसकी कुछ हद न होगी। मुझे खुशी है कि हम इस वक्त जो कह रहे हैं उसका समर्थन श्री द्वारका प्रसाद मौर्य अपना सिर हिला कर कर रहे हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बटाई का जो भाव है वह कैसे निकाला जायगा। यह भी बहुत आब्जेक्शनेबिल क्लाज है और इसके बारे में भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिये। जहाँ तक मेरी जानकारी है कुछ बात ऐसी है कि चूंकि लोगों को मालूम है कि रामपुर में ठेकेदारी उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्से की जमींदारी की तरह खत्म होने वाली है तो उन्होंने वहाँ पहले से ही तिकड़म शुरू कर दी है और बहुत ऊंचे बटाई के हिसाब कर दिये हैं। इस तरह से अगर एक साल के फिगर को ही लिया जायगा तो हो सकता है कि गड़बड़ हो लेकिन ५ साल का एग्रीगेट करके औसत निकालकर जो फिगर आयेगा उसको माना जायगा तो ठीक होगा। इसके बाद मुझे यह भी कहना है कि वह ऐसे पट्टेदारों की भी कुछ व्यवस्था करें जिनके पट्टे का समय समाप्त हो गया है उनको तो अब तक सरकार को एक्वायर कर लेना चाहिये था। ऐसी व्यवस्था भी इस बिल में होना जरूरी है। बनारस इस्टेट के अनुभव के बाद कि वहाँ के किसानों को आज तक भी वह सहूलियत नहीं प्राप्त है जो स्टेट के दूसरे किसानों को प्राप्त है और उनका एक प्रतिनिधि मंडल वहाँ के पट्टेदारों के बारे में आया हुआ है और वह आज ५ बजे के बाद माल मंत्री जी से मिलने की कोशिश करेगा।

इसलिये चूंकि इस बिल में अभी इतनी कमियाँ और खामियाँ रह गयी हैं इसलिये इसको प्रवरसमिति में भेज दिया जाय। वैसे तो सरकार का बहुमत चाहेगा तो इसको ऐसे ही पास करा लेगा, उसको शक्ति प्राप्त है लेकिन न्याय और इंसाफ के नाम पर ऐसा न होना चाहिये। जो नालेज वहाँ के बारे में है वह टोटल सम होनी चाहिये और जो तजुर्बा अनुभव है, जो वहाँ की अनुभूति है, उसका लाभ माननीय माल मंत्री को और सब को उठाना चाहिये। जैसा कि श्री गेंदा सिंह जी ने कहा था, प्रवर समिति में इसके जाने से सब की जानकारी बढ़ेगी और जैसा कि बस्ती के शास्त्री जी ने कहा था कि वहाँ के बारे में बहुत कुछ अन्धकार में है। जब हम ने माँगा कि वहाँ अब तक क्या अवस्था है तो उर्दू में लिखी हुयी एक पुस्तक आई उस को गेंदा सिंह पढ़ें, मलखान सिंह पढ़ें, मैं पढ़ूं या कौन-कौन पढ़े और वह भी वहाँ की व्यवस्था के बारे में कोई समुचित पुस्तक नहीं थी। जब बड़ी कोशिश की तो हमारे एक मित्र जो वकील हैं उन्होंने कुछ सजेशन्स हमारे पास भेजे। उनको भी समुचित रूप से प्रस्तुत बिल के क्लाज़ बाई

क्लाज के साथ हम नहीं देख सके हैं इसलिए हम यह चाहते हैं कि इंसाफ और न्याय के लिए इसलिये कि हम इस विधेयक के साथ न्याय कर सकें, वहाँ के रहने वालों के साथ इंसाफ कर सकें और उनको यह कहने का मौका न मिले कि जब उत्तर प्रदेश विधान सभा के इन सदस्यों को यह मौका था कि उनके लिए कोई ऐसी भूमि व्यवस्था का कानून लागू करावें तो वह अपने कर्त्तव्य से च्युत हो गये, माननीय राजस्व मंत्री जी इस विधेयक को प्रवर समिति में जाने दें। मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली नहीं है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ ढहने वाला नहीं है, अगर यह प्रवर समिति में चला जायगा तो कोई पहाड़ नहीं ढह जायगा। माननीय राजस्व मंत्री अगर चाहें तो प्रवर समिति के लिये कोई टाइम मुकर्रर कर दें लेकिन इसे वहाँ भेजना आवश्यक है। इससे हम लोगों को भी मौका मिलेगा।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं जैसे कि एक माननीय सदस्य ने अभी बतलाया, पहले भी जबकि वहाँ नवाब थे तो उस समय में भी जहाँ तक हमको याद है वहाँ की जमीन की व्यवस्था को संशोधित करने के लिए लोग प्रयत्नशील थे और हमारे काशी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मुकुटबिहारी लाल जी जो कि हमारे दूसरे हाउस के सदस्य हैं उन्होंने भी कोई कमेटी बनी थी इसके लिये, उस कमेटी के सामने जाकर अपने बयान दिये थे। पूरी जाँच पड़ताल करके उनकी भी एक वैलुएबुल ओपीनियन लेने का मौका हमको नहीं मिल पाया और इन तमाम बातों को सामने रखते हुए हम फिर निवेदन करेंगे माननीय माल मंत्री से कि वह माननीय गेंदा सिंह जी के प्रस्ताव को मान लें और उस प्रस्ताव को मानते हुए इस विधेयक को प्रवर समिति में ले जाकर इस सदन के जितने सदस्य हैं उनको मौका दें कि वह अपने सुझाव दे सकें और इसके अलावा रामपुर की इस भूमि व्यवस्था की जो जानकारी और लोगों को है वह भी अपने सुझाव दे सकें। श्रीमन्, जहाँ तक मैं जानता हूं माननीय माल मंत्री जी बराबर प्रयत्नशील रहते हैं दूसरे लोगों की कोआपीनियन जानने के लिये। जब उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की नियमावली बनाने का कार्य था तो प्रवर समिति की जो बैठक होती थी उसमें गोरखपुर और दूसरे जिलों के जानकार वकीलों को भी माननीय माल मंत्री जी आमन्त्रित करते थे। इसलिये मेरे ख्याल में जब प्रवर समिति में यह विधेयक जायगा तो कुछ ऐसे सम्मानित वकील भी होंगे जो वहाँ की व्यवस्था से विशेष जानकारी रखते होंगे उनकी सम्मति भी प्राप्त हो सकेगी। इन तमाम बातों को सामने रखते हुये मैं बहुत डरते हुए मगर यह आशा करते हुए कि माननीय माल मंत्री जी प्रवरसमिति में ले जाने के इस प्रस्ताव को मान लेंगे, उनसे निवेदन करता हूं कि वह इसको प्रवर समिति में ले जायं जिससे कि इस विधान सभा क सम्मानित सदस्य इस बिल के सम्बन्ध में अपने कर्त्तव्य को पूरा कर सकें।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर सदन का विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१२०

विपक्ष में—१५।)

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जो बातें विरोधी पक्ष की ओर से कही गयी हैं इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के पक्ष में, उनका जवाब मुख्तसरन दूंगा।

[श्री चरण सिंह]

पहली बात तो माननीय राजनारायण जी ने यह कही कि साहब जो यह सर्वसम्मति से तय है कि जमींदारी खत्म करनी है तो एक-दम क्यों न खत्म कर दी जाय ? यह पहला क़दम उठाने की क्या जरूरत है ? अब मैं क्या अर्ज करूं ? इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है किसी भी समझदार आदमी के लिये। जो काम करना है वह सब पहले कदम में कर लिया जाय। यह नहीं है कि अगर ग्यारह कदम चलना है तो १० पहले उठा लिये जायं बल्कि ग्यारहवाँ पहले ही, बगैर १० कदमों के उठाये हुए, उठा लिया जाय। मैंने अपनी स्पीच में यह अर्ज किया था कि क़ानूनी मशविरा यह है कि जब तक ठेकेदारी वहाँ खत्म नहीं की जायगी तब तक जमींदारी अबालिशन ऐक्ट लागू नहीं हो सकता। जहाँ तक जमींदारी अबालिशन ऐक्ट लागू होने का ताल्लुक है मुझको उन से कम जल्दी नहीं। यहाँ तक हुआ कि अडाप्टेशन आर्डर तैयार हो गया और प्रोमलगेट होने वाला था। उस वक्त हमारे कानूनी मुशीरों ने और विचार किया उस पर। मैं तो आग्रह कर रहा था कि नहीं, जल्दी से वहाँ जमींदारी ऐक्ट लागू करो, लेकिन उन्होंने ज्यादा गौर करके यह कहा कि यह हो नहीं सकता। पहले ठेकेदारी यहाँ खत्म होनी चाहिये। तो यह मजबूरी की हालत में छोटा विधेयक लाना पड़ा है। यह बात नहीं है कि यह गैर-जरूरी काम किया जा रहा है।

दूसरी बात जो कही जाती है और जिस पर श्री गेंदा सिंह ने बड़ा जोर दिया कि साहब जो लीजेज हैं, पट्टे हैं वह मनसूख कर दिये जायं। इसमें पट्टे मनसूख करने की कोई धारा नहीं। तो मैं अर्ज करता हूं कि यह उनका एतराज भ्रम पर आधारित है। उनको खयाल यह है कि जो पट्टे सौ-सौ एकड़ और पाँच-पाँच सौ एकड़ के कुछ लोगों ने लिए हैं उन पट्टों से इस विधेयक का वास्ता है। ऐसा नहीं है और यह भ्रम पैदा हो जाने का एक कारण भी है। क्योंकि वह पट्टे भी "लीज" ही कहलाते हैं और "लीज" शब्द ही इस बारे में इस्तेमाल किया गया है। मैंने उन को पहले भी समझाने की कोशिश की थी। दरअसल वह पट्टे जो रामपुर स्टेट की तरफ से काश्तकारी के लिए दिये गये थे उन पट्टों से इनका कोई वास्ता नहीं है। यह तो एक-एक गाँव और दो-दो गाँवों के ठेके दिये गये कि दूसरे लोग आबाद करें और जो बंजर भूमि है उसको रिक्लेम करे। उन ठेकों के मातहत जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में भी ठेका अलग चीज ह और लीज और पट्टा अलग चीज है। यहाँ यह बात ठीक ह कि लफ्ज 'लीज' इस्तेमाल किया गया है इस तरह के ठेके के लिये, लेकिन लीज की परिभाषा धारा २ की उपधारा (६) में साफ तौर पर कर दी गयी है :

"Lease means a theka, patta or grant made by the State Government under and in accordance with notification published in the Rampur State Gazette dated October 19, 1935, or Chapter XIII of the Qabza Arazi Riyasat Rampur Act, 1937, read with Rampur State Gazette notifications dated 28th day of May, 1938, and 12th day of March 1949."

['पट्टा' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा रामपुर स्टेट गजट दिनाँक १९ अक्टूबर, १९३५ में प्रकाशित विज्ञप्ति के अथवा रामपुर स्टेट गजट दिनाँक २८ मई, १९३८ तथा १२ मार्च, १९४९ की प्रकाशित विज्ञप्तियों के साथ पठित कानून कब्जा अराजी रियासत रामपुर, १९३७ के अध्याय १३ के अधीन तथा अनुसार स्वीकृत ठेका, पट्टा अथवा अनुदान से है।]

तो उन विज्ञप्तियों के मातहत जो ठेके दिये गये हैं उन ठेकों से इस विधेयक का कोई वास्ता नहीं है। जो पट्टे मरजर होने के पहले दिये गये उनसे इसका हरगिज ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी इसके मुताल्लिक बड़ी-बड़ी तकरीरें हुयीं।

एक बात यह कही जाती है कि साहब लगान घटना चाहिये। लगान किसका घटना चाहिये ? यह बात ठीक है कि रामपुर के कुछ इलाकों में आस-पास के अजला के मुकाबिले में काश्तकारों को ज्यादा लगान देना पड़ता है ? लेकिन ७ गुने या ८ गुने का फर्क हो, ऐसी

बात नहीं है। जहां तक मुझे याद पड़ता है मैंने कोई ऐसा बयान भी इस सदन के सामने नहीं दिया जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी बतलाते हैं। लेकिन इतनी बात जरूर है कि मुरादाबाद और बरेली के मुकाबिले में कुछ ज्यादा लगान देना पड़ता है। जिस वक्त कि वहां पर ज़मींदारी एबालिशन हो उस वक्त ही वहां पर लगान घटाने की बात सोची जा सकती है। यह कानून वहां के जो एक्चुअल टिलर्स हैं, या जो काश्तकार हैं उन के हकूक के ऊपर तो कोई असर डाल ही नहीं रहा है। इसलिये उनके रेन्ट के रिडक्शन का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने श्री गेंदा सिंह को बीच में ही समझाने और इंटरवीन करने की कोशिश की थी, इंटरवल के बाद भी कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं समझाने में कासिर रहा और उन्होंने फिर उसी बात को दोहराया।

एक बात और यह कही जाती है कि साहब बड़े-बड़े पट्टे अब भी दिये जा रहे हैं। इस तरफ की बेंचों पर बैठने वाले एक सदस्य ने भी यही कहा और रोष प्रकट किया। जहां तक रामपुर में पट्टे देने की बात है, ३० नवम्बर, १९४९ के बाद जब से कि रामपुर स्टेट उत्तर प्रदेश स्टेट में विलीन हो गयी, उसके बाद से कोई बड़े पट्टे नहीं दिये गये। पट्टे जो दिये गये वह ३० नवम्बर, १९४९ के पहले दिये गये, लिहाज़ा यह कहना कि पट्टे अभी भी बड़े-बड़े दिये जा रहे हैं, यह बात गलत है। यह बात वास्तविकता से वास्ता नहीं रखती है। हां, तराई भावर का एक सवाल कल पूछा गया था यहां असेम्बली में, उसका अभी जवाब दिया नहीं गया, लेकिन फिर भी अखबारों में जवाब छपा, उसका माननीय गेंदा सिंह जी ने भी जिक्र किया। जब वह सवाल आये और उस पर उप प्रश्न पूछे जायं उस वक्त मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इस सदन का समाधान करने में कामयाब हो जाऊंगा। फिर भी मैं संक्षेप में बतला देना चाहता हूं कि वह पट्टे उस ज़माने के हैं जबकि वहां कोई जाना नहीं चाहता था। लोगों से खुशामद की जाती थी और गवर्नमेंट कोशिश करती थी कि लोगों को वहां बसाया जाय, बड़े-बड़े पूंजीपति वहां बसें, उस ज़मीन को रिक्लेम करें और उसे आबाद करें। वाकया यह है कि बड़े-बड़े पूंजीपति वहां गये और कुछ दिनों के बाद वहां से भाग खड़े हुये। जंगली जानवरों के नुकसान करने की वजह से, मजदूरों की कमी की वजह से और वहां की जलवायु के खराब होने की वजह से वहां से चले आये। लेकिन अब जो लोग वहां बसना चाहते हैं वह इस लिये कि वहां कालोनाइज़ेशन हो गया है। जबकि वहां मलेरिया नाश हो चुका है, जबकि वहां सड़कें बन चुकी हैं, जब कि जहां शेर रहते थे वहां आबादी हो गयी है और वहां रात में बिजली चमचमाती है, तो जब से यह सूरत हो गयी है तब से कोई पट्टा वगैरह नहीं दिया गया। उस वक्त जबकि लोग आबाद नहीं होते थे, गवर्नमेंट की अपनी गर्ज थी कि लोग वहां आबाद हों, तब ऐसे पट्टे दिये गये हैं। उनमें दो पट्टे बेशक ऐसे हैं जो कि काशीपुर के राजा साहब के हैं और वह भी इस तरह के हैं जब कि हमने उनका एक बड़ा इलाका एक्वायर किया, तब उन्होंने यह कहा कि हमारे पास काश्त करने के लिये कोई ज़मीन नहीं रह गयी है। इस तरह २६ सौ एकड़ के करीब भूमि उनके लिये छोड़ दी गयी है। उसमें एक पट्टा पांच सौ एकड़ का है और दूसरा शायद २०६७ एकड़ का है। और कुल ज़मीन २५६७ एकड़ या २६ सौ के करीब होती है। इस तरह से दो पट्टे हैं। हो सकता है कि कोई एक आध पट्टे और हों। जब हमने मालूमात कराई तब यह मालूम हुआ कि यही दो पट्टे हैं जो बड़े-बड़े हैं और मैं यह समझता हूं कि यह पट्टे उस पालिसी के मातहत दिये गये हैं कि जहां हमने ज़मीन एक्वायर की है उसके बीच में उन लोगों की वह ज़मीन पड़ी थी जहां कि वे पहले से खेती कर रहे थे तो वह ज़मीन उनकी छोड़ दी गयी और उन्हीं के नाम वह पट्टा छोड़ दिया गया, टाइटिल एक्वायर कर लिया लेकिन उसके बाद पट्टा लिखने की ज़रूरत यों हुयी। तो इस तरह के दो चार पट्टे बेशक हैं। लेकिन यह कि गवर्नमेंट ने कालोनाइजेशन के बाद बड़े-बड़े लोगों को पट्टे दिये हों, ऐसा नहीं है। खैर जैसा मैंने कहा कि यह बात ज्यादा इस बिल से ताल्लुक नहीं रखती और ३० नवम्बर सन् १९४९ के बाद कोई बड़ा पट्टा नहीं दिया गया।

[श्री चरण सिंह]

अब यह कि वह पट्टे मंसूख कर दिये जायं, अगर यह सदन ऐसा तय कर देगा तो जरूर मंसूख कर दिये जायंगे। लेकिन इसका इस विधेयक से ताल्लुक नहीं है। वह एक बड़ा प्रश्न है और कई बार उसका चर्चा हो चुकी है। देखना यह है कि उसकी आवश्यकता इस सूबे के अन्दर है या नहीं है। जो कुछ थ्योरीज हम अपने दिमाग में लिये फिरते हैं अगर उनको हर जगह हम अप्लाई करने की बात सोचें, तो उससे काम चलने वाला नहीं है। अगर हम इस बात की चर्चा करते हैं कि बड़े-बड़े फार्मों को तोड़ दिया जाय तो हमें यह भी देखना चाहिये कि ३०-३० एकड़ के फार्मों में लोग हजारों रुपये लगाते हैं, फिर भी कई साल तक उनको नुकसान होता है। इस समय अगर यह कहा जाय कि गवर्नमेंट करोड़ों रुपया लगा करके उन जमीनों को डेवलप करे, तो यह बात हमें मुश्किल मालूम होती है क्योंकि हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है। हम चाहते हैं कि जिनके पास पैसा है वे वहां जायं और उस जमीन को डेवलप करें वरना गवर्नमेंट के पैसे से उसको डेवलप करने की सम्भावना अभी बहुत दिन तक नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है और गवर्नमेंट को क़र्ज तक लेना पड़ता है। लिहाजा यह बात कहना कि उन इलाकों में बड़े-बड़े फार्मों को तोड़ दिया जाय, इसके लिये मैं इस सदन को यक़ीन दिलाता हूं कि यह हर्गिज-हर्गिज जनहित में नहीं होगा।

मदन मोहन उपाध्याय जी कहीं चले गये हैं। उन्होंने कुमायूं का जिक्र किया। यह गैर मुताल्लिक बात थी लेकिन चूंकि कही गयी, इस लिये मैं भी थोड़ा सा जिक्र कर देना चाहता हूं। जहां तक कुमायूं में जमींदारी उन्मूलन का प्रश्न है, हमको यह जान लेना चाहिये की वहां ७३ फीसदी रकबा तो पीजेंट प्रोपराइटर्स के अपने ही कल्टीवेशन और अक्यूपेशन में है। और ठीक २२ फीसदी रकबा ऐसे लोगों के पास है जो कहीं दस फीसदी और कहीं २० फीसदी हिस्सेदार को मालगुजारी देते हैं, और वह मालगुजारी जो हिस्सेदार को देते हैं गवर्नमेंट को उसका बीस फीसदी देते हैं। उन सब को ट्रांसफरेबिल और हेरिडिटरी राइट्स हैं। इस तरह ९५ फीसदी जमीन पीजेंट प्रोप्राइटर्स के कब्जे में है, जहां कि लैण्डलार्ड और टेनेण्ट सिस्टम का सवाल ही नहीं है। केवल ५ फीसदी जमीन ऐसी है जो कि सीरदारों के कब्जे में है। वहां के रिकार्ड्स बहुत पुराने हैं और उनको दुरुस्त करने की आवश्यकता महसूस होती है। यह सवाल कई बार स्टडी किया जा चुका है और इसके लिये एक विशेष आफिसर नियुक्त किया था। उसकी एक बड़ी लम्बी रिपोर्ट आयी है। उसमें लम्बे चौड़े नोट्स हैं। वह मेरे पास रखे हुए हैं। मैंने उनको देख लिया है, लेकिन अपनी राय व्यक्त करने का अवसर मुझे नहीं मिला है। लेकिन, वह कोई बड़ा प्राब्लम नहीं है। बहुत थोड़ा सा रकबा है और उनकी भी बेदखलियां एक्जिक्यूटिव आर्डर्स से बन्द हैं। वहां के रेकार्ड्स सही हो जायं जैसे जौनसार भावर में कराया गया तो उन लोगों को फायदा हो जाय। लेकिन वहां बिना विचार किये हुये एकदम जमींदारी एबालिशन की बातें करना काश्तकारों के ज्यादा हक में नहीं हैं। जमींदारी एबालिशन वहां इसी तरह होगा जिस तरह हमारे सूबे में हुआ है या अलेहदा अधिनियम लाना पड़ेगा और वहां कोई जमींदारी है भी या नहीं, यह सब सोचने की बातें हैं, ये सारे मामले आसान नहीं हैं, लेकिन जहां आसान नहीं है वहां मैं यह अर्ज करूंगा कि गम्भीर भी बिल्कुल नहीं हैं। थोड़े आदमियों पर उसका असर है। एक बात कही गयी ३० एकड़ के मुताल्लिक कि ३० एकड़ से जो ज्यादा जमीन हो उसे गवर्नमेंट को अपने पास रख लेना चाहिये। उसका इसमें कहीं जिक्र नहीं है। मैं बतलाता हूं कि जिक्र है ३० एकड़ का जो विशेष रकबा है। मैं राजनारायण जी को बतलाना चाहता हूं कि ३० एकड़ से जो जायद जमीन है इस विधेयक में उसके लिये जिक्र है। ठेकेदारों की पर्सनल कल्टीवेशन में वह शामिल है और उनके अपने नाबालिग बच्चों के लिये एक अमेंडमेंट आ रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से उसको स्वीकार करने का विचार है। जहां तक रामपुर का सम्बन्ध है यहां स्त्री का नाम तीस एकड़ कल्टीवेशन में शामिल किया जायगा। इसमें

आविजो दिया हुआ है धारा ४ (ख) में पहला प्रतिबन्ध है। वह वेकेण्ट लैण्ड हो जायगा और जब जमींदारी एबालिशन होगा तो वह लैण्ड विलेज कम्युनिटी का होगा और जो लैण्ड-लेस लोग हैं उनको वह दिया जायगा।

एक सवाल उठाया गया कि एप्लीकेबिल रेट क्या है। उसके मुताल्लिक मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि क़ानून कब्जा आराजी रियासत रामपुर की दफा ५४ उसके अन्दर जो सैंक्शन्ड रेट्स हैं जैसे बन्दोबस्त में यहां सैंक्शन रेट्स होते हैं वही रेट्स यहां पर एप्लाई होंगे।

माननीय राजनारायण जी ने एक बात और उठायी कि उन ठेकेदारों ने अपने रिश्तेदारों के नाम या अज़ीजों के नाम थोड़े लगान पर पट्टे कर दिये होंगे तो उनकी माल-गुज़ारी या लगान बढ़ना चाहिये उसका इससे कोई वास्ता नहीं है। जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के बमूजिब पहली जुलाई, सन् ४८ के बाद किसी जमींदार ने किसी काश्तकार को किसी परती के लगान से कम शरह पर जमीन उठा दी है, तो उस पर वही शरह लागू होगी। अब सवाल यह है कि बिल प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बाअदब गुजारिश करूंगा कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने की जरूरत नहीं है। एक ही इसमें सवाल है कि ठेकेदारों को मुआविज़ा कितना दिया जाय। उस मुआविज़े का उसूल हमने वही रक्खा है, जो जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में है। वह मुआविज़ा बहुत ज्यादा नहीं होगा लिहाजा नकद दे देंगे। बांड्स का सवाल नहीं है। जो नेट एसेट्स हैं उनका ५ से ज्यादा का मल्टीपिल नहीं होगा। ५ साल के ऊपर के लिये सीलिंग होगी। रहा यह कि लिटरेचर आप को नहीं मिला, तो माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी की तरफ से मेरे पास चिट्ठी आयी थी और जो लिटरेचर हमारे पास था वह हमने उनके पास भेज दिया। रामपुर टेनेंसी ऐक्ट और जो नोटीफिकेशन्स हमारे पास थे वे सब उनके पास भिजवा दिये। और कोई लिटरेचर नहीं है जिससे इस बिल को स्टडी करने की जरूरत हो।

हमारे यहाँ लैंड रिफार्म्स कमिश्नर के स्टाफ़ पर एक आफ़ीसर आन स्पेशल ड्यूटी है जो कि लैंड रिकार्ड्स के मामले में बहुत ज्यादा तजुर्बा रखते हैं। वह रामपुर गये थे और वह अंग्रेज़ी जमाने में भी वहाँ काम कर चुके हैं। उन्हें वहाँ की बहुत कुछ वाक़फ़ियत है। राजनारायण जी को जहाँ तक एक्सपर्ट ऐडवाइस की जरूरत हुई, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अब इसकी और जरूरत नहीं है। यों तो ठीक है कि हमेशा विचार अगर करते रहें, रामपुर के रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टरों को और वहाँ के तमाम वकीलों को अगर बुलावें तो मुमकिन है कि कोई बात निकल आवे। लेकिन हमको जहाँ तक सूझता है, कोई और बात निकलने वाली नहीं है। रामपुर से हमने ४ तो सदस्य यहीं इन ४३० में बुला रखे हैं और उनकी राय से काम किया गया है और वे सहमत हैं जैसा कि एक या दो की तक़रीरों से यहाँ ज़ाहिर हुआ है। जितना मैं जानता था पहले कह दिया था और बाक़ी अब जवाब में अर्ज़ कर दिया है। कुछ और ज्यादा वज़ाहत की जरूरत नहीं है। तो इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द करने की मेरी राय में कोई जरूरत नहीं है। केवल समय नष्ट होगा। यह यहाँ से पास हो कर काऊंसिल में जायगा। और फिर गवर्नर के दस्तखत होंगे और फिर सेक्शन ३ के मुताबिक़ हमको कोई डेट मुक़र्रर करनी होगी। और फिर सेक्शन २ के मातहत नोटीफाई होगा। इस तरह से अगर प्रवर समिति को भेजा जायगा तो महीने भर को बात टल जाती है क्योंकि यह सेशन भी उठने वाला है। बहुत देर हो जायगी। मैं नहीं समझता कि इससे कोई जनहित का सम्पादन होगा। इन शब्दों से मैं माननीय गेंदा सिंह जी के सुझाव का विरोध करता हूं और जो मैंने प्रस्ताव किया था उसके लिए फिर आग्रह करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३, को यह सदन प्रवर समिति के विचारार्थ भेजने का निश्चय करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ।--

पक्ष में-- १६

विपक्ष में--१११।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

परिभाषायें

२--जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में:

(१) 'अबवाब' का तात्पर्य अबवाब, मालिकाना या चौकीदारी से है।

(२) 'कलेक्टर' के अंतर्गत परगने का इन्चार्ज प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर (Assistant Collector of the Ist class incharge of a Sub-division) तथा अन्य कोई प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर भी है जिसे राज्य सरकार ने सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के सब या किसी कार्य के सम्पादन का अधिकार दिया हो,

(३) 'डिग्री' का वही अर्थ है जो 'decree' को कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में दिया गया है,

(४) 'मौरूसी दर' का तात्पर्य कानून कब्जा आराजी, रियासत रामपुर, १९३७ की धारा ५४ के अन्तर्गत स्वीकृत दर से है,

(५) 'भूमि' का तात्पर्य उस भूमि से है जो कृषि, उद्यानकरण या पशुपालन से सम्बन्ध रखने वाले किसी प्रयोजन के लिये किसी के अधिकार या अध्यासन में (held or occupied) हो,

(६) 'पट्टा' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा रामपुर स्टेट गजट दिनाँक १९ अक्तूबर, १९३५ में प्रकाशित विज्ञप्ति के अथवा रामपुर स्टेट गजट दिनाँक २८ मई, १९३८ तथा १२ मार्च, १९४९ को प्रकाशित विज्ञप्तियों के साथ पठित कानून कब्जा आराजी रियासत रामपुर, १९३७ के अध्याय १३ के अधीन तथा अनुसार स्वीकृत ठेका, पट्टा अथवा अनुदान से है,

(७) 'पट्टेदार' के अन्तर्गत ठेकेदार, पट्टेदार, मुस्तजिर और अनुदानग्रहीता (grantee) भी हैं, इन्हें चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो,

(८) 'विधिक प्रतिनिधि' का वही अर्थ है जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में "legal representative" को दिया गया है,

(९) 'नियत (prescribed) का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है,

(१०) 'पिछला कृषि वर्ष (previous agricultural year) का तात्पर्य उस कृषि वर्ष से है, जो उस कृषि वर्ष से ठीक पहले हो जिसमें अवसान (determination) होने का दिनाँक पड़ता हो,

(११) 'रामपुर' का वही अर्थ है जो उसे रामपुर ऐडमिनिस्ट्रेशन आर्डर, १९४९ में, दिया गया है,

(१२) 'लगान' के अन्तर्गत रामपुर स्टेट गजट दिनाँक १९ अक्तूबर, १९३५ में प्रकाशित बन्दोबस्त सिसाला योजना के तथा क़ानून कब्जा आराजी रियासत रामपुर, १९३७ के अध्याय १३ के अधीन रामपुर स्टेट गजट में प्रकाशित दिनाँक २८ मई, १९३८ और १२ मार्च, १९४९ की विज्ञप्तियों के उपबन्धों के अधीन पट्टेदार द्वारा देय जमा, मालगुजारी और जरे ठेका भी है,

(१३) 'राज्य सरकार' का तात्पर्य--

(क) जहाँ तक दिनाँक १ दिसम्बर, १९४९ के पूर्व की गई किसी बात का सम्बन्ध है, रामपुर (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ के पैरा ३ के अधीन नियुक्त रामपुर के चीफ कमिश्नर से है अथवा यथास्थिति हिज हाइनेस नवाब रामपुर, सरकार रामपुर, रामपुर दरबार अथवा अन्य किसी प्राधिकारी या व्यक्ति से है जिसे सम्बद्ध दिनाँक पर रामपुर के कार्यपालिका शासन (Executive Government) के सम्पादन अथवा प्रशासन का अधिकार प्राप्त रहा हो, और

(ख) जहाँ तक उक्त दिनाँक के बाद की गई किसी बात का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश की सरकार है,

(१४) शब्द और पद--

(क) 'ठेकेदार', 'पट्टेदार', 'लगान', 'सायर', 'असामी', 'ग़ैर दखीलकार', का वही अर्थ होगा जो इन्हें कानून कब्जा आराजी रियासत रामपुर, १९३७ में दिया गया है, और

(ख) 'बन्दोबस्त सिसाला योजना' का वही अर्थ होगा जो उसे रामपुर स्टेट गजट में बाद को प्रकाशित दिनाँक ६ अगस्त, १९३८ तथा ५ नवम्बर, १९३८ की विज्ञप्तियों से संशोधित रामपुर स्टेट गजट की १९ अक्तूबर, १९३५ की विज्ञप्ति में दिया गया है।

श्री गेंदा सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित नई धारा रख दी जाय--

श्री उपाध्यक्ष--पहले आप खंड २ के संशोधन को ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री गेंदा सिंह--मेरे ही कल के दोनों संशोधन हैं। एक खंड १ (३) में संशोधन करने का प्रस्ताव है और दूसरा संशोधन खंड २ (५) की पंक्ति २ में शब्द "रखने वाले" के बाद और शब्द "किसी" के पहले निम्नलिखित वाक्य बढ़ा दिया जाय--

"या भूमि ....

एक सदस्य--कहाँ से पढ़ रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--यह मुझे अभी मिला है । मैंने इसकी एक प्रतिलिपि राजस्व मंत्री के पास भेज दी थी और इसकी इत्तिला सदन को नहीं मिली है।

श्री चरण सिंह--मुझे इसकी प्रतिलिपि तो मिल गई है, लेकिन यह नियम के विरुद्ध है और मुझे इस पर एतराज़ है।

श्री उपाध्यक्ष--ऐसी सूरत में मैं आपकी राय लेना चाहूंगा ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि कल आप को मालूम है सरकार की तरफ से हमारे पास यह प्रस्ताव आया था कि आपस के सहयोग से आगरा यूनिवर्सिटी विधेयक को खत्म कर दिया जाय। अगर हम अपनी मनमानी करते तो तीन दिन तक वही बिल चलता रहता। ऐसी सूरत में जब हम सहयोग देते हैं तो हमारे संशोधन पर इस तरह से एतराज़ किया जाता है कि यह ठीक समय पर नहीं आया और मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री जी को ज्ञात होगा कि कल यह भी निश्चय हुआ था कि अगर आप ऐसा कर देंगे तो कोई चीज़ भविष्य में नहीं उठायी जायगी। मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री अपने विरोध को वापस ले लेंगे।

श्री चरण सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, जो धमकीपूर्ण बात श्री रामनारायण जी त्रिपाठी कर रहे हैं उसका मैं जवाब देना चाहता हूं । पहली बात तो यह है कि सहयोग अवश्य होता है। इस सम्बन्ध में भी मुझसे पहले मशविरा कर लिया जाता जो नहीं किया गया। यदि वह मश्विरा कर लेते तो शायद मैं इसकी स्वीकृति भी दे देता। दूसरी बात यह है कि दो बिल स्वायल कंजरवेशन और यू० पी० एनकम्बर्ड स्टेट्स बिल पर मैंने उनसे मश्विरा किया था कि वह प्रवर समिति को दे दिये जायं, लेकिन वह तैयार नहीं हुये और चले गये छोड़ कर। इसके बाद एक दूसरे साहब ने एतराज़ उठाया था और वह अध्यक्ष की आज्ञा से लिये गये। इन दो बातों के होते हुए उन्हें उलाहना देने का कोई हक़ नहीं है। फिर भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप उनको ले लीजिये।

श्री गेंदासिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड २ (५) की पंक्ति २ में शब्द "रखने वाले" के बाद और शब्द "किसी" के पहले निम्नलिखित वाक्य बढ़ा दिया जाय--

"या भूमि की हैसियत बढ़ाने वाले"

अगर उस संशोधन को इस धारा में रख दिया जायगा तो वह इस प्रकार हो जायगी--

"२--(५) भूमि का तात्पर्य उस भूमि से है जो कृषि, उद्यानकरण या पशुपालन से सम्बन्ध रखने वाले या भूमि की हैसियत बढ़ाने वाले किसी प्रयोजन के लिये किसी के अधिकार या अध्यासन में हो,"

यह एक ऐसा संशोधन है जिस पर कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। केवल इसका मतलब इतना ही होता है कि अगर कोई भूमि की हैसियत बढ़ाने के लिये जमीन को कमा ले या उसके लिये कुछ काम करता है तो उसको भी भूमि की परिभाषा में जोड़ दिया जाय। हैसियत बढ़ाने वाले कामों की परिभाषा कई जगह हो गई है, उस पर मुझे अधिक समय लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अगर उस परिभाषा में कोई आजाता है तो उसको भूमि मान लिया जाय । यह हो सकता है कि जो काम आज बताये गये हैं उनके अलावा भी कोई ऐसा काम करे जिससे जमीन की हैसियत बढ़ती हो। जिस प्रकार कि

पशुपालन में मधुमक्खी का पालना नहीं आता, मछली पालना नहीं आता, इसी प्रकार कामों में ऐसे काम भी हो सकते हैं जो खेती के कामों में न गिने जायं। अगर कोई किसान अपने रोज के कामों से ऊब कर उनको करता है तो ऐसा करने का मौका उसको दिया जाय। इसलिये मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से इतना ही निवेदन करूंगा कि मेरे इन शब्दों—"या भूमि की हैसियत बढ़ाने वाले", को बढ़ा दिया जाय। मैं समझता हूं इसके विरुद्ध कुछ कहने की आवश्यकता न होगी और माननीय राजस्व मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे। मैं फिर उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि वे इस संशोधन पर विचार कर लें और विचार करने के बाद उसको स्वीकार कर लें।

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि जो भूमि की परिभाषा जमींदारी एबालिशन ऐंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट में की गयी है वहीं हमने यहाँ रखा है और वही रखना ठीक है वरना बहुत सी पेचीदगियाँ पैदा होतीं। दूसरी बात यह कि अगर आप का संशोधन मान लिया जाय तो इस प्रकार यह उपखंड हो जायगा—

"भूमि का तात्पर्य उस भूमि से है जो भूमि की हैसियत बढ़ाने वाले प्रयोजन के लिये दी गयी हो।"

(इस समय ४ बज कर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मैं समझता हूं कि डिफाइन करने की जो बात थी उसको तो आपने फिर छोड़ ही दिया। आखिर वह कौन सी भूमि है? इसलिये यह बिलकुल असंगत है।

तीसरी बात यह है कि यह केवल ठेकेदारों के ठेकेनामे को मंसूख करता है। काश्तकारों के कब्जे में जो जमीन है उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होता है। तो क्या जरूरत है कि जितनी भी बातें रामपुर की हों उन सब को इस रामपुर पट्टेदारी को खत्म करने वाले बिल में ही कहा जाय? इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—(श्री गेंदा सिंह से) क्या आप इसको वापस ले रहे हैं?

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में यह नहीं आता कि इन शब्दों से इस धारा की क्या खूबसूरती बिगड़ जाती है। मैं तो समझता हूं कि इसके आने से न तो उसकी कोई खूबसूरती बिगड़ती है और न जो अर्थ उसका माननीय राजस्व मंत्री जी समझते हैं उसका अनर्थ हो हो जाता है। लेकिन मैं आगे कुछ और भी संशोधन रखना चाहता हूं जो इससे ज्यादा आवश्यक होंगे।

श्रीरामनारायण त्रिपाठी—बारगेनिंग हो रही है.....

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने 'बारगेनिंग' शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं बारगेनिंग की दृष्टि से नहीं बल्कि इसलिये इस संशोधन को वापस ले लूं कि शायद आगे आने वाले जो संशोधन हैं उन पर माननीय राजस्व मंत्री जी मेहरबानी करके विचार करें। तो इसलिये मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री फजलुल हक—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३ के खण्ड २ के उपखंड (६) की दूसरी पंक्ति के अन्तिम शब्द "अथवा" और पाँचवी पंक्ति के अन्तिम शब्द "आधीन" के बीच की वर्तमान शब्दावली के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"कब्जा आराजी रियासत रामपुर ऐक्ट, १९३७ के अध्याय १३ के अथवा रामपुर स्टेट गजट, दिनांक २८, मई, १९३८ तथा १२ मार्च, १९४९ की प्रकाशित विज्ञप्तियों के साथ पठित उक्त अध्याय के"

श्री चरण सिंह—मुझे यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३ के खंड २ के उपखण्ड (६) की दूसरी पंक्ति के अन्तिम शब्द "अथवा" और पाँचवीं पंक्ति के अन्तिम शब्द "अधीन" के बीच की वर्तमान शब्दावली के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"क़ब्जा आराज़ी रियासत रामपुर ऐक्ट, १९३७ के अध्याय १३ के अथवा रामपुर स्टेट गजट, दिनाँक २८ मई, १९३८ तथा १२ मार्च, १९४९ की प्रकाशित विज्ञप्तियों के साथ पठित उक्त अध्याय के"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (६) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह तीस एकड़ से अधिक का न हो।"

पट्टे की परिभाषा इस उपखंड में इस प्रकार है—

"पट्टा" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा रामपुर स्टेट गजट दिनाँक १९ अक्तूबर, १९३५ में प्रकाशित विज्ञप्ति के अथवा रामपुर स्टेट गजट दिनाँक २८ मई, १९३८ तथा १२ मार्च, १९४९ की प्रकाशित विज्ञप्तियों के साथ पठित कानून क़ब्जा आराज़ी रियासत रामपुर, १९३७ के अध्याय १३ के अधीन तथा अनुसार स्वीकृत ठेका, पट्टा अथवा अनुदान से है।"

उसके पश्चात् यह प्रतिबन्ध आवेगा—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह तीस एकड़ से अधिक का न हो।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय राजस्व मंत्री जी मुझे यह समझा दें कि यह ज़रूरी नहीं है तो मैं इस संशोधन को वापस ले लूंगा।

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं हैं जो मैं माननीय गेंदा सिंह जी को समझाने में इस्तेमाल करूं। पट्टे की परिभाषा यह है.....

श्री अध्यक्ष—लेकिन यह तो आउट आफ आर्डर भी है। यह इस प्राविज़न में ठीक नहीं बैठ सकता।

श्री चरणसिंह—जी हाँ, इसका तो बिलकुल उल्टा मतलब हो जायगा। यह वहां ठीक बैठता भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—खैर, यह पेश तो हो चुका है, लेकिन मुझे किसी वक्त भी किसी भी स्टेज पर आउट आफ आर्डर डिक्लेयर करने का अधिकार है और मैं इसे आउट आफ आर्डर डिक्लेयर करता हूँ।

(कुछ समय के अनन्तर)

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

३—किसी विधि, संविदा अथवा अन्य लेख्य (Law, Contract or other document) में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार के लिये यह वध होगा कि वह सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके ऐसे दिनांक से जिसे निर्दिष्ट किया जायगा (जो आगे चल कर अवसान का दिनांक कहा गया है) किसी पट्टे का अवसान कर दे। पट्टों का अवसान (determination)

श्री अध्यक्ष—(श्री गेंदा सिंह से) खंड ३ पर आपके ये संशोधन मैंने देखे नहीं हैं। कहीं गलत न हों।

श्री गेंदासिंह—ये गलत नहीं होने चाहिये। उसके बारे में तो मुझे भी शक था।

श्री शिवनारायण—आन ए प्वाइंट आफर आर्डर सर, गेंदा सिंह जी का नाम तो अजेंडे में है नहीं।

श्री अध्यक्ष—उनके ये संशोधन बाद में आये थे। और उपाध्यक्ष जी ने उनको स्वीकार कर लिया है और माननीय मंत्री जी को कोई एतराज नहीं है।

श्री शिवनारायण—लेकिन अध्यक्ष महोदय हम लोगों को तो एतराज है क्योंकि ये अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जिनकी सूचना हम लोगों के पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष—वह एतराज तो एक ही मरतबा किया जा सकता है।

श्री गेंदा सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री शिवनारायण जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह ध्यान से सुनें। मेरा संशोधन यह है कि खंड ३ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य बढ़ा दिये जायं।

"परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपरोक्त प्रकार की आज्ञा इस अधिनियम के लागू होने के ६ मास के भीतर गजट में प्रकाशित कर दी जायगी।"

अब इस खंड ३ का यह रूप हो गया है "......कि जिसे निर्दिष्ट किया जायगा (जो आगे चलकर अवसान का दिनांक कहा गया है) किसी पट्टे का अवसान कर दे। परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपरोक्त प्रकार की आज्ञा इस अधिनियम के लागू होने के ६ मास के भीतर गजट में प्रकाशित कर दी जायगी।"

तो इसका मतलब केवल इतना है कि ६ मास के भीतर वह कार्यवाही हो जाय। अगर माननीय राजस्व मंत्री जी जल्दी चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग तकलीफ उठा रहे हैं उनकी तकलीफ जल्दी ही रफा की जाय ताकि उनका पिंड छूट जाय। तो उनका इरादा जरूर यह होगा कि जल्दी से वहाँ पर यह लागू किया जाय, लेकिन ६ महीने में यह गजट में प्रकाशित हो जाय बस इतना सा मेरा संशोधन है। अगर वह जल्दी चाहें तो २ महीना या ४ महीना भी रख सकते हैं। मैं समझता हूं कि मेरा यह निर्विवाद संशोधन है और इस पर मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना चाहता हूं कि यह ६ महीने से आगे न जाय।

श्री चरण सिंह—माननीय गेंदा सिंह जी फर्ज मानकर चलते हैं कि यह गवर्नमेंट जमींदारी को खत्म करना नहीं चाहती है, इसलिये वह गजट करने का प्रतिबन्ध इसमें लगाना चाहते हैं। मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी इसको करनी चाहते हैं। बल्कि उल्टे प्रतिबन्ध लगाने से यह होगा

[श्री चरण सिंह]

कि ६ महीने का बोझ रहेगा। जैसे ही यह अधिनियम पास हो जायगा वैसे ही एक सप्ताह या एक महीना या दो महीना के अन्दर हम इस काम को प्रारम्भ कर देंगे। ६ महीने की शर्त लगाना आवश्यक ही नहीं बल्कि फजूल मालूम होता है।

श्री अध्यक्ष--इसका यह अर्थ भी हो सकता है कि अगर ६ महीने तक आर्डर पास न हुआ तो फिर ६ महीने के बाद नहीं हो सकता है। इसके बाद आर्डर पास करने का अधिकार छिन जायगा। अगर ६ महीने तक अमल नहीं किया गया तो उसके बाद फिर नहीं किया जा सकेगा।

श्री चरण सिंह--जी हाँ, आपने जैसा फरमाया है इसका यह अर्थ भी हो सकता है। परन्तु हम तो यह समझते हैं कि ऐसी नौबत नहीं आयेगी। मैं आपके जरिये से उनसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह का जो विचार उनके दिमाग में घूमा करता है और जिससे उनको तकलीफ होती है वह उस विचार को अपने दिमाग से निकाल दें। मैं उनको यह विश्वास दिलाता हूं कि यह गवर्नमेंट जमींदारी को खत्म करने के लिये उतनी ही लालायित है जितना कि वह हैं बल्कि उनसे भी ज्यादा है।

श्री गेंदा सिंह--मुझे खुशी इस बात की है कि जो हमारे संशोधन का उद्देश्य है वह उद्देश्य पूरा होता है चाहे राजस्व मंत्री जी हमको कितनी ही गाली दें। जब हमारा उद्देश्य पूरा होता है तो मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

पट्टों के अवसान के परिणाम

४--जब कभी धारा ३ के अधीन और अनुसार किसी पट्टे का अवसान किया जाय तो निम्नलिखित परिणाम होंगे, यथा--

(क) उस स्थिति को छोड़कर जिसकी व्यवस्था यहाँ आगे चलकर की गयी है, पट्टे के अन्तर्गत पट्टेदार के सभी अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे मानों कि पट्टे की अवधि उसी समय समाप्त हो गयी हो ;

(ख) जब पट्टे की शर्तों के अधीन या अनुसार किसी पट्टेदार ने पट्टे के अन्तर्गत भूमि को खुदकाश्त में ले लिया हो तो पट्टेदार--

(१) कानून कब्जा आराजी रियासत रामपुर, १६३७ की धारा १४ के खंड (हे) से (काफ) तक में वर्णित भूमि से भिन्न भूमि का असामी गैर-दखीलकार हो जायगा और उसे अवसान के दिनाँक से ठीक पहले के दिनाँक पर प्रवृत्त (applicable) दर से आकलित लगान के बराबर देना पड़ेगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि का क्षेत्रफल ३० एकड़ से अधिक हो तो वह अधिक क्षेत्र रिक्त भूमि हो जायेगी और उसे रिक्त भूमि समझा जायगा तथा पट्टेदार को ऐसे अधिक क्षेत्र से बेदखल किया जा सकेगा।

(२) खंड (१) में अभिदिष्ट भूमि से भिन्न भूमि के सम्बन्ध में आगमहीन (without title) अध्यासी व्यक्ति समझा जायगा और वह ऐसे व्यक्तियों के लिये समय विशेष पर प्रवृत्त विधि के अनुसार उस भूमि से बेदखल किया जा सकेगा ।

(ग) पट्टेदार अवसान के दिनांक से पूर्व की अवधि के लिये पट्टे के अन्तर्गत किसी भूमि के बारे में लगान, अबवाब तथा अन्य देय धनराशियों के वसूल करने का अधिकारी बना रहेगा ।

(घ) ऐसी किसी भी भूमि के सम्बन्ध में अवसान के दिनांक के बाद किसी भी अवधि के लिये देय सभी लगान अबवाब तथा अन्य देय धनराशि जो उक्त अवसान के न होने पर पट्टेदार को देय होतीं, राज्य सरकार को देय होंगी और उक्त अवसान के पूर्व अथवा पश्चात् की हुयी उक्त धनराशि की कोई भी अदायगी उक्त व्यक्ति द्वारा जिस पर उसे देने का दायित्व हो वैध भुगतान न होगी यद्यपि ऐसे व्यक्ति के पट्टेदार से उसे वसूल करने के अधिकार पर इससे कोई प्रभाव न पड़ेगा,

(ङ) यदि उक्त अवसान हुये (determined) पट्टे से भिन्न अवसान के दिनांक से पूर्व निष्पन्न हुये किसी अनुबन्ध अथवा संविदा (agreement or contract) के अधीन उक्त दिनांक के बाद की किसी भी अवधि के लिये कोई लगान, अबवाब या अन्य धनराशियाँ पट्टेदार को दी गयीं हों अथवा उसने संचित (Compounded) या वसूल की हों, तो वह अनुबन्ध अथवा संविदा के होते हुये भी राज्य सरकार द्वारा पट्टेदार से वसूल की जा सकती है और वसूली के अन्य किसी ढंग को बाधित न करते हुये इस अधिनियम के अधीन पट्टेदार को देय प्रतिकर की धनराशि से काट कर वसूली की जा सकती है,

(च) अवसान के दिनांक से पूर्व की अवधि के लिये पट्टेदार द्वारा देय लगान, अबवाब, तकावी या अन्य देय धनराशियों की सभी बकाया पट्टेदार से वसूल की जाती रहेगी और वसूली के अन्य किसी ढंग को बाधित न करते हुये इस अधिनियम के अधीन पट्टेदार को देय प्रतिकर की धनराशि से काट कर वसूल की जा सकती है,

(छ) अवसान के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर प्रभावशाली प्रत्येक बन्धक, शिकमी पट्टा अथवा पट्टेदारी के अधिकार के अन्य हस्तान्तरण (transfer) का अवसान हो जायगा और ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ७३ की उपधारा (२) के उपबन्ध इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त प्रतिकर के सम्बन्ध में उसी प्रकार प्रभावी होंगे मानो कि पट्टे के अन्तर्गत भूमि किसी ऐसे अधिनियम के अधीन हस्तगत की गयी थी जिसमें अनैच्छिक हस्तगतीकरण (Compulsary acquisition) की व्यवस्था की गयी हो,

(ज) पट्टे के अन्तर्गत भूमि में चराने अथवा भूमि से उपज एकत्रित करने का, पट्टेदार तथा अन्य किसी व्यक्ति के बीच ३० नवम्बर, १९४९ के पश्चात् हुआ कोई भी अनुबन्ध अथवा अन्य संविदा अवसान के दिनांक से प्रभावहीन (void) हो जायगा,

(झ) पट्टे के अन्तर्गत किसी भी भूमि पर स्थित सभी इमारतें जिन पर पट्टेदार का अधिकार हो पट्टे की अवशिष्ट अवधि के लिये नियत की जाने वाली

शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन उसी के अधिकार में रहेंगी और इसके अतिरिक्त उक्त अवधि समाप्त होने पर यदि कि पट्टे में भिन्न अभिप्राय व्यक्त न हो (और ऐसी दशा में अभिप्राय ही प्रभावशाली रहेगा) राज्य में निहित हो जायगी ।

श्री गेंदा सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (ख) के भाग (१) को निम्नलिखित प्रकार से रख दिया जाय--

"(१) ३० एकड़ से अधिक भूमि रिक्त भूमि समझी जायगी जिसे रिक्त भूमि समझकर बेदखल किया जा सकेगा और उस अवसान के दिनांक से ठीक पहले की मालगुजारी देनी पड़ेगी जिसकी दर किसी भी दशा में प्रति एकड़ ५ रुपये से अधिक न होगी ।"

तो अगर ५ रुपये तक मालगुजारी होगी तो अध्यक्ष महोदय, कोई झगड़ा नहीं है; लेकिन अगर ५ रुपये से अधिक लिखी हुयी हो, तो उन्हें ५ रुपये से अधिक न देना पड़े यह मेरा मतलब है ।

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं इस बिल का स्कोप यह नहीं है कि मालगुजारी बढ़ाई या घटाई जाय और यह ५ रुपया एकड़ या ६ रुपया एकड़ इस बिल के स्कोप में नहीं आता है ।

श्री गेंदा सिंह--श्रीमन्, इसमें कच्ची और पक्की निकासी निश्चय करने का प्राविजन है और वह मालगुजारी लगान के आधार पर ही निश्चित होगी। इसलिये इससे उस अधिकारी को जिसको पक्की और कच्ची निकासी देखनी पड़ेगी उसको हम अधिकार दे दें कि अगर मालगुजारी ज्यादा हो तो वह उसे कम कर दे जैसा कि जमींदारी एबालिशन बिल में किया गया था । अगर कोई फर्जी लगान वगैरह हों तो उन पर विचार कर लें और इसलिये मौर्य जी का प्वाइंट आफ आर्डर टिकने वाला नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--इस में कहीं मालगुजारी फिक्स की गयी है ?

श्री चरण सिंह--की है । ४ (ख) (१) में ।

श्री अध्यक्ष--तब तो ठीक है।

श्री गेंदा सिंह--तो मैं संशोधन इसलिये पेश कर रहा हूं कि यदि ५ रुपये से अधिक मालगुजारी मुकर्रर हो तो वह ५ रुपये तक ही रखी जाय और उसी तक रखने में मुआविजा देने में भी सुविधा होगी अगर कहीं फर्जी तरीके से ५ रुपये से अधिक लगान बाँध लिया है तो वह तो सरकार को कम करना पड़ेगा। ऐसा कानून लागू हो जाने के बाद और मुआविजा निश्चित हो जाने के बाद उसमें सरकार को और खेत जोतने वालों को नुकसान होगा। इसलिये बढ़ी हुई दर को कम करने से लाभ होगा ।

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह संशोधन बहुत हद तक असम्बद्ध है और अगर किसी हद तक मुताल्लिक है तो मुझे वह मंजूर नहीं है। आप ने उसमें रखा है कि--

खंड ४ के उपखंड (ख) के भाग (१) को निम्नलिखित प्रकार से रख दिया जाय:

"(१) ३० एकड़ से अधिक भूमि रिक्त भूमि समझी जायगी जिसे रिक्त भूमि समझ कर बेदखल किया जा सकेगा और उस अवसान के दिनांक से ठीक पहले की मालगुजारी देनी पड़ेगी जिसकी दर किसी भी दशा में प्रति एकड़ ५ रुपये से अधिक न होगी ।"

तो ठीक पहले मालगुजारी देनी पड़ेगी जिसकी दर किसी भी दशा में प्रति एकड़ ५ रुपये से अधिक न होगी । तो जहाँ तक पहले हिस्से का सम्बन्ध है कि यह रिक्त भूमि समझी जायगी वह तो जो प्रतिबन्ध है "ख" (१) के बाद "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि का क्षेत्रफल ३० एकड़ से अधिक हो तो वह अधिक क्षेत्र रिक्त भूमि हो जायगी उसे रिक्त भूमि समझा जायगा तथा पट्टेदार को ऐसे अधिक क्षेत्र से बेदखल किया जा सकेगा ।" यह तो आलरेडी उसमें दिया गया है । अब दूसरा जो आप कहते हैं कि वह मालगुजारी देगा और वह ५ रु० एकड़ से ज्यादा नहीं होगी तो वह "ख" (१) में.......

श्री अध्यक्ष—मगर उन्होंने प्रतिबन्ध हटा दिया है और दोनों को मिला दिया है ।

श्री चरण सिंह—जी हां । वह यह कहते हैं कि इस दर से मालगुजारी देनी पड़ेगी । विधेयक में तो यह है कि जो रेट्स अप्लीकेबुल हैं वहां पर उस समय उन रेट्स के मुताबिक मालगुजारी उस पर तशखीस हो जायगी । वह यह कहते हैं कि ५ रु० फी एकड़ से ज्यादा किसी सूरत में भी न हो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह का प्रतिबन्ध लगाना ठीक नहीं है । यह कहना कि आज वह कम दे रहे हैं, ज्यादा हो जायगी, इसका सवाल नहीं है । आज तो वह कोई मालगुजारी दे ही नहीं रहे हैं । उसने अगर ६१५ रु० में सारे गांव का ठेका ले लिया है और उसका रकबा था १,५०० एकड़, उसमें से ६० एकड़ खुदकाश्त कर लिया और बाकी १,४४० एकड़ दूसरों को उठा दिया तो वह १,५०० एकड़ पर उतनी मालगुजारी जमा दे रहा है । अपनी जमीन पर कोई खास मालगुजारी उसकी आज तसखीश नहीं है । मालगुजारी की तसखीश तो तब होगी जब कि उसकी और जमीन हट जायगी और जो जमीन उसकी बचेगी । इसलिये पहले से उसने अपने ऊपर कुछ नहीं रखा है । यह तो उन लोगों के लिये रखा है जो उसने काश्त उठा रखे हैं । इसका सवाल तो उस समय आयेगा जब कि जमींदारी विनाश और लैन्ड रिफार्म्स अधिनियम वहां लागू होगा । आज तो अगर जमीन खराब है तो २ रु० एकड़ लगान हो सकता है, अगर जमीन बढ़िया है तो ९ रु० एकड़ भी लगान हो सकता है । तो उस पर यह शर्त लगाना ५ रु० फी एकड़ वगैरह की वह ठीक नहीं है । जैसी जमीन हो वैसी उस पर मालगुजारी हो ।

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, रामपुर के बारे में कम जानकारी रखते हुये भी मैं इतना जरूर जानता हूं कि वहां पर मालगुजारी की दर ऊंची है और दूसरी बात यह कि जिन लोगों के संबंध में यह है कि उन्होंने अपने ऊपर मालगुजारी कम रखी होगी तो उसमें तो मैं ५ रु० एकड़ की चर्चा करता हूं कि आज ५ रुपया एकड़ के इर्द गिर्द ही सारे प्रांत की मालगुजारी की दर है । यह तो बात हो सकती है कि अगर माननीय राजस्व मंत्री जी इस बात को स्वीकार करें कि ५ रु० एकड़ जो मैं एक औसत कह रहा हूं उसमें इस बात की गुंजाइश की जा सकती है कि अगर कोई ऐसी जमीन भी निकले कि जिस जमीन की मालगुजारी ६ रु० एकड़ हो सकती हो तो यह शब्दों में तो हेरफेर हो सकता है और वह माननीय राजस्व मंत्री जी की इच्छा से इसमें हेरफेर किया जा सकता है । यदि वह इस सिद्धांत को स्वीकार करें कि जो इर्द गिर्द के जिलों की मालगुजारी है उसी मालगुजारी के अनुसार रामपुर में भी मालगुजारी होगी तो वैसी हालत में यह बात हो सकती है कि आपकी आज्ञा से इस संशोधन को इस प्रकार कर लिया जाय कि वह इतना रुपया या कुछ इस तरह की बात कर ली जाय जो ठीक हो कि जिस जमीन के लिये कि उतनी मालगुजारी दी जा सकती है वह रखी जाय या इससे भी बढ़िया है तो यह मालगुजारी हो ।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि रामपुर की मालगुजारी की दर जो है वह बहुत ऊंची है इसलिये मैं उसके बंधन के रूप में इस कानून में इस प्रबन्ध को लाना चाहता हूं । तो मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी उस पर विचार कर लें और अगर वह इसके लिये तैयार हों कि निकट के जिलों का औसत मालगुजारी के बराबर उसको भी करना चाहिये तो उसकी कोई शब्दावली वह बना लें और उसे मैं स्वीकार कर लूंगा ।

श्री चरण सिंह--जी नहीं। मैं तैयार नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ के उप खंड (ख) के भाग (१) को निम्नलिखित प्रकार से रख दिया जाय--

"(१) ३० एकड़ से अधिक भूमि रिक्त समझी जायगी जिसे रिक्त भूमि समझकर बेदखल किया जा सकेगा और उस अवसान के दिनांक से ठीक पहले की मालगुजारी देनी पड़ेगी जिसकी दर किसी भी दशा में प्रति एकड़ ५ रु० से अधिक न होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कृष्णशरण आर्य--अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति में मैं यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड ४ के उपखंड (ख) के भाग (१) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य की पंक्ति एक में शब्द "यदि" और शब्द "भूमि" के बीच में शब्द "पट्टेदार और उसके परिवार के पास ऐसी कुल" रख दिये जायं तथा प्रतिबन्ध के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाय--

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनों के लिये व्यक्ति के परिवार का तात्पर्य यदि परिवार के लोग संयुक्त रूप से रहते हों तो, स्वयमेव व्यक्ति उसके अल्पवयस्क बच्चों, उसकी पत्नी अथवा उसके पति से जैसी भी दशा हो, है और यदि व्यक्ति स्वयं ही अल्पवयस्क हो तो उसके माता और पिता से है।"

श्री चरण सिंह--स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (ख) के भाग (१) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य की पंक्ति एक में शब्द "यदि" और शब्द "भूमि" के बीच में शब्द "पट्टेदार और उसके परिवार के पास ऐसी कुल" रख दिये जायं तथा प्रतिबन्ध के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ दिये जाय:--

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनों के लिये व्यक्ति के परिवार का तात्पर्य यदि परिवार के लोग संयुक्त रूप से रहते हों तो, स्वयमेव व्यक्ति, उसके अल्पवयस्क बच्चों, उसकी पत्नी अथवा उसके पति से, जैसी भी दशा हो, है और यदि व्यक्ति स्वयं ही अल्पवयस्क हो तो उसके माता और पिता से है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड ४ के उपखंड (ख) में जिस जगह "३० एकड़" आया है उसकी जगह "१५ एकड़" रखना चाहता हूं। उसके रखने से प्रतिबन्ध इस प्रकार हो जायगा--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि का क्षेत्रफल १५ एकड़ से अधिक हो तो वह अधिक क्षेत्र रिक्त भूमि हो जायगी और उसे रिक्त भूमि समझा जायगा तथा पट्टेदार को ऐसे अधिक क्षेत्र से बेदखल किया जा सकेगा"

मैं यह महसूस कर रहा हूं कि आज जो हालत सूबे की खेती की है उसके संबंध में वह नेता जोकि आज मिनिस्टर हैं और जो बाहर हैं वह भी सब परेशान हैं कि खेती की समस्या कैसे हल की जाय। इस तरह का सभी लोगों का सवाल है कि छोटे छोटे खेत, कम से कम जो हों वह आठ एकड़ कर दिया जाय और ३० एकड़ से ज्यादा कोई खेत बढ़ने न पाय। यह जमींदारी एक्ट में है इसलिये मैं चाहता हूं कि अगर आप अभी से उस दिशा में सजग रहेंगे और इस तरह का प्रतिबन्ध आप लगावेंगे कि कम से कम १५ एकड़ एक परिवार के लिये हो तो अच्छा होगा। इससे जो किसानों में खेती करने की भूख बढ़ रही है उसके लिये भी आप के पास अधिक जमीन रहेगी, आप बटवारा ठीक से कर सकेंगे। यही केवल मेरा उद्देश्य है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से यह उम्मीद करता हूं कि इसे स्वीकार करेंगे।

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, यह सवाल इतना पीसा जा चुका है कि इसको अब और पीसना मैं व्यर्थ समझता हूं। इस सिलसिले में मैं और कुछ कहकर माननीय उमाशंकर जी के पद का अपमान नहीं करना चाहता और इसका विरोध करता हूं।

श्री उमाशंकर--मैंने तो अपनी राय कृषि मंत्री जी के सामने रख दी। चूंकि मैं जानता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी के विरोध करने पर मेरा प्रस्ताव पास नहीं हो सकता है इसलिये मैं इसे वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--माननीय उमाशंकर जी अपना प्रस्ताव गिर जाने के डर से वापस लेना चाहते हैं जिसके लिये सदन अनुमति दे सकता है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सदन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति देता है।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री गेंदा सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (ग) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य बढ़ा दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि यह रकम प्रति एकड़ ५ रुपये से अधिक नहीं होगी।"

जो मेरा पुराना प्रस्ताव था उससे यह प्रस्ताव भिन्न है। वह प्रस्ताव पट्टेदारों के लिये राहत देता था लेकिन यह संशोधन जो है वह उनको राहत देता है जिनको कि पट्टेदारों ने जमीन दी है। उनको यह अख्तियार रहा है कि अधिक लगान पर इकरारनामे लिखवाकर ज्यादा मालगुजारी वसूल करें। ऐसी हालत में मैं मौर्य जी से जिन्होंने कि मुझे संकेत किया था कि भाई पट्टेदारों की वकालत कर रहे हैं उनकी बात तो समाप्त हो गई, उनसे ५ रुपये के बजाय जितना भी हो सके वसूल किया जाय। मैं उन लोगों के लिये कह रहा हूं जो पट्टेदारों के मातहत जमीन जोतते हैं। इस संशोधन का मतलब केवल इतना ही होगा। ऐसी हालत में अब मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से उम्मीद करूंगा कि वे हमारे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे। मैं अब कोई विशेष बातें कह ही नहीं सकता हूं क्योंकि जब वे पहले ही से यह समझ गये कि पट्टेदारों की बात नहीं है इसलिये मैं समझता हूं कि मेरा यह संशोधन स्वीकार होने जा रहा है। अब मैं और कोई बात कहकर सदन का समय नहीं लेना चाहता।

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मुझे श्री गेंदा सिंह जी को निराश करना पड़ेगा। कारण यह है कि जरा विचार करने की बात है कि मालगुजारी के लिये भी ५ रु० तक की शर्त थी और लगान के लिये भी ५ रुपये की शर्त हो, यह दोनों बातें संगत कैसे होती हैं। पहला जो संशोधन पेश किया गया, यह था कि मालगुजारी ५ रु० से ज्यादा न रखी जाय। अब जो मालगुजारी देगा गवर्नमेंट को वह काश्तकार से मालगुजारी से कुछ ज्यादा जरूर लेगा। तो आप लगान के लिये भी शर्त लगा रहे हैं कि पांच रुपये से ज्यादा वसूल न करें। मालूम ऐसा होता है कि गेंदा सिंह जी पांच रुपये की जगह कुछ शायद और रकम रखना चाहते थे लेकिन पांच ही रह गये।

श्री गेंदा सिंह--जी नहीं।

श्री चरण सिंह--अगर ऐसा जानबूझकर किया है तो मैं ऐसा नहीं मान सकता हूं कि इतनी गलती माननीय गेंदा सिंह जी भी कर सकते हैं कि मालगुजारी की दर भी पांच रुपये रहे और लगान की दर भी पांच रुपये रहे। इसलिये यह मेल खाता नहीं है। एक तो यह बात और दूसरी बात यह है कि जब पहला संशोधन सदन ने अस्वीकार कर दिया, तो हो सकता है कि किसी जमीन की मालगुजारी ७ रुपये हो और अगर वह किसी से लगान ले रहा होगा तो कम से कम साढ़े सात तो ले ही रहा होगा। इसलिये यह संशोधन ठीक नहीं रहेगा, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री गेंदा सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत समझ बूझकर ऐसा रखा था और मैं ऐसा समझता हूं कि अब जमींदारी वहां पर समाप्त होने जा रही है। इसलिये पांच रुपये एकड़ जमीन की मालगुजारी और लगान रखने में कोई असंगत बात नहीं समझता।

अब रही यह बात कि जैसा माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि यह तो हो सकता है कि पांच रुपये से ज्यादा मालगुजारी रामपुर के किसी इलाके में हो, मैं ऐसा समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसी भी हालत में पांच रुपये से ऊपर मालगुजारी रखने के लिये किसी जगह मंजूरी नहीं दे सकती। मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता लेकिन ऐसा मेरा ख्याल है कि पांच रुपये से ऊपर मालगुजारी शायद ही किसी जमीन की हो और अगर होगी भी तो बहुत थोड़ी सी जमीन ऐसी होगी और वह बहुत उपजाऊ जमीन होगी। इसलिये पांच रुपये एकड़ से ज्यादा मालगुजारी होने का प्रश्न नहीं उठता और मैं समझता हूं कि यह कठिनाई उनकी कोई कठिनाई नहीं मालूम होती। रामपुर की मालगुजारी से हम लोग डरते हैं और उस डर के मारे हम चाहते हैं कि पांच रुपये से ज्यादा मालगुजारी न रहे। इस संबंध में मेरा जो कुछ शुबहा है वह इतना ही है कि वहां की मालगुजारी के बारे में मेरी यह जानकारी हो चुकी है कि वहां की मालगुजारी बहुत ज्यादा है। उस मालगुजारी को कम करने के लिये मैं यह चाहता हूं कि जब पट्टेदारों के लिये नहीं माना गया तो फिर किसानों के लिये ही माना जाय और जो मुसीबतजदा लोग हैं उनके लिये ही हो जाय। इसलिये मेरी यह मजबूरी है कि मैं इस संशोधन को वापस नहीं लूंगा। यों तो अस्वीकार हो ही जायगा क्योंकि माननीय राजस्व मंत्री ने माना नहीं है लेकिन मैं वापस नहीं लूंगा।

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो माननीय गेंदा सिंह जी का यह ख्याल गलत है कि सारे सूबे की मालगुजारी का औसत पांच रुपये एकड़ है। हमारा औसत छः प्वाइण्ट समथिंग है यानी छः रुपये कुछ पैसे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आधी जमीन की मालगुजारी छः रुपये से ज्यादा है और आधी जमीन की मालगुजारी छः रुपये से कम है। तो यह कहना कि पांच रुपये से ज्यादा जमीन की मालगुजारी है ही नहीं और होगी भी तो बहुत कम जमीन की होगी, यह गलत है। इसको देखते हुये यह पांच रुपये बहुत कम हैं। इसलिये मैं इसे स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (ग) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबधात्मक वाक्य बढ़ा दिया जाय--

"परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि यह रकम प्रति एकड़ ५ रुपये से अधिक नहीं होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

सदन का समय बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन की बैठक तब तक जारी रहे जब तक कि यह रामपुर ठेकेदारी विधेयक पास न हो जाय।

श्री अध्यक्ष--आप समय बढाना चाहते हैं?

श्री रामनरेश शुक्ल--जी हां।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, माननीय रामनरेश शुक्ल ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है उसका मैं घोर विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह आपकी जानकारी में है कि विरोधी दल सरकार के साथ किस तरह से कल से सहयोग कर रहा है। आगरा यूनिवर्सिटी बिल के संबंध में जहां चार पांच दिन लग सकते थे वहां हम लोगों ने

एक दिन में दो घंटे और बैठ करके उस काम को समाप्त किया। उसके बाद भी अब ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं है कि जिस में इस विधेयक के लिये समय बढाया जाय।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—विशेष अवस्थाओं में आवश्यकता प्रस्तुत हो सकती है। इसलिय मैं मुनासिब समझूंगा कि सरकार इस प्रस्ताव को वापस ले ले और इस प्रकार अपोजीशन की स्वतंत्रता पर बार बार कुठाराघात न करे।

श्री अध्यक्ष—इसमें स्वतंत्रता का तो कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री गेंदा सिंह—अध्यक्ष महोदय, होता है। इसलिये कि जब तक खत्म न हो जाय के मानी यह हैं कि सदन १२ बजे तक भी बैठ सकता है और सबेरे तक भी जुटा रह सकता है।

श्री अध्यक्ष—यह कह सकते हैं कि "लेजर" की स्वतंत्रता कम होती है।

श्री गेंदा सिंह—अभी कोई ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हुई है जिससे सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव आये। हमारी पूर्व सम्मति के बिना कोई ऐसा प्रस्ताव आना अनुचित है।

श्री अध्यक्ष—कमसे कम समय में कारण बतला दिया जाय जिससे समय बढ़ाने के लिये प्रस्ताव किया गया है।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—बात सिर्फ इतनी सी ही है कि बहुत छोटा सा विधेयक ह, कोई बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है। एक ही इश्यू है कि ठेकेदारों के हक लेने की बात। इसलिये जितना कम समय इसमें लगे उतना ही अच्छा ह। यह जरूर है कि सब लोगों को अपनी बात कहने को मौका दे दिया जाय। म तो उम्मीद करता था कि ४ बजे यह खत्म हो जायगा लेकिन पहले सिलेक्ट कमेटी का मोशन हुआ। उस पर जितनी बातें हो सकतीं थीं कह दी गई।

दूसरी बात यह जो त्रिपाठी जी ने कही कि अपोजीशन का कुछ लिहाज रक्खा जाय तो अपोजीशन के लिहाज की वजह से ही जो अमेंडमेंट्स अनड्यू नोटिस के आये थे वे लिये गये। मैं अपनी कोआपरेटिव एटीट्यूड का एक सबूत दे चुका हूं फिर भी यह शिकायत है कि अपोजीशन की बात नहीं मानी जाती। अगर अपोजीशन की बात न मानी जाती तो माननीय गेंदा सिंह जी के अमेंडमेंट्स अस्वीकृत हो जाते।

तीसरी बात यह है कि एक घंटा लेजर का समय मिलता है पार्लियामेंट में लेजर का समय नहीं मिलता। फिर शनिवार का दिन मिलता है। यहां फिर काम करना ऊपर है जनहित के लिये या अपोजीशन ऊपर है? अगर १५ मिनट और बैठ जायं तो कोई हर्ज नहीं होगा।

श्री गेंदा सिंह—माननीय राजस्व मंत्री यह मान कर चलते हैं कि १५ मिनट में पास हो जायगा। जितने भी पाबन्दी के प्रस्ताव पास होंगे वे अपनी तरफ से पास करेंगे। उनको अधिकार है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहस दो दिन तक चले। इसलिये राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरह से विरोधी दल की अवहेलना न की जाय और इस प्रस्ताव को प्रेस न किया जाय।

श्री अध्यक्ष—अगर आप कोई समय निश्चित कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा लेकिन यह कहना कि जब तक खत्म न हो मुनासिब नहीं है क्योंकि बहस ९ बजे तक भी चल सकती है और १० बजे तक भी चल सकती है।

श्री चरण सिंह—२ घंटे बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—दोनों शर्तें रख दीजिये।

श्री चरण सिंह—या इससे पहले जब खत्म हो जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि आज का समय २ घंटे अधिक अथवा इस प्रस्तुत विधेयक के समाप्त होने तक, जो पहले समाप्त हो, तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—८३ ।

विपक्ष में—१४ ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, अगर आज ५ बजे हाउस उठ जाता तो हम और भी संशोधन दे सकते थे क्योंकि कल और परसों बजट का वादविवाद होने वाला है।

श्री अध्यक्ष—मैं कार्यक्रम के सिलसिले में यह जानना चाहूंगा कि बाकी विधेयक क्या २४ के बाद लिये जावेंगे ? क्या मंत्री जी इसके बारे में कुछ कह सकेंगे ?

श्री चरण सिंह—इसके लिये कोई प्रोग्राम नहीं बना है और न मेरी मुख्य मंत्री जी से बातचीत हुई है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, कार्यक्रम के बारे में आज पंतजी से बातचीत हुई। मंगलाप्रसाद जी और दो एक सज्जन भी उपस्थित थे। यह तय हुआ कि २४ को कार्य खत्म हो जाय या यदि जरूरत हुई तो २६ को। पंतजी ने यह साफ कह दिया था कि वह २६ के बाद नहीं बैठना चाहते हैं। तो यह हमने उनसे साफ कहा था कि जब वह २४ को चाहते हैं तो २४ को अगर विधेयक खत्म नहीं हुआ तो फिर देखा जायगा और समय बढ़ाकर उस दिन कर लिया जायगा। इस पर हमको बहुत ज्यादा विरोध है कि हर रोज समय बढ़ाया जाता है।

श्री अध्यक्ष—मतलब यह है कि २४ तारीख को समय बढ़ाकर बाकी सब काम ले लिया जाय ।

श्री राजनारायण—जी हां, जो बात हम कह चुके हैं उससे पीछे नहीं हटेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन उपस्थित किया गया था उसके संबंध में गणना हो गई और आपने प्रतिफल के बारे में कुछ नहीं कहा। इस समय ५ बज चुके हैं इसलिये अब कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—प्रतिफल निर्णय शायद आपने सुना नहीं होगा। आप कार्यक्रम समाप्त करने के लिये कह रहे हैं। मैं इसके लिये पुनः विचार कर सकता हूं। यदि सबकी सम्मति हो तो इस पर पुनः विचार हो सकता है। यदि आप इन तीनों आइटम्स को २४ तारीख को समय बढाकर आपसी समझौते से कर लें तो मैं समझता हूं कि ठीक होगा।

श्री चरण सिंह—मैं क्या बतलाऊ, जितनी बातें हुई हैं और यह विभाजन वगैरा हुआ है अब तक तो यह विधेयक खत्म भी हो गया होता। अब आप मुलाहिजा फरमाइये कि इसमें एक संशोधन तो श्री गेंदा सिंह जी का और दूसरा श्री उमाशंकर जी का है। बाकी सब संशोधन हमारी पार्टी के हैं जिनको या तो मैं स्वीकार कर रहा हूं या वह प्रस्तुत नहीं होंगे। मुश्किल से कुल दस मिनट का काम है और दस मिनट से ज्यादा तो हो भी गये हैं। आपने जो अमेंडमेंट पेश किये थे और जिनकी स्वीकृति मैंने दे दी तो क्या वह हम पर लद गये ?

श्री अध्यक्ष—मैं यह कह रहा हूं कि परसों तक तो कोई हर्ज नहीं होगा। इसलिये कि एक ओवरआल पिक्चर का सवाल है यह हो सकता है। आध घंटे में यह और बाकी के दोनों विधेयक खत्म परसों ही हो सकते हैं। अगर यह नीति रहे समझौते की तो काम खत्म हो

सकता हूं। इसलिये पूरे कार्यक्रम के हिसाब से सोचा जाय तो मैं समझूंगा कि यही ठीक रहेगा। पुनर्विचार के प्रस्ताव में मैं कुछ जोर देना चाहता हूं। अगर आप स्वीकार करते हों तो मैं सदन के सामने रखूं।

श्री राजनारायण--जहाँ तक सवाल बिक्री कर के विधेयक के बारे में है, हमने माननीय मुख्य मंत्री जी से स्पष्ट कह दिया है कि हम इसमें पूरा एक सप्ताह लेंगे उन्होंने खुद कहा है कि वह भी इस पर सोच लेंगे और उन्होंने हाफिज मुहम्मद इब्राहीम जी से बात की कि इसके जल्दी पास न होने से पैसे का तो नुकसान नहीं होगा। हाफिज जी ने कहा कि नहीं पैसे का तो कोई नुकसान नहीं पड़ता है। अभी श्री मंगला प्रसाद जी आये थे और श्री शांति प्रपन्न शर्मा भी आये थे और यह तय हुआ था कि बिक्री कर के बारे में वह इंसिस्ट (जोर नहीं देंगे) नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष--यदि तय नहीं हुआ तो आप बैठिये।

श्री राजनारायण--हमारा मुख्य मंत्री जी से यह तय हो गया लेकिन माननीय माल मंत्रीजी इंसिस्ट (हठ) कर रहे हैं। आपने उनको सद्‌बुद्धि ग्रहण करने की अपील की लेकिन आपकी अपील के बाद भी वे नहीं मान रहे हैं और अपनी इच्छा को हमारे ऊपर लादना चाहते हैं। इसलिये सिवाय इसके कि हम वाक आउट करें हमारे पास और कोई चारा नहीं रह जाता है, मैं निवेदन करूंगा कि वे फिर भी मान जायं। (कुछ ठहर कर) अध्यक्ष महोदय, क्या आज्ञा है?

श्री अध्यक्ष--जब वे कुछ नहीं कह रहे हैं तो मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन इस समय आपका वाकआउट करना उचित नहीं है।

(इसके उपरान्त विरोधी दल के सदस्य सदन से उठकर चले गये।)

रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३

खंड ४ (क्रमागति)

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर) अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (ज) में शब्द और अंक "३० नवम्बर, १९४९" के स्थान पर शब्द और अंक "३० जून, १९४९" रख दिये जायं।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--मुझे यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (ज) में शब्द और अंक "३० नवम्बर, १९४९" के स्थान पर शब्द और अंक "३० जून, १९४९" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कृष्णशरण आर्य--अध्यक्ष महोदय, खंड ४ के उपखंड (झ) की पंक्ति ४ में शब्द "यदि" और शब्द "पट्टे" के बीच का शब्द "कि" निकाल दिया जाय।

श्री चरण सिंह-- मुझे यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड (४) के उपखंड (झ) की पंक्ति ४ में शब्द "यदि" और शब्द "पट्टे के बीच का शब्द "कि" निकाल दिया जाय,

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग बन जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५

देय लगान

५—१ दिसम्बर, १९४९ को या इसके बाद पट्टेदार द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे के अन्तर्गत किसी भूमि के सम्बन्ध में किये गये किसी भी अनुबन्ध अथवा संविदा के, या की गयी किसी भी बात के, अथवा किसी ऐसी बात के जिसके किये जाने की अनुज्ञा दी गयी हो, होते हुए भी, उक्त भूमि के लिए देय लगान—

(क) अवसान के दिनांक पर वह धनराशि समझी जायगी जो १ दिसम्बर, १९४९ को देय लगान के बराबर हो और किसी न्यायालय की डिक्री अथवा आज्ञा से दी गई किसी छूट अथवा कमी से भिन्न किसी छूट अथवा कमी पर तब तक विचार न किया जायगा जब तक कि राज्य सरकार उसे पुष्ट न कर दे, और

(ख) अवसान के दिनांक के बाद भविष्य में वह धनराशि होगी जो खंड (क) के अधीन तदर्थ देय मानी गई हो, किन्तु इससे उस पर प्रवृत्त किसी भी विधि के अनुसार भविष्य में उसमें बढ़ती अथवा कमी करने में बाधा न होगी।

श्री कृष्णशरण आर्य— अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है कि खंड ५ की पहली पंक्ति में तथा उपखंड (क) की दूसरी पंक्ति में शब्द और अंक "१ दिसम्बर, १९४९" के स्थान पर शब्द और अंक "१ जुलाई, १९४९" रख दिये जायं।

श्री चरण सिंह—मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ की पहली पंक्ति में तथा उपखंड (क) की दूसरी पंक्ति में शब्द और अंक "१ दिसम्बर, १९४९" के स्थान पर शब्द और अंक "१ जुलाई, १९४९" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ इस विधेयक का अंग बन जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६

कलेक्टर पट्टे की भूमि को अधिकार में ले लेगा।

६—धारा ३ के अधीन पट्टे के अवसान होने पर कलेक्टर या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त किसी अधिकारी के लिए यह वैध होगा कि—

(क) वह पट्टे के अन्तर्गत भूमि पर कब्जा कर ले और उसे अपने अवधान (charge) में ले ले और ऐसी कार्यवाही करे या करवाये और ऐसा बल प्रयोग करे या करवाए जो कलेक्टर अथवा उक्त प्रकार से नियुक्त अधिकारी की राय में इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो,

(ख) वह उस पट्टे के अन्तर्गत जिसका धारा ३ के अधीन अवसान हो गया हो, किसी भूमि, इमारत अथवा अन्य स्थान में दाखिल हो और उनका भूमापन (survey) करे अथवा ऐसी माप करे जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो,

(ग) किसी व्यक्ति से उस प्राधिकारी (authority) के समक्ष जिसे निर्दिष्ट किया जाये, पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में पुस्तकें, लेखे अथवा अन्य लेख्य प्रस्तुत कराये और उक्त प्राधिकारी के समक्ष ऐसी अन्य सूचना दिलवाए जो निर्दिष्ट की गई हो या मांगी गयी हो, और

(घ) यदि आदेशानुसार पुस्तकें, लेखे तथा अन्य लेख्य न प्रस्तुत किए जायं तो वह किसी भूमि, इमारत अथवा अन्य स्थान में जाये और उन्हें अपने अधिकार में ले (seize) और उक्त पुस्तकों, लेखों और अन्य लेख्यों को कब्जे में ले ले।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग बन जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ७

पट्टेदार को पट्टे के अवसान के उपलक्ष्य में प्रतिकर पाने का अधिकार होगा।

७--(१) उस स्थिति को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था उपधारा (२) में की गयी है, किसी पट्टेदार को, जिसके पट्टे का अवसान धारा ३ के अधीन कर दिया गया हो, ऐसे अवसान द्वारा उत्पन्न क्षति या हानि के लिए किसी भी प्रतिकर के लिये दावा करने अथवा उसे पाने का अधिकार न होगा।

(२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट पट्टेदार को ऐसा प्रतिकर पाने का अधिकार होगा और उसे ऐसा प्रतिकर दिया जायगा जिसकी व्यवस्था यहां पर आगे चल कर की गयी है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग बन जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में--७६।

विपक्ष में--१।)

खण्ड ८

प्रतिकर का विवरण

८--इस अधिनियम के अधीन पट्टे के अवसान के कारण हानि या क्षति के लिये में प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान के प्रयोजन के लिये कलेक्टर प्रतिकर का विवरण तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे--

(क) पट्टेदार अथवा पट्टेदारों के नाम और धारा ९ और १० के उपबन्धों के अनुसार आकलित कच्ची और पक्की निकासी (gross income and net income);

(ख) पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में पिछले कृषि वर्ष में पट्टेदार द्वारा देय लगान,

(ग) धारा ४ के खंड (च) में अभिदिष्ट लगान, अबवाब तथा अन्य देय धनराशियों के बकाया जो पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में उसके द्वारा राज्य सरकार को देय हों, और

(घ) अन्य ऐसे व्योरे जो नियत किये जायं।

श्री कृष्ण शरण आर्य--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि खंड ८ की पंक्ति दो में शब्द "क्षति के" के पश्चात् शब्द "लिये में" निकाल दिये जायं।

श्री चरण सिंह--स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ की पंक्ति दो में शब्द "क्षति के" के पश्चात् शब्द "लिये में" निकाल दिये जायं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ९

कच्ची निकासी

९--धारा ८ के प्रयोजनों के निमित्त पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में पट्टेदार की कच्ची निकासी में निम्नलिखित होंगे:--

(क) भूमि के उपयोग और अध्यासन (use and occupation) के सम्बन्ध में काश्तकार अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा अथवा उनकी ओर से अवसान के दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर देय लगान, जिसके अन्तर्गत अबवाब तथा अन्य देय धनराशियां भी हैं:--

(१) नकदी में, और

(२) यदि लगान जिन्सी में देय हो अथवा अंशतः नकदी में और अंशतः जिन्सी में देय हो तो उसमें प्रयुक्त होने वाली विधि के उपबन्धों के अनुसार आकलित लगान,

(३) यदि लगान देय हो किन्तु अवधारित न किया गया हो तो मौरूसी दर से अवधारित लगान,

(ख) पट्टेदार की खुदकाश्त के अन्तर्गत भूमि के लिये मौरूसी दर से आकलित लगान की धनराशि, और

(ग) सायर जिसकी धनराशि--

(१) यदि पट्टा दस वर्ष तक या उससे अधिक समय तक रहा हो तो अवसान के दिनांक से ठीक पहले के दस वर्ष की अवधि की समस्त आय के जोड़ के दशमांश के बराबर होगी, और

(२) यदि पट्टा दस वर्ष से कम रहा हो तो ऐसी अवधि के वार्षिक औसत के बराबर होगी।

स्पष्टीकरण--इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सायर के अन्तर्गत तौलाई, तहबाजारी, नखासा, महसूल जवाब और खनिजों से होने वाली आय नहीं है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १०

१०--धारा ८ के प्रयोजनों के लिये उस पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में जिसका धारा ३ के अधीन अवसान हो चुका है, दार की पक्की निकासी कच्ची निकासी से निम्नलिखित की कटौती करके आकलित की जायगी-- पक्की निकासी

(१) पट्टे के अन्तर्गत भूमि के संबंध में लगान अबवाब अथवा अन्य देय के रूप में पट्टेदार द्वारा पिछले कृषि वर्ष में देय धनराशि,

(२) पट्टे के अन्तर्गत भूमि के संबंध में पिछले कृषि वर्ष के लिये पट्टेदार द्वारा प्रदत्त अथवा दिये जाने वाले कृषि आयकर की, यदि कोई हो, धनराशि,

(३) प्रबन्ध का खर्च तथा लगान का न वसूल होने वाला बकाया जो धारा ९ के उपबन्धों के अनुसार आकलित कच्ची निकासी और पट्टेदार द्वारा देय लगान के अन्तर्गत का २५ प्रतिशत समझा जायगा।

श्री कृष्णशरण आर्य--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से में निम्न प्रस्ताव करता हूं--

खंड १० की पंक्ति २ में "," के पश्चात् "दार" के स्थान पर "पट्टेदार" रख दिया जाय।

श्री चरण सिंह--स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १० की पंक्ति २ में "के पश्चात" "दार" के पर "पट्टेदार" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १० इस विधेयक का अंग माना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ११

११--पट्टेदार को प्रतिकर के रूप में देय धनराशि निम्नलिखित सूत्रों (Formule) के अनुसार अवधारित की जायगी-- देय प्रतिकर की धनराशि

प० नि०×अ० अ०=प्रतिकर

"प० नि०" का तात्पर्य धारा १० के अधीन अवधारित पक्की निकासी से है, और

"अ०अ०" का तात्पर्य पट्टे की अवशिष्ट अवधि से है जो उस कृषि वर्ष के आरम्भ से पूरे-पूरे वर्षों में आकलित की जायगी जिसमें अवसान कार्यान्वित हुआ हो, और वर्ष के अंश यों ही छोड़ दिये जायेंगे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अ० अ० किसी भी दशा में पांच वर्ष से अधिक न होगी।

और यह भी प्रतिबन्ध है कि जब पट्टे में प्रदत्त मूल अवधि (term originally granted) अधिनियम के आरम्भ होने पर या उससे पूर्व समाप्त हो गई हो और पट्टेदार वर्ष प्रतिवर्ष भूमि को अपने पास रखे रहे तो अ० अ० एक वर्ष के बराबर रहेगी।

श्री फजलुल हक (जिला रामपुर)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ११ के द्वितीय प्रतिबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय :—

"और यह भी प्रतिबन्ध है कि जब किसी पट्टे में प्रदत्त मूल अवधि के (term originally granted) इस अधिनियम के आरम्भ होने के पूर्व समाप्त हो गई हो और पट्टेदार

(क) वर्ष प्रतिवर्ष भूमि को अपने पास रखता रहे तो अ० अ० एक वर्ष के बराबर रहेगी, या

(ख) उस पट्टे के अधीन या अनुसार किसी नई अवधि के लिये भूमि को अपने पास रखे तो अ० अ० ऐसी अवधि के बचे हुये पूरे पूरे वर्षों के बराबर रहेगी, किन्तु यह अवधि अधिक से अधिक पांच वर्ष की होगी।"

श्री चरण सिंह—स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—इस "अ० अ०" से क्या तात्पर्य है?

श्री चरण सिंह—"अ० अ०" से तात्पर्य "अवशिष्ट अवधि" से है। यह उसका शार्ट फार्म है।

श्री अध्यक्ष—क्या परिभाषा में यह आ गया है?

श्री चरण सिंह—जी हां।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ के द्वितीय प्रतिबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय—

"और यह भी प्रतिबन्ध है कि जब किसी पट्टे में प्रदत्त मूल अवधि (term originally granted) इस अधिनियम के आरम्भ होने के पूर्व समाप्त हो गई हो और पट्टेदार—

(क) वर्ष प्रतिवर्ष भूमि को अपने पास रखता रहे तो अ० अ० एक वर्ष के बराबर रहेगी, या

(ख) उस पट्टे के अधीन या अनुसार किसी नई अवधि के लिये भूमि को अपने पास रखे तो अ० अ० ऐसी अवधि के बचे हुये पूरे-पूरे वर्षों के बराबर रहेगी, किन्तु यह अवधि अधिक से अधिक पांच वर्ष की होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १२

१२—धारा ८ के अधीन तैयार किया गया प्रतिकर का विवरण नियत रीति से प्रकाशित किया जायगा और उसकी एक प्रति सम्बद्ध पट्टेदार के पास भेजी जायगी। विवरण का प्रारम्भिक प्रकाशन।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ की दूसरी पंक्ति में "एक प्रति" और "पट्टेदार" के बीच "सम्बद्ध" के स्थान पर "सम्बन्धित" रख दिया जाय।

श्री चरण सिंह—यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ की दूसरी पंक्ति में "एक प्रति" और "पट्टेदार" के बीच "सम्बद्ध" के स्थान पर "सम्बन्धित" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १३—१४

१३—(१) कोई भी स्वत्व रखने वाला अथवा राज्य सरकार ऐसे विवरण के सम्बन्ध में प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर नियत रीति से आपत्ति कर सकता है और कलेक्टर ऐसी आपत्ति को निर्धारण के लिये डिस्ट्रिक्ट जज के पास अभिदिष्ट करेगा। डिस्ट्रिक्ट जज को अभिदेश।

(२) ऐसे अभिदेश के संबंध में कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट जज को निम्नलिखित सूचना भेजेगा—

(क) उन व्यक्तियों के नाम जिनके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह उस पट्टे में स्वत्व रखते हैं,

(ख) धारा ११ के अधीन निर्धारित प्रतिकर की धनराशि, और

(ग) अन्य ऐसे व्योरे जो नियत किये जायं।

(३) कलेक्टर ऐसे अभिदेश के साथ विचाराधीन पट्टे की प्रति भी भेजेगा (forward)।

१४—(१) डिस्ट्रिक्ट जज नियत रीति से ऐसी आपत्ति का निस्तारण करेगा और वह धारा ११ के अधीन निर्धारित प्रतिकर की धनराशि को पुष्ट कर सकता है (confirm), बदल सकता है अथवा घटा बढ़ा सकता है। डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा अभिदेश का निस्तारण।

(२) उपधारा (१) के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा जांच का क्षेत्र (scope) आपत्ति द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के स्वत्व पर विचार करने तक ही सीमित रहेगा।

(३) उपधारा (१) के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज का निर्णय एक डिक्री होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ तथा १४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १५

विवरण का अंतिम प्रकाशन।

१५—(१) यदि धारा १२ के अधीन प्रकाशित प्रतिकर विवरण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति न प्रस्तुत की गई हो अथवा यदि ऐसी आपत्ति प्रस्तुत होकर अंतिम रूप से निस्तारित हो चुकी हो, तो विवरण तदनुसार संशोधित, परिवर्तित अथवा परिष्कृत (amended, altered or modified) कर दिया जायगा और कलेक्टर उस विवरण पर हस्ताक्षर करेगा और अपनी मोहर लगायेगा।

(२) इस प्रकार हस्ताक्षर किया और मोहर लगाया हुआ विवरण अंतिम होगा।

(३) अंतिम विवरण की एक प्रति सम्बद्ध पट्टेदार को बिना मूल्य दी जायगी।

श्री रामहेत सिंह—मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १५ के उपखंड ३ की पहली पंक्ति में "एक प्रति" और "पट्टेदार" के बीच "सम्बद्ध" की जगह "सम्बन्धित" रख दिया जाय।

श्री चरण सिंह—यह मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १५ के उपखंड (३) की पहली पंक्ति में "एक प्रति" और "पट्टेदार" के बीच "सम्बद्ध" की जगह "सम्बन्धित" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १६–१७

प्रतिकर का भुगतान।

१६—(१) धारा १५ में अभिदिष्ट अन्तिम प्रतिकर विवरण में उल्लिखित प्रतिकर नकदी में दिया जायगा।

(२) प्रतिकर उस पट्टेदार को दिया जायगा जिसका नाम अन्तिम प्रतिकर विवरण में दर्ज हो और यदि प्रतिकर दिये जाने से पहले पट्टेदार की मृत्यु हो जाय तो प्रतिकर उसके विधिक प्रतिनिधियों (legal representatives) को दिया जायगा।

(३) धारा १५ में अभिदिष्ट अन्तिम प्रतिकर विवरण में उल्लिखित प्रतिकर पर राज्य सरकार ढाई प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से अवसान के दिनांक से भुगतान के दिनांक तक ब्याज देगी।

राज्य सरकार की दायित्व से मुक्ति।

१७—इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर की अदायगी से, उस व्यक्ति के प्रति जिसका इस सम्बन्ध में साधिकार दावा (rightful claim) हो, राज्य सरकार की सभी दायित्व से पूर्ण मुक्ति होगी, किन्तु यह अदायगी उक्त प्रतिकर के सम्बन्ध में किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के उस अधिकार पर जिसका वह उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसे उक्त प्रकार अदायगी की गयी हो, विधि की उचित प्रसर (due process of law) के आधार पर अधिकारी हो, विपरीत प्रभाव न डालेगी।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १६ तथा १७ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १८

१८--(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है। नियम बनाने का अधिकार।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को न बाधित करते हुये ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था हो सकेगी--

(क) धारा ४ के खंड (घ) (ङ) और (च) में वर्णित लगान, अबवाब तथा अन्य देय धनराशियों को आकलित करने की रीति,

(ख) धारा ४ के खंड (ख) में अभिदिष्ट तथा पट्टेदार द्वारा अपनी खुदकाश्त में लाई हुई भूमि का निर्धारण,

(ग) धारा ६ के अधीन भूमियों को अधिकार में लिये जाने से सम्बद्ध विषय,

(घ) आकार और रीति जिसके अनुसार धारा ८ के अधीन प्रतिकर विवरण तैयार किया जायगा,

(ङ) रीति जिसके अनुसार कलेक्टर धारा १३ के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज के पास आपत्तियां अभिदिष्ट करेंगे,

(च) उन क्षेत्रों में जहां ऐसी दरें पहले से अवधारित नहीं हों मौरूसी दरों के निर्धारण में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्त,

(छ) अवधि जिसके भीतर इस अधिनियम के अधीन वे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किए जायें जिनके विषय में यहां पर कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है,

(ज) इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८, के उपबन्धों का इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्रों और कार्यवाहियों में लागू होना,

(झ) इस अधिनियम के अधीन उन प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में दिये जाने वाले शुल्क जिसके विषय में यहां पर विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है,

(ञ) इस अधिनियम के अधीन अधिकार क्षेत्र रखने वाले किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के कर्त्तव्य तथा ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रतिक्रिया,

(ट) किसी प्राधिकारी अथवा अधिकारी के यहां से किसी दूसरे अधिकारी अथवा प्राधिकारी के यहां कार्यवाहियों का संक्रमण,

(ठ) इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्र तथा अन्य कार्यवाहियों में उन दशाओं में अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया जिनके लिये यहां पर कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई ह, और

(ड) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हैं अथवा नियत किय जा सकत हैं।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ के उपखंड (२) के भाग (ख) के अन्त में निम्न शब्द बढ़ा दिये जायं--

"तथा पूर्ण व्यवस्था करण"

यह केवल शाब्दिक संशोधन है और वह व्यवस्था किस प्रकार की होगी उसको व्यक्त करने के लिये यह संशोधन पेश किया गया है।

श्री चरण सिंह--मेरे मित्र ने जो यह संशोधन उपस्थित किया है यदि वह इस प्रकार से कर दें तो उनका आशय पूरा हो जायगा--

"तथा उसकी व्यवस्था"

श्री रामलखन मिश्र--जी हाँ, यह ठीक है, मुझे स्वीकार है, यह कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (२) के भाग (ख) के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं--

"तथा उसकी व्यवस्था"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामहेत सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ के उपखंड (२) के भाग (ग) की दूसरी पंक्ति में "सम्बद्ध" की जगह "संबंधित" रख दिया जाय।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यह भ्रम है कि सभी जगह जहाँ-जहाँ "सम्बद्ध" है वहाँ "संबंधित" हो जायगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर यह "रिलेटिंग टू" के आशय से आया है और यही ठीक है। इसलिये यह संशोधन स्वीकार नहीं है।

श्री रामहेत सिंह--मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामलखन मिश्र--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ (२) के अन्त में नया भाग (ढ) बढ़ा दिया जाय--

"(ढ) धारा १८ के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों द्वारा निर्मित नियम में व्यवस्थापिका सभा में यथाशीघ्र व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों के सूचनार्थ मेज पर रखे जायेंगे"

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि यह नियम इस सदन में और विधान परिषद दोनों ही में रख दिये जायं वर्ना वहाँ के लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ नहीं रखे। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस संशोधन का रूप इस प्रकार हो जाय कि खंड १८ (२) के अन्त में नया उपखंड (३) बढ़ा दिया जाय:

"(३) धारा १८ (१) (२) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों द्वारा निर्मित नियम विधान मंडल में यथाशीघ्र सदस्यों के सूचनार्थ मेज पर रखे जायेंगे"

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८(२) के अन्त में नया उपखंड (३) बढ़ा दिया जाय--

"(३) धारा १८(१) व (२) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों द्वारा निर्मित नियम विधान मंडल में यथाशीघ्र सदस्यों के सूचनार्थ मेज पर रखे जायेंगे"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)--अध्यक्ष महोदय, खंड १८ के उपखंड (२) के भाग (ब) में यह इस प्रकार लिखा हुआ है कि उन क्षेत्रों में जहाँ ऐसी दरें पहले से अवधारित नहीं हों, वहाँ की जगह पर 'न' कर दिया जाय। 'न' होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--यह तो मैं कर दूंगा। यह तो बिल कुल शाब्दिक है।

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १

१--(१) यह अधिनियम रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश अधिनियम, १९५३ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार सारे रामपुर में होगा।

(३) यह ऐसे दिनाँक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे तथा रामपुर के विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनाँक निश्चित किये जा सकते हैं।

संक्षिप्त शीर्ष-नाम विस्तार तथा प्रारम्भ।

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन यहाँ पर उपस्थित कर रहा हूं कि खंड १ की पंक्ति १ के अंतिम शब्द "विनाश" के स्थान पर शब्द "उन्मूलन" रख दिया जाय।

और श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो मेरे इस प्रकार के और संशोधन हैं उनको एक साथ में रख सकता हूं या अलग-अलग रख जायेंगे।

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अपनी तबियत से चाहता था कि माननीय मित्र की बात को मान लेता लेकिन एक मजबूरी है। जमींदारी एबालिशन ऐंड लैन्ड रिफार्म्स एक्ट का जो अनुवाद हमने किया है उसमें जमींदारी विनाश रखा है। तो वहाँ तो "एबालीशन" का हमने 'विनाश' किया है और वही शब्द यहाँ 'विनाश' रखा गया है। इसलिये अब उसका 'उन्मूलन' करना एक प्रकार से ठीक नहीं है। उन्मूलन के माने तो 'अपरूट करने' के होते हैं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो आपत्ति इस पर की है, मैं यह समझता हूं कि कुछ हद तक वह ठीक है, लेकिन, श्रीमन्, जो माननीय रणंजय सिंह जी ने सदन के सामने प्रस्ताव उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। विनाश के माने तो, श्रीमन्, जहाँ तक इसका इक्वीवेलेंट है वह डिस्ट्रिक्शन होता है और इस जगह यह कहना कि डिस्ट्रिक्शन आफ पट्टेदारी ऐंड ठेकेदारी आफ रामपुर, यह कुछ बहुत अच्छा नहीं प्रतीत होता। अतः यदि 'उन्मूलन' रख दिया जाय तो अधिक अच्छा है। जहाँ तक जमींदारी एबालिशन ऐंड लैन्ड रिफार्म्स एक्ट का संबंध है, कोई इससे और उससे निकट संबंध नहीं है। यह एक अलग ही विधेयक है। यदि इसमें 'विनाश' की जगह 'उन्मूलन' कर दिया जाय तो माननीय मंत्री जी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। आपके द्वारा मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस पर जरा वह ध्यानपूर्वक सोच लें तो इसमें कोई आपत्ति उनको नहीं होगी।

श्री रणंजय सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के संबंध में मेरा निवेदन यह है कि यह एक शाब्दिक बात है और मैंने यही सोचा था कि यह 'विनाश' शब्द जो है वह कुछ डिस्ट्रक्टिव जान पड़ता है कि एक तो अहिंसात्मक सरकार के लिये सबके साथ प्रेम भाव से बर्ताव करना चाहिये, किसी के नाश करने का नारा लगाना, किसी का विनाश करना यह एक भद्दी सी बात जान पड़ती है। मैं समझता हूं कि यदि मुलायम शब्दों में वही बात कही जाय तो वह अधिक

[श्री रणंजय सिंह]

उपयुक्त होगी। जिस तरह माता शब्द है, बड़ा पवित्र शब्द है लेकिन यदि कोई माता को पिता की स्त्री कहे तो बड़ा भद्दा हो जाता है। तो इसलिये केवल इसी उद्देश्य से मैंने यह संशोधन यहाँ पर उपस्थित किया है और मेरा कभी यह अभिप्राय नहीं है कि मैं सदन का समय नष्ट करूं न मेरा अभिप्राय यह है कि मैं किसी शब्द को लेकर दुराग्रह करूं क्योंकि मैं जिस समाज का सदस्य हूं उसका भी यह चौथा नियम है कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के लिये सर्वदा उद्यत रहना चाहिये। इसलिये मैं उसी को मानकर जो मुझे उचित जान पड़ता है वह सामने रखता हूं, कोई माने या न माने। लेकिन मैं अपनी ओर से जो अपना कर्त्तव्य समझता हूं उसका पालन करना आवश्यक समझता हूं। यहाँ पर जो ऐसा शब्द आया और जो मुझे उचित नहीं मालूम पड़ा तो मैं समझता हूं उसे बता दूं। जिस समय माननीय श्री रफी अहमद किदवई साहब ने जोकि यहाँ के राजस्व मंत्री थे उन्होंने अबालीशन शब्द को लेकर जमींदारी के उन्मूलन का विधेयक बनाया था, यदि मैं उस समय यहाँ होता तो अवश्य इस पर आपत्ति करता। क्योंकि मैं अपने पक्ष के समर्थन में एक दो नहीं, कई कोष पेश कर सकता हूं। मेरे पास यहाँ पर कई कोष उपस्थित है और जो कोई साधारण कोष नहीं है। मैं यह देखता हूं कि पहले भी जब अबालीशन शब्द आया तो यद्यपि उन्मूलन के इस शब्द से उस जमींदारी उन्मूलन के शब्द से कोई सीधा संबंध नहीं है। अभी आगे चलकर जब रामपुर में जमींदारी, जागीरदारी का उन्मूलन किया जायगा तो वह तो किया ही जायगा। लेकिन जब समय आयेगा तो उसमें मैं अपना संशोधन भी उपस्थित करूंगा। तो उन्मूलन जो मैंने रखा उसके लिये अंग्रेजी में "अबालीशन" आता है। इसके अतिरिक्त जब मैं देखता हूं कि यहाँ इतने कोष हैं उनसे भी यही सिद्ध होता है। यह कोष महापंडित राहुल साँकृत्यायन का लिखा हुआ है। इसमें अबालीशन शब्द के मानी विनाश के नहीं हैं। इसमें है :

अबालिश––समाप्त करना, उठा देना, उत्सादन ।

अबालिशेबिल––समापनीय, उठा देने योग्य।

अबालिश––समापित, खंडित ।

अबालिशमेंट––समापन, उठा देने की क्रिया।

अबालिशनिज्म––समाप्तिवाद ।

तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर कहीं "विनाश" शब्द का प्रयोग नहीं आया है। दूसरा प्रमाणिक कोष यह है जोकि हिन्दी के बहुत बड़े विद्वान श्री रामचन्द्र वर्मा जी ने बनाया है। इसमें जहाँ अबालीशन शब्द आया है वहाँ 'उन्मूलन' लिखा है। और उसमें आप देखिये।

उन्मूलन––जड़ से उखाड़ना, समूल नष्ट करना।

विनाश––विनष्ट या बर्बाद करना।

विनाशन––संहार करना, नष्ट करना।

इन दो बड़े विद्वानों के अतिरिक्त मैं देखता हूं कि वृहत हिन्दी कोष जिसमें १,२५,००० से अधिक शब्द हैं उसमें भी अबालीशन की जगह उन्मूलन शब्द ही आया हुआ है। इसके अतिरिक्त इसके परिशिष्ट में जहाँ पर अंग्रेजी शब्द रखे गये हैं वहाँ अबालीशन के लिये 'उन्मूलन' शब्द लिखा है और 'समाप्ति'। दो ही शब्द उसके लिये आये ह। इसमें यों लिखा है:

उन्मूलन––जड़ से उखाड़ना, जड़ मूल से नष्ट करना ।

उन्मूलित––उखाड़ा हुआ, मिटाया हुआ ।

और आगे विनाश के अर्थ इस प्रकार दिये हुये हैं :--

विनाश--अस्तित्व न रहना, नाश, क्षय, लोप।

विनाशक--नाश करने वाला।

विनाशन--नाश करना।

और परिशिष्ट में है :

अबालीशन--उन्मूलन।

इसी प्रकार और मेरे पास कई कोष यहाँ पर हैं। यह इंगलैण्ड का है। वहाँ की आक्सफोर्ड डिक्शनरी का यह गुटिका है, कम्पाइल्ड बाई जार्ज आस्लर। इसमें उन्होंने लिखा है :

अबालीशन--डू अवे विद्।

एक पारिभाषिक शब्द कोष श्री मुकुन्दी लाल का बनाया हुआ है उसमें भी उन्होंने इसका अर्थ विनाश नहीं लिखा है। अब मैं दूसरे शब्द डिस्ट्रक्शन पर आता हूं। इसका अर्थ एक बहुत बड़े शब्दकोष में 'विध्वसं' और 'विनाश' लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष--अब मैं समझता हूं कि इस तरह के विवाद में काफी समय नष्ट हो गया है।

श्री रणञ्जय सिंह--मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से केवल इतना निवेदन कर रहा हूं कि मेरे पास इतने शब्दकोष हैं और इसमें इस शब्द के इतने भिन्न २ अर्थ लिखे हुये हैं। मैं देखता हूं कि जहाँ पर आबालीशन शब्द आता है वहाँ पर उसकी जगह पर उन्मूलन होता है, जब मैं विनाश शब्द के लिये शब्दकोष ढूंढ़ता हूं तो उसका अर्थ स्पष्ट डिस्ट्रक्शन निकलता है, इस विधेयक में जब मैं देखता हूं कि जहाँ पर उद्देश्य और कारण बतलाये गये हैं उसमें भी यही कहा गया है कि इस प्रकार की ठेकेदारी और पट्टेदारी प्रथा का उन्मूलन करना आवश्यक है। इसलिये मैं इन शब्दों के साथ यह प्रार्थना करूंगा माननीय राजस्व मंत्री जी से कि मेरा यह सुझाव है कि 'विनाश' के स्थान पर शब्द 'उन्मूलन' कर दिया जाय, इसे स्वीकार कर लिया जाय। 'विनाश' शब्द जो कि किसी कारण से अब तक चला आ रहा था उसका अब विनाश कर दिया जाय।

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, यह जो बहुत से शब्दकोषों के यहाँ पर उद्धरण दिये गये उन्हें तो मैं डिस्प्यूट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि उसमें तो सब ठीक ही लिखा हुआ है। लेकिन जो कुछ उन्होंने शब्दकोषों का हवाला देकर कहा है उससे तो हमारे ही पक्ष का प्रतिपादन होता है न कि उसका कोई विरोध। अगर मुझे ठीक याद है तो उन्होंने एक तो रामचन्द्र वर्मा के शब्दकोष से पढ़ा, उसमें जो इसका अर्थ निकला वह है 'समूल नष्ट करना'। दूसरे एक और उससे पढ़ा था। उस शब्दकोष में था 'जड़ से नष्ट करना'। इन दो की बात मुझे याद रह गई है। 'जड़ से नाश करना' और 'समूल नष्ट करना' इसका तो यह मतलब हुआ कि जड़ से नाश करना 'यानी जड़ से विनाश हो,' 'जड़ समेत विनाश'। माननीय मित्र को तो हमें शाबाशी देनी चाहिये क्योंकि इसमें हमने 'समूल विनाश' नहीं लिखा है केवल 'विनाश' ही है। अबालीशन के माने तो दोनों हो सकते हैं यानी 'समूल नष्ट करना' या 'जड़ से नाश करना'। लेकिन हमने तो केवल 'विनाश' शब्द ही रखा है। ऐसी दशा में 'विनाश' की जगह पर 'उन्मूलन' करना ठीक नहीं है। एक बात और रह गई है वह यह है कि आप यह कहते कि 'विनाश' अच्छा नहीं लगता है। इस तरीके से जमींदारों का उन्मूलन करना क्या अच्छा लगता है? जमीदारों को जड़ से उखाड़ देना भी अच्छा नहीं लगता 'लेकिन यहाँ उन्मूलन है न विनाश है जमींदारों का और ठेकेदारों का बल्कि यहाँ ठेकेदारी और पट्टेदारी का विनाश है। तो जितना कड़ुवा 'विनाश' कहने में लगता है उतना ही कड़ुवा 'उन्मूलन' कहने में लगेगा और फिर हमने आदमियों का न विनाश किया है और न उन्मूलन किया है। हमने एक सिस्टम का विनाश किया है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १ की पंक्ति १ के अन्तिम शब्द "विनाश" के स्थान पर शब्द "उन्मूलन" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक तथा प्रस्तावना

रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३

रामपुर में भूमि सुधारों के प्रचलन को सुकर बनाने के हेतु (with a view to facilitating the introduction of land reforms) वहां ठेकेदारी तथा पट्टेदारी प्रणालियों के विनाश की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

रामपुर में भूमि सुधारों के प्रचलन को सुकर बनाने के हेतु वहां ठेकेदारी तथा पट्टेदारी की प्रणालियों के विनाश की तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषयों को व्यवस्था करना आवश्यक है,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

श्री अध्यक्ष—अब प्रस्तावना और शीर्षक में जो संशोधन हैं वे भी "उन्मूलन" में सम्बन्ध में हैं। यह माननीय सदन स्वीकार कर चुका है कि "उन्मूलन" शब्द करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये सिद्धान्ततः यह पेश नहीं हो सकते।

(कुछ ठहरकर)

प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सामान्य संशोधन

श्री श्रीचन्द—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि इस विधेयक में जहां कहीं भी शब्द "बाद" आया है उसके स्थान पर शब्द "पश्चात्" कर दिया जाय।

श्री चरण सिंह—मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस विधेयक में जहां कहीं भी शब्द "बाद" आया है उसके स्थान पर शब्द "पश्चात्" कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३, जैसा कि विधान सभा स आज संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३, जैसा कि इस विधान सभा द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४७ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलास चन्द्र भटनागर,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;

२२ दिसम्बर, १९५३।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १०६ एल० ए०—१९५४—८५०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

—:o:—

बुधवार, २३ दिसम्बर, १६५३

—:o:—

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

—:o:—

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७३)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पाँडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाँडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
ख़याली राम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाँडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदासिंह, श्री

गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोर वर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजबहादुर , श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री

बलदेव सिंह, श्री
बलदव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुंवर जी, श्री
भृगुनाथ चतुवदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ़्फ़रहसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाख़री, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधा मोहन सिंह, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पाण्डेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री

रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम जी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मण राव क़दम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भू नाथ चतुर्वेदी, श्री
शाँति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पाँडेय, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पाँडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री

श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहाँ मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री,
सुरजूराम, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाँडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरख्याल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
होतीलालदास, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

धर्मादा की वसूली के सम्बन्ध में विशेषाधिकारी द्वारा जांच

*१—श्री बद्री नारायण मिश्र (जिला देवरिया)—दिनांक १२-१२-५२ के प्रश्न संख्या ३-४ के उत्तरों के सम्बन्ध में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने धर्मादा की वसूली के बारे में अब तक कोई जांच कराई है? यदि हां, तो उस जांच की क्या रिपोर्ट है और क्या सरकार उस पर कोई कानून बनाने का विचार रखती है?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां, धर्मादा की वसूली के सम्बन्ध में एक विशेषाधिकारी द्वारा जांच करायी जा रही है। उनकी रिपोर्ट की प्राप्ति के उपरान्त सरकार यह निश्चय करेगी कि धर्मादा के नियंत्रण के लिए किसी विधान की आवश्यकता है अथवा नहीं, और यदि है तो उसका क्या रूप होना चाहिये।

श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस धर्मादे में प्रान्त भर में कितना रुपया इकट्ठा होता है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जब तक रिपोर्ट न आ जाय तब तक मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री सीता राम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा कर के बतलायेगी कि विशेषाधिकारी का शुभ नाम क्या है और वह कब से जांच कर रहे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उनका नाम है श्री शम्भूनाथ। रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं और उनको काम करते हुये क़रीब साल भर के ऊपर हो गया है।

श्री गेंदासिह (ज़िला देवरिया)--क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जांच कब तक खत्म हो जायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--हमें आशा है कि इस वित्तीय वर्ष के अन्दर हो जायगी। हमने उनको इतनी ही मियाद दी भी है।

श्री नेकराम शर्मा (ज़िला अलीगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि धर्मादे का रुपया धर्मार्थ-कार्य में खर्च नहीं होता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ऐसा कहा जाता है "धर्मस्यसूक्ष्मागतिः"। धर्म किस को कहते हैं यह कहना कठिन है। इसलिये यह कहना मुश्किल है कि वह रुपया किस-किस काम में खर्च होता है।

तारांकित प्रश्न

बस्ती म्युनिसिपल बोर्ड की ड्रेनेज योजना

*१--श्री राजाराम शर्मा (ज़िला बस्ती) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती म्युनिसिपल बोर्ड की ड्रेनेज योजना, जिसके लिये म्युनिसिपल बोर्ड ने अपने हिस्से का मांगा हुआ धन जमा कर दिया है, कब तक प्रारम्भ हो जायगी ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)--योजना का कार्य जनवरी, १९५३ से आरम्भ हो गया है।

यू० एन० आई० सी० एफ० की सहायता से लखनऊ तथा आगरा में बच्चों के लिये अस्पताल खोलने का प्रबन्ध

*२--श्री देवकी नन्दन विभव (ज़िला आगरा)--क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यूनाइटेड नेशन्स इन्टरनेशनल चिल्डरेन्स इमरजेंसी फंड से मिलने वाली सहायता से क्या लखनऊ और आगरा में बच्चों के लिये कुछ विशेष शय्याओं का प्रबन्ध होने वाला था ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)--यू० एन० आई० सी० एफ़० की सहायता से सरकार ने एक त्रिवर्षीय योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त बच्चों के लिये विशेष रूप से लखनऊ तथा आगरा में अस्पताल खोलने का निश्चय किया गया है। इस सम्बन्ध में यू० एन० आई० सी० एफ़० की सहायता, जो शीघ्र मिलने वाली है, आने पर सरकार इस ओर प्रयास करेगी।

श्री देवकी नन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि इसके लिये यू० एन० आई० सी० एफ० से कितना रुपया प्राप्त हुआ है ?

श्री बनारसी दास--अभी प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन उन्होंने १६ लाख रुपया देने का वचन दिया है।

श्री देवकी नन्दन विभव--इसमें से कितना रुपया आगरा में खर्च किया जायगा और कितना रुपया लखनऊ में खर्च किया जायगा ?

श्री बनारसी दास--१६ लाख रुपया इस शर्त पर दिया गया है कि प्रान्तीय सरकार को २० लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा और ३ साल के बाद जो अस्पताल और मर्टानिटी सेंटर्स होंगे उन पर क़रीब-क़रीब १०-११ लाख का रेकरिंग खर्च होगा। वह भी प्रान्तीय सरकार को देना होगा। इसी शर्त पर वह १६ लाख रुपया दिया जायगा। यह कहना कठिन है कि आगरा में कितना खर्च होगा और लखनऊ में कितना खर्च होगा। इसमें बच्चों के अस्पताल और मेर्टानिटी सेंटर्स सभी का खर्चा शामिल है।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सहायता कब तक मिल ज ने की आशा है और यह कार्य कब प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री बनारसी दास—सहायता, आशा है, जल्दी ही मिलेगी। क्योंकि बच्चों के अस्पताल कायम करने के लिये रुपये की जरूरत थी इसलिये बिल्डिंग नहीं बन सकी। अब यह व्यवस्था की गई है कि मेडिकल कालेजेज में ५०-५० बेड्स हों। इस तरह से हम वहां से रुपया मंगाने में असमर्थ हो सकेंगे और आशा है कि वह सहायता शीघ्र ही प्राप्त हो सकेगी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—बच्चों के अस्पतालों में रुपया लखनऊ और आगरे में ही लगेगा या प्रान्त के और स्थानों में भी?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन से जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक़ यह अस्पताल टीचिंग इन्सटीट्यूशन्स के साथ ही बनाये जा सकते हैं। इसलिये आगरा और लखनऊ में ही उनके बनाने की योजना है।

ग्राम सभा बल्ला (ज़िला प्रतापगढ़) के सदस्यों का त्यागपत्र

*३—श्री राम स्वरूप (ज़िला मिर्ज़ापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिला प्रतापगढ़ में ग्राम सभा बल्ला के सभी सदस्यों ने सभापति सहित ३ फरवरी, १९५३ ई० को लिखित त्याग-पत्र डाक द्वारा ज़िलाधीश तथा पंचायत अफसर के पास भेज दिया था? यदि हां, तो क्यों?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हां। उसके दो कारण बताये जाते हैं। पहिला, गांव सभा बल्ला के सदस्यों के साथ तहसीलदार का कथित दुर्व्यवहार।

दूसरा, गांव सभा पींग के सभापति श्री भगवान बख्श सिंह द्वारा बल्ला में अनधिकृत रूप से घर बनवाना।

बाहर से मंगाये गये अन्न के मूल्य में कमी करने से हानि और लाभ

*४—श्री शिवराज सिंह यादव (ज़िला बदायूं)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाहर से आये हुये अन्न के वितरण में और उसके दाम गिरा कर बेचे जाने से कितना नुकसान रुपयों में U. P. State exchequer को होता है? क्या सरकार यह ब्यौरा पिछले पांच सालों का अलग-अलग देने की कृपा करेगी?

श्री बनारसी दास—बाहर से मंगाये गये अन्न और उसके मूल्य में कमी कर के वितरण करन में सरकार को जो हानि होती है उसका अलग लेखा नहीं रक्खा जाता, इसलिये पिछले पांच वर्षों की हानि का ब्यौरा देना संभव नहीं।

श्री शिवराज सिंह यादव—क्या सरकार को इस साल भी इस तरह की हानि होने की सम्भावना है?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—हां, अवश्य सम्भावना है, क्योंकि गल्ला हमारे पास अधिक दामों का खरीदा हुआ है जिससे कम क़ीमत पर बेचना पड़ेगा।

श्री शिवराज सिंह यादव—इस हानि की अनुमानतः रक़म क्या होगी ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—इस हानि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि विभिन्न समयों पर विभिन्न भावों पर हमें ग़ल्ला बेचना पड़ता है।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री अगर ५ वर्ष का घाटा नहीं बता सकते तो १ या २ वर्ष का अनुमान भी बता सकत हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रश्न में ५ साल का नहीं पूछा गया था। अगर उसके आंकड़े पूछे जावेंगे तो अवश्य सदन को दे दिये जावेंगे।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)--माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय सरकार के पास कितना ग़ल्ला है और डिकन्ट्रोल हो जाने पर वह उसे किस भाव पर बेचेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--भाव तो समय-समय पर बदलता रहा है और अब भी केन्द्रीय सरकार से इस विषय में बातें हो रही हैं। क्योंकि हमारे प्रान्त में केन्द्रीय सरकार का भी ग़ल्ला भरा हुआ है और केंद्रीय सरकार समय समय पर अपने निर्ख को बदला करती है, तो हमको भी अपना निर्ख बदलना पड़ता है। आयन्दा हम किस दाम पर बचगे, इसकी बातचीत चल रही है। वैसे अब इम्पोर्टेड ह्वीट १७रुपये ११ आने मन पर बेंचा जा रहा है

जौनपुर के दुकानदारों का खराब ग़ल्ला खरीदने से इन्कार

*५--श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर में ग़ल्ला खराब होने के कारण वहां के दुकानदारों ने ग़ल्ला लेने से इनकार कर दिया है ?

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)--जौनपुर नगर के किसी भी राशन दुकानदार ने सरकारी गोदाम से ग़ल्ला खराब होने के कारण लेने से इन्कार नहीं किया।

*६--श्री बाबूनन्दन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने खराब बोरे गल्ले के दुकानदारों को दिये गये और कितने स्टाक में बाक़ी हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--जौनपुर में किसी भी राशन के दुकानदार को खराब अन्न का कोई भी बोरा नहीं दिया गया। किन्तु ईशू गोदाम से गेहूं के कुछ बोरे अनजान में दिये गये जिसमें घुने अन्न की मात्रा थोड़ी अधिक अवश्य पाई गई परन्तु यह अन्न अच्छे औसत (एफ० ए० क्यू०) दर्जे का था। गेहू के ५३० बोरे जौनपुर के स्टोरेज गोदाम में ऐसे ह जिनम घुन की मात्रा है।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो बोरे अनजान में दिये गये थे उनके लिये दुकानदारों ने लिखा-पढ़ी की थी और गल्ला लेने से इंकार कर दिया था ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--दुकानदारों को जो घुना गल्ला मिला था तो उसके लिए उन्होंने अवश्य लिखा-पढ़ी की होगी ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राशनिग विभाग से जो गल्ला बाढ़ पीड़ितों को दिया गया था उसके खराब होने की शिकायत कर्मचारियों के पास भेजी गयी थी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोदामों में गल्ला को घुन से बचाने के लिये सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गयी है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--जी हां, की गयी है और समय-समय पर दवाई छिड़की जाती है, जिससे घुन न लगे ।

*७-८—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—[११ जनवरी, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या २७-२८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

पंचायतों के अन्तर्गत टैक्स वसूल करने के लिए अमीनों की नियुक्ति

*९—श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पंचायतों में टैक्स वसूल करने के लिये प्रदेश में अमीन मुकर्रर किये जा रहे हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम—जिलाधीशों को यह आदेश दिये गये हैं कि यदि गांव सभायें कर वसूली में कठिनाई प्रतीत करें और जिलाधीश कुर्क अमीन रखने की आवश्यकता समझें तो अमीन रखे जावें ।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि अमीनों को तनख्वाह दी जायगी या किसी किस्म का कमीशन ?

श्री मोहन लाल गौतम—कमीशन ।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जो कर वसूल किया जायगा अमीनों द्वारा वह खजाने में जमा किया जायगा या गांव सभा के प्रधानों के पास रहेगा ?

श्री मोहन लाल गौतम—खजाने में ।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि यह रुपया प्रधानों को निकालकर खर्च करने का अधिकार होगा या पंचायतों के किसी अधिकारी को ?

श्री मोहन लाल गौतम—पंचायतों के प्रस्ताव के अनुसार सभापतियों को यह रुपया निकालने का अधिकार है और पंचायत राज के मुहकमें के मुलाजिमों को कोई अधिकार नहीं है ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि आज तक इस किस्म के जो टैक्स पंचायतों ने लगाये थे उन्हें कैसे वसूल किया जाता था ?

श्री मोहन लाल गौतम—पंचायतें स्वयं वसूल करती थीं ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—पंचायतों की स्वयं वसूली से मैं समझा नहीं । पंचायत के कौन से अफसर इन टैक्सों को गांव वालों से वसूल किया करते थे ?

श्री मोहन लाल गौतम—पंचायतों के सभापति, उप-सभापति और मंत्री की मदद से ।

श्री गेंदा सिंह—जिस आदेश का जिक्र माननीय स्वशासन मंत्री ने किया, उस आदेश को देने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री मोहन लाल गौतम—पंचायतें अपना कर काफी तादाद में वसूल नहीं सकी थीं और उनकी तरफ से यह मांग थी कि उनकी वसूली कराने में मदद दी जाय ।

बस्ती जिले में पंचायत मंत्रियों के वेतन वितरण में विलम्ब

*१०—श्री राजाराम शर्मा (अनुपस्थित)—क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिला के पंचायत मंत्रियों की तनख्वाह मार्च महीने से अब तक नहीं मिल सकी है ? यदि हां, तो क्यों ?

नोट—तारांकित प्रश्न १० श्री शिवनारायण ने पूछा ।

श्री मोहन लाल गौतम––बस्ती में पंचायत मंत्रियों को वेतन वितरित करने में विलम्ब दो मुख्य कारणों से हुआ–(१) कोषाध्यक्ष ने बिना महांकिक की अधिकृति (Authority) के पंचायत मंत्रियों के वेतन के अनुदान के रुपयों को खजाने से देने में आपत्ति की। इसमें कुछ देर हुयी। (२) पंचायत मंत्रियों की वार्षिक वेतन वृद्धि पर विचार करने में कुछ समय लगा।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)––क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि जनवरी, १९५४ तक का वेतन उनको दे दिया जायगा ?

श्री मोहन लाल गौतम––उनको वेतन उसी वक्त से दिया जा रहा है और अब बाकायदा दिया जा रहा है।

मिलों और म्युनिसिपैलिटियों के गन्दे पानी के उपयोग की योजना

*११––**श्री बद्री नारायण मिश्र**––क्या सरकार कृपा करके बतायगी कि प्रदेश की मिलों और म्युनिसिपैलिटियों के गन्दे पानी से नदियों का पानी खराब होने के कारण जो जनसाधारण का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है उसे रोकने की कोई योजना सरकार बना रही है?

श्री मोहन लाल गौतम––शासन के सामने प्रदेश के सभी नगरों के लिये इस प्रकार की योजना का कोई प्रश्न अभी नहीं है। किन्तु स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग ने कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, आगरा और लखनऊ के नगरों के लिये ऐसी विस्तृत योजनायें बनाई हैं जिनके द्वारा गन्दे पानी को नदियों में न डालकर दूसरी ओर खेतों में डाला जाय, और उसका उपयोग खाद के लिये किया जाये। आगरा के सम्बन्ध में जो इस प्रकार की योजना बनी है वह कार्यान्वित भी हो रही है। इस योजना के पूरे होने पर जो गन्दा पानी यमुना नदी में गिरता था उसका गिरना रुक जायगा और इस गन्दे पानी का उपयोग खेतों की उपज बढ़ाने के लिये किया जा सकेगा। वस्तुतः इस सम्बन्ध में कुछ तो होने लगा है।

इसी प्रकार की एक सीमित योजना, जिसके द्वारा नगर के गन्दे पानी का उपयोग खाद के लिये किया जा सके, इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ में भी कार्यान्वित हो रही है। किन्तु इन योजनाओं के द्वारा अभी तक समूचे गन्दे पानी को पास की नदियों से दूर डालने का प्रबंध नहीं है। इस काम को पूरा करने के लिये बहुत अधिक धन की आवश्यकता है, जो इस समय उपलब्ध नहीं किया जा सकता। इसी धन के अभाव में, प्रदेश क अन्य नगरों में भी जहां के लिय इस प्रकार की योजनायें बनाई जा चुकी हैं उनको इस समय कार्यान्वित करना सम्भव नहीं जान पड़ता, और जहां के लिये यह अभी तक नहीं बनी ह उनको बनवाना फलप्रद नहीं होगा।

श्री बद्री नारायण मिश्र––क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी नगरपालिका सभायें भी इस योजना को काम में ला सकती हैं?

श्री मोहन लाल गौतम––जैसा कि मैंने पहले अभी उत्तर में कहा है कि उसमें बहुत धन की आवश्यकता है और वह उपलब्ध नहीं है इसलिये सरकार के लिये यह मुनासिब नहीं है कि म्युनिसिपैलिटियों के लिये इस प्रकार की योजना बनाये। अगर कोई म्युनिसिपैलिटी अपने धन से इस प्रकार का कोई आयोजन करे तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी बल्कि वह उसका स्वागत करेगी।

श्री देवकी नन्दन विभव––क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरे का ड्रेनेज कब तक खत्म हो जायगा ?

श्री मोहन लाल गौतम––अभी इसमें कोई समय नियत नहीं किया जा सका है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कुछ वर्ष पूर्व मिलों के गंदे पानी के सम्बन्ध में एक कमेटी बैठी थी, उसकी रिपोर्ट कब प्रकाशित होगी ?

श्री मोहन लाल गौतम---इसके लिये सूचना चाहिये ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो माननीय परिपूर्णानन्द वर्मा के प्रश्न के उत्तर में मैं कुछ निवेदन कर दूं । जिस कमेटी का जिक्र किया गया है उसकी रिपोर्ट आगयी है और वह डायरेक्टर आफ हेल्थ सर्विसेज के पास भेजी गयी है । उनकी रिपोर्ट आने के बाद यह देखा जायगा कि उनमें से कौन कौन सी सिफारिशें कार्यान्वित की जा सकती हैं या किन बातों के लिये क़ानून की आवश्यकता होगी । जांच के बाद गवर्नमेंट इस प्रश्न पर सदन के समक्ष उपयुक्त सुझाव रख सकेगी ।

श्री बद्री नारायण मिश्र---क्या मिल मालिकों के पास धन का अभाव है कि वे जनता का स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम---उनके पास धन का अभाव है या नहीं, यह तो व्यक्तिगत मिल मालिकों का प्रश्न है लेकिन इस तरह का कोई अधिकार हमारे पास नहीं है, जिसके द्वारा हम उनको इस बात पर विवश कर सकें कि वे गन्दे पानी को नदियों में न डाल कर और जगह ले जायं ।

श्री व्रज विहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मिल मालिकों को जनता का स्वास्थ्य खराब करने का अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष---यह आप क़ानूनी राय पूछ रहे हैं, मैं इसकी इजाजत नहीं देता । आप स्वयं समझ सकते हैं ।

श्री व्रजविहारी मिश्र---क्या काशी में भी गंगा के पानी में गंदे पानी को न डालने के लिए स्कीम बनायी गई है ?

श्री मोहन लाल गौतम---जी हाँ ।

श्री नेकराम शर्मा---गंदा पानी जो म्युनिसिपैलिटियों से सिंचाई के लिये दिया जाता है, जिन खेतों में उससे सिंचाई होती है, उनको म्युनिसिपैलिटी ले लेती है ?

श्री अध्यक्ष---यह इससे संबंधित प्रश्न नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा---यह उसके जवाब से सम्बन्धित है ।

श्री अध्यक्ष---जवाब से हजारों प्रश्न संबंधित हो सकते हैं, लेकिन इसका सम्बन्ध सवाल से नहीं है ।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उनकी जानकारी में यह बात है कि नदियों में गंदा पानी डालकर लोगों का स्वास्थ्य खराब किया जा रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस का जवाब इस समय नहीं दिया जा सकता । संभव है जो गेंदा सिंह जी कहते हैं वह ठीक हो ।

गोरखपुर के पंचायत अफसर के दफ्तर का हिसाब-किताब

*१२---श्री परिपूर्णानन्द वर्मा---क्या स्वशासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि गोरखपुर के पंचायत अफ़सर के दफ्तर का हिसाब-किताब चार वर्ष से नहीं जाँचा गया है ?

श्री मोहन लाल गौतम--जी नहीं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले दो आडिट कब-कब हुए थे?

श्री मोहन लाल गौतम--सन् १९५१-५२ में आडिट पार्टी द्वारा जाँच हुई थी और सन् ५२-५३ में सहायक जिला पंचायत अधिकारी और इन्सपेक्टर गवर्नमेंट आफिसेज द्वारा जाँच की गयी।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--आडिट पार्टी द्वारा जाँच किये जाने के क्या माने हैं? मैंने समझा नहीं।

श्री मोहन लाल गौतम--यहाँ से आडिट करने के लिए कुछ लोग गये, उन्होंने जाँच की।

गोरखपुर जिले में पंचायत इंस्पेक्टरों तथा मंत्रियों के पास ग्राम-सभा का रुपया

*१३--श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--क्या यह सत्य है कि गोरखपुर जिले के कुछ पंचायत इंस्पेक्टरों के यहाँ ग्राम सभा का रुपया तथा मन्त्रियों का रुपया वर्षों से जमा पड़ा है और वह अभी तक सरकारी खजाने में जमा नहीं किया गया है?

श्री मोहन लाल गौतम--जी हाँ।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--क्या माननीय स्वशासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस वक्त पंचायत मन्त्रियों का कितना रुपया जमा है, जो सरकारी खजाने में जमा नहीं किया जा सका है?

श्री मोहन लाल गौतम--इस वक्त तो सब रुपया जमा हो चुका है।

*१४--श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--क्या स्वशासन मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि गत वर्ष गोरखपुर जिले के पंचायत इंस्पेक्टरों को अपना विभाग छोड़ कर अन्य कितने विभागों म काम करना पड़ा है?

श्री मोहन लाल गौतम--पंचायत निरीक्षकों को विकास संबंधी सभी कार्यों को अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त करना पड़ता है। गत वर्ष नियोजन विभाग के अन्तर्गत निरीक्षकों ने Seed Saturation तथा Anti Malaria sch eme में भी काम किया था तथा अकाल में वे Test Work सम्बन्धी कार्य भी करते रहे।

वनस्पति घी की पहिचान के लिए रंग मिलाने पर विचार

*१५--श्री बद्री नारायण मिश्र--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वनस्पति घी की पहिचान के लिये उसमें रंग मिलाने के प्रश्न पर वह अभी तक किसी निश्चित परिणाम पर पहुंची है?

श्री बनारसी दास--जी नहीं।

श्री बद्री नारायण मिश्र--क्या माननीय मन्त्री जी को इसका पता है कि वनस्पति घी की मिलावट से जन-साधारण का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है?

श्री बनारसी दास--जी हाँ, इसकी प्रायः शिकायत है कि वनस्पति आयल शुद्ध घी के साथ मिलाया जाता है।

श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या जन-साधारण के स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए अखिल भारतीय काँग्रेस ने अहमदाबाद में एक ऐसा प्रस्ताव पास किया था कि इसमें रंग मिला दिया जाय?

श्री अध्यक्ष—मैं यहाँ, काँग्रेस के बारे में प्रश्न करने की इजाजत नहीं देता।

श्री बद्री नारायण मिश्र—मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है?

श्री बनारसी दास—इस सम्बन्ध में सन् १९५० में माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस सदन के अन्दर घोषणा की थी कि यदि इस प्रकार का कोई रंग निकाला जा सकता हो जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक न हो और वह स्थायी हो और इसके अतिरिक्त वह रंग इस प्रकार का हो कि जिसको दूर न किया जा सके, तो उसको दस हजार रुपया इनाम दिया जायगा। बहुत से लोगों ने अपने अनुभव भी भेजे लेकिन कोई भी ऐसा अनुभव नहीं साबित हुआ जिसके आधार पर वेजिटेबिल आयल के अन्दर वह रंग मिलाया जा सके और वह हानिकारक न हो। अभी परीक्षण जारी है और यहाँ के सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि कोई ऐसा रंग मिल सके जिसे वेजिटेबिल आयल के अन्दर शामिल किया जा सके लेकिन अभी तक वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाये हैं।

गोरखपुर म्युनिसिपल बोर्ड की सड़कों की मरम्मत के लिए धन

*१९—श्री इस्तफ़ा हुसैन (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार मेहरबानी कर के बतायेगी कि उसने गोरखपुर म्युनिसिपैलिटी को सन् १९५१–५२, १९५२–५३, १९५३–५४ में कितनी रक़में बतौर ग्रांट के सड़क बनाने के वास्ते दी थीं और उसमें से गोरखपुर म्युनिसिपैलिटी ने किन-किन सड़कों पर और कितना-कितना खर्च किया है या करने जा रही है?

श्री मोहन लाल गौतम—सन् १९५१–५२ में गोरखपुर म्युनिसिपल बोर्ड को ३०,००० रुपया सड़कों की मरम्मत के लिए दिये गये। उसमें से बोर्ड ने अलीनगर चौराहा से नियामतचक चौराहा तक, सड़क पर २३,०८८–१५–० व्यय किया, और रेती चौराहा से नालबन्द टोला चौराहा तक ७,६५३–१–० व्यय किया है।

वित्तीय वर्ष १९५२–५३ में कोई अनुदान नहीं दिया गया और सन् १९५३–५४ के अनुदान वितरण के प्रश्न पर अभी विचार करना है।

श्री इस्तफ़ा हुसैन—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो ३०हजार रुपया गोरखपुर म्युनिसिपल बोर्ड को दिया गया था वह १५ मार्च, सन् १९५२ ई० के एफ० जी० ओ० के मुताबिक़ काम करने के लिये दिया गया था?

श्री मोहन लाल गौतम—यह रुपया जो दिया जाता है, सड़कों पर खर्च करने के लिये दिया जाता है।

गोरखपुर म्युनिसिपैलिटी को ड्रेनेज बनाने के लिए धन की आवश्यकता

*१७—श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार बतायेगी कि उसने गोरखपुर म्युनिसिपैलिटी को Drainage बनाने के लिए कितनी रक़म बतौर ग्रांट या लोन देना स्वीकार किया है?

श्री मोहन लाल गौतम—अभी कुछ नहीं स्वीकार किया गया।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार बतायेगी कि अब, जब कि गोरखपुर म्युनिसिपल बोर्ड में वाटरवर्क्स की स्कीम क़रीब-क़रीब मुकम्मल हो चुकी है तो उसको ड्रेनेज के लिये काफी रुपया देने की मेहरबानी करेगी?

श्री मोहन लाल गौतम—म्युनिसिपल बोर्ड गोरखपुर के ऐडमिनिस्ट्रेटर ने एक फोरकास्ट तैयार करने के लिये गवर्नमेंट को लिखा और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उसको तैयार कर रहा है। उसके बाद जब म्युनिसिपल बोर्ड चीफ इंजीनियर की फीस जमा कर देगा तो उसकी स्कीम बनेगी और उसके तैयार होने पर कितनी ग्रांट देना होगा यह बाद में तय किया जायगा।

पंचायत निरीक्षकों तथा सहायक पंचायत अफसरों के सम्बन्ध में पूछ-तांछ

*१८—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य में कितने पंचायत निरीक्षक हैं और उनमें से कितने स्थायी किये जा चुके हैं?

श्री मोहन लाल गौतम—राज्य में पंचायत निरीक्षकों के कुल ४३९ पद हैं जिनमें ११० पद स्थायी घोषित किये गये हैं।

*१९—श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य में कितने सहायक पंचायत अफसर हैं और उनमें से कितने स्थायी किये जा चुके हैं?

श्री मोहन लाल गौतम—राज्य में सहायक पंचायत अफसरों के कुल ५१ पद हैं और वे सभी अस्थायी ही हैं।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त पद कब कायम किये गये थे और शेष ३२९ पद अभी तक स्थायी क्यों नहीं किये गये तथा वह कब स्थायी किये जायेंगे?

श्री मोहन लाल गौतम—जब पंचायत राज का मुहकमा चार साल पहले कायम हुआ था उस वक्त ये पद अस्थायी रूप से कायम हुये थे और २५ प्रतिशत स्थायी किये गये हैं। क्योंकि फाइनेंशल डिफीकल्टीज़ हैं तो धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों फाइनेंशल डिफीकल्टीज़ दूर होती जायेंगी इन पदों को स्थायी करने का इरादा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार बतलायेगी कि इन इन्स्पेक्टरों में कितनी जगहें इस वक्त खाली हैं?

श्री मोहन लाल गौतम—५७ पदों पर तो मंत्री और लिपिक स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे हैं और ९ पद रिक्त हैं और इसके बाद भी कुछ और पद खाली हुये हैं।

श्री हरदयाल सिंह पिपल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार असिस्टेंट पंचायत आफिसर्स को कब तक परमानेंट घोषित करने जा रही है?

श्री मोहन लाल गौतम—अभी तक बजट में इसका प्राविजन नहीं हुआ है,

लाहौरी नमक का राज्य में आयात

*२०—श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार को पता है कि हिन्दुस्तान का बंटवारा होने के बाद लाहौरी नमक का यहां आयात बन्द हो गया है? यदि हां, तो सरकार उक्त प्रकार के नमक का आयात फिर से होने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हां। बाहरी देशों के आयात और निर्यात की नीति केन्द्रीय सरकार निश्चित करती है और उस सरकार ने सूचना दी है कि लाहौरी नमक का आयात खोलने का उनका विचार नहीं है।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार सार्वजनिक उपयोगिता का विचार करते हुये केन्द्रीय सरकार से उसके पाकिस्तान से आयात करने के लिये पुनः अनुरोध करने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है। देश में अब नमक काफी मात्रा में पैदा होने लगा है और देश नमक के सिलसिले में सेल्फ सफिशेन्ट हो गया है। इसलिये यह सरकार केन्द्रीय सरकार से इत्तफाक करती है कि हमें अपने देश में बना हुआ नमक ही अपने देश में इस्तेमाल करना चाहिये।

नगरपालिका, लखनऊ के कार्यालय में हरिजन क्लर्क

*२१—श्री शिवनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका, लखनऊ में आजकल कुल कितने क्लर्क काम कर रहे हैं और उनमें कुल कितने हरिजन हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम—लखनऊ नगरपालिका में कुल १९३ क्लर्क हैं जिनमें ८ हरिजन हैं।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार यह बतलायेगी कि ये जो आठ क्लर्क हैं ये मुस्तकिल हैं?

श्री मोहन लाल गौतम—इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री शिवनारायण—क्या यह सही है कि दो क्लर्कों ने अपनी दुखभरी कहानी माननीय मंत्री महोदय के पास भेजी थी ?

श्री मोहन लाल गौतम—भेजी होगी मुझे इस समय याद नहीं है ?

राज्य में कपड़े पर नियंत्रण

*२२—श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में कपड़े पर किसी प्रकार का नियंत्रण है ?

श्री बनारसी दास—राज्य में कपड़े के व्यापारियों को लाइसेंस रखना अनिवार्य है और व्यापारियों द्वारा राज्य से कपड़े के निर्यात पर नियंत्रण है। इसके सिवाय कपड़े पर कोई नियंत्रण नहीं है।

*२३—श्री गेंदा सिंह—यदि नहीं, तो आयात किये हुये कपड़े की बिल्टियों पर जिला सप्लाई अफसर का हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों है ?

श्री बनारसी दास—आयात किये हुये कपड़े पर जिला पूर्ति अधिकारी के हस्ताक्षर इसलिये अनिवार्य हैं कि इस प्रथा से सरकार को जिलों में कपड़े की पूर्ति स्थिति की सूचना मिलती रहे और कपड़े के व्यापारी गुप्त रूप से कपड़ा आयात कर सेल्स टैक्स बचा न लें।

श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि किन किन प्रकार के कपड़ों पर सेल्स टैक्स है ?

श्री बनारसी दास—मिल के बने हुये सब कपड़ों पर सेल्स टैक्स है।

श्री गेंदा सिंह—क्या यह सही है कि प्रान्त के मिल और दुकानों पर बहुत कपड़ा पड़ा हुआ है और इस वक्त नियंत्रण की वजह से कुछ दिक्कत बिक्री में पड़ती है ?

श्री बनारसी दास—यह सही है कि कपड़ा पड़ा हुआ है लेकिन जैसा कि उत्तर दिया जा चुका है कपड़े की बिक्री पर, लाने या ले जाने पर नियंत्रण नहीं है। इसलिये उसका कोई प्रभाव नहीं है।

*२४—श्री गेंदा सिंह—क्या उत्तर प्रदेश में कपड़े के व्यापारियों को लाइसेंस रखना अनिवार्य है ? यदि हां, तो यह प्रथा किस उद्देश्य से रखी गयी है ?

श्री बनारसी दास—जी हां, यह प्रथा इसलिये आवश्यक है कि कपड़े की स्थिति अभी स्थिर नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने कपड़े के मूल्य तथा वितरण से नियंत्रण हटा लिया है परन्तु अपनी टेक्सट इल नियंत्रण आज्ञायें अभी नहीं हटाईं। इस संबंध में राज्य सरकार की नीति केन्द्रीय सरकार की नीति के अनुकूल है।

*२५—श्री रघुराज सिंह (जिला गोंडा)—[४ जनवरी, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२६—श्री राजाराम शर्मा—[हटा दिया गया।]

*२७-२८—श्री अनन्त स्वरूप सिंह (जिला फतेहपुर)—[६ जनवरी, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

पंजाब और देहली प्रान्त की सीमाओं पर जमुना नदी के घाटों की आय

*२९—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जमुना नदी के उन घाटों की आय, जो पंजाब और देहली प्रान्त की सीमाओं पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के सीमा वाले जिलों को नहीं होती ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हां।

*३०—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार इस संबंध में कोई उचित कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार केन्द्रीय सरकार से इस संबंध में वार्तालाप करने के लिये तैयार है ?

श्री मोहन लाल गौतम—बातचीत हो रही है और जो घाट सीमा पर हैं उनकी आमदनी का एक-चौथाई हिस्सा इस सरकार को मिलता है।

टेहरी जिले के पट्टी फतेपर्वत पंचगाई इलाके में चिकित्सालय की कमी

*३१—श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि टेहरी जिले के पट्टी फतेपर्वत पंचगाई इलाके में कोई अस्पताल नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां एक अस्पताल खोलने की व्यवस्था करेगी जिसमें Post Martem Examination की भी सुविधा हो ?

श्री बनारसी दास—जी हां। इसपर विचार किया जा रहा है।

श्री सत्य सिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस अस्पताल के खुलने का कब तक इन्तजाम किया जा सकता है ?

श्री बनारसी दास—अभी उस क्षेत्र के अन्दर एक डिस्पेंसरी पट्टी बागान में कायम की जा रही है और यहां पर कोई डिस्पेंसरी कायम होगी यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

नोट—तारांकित प्रश्न ३१—श्री सत्य सिंह राणा ने पूछा।

हिण्डन वैरियर, गाजियाबाद से चने का निर्यात

*३२—श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मई, जून, जुलाई सन् १९५३ ई० में हिण्डन वैरियर (गाजियाबाद) से कितना चना या चने की अन्य वस्तुयें बाहर भेजी गईं और उसके लिये परमिट किस-किस को मिले?

श्री बलदेव सिंह आर्य—मई माह में ११ व्यक्तियों द्वारा १८ मन, जून माह में ३५ व्यक्तियों द्वारा ६५ मन, जुलाई माह में ३३ व्यक्तियों द्वारा दो ट्रक और ७५६ मन।

एक सूची जिसमें चने या चने के पदार्थों को ले जाने वाले के नाम, राशि इत्यादि दी है संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २८५–२८७ पर)

श्री तेजा सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रकाश दाल मिल, आगरा को जो परमिट दिया गया था उसके सम्बंध में उस मिल ने यह माल आगरा से खरीद कर देहली पहुंचाया है या गाजियाबाद से खरीद कर पहुंचाया है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—इस की सूचना तो सरकार को नहीं है कि आगरा से दाल या उससे बनी हुई चीजें मंगाई गईं।

टाउन एरिया लार, जिला देवरिया की सड़क की मरम्मत

*३३—श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया लार, जिला देवरिया की सड़क की मरम्मत के निमित्त तारीख ३० मार्च, १९५३ को पच्चीस सौ रुपये दिये गये हैं?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हां।

*३४—श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी—अगर हां, तो क्या सड़क की मरम्मत का कार्य इस बरसात में शुरू हो जायेगा?

श्री मोहन लाल गौतम—नियमानुसार सड़क का साइटप्लान और क्रास सेक्शन स्वीकृति के लिये स्टेट हेल्थ बोर्ड को भेजे गये हैं। स्वीकृति प्राप्त होते ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा।

*३५—श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)—[६ जनवरी, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

आगरा की 'नया आगरा' नामक गृह योजना

*३६—श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार को मालूम है कि आगरा की 'नया आगरा' नामक गृह योजना का कार्य कोयला आदि के न मिलने के कारण बन्द पड़ा है? क्या सरकार इस योजना को उचित प्राथमिकता देने पर विचार करेगी?

श्री मोहन लाल गौतम—इस योजना का कार्य बन्द नहीं है। गृह निर्माण संबंधी सामग्री समय-समय पर बराबर दी गयी है और दी जा रही है। अतएव प्राथमिकता देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री वीरेन्द्र पति यादव--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत कोई कोयला या सीमेंट दिया गया है ?

श्री मोहन लाल गौतम--सन् ४७ से सन् ५३ तक २० वेगन कोयला दिया गया है और इसी प्रकार २,१९३ बोरा सीमेंट दिया गया है ।

श्री देवकी नन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इन ३ सालों में कितना कोयला और सीमेंट इस योजना के लिये दिया गया है ?

श्री मोहन लाल गौतम--मैंने ६ साल के आंकड़े दे दिये हैं ।

श्री वीरेन्द्र पति यादव--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत कितने मकान वहां बनने का कार्यक्रम है ?

श्री मोहन लाल गौतम--इसके लिये सूचना चाहिये ।

टाउन एरिया छिबरामऊ, जिला फ़र्रुखाबाद में पीने के पानी का कष्ट

*३७--श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वह टाउन एरिया छिबरामऊ (जिला फर्रुखाबाद) में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग द्वारा ट्यूबवेल से पीने का पानी सप्लाई (Supply) करने की योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस योजना को वह कब तक कार्यरूप में परिणत करेगी ?

श्री मोहन लाल गौतम--ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*३८--श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त योजना में अनुमानित व्यय क्या होगा ?

श्री मोहन लाल गौतम--यह प्रश्न नहीं उठता ।

सीमेण्ट से कण्ट्रोल हटाने का विचार

*३९--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार सीमेंट से कंट्रोल हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बनारसी दास--सीमेंट का नियंत्रण केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित होता है। संप्रति इस नियंत्रण के हटाने का विचार नहीं है ।

ज़िला प्रतापगढ़ की जेठवारा--लालगोपालगंज सड़क को पक्की करने की आवश्यकता

*४०--श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला प्रतापगढ़ की जेठवारा और लालगोपालगंज को मिलाने वाली सड़क की दशा अच्छी नहीं है ?

श्री मोहन लाल गौतम--जी हां।

*४१--श्री राम नरेश शुक्ल--क्या सरकार इसे पक्की बनवाने की सोच रही है ?

श्री मोहन लाल गौतम---इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री राम नरेश शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि पिछले बाढ़ के दिनों में इस सड़क के न होने से बाढ़-पीड़ितों को सहायता नहीं पहुंचायी जा सकी ?

श्री मोहन लाल गौतम---इसकी मुझे सूचना चाहिये।

श्री राम नरेश शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि इस परगने में यानी बिहार के परगने में और कोई पक्की सड़क नहीं है ?

श्री मोहनलाल गौतम---इस सूचना के लिये धन्यवाद।

पंचायती अदालत धौरहरा का निरीक्षण

*४२---श्री बाबूनन्दन---क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि २९ सितम्बर को अदालत पंचायत धौरहरा का निरीक्षण सहायक पंचायत आफिसर द्वारा किया गया ? यदि हां, तो उसका सार क्या है ?

श्री मोहन लाल गौतम---सहायक जिला पंचायत अधिकारी ने पंचायती अदालत धौरहरा का निरीक्षण २९ सितम्बर को नहीं किया, वरन् २६ सितम्बर को किया। इस निरीक्षण का सार मुख्यतः निम्नलिखित है :—

(१) इस अदालत में बेंचों का निर्माण नियमानुसार नहीं हुआ है। (२) मुकदमों के निर्णय में विलम्ब किया गया।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत अधिकारी ने अपने निरीक्षण में जब अदालत की बेंचों का निर्माण नियमानुसार नहीं पाया तो क्या कार्यवाही की ?

श्री मोहन लाल गौतम---उन्होंने इसकी रिपोर्ट की।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री मोहन लाल गौतम---इसका सारांश मैं दे चुका हूं।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो मुकदमों में विलम्ब हुआ है उसके लिए पंचायत अधिकारी ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री मोहन लाल गौतम---इस समय सारे सूबे में एक सप्ताह मनाया गया और प्रयत्न किया गया कि जितने मुकदमे पड़े हुए हैं, उन सबका फैसला कर दिया जाय।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस अदालती पंचायत के सम्बन्ध में कभी सर्किल इन्सपेक्टर ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी थी ?

श्री मोहन लाल गौतम---इसकी सूचना चाहिए।

श्री राम नरेश शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतावेंगे कि वह इस पंचायती अदालत को तोड़ने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--इस प्रकार का ऐक्ट में कोई अधिकार नहीं है।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी (जिला गोंडा)--क्या आनरेबिल मिनिस्टर फरमायेंगे कि उन्होंने कोई ऐसी हिदायत जारी की है पंचायतों के नाम कि वह हत्तुलमकदूर मुकदमों का कानून के मुताबिक फैसला करें ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

बस्ती जिले में उस्का बाज़ार-लोटन थाना सड़क पर पुलों की आवश्यकता

*४३--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि बस्ती जिले के उस्का बाजार से लोटन थाना को जाने वाली सड़क पर जो दो नदियों (कूड़ा-जमुआर) हैं उन पर पुल न होने के कारण जनता को तहसील तक वा जिला तक पहुंचने में अत्यन्त असुविधा होती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों नदियों पर पुल बनाने का विचार कर रही है।

श्री मोहन लाल गौतम--यह सड़क जिला बोर्ड की है। यद्यपि पुल न होने से जनता को कुछ असुविधा अवश्य होती है, परन्तु इस पर आवागमन अधिक न होने तथा जिला बोर्ड के पास धनाभाव के कारण इन नदियों पर पुल बनाने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

बांसडीह-बलिया सड़क को बनवाने की आवश्यकता

*४४--श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)--क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बलिया ने बांसडीह-बलिया सड़क के बनवाने के लिये सरकार से अनुदान की प्रार्थना की है?

श्री मोहन लाल गौतम--जी नहीं।

*४५--श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार उक्त सड़क के लिए उचित अनुदान देने की कृपा करेगी?

श्री मोहन लाल गौतम--प्रश्न ४४ का उत्तर नकारात्मक होने के कारण यह प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

कांधला, जिला मुज़फ्फ़रनगर नोटी फाइड एरिया का पट्टे पर जमीन उठाना

१--श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कांधला (मुजफ्फरनगर) नोटीफाइड एरिया की जमीन को बेचने के लिए सरकार की आज्ञा ली गई थी?

श्री मोहन लाल गौतम--वास्तव में कांधला नोटीफाइड एरिया ने जमीन को केवल पट्टे पर उठाया है और इसके लिये उसने कमिश्नर महोदय की आज्ञा प्राप्त कर ली थी।

फतेहपुर म्युनिसिपल बोर्ड को वाटर वर्क्स बनाने के लिए धन

२--श्री अनन्त स्वरूप सिंह--क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने कितना रुपया फतेहपुर म्यूनिसिपल बोर्ड को वाटरवर्क्स बनवाने के लिए दिया है?

श्री मोहन लाल गौतम--अभी तक केवल ५०,००० रुपया दिया गया है।

प्रस्थापित पाक-अमेरिकी सैनिक सन्धि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री झारखंडे राय जी ने एक कामरोको प्रस्ताव भेजा है और वह वह चाहते हैं कि पाक-अमेरिकी सैनिक संधि से जो स्थिति उत्पन्न हुई है उस पर सदन का मत व्यक्त होना चाहिए। चूंकि यह प्रश्न इस स्टेट की विधान सभा से संबंधित नहीं है, न उसको इस विषय पर मत प्रकट करने का अधिकार है, इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

विशेषाधिकार समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—विशेषाधिकार समिति का निर्माण इस वर्ष के लिए मुझे करना था। और कुछ माननीय सदस्यों से इस सम्बन्ध में बातचीत करना था, इसलिए देर लगी। अब मैं इन निम्नलिखित सदस्यों को इस कमेटी का सदस्य घोषित करता हूं—

१—श्री हरगोविन्द पन्त, उपाध्यक्ष	..	सभापति
२—श्री चरण सिंह ..	..	सदस्य
३—श्री फूल सिंह ..	..	,,
४—आचार्य जुगल किशोर ..	..	,,
५—श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव	..	,,
६—श्री राधामोहन सिंह ..	..	,,
७—श्री अब्दुल मुईज खां	..	,,
८—महाराजकुमार बालेन्दु शाह	..	,,
९—श्री रामनारायण त्रिपाठी	..	,,
१०—श्री गेंदा सिंह ..	..	,,

प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश संग्रहालय परामर्श-दात्री समिति व अन्य समितियों के लिए निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—मुझे सदन को सूचना देनी है कि प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड, उत्तर प्रदेश संग्रहालय परामर्शदात्री समिति तथा कतिपय समितियों के रिक्त स्थानों के लिए जो नामांकन-पत्र प्राप्त हुए थे उनमें से कोई नाम वापस नहीं हुए थे। निम्नलिखित सदस्य उचित रूप से निर्वाचित हुए—

प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड—(१) श्री दीनदयालु शर्मा।

उत्तर प्रदेश संग्रहालय परामर्शदात्री समिति—(१) श्री पुलिन बिहारी बनर्जी, (२) श्री कल्यानचन्द्र मोहिले।

सार्वजनिक निर्माण (सिंचाई) स्थायी समिति—(१) श्री विश्राम राय, (२) श्री उदयभान सिंह।

शिक्षा स्थायी समिति—(१) श्री सहदेव सिंह।

कृषि तथा पशु-पालन स्थायी समिति—(१) श्री महावीर सिंह, (२) श्री कन्हैयालाल।

आबकारी स्थायी समिति—(१) श्री रामेश्वर लाल।

छात्र-आन्दोलन के सम्बन्ध में गृह मन्त्री के भाषण पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री राजनारायण (जिला बनारस)-- श्रीमन्, मेरा यह निवेदन है कि २१ तारीख को मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न १८ तारीख को जो माननीय गृह मंत्री जी ने लखनऊ छात्र-आन्दोलन के सम्बन्ध में भाषण दिया था, उसकी असत्यता के सम्बन्ध में दिया था। उसमें मैंने यह भी निवेदन किया था कि जानबूझ कर इस सदन में धोखा देने का प्रयत्न किया गया है।

श्री अध्यक्ष---वह तो आपने भेज दिया। लेकिन जब तक मैं उसकी इजाजत न दूं तब तक आप उसको यहां पर सदन के सामने पेश नहीं कर सकते।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, आपने कहा कि मैं इसके बारे में सूचित करूंगा, जानकारी करके।...

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठ जायं। मैं आपको नियम "45" पढ़ कर सुना दूं:

"45. Notice of a Complaint of a Member—A member wishing to make a complaint of a breach of privilege shall give notice in writing to the Secretary before the commencement of the sitting on the day on which it is proposed to be made. If the complaint is founded upon a document the original or a copy thereof shall accompany the notice."

[४५---सदस्य द्वारा शिकायत की सूचना---जो सदस्य विशेषाधिकार की अवहेलना की शिकायत करना चाहे वह जिस दिन शिकायत करने का विचार करता हो उस दिन उपवेशन आरम्भ होने के पूर्व सचिव को लिखित सूचना देगा। यदि शिकायत का आधार कोई लेख्य हो तो मूल लेख्य या उसकी प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न की जायगी।]

यह नियम की आवश्यकतायें हैं। यह आवश्यकतायें जब पूरी होंगी तब मैं इसके ऊपर विचार करूंगा। जब आप यह सब चीजें पेश कर देंगे तब सचिव मर सामने रखेंगे। अगर आपने पेश नहीं की हैं तो सचिव मेरे सामने नहीं रखेंगे। सचिव के पास आपकी शिकायत आनी चाहिये यानी भटनागर साहब के पास। जिन डाकूमेन्ट्स की बेसिस पर आपको कम्पलेन्ट करनी हो वह भी उनके सामने आने चाहिये। तब वह मेरे सामने पेश करेंगे और अगर मैं इजाजत दूं जैसा कि नियम ४४ में लिखा हुआ है कि---

"44. Breach of Privilege, How Brought to the Notice of the House—A breach of privilege, either of a member of the House or of a Committee thereof, may, with the consent of the Speaker, be brought to the notice of the House:"

[४४---विशेषाधिकार की अवहेलना को किस प्रकार सदन की सूचना में लाया जाय---किसी सदस्य के, अथवा सदन के, अथवा उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार की अवहेलना को अध्यक्ष की सम्मति से सदन की सूचना में लाया जा सकता है।]

आप यह विशेषाधिकार का प्रश्न हाउस की नोटिस में तब तक नहीं ला सकते जब तक क उक्त बातें न हों। उसका मोड आफ कम्प्लेन्ट करने के लिए यह दिया हुआ है। आप सचिव के पास भेज दें।

जो चीज हाउस के ऐक्चुअल व्यू में हुई है उसमें किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं है। उसे वहीं के वहीं हाउस टेकअप कर सकता है। लेकिन जो स्टेटमेंट्स वगैरह ऐसे होते हैं उनपर अगर आपको कोई सवाल रेज करना हो तो उसकी नोटिस आप सचिव को दें।

श्री राजनारायण—मैं जरा समझ नहीं पाया। जो अवस्था इस सदन के समक्ष घटी हो, माननीय गृह मंत्री जी ने सदन के समक्ष भाषण दिया और वह भाषण लिखित था......

श्री अध्यक्ष—तो क्या सदन में जो माननीय सदस्य भाषण देते हैं उन्हें हम झूठ मान लें। समक्ष का मतलब दूसरा है यानी ब्रीच जो समक्ष होता है उसे हर एक समझ लेगा कि ब्रीच हुआ। सदन के समक्ष का मतलब यह नहीं है कि उसके बाद आप तहकीकात करें। अगर कोई चीज न मालूम हो और वह भी सदन के समक्ष समझी जायगी। सदन के समक्ष का मतलब यह है कि आपने कोई जिद की, किसी के पत्थर मार दिया। सदन के समक्ष जिससे विशेषाधिकार की अवहेलना हुई उसे सदन के समक्ष कह सकते हैं। उसी वक्त ब्रीच आफ प्रिवलेज का सवाल उठता है। लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट दे उसकी सत्यता और असत्यता का प्रश्न उठे तो वह तो कम्पलेन्ट से ही होगा। या तो फिर यह अज्यूम कर लें कि यहां हर एक मेम्बर झूठ ही बोलता है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह बता दें। मैं एक मिनट में....

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि मैंने २१ तारीख को लिख करके दिया कि यह मेरी आपत्ति है। १, २, ३, ४, ५ करके और माननीय सचिव से उसके बारे में २१ को बात की, कल भी बात की। माननीय सचिव क्या इतनी उदारता नहीं बरत सकते थे कि वह मुझसे कहते हैं कि मैं श्री सम्पूर्णानन्द जी की कापी उन्हें दे दूं? क्या माननीय सचिव हमसे नहीं कह सकते थे कि इस चीज की कमी है यह आप दे दें? मैंने कल निवेदन किया था और आज भी निवेदन किया।

श्री अध्यक्ष—आज आपको कापी मिल गयी?

श्री राजनारायण—मुझे अभी आने से तीन मिनट पहले कापी मिली है।

श्री अध्यक्ष—जो कापी आप को मिली है, वह कापी जब आप भेजेंगे तब मैं उसके ऊपर विचार करूंगा।

मुख्य मन्त्री द्वारा उद्धृत उपकुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय के पत्र को सदन के समक्ष रखने की प्रार्थना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस दिन वाइस-चांसलर का पत्र पढ़ा था और ज्योंही उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया, म उठा और श्रीमन्, आप सदन को दूसरे दिन के लिये स्थगित करके चले गये। उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी से मैंने बात की और उनसे कहा कि आप उस पत्र की कापी दे दीजिये क्योंकि जब आपने उसको सदन में पढ़ दिया है तो वह सम्मानित सदस्यों को प्राप्त होना चाहिये। उन्होंने उसी समय कहा कि मैं आपको पढ़ने के लिये दे सकता हूं। उसकी कापी मेरे पास नहीं आयी। दूसर दिन मैंने लिखित निवेदन किया परन्तु कोई उत्तर नहीं मिला। उसके बाद मैंने माननीय

[श्री राजनारायण]

मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा कि आपने ऐसा ऐसा वादा किया था, परन्तु उसकी कापी नहीं मिली जब कि आपने वाइस-चांसलर के लेटर के जिस पोर्शन को पढ़ा है वह वास्तविकता पर पर्दा डालता है। इस सम्बन्ध में आप कृपया उनको आदेश दे दें।

श्री अध्यक्ष——आप कृपा करके बैठें। किसी डाकूमेंट के सम्बन्ध में कोई कागजात जो पढ़े जाते हैं उसका नियम यह है कि अगर कोई उसमें से उद्धरण पढ़ना चाहे, चाहे वह सरकारी डाकूमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, तो उसके लिये यह तरीका है कि अगर वह पढ़ता है तो उसी वक्त कोई माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि वह पूरे का पूरा पढ़ा जाय और जो माननीय सदस्य उद्धरण पढ़ते हों यदि वे पूरा पढ़ने के लिये तैयार न हों तो अध्यक्ष उनको इजाजत न दें और यह कह दें कि अगर पूरा पढ़ना है तब पढ़िये और अगर पूरा नहीं पढ़ना है तो न पढ़िये। तो यह प्वाइंट आफ आर्डर होता है, एक तरह का वैधानिक प्रश्न यहां के तरीके के हिसाब से हुआ करता है। तो जिस वक्त माननीय मुख्य मंत्री जी पढ़ रहे थे उसी वक्त यह वैधानिक प्रश्न उठाना था कि उनको पढ़ने की इजाज़त नहीं देना चाहिये या वे पूरा हमारे सामने रख दें। उस वक्त किसी ने यह बात कही नहीं कि हमारे सामने पूरा आ जाना चाहिये और नहीं तो पढ़ने की इजाज़त न दी जाय। इजाजत देना न देना मेरा अधिकार है और मैं यह कह सकता था कि जब तक आप पूरा सामने नहीं रखते हैं: आप नहीं पढ़ सकते हैं। इस पर वे सोच लेते कि आया उनको पूरा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ऐसी चीज नहीं हुई। बाद में क्या बातचीत आपकी और मुख्य मंत्री जी की हुई, उसके ऊपर मैं कोई फैसला देकर उनको बाध्य करूं, यह नियम में नहीं है। मैं उनको बाध्य नहीं कर सकता। आपकी और उनकी समझौते की बातचीत रोज हुआ करती है। उन्होंने अगर वादा कर दिया है तो आप उनके कमरे में जायं और उसको देख लें। अगर ऐसा न हो तो जिस वक्त वे यहां होंगे उनसे पूछ लिया जायगा कि वे आपको दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं। परन्तु मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि अब मैं उनको बाध्य नहीं कर सकता। आप अगर तत्काल यह कहते कि उनको पढ़ने की इजाजत न दी जाय जब तक वे पूरा पढ़ने के लिये तैयार न हों, तो मैं उनको रोक सकता था। यही नियम का खुलासा है और इसी दृष्टि से फैसला और जगह भी होता है। मेज़ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में हेडिंग यह है——

"Maintenance of order during debate and rules governing contents of speeches."

और ४४१ सफा पर यह दिया हुआ है——

"Another rule or principle of debate may be here added, A Minister of the Crown is not at liberty to read or quote from a despatch or other state paper not before the House, unless he be prepatred to lay it upon the table."

आगे यह है——

"The principle is so resonable that it has not been contested.; and when the objection has been made in time it has been generally acquiesced in."

एतराज इन टाइम होना चाहिये। उसी वक्त होना चाहिये। इसमें भी मिनिस्टर यह कह सकता है कि वह कांफिडेंशियल है, हम नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन वह प्रश्न उठा ही नहीं। शायद उस रोज आप पूछते तो मैं कह देता कि अगर कांफिडेंशियल है तो न पढ़िये। अगर कांफिडेंशियल है तो थोड़ा भी क्यों पढ़ते हो, सदन इससे मिसलीड हो सकता है, यह आब्जेक्शन उसी वक्त हो जाना चाहिये था। लेकिन आपने बाद में प्रश्न किया है इसलिये मैं कुछ नहीं कर सकता। यह आपके और मुख्य मंत्री के बीच का प्रश्न है। जैसे आप उचित समझें निबटायें।

श्री राजनारायण—प्रश्न इसलिये उठता है कि पहले भी आपने ऐसी उदारता दिखलाई है। एक मर्तबा जब एक जजमेंट का एक पोर्शन मैंने पढ़ा था उसके पढ़ने के करीब ४, ५ दिन बाद माननीय स्वशासन मंत्री ने आपका ध्यान आकर्षित कराया। आपने उस डाक्युमेंट के ऊपर के पोर्शन को पढ़ने की इजाजत दी थी और फिर कई दिन बाद आपने उस पोर्शन को हटवाया था। मैं यह निवेदन करूंगा कि आगे इसकी कैसे व्यवस्था होगी? क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने पत्र के जितने अंश को पढ़ा बाद में जाकर मालूम हुआ कि वह बुद्धि विभ्रम पैदा कर रहा है और वस्तु स्थिति पर परदा डाल रहा है।

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न इस वक्त उठाने का नहीं था। आपने जिस मामले का हवाला दिया है वह प्रश्न तो बिलकुल अलग था। आपने जजमेंट एक कोट की थी। उसी वक्त आपसे वह जजमेंट ले ली गई। मेरे पास जजमेंट आ चुकी थी। उस जजमट को लोगों ने बाद में पढ़ा, और फिर आपके उद्धरण को एक्सपंज करने के लिये कहा गया। आपकी मांग इस समय एक्सपंज करने के लिये नहीं है। आपकी मांग तो इस बात की है कि गवर्नमेंट के पास कोई चिट्ठी है और आपको यह पता नहीं लग सकता कि उस चिट्ठी से जो अधूरा पोर्शन पढ़ा गया है गलत है या सही है, जब तक कि वह आपके सामने न हो। वह गवर्नमेंट के पास है और उसे आप पेश करना चाहते हैं। उस पत्र के मांगने का सवाल है। आप उस वक्त कहते तो मांग लेते। नियम यह है कि बाद में मांग नहीं हो सकती। अगर उद्धरण को एक्सपंज कराने की आप बात करना चाहते हैं तो मुझसे बाद में सलाह करें। इस सदन का समय इस वक्त इस कार्य में नहीं लिया जा सकता।

१९५३-५४ के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष—(डाक्टर सम्पूर्णानन्द को सदन छोड़ते देखकर) मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री को कम से कम अवश्य उपस्थित रहना चाहिये।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—दिक्कत यह हो गई है कि आज दूसरे सदन की बैठक ११ बजे के बजाय १२ बजे हो गई है। उनके सवालों का जवाब देना है। जवाब देकर फौरन आ जाऊंगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—जो सप्लीमेंटरी बजट २ करोड़ ७२ लाख ७८ हजार, ८ सौ का इस सदन में प्रस्तुत हुआ है इस संबंध में जैसा पहले भी निवेदन किया था कि इस तरह के पूरक बजट को पेश करने की जो परम्परा सी बंधती चली जा रही है उस पर जरा रोक थाम होनी चाहिये। अबकी श्रीमन्, मैंने श्री राव जो वित्त सचिव हैं उनके नोट को देखा तो मैं चाहता हूं कि उनके नोट की कुछ लाइन्स पढ दूं, ताकि ये लोग समझें कि किस तरह से यह एक परिपाटी सी बनाई जा रही है। हमारे माननीय वित्त सचिव कहते हैं "किसी वित्तीय वर्ष के दौरान में उस वर्ष के लिये अधिकृत व्यय से अधिक व्यय के संबंध में जो भुगतान करते पड़ते हैं, उसके लिये विधान मंडल के सामने पूरक मांगें पेश करने की आवश्यकता होती है"। एक जनरल सी बात वह कहते हैं कि आवश्यकता होती है। हम कहते हैं कि आवश्यकता हो सकती है मगर ऐसी बात नहीं है कि हर समय और हरवर्ष आवश्यकता होती ही है इसको उन्होंने जनरालाइज (साधारण नियम) करके ऐसा लिखा है कि सदन के सब सदस्य यह समझ लें कि पूरक अनुदान का पेश करना बिलकुल जरूरी ही है और बिना उसके काम नहीं चल सकता। अगर माननीय सदस्य ग्रांट नं० १२, १७, २३, २९, ३६ और ४३ को देखें तो उनको मालूम होगा कि ये सब जितनी ग्रांटें मांगी गई हैं उनकी क्या आवश्यकता बाद में मालूम पड़ी। क्या पहले ही से रकम रख कर इसको पूरा नहीं किया जा सकता था? मैं इसके बारे में श्रीमन्, कहना चाहता हूं कि कंटिंजेंसी फंड से कुछ रुपया ले लिया जाता है मगर उसके बाद बजट में कुछ टोकिन मनी पेश किया जाता है। उदाहरण के लिये ग्रांट नं० ६ में २,२०० रुपये

[श्री राजनारायण]

खर्च के हैं जबकि केवल १०० रुपये की टोकिन मांग की गई है। मैं इसको अनभिज्ञता का परिचारक समझता हूं। सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है।

इसी तरह अगर हम अनुदान संख्या ९ में देखें तो २ लाख ९२ हजार आकस्मिक निधि से खर्च होगा जबकि केवल १ लाख ४२ हजार रुपया मांगा जा रहा है। तो फिर इस कमी की पूर्ति कहां से की जायगी? इसका मतलब है कि वहीं पर कुछ ऐसी रकमें हैं जिनको इधर उधर करके काम आगे बढ़ाया जायगा। अनुदान संख्या ११ में देखा जाय तो पहली मद के लिये १०० रुपये मांगे हैं जबकि डेढ़ लाख रुपया खर्च होगा। इसके क्या मानी हैं? इस बात का विचार करना चाहिये कि इस तरीके से टोकिन मांग को रख कर आखिर किस बात पर परदा डालने की कोशिश की जा रही है। किसी न किसी बात पर परदा डालने की कोशिश जरूर हो रही है? अगर इस सदन के माननीय सदस्य उसे नहीं ढूंढेंगे तो हम लोग अपने कर्त्तव्य का ठीक से पालन नहीं करेंगे।

इसी प्रकार दूसरी मदों का टोटल करने से ही पता चल जाता है कि वास्तविक पूरी मांग कितने की है और यहां पर टोकिन मांग कितने की की गई है। बहुत सी रकमें तो इसमें ऐसी भी मिलेंगी जो पहले ही खर्च कर दी गई हैं और उसके बाद एक गोल रकम सी रख दी गई है जिसके बारे में यह भी टोटल नहीं लगाया गया है कि इतने रुपये की क्या आवश्यकता है और सिर्फ रकम के लिये इस सदन को मंजूरी ली जा रही है। ग्रांट नं० १२ में ३ लाख हैं। यह बजट की दूषिता का एक ज्वलंत उदाहरण है। अब इतने वर्ष हमें अपना शासन चलाते हुये हो गये हैं तो अनुभव से हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट (अर्थ विभाग) में ऐसी व्यवस्था लानी चाहिये जिससे इस तरह की गड़बड़ियां न हों कि रकम की जरूरत कुछ हो और अनुदान कुछ मांगे जायं और खर्चा कुछ हो और इधर उधर से हमेशा पूर्ति की जाय। लेकिन इस बजट की बहुत सी रकमें ऐसी हैं जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि जब मूल बजट प्रस्तुत हुआ था, उस समय उसी में रखी जा सकती थीं जैसे कि उदाहरण के लिये हम फिर ग्रांट नम्बर ९, ११, १२, १६, १९, २० और २१ को रखते हैं और केवल सदन का समय बचाने के लिये हमने थोड़े में नोट तैयार किया है और बाद में माननीय सदस्य देखेंगे तो समझेंगे कि इसकी क्या आवश्यकता थी।

ग्रांट नम्बर ९ देखें, इसमें रजिस्ट्री की बात है। जिला जालौन और इगलास में रजिस्ट्री के कार्यालय फिर से खोले जायेंगे। क्या वह वहां है या नहीं या खोले जायेंगे या नहीं? जब मूल बजट प्रस्तुत हुआ था उस समय डिपार्टमेंट इसको नहीं समझता था कि इसकी जरूरत है या नहीं। फिर अनुपूरक बजट में इसको रखने की क्या आवश्यकता पड़ी।

इसलिये श्रीमन्, जरा मैं ग्रांट नम्बर १२ के बारे में खास तौर से आपके द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा और थोड़ा सा समय जो मैंने लिया वह इसलिये लिया कि गृह मंत्री कह गये थे कि वह जल्दी ही वापस आ जायेंगे। इसलिये मैं चाहता था कि पहले इन बातों को कह दूं और फिर इसको कहूं ताकि वह आ जायं क्योंकि इससे उनका भी काफी संबंध है। श्रीमन्, सामान्य प्रशासन के कारण व्यय, इसमें देखा जाय कि स्थानीय निकायों के चुनाव के संबंध में चर्चा है। माननीय वित्त सचिव ने जो रिपोर्ट तैयार की है वह कहते हैं कि पहले यह आशा की गई थी कि स्थानीय निकायों के आगामी चुनाव मार्च, १९५३ में होंगे। फिर बाद में उनकी यह आशा असफल हुई और उसके बाद चुनाव का समय बढ़ा और उसकी पूर्ति होती है अक्टूबर, १९५३ में। अब यह कहते हैं कि पहले दो लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी जिसमें से १,७७,५०० रुपये की धनराशि अंततः समर्पित कर दी गई, क्योंकि चुनाव टल गये थे। शेष धनराशि अर्थात् २२,५०० रुपया जिला और हेड क्वार्टर के कर्मचारियों आदि पर व्यय हो गई।

अब श्रीमन्, सरकार को इतना तो पता होना ही चाहिये कि वह कब चुनाव करा सकत है और कब नहीं। एक पैसा भी यदि अनुचित तरीके से खर्च होता है तो हमें समझना

चाहिये कि वह जनता की बहुत ही गाढ़ी कमाई से धन का दुरुपयोग हो रहा है। जब चुनाव टलते थे और सरकार के सामने वह परिस्थिति मौजूद थी कि चुनाव टलेगा। श्रीमन्, इस सदन में ही विरोधी पार्टी की ओर से कई बार कहा गया था कि सरकार आगे भी चुनाव नहीं करा सकेगी तो श्रीमन्, हमारे संकेत के बाद और आग्रह के बाद भी उस समय दो लाख रुपये धनराशि रखी गई थी और हर जिले में एक आफिस की रचना कर दी गई थी जिसमें २२,५०० रुपया बरबाद हुआ। इसके बाद चालू वित्तीय वर्ष में २,९५,००० रुपये की व्यवस्था की गई थी किन्तु यह आशा की गई थी कि इस धनराशि में से २,७५,००० रुपये की धनराशि संबंधित स्थानीय निकायों से वर्ष के अन्तर्गत वसूल हो जायगी जो कि व्यय में कमी के रूप में दिखाई जायगी। इस प्रकार वास्तव में केवल २०,००० रुपये की ही व्यवस्था की गई। श्रीमन्, अब जरा इसका विश्लेषण किया जाय तो कितना निकम्मापन है डिपार्टमेंट का, कितनी अदूरदर्शिता और कितनी अज्ञानता इस डिपार्टमेंट की है। यह इससे सिद्ध होता है कि ३ लाख रुपये का खर्चा होता है और डिपार्टमेंट समझता है कि महज २०,००० रुपये की जरूरत पड़ेगी और इसकी पूर्ति इस तरह से होगी कि धनराशि को संबंधित निकायों से वर्ष के अन्तर्गत वसूल हो जायगी। इस तरह की बातें अज्ञानता और बौद्धिक अपरिपक्वता से होती हैं और इनके कारण से हमारा सारा का सारा शासन चौपट हो रहा है और आबादी बढ़ती जा रही है। हमको ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा आयेगा कि हम यहां बैठे ही रह जायेंगे और धड़ाम से रसातल को चले जायेंगे।

मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि माना कि जिस तरीके से अव्यवस्था हुई है, जिस तरीके से पैसे की बरबादी हुई है, जिस तरीके से रकम अनियमित ढंग से व्यय हुई है वह तो अनर्थ कार्य है ही उसके साथ ही साथ जब हम उस रुपये की ओर देखते हैं जो कि स्थानीय निकायों को दिया जा रहा है तो इस सदन के एक सदस्य होने के नाते हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम वर्किंग को देखें। जिस प्रकार से चुनाव की रकम खर्च की जा रही है उसमें एक सैद्धांतिक प्रश्न उठता है और इस संबंध में सम्मानित केबिनेट के सदस्य जो हैं उनसे भी विचार विनिमय होता है। प्रश्न यह है कि क्या सिंगिल यूनिट (हर व्यक्ति के पूर्ण होने पर) के सेल्फ सफीशियेंट होने पर सरकार पूर्ण हो जाती है या सरकार के पूर्ण होने पर व्यक्ति पूर्ण हो जाता है, मैंने जनतंत्र के उसूलों को गुरुओं की सेवा में बैठकर पढ़ने की कोशिश की और हमें तो यही मालूम हुआ कि सिंगिल यूनिट (प्रत्येक व्यक्ति के पूर्ण) के सेल्फ सफीशियेंट होने से सारी व्यवस्था पूर्णता को प्राप्त हो जाती है, उससे राज्य भी पूर्ण हो जाता है। लेकिन यहां तो उल्टी धारा ही बहती है। कांग्रेसी विश्वास करते हैं कि शासन के पूर्ण होने से, सारी शक्ति सरकार के हाथ में आ जाने से, व्यक्ति पूर्ण हो जायगा ; व्यक्ति पूर्ण हो या न हो लेकिन जनतंत्र दूर्ण हो जायगा।

मैं आपके जरिये से उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इतने समय शासन का अनुभव प्राप्त करने के बाद भी अब वे अपनी दृष्टि को खोलें और जो सिद्धांत की बातें हैं उनको अपने दिमाग में साफ कर लें। क्योंकि जब जनतंत्र के संबंध में विचार साफ नहीं होता तो हुकूमत अपने हाथ में सारी ताकत लेने का प्रयत्न करती है। मेरा कहना है कि हुकूमत की यह कोशिश जनतंत्र के लिये घातक होगी क्योंकि जो राजनीति के पंडित हैं, उसके विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि जनतंत्र उस समय तक स्थापित नहीं हो सकता जब तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण न हो।

अब श्रीमन्, इसी अक्टूबर के महीने में हमारे सूबे में क्या आफत नहीं ढाई गयी, जनतंत्र को क्या चोट नहीं पहुंचायी गई। इसका थोड़ा सा वर्णन मैं आपकी आज्ञा से करना चाहता हूं। श्रीमन्, मंत्रियों के तूफानी दौरे हुये। स्थानीय निकायों के चुनाव के सिलसिले में मंत्रियों के दौरे हुये और जो जिस विभाग का मंत्री था उसने उस विभाग के सरकारी कर्मचारियों पर जोर डाला, जिसे मैं जनतंत्र के लिये घातक समझता हूं। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्रियों से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जब मैं यह बात कहता हूं तो सैद्धांतिक दृष्टि से ही कहता हूं लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनकी श्रद्धा हमारे दिलों में है, व्यक्तिगत रूप में हम उनका सम्मान

[श्री राजनारायण]

करते हैं लेकिन जब किसी मंत्री की गतिविधि जनतांत्रिक व्यवस्था पर कुठाराघात करती है तो श्रीमन्, अगर मैं उसके बारे में उंगली न उठाऊंगा तो मैं इस सदन में अपने कर्त्तव्य का पालन न करूंगा। मैं ही नहीं आगे आने वाली जनरेशन (संतान) भी यही समझेगी और बौद्धिक विकास वाले लोग भी यही ख्याल करेंगे। इसलिये श्रीमन् उस संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। जो म्युनिसिपल चुनाव हुये उनमें माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पूरे एक महीने का जौनपुर में दौरा किया।

श्री बेचन राम गुप्त (जिला बनारस)—प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, मैं जानना चाहता हूं कि इस सप्लीमेंटरी बजट का माननीय शिक्षा मंत्री से क्या संबंध है ?

श्री अध्यक्ष—आप कुछ जानना चाहते हैं, यह तो कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं हुआ।

श्री बेचन राम गुप्त—मेरा प्वाइण्ट आफ आर्डर यह है कि जो माननीय सदस्य कह रहे हैं उसका संबंध इससे नहीं है।

श्री अध्यक्ष—इससे वे उसका संबंध जोड़ेंगे। बात यह है कि इसके ऊपर आज जो रुपया मांगा गया है वह म्युनिसिपल एलेक्शन के बारे में है। तो उस पर वे सरकारी नीति के संबंध में कुछ कह सकते हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, अब मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं टीका नहीं चाहता।

श्री राजनारायण—मैं टीका नहीं कर रहा हूं। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी मंत्री हो, मैंने पहले ही निवेदन किया कि मैं उसके अनादर के लिये कोई बात कहता हूं ऐसी बात नहीं है। मैं इस सदन के तमाम सम्मानित सदस्यों से कहता हूं कि वे इस बात को सोचें कि मान लीजिये मैं ही मंत्री हो जाऊं, अगर हुकूमत की बागडोर विरोधी पार्टी के हाथ में आ जाय और उसका कोई मंत्री अपने किसी दुलारे को किसी म्युनिसिपल बोर्ड का चेयरमैन बनाने के लिये महीने से ज्यादा समय उसी शहर में खर्च कर दे, तो क्या यह हमारे लिये शोभनीय होगा? क्या इससे जनतंत्र विकसित हो सकता है ? क्या आप इससे जनतंत्र प्रणाली को मजबूत कर सकते हैं ? ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आगे इस चीज को रोका जाय। श्रीमन्, मैं तमाम अखबारों की फाइलें आपकी खिदमत में पेश करने के लिये लाया हूं जिसमें माननीय मंत्रियों के भाषणों की रिपोर्टें हैं। मैंने पंडित जवाहर लाल नेहरू को पत्र लिखा और पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के एलेक्शन के संबंध में जो पत्र लिखा वह अखबारों में प्रकाशित हुआ है। तो श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि स्थानीय निकायों के संबंध में जो भाषण माननीय मंत्रियों के हुए उनको इस सदन के सम्मानित सदस्य देखें। उनके भाषणों में ५ प्रिंसपिल के सवाल उठते थे। बहराइच में हमारे एक सम्मानित मंत्री जो उद्योग मंत्री हैं उन्होंने जो भाषण किया उसकी कटिंग मैं आपकी सेवा में पेश करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप डिटेल में नहीं जा सकते हैं।

श्री राजनारायण—मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, केवल संकेत मात्र कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—आप नीति के संबंध में ही कहें।

श्री राजनारायण—मैं नीति ही कह रहा हूं। श्रीमन्, इन तमाम मंत्रियों ने जो भाषण किये उसमें ५ प्रिंसपिल्स के सवाल उठते थे। एक तो यह कि गैर कांग्रेसी बोर्ड्स को आर्थिक सहायता नहीं दी जायगी। दूसरा सवाल...........

श्री अध्यक्ष——मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। मंत्रियों को ऐसे दौरों में जाना चाहिये या नहीं, इसकी नीति के ऊपर आप कह सकते हैं लेकिन मंत्रियों ने क्या कहा, कहां कहा, कैसे कहा, यह बात दूसरी है। इसके ऊपर आप नहीं कह सकते हैं।

श्री राजनारायण——श्रीमन्, अब मैं आपसे ही निवेदन करता हूं कि यह लोकल-सेल्फ गवर्नमेंट की बात है और लोकल-सेल्फ गवर्नमेंट के ही ऊपर सिद्धांत के रूप में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो वहां चुन कर आवे उसे अधिकार होता है फिर ३ वर्ष के लिये वह चांद सूरज की तरह अटल है।.....

श्री अध्यक्ष——मैं यह ठीक नहीं समझता हूं कि 'किसने क्या स्पीच दी' उस बाहरी स्पीच पर आप आज यहां टीका करें।

श्री राजनारायण—मैं प्रिंसिपल की बात कहता हूं। मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि उनके ये भाषण जनतंत्र प्रणाली पर कुठाराघात करने वाले हैं, इससे जनतंत्र की बुनियाद को करारी चोट पहुंचती है। ऐसे भाषण देने के बावजूद अगर किसी के दिमाग में तनिक भी शक हो कि यह उत्तर प्रदेश की सरकार जनतंत्रात्मक प्रणाली पर चलने वाली है तो मैं समझता हूं कि वह शक करने वाला व्यक्ति भी अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं कर पायेगा। इसलिये श्रीमन्, हमारे दिमाग में काफी सफाई है और मैं सफाई के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हमारे सरकारी मंत्रियों के दिमाग में यह बात थी कि उन गैरकांग्रेसी बोर्डों को आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी तो फिर चुनाव कराने का नाटक क्यों?

श्री अध्यक्ष——आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप कृपा करके बैठ जायं तो मैं समझा ही दूं।

मैंने पहले आपको टोका नहीं, चूंकि आपने एक सिद्धांत का सवाल पेश किया कि मंत्रियों को ऐसे दौरों में नहीं जाना चाहिये। और उस पर आप खर्चे का सवाल भी लगा सकते हैं कि मंत्रियों के जाने से इतना खर्च हुआ। चूंकि मंत्री २४ घंटे के जनता के सेवक हैं, इसलिये आपने यह विवाद किया और उनका समय खर्च होना, यह भी एक खर्च है, यह भी आप कह सकते थे, इस संबंध में कोई टीका टिप्पणी अनुचित नहीं है। किस मंत्री ने बाहर व्याख्यान में क्या कहा, अगर इसपर विवाद चलने लगे तो फिर आपने भी बाहर क्या कहा उस पर वे भी कहना शुरू करें तो यह बहस खत्म ही नहीं हो सकती। इस परिस्थिति में यह बजट डिस्कशन न होगा बल्कि पार्टी की नीति के संबंध में किसने क्या व्याख्यान दिया उसी संबंध में बहस हो जायगी। मैंने पहले इजाजत इसलिये नहीं दी थी कि आप व्याख्यानों के विषय पर टीका करें। सरकार की यह नीति है और उन्होंने क्योंकर यह व्याख्यान दिये इस पर आप टीका कर सकते हैं। लेकिन जब मैं व्याख्यानों के विषय पर बोलने की इजाजत ही नहीं दे रहा हूं तो उस पर आप कैसे टीका कर सकते हैं? आप उस पर टीका नहीं कर सकते हैं।

श्री राजनारायण——श्रीमन्, इस स्थानीय निकाय चुनाव के लिये जो इस बजट में अनुदान मांगा गया है इसके संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन अनुदानों की आवश्यकता ही नहीं थी। इस अनुदान की आवश्यकता क्यों नहीं थी, इसी 'क्यों' की मैं सफाई करना चाहता था और उसको यों करना चाहता हूं कि हमें कुछ ऐसा मालूम हुआ है कि हमारी सरकार की निगाह में पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित नहीं हो पायेगी यदि सरकार यह उचित नहीं समझेगी कि स्थानीय निकायों में वही लोग पदासीन हैं जो कि सरकार की रुचि के मुताबिक, उसके उसूलों के मुताबिक पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करें।

श्री अध्यक्ष——मेरे इतना समझाने के बाद भी आप नहीं समझे। आप मंत्रियों के बाहर के भाषणों पर फिर जा रहे हैं और उन पर टीका करना चाहते हैं।

श्री राजनारायण——यह मैं आपको अब स्पष्ट कर दूं कि आपकी रूलिंग से मैं डिसएग्री (असहमति प्रगट) करता हूं लेकिन उसका बाऊ डाउन (उसके सामने झुकते हुये) करता हुआ इस प्रश्न को इस समय यहीं छोड़ रहा हूं। मैं अपने दिल के जज़बात व्यक्त कर देना चाहता हूं इसलिये श्रीमन्, मैं इस अनुदान में एक एक करके जितनी बातें हैं उनको आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। रजिस्ट्री के बारे में तो मैंने कह ही दिया। अब राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य की व्यवस्था के लिये कुछ पैसों की आवश्यकता है।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)——श्रीमन्, आन ए प्वाइण्ट आफ आर्डर क्या कोई सदस्य कह सकता है कि आपकी रूलिंग से डिसएग्री करता हूं ?

श्री अध्यक्ष——जो मन में बात सत्य थी कि वह डिसएग्री करते हैं वह उन्होंने कह दी लेकिन उसके बाद रूलिंग को बाऊ डाउन भी तो कर दिया।

श्री राज नारायण——श्रीमन्, सिंचाई के निर्माण कार्य में कुछ पैसों की आवश्यकता बताई जा रही है। उसके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर फिर एक सैद्धांतिक सवाल पैदा हो जाता है और वह यह है कि आज उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई की व्यवस्था है मैं उसको देश के लिये हानिकारक समझता हूं, मैं उसको किसानों के लिये हानिकारक समझता हूं और मैं यह भी समझता हूं कि उससे उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पायेगी। हमारा, श्रीमन्, कहना है कि सरकार जो कुछ भी धन सिंचाई के लिये चाहती है अगर उसको इस तरह से खर्च करे जिससे ऐसे सिंचाई के साधन उपलब्ध हों जिन साधनों पर अपनी श्रमशक्ति किसान स्वतः लगा सके तो उत्तम हो। श्रीमन्, आज नहरों के बारे में बहुत चर्चा है, ट्यूबवेलों के बारे में बहुत चर्चा है। मैं इस संबंध में एक नोट तैयार करके श्रीमान सिंचाई मंत्री जी की सेवा में भेजने जा रहा हूं। मेरा ऐसा ख्याल है कि ट्यूबवेलों के लिये पैसा सरकार दे रही है लेकिन अपने अपने स्थानों पर लोगों ने ट्यूबवेल लगवाये हैं। उसमें उनका पैसा खर्च हुआ है। लेकिन एक गरीब किसान है मान लीजिये हमारे पास दो बीघा खेत है। उसकी सिंचाई अगर ट्यूबवेल से करेंगे और पानी खेत में देना हो तो कम से कम श्रीमन् हमें तीस-पैंतीस रुपये सिंचाई के लिये जरूर दे देने पड़ेंगे। हमारे पास दो बच्चे हैं, उन बच्चों की श्रम शक्ति को लगाकर, अपनी श्रम शक्ति को लगाकर अपनी पत्नी की श्रमशक्ति को लगा कर अगर कुएं से अपने बैलों को लेकर और मोठ लेकर पानी की सिंचाई कर सकते हैं तो हमारे लिये वही अच्छा है। हमारा फिर वही दृष्टिकोण इसमें आता है जो मैंने पहले ही निवेदन किया था कि आज राज्यशक्ति सरकार में ही सीमित है, व्यक्ति के हाथ में वह शक्ति नहीं पहुंचती, वह साधन नहीं पहुंचते जिन साधनों का इस्तेमाल वह खुद अपने लिये करे। यहां पर देखा जाय कि अगर सरकार पक्के कुएं की व्यवस्था हर दस बीघे पर कर दे और उसके लिये अगर सरकार के खजाने में धन की भी कमी हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसान अपनी श्रमशक्ति लगाकर कुयें खोदने के लिये तैयार हैं। सरकार को ज्यादा से ज्यादा ईंट का प्रबन्ध करना पड़ेगा, उसके लिये सीमेंट का प्रबन्ध करना पड़ेगा। अगर सरकार पांच सौ या छः सौ रुपये की मदद दे तो उसकी ही मदद से किसान अपने हाथों से ही वह साधन तैयार कर सकते हैं जिनसे वे अपनी सिंचाई कर सकते हैं।

चूंकि इस सदन में श्रीमन्, बहुत चर्चा दूसरी जगह की हो चुकी है जैसा कि अहरौरा बांध के सम्बन्ध में हुआ मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब राज्य कोष का धन खर्च किया जाय उस समय ऐसी भी उसमें व्यवस्था होनी जरूरी है जिससे कि उस धन का दुरुपयोग न होने पावे। अभी अभी

सिंचाई के बारे में एक बहुत ब्योरे का अखबार रजिस्ट्री से हमारे पास आया है। उसमें उन्नाव शारदा केनाल का भंडाफोड़ है... ।

श्री अध्यक्ष—आप उस अखबार के बारे में यहां पर कुछ नहीं कह सकते ?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, इसमें इस बात की व्यवस्था की गयी है कि जिसमें कई हजार रुपये के गबन की चर्चा है। तो जब इस तरह के गबन होते हैं उनको रोकने के लिये हमारी सरकार क्या कदम उठाती है जिससे आगे के लिये ऐसा न हो और किस प्रकार से लोगों में विश्वास पैदा करने के लिये सरकार कार्यवाही करती है जिससे यह भ्रष्टाचार न हो सके ? यहां पर आज सिंचाई मंत्री जी भी मौजूद हैं। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस ओर कठोर कदम उठावें। इस डिपार्टमेंट में जो यह भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसको मिटाने के लिये उनको कठोर कार्यवाही करनी चाहिये। श्रीमन्, आपकी इजाजत नहीं है, नहीं तो मैं इसको इस सदन में पढ़ कर सुनाता। अब मैं इसको उनकी खिदमत में भेजूंगा। इसके अलावा अब मैं उनसे यही निवेदन कर सकता हूं कि इस विभाग में जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है और बहुत ज्यादा फैला हुआ है उसको रोकने के लिये वह मजबूत कदम उठावें।

अब मैं, श्रीमन् उस अनुदान पर आना चाहता हूं जो कि १००, १०० रुपये की प्रतीक मांगें की गयी हैं जो कि शिक्षा के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जितना रुपया हमको देते हैं अगर उसी रुपये के व्यय करने की समुचित रूप से व्यवस्था की जाय तो उसमें इतनी गुंजायश हो सकती है कि अगर कहीं दूसरी जगह कुछ रुपये की आवश्यकता हो तो वहां पर रुपया दिया जा सके। इस सम्बन्ध में मैं केवल एक बात आपके द्वारा कहना चाहता हूं जो कि बनारस के संस्कृत कालेज से संबंधित है। वहां पर मार्च सन् १९५३ ई० तक २४,६०० रुपया वहां के लिये दिया गया था कि वहां की जो मैनुस्क्रिप्ट है उसके बारे में कम से कम पूरा रजिस्टर बनाने के लिये कि वहां पर कितनी पुस्तकें हैं यह मालूम हो सके, यह रुपया दिया गया था। आचार्य नरेन्द्र देव जी वहां पर गये थे। उन्होंने वहीं पर भाषण देते हुए कहा था कि सरकार इस काशी संस्कृत विद्यालय को एक संस्कृत की यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है लेकिन वहां पर जो मैनुस्क्रिप्ट्स हैं उनके लिये कोई रजिस्टर नहीं है तो उनके लिये कोई रजिस्टर होना चाहिये जिससे मालूम हो सके कि कितनी वहां पर पुस्तकें हैं और उनका क्या नाम है। मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार ने उस पर ध्यान दिया और उसने वहां पर कटलाग बनाने के लिये २४,६०० रुपया दिया। अब मैं श्रीमन्, यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग में इस धन का ऐसा दुरुपयोग हुआ कि मार्च तक उसको खर्च नहीं किया गया और उसको वहां से निकाल लिया गया। फिर वहां पर एक ऐसा छोटा सा प्रेस है, अगर उसको जाकर देखें तो शायद आपको मालूम हो कि किस प्रकार से वह काम कर रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है, जो प्रेस उस कटलाग को जल्दी छाप नहीं सकता था उस प्रेस को धीरे-धीरे छापने के लिये दिया गया है। उससे वहां पर काम नहीं चल सकता है। जहां तक मैं समझता हूं यद्यपि मेरी पूरी जानकारी नहीं है कि आया वह मैनुक्रिप्ट अभी तक छपकर तैयार हुआ है या नहीं मगर उस समय तक जब कि रुपया पूरा निकाला गया कोई कैटेलागर नहीं था। यह दुर्व्यवस्था आज है। मैं चाहता हूं कि शिक्षा विभाग ध्यान दे और शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह की गड़बड़ी है और जिस तरह से शिक्षा संस्थाओं को निजी लाभ के लिये प्रयोग में लाया जा रहा है वह आगे न हो और सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि ऐसी आदतें छूटें। शिक्षालयों में शिक्षा का काम हो और पार्टी पालिटिक्स का काम न हो। सरकार को तो किसी न किसी

[श्री राजनारायण]
कारण से वहां की गड़बड़ियों को दबाना पड़ता है। मैं आपके द्वारा, श्रीमन्, निवेदन कर दूं कि वहां के जो प्रिंसिपल हैं वह रिक्विजिट क्वालिफ़िकेशन नहीं रखते हैं। पारसाल भी मैंने कहा था कि वहां क्यों ठीक आदमी नहीं रखा जाता है? मुझे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी शिक्षा विभाग ने लिखा था उनका पत्र मेरे पास है, उन्होंने लिखा था कि आपकी शिकायत पर समुचित इन्क्वायरी हो रही है और उसके हो जाने पर उचित कार्यवाही होगी। साल डेढ़ साल का समय बीत गया लेकिन कुछ नहीं हुआ।

कहा गया था कि पब्लिक सर्विस कमीशन को गजट करने के लिये लिखा गया है कि प्रार्थना-पत्र मांगे जायं परन्तु आज भी वही प्रिंसिपल विद्यमान हैं और जो कुछ गड़बड़ी वह कर सकते हैं कर रहे हैं। जब ऐसी ऐसी अव्यवस्थायें हैं तो हम कैसे समझ सकते हैं कि हमें शिक्षा के काम के लिये पैसा देना चाहिये? जिस शिक्षा के लिये राज्य की इतनी गाढ़ी कमाई को खर्च किया जा रहा है और जब वह शिक्षा अच्छे नागरिक नहीं बना रही है और जब वह स्वतः भ्रष्टाचार पैदा कर रही है तो हम उसके लिये रुपया कैसे दें? अभी एक घटना मैं और बता दूं। जौनपुर में एक कालेज है वहां रेस्टोरेन्ट के लिये एक राजाराम सिंह हैं उनको एक कमरा दिया गया था और उनसे कहा गया था कि वह अपना रेस्टोरेन्ट खोल सकते हैं। परन्तु कुछ दिन बाद शिक्षा मंत्री जी के दिमाग में आया कि वह प्रजा सोशलिस्ट हैं और उस पार्टी के मेम्बर हैं...

श्री अध्यक्ष---यह आप मोटिव पर हमला कर रहे हैं। इसको आप वापस लें।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो उनको लिखित नोटिस दिया गया कि आपने माननीय शिक्षा मंत्री जी का अपमान किया है इसलिये आपका रेस्टोरेण्ट यहां पर नहीं रहेगा। मैं बाई चांस (संयोगवश) उस समय जौनपुर पहुंच गया और मैंने भी उस पत्र की कापी मांगी मगर मुझे वह कापी नहीं मिली क्योंकि उनके छोटे भाई से उसको प्रिंसिपल ने मंगवा लिया था और फिर उसे वापस नहीं दिया था। सम्मानित सदस्य यह न समझें कि मेरे मन में किसी के प्रति कोई रागद्वेष है बल्कि मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसी हालत के रहते हुये हम सही हालत में विद्यादान कैसे कर पावेंगे? अपने नागरिकों के लिये आगे आने वाली पीढ़ी के लिये कोई समुचित मर्यादा कैसे रख पावेंगे? वह समुचित मर्यादा हम नहीं रख पावेंगे अगर हमारी व्यवस्था इसी प्रकार की रही।

इसके बाद मैं जेलों पर आता हूं। अभी अभी अखबार में मैंने पढ़ा, जो कुछ भी माननीय गृह मंत्री जी के मुखारविन्द से निकलता है मैं उसको पढ़ लेता हूं। वह नहीं चाहते कि स्वतन्त्र भारत में जेल रहें ऐसा उन्होंने कहा है। जेलें कैसे खत्म होंगी यह वह ही जानें, लेकिन मैं उनकी भावना की क़द्र करता हूं और वह शुभ घड़ी देखने की मुझे इच्छा है जिस शुभ घड़ी में जेलें न रह जायंगी। मगर मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्रीमन्, आज जो व्यवस्था चल रही है इस व्यवस्था से जेल नहीं रहेंगे? यह एक तरफ तो माननीय गृह मंत्री जी जेल को नहीं रखना चाहते, दूसरी तरफ इसी लखनऊ में मैंने सुना है कि महिलाओं को बन्द करके रखने के लिये एक बहुत बड़े जेल का शिलान्यास हो रहा है, एक बहुत बड़ा जेल बनाने जा रहे हैं। तो ये दोनों बातें श्रीमन्, हमको बहुत असंगत प्रतीत हो रही ह। दोनों में कुछ मेल नहीं मालूम होता है। कहां हमारे माननीय गृह मंत्री जी उस उच्चादर्श को लेकर, उससे अनुभूति लेकर आगे एक नये समाज के बनाने की बात करें और कहां सरकार महिलाओं को भी बन्द करने के लिए यहां पर जेल खोले, जब कि श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि फतेहगढ़ जेल में थोड़ा सा पैसा खर्च करके, जहां तक मेरी जानकारी है, दो हजार या ढाई हजार रुपया खर्च करके वहां ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि जिसमें महिलाओं को अच्छे

तरीके से रखा जा सकता है और उनको कोई मुश्किल नहीं हो सकती, अगर महिलाओं को कैद करना यह सरकार जरूरी समझती है। मगर जब जनतन्त्र है तब मैं नहीं समझता कि ऐसा जरूर किया जाना चाहिये। मैं तो यह कहता हूं कि क्यों हम इस जेल के लिए एक पैसा भी मंजूर करें? जब कि इस तरीके से इसको खर्च किया जाय कि एक जेल जो पहले से बना हुआ है, उस जेल में थोड़ा सा पैसा खर्च करके थोड़ा सा रीऐडजस्टमेंट करके हम अपना काम चला सकते हों, वह न करें और एक गर्व का मान कराने के लिए हम एक ऐसे बड़े विशाल जेल की रचना करें जिससे कि हम दूसरे लोगों को, बाहरी दुनियां से जो लोग भ्रमण करने के लिए आवें, उनको दिखला सकें कि इस प्रदेश की राजधानी में महिलाओं को रखने के लिए ऐसे एक भव्य जेलखाने का निर्माण हुआ है।

श्रीमन्, इसी के साथ साथ मैं एक निवेदन और कर दूं। आप स्वतः और इस सदन के बहुत से सम्मानित सदस्य ब्रिटिश हुकूमत में जेल का कष्ट भोग चुके हैं। मगर श्रीमन्, मैं इस कांग्रेसी हुकूमत में पांच बार जेलखाने हो आया हूं। छठीं बार जाने की तैयारी है और वह शायद गोरखपुर के अन्दर श्रीमन् तीन आदमी पुष्प चढ़ाने जा रहे थे, उस समय गिरफ्तारी हुई थी, उसका अभी केस चल रहा है। पता नहीं कब फिर जाना पड़े। तो अभी पिछले अप्रैल में मैं गोरखपुर जेल में रह आया हूं। मैं आपसे यह निवेदन कर दूं कि अंग्रेजी हुकूमत में जेल में जितना सुख मुझे अनुभव होता था, उतना सुख अब नहीं मालूम होता। उस समय तो मैं जेल के अधिकारियों से लड़ जाता था अपनी किसी मांग को पूरा कराने के लिए, और उनको मजबूर करता था उसे मानने के लिए। मगर अब तो श्रीमन वह जेल के अधिकारी बराबर चले आते हैं और कहते हैं कि हमसे क्यों लड़ते हैं, आपकी सरकार है, जो कानून सरकार वहां पास करती है, उसी के अनुसार हम करते हैं। सरकार हमसे जो कहे वह हम करें। तो श्रीमन् यह एक अजीब परेशानी है, मानसिक परेशानी है और मानसिक संतुलन जब ठीक नहीं होगा तो श्रीमन् फिर देश बन नहीं सकता। देश को बनाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि पहले देश की साइकालाजी (मनोविज्ञान) ठीक करें। अगर देश का मानसिक स्तर ठीक नहीं है, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो फिर देश कदापि नहीं बन सकता, एक नहीं दस पंच-वर्षीय योजनाएं फेल होंगी, इसको हर एक को समझ लेना चाहिए और मान लेना चाहिए।

श्रीमन्, अभी अभी की एक घटना है, जिसको कि आप खुद आवश्यक समझेंगे। श्री गोपालनारायण सक्सेना, चेयरमैन, उत्तर प्रदेश, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के हैं, एक बड़ी पार्टी जिसको कि कम से कम इतना तो कांग्रेस पार्टी भी मानती है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एक पार्टी है। उनके कथनानुसार जिसके बुनियादी उसूलों में उनसे कोई विशेष फर्क नहीं है, यों तो मैं कहता हूं कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी वह पार्टी है जिसके उसूलों में और कांग्रेस पार्टी के और कम्यूनिस्ट पार्टी के उसूलों में जमीन और आसमान का फर्क है। तो मैं कहना चाहता हूं श्रीमन्, कि उसके चेयरमैन को जेल में किस तरीके से सताया गया, जेल में किस तरीके की मुसीबत दी गई। आजमगढ़ जेल में वह बन्द किये गये। आजमगढ़ जेल में बन्द करने से पहले क्या मुसीबत हुई वह तो मैं पुलिस विभाग के अनुदान के समय आपसे निवेदन करूंगा, वह तो ज्यादती पुलिस की थी। मगर जब जेल में गये तो जेल में समुचित समय पर कोई भी सामग्री उनको नहीं मिल पाती थी जब कि उनकी तबियत खराब थी। उनके शरीर में श्रीमन् एक ऐसा रोग है जिससे कि कुछ छोटे छोटे फोड़े निकल आया करते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने और वहां के मेडिकल आफिसर ने कहा कि उनका ट्रांसफर होना चाहिए। तो श्रीमन् श्री गोपालनारायण सक्सेना, वहां से मेडिकल ऐडवाइस (डाक्टरी राय) पर, मेडिकल ट्रीटमेंट (चिकित्सा) के लिए, बेटर ट्रीटमेंट (अच्छी दवा) के लिए लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल में आये। इस जेल में जब वह आये तो जेल के सुपरिन्टेंडेंट साहब, श्रीमन्, अब मैं क्या कहूं, वह तो व्यक्तिगत बातें हो जायंगी, उनको मैं निजी तौर से भी जानता हूं, श्री गोपाल नारायण सक्सेना

[श्री राजनारायण]

अपने साथ पान का एक पीकदान ले जाना चाहते थे। उसके लिए उनसे कहा गया कि इसको आपके साथ नहीं ले जाने देंगे और तीन घंटे तक वह फाटक पर बैठाये गये। उन्होंने कहा कि मैं इसको ले जाये बिना जाऊंगा नहीं और यह भी कहा कि अगर पुराने रेकार्ड को देखा जाय तो पुराने जमाने में "ए" क्लास से कम में मैं नहीं रखा गया था। वहां पर मेडिकल ग्राउंड्स पर हमारे लिए पान खाना जरूरी था, इसलिए हमको पान का पीकदान ले जाने की इजाजत दे दी गयी। लेकिन इस समय तीन घंटे उनको बैठाया गया और बहुत अनुनय-विनय करने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। सुपरिंटेंडेंट साहब आये और उन्होंने सक्सेना जी से बातें कीं। बाद में सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि हमारी आपकी, आपसी बातचीत हो गयी है, आप इसको ले जा सकते हैं। सक्सेना जी ने कहा कि हम ऐज़ ए प्रिविलेज आफ़ राइट (अधिकार समझ कर) ले जाना चाहते हैं, हम आपकी मेहरबानी और उदारता के साथ नहीं ले जाना चाहते हैं। आप इसके बारे में आई० जी० और जो आपके सुपीरियर अधिकारी हों उनसे पूछ लीजिये और तब हमको आदेश दीजिये।

फिर, श्रीमन् मुझे बहुत ही दुःख है कि ऐसे काम हम लोगों ने, हमारे माननीय मुख्य मंत्री और हमारे अन्य सम्मानित सदस्यों ने भी किये होंगे। जुलाई की ३१ तारीख को सवेरे जब श्री गोपालनारायण सक्सेना उठे तो एक विद्यार्थी था जिसका नाम था नित्यानन्द। वह बस्ती का था और पकड़ कर ३० तारीख की रात को लखनऊ छात्र आन्दोलन के सम्बन्ध में जेल में गया था। वह खून से तरातर था। उस लड़के को देखकर श्री गोपालनारायण सक्सेना की आंखों में आंसू आ गये। वह गये और अपना पाजामा और कुर्ता लाये और उन्होंने उस लड़के को पहनाया और पानी खुद गर्म किया और जो खून लगा हुआ था उसको धोया। श्रीमन्, इस घटना के ३ घंटे के बाद ही श्री गोपालनारायण सक्सेना, चेयरमैन, उत्तर प्रदेश प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हैज़ बीन ट्रांस्फर्ड (जेल का तबादला हो गया) और उनको सेंट्रल जेल में भेज दिया जाता है। वह पूछते हैं कि हमारे ट्रांफसर का क्या कारण है कि इतनी जल्दी बिना नोटिस दिए हुए, बिना किसी बात के बताये हुए हमको ट्रांसफर किया जाता है? हमने कौन सा अपराध किया? हम मेडिकल ग्राउंड पर यहां रखे गये हैं और हमको बताया गया है कि यहां पर बेटर ट्रीटमेंट होगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और उन्हें आदर्श जेल भेज दिया गया।

श्रीमन्, इन घटनाओं को देखते हुए मुझे बहुत ही निराशा होती है और मैं यह कहना चाहता हूँ कि क्या हम सब लोग अब उसी बात को दोहरायेंगे? और आज जो हमने सबसे बड़ा अपराध किया है जनता के साथ, वह यह किया है कि जनता के दिल से हमने विश्वास उठा दिया है। जनता आज समझती है कि किसी भी दल के राजनीतिक नेता में विश्वास न करो, चाहे कांग्रेस हो, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो या और कोई हो। क्यों? आप बारबार हमें आश्वासन देते हैं लेकिन हम कैसे यकीन करें? हमें कहा गया था कि जब अंग्रेजी हुकूमत टूटेगी तो गरीबी की कड़ियां टूट जायंगी, किसान प्रधान मंत्री होगा और जवाहरलाल जी सलाहकार होंगे। लेकिन मैं सम्मानित सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो एक देशव्यापी संगठन हो, उसके एक प्रान्त के चेयरमैन के साथ ऐसा व्यवहार किया जाय, यह एक जनता की प्रतिनिधि बनने वाली पार्टी के लिए शोभनीय नहीं है। कोई डिक्टेटरशिप हो, उसमें हमें कोई कत्ल कर सकता है, वहां बेरिया का झगड़ा हो तो उसे फांसी पर चढ़ा दो लेकिन जब तक यह सरकार कहती है कि हम जनतंत्र प्रणाली चलाते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तब तक ऐसी बात नहीं होनी चाहिए।

आगे, श्रीमन्, मैं आपके द्वारा जरा पुलिस अनुदान संख्या १७ के ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बड़ी खुशी हुई हमें यह देख कर कि तिब्बत की सीमा पर जो विषम

परिस्थिति पैदा हो गयी है उस विषम परिस्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार प्रयत्नशील है और सरकार उसके लिए कुछ पैसा ख़र्च करना जरूरी समझती है। हमें, श्रीमन्, इसमें तनिक भी आपत्ति नहीं है। हम चाहते हैं कि जो प्रतिक्रियावादी शक्तियां या विदेशी ताकतें हमारे मुल्क पर तनिक भी आक्रमण करने की बात सोचें या विचार भी रखती हों तो उनको कुचलने के लिए जितनी भी कोशिश की जाय वह होनी चाहिये। मैं बड़ी सफ़ाई के साथ कहना चाहता हूं कि चाहे वह रूस की ताकत हो, चाहे वह अमरीकन ताकत हो और चाहे वह इंगलैण्ड की ताकत हो, किसी भी बाहरी मुल्क की ताकत हो, अगर वह हमें गुलाम बनाने की कोशिश करेगी तो उसको नाकामियाब करने में उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ हमारा पूरा सहयोग होगा। मैं, श्रीमन्, इसको बड़ी सफ़ाई के साथ कहना चाहता लेकिन जरा सरकार भी तो अपने कर्तव्य को सोचे। क्या महज तिब्बत की सीमा पर एक छोटी सी पुलिस की टुकड़ी को लगा देने से हम इस कठिन कार्य को पूरा कर देंगे? हमें हिंसा और एग्रेशन को रोकना है। कम्यूनिस्ट पार्टी इसी पर चलती है, उसके पनपने के लिये तीन "एफ" हैं फियर (डर), फ्राड (धोखा) और फ्रस्ट्रेशन (निराशा)। उन दूसरी जमातों को भी जो कि बिल्कुल कैपिटलिस्ट विचारधारा को लेकर के चलने वाली हों उनको हम आगे बढ़ने देना नहीं चाहते।

हम तो चाहते हैं कि इस देश में जो कि पूज्य बापू की पुण्यभूमि है, सच्चा प्रजातंत्र हो, सच्चा स्वराज्य हो। सच्चे स्वराज्य की भी परिभाषा कम से कम यह सरकार समझे। सरकार समझे कि स्वराज्य का मतलब कांग्रेस पार्टी का राज्य नहीं, स्वराज्य का मतलब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का राज्य नहीं, स्वराज्य का मतलब किसी अन्य पार्टी का राज्य नहीं, स्वराज्य का मतलब है स्वराज्य, खुद राज्य। जब कि हर इंसान इतना पूर्ण हो कि वह अपने से किसी दूसरी ताकत को नियंत्रण करने के लिए अपने ऊपर न रखे। फ्राम दी रिअल्म आफ नेसेसिटी टु दि रिअल्म आफ फ्रीडम। जब मनुष्य विवशता से निकल कर स्वतन्त्र वातावरण में विचरण करे, तब श्रीमन्, मैं समझता हूं, स्वराज्य होगा। जरा इस सरकार के माननीय मंत्रीगण सोचें और विचार करें कि क्या यह सरकार उधर बढ़ रही है? श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक नहीं दस टुकड़ियां इस तरह की रखी जायं, सारे देश के लोगों के हाथ में तलवार दे दी जाय, मगर मुझे डर है कि वह तलवार जहां इस्तेमाल होनी चाहिए शायद वहां इस्तेमाल न होकर के दूसरी जगह इस्तेमाल हो। श्रीमन्, मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं। केवल १५ दिन की घटना है। मैं लखनऊ से बनारस की ओर जा रहा था। एक मिलिटरी मैन था। शायद कश्मीर से लौटा हुआ था। वह क्या कह रहा था? हर एक आदमी के दिमाग में यह बात आयी हुई है कि सन् १९५७ में कोई न कोई ग़दर होगा मुल्क में। लेकिन हमें डर है कि अगर सरकार हमारे कार्यक्रम को लेकर आगे न बढ़ी तो किसी न किसी रूप में ऐसी बात पैदा हो सकती है और ऐसी परिस्थिति आ सकती है जिससे डिक्टेटरशिप मुल्क में हो जाय। श्रीमन्, उसकी ओर मैं संकेत करता हुआ इस सदन में अगर उस पूरी कहानी को बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। मैं सोया हुआ था और वे चर्चा करते हुये चले जा रहे थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि अब भी सरकार को मौका है। वहां तिब्बती पहाड़ों के आस-पास रहने वाले नर नारी आज किस मुसीबत में हैं, उनकी मुसीबत का ख्याल कीजिये। आज वहां जो लोग मुसीबत में रह रहे हैं वह किसी बाहरी शक्ति के लिये परेशान हैं कि शायद कोई बाहरी शक्ति ही आये तो उन्हें छुटकारा मिल जाय।

श्रीमन्, एक बज रहा है लेकिन माननीय गृह मन्त्री जी अभी तक नहीं आये। गृह मंत्री जी ने श्रीमन्, १९४२ में सम्भवतः एक लेख लिखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि जय प्रकाश जी के ऊपर और सुभाषजी के ऊपर यहां की कम्युनिस्ट पार्टी यह दोषारोपण करती थी कि यह जापान से मिल करके हिन्दोस्तान पर जापानी ताकत को लाने के लिये प्रयत्नशील हैं। तब मुझे याद

[श्री राजनारायण]

आता है कि सम्पूर्णानन्द जी ने कम्युनिस्ट प्रयत्नों का विरोध करते हुये कहा कि इस प्रचार से काम चलने वाला नहीं है और आगे उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि कन्धा तो बदले। उन्होंने कहा था कि आज मुल्क अंग्रेजी साम्राज्यवादी कुचालों से ऊब गया है और मुल्क में लोग कन्धा बदलने के लिये ज्यादा लालायित हो गये हैं। अब मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि मुल्क में एक बड़ा सेक्शन अब बनता जा रहा है जो यह कहता है कि मुल्क का कन्धा बदले। अगर यह मनोवृत्ति ज्यादा लोगों के दिल में घर कर जायगी तो क्या आप की हालत होगी और क्या मेरी हालत होगी ?

उस दिन की कल्पना करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सोचता हूं कि आखिर क्या परिस्थिति पैदा होगी ? श्रीमन्, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि तिब्बत पर जो उथल-पुथल मचने वाली हो या जो हो रहा हो उसको आइरन हैंड से डील करना (कड़े हाथ से रोकना) चाहिये। लेकिन वहां के लोगों की साइकालोजिकल मनोवृत्ति को बदलने के लिये उनकी श्रम शक्ति का, उनके वस्त्र का, उनकी रोटी का, उनके निवास स्थान का, उनके बच्चों की तालीम का, रोगियों की दवा का, इन्तजाम होना चाहिये। जब तक सरकार यह इन्तजाम नहीं कर पायेगी तब तक चाहे सरकार हमसे पुलिस पर दसगुना ग्रान्ट ले ले, मगर सरकार अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पायेगी।

इसी पुलिस के सम्बन्ध में श्रीमन् मैं एक घटना निवेदन कर देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एक कार्यकर्ता श्री बागेश्वर यादव, वकील, आजमगढ़ के रहने वाले हैं जब वे गिरफ्तार हुये तब मैं भी उस मीटिंग में था। हम लोग किराये की टैक्सी से वहां गये थे। उनके गिरफ्तार होनेके बाद वहां की पुलिस से यह कहा गया कि पुलिस स्टेशन तक इस कार का इस्तेमाल कर लिया जाय। उन्होंने कहा कि इस टेक्सी पर नहीं बिठलायेंगे क्योंकि हमको हुक्म है कि हम पैदल ही लायें। श्रीमन्, घुटने भर पानी में, रात की बेला में, बागेश्वर यादव, वकील को घसीटते हुये ढकेलते हुये पुलिस थाने पर लाया गया चार मील और फिर बागेश्वर यादव को थाने से दूसरे दिन हाथों में हथकड़ी डाल करके लाया गया। वे कोई चोर नहीं थे, कोई डाकू नहीं थे, कोई ऐसे आदमी नहीं थे जो भाग जाते। उन्होंने श्रीमन्, नोटिस दे करके सत्याग्रह किया था। उन्होंने सत्याग्रह जिलाधीश को बता करके किया था कि मैं फलां तारीख को फलां स्थान पर सत्याग्रह करने जा रहा हूं। श्रीमन् व्यक्तिगत सत्याग्रह में शायद आप भी गये हों। उस सत्याग्रह में हमारा यह नारा था कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी हुकूमत द्वारा चलाई गयी लड़ाई में एक पैसा और धनजन से मदद देना हराम है। इतने नारे पर हम हथकड़ी पहन करके कभी नहीं गये। मगर यह कांग्रेस गवर्नमेंट की हुकूमत है यह जनतांत्रिक प्रणाली पर चलने वाली हुकूमत की पुलिस है। जरा इधर आप ध्यान दें, हम लोग बहुत परेशान हैं। आप हम लोगों के अधिकारों की यहां पर सुरक्षा करते-करते परेशान हैं। मगर मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जरा बाहर की दशा का भी ख्याल करें और बाहर की दशा का ख्याल करके थोड़ा सा हम लोगों पर रहम करें। मैं इस सदन के सदस्यों से भी कहूंगा कि जो हम इजहार करें उस पर वे गौर करें। हम किसी सत्ताधारी पार्टी को बदनाम करने के लिये यह बातें नहीं कह रहे हैं। हम वस्तविकता बतला रहे हैं। क्या यह सही है या नहीं जो मैं बता रहा हूं ? हमने जिलाधीश को फोन किया कि बागेश्वर यादव, जो बार असोसिएशन के मेम्बर हैं, वाइस चेयरमैन आफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, आजमगढ़ हैं, उनके साथ यह दुर्व्यवहार हो रहा है। आप यह भी देखिये कि पुलिस ने उनको खाना नहीं खिलाया। वहां कचहरी के पास एक होटल है। उनके साथी वकीलों ने जब देखा कि बागेश्वर यादव इस तरह से जा रहे हैं, तो उन्होंने उनको खाना खिलाया। जब जिलाधीश को मालूम हुआ कि बागेश्वर यादव गिरफ्तार हो करके आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी मोटर भेज दी। हम उनकी कुशलता की तारीफ करते हैं। यह नहीं कि उन्होंने न्याय से प्रेरित हो करके ऐसा किया। उन्होंने यह देखा कि अगर बागेश्वर यादव, वाइस चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, मेम्बर आफ बार असोसिएशन, सेक्रेटरी आफ

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, मेम्बर आफ प्राविंशल एक्जिक्यूटिव कौंसिल, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, इतनी सब उपाधियों को रखते हुये अगर होटल में रहेंगे तो चारों तरफ से कचहरी की पब्लिक घेर लेगी। इस तरह से जल्दी से कार भेज करके जिलाधीश साहब ने उनको जेल में भेजवा दिया।

मगर श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं और मैं अपने सम्मानित मंत्री जी से कहना चाहता हूं जिनको स्थान प्राप्त है हमारे में से कई लोगों के गुरु होने का भी, वह जरा इधर ध्यान दें और अगर ध्यान नहीं देंगे तो समय बीतता जा रहा है और इस रफ्तार से मुल्क भाग रहा है कि अगर आज से दस साल पहले की रफ्तार को देखा जाय तो आज की रफ्तार उससे ७ गुना ज्यादा है।

मैं श्री गोपाल नारायण सक्सेना के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। उनको चार मील पैदल ले जाया गया। रास्ते में पानी पड़ा हुआ था, फिर ऊपर से रोगी, दुर्बल काय, ऐसी हालत में ४ मील उनको दौड़ाना यह इसी जनतांत्रिक सरकार को शोभनीय है। इसके बाद मैं श्रीमन्, आपसे जन-स्वास्थ्य के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। इस बारे में हमारे एक सम्मानित सदस्य पहले ही बोल गये और उनसे मैं यह निवेदन कर दूं कि आजकल जनस्वास्थ्य की सुरक्षा हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर रही है। इस वक्त हमारे माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त जी नहीं है। मैं उन्हें बतलाता कि ४६ में २० हजार रुपया जो सामूहिक जुरमाने के रूप में वसूल हुआ था जिसको बनारस में अस्पताल बनाने के लिये दिया गया था उसका निर्माण आज तक नहीं हुआ। माननीय कमलापति जी उसके बारे में विशेष जानकारी रखते होंगे। एक बार नहीं चार बार निजी तौर पर मैंने पत्र लिखे कि उस रुपये की व्यवस्था कब होगी, वह भवन कब बनेगा लेकिन उस रुपये को आज तक खर्च नहीं किया गया। वहां के लोग तैयार हैं कि अगर रुपया कम हो तो और रुपया वे दे सकते हैं लेकिन सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण रुपया खर्च नहीं किया गया। ऐसी हालत में जन-स्वास्थ्य पर रुपया हम कैसे मंजूर कर सकते हैं? बनारस स्टेट में एक डाक्टर के० सी० रायजादा हैं। भदोई के मेडिकल आफिसर हैं। मैं संकेत के लिये कहना चाहता हूं कि इतना अमानवीय कार्य इस व्यक्ति ने किया है जिसका शोक वहां के नागरिकों को है। बेचनराम गुप्त जी ने बनारस में आकर इस सिलसिले में मुझसे बातें कीं और जब विधान सभा की कार्यवाही में वह सम्मिलित होने आये तो यहां भी उन्होंने चर्चा की। उसने एक स्त्री के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। बराबर लिखते लिखते कई महीने बीत गये हैं लेकिन कोई समुचित कार्यवाही नहीं हो रही है। इस तरह की अनेकों शिकायतें उसके बारे में हैं। तो मैं कहां तक आशा करूं कि यह सरकार कितनी दूर तक करप्शन (भ्रष्टाचार) को रोक सकेगी, दवाओं का समुचित प्रबन्ध कर सकेगी, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकेगी? हरगिज नहीं कर सकेगी। हर तरफ यह सरकार असफल हुई, यही नतीजा हम निकाल सकते हैं। इसके बाद मैं आपके द्वारा इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम चारों तरफ देखें, चाहे किसी भी विभाग को देखें, चारों तरफ करप्शन ही करप्शन दिखता है और परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कुछ कहा नहीं जाता। एक वाक्य में इतना ही कह सकता हूं कि अब इस सरकार के बूते की बात नहीं है। अगर देश को बचाना है तो पूरे तौर से इस सरकार को बदल देना चाहिये। इस सरकार को समझ लेना चाहिये कि उससे अब देश की आकांक्षायें पूरी होने वाली नहीं हैं। जब मैं सरकार कहता हूं तो मैं सरकार और पार्टी का अन्तर समझता हूं। माननीय सदस्य इस बारीकी को समझ लें कि ५ मूल तत्व होते हैं जनतंत्र में। व्यक्ति का स्थान अलग, पार्टी का स्थान अलग, सरकार का स्थान अलग, स्टेट का स्थान अलग और सोसायटी का स्थान अलग। जहां इनमें किन्हीं २ को मिला दिया जायगा वहां जनतंत्र नहीं चलेगा। जहां पार्टी और सरकार दोनों मिल जावेंगी वहां डिक्टेटरशिप आ जायगी। इसलिये पार्टी का भी फर्ज है कि सरकार पर काबू रखे। इस सरकार के कारनामों को देखकर हर व्यक्ति यही कहेगा कि इसने देश में, प्रांत में गरीबी, बेकारी और भुखमरी बढ़ाई है और इस तरह बहुत ही बड़ा अपराध किया है।

कुछ मैं स्टेट डिपार्टमेंट के बारे में भी कहना चाहता हूं। हमारे वित्त मंत्री जी यहां विद्यमान हैं जिनका इस विभाग से सीधा संबंध है इसलिये मुझे जुर्रत हुई कि उसकी कुछ चर्चा

[श्री राजनारायण]

कर दूं। वहां अभी चन्द महीने हुये एक असिस्टेन्ट स्टेट आफिसर की नियुक्ति की गई है जबकि हर तरफ पैसे की कमी बताई जाती है। दूसरे स्टेटों में भी आप देखिये, बम्बई, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ईस्ट पंजाब, आसाम, मदरास, हैदराबाद और मध्य प्रदेश में कोई स्टेट आफिसर नहीं है तो फिर यहां इसकी क्या आवश्यकता है? आपको श्रीमन्, मालूम होगा कि सन् १९४७ से पहले ऐसा आफिस नहीं था। सन् १९४७ में केवल एक श्री महबूब आलम खां को नैनीताल में मीटिंग करने के लिये रखा गया था। उसके बाद १९४७ में ही इस पद पर एक श्री लालसिंह की, जो कि सुपरिटेंडेंट के काडर के थे, नियुक्ति हुई। ४७ से आज ५३ का जमाना आ गया है और ५४ ही समझिये, बिलकुल इस डिपार्टमेंट का एक जाल सा बिछ गया, स्टेट आफिसर, असिस्टेंट स्टेट आफिसर, ५ केयर टेकर्स और बहुत से आदमी हैं। एक तो यह डिपार्टमेंट मंत्रियों की कारों का प्रबन्ध करता है जिनकी संख्या १२ है और १२ कारें दूसरी हैं। हमारे माननीय सदन के सदस्यों के स्थान की परिस्थिति देखना कि उनको जगह मिल गई है या नहीं, यह भी इसका काम है। इसके लिये एक असिस्टेंट स्टेट आफिसर की और नियुक्ति होती है और करीब ३०० आदमियों का जाल सा बिछा हुआ है। तो अब हमारे यहां सदस्यों के रहने की व्यवस्था भी बदल गई और करीब करीब परमानेंट सिस्टम (स्थायी व्यवस्था) हो गया और अब तो बिल्डिंग भी नहीं बन रही है, वह भी करीब करीब पूरी हो गई है, तो इस तरह से काम के कम होने पर भी नयी जगह पैदा की गई जिसको करीब ७०० रुपये की तनख्वाह मिलेगी और दूसरी तरफ छोटे लोगों की छटनी हो रही है मीनियल स्टाफ की। जो झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं उनकी छटनी होती है क्योंकि जहां दो आदमी काम कर रहे हैं वहां एक आदमी से काम चल जायगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी की खिदमत में भेज दूंगा। वह घबड़ाएं नहीं, बड़ी वैल्यूएबिल रिपोर्ट है। इसके बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि तमाम का ओवरहालिंग होना चाहिये, हर तरफ से ओवरहालिंग होना चाहिये, एक तरफ से काम नहीं चलेगा। मेरा सजेशन यह है कि असेम्बली विभाग में ही दो चार आफिसर्स की और वृद्धि करना हो तो कर दी जाय क्योंकि यह विभाग हमारी परिस्थिति को अच्छी तरह से समझ सकता है।

श्री अध्यक्ष--अब माननीय सदस्य अपने भाषण को थोड़ा सा संक्षिप्त कर दें क्योंकि और लोगों को भी बोलना है। आप अपने ऊपर नियंत्रण कर लें।

श्री राजनारायण--मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह जो एक ह्यूज डिपार्टमेंट (बढ़ा हुआ विभाग) स्टेट आफिसर का है उसको सरकार तोड़ दे और उसकी जगह पर ऐसी व्यवस्था कर दे, चाहे इसी सेक्रेटेरियट में ही कुछ और स्टाफ को बढ़ा दे। असेम्बली विभाग ही माननीय सदस्यों के रहने आदि की व्यवस्था करे या फिर पी० डब्ल्यू० डी० करे। इस समय स्टेट डिपार्टमेंट तो केवल एक पोस्ट आफिस का काम करता है, मुख्य काम पी० डब्ल्यू० डी० ही करता है। इससे जनता के धन का दुरुपयोग हो रहा है। मैं थोड़े में निवेदन करता हूं कि सरकार हमारी बात को समझे और इस डिपार्टमेंट को समाप्त कर दे और कम खर्च में ऐसी व्यवस्था करे जिससे हमें न तो कोई तकलीफ ही हो और न खर्चा ही ज्यादा हो। सबको सुख तथा सुविधा प्राप्त हो। अगर हमारे सजेशन (सुझाव) को सरकार नहीं मानेगी तो सरकार ने देश को तो चौपट किया ही है और निकट भविष्य में वह परिस्थिति पैदा करेगी जिसका सामना सरकार की कोई ताकत पुलिस तथा मिलिट्री नहीं कर सकती है। वह परिस्थिति जनशक्ति की होगी जो सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति को समाप्त करने के लिये होगी। जहां तक मेरा वश चलेगा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का वश चलेगा, वह इस शक्ति का प्रयोग शांति तथा अहिंसा के रास्ते पर चलकर करेगी लेकिन इसका दारोमदार सरकार की दकियानूसी नीति पर भी निर्भर है। यदि समय पर नहीं चेतेंगी तो अहिंसात्मक स्वरूप हिंसात्मक भी हो सकता है।

१९५३-५४ के अनुपूरक अनुदानों पर भाषणों के लिए समय की सीमा का निर्धारण

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूं कि समय निर्धारित कर दिया जाय। मेरा प्रस्ताव है कि प्रत्येक सदस्य के लिये १० मिनट का समय रखा जाय।

श्री अध्यक्ष--मैं और दलों के जो नेता हैं उनके लिये १५ मिनट किये देता हूं और १० मिनट साधारण मेम्बरों के लिये और माननीय मंत्री जी बोलें उनके लिये २० मिनट से अधिक नहीं होना चाहिये। परन्तु वित्त मंत्री जी या मुख्य मंत्री जी के लिये समय निर्धारित नहीं करता हूं। बाकी अपने अपने विषय के बारे में मंत्री गण बोलना चाहें तो २० मिनट उनके लिये दिये जायेंगे।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)--१५ मिनट या १० मिनट ?

श्री अध्यक्ष--१० मिनट।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--अध्यक्ष महोदय, यदि आज सदन का समय ५ बजे से ७ बजे तक बढ़ा दिया जाय तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष--इसके लिये आप कभी भी प्रस्ताव ले आयें।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)--अध्यक्ष महोदय, पूरक अनुदान को उपस्थित करने के बाद उस पर वादविवाद का अवसर लेते हुये, मैं आपके द्वारा कुछ ही अनुदानों पर अपने विचार उपस्थित करके, सरकार का ध्यान उस ओर दिलाना चाहूंगा। अभी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि लंच के बाद यदि आप बोलें तो ज्यादा अच्छा होगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

१९५३-५४ के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद-(क्रमागत)

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पूरक अनुदान के वाद-विवाद के अवसर को लेते हुये आपके द्वारा सरकार का ध्यान कुछ अनुदानों पर दिलाना चाहता हूं। जितना रुपया इस पूरक अनुदान के द्वारा सरकार माँग रही है उस रुपये के देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन एक आपत्ति मुझे जरूर है और वह अनुदानों के सिलसिले में जो तरीका बरता जाता है, उसके बारे में। जब जब बजट या पूरक अनुदान इस भवन के सामने आते हैं तब तब हमें वही आपत्ति होती है। मेरे विचार से सरकार जितना रुपया खर्च करती है उसके अपोर्शनेट अमाउन्ट को देखते हुए इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि उस रुपये का फायदा देहात की जनता को नहीं होता। सरकार की अनेक योजनायें हैं, अनेक स्कीम्स हैं, जिन पर करोड़ों रुपया व्यय किया जाता है और उनकी ओर जब हम ध्यान देते हैं और देहातों में रहकर माननीय सदस्यों ने देखा होगा और अगर ध्यान दिया होगा तो माननीय सदस्यों को मालूम हुआ होगा कि उतना फायदा ग्रामीण जनता को नहीं हो रहा है जितना कि होना चाहिये। हमारा देश शहरों का देश नहीं है। अगर सरकार की किसी योजना से ग्रामीण जनता को उतना लाभ नहीं होता जितना कि होना चाहिये तो यह कहना गलती न होगी कि देश को उतना लाभ नहीं हो रहा है जितना कि उस योजना से होना चाहिये। जब देश को फायदा नहीं हो रहा है तो उसके माने यह हैं कि सरकारी योजनाओं से सेंटर या जिलों के सदर मुकाम को ही लाभ पहुंच रहा है और इन्हीं दोनों के बीच पेपर योजना चला करती है। जनता का पैसा खर्च होने पर भी जनता को जो सहूलियतें और लाभ होने चाहिये वे नहीं हो पाते और न उसकी दिक्कतें ही दूर हो पाती हैं, जैसा कि हम और यह सरकार चाहती है।

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

श्रीमन्, अभी सामान्य प्रशासन पर अपने विचार प्रकट करते हुये माननीय राजनारायण सिंह जी ने कुछ मिनिस्टरों के दौरे, चुनावों में उनके भाग लेने और वहां जाकर स्पीचेज देने के संबंध में कहा। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि चुनावों में मिनिस्टरों को जाने का पूरा अधिकार है। उन्हें अधिकार है कि वे चुनावों में भाग लें क्योंकि वे कहते हैं कि हम मिनिस्टर की हैसियत से वहां नहीं जाते हैं, हम लोग पार्टी के आदमी होकर जाते हैं। परन्तु इतना मैं अवश्य कहूंगा कि मिनिस्टर चाहे वहां व्यक्तिगत रूप से जायं अथवा पार्टी की हैसियत से या मिनिस्टर की हैसियत से, वे पार्टी अथवा मिनिस्ट्री से अलग नहीं हो सकते।

मिनिस्टर और पार्टी के नेता दो अलग अलग व्यक्ति नहीं हो सकते। जब मिनिस्टर साहब देहात में पधारते हैं तो उनकी हिफाजत का इन्तजाम करना आवश्यक हो जाता है और उस इन्तजाम के लिये जिले के अधिकारियों का वहां रहना आवश्यक हो जाता है। इस तरीके से जनता के दिमाग में यह बात नहीं आ पाती कि फलां मिनिस्टर साहब नहीं बल्कि फलां साहब आये हुये हैं। इसलिये उनके उस व्यक्तित्व का असर चुनाव पर जरूर पड़ता है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि यदि कोई मिनिस्टर साहब चुनावों में भाग लेना चाहते हैं तो उनको कुछ हिम्मत से भी काम लेना होगा और उनको यह भी जिलाधीश से कहना होगा कि हम वहां व्यक्तिगत हैसियत से जा रहे हैं इसलिये हमारे लिये कोई भी इंतजाम नहीं होना चाहिये। किसी भी जिला के पदाधिकारी को हमारे लिये वहां नहीं होना चाहिये और न हमारी हिफाजत का ही कोई इन्तजाम किया जाय। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि हमारे किसी देहात या शहर में कहीं भी किसी मिनिस्टर को कोई खतरा नहीं है। इसलिये यदि कोई मिनिस्टर एक पार्टी के लीडर की हैसियत से वहां जायं तो मैं समझता हूं उस समय जिले के पदाधिकारी उनके साथ न हों तो अच्छा है और मैं तो यह कहूंगा और क्षमा करेंगे हमारे मित्र कि मिनिस्टर साहबान के जाने से कम से कम मेरा तजुरबा तो यह है कि उनकी पार्टी को ज्यादा मदद मिलती नहीं है। जनता इसे पसन्द भी नहीं करती है। यहां तक कि मेरा एक छोटा सा कसबा है, वहां पर श्री पंत जी, हमारे मुख्य मंत्री, पधारे थे लेकिन जब वहां के लोगों ने सुना कि मुख्य मंत्री जी आ रहे हैं तो जनता को यकीन नहीं हुआ। वह कह रहे थे कि इस छोटे से म्युनिसिपल चुनाव में पंत जी कैसे आ जायेंगे? लेकिन वह पधारे। तो पंत जी हों या और कोई, इससे कांग्रेस पार्टी को कोई मदद मिलती भी नहीं है। हां, अपनी अपनी जगह पर हर व्यक्ति का असर पड़ता है और वे मिनिस्टर साहबान भी प्रभावित कर सकते हैं, उसका उनको पूर्ण अधिकार भी है लेकिन मैं समझता हूं कि आइन्दा जब मिनिस्टर साहबान वहां जायें तो जिले के पदाधिकारी उनके साथ न हों, सिक्योरिटी मेजर्स वगैरह न किये जायं तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे और किसी पार्टी के नेता जाते हैं वैसे जायं तो उसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्रीमन्, शिक्षा के अनुदान में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के लिये कुछ रुपया रखा गया है जो दिया जायगा और इसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। साफ तौर से जब सरकार की भी यही नीति है कि हिन्दी को ऊंचा उठाय जाय लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात की ओर संकेत करता हूं। रिफार्मिस्ट जील में हिन्दी में ऊंटपटांग शब्द गढ़ कर रख दिये जायेंगे तो इससे हिन्दी मर जायगी, जिन्दा नहीं रह सकती। मैंने अखबार में पढ़ा था कि मध्यप्रदेश में कोई रघुबीर साहब हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार के लिये कुछ अनुवाद किया। मैं पूछता हूं कि अगर हमारी सरकार अपनी खतोकिताबत में कुर्सी के बजाय 'आसंडी' कहने लगे तो उससे हिन्दी मरेगी। ब्लाटिंग पेपर को मासी चूस समझने में कितने साल लग जायेंगे।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--"मासीचूस" नहीं 'मसिचूस' कहते हैं।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह--मसिचूस ही सही, चूसना तो हुआ ही। श्रीमन्, "मैनुस्क्रिप्ट" डुलिपि" और "आइंटमेंट" को "स्नेहलेप" कहने लगें तो क्या हो जायगा? यह सब क्या

तमाशा है। मैं कहता हूं कि जितना ही हिन्दी का प्रचार किया जाय उतना ही अच्छा है परन्तु यदि इस भावना को लेकर चलेंगे कि अंग्रेजी या उर्दू के कोई भी शब्द चाहे वे जितने अच्छे हों, चाहें हम उन्हें जितना समझते हों उनका अनुवाद करना आवश्यक है तो मैं समझता हूं कि यह हिन्दी पर कुठाराघात है और हिन्दी इस तरह जिन्दा नहीं रह सकती।

श्रीमन्, पुलिस के अनुदान में हमसे कहा गया है कि तिब्बत की सीमा पर हमें कुछ टुकड़ियां रखनी हैं सिक्योरिटी परपजेज के लिये। मुझे मालूम नहीं श्रीमन्, कि यह किस भावना को लेकर या किस खतरे को देखकर यह किया जा रहा है, लेकिन अगर कोई हमले का खतरा है तो मैं सहमत हूं श्री राजनारायण जी से कि फिर इन टुकड़ियों को रखने से कोई फायदा नहीं होगा। एक दूसरी बात इस संबंध में और भी है कि बाहर के खतरों का हम इंतजाम करें लेकिन उसके बावजूद जो असल खतरा है उसकी ओर कोई ध्यान न दें यह ठीक नहीं है। यह जो डेलीगेशंस का हमला होता है मुझे मालूम नहीं है कि अगर कोई फ्रेंडली, कोई दोस्त है, कोई देश ऐसा है जो मित्रता रखता है उसके डेलीगेशंस आते हैं एक तरफ तो यह होता है और दूसरी तरफ हम उसी से खतरा समझते हैं और बार्डर पर २० लाख या एक करोड़ रुपया खर्च करते हैं। हमें यह करना चाहिये कि ये डेलीगेशंस के हमले कम हो जायं और इस पुलिस के बारे में कुछ निवेदन करूंगा। मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है सरकार की हमेशा यह कोशिश रही है कि पुलिस अपनी भावनाओं को बदले और पुलिस अब अपने को जनता का सेवक समझकर काम करे।

मैं सरकार को बधाई देता हूं कि जहां तक गजटेड अफसरों का प्रश्न है उन्होंने अपनी भावनाओं को और अपने वातावरण को बिलकुल बदल दिया है। परन्तु श्रीमन्, वे लोग जिनसे जनता का सम्पर्क रहता है, ग्रामीण जनता से सम्पर्क रहता है सब-इन्स्पेक्टर, कांस्टेबिल वगैरह मैं दावे के साथ इस बात को कहूंगा कि उनकी भावना बदली नहीं है बल्कि और भी दूषित हो गयी है और वे और अत्याचार करने लग गये हैं और जनता को अपना वे मालिक नहीं समझते हैं और जनता का अपने को सेवक नहीं समझते हैं। आप देखें कि राज्यपाल महोदय से लेकर आई० जी० पुलिस तक जहां भी अवसर होता है यह कहते हैं कि जनता को साथ देना चाहिये तो फिर जनता का साथ कैसे मिले इस पर जरा आप ध्यान दें। जनता की रक्षा के लिये रात को पुलिस की टोलियां भेजी जाती हैं। उसमें यह होता है कि जहां पर जाते हैं वहां पर वह जबर्दस्ती खाना खाते हैं और पैसा भी लेते हैं। और बहुत जगह के लिये तो यह सुनने में आया है कि उन्होंने औरतों की इज्जत भी ली है। तो इस प्रकार के रवैये से यह आशा कैसे की जाती है कि जनता सहयोग देगी?

कहा जाता है कि जनता का सहयोग नहीं मिलता है। किसी डकैती की मदद के लिये सबूत नहीं मिलता है। जनता किस प्रकार से साथ दे जब उनके साथ पुलिस अपना उस प्रकार का बरताव नहीं करती है जैसा कि करना चाहिये। अगर किसी जगह की पुलिस की रिपोर्ट की जाती है कि पुलिस वहां जाकर इन्क्वायरी करे तो ४, ५ महीने के बाद पुलिस इन्क्वायरी करने आती है और लोग उस समय तक अपना हाल सब भूल जाते हैं तो ऐसी भावना के अन्तर्गत जनता का सहयोग पुलिस को नहीं मिल सकता है। जनता का सहयोग पुलिस को तभी मिल सकता है जैसा कि गजटेड अफसरों ने अपने रवैये को बदला है उसी प्रकार से यह छोटे सब-इन्स्पेक्टर और कांस्टेबिल भी अपने रवइये को बदलें और अपने को जनता का सेवक समझने लग जायं। जितना सहयोग पुलिस चाहती है और सरकार चाहती है वह तभी मिल सकता है जब कि पुलिस जनता की सेवक बन जाय और जनता की रक्षक अपने को समझे। आज हालत यह है कि किसी गांव में अगर सब-इन्स्पेक्टर और कांस्टेबिल चले जाते हैं तो वह भय के मारे दूसरी जगह चले जाते हैं और छिप जाते हैं। लेकिन जब पुलिस की भावना बदलेगी तभी जनता के साथ उनका अच्छा बरताव हो सकता है और तभी जनता का सहयोग प्राप्त हो सकता है। इसलिये मैं फिर कुछ न कहकर इतना ही निवेदन करूंगा कि यदि आप जनता का सहयोग चाहते हैं तो इन लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन होना जरूरी है।

श्री बेचन राम गुप्त (जिला बनारस)--श्री उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय राजनारायण जी के भाषण को ध्यानपूर्वक सुना और सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने भाषण में बहुत सी बातें कही थीं जिनका संबंध इस सप्लीमेंटरी बजट से नहीं था। मैंने उनकी प्रजातंत्र की बातें सुनीं जिनका जिक्र वह अक्सर समय समय पर किया करते हैं और इस सप्लीमेंटरी बजट से उनका कोई संबंध नहीं था। मैं यह कहूंगा कि उन्होंने उस दृष्टि से इस सप्लीमेंटरी बजट पर विचार नहीं किया जिस दृष्टि से उनको विचार करना चाहिये था। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यह एक परम्परा सी हो गई है कि सप्लीमेंटरी बजट इस सदन में लाया जाता है। क्या मैं श्री राजनारायण से पूछ सकता हूं कि वह कौन-सी स्टेट्स हैं कि जहां सप्लीमेंटरी बजट नहीं लाया जाता है? अगर वह बजट मैनुअल या फाइनेंशियल रूल्स देखें तो उनको मालूम होगा कि सप्लीमेंटरी बजट का आना साल भर में या ६ महीने में बहुत जरूरी है और वह बहुत बड़ी दिक्कत को हटा देता है। अगर ग्रांट्स में बचत होती है या कमी होती है तो यह जरूरी हो जाता है कि सप्लीमेंटरी बजट में उनको एडजस्ट कर लिया जाय और कभी कभी ऐसे आइटम्स पर भी सप्लीमेंटरी बजट लाना जरूरी हो जाता है जिन की वर्ष के बीच में जरूरत पैदा हो जाती है। परन्तु उन्होंने कहा कि सप्लीमेंटरी बजट की एक प्रथा सी हो गई है। मैं निवेदन करूंगा कि अगर इस दृष्टि से देखें तो सप्लीमेंटरी बजट बहुत ही अच्छा और जरूरी चीज है। पिछले कई वर्ष से सप्लीमेंटरी बजट देखने का मुझे मौका मिला है परन्तु मैं समझता हूं कि इस साल जो सप्लीमेंटरी बजट सदन में आया है वह बहुत ही अच्छा है। इसमें ५२ ग्रांट्स में से केवल ९ ग्रांट्स ऐसी हैं जिसके लिये सब्सटेंशियल रुपया मांगा गया है और बाकी तो सौ सौ रुपये की टोकन ग्रान्ट्स ही हैं और किसी में भी ४०० रुपये से अधिक नहीं मांगा गया है। इससे अच्छा और क्या हो सकता था।

श्री राजनारायण जी ने इरिगेशन के बारे में कहा कि सरकार की ट्यूबवेल्स की योजना गलत है और यह भी बताया कि उन्होंने इरिगेशन के बारे में एक योजना बनाई है जिसको वह सरकार के पास भेज रहे हैं। उनकी पूरी योजना तो मुझे नहीं मालूम है लेकिन उन्होंने इतना बताया था कि सरकार दस दस बीघे पर पक्के कुयें बनवा दे। मैं उनसे नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि सरकार ने अपने बजट में जहां तक पक्के कुओं का संबंध है काफी रुपया पहले से ही रख दिया है और उस से जनता को काफी फायदा हुआ है। ऐसा किया गया है कि जो पक्का कुआं बनवायेगा उसे ४०० रुपया सरकार से मिलता है। उन्होंने ट्यूबवेल्स का विरोध किया। मैं उन से निवेदन करूंगा कि जहां तक बनारस जिले का संबंध है वहां सिवाय ट्यूबवेल्स के कोई ऐसी योजना नहीं है जिससे सिंचाई का काम चल सके। इसलिये मैं उनकी इस बात का विरोध करता हूं कि बनारस में ट्यूबवेल्स की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ग्रांट नम्बर १२ के बारे में कहा कि ३ लाख का खर्च एलेक्शन की मद में रखा गया है। मैं माननीय राजनारायण जी को बताना चाहता हूं कि यह रुपया क्यों रखा गया है। उनको मालूम होगा कि पहले मार्च में चुनाव होने वाले थे लेकिन वे नहीं हो सके। वह जाकर अक्टूबर में हुये। मैं समझता हूं कि यह ३ लाख रुपये का खर्च भी जरूरी था और हमें इसे मंजूर करना चाहिये, क्योंकि इसके बगैर चुनाव हो ही नहीं सकते थे। हमें इसको भी पास करना चाहिये।

दूसरी ग्रांट नम्बर ३२ है जिसके लिये ४ लाख रुपया रखा गया है। माननीय राजनारायण जी जानते हैं कि पूर्वी जिलों में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ और किसानों की तकावी व टेस्ट वर्क्स के लिये यह ४ लाख रुपया रखा गया है और जो छोटे मोटे काम हैं वह इससे हो सकते हैं। इसी तरह से ग्रांट नम्बर ४५ पर ८३ लाख ३२ हजार रुपया है। यह सिन्दरी की फरटिलाइजर फैक्ट्री के लिये है। हर एक स्टेट को अपने लिये फरटिलाइजर खरीदने पड़ते हैं जिसके लिये यह ८३ लाख ३२ हजार का खर्च दिखाया गया है और उसका जहां तक मैं समझता हूं ठीक ट्रांसफर संयुक्त प्रांत सरकार के एकाउन्ट से उनके सेंट्रल एकाउन्ट में चला गया है। तो यह भी बहुत जरूरी है कि हम इस आइटम को मंजूर करें, क्योंकि इसके

बग़ैर मंजूर किये हुये काम नहीं चल सकता है और फर्टिलाइजर खेती के लिये बहुत जरूरी है। उसी तरह से ग्रांट नं० ४७ में ३० लाख ४सौ रु० की आवश्यकता बताई गई है और उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरा ख्याल है कि रुपया मिला है जिसमें कि कानपुर या और जो इंडस्ट्रियल टाउन हैं वहां पर छोटे छोटे मकान मजदूरों के लिये बनाये जावेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी रुपया इस ग्रांट के जरिये मांगा गया है वह रुपया बहुत जरूरी है और हमको उसे मंजूर करना चाहिये।

दूसरी बात जिसकी तरफ कि हमारे बाबू राजनारायण सिंह जी ने सरकार का ध्यान दिलाया, यह है कि सरकार टोकेन ग्रांट १०० रु० का मांगती है और वस्तुस्थिति पर परदा डालती है। अगर वह कोई भी फाइनेंशल बुक उठाकर पढ़ें या बजट मैन्युअल उठाकर देखें तो उसका यह नियम है कि जब एक मेजर हेड में कई सबहेड्स होते हैं और एक सब हेड से दूसरे सब हेड में रुपया ट्रांसफर होता है तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती और इसके लिये एक टोकेन ग्रांट रख दी जाती है इस वास्ते कि वह एक फार्मल चीज होती है। इसमें वस्तुस्थिति पर कोई परदा डालने की बात नहीं है। एक बात की ओर मैं खास तौर से वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा और वह यह है कि सप्लीमेंटरी बजट पास होने के बाद जो डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, जिनको खर्च करना होता है उनके पास सैंक्शन अथारिटी नहीं जाती है। बहुत देर में जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि साल के अन्त में लोग जल्दी जल्दी खर्च करने लगते हैं ताकि किसी तरह से रुपया खर्च हो जाय। ऐसा करने से रुपया गलत कामों में भी कभी कभी खर्च हो जाता है। हमको १९५० और १९५१ का हिसाब देखने का मौका मिला। हमने देखा कि इलाहाबाद में, मैं उस इंस्टीट्यूशन का नाम तो नहीं लूंगा। लेकिन वहां पर उन्होंने आख़िर में देखा कि उनकी मद में रुपया है मगर वह खर्चा नहीं हो पाया है, तो उन्होंने किसी फर्नीचर वाले को एडवांस दे दिया क्योंकि इतना समय नहीं था कि कायदे से वह फरनीचर खरीदते। तो यह बहुत गलत तरीका है कि इस तरह से साल के अन्त में रुपये को निकाल कर जल्दी जल्दी खर्च कर दिया जाय। ज्यादा अच्छा यह है कि जो सैंक्शनिंग अथारिटी है, डिपार्टमेंटल हेड्स के पास वह ऐसे समय पर दे दी जायं जिससे वह उस रुपये का सदुपयोग कर सकें? यह भी देखा गया है कि खर्च तो हम करते हैं लखनऊ में और हिसाब रहता है इलाहाबाद में। डिपार्टमेंटल हेड को कुछ पता नहीं रहता है कि उनका हिसाब किस तरह से चल रहा है। उसमें कभी एक्सेस हो जाता है, कभी बचत हो जाती है। तो यह भी एक बहुत गड़बड़ी की बात है, क्योंकि उनको कुछ पता तो रहता नहीं है। इसलिये कुछ ऐसी व्यवस्था की जाय कि जिसमें पता चलता रहे कि जो रुपया वे खर्च कर रहे हैं वह अपनी ग्रांट के अन्दर खर्च कर रहे हैं या उसके बाहर ले जा रहे हैं, एक्सेस हो रहा है या बचत हो रही है, क्योंकि बचत का होना भी खराब है और एक्सेस का होना भी खराब है। इस वास्ते उसके लिये कोई न कोई उपाय सोचना चाहिये जिससे कि एकाउन्ट ठीक से रक्खा जाय। दूसरी बात यह कि बहुत से ग्रान्ट इतने लम्बे हो गये हैं कि उन पर कंट्रोल होना मुश्किल हो जाता है जैसे कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिये, ग्रान्ट नम्बर १२ या ऐग्रीकल्चर का ग्रान्ट ले लीजिये। उसके भीतर इतने डिपार्टमेंट्स हैं कि जो डिपार्टमेंट के हेड्स खर्चा करते हैं, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और आख़ीर में जब साल भर बाद हिसाब होता है तो मालूम होता है कि इतने रुपये की बचत हो गई। जब कहा जाता है तो कहते हैं कि जहां पांच पांच, छः छः करोड़ का बजट है वहां पर एक लाख दो लाख की बचत होती है तो कोई ज्यादा नहीं है। इस वास्ते मैं निवेदन करूंगा कि जो बड़े बड़े ग्रान्ट हमारे बजट में हैं जिनका अभी मैंने वर्णन किया, जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन, ऐग्रीकल्चर वग़ैरह, उनको तोड़ दिया जाय और तोड़ करके उसमें दो तीन ग्रांट कर दिये जायं। १ करोड़ १७ लाख ५३ हजार एक सौ रुपये का ग्रान्ट जो है वह कर्ज़ के रूप में लोकल बाडीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, नोटीफाइड एरिया वग़ैरह को दिया जाता है। मगर मैं यह देखता हूं कि वह खर्च नहीं कर पाते हैं और दोबारा उनको वह ग्रान्ट दे दिया जाता है। तो उनका कोई सार्टिफिकेट भी समय पर नहीं आता कि उन्होंने उस रुपये को यूटिलाइज़ किया। इस बात का भी ख़याल रखा जाय कि जब ग्रान्ट किसी

[श्री बेचनराम गुप्त]

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड को दी जाय तो जब तक उस ग्रान्ट का उपयोग न कर लें तब तक और ग्रान्ट न दी जाय।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ध्यान के साथ विरोधी पार्टी के नेता श्री राजनारायण सिंह के व्याख्यान को सुना। आशा थी कि उसमें से कुछ सुझाव मिलेगा, जिससे सदन को फायदा होगा, लेकिन निराशा हुई। आपने बहुत सोच समझ कर यह बतलाया कि तिब्बत के सामने जो तैयारी हो रही है वह काफी नहीं है, और हेल्प करनी चाहिये और सिर्फ तलवार, बन्दूक और दूसरे हथियारों से ही रक्षा नहीं हो सकती है, बल्कि हमारे सोशलिस्ट प्रोग्राम को मंजूर कीजिये, ताकि पब्लिक की हमदर्दी आप के साथ हो जाय, वह काफी होगा। पेट भरने का प्रोग्राम वही जो आप का है और वह सोशलिस्ट तरीके से हो सकता है। एक ही बात है। शब्दों के बदलने से भाव नहीं बदलता। इस प्रोग्राम पर बहुत व्याख्यान हुए, पब्लिक को समझाया गया, लेकिन पब्लिक नहीं समझती। मैं अर्ज करता हूं कि बर्मा में सोशलिस्ट हुकूमत है, लेकिन वहां भी सशस्त्र बगावतें हुईं। इसलिये यह ख्याल कि सोशलिस्ट हुकूमत आने के बाद सब के सब खुश हो जायंगे, मुखालफत बन्द हो जायगी यह ग़लत बात है। चीन में और पूर्वी जर्मनी में कम्युनिस्ट हुकूमत है, लेकिन पूर्वी जर्मनी में लोग बगावत करते हैं। सोशलिस्ट हुकूमत को किसान और मजदूरों को भुनना पड़ता है। रूस में कम्युनिस्ट लीडर ही, बेरिया वगैरह, गिरफ्तार हैं। इसलिये इसमें कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है कि कम्युनिज्म आ जायगा तो सब लोग संतुष्ट हो जायंगे।

इसके अलावा आप ने एक मजेदार बात कही है कि अंग्रेजों के जमाने में जेलखाने में आराम था, इज्जत की निगाह से लोग देखते थे, कर्मचारी लिहाज करते थे और अब तकलीफ हो गयी। शिकायत करते हैं जेलर और सिपाहियों की कि हमारे लिए कुछ नहीं हो पाता। ठीक फरमाया। पुलिस अंग्रेजों के जमाने में हमारे साथ रिआयत करती थी, अब ज्यादा सख्ती करती है। इसको जोरदार शब्दों में कोई साधारण आदमी कहता तो मुझे ताज्जुब नहीं होता, लेकिन एक पढ़े लिखे लर्नेड व्यक्ति जब कहते हैं तो मुझे ताज्जुब नहीं होता है कि ऐसे बुजुर्ग इस पर ग़ौर क्यों नहीं करते। जरा ग़ौर फरमाइए कि स्वदेश को स्वतंत्र कराने के लिए, मुल्क की आजादी के लिये, दुश्मनों को निकाल कर बाहर कर देने के लिए क़ानून तोड़ना और बात है और अपनी पार्टी को पावर में लाने के लिए क़ानून तोड़ना दूसरी बात है। एक गाली सगा साला देता है तो तबियत खुश हो जाती है और वही गाली दुश्मन देता है तो तबियत जल जाती है। इसलिए अंग्रेजों को निकाल कर बाहर करने वालों में और उन देश-भक्तों में जो कि मुल्क के लिए जान देते हैं, जिनके पांडित्य, योग्यता, सूझ-बूझ, होशियारी, त्याग के सभी कायल हों उनको हटाकर बैठने में बहुत फर्क है। यही चीज है, जिसको जेल के लोग जानते हैं कि कानून की पाबन्दी न करने वालों के साथ क्या सलूक होना चाहिये। मैं भी जेल में रह चुका हूँ और वहां हमको लोग इज्जत की निगाह से देखते थे, वहां के जेलर कहा करते थे कि "शुक्ल जी, हम सिर्फ छोड़ नहीं सकते जेल से आपको, बाकी हर आजादी दे सकते हैं, जो चाहें आप करें।" एंग्लो-इंडियन जेलर थे। उन्होंने कहा कि जो काम कहिये कर सकता हूं लेकिन छोड़ नहीं सकता। उस वक्त में और अब में बड़ा फर्क हो गया है। उस वक्त हम दूसरों से लड़ते थे और अब हम अपनों से लड़ते हैं।

हुजूरवाला, पुलिस वालों की बड़ी-बड़ी शिकायतें की गईं। साथ ही साथ यह भी फर्मा दिया गया होता कि पुलिस ने कितना काम किया, किस किस तरह से उसने कंट्रोल किया, थोड़ी सी तनख्वाह पर और किस तरह से वह अपनी जान को हथेली पर लेकर डाकुओं को मार सकते हैं। मैं नहीं कहता कि सब पुलिस वाले देवता हैं। जिस तरह से पब्लिक है, उसमें बुरे भी आदमी हैं और अच्छे भी आदमी हैं, उसी तरह से अफसरों में भी हैं। लेकिन आप तो अच्छाइयां भूल ही जाया करते हैं कि किस तरह से पुलिस ने अभी हाल में कंट्रोल किया जब कि तार कट रहे थे और बल्ब फोड़े जा रहे

थे। आपने एक शब्द भी उनकी तारीफ में नहीं कहा। सिपाहियों ने ५, ५ रोज़ तक अपने बूट तक नहीं खोले। चोट लगने के बाद भी हमारे एस० पी० साहब बराबर काम करते रहे। जहां आप शिकायत करते हैं उसी के साथ साथ आप तारीफ भी कर दीजिये। इसलिये मैं बड़े अदब के साथ अर्ज़ करूंगा कि जब आप निन्दा करें उस वक्त उनकी अच्छाइयों को भी न भूल जायं। अध्यक्ष महोदय, इसी सिलसिले में मैं अर्ज़ करता हूं कि ज़रा ठंडे दिल से सोचिये कि ये जो तमाम हुल्लड़बाजियां होती हैं वह तो कहिये कि हमारी कांग्रेस सरकार की शराफत है वर्ना कोई दूसरी सरकार तो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिये मैं उम्मीद करूंगा कि जहां हमारे दोस्त पुलिस की इतनी शिकायत करते हैं वहां एक दो लफ्ज़ में तारीफ भी कर दिया करें।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (ज़िला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सप्लीमेंट्री बजट आज हमारे सामने पेश किया गया है उस पर बहुत सी बातें तो माननीय बेचन राम गुप्त जी ने इस सदन के सामने रख दी हैं। इस सरकार की तरफ से इस सप्लीमेंट्री बजट को लाने का जो प्रश्न हुआ है, मुझे दुख हुआ यह देखकर कि हमारी सरकार ने कोई नया रुपया किसी भले काम में खर्च करने के लिये नहीं मांगा है। वही पुराना रुपया जो कि पिछले मार्च के बजट में हमारे सामने आया, और इस सदन में पास हुआ था उन मदों पर खर्च करने के लिये लेकिन उन मदों पर वह रुपया खर्च नहीं किया गया और उसमें से इस रुपये की बचत दिखाई गई। जो नये आइटम्स आफ एक्सपेन्डीचर उन्होंने खर्च कर दिये थे उसके लिये यह रुपया कानूनी तौर पर सप्लीमेंट्री ग्रान्ट के रूप में हमारे सामने लाये हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यह बजेटिंग का तरीका ग़लत है। ७४ करोड़ रुपये का हमारा बजट था और उस वक्त सरकार की ओर से यह कहा गया था कि हमें डेवलपमेंट के और दूसरे बहुत से काम करने हैं, इसलिये रुपये की आवश्यकता है। यह कहां से आये, तो उस वक्त जितने रुपये की आवश्यकता होती है उसी के ऊपर हमारी टैक्सेशन पालिसी भी निर्धारित हो जाती है। हम यह जानना चाहते हैं कि जो रुपया इस सदन से जिन जिन आइटम्स पर मंजूर हो गया था, वह रुपया उन आइटम्स पर खर्च क्यों नहीं हुआ। अगर वह रुपया खर्च नहीं करना था, तो उसके लिये इस सदन में मांग रखने की क्या आवश्यकता थी? हमें तब खुशी होती जब जो रुपया हमने मंजूर किया था वह खर्च होता। देश और इस प्रदेश की उन्नति के लिये जितने रुपये की जरूरत होती, अगर उतने रुपये सरकार मांगती तो हम बड़ी खुशी से सरकार को देते। इसलिये इस सप्लीमेंटरी बजट के लिये हम सरकार को बधाई देने के लिये नहीं खड़े हुये हैं। दो करोड़ रुपया बचा है पुराने खर्चे में से। पहले जो बजट रखा गया था उसी में से जो रुपया बचा उसको उन्होंने नये आइटम्स पर खर्च करने के बाद आज उसको सदन की स्वीकृति के लिये रखा है। जैसा कि माननीय बेचनराम गुप्त जी ने बताया है कि अगर एक हेड में से दूसरे हेड में खर्च करना होता है तब तो डिपार्टमेंटल हेड्स ही कर लेते हैं, लेकिन जब नये आइटम्स पर खर्च करना होता है तब उसके सेंक्शन की आवश्यकता होती है। इसीलिये यह बजट पेश किया गया है। बहुत सी टैकनिकैलिटीज़ के ऊपर, जब पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने आयेगी, तब हम विचार करेंगे और सब बातों को समझने की कोशिश करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुःख है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिये सरकार को रुपया मांगना चाहिये था, लेकिन सरकार ने नहीं माँगा।

इस बजट में इरिगेशन की बातें हैं, अस्पतालों की बातें हैं, एनीमल हसबेंडरी की बातें हैं और भी बहुत सी बातें हैं जिनके लिये पुराने रुपये में से रुपया मांगा जा रहा है। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इस सदन में रोज़ पूर्व और पश्चिम की लड़ाई होती रहती है। पश्चिम वाले कहते हैं कि यहां नहर का टैक्स बढ़ाया जा रहा है। पूर्व वाले कहते हैं कि हमें ट्यूबवेल्स

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

दीजिये, पानी की व्यवस्था कीजिये, सिंचाई की व्यवस्था कीजिये। लेकिन हम उत्तर और दक्षिण के बुंदेलखंड वाले और पहाड़ वाले पानी पीने के लिये मर गये। कहां सिंचाई के लिये लोग पानी मांगते हैं और कहां हमारे यहां, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको तजुर्बा होगा कि सिंचाई तो दूर रही, पानी पीने को नहीं मिलता है। हमें खुशी है कि माननीय सिंचाई मंत्री ने हमारे इलाके का दौरा किया और हमारे यहां की प्राब्लेम को समझने की कोशिश की। हमने तो उनको यह कह करके संबोधित किया कि यदि वे हमारे यहां पानी की व्यवस्था कर देंगे तो हम उनको इन्द्रदेव समझेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे यहां पानी बरसा दिया। हमारे नीचे नदियां बहती हैं, लेकिन हम पानी के लिये तरस जाते हैं। हमारे यहां कैनाल्स का सवाल नहीं है। हमारे यहां नहरें नहीं बन सकती हैं क्योंकि राक्स को खोदना पड़ेगा। अगर हमारे यहां बिजली हो तो उससे पानी ऊपर चढ़ाने का इन्तजाम हो सकता है। लेकिन हमारे यहां बिजली का प्रबन्ध नहीं हो रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी से जब जनरल बजट आयेगा तब सब बातें कह लेंगे लेकिन इस समय इतना हम उनसे कहना चाहते हैं कि बजट रखते वक्त वे हमारे ऊपर भी कुछ थोड़ी मेहरबानी कर लें। यह जो दो डिपार्टमेंट्स अलग हो गये हैं इर्रीगेशन और हाइडल के, एक जगह बिजली पैदा होती है दूसरी जगह नहर सिंचाई का प्रबन्ध है, इससे बड़ी भारी दिक्कत हमारे सामने आ गयी है। हम किसके पास जायें। बिजली का प्रश्न है तो माननीय हाफिज जी इंचार्ज हैं, उनके पास जायें और अगर पानी की आवश्यकता है तो माननीय कमलापति जी के पास जायें। पता नहीं चलता कि किस तरह से पानी लें। हमारे यहां से तड़ाकताल की हाइडल की स्कीम भेजी गयी। नेचुरल ताल है और पानी के फाल से बिजली बनायी जा सकती है। हाईडल डिपार्टमेंट के पास वह गयी तो वहीं पड़ी हुयी है। इसलिये मेरी वित्त मंत्री जी से प्रार्थना है कि हाइडल की स्कीम तड़ाकताल की नये बजट में खुलवा कर बिजली पैदा करवा कर पानी की व्यवस्था इन पहाड़ों में करवा दें उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। कहा जाता है कि मुख्य मंत्री जी सब चीजों को समझते हैं। मुख्य मंत्री जी तो वहां जाते भी नहीं लेकिन फिर भी सब चीजें उन पर छोड़ दी जाती हैं। हम तो इस सरकार से सिर्फ पानी मांगते हैं। हमारे यहां से ही नदियां आती हैं। हम चाहें तो उन्हें बन्द करवा दें। उनका मुंह उलटवा दें लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते क्योंकि हम लोग तो उदार हृदय वाले हैं। हम तो यही चाहते हैं कि कुछ हिस्सा पानी का हमें भी मिल जाय।

एनिमल हसबेंडरी की ओर हमारी सरकार का ध्यान गया। साथ ही साथ प्लानिंग की बात भी इसमें की गयी है। नेशनल एक्सटेंसिव सर्विस के लिये केन्द्रीय सरकार कुछ रुपया देगी। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने इस काम को शुरू कर दिया। लोग कहते हैं कि साहब सोशलिस्ट पार्टी वाले फाइव ईयर प्लान को नहीं मानते। यह बात भ्रम में डालने के लिये कही जाती है। जहां अच्छा काम होगा हम साथ देंगे। श्रमदान को ही लीजिए। हम घमण्ड के साथ कह सकते हैं कि जितना श्रमदान पहाड़ी इलाके वाले दे रहे हैं उतना कोई नहीं दे रहा है। जितनी दिक्कत पहाड़ों पर सड़क काटने में होती है उतनी कहीं नहीं होती। श्रमदान में जहां ज्यादा काम होता है वहीं ज्यादा रुपया मिलना चाहिये। अगर इस तरह का कम्पटीशन हो तो हम उसके लिये तैयार हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक नेशनल एक्सटेंसिव सर्विस का सवाल है उन्हीं इलाकों में इस सर्विस को बढ़ाया जाना चाहिये जहां श्रमदान ज्यादा हुआ है। गढ़वाल, अल्मोड़े और नैनीताल में यह काम ज्यादा हुआ है। यहां मैदान में लेक्चर देने के अलावा कोई काम नहीं होता है।

एक दिक्कत यह भी है कि यहां से मंजूर हो जाता है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन नहीं मिलती। ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि २८ मार्च को एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन मिलती है और कहा जाता है कि तीन दिन में रुपया खर्च होना चाहिये नहीं तो रुपया लेप्स हो जाता है। मैं यह चाहता हूं कि जो रुपया सरकार मंजूर करे हमारी इज्जत इसी में है

कि उसको खर्च किया जाय और उचित ढंग से खर्च किया जाय। मैं यह चाहूंगा कि सरकार जरा इस ओर भी ध्यान देगी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय राजनारायण, सुरेश प्रकाश सिंह और मदन मोहन जी के भाषणों को सुनने का अवसर मिला।

एक सदस्य--सीताराम शुक्ल जी ने भी तो भाषण दिया।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--सीता राम जी का भी भाषण सुना, लेकिन उनका नाम इसलिए नहीं लिया कि मेरे मित्र कहेंगे कि मेरे दल के हैं। जो कुछ भी बातें आज इस सदन के समक्ष कही गयीं उनको अगर मोटे तौर पर तीन विभागों में बांट दिया जाय तो उचित होगा। कुछ बातें तो सदन के समक्ष सदन के लिये नहीं किन्तु दर्शक गैलरी के लिये कही गयीं और कुछ सुझावों के रूप में कही गयीं और तृतीय श्रेणी उन बातों की है जो केवल कहने के लिये ही कही गयीं। जहां तक माननीय राजनारायण जी के भाषण का सम्बन्ध है, मुझे वह क्षमा करें। उनका सारा भाषण इस सदन के लिये नहीं वरन् दर्शक गैलरी के लिए था। सम्भव है कि वह अखबार में छपने के बाद उन व्यक्तियों को अच्छा लगे जो राजनारायण जी को योग्यतम व्यक्तियों की श्रेणी सबसे ऊपर रखना चाहेंगे और उनकी पार्टी की नीति को अपनाने के लिये उत्सुक हों। किन्तु सम्भव है कि उन्होंने यह विचार करके भी ये बातें कहीं हों कि आज के बाद उन्हें ऐसा मौका न मिले। उन्होंने ५ तत्वों का भी जिक्र किया, व्यक्ति, पार्टी, सरकार, स्टेट और सोसायटी। उनका जिक्र पुस्तकों में भी है और मैं सचमुच नहीं समझ पाया कि इनका जिक्र करके आखिर वे सदन से क्या चाहते हैं। उन्हें स्पष्ट बताना चाहिये था।

हमें सुरेश प्रकाश सिंह जी का आभारी होना चाहिये कि उन्होंने कुछ सुझाव यहां रख और मेरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी उन पर ध्यान देंगे। मदन मोहन जी उपाध्याय ने कुछ पानी की मांग की जिसकी पूर्व और पश्चिम वाले सभी किया करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने किसी मद में खर्चा न करके दूसरे में ले गयी। मेरा विचार है कि यह बहुत गलत धारणा है। उन्हें जानना चाहिये था कि पूरक अनुदान दो प्रकार के होते हैं, एक तो सप्लीमेंट्री डिमांड्स उन मदों के लिये होती हैं जिनके लिये रुपया कम पड़ा और उसके लिये इन मांगों के द्वारा सदन रुपया देता है। दूसरे वे जो बहुत आवश्यक कार्य हों उनके लिये सदन टोकिन ग्रांट के तौर पर मंजूरी दे दे जैसा कि इस बजट में है भी कि ज्यादातर तो अनुदान टोकिन के रूप में दिये गये कि यह कार्य बहुत आवश्यक है और भविष्य में उसके करने के लिये रुपया बजट से दिया जायगा। मैं नहीं जानता कि श्री मदन मोहन जी उपाध्याय का इस कहने से क्या तात्पर्य है कि रुपया बच क्यों गया। अभी तो वर्ष समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो महीनों पड़े हुये हैं। जो बजट में व्यवस्था हुयी उसको निरन्तर खर्च किया जा रहा है। यह सम्भव है कि कुछ धन जो किसी स्थान पर अनावश्यक व्यय के रूप में स्वीकृत हो गया हो और वह खर्च न हुआ हो तो उसे बचत के रूप में किसी दूसरी जगह खर्च कर दिया हो तो क्या अनुचित है, मैं इसको समझ नहीं पाया हूं। मैं यह निश्चय के साथ कह सकता हूं कि कहीं से रुपया काटकर दूसरी जगह लगाया जाय, यह सप्लीमेन्टरी ग्रांट्स का मकसद है, यह उनकी धारणा हो तो वह धारणा गलत है। किसी भी रूप में रुपया दूसरी जगह लगाया जाय यह सप्लीमेन्ट्री ग्रांट में नहीं है। जहां तक बजटिंग का नियम है उसके अनुसार यह सम्भव नहीं है।

अनुपूरक अनुदानों के विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि उनमें इस प्रकार से खर्च किया जाता है। इसको मैं संक्षिप्त में सदन के समक्ष रख देना चाहता हूं कि यह पूरक अनुदान हैं; इनमें २,७२,७८,००० रुपया नये तौर से नहीं बल्कि जो कुछ मदों में खर्च

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

करने की व्यवस्था की गयी और उसमें से मोटे तौर पर तीन मदें हैं, जिनमें यह रुपया खर्च किया जायगा। एक रेवेन्यू एकाउन्ट्स, दूसरी कैपीटल एकाउन्ट्स वाली और तीसरी एडवांसेज की। इसमें अलग अलग मदों के अनुसार धन रखा गया है और रखा जाना भी चाहिये था।

मैं केवल दो तीन मदों की ओर ही सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और वे कितनी आवश्यक थीं अथवा अनावश्यक थीं इसका निर्णय यह सदन कर सकेगा। मैं यह भी समझता हूं कि किस प्रकार से सप्लीमेन्ट्री ग्रांट्स की व्यवस्था बजट में की जाती है, सदन को इसके सम्बन्ध में बहुत ज्ञान है और जिस प्रकार से वर्ष में व्यय की या खर्च की व्यवस्था की जाती है वह इस प्रकार से है कि एक तो सरकारी लेखे जोखे से और इसके अतिरिक्त हमारे मिनिस्टर साहबान दौरा करते हैं उसके द्वारा जो नयी बातों का ज्ञान होता है उसके अनुसार और जो-जो नयी मांगें प्रदेश के अलग-अलग जिलों से तथा अलग-अलग हिस्सों से की जाती हैं उसमें जो अनुभव बनता है उसके अनुसार यह सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होती हैं और दी जाती हैं।

मैं इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि श्री मदन मोहन जी ने अपने पहाड़ के लिये पानी मांगा है, मैं अपने जिले मथुरा का जिक्र करता हूं और इसके साथ साथ आगरा को भी सम्मिलित इसलिये करता हूं कि वह पड़ोसी जिला है और अलीगढ़ भी पड़ोसी जिला होने के नाते इसी श्रेणी में आजाता है। पूर्व और पश्चिम का इसमें प्रश्न नहीं है किन्तु प्रश्न आवश्यकता का है। मैं यह कहने में नहीं चूकूंगा कि मथुरा और आगरा जिलों की आवश्यकता और जिलों से अधिक है और विशेष रूप से सिंचाई के रूप में, क्योंकि दुर्भाग्यवश राजपूताना का रेतीला रेगिस्तान रोज रोज बढ़ता चला जा रहा है और हमें इससे अत्यन्त सतर्क रहने की आवश्यकता है। मथुरा और ब्रज काव्य संगीत में गाई हुई भूमि है जिसमें लता और विटपों का ही वर्णन मिलता है, जिसमें भगवान् कृष्ण की मुर्ली का ही जिक्र मिलता है। मैं सदन के सामने यह कहना चाहता हूं कि वह भूमि बिगड़ती जाती है और उसकी कोई समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री गोवर्द्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)—उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी देश का बजट उस देश के निर्माण कार्यों के लिये तथा जनसेवा कार्यों के लिये होता है और यह सब कार्य रूप में परिणित किये जाते हैं सरकारी एड मिनस्ट्रेटिव मशीनरी द्वारा और वह मशीनरी जितनी कार्य-कुशल होती है उतना ही अधिक जनता का लाभ होता है। इसलिये मैं इस बजट के सम्बन्ध में अधिक बातें न कह कर केवल इस सदन का ध्यान और इसके साथ ही सरकार का ध्यान इस ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की ओर दिलाना चाहता हूं कि वह किस प्रकार से कार्य कर रही है और उससे जनता को कितना लाभ या नुक्सान पहुंच रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार को शासन की बागडोर को संभाले हुए क़रीब ७ साल हो गये। सरकार ने यह निर्णय किया था कि सामूहिक जुर्माने का रुपया वापस कर दिया जायगा और जो सार्वजनिक योजनाएं सरकार के पास भेजी जायेंगी उन पर वह खर्च किया जायगा। लेकिन मैं बड़े अदब के साथ यह अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि आज भी एक बड़ी संख्या में वह रुपया सरकार के पास पड़ा हुआ है और जिन क्षेत्रों में सामूहिक जुर्माना वसूल हुआ है उनकी ओर से कई मांगे उनके बारे में आ चुकी हैं, एक बार नहीं कई बार उसके बारे में लिखा पढ़ी भी हुई, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई।

हाल ही में अल्मोड़ा जिले के हवाल बाग कृषि फार्म को कृषि विभाग से नियोजन विभाग के अन्तर्गत किया गया। केवल इतनी सी तब्दीली के कारण वहां के क्लर्कों का वेतन सात माह तक रुका रहा और सात माह बाद भी तब मिला जब कि सरकार के हर संबंधित विभग और उसके हर उच्चाधिकारी का दरवाजा खटखटाया गया। अध्यक्ष महोदय आज जब कि पहाड़ों में भुखमरी फैल रही है, ऐसे जमाने में, जिन लोगों को दैनिक मजदूरी मिलती है, छोटे-छोटे वेतन पाने वाले जिनको ४०, ५० रुपया माहवार मिलता है, उनको ७

महीने तक वेतन न मिले, सरकार ही सोचे कि यह चीज कहां तक मुनासिब है। अभी पिछली रबी की फसल के बाद दन्या में टेस्ट वर्क्स का कार्य आरम्भ किया गया। जब कि टेस्ट वर्क्स के मजदूरों को रोजाना शाम को मजदूरी मिल जानी चाहिये तीन बार अल्मोड़े से लखनऊ दौड़ धूप करने पर क़रीब दो महीने के बाद उनको पूरी मजदूरी मिली है। लीसे की रायल्टी सन् ४५ से ५० तक की सरकार के खजाने में जमा है। गांव निवासी गवर्नमेंट के अधिकारियों के पास बार-बार अपनी योजनाओं को भेजते हैं, बहुतेरी लिखा-पढ़ी करते हैं लेकिन हैरत इस बात की है कि रायल्टी का यह रुपया क्यों नहीं मिल पाता। बहरहाल अभी तक इस रुपये की अदायगी भी नहीं हुई।

अभी-अभी जिला अधिकारियों ने जिला अल्मोड़ा के कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया और वे इस नतीजे पर पहुंचे कि वहां टेस्ट वर्क तुरन्त शुरू हो जाने चाहिये लेकिन मुझे ज्ञात हुआ है कि केवल इस वजह से कुछ स्थानों पर काम शुरू नहीं किया जा सका कि उनके पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है, टूल्स नहीं हैं जो लोगों को दिये जा सकें। आज जिले के एक नहीं सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो तराई में घूम रहे हैं, घरबार छोड़ कर वहां आये हुये हैं, ताकि उनको मजदूरी का काम मिल सके और उनके बच्चों का लालन-पालन हो सके इसलिये यदि टेस्ट वर्क गूलों तथा सड़कों के निर्माणार्थ प्रारम्भ कर दिये जाते तो इससे लोगों को मजदूरी मिलने के अलावा सस्ते में निर्माण कार्य भी होते। मैं आपसे क्या अर्ज़ करूं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की ओर से अभी पिछले श्रमदान में जिले में कई हिस्सों में टूल्स भेजे गये थे। इस तरह की छोटी-छोटी चीजों का जिक्र कर सदन का समय लेने में मुझे बड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन आज क़रीब पिछले एक डेढ़ साल के तजुर्बे के बाद मैं सदन का समय लेने के लिये मजबूर हुआ हूं। करीब ८-९ महीने का समय बीत गया, लेकिन जिन घोड़ों की पीठ पर टूल्स भेजे गये थे उन घोड़े वालों का भाड़े का रुपया नहीं दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ने कोशिश की कि वह रुपया दे दिया जाय, लेकिन अभी तक टूल्स की मजदूरी का पैसा उन बेचारों को नहीं मिल सका। जिसकी वजह से सरकार को हजारों और लाखों रुपये का श्रमदान हुआ। श्रमदान के सिलसिले में जिन लोगों ने कार्य किया, जिला नियोजन समिति और जिला नियोजन अधिकारी की ओर से स्वीकृति मिलने पर ही किया। मगर उन कार्यों के लिये भी सरकार की ओर से पैसा नहीं मिल सका। फिर हम किस मुंह से जनता के पास जांय कि वह श्रमदान दे और यह कैसे उम्मीद करें कि आगे हमें जनता का श्रमदान मिल सकेगा। और बहुत से वाक़यात तो ऐसे भी हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ने उसके लिये रुपया मंजूर किया और कार्य का निर्माण हुआ। कार्य के पूर्ण होने की रिपोर्ट भी आ गयी, लेकिन फिर भी साल का अन्त होना चाहता है, उन अनुदानों का रुपया, जिनमें करीब दो सौ, डेढ़ सौ और तीन सौ की रक़में हैं अभी तक नहीं दिया जा सका। इसलिये मैं आप के द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उसे ये सब वाक़यात अच्छी तरह मालूम हैं तो उसकी क्या बेबसी है, जिससे वह इन दिक्क़तों को दूर नहीं करा सकती, मैं इस बात को समझने में असमर्थ हूं। लेकिन अगर वह इससे अनभिज्ञ है तो मैं उससे कहना चाहता हूं कि जनता की कठिनाइयां आसान नहीं हो रही हैं, उसकी दिक्क़तें बढ़ रही हैं, इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को इस ढंग से चालू करे जिससे जनता को यह महसूस हो कि हुकूमत जनता की है। चाहे सरकार कितना ही रुपया बजट में मंजूर क्यों न करे, चाहे किसी भी नीति को क्यों न अपनावे लेकिन जब तक उसको कार्यरूप में परिणित करने के लिये हमारे दृष्टिकोण में अन्तर नहीं होगा तब तक हमारी योजनायें सफल नहीं हो सकेंगी और जो रुपया हम बजट में मंजूर करते हैं उस रुपये का सदुपयोग हो सकेगा, इसमें मुझे संदेह है।

आज से ७ साल पहले दूसरी हुकूमत थी और आज हमारे देश में जनता की हुकूमत है। इसलिये यह स्पष्ट है कि उस वक्त की आवश्यकताओं और आज की आवश्यकताओं में बहुत अन्तर है। आज की आवश्यकताओं के अनुकूल ही हमें ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को बदलना

[श्री गोवर्धन तिवारी]

होगा और कार्य के तौर तरीक़े में तब्दीली करनी होगी। अगर हम इस तब्दीली को नहीं ला सकेंगे तो समय उसे तब्दील करायेगा । अगर हम उसे तब्दील नहीं कर सकते हैं तो समय आयेगा जब उसे तब्दील होना पड़ेगा ।

मैं देखता हूं पहाड़ी जिलों के नौजवान जिन्होंने इस देश की आजादी के लिये इस हुकूमत के हाथों में शक्ति की बागडोर देने के लिये बहुत सी क़ुर्बानियां की हैं, आज समाजवाद और कम्यु-निज्म के सिद्धान्त से प्रभावित हो कर नहीं बल्कि उनकी ग़रीबी, बेरोजगारी और भुखमरी ही उन्हें विरोधी दलों की गोद में ढकेल रही है । आज उनकी ग़रीबी उन्हें मजबूर कर रही है , उनकी बेरोजगारी उन्हें बेबस कर रही है, उनकी भुखमरी उन्हें मजबूर कर रही है कि विरोधी दलों की गोद में वे जायं और जिस शासन को मजबूत करने के लिये जिस सरकार के हाथ में शासन की बागडोर देने के लिये उन्होंने कुर्बानी की थी, उसके खिलाफ बग़ावत करें। इस लिए अध्यक्ष महोदय, मैं आप द्वारा सरकार से और इस सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो फिज़ा इस वक्त देश में है, जो असंतोष है, जो बेरोजगारी और भुखमरी है उसे देखते हुये ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को इस ढंग से काम करना चाहिये कि जिससे काम तेजी से और आसानी से हो सके। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सरकार की ओर से पूरक अनुदान इस सदन के सामने हैं और उसके ऊपर विचार हो रहा है, श्रीमान जी, सरकार ने इस अनुदान द्वारा २,७२,७८,००० रुपये की रक़म इस हाउस से पास कराना चाहा है। मैं आप के द्वारा सरकार और सभी सम्मानित सदस्यों से कहूंगा कि हम लोगों पर यह जिम्मेदारी आती है कि जिस वक्त बजट हम लोगों ने बनाया उस समय हमने अपनी ग़रीब जनता और प्रान्त की जनता पर दो टैक्स लगाये हैं, नहर रेट; तथा कृषि आयकर को और किसानों पर लगाया है। टैक्सों का भार जनता पर इतना है कि वह आज दबी हुई है और उसको देखते हुये हमें आज इस पर विचार करना है कि जो अनुदान आज सरकार पास कराना चाहती है वे इस योग्य हैं या नहीं कि उनको पास किया जाय। यह हमको सोचना है कि आज जनता टैक्सों से दबी हुई है उनके टैक्सों को कुछ कम किया जाय।

वित्त मंत्री जी ने अपने नोट में कहा है कि कुछ दिनों के बाद एक छोटा सा अनुपूरक अनुदान और भी लाना है। मैं तो यह पूछता हूं कि दो तीन महीने केवल नये बजट आने में रह गये हैं, फिर सरकार को क्या आवश्यकता है कि दो अनपूरक अनुदान लाये जायं। इसी में पूर्ण रूप से समझ कर लाते तो अच्छा होता, बजाय इसके कि एक दो महीने जब नये बजट को रह जायं तो फिर कहा जाय कि ये चीजें रह गई हैं इनके लिये इतना रुपया और दो। इसमें जो मोटी-मोटी कितावें छपती हैं, उन पर खर्च होता है । हमें जनता का जो एक-एक पैसा व्यय होता है उस पर विचार करना चाहिये ।

जहां तक इस बात का सवाल है कि पिछले बजट में पासशुदा जो रक़में हैं उनके काम पूरे नहीं हुये, उनको पूरा करने के लिये रक़म मांगी गई है तो मैं उनसे तो सहमत हूं कि वह दी जायं। लेकिन बेकार की वह मदें जिनकी इस समय ज़रूरत नहीं है यहां पर रख दी गई हैं। मिसाल के तौर पर पशुचिकित्सा के सिलसिले में सरकार यह चाहती है कि एक पशु-पालन कमिश्नर रख दिया जाय। श्रीमन्, हाउस की एक एस्टीमेट्स कमेटी बनी है और उसमें इसी विभाग पर आज कल विचार हो रहा है। तो क्या यह मुमकिन नहीं हो सकता कि सरकार इस अनुदान को इस समय मुल्तवी कर दे और कमेटी के विचार करने के बाद अगर उचित समझे तो पशुपालन कमिश्नर या जो नई जगहें खोलना चाहें उसके लिये विचार करे? मैं भवन को इस सम्बन्ध में यह बतलाना चाहता हूं कि कृषि विभाग में ७ डिप्टी डाइरेक्टर्स और एक डाइरेक्टर हैं। फिर क्या वजह है कि इतने अफसरान होते हुये भी पशुपालन के लिये एक विशेष आदमी की आवश्यकता पड़ गई और वह भी ऐसे समय पर जब कि बजट का अन्त है। अगले बजट में इस स्कीम को वह ला सकते थे और उस समय विचार हो सकता था।

सरकार ने कुछ अच्छे काम भी किये हैं जिनके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। सरकार ने रजिस्ट्री आफिस जालौन में खोल दिया और एक और जगह। ठीक है जहां जनता की जो मांग है उसको पूरा करना सरकार का कर्त्तव्य है। सरकार ने अपनी भूल से कि वहां कोई फायदा नहीं होता रजिस्ट्री आफिस बन्द कर दिया था। वहां पर अगर अब खोला जाता है तो उस चीज को हम ठीक समझते हैं।

इसके अतिरिक्त सरकार जेलों में एक नयी योजना लागू करना चाहती है। अब अपराधों की अधिकता के कारण जेलों में जगह नहीं है। दो सौ आदमियों की जगह में चार-चार सौ और पांच-पांच सौ आदमी रखे गये हैं। सरकार को चाहिये कि जो जेलें मौजूद हैं और उनमें जगह की कमी है, जिनमें बिल्डिंगज़ नहीं हैं उनको ठीक करायें। इसके बजाय वह अलग कालोनी खोलने के लिये और उस पर व्यय करने के लिये तैयार है। मैं आप से अपना अनुभव बताऊं। मैंने जिला जालौन में जब जेल का निरीक्षण किया तो देखा कि दो सौ आदमियों की जगह ४ सौ आदमी रह रहे हैं। अब समझिये कि आदमी अगर जानवरों की तरह बैरकों में रखे जायेंगे जो जनस्वास्थ्य के हिसाब से भी ठीक नहीं है, तो यह बहुत अनुचित है। इधर-उधर रुपया खर्च करने के बजाय अगर सरकार इधर ध्यान दे कि उनके लिये काफी जगह हो तो ज्यादा उचित है। शिक्षा मंत्री जी ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन को २५०० रुपया दिया है। मैं यह समझता हूं कि तारीफ तो बहुत की जाती है, लेकिन इतने रुपये से इसका क्या लाभ हो सकता है मुझे तो ताज्जुब होता है कि इतनी थोड़ी रक़म उसके लिये दी गयी है। सरकार के लिये यह शाया। नहीं देता कि इतनी थोड़ी रक़म उसको दी जाय और अपना नाम मदद करने के लिए कर लिया जाय कि हमने हिन्दी साहित्य सम्मेलन की मदद की। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस अनुदान को बढ़ायें तो बहुत सुन्दर होगा।

श्रीमन्, यहां पर पुलिस का जिक्र किया गया है, और हमारे शुक्ला जी ने उसकी बड़ी तारीफ़ की। मैं यह कह सकता हूं कि जहां तक पुलिस का प्रबंध है वह सुधरा जरूर है लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जिस सरकार ने पुलिस को विशेषाधिकार दिये हैं वह यह भूल जाती है कि पुलिस क्या-क्या करती है। मैं स्वयं अपने अनुभव से बतलाता हूं कि यहां लखनऊ में दंगों के समय जब कि विद्यार्थियों के साथ झगड़ा हुआ था तो मैं एक दिन के लिये यहां पर आया था। जब यहां पर कर्फ्यू लगा हुआ था तो उसका इन्तजाम पुलिस के हाथ में था। वह कर्फ्यू पास पुलिस के थानेदार देते थे, तो जरा सी बात कहने पर वह इतने बिगड़ जाते थे कि जिसका कुछ कहना नहीं। मैं आप को बताता हूं कि मैं कर्फ्यू पास के लिये स्वयं हजरतगंज थाने गया और मैंने कहा कि मुझको कर्फ्यू पास मिलना चाहिये और जो महोदय थानेदार कर्फ्यू पास दे रहे थे उनको मैंने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया। तो आप को यह जानकर ताज्जुब होगा कि उन महाशय ने मेरा वह कार्ड दरवाजे के पास फेंक दिया। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि जब उनके यहां तक दिमाग हैं कि सरकार का दिया हुआ कार्ड भी मानने को तैयार नहीं हैं तो फिर जनसाधारण की बात क्या हो सकती है और आम जनता का क्या हाल हो सकता है। यह मेरा खुद का अनुभव है, जिसको मैंने आपके सामने रखा है। यह तो हमने अपने आप देखा है कि यह डिपार्टमेंट किस तरह से काम करता है।

दूसरी बात यह है कि इस बजट में एक अनुदान के सिलसिले में सड़कों के लिये बहुतसा रुपया लिया गया है। जो सड़क आपके प्रोग्राम में नहीं थी उसके लिये बीच में ही प्रोग्राम बना लिया गया कि वह सड़क बनायी जायगी और उसके लिये रुपया दिया जाता है। मैं इस पालिसी के खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार की एक निश्चित स्कीम होनी चाहिये और वह निश्चित स्कीम के द्वारा सब काम हो। स्कीम के अनुसार जितनी भी सड़कें सूबे में बनायी जायं उस स्कीम में बीच में कोई बदलाव नहीं होना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि जिस पर जोर दिया गया बस उस सड़क को बनाना निश्चित कर दिया। मैं अपने जिले का हाल बतलाता हूं कि वहां पर यह हुआ कि जिस सड़क के लिये जोर दिया गया वह सड़क बना दी गयी और बाक़ी के लिये कुछ नहीं किया गया। आप एक पालिसी निर्धारित कीजिये कि किस सड़क को किस हिसाब से

[राजा वीरेन्द्र शाह]

बनाना है, कि चाहे वह किसी हेडक्वार्टर से मिलानी हो या किसी कस्बे से मिलानी हो या कोई और सड़क हो, जो उद्योग धन्धे के लिए बनानी हो या बड़े बड़े शहरों से मिलाने के लिये हो, वह एक वसूल के मातहत निर्धारित करनी चाहिये। हम यहां पर यह देखते हैं कि बहुत सी सड़कें जिनका बजट में नाम निशान नहीं है वे बन गई हैं क्योंकि उनके लिये कहा सुनी की गयी है। मैंने यह भी देखा है कि बहुत सी सड़कों के लिये रुपया लैप्स हो जाता है। एक सड़क के लिये ३ लाख रुपया मंजूर हुआ लेकिन रुपया खर्च नहीं किया गया और वह लैप्स हो गया। जहां पर जरूरत है वहां पर तो लैप्स हो जाय और जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर सड़क बना दी जाय तो यह पालसी सही नही है। सरकार को किसी सिफारिस का ख्याल नहीं रखना चाहिये। हमारे प्रान्त भर की आवश्यकता सरकार को ध्यान में रखनी चाहिये। सड़कोंके लिये एक निश्चित पालसी अख्तियार करनी चाहिये और उसके अनुसार ही सरकार को चलना चाहिये।

श्री धनुषधारी पाण्डेय (जिला बस्ती)——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने माननीय साथियों के भाषण को सुना और मै देख रहा हूं कि हमारे प्रान्त में जो काम हुआ है वह किसी प्रगति से हुआ है, लेकिन जो भिन्न भिन्न बातें यहां पर हाउस के अन्दर सुनी है वह मैंने बहुत ध्यान पूर्वक सुनी और दूसरे देशों का इतिहास भी आजादी के बाद हमने देखा कि किस प्रकार से वहां पर हुआ है। तो हम इस अनुभव पर पहुंचे कि जिस प्रगति के साथ और जिस तेजी के साथ हमारे प्रान्त में काम हुआ है शायद उतनी तेजी से दूसरे देशों में नहीं हुआ और न हो सकता है। यों तो अपने स्वार्थ की सिद्ध के लिये जो पार्टियां होती हैं कुछ न कुछ कहा करती हैं अगर वह कुछ शिकायतें सामने न रखें तो उनकी पार्टी का कोई मतलब नहीं होता है। मैंने विरोधी दल के नेता माननीय श्री राजनारायण जी का भाषण सुना और उन्होंने अपने भाषण में कुछ न कुछ शिकायतें प्रान्तीय सरकार की रखी और कहा कि प्रान्तीय सरकार ने जो काम किया है वह ठीक नहीं किया है और बहुत कम काम किया है। और उन्होंने इस बात को भी कहा है कि जितने मंत्रीगण के विभाग हैं, उनको जितना काम करना चाहिये उतना नहीं कर रहे है। और सारे विभागों की बुराइयां कीं लेकिन उन विभागों ने जो अच्छाई के काम किये है उनको सामने नहीं रखा। मैं आपका ध्यान इर्रीगेशन डिपार्टमेंट की तरफ दिलाना चाहता हूं कि आप आजादी के पहले और उसके बाद की हालत को देखें कि किस तरह हमारे इर्रीगेशन विभाग का काम बढ़ा है। इस विभाग ने कोने कोने में नहर पहुंचा दी है। ट्यूबवेल्स लगाये जा रहे हैं और पानी की अधिक से अधिक मात्रा के लिये काम किये जा रहे हैं।

इसी प्रकार शिक्षा विभाग को ले लीजिये कि शिक्षा विभाग ने कितनी तेजी से आगे बढ़ने का प्रयत्न किया है। वह गांव गांव में शिक्षा का प्रचार कर रहा है। इसी प्रकार आप स्वास्थ्य विभाग को ले लीजिये कि गांव गांव में अस्पताल खोलने की हमारी सरकार की योजनायें हैं बल्कि और कितने ही नये अस्पताल खोल दिये गये हैं। केवल मैदानी इलाके में ही नहीं बल्कि पहाड़ों पर भी अस्पताल खोले गये हैं और बड़े बड़े शहरों में भी अस्पातल खोले गये हैं। हमारे नेता विरोधी दल तो यहां पर बुराई का लेखा ही रख रहे हैं और अच्छाइयों की तरफ नहीं जाना चाहते। जो अच्छी चीज हैं वह भी आप सामने रखें। कितनी तेजी से हम लोग बढ़ रहे हैं इस बात को आप देख सकते हैं। रूस जब आजाद हुआ तो कितने दिनों तक कर्जा लेकर उसने आपन काम किया। चाइना ने भी आजाद होने के बाद प्रगति की है। उन देशों की तरफ आप निगाह नहीं डालते हैं केवल यह कहना चाहते हैं कि हमारी पुलिस खराब है, हमारी शिक्षा खराब है अगर हमने तेजी के साथ कदम बढ़ाया है तो उसको भी आप देखिये और सही तरीके पर सही बात सामने रखिये। आजादी के पहले कितने शिक्षक आपके पास थे? लेकिन आज हमारे पास उनकी तादात बहुत बड़ी है। हममें से सब इस बात को जानते हैं कि हमने सब विभागों में सुचारूरूप से प्रगति की है और हम बराबर आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह नहीं कि यह कानून किसानों के लिये है और यह कानून किसी एक के लिये है और दूसरा कानून दूसरों के लिये है ऐसा न

होना चाहिये, बल्कि सबके लिए समान व्यवहार होना चाहिये। आप इसको भी तौलें कि जितने गजटेड आफिसर्स हैं वे पहले से कैसा काम कर रहे हैं और कितना काम उन के पास है। मान लीजिये कि कोई पुलिस का कांस्टेबिल है, हो सकता है कि उन में बुराई आगई हो, लेकिन उनके काम को भी ले लीजिये कि उनमें से कौन कितना काम करता है। आप रूस के साथ खड़ा होना चाहते हैं, अमरीका के साथ खड़ा होना चाहते हैं, चीन के साथ खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन आप यह नहीं तौलते कि जब अंग्रेज यहां से गये थे तो वे हमारे देश में कैसी हालत छोड़कर गये थे। आप यह नहीं देखते कि कांग्रेस सरकार ने कितनी अच्छाई के साथ हर एक काम को किया है और उसने किसी पर किसी तरह का प्रतिबन्ध नहीं लगाया है और सब की जबान खुली हुई है। इसी म्युनिसिपल एलेक्शन में कितनी गालियां आजादी के साथ दी गयी हैं। जब कि चीन और रूस में सब की जबानों पर ताला लगा हुआ है और कोई भी जबान नहीं खोल सकता और सरकार की बुराई किसी तरह की भी नहीं कर सकता। वहां पर तो जो भ्रमण करने के लिये जाते हैं वे भी आजादी के साथ किसी व्यक्ति से नहीं मिल सकते। हमारे यहां जो डेलीगेशन आते हैं वे हरएक से देश के कोने कोने में जा कर मिल सकते हैं, लेकिन हमारे देश के लोग जब डेलीगेशन में जाते हैं तो उन पर तरह तरह के प्रतिबन्ध रहते हैं और कभी-कभी सी०आई०डी० भी उनके पीछे लगी रहती हैं।

अब मैं बजट के ऊपर आना चाहता हूं। बहुत सी पूरब की बातें कही गयीं, पश्चिम की बातें कही गयीं, दक्खिन की बातें कही गयीं और उत्तर की बातें कही गयीं लेकिन मुझे न पूरब की बात कहना है, न पश्चिम की बात कहना है, न दक्खिन की बात कहना है और न उत्तर की बात कहना है। मुझे तो केवल इतना कहना है कि सरकार जो कुछ भी करे वह एक सिद्धांत के साथ चल कर करे। अभी मेरे दोस्त ने कहा कि कहीं पर भुखमरी होती है, पहाड़ों पर लोगों को कष्ट होता है, पूर्वी जिलों की हालत आप जानते हैं, गोरखपुर, बस्ती वगैरह में अधिक वर्षा से नुकसान हुआ और वहां सरकार की ओर से टेस्ट वर्क खोले गये, लेकिन जो सड़कें वहां बनीं वे बरसात के बाद सब खराब हो गयीं। इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह जो भी काम कराये वह ठोस काम करावें क्योंकि अगर खर्च हो तो काम टिकाऊ हो, जिस से पैसा बरबाद न हो। अगर मैं निर्माण मंत्री जी से कहूंगा तो शायद उन को नागवार होगा कि पी०डब्लू०डी० का महकमा जिस काम को नहीं करना चाहता है वह उसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर टाल देता है और जब कि वे यह भी जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की आर्थिक दशा कैसी है। मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बस्ती जिला जो गरीब जिला है, तबाह जिला है और जहां दरिद्रता का राज है। उस जिले में पुलों के न होने से जिला ५,४ हिस्सों में बंट जाता है। जहां पर नाना प्रकार की बीमारी है, वहां से किसी क्षेत्र में कोई आसानी से जा नहीं सकता है। इस ओर भी मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा।

साथ ही साथ मैं पुलिस मंत्री जी का भी ध्यान दिलाऊंगा कि जैसी अराजकता फैली हुई है जिसकी ओर बहुत से लोगों ने ध्यान दिलाया है उसको भी वह दूर करें। वह इस ओर ध्यान इस लिये नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनका स्वयं का स्तर तो ऊंचा है और उनके पुलिस विभाग का स्तर इतना गिरा हुआ है कि वह उसके बारे में अपने ऊंचे स्तर से सोच नहीं पाते हैं। उनकी बुद्धि इतना गिरने की बात नहीं सोच पाती है। इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय गृह मंत्री इस विभाग की ओर ध्यान दें और इसे ठीक करें।

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)--माननीय उपाध्यक्षमहोदय, बजट के ऊपर जो बहस चल रही है उसके सम्बन्ध में हमारे माननीय उपाध्याय जी ने कहा था कि सरकार को इस बजट के लिए हम बधाई का पात्र नहीं समझते हैं। उन्होंने यह कहा कि अगर इस बजट के अन्दर कोई नयी मदें होतीं, नयी मांग की गई होती जिसकी आवश्यकता हमारे राज्य में होती तो हम अवश्य इस सरकार को बधाई दिये होते। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन

[श्री राधामोहन सिंह]

करना चाहता हूं कि माननीय उपाध्याय जी अगर इस बजट को गौर से देखे होते तो उनको यह मालूम होता कि जो लिटरेचर हम लोगों को दिया गया है उसके अन्दर लिखा हुआ है कि यहां जो मांगे सम्मिलित की गयी हैं वे मुख्यतया व्यय की नयी मदों के लिये हैं जिनके लिये चालू वित्तीय वर्ष में कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी और वे इतनी आवश्यक हैं कि आगामी वर्ष तक उनका स्थगित किया जाना अनुचित समझा गया है। और अगर वह बजट के आंकड़ों को देखेंगे तो मालूम होगा कि कुछ तो जरूर ऐसी मदें हैं जिनमें कि कमी की वजह से मांग की गयी है, लेकिन अधिकतर नयी-नयी मदें ही हैं जो नये कामों के लिये हैं। तो जो उनकी कसौटी है उस कसौटी पर कसने पर भी मैं समझता हूं यह बजट ठीक निकलता है और इसलिये यह सरकार बधाई की पात्र हो सकती है।

जहां तक हमारे विरोधी पक्ष के नेता माननीय राजनारायण जी का प्रश्न है उन्होंने कई प्रश्न उठाये। एक तो उन्होंने यह कहा कि सप्लीमेन्ट्री बजट रखने की एक परिपाटी हो गयी है। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि ८० करोड़ के बजट में केवल २ करोड़ ७२ लाख की सप्लीमेन्टरी मांग की गयी है। यह मुश्किल से ३ परसेंट पड़ता है। जहां ८० करोड़ का खर्चा है, उसमें ३ करोड़ का हेरफेर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं तो समझता हूं कि जनता के हित में अगर इन मदों को सरकार इन अनुदानों के जरिये इस बजट में न रखती तो वह अपने कर्त्तव्य से च्युत हो जाती और मैं तो सरकार को इस बजट को बनाने के लिए इस समयोचित कदम के उठाने के लिये बधाई का पात्र समझता हूं। जहां तक सिंचाई का प्रश्न है माननीय राजनारायण जी ने निवेदन किया कि सिंचाई के सम्बन्ध में उनकी नीति अच्छी नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उनका यह विरोध बहुत देर में आया है। आज तो हमारी सरकार ट्यूबवेल्स के जरिये से, बिजली के जरिये से पानी सप्लाई करने की नीति को अपना चुकी है और बहुत काफी रुपया खर्च कर चुकी है। उनका यह कहना है कि अच्छा होता अगर बजाय बिजली के जरिये हम देहातों में अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर मैसोनरी वेल्स खोदते। अगर बजट को देखा जाय तो एक बहुत बड़ी रकम इसमें ऐसे कुओं के लिये भी है। हमारी सरकार की नीति यह है कि जब तक कि हम काफी तादाद में ट्यूबवेल नहीं बना पाते, उसके लिए हमारे पास मैटीरियल नहीं मिलता तब तक हम इन मैसोनरी वेल्स को भी चलाते रहेंगे। आप देखें कि गत वर्ष १५ हजार मैसोनरी वेल्स बनाने के लिए रुपया रखा गया था और इस साल भी मैं समझता हूं कि करीब पांच, सात हजार नये कुयें बनाये जा रहे हैं। तो उनकी नीति के सम्बन्ध में भी मैं कोई गलत बात इसमें नहीं देखता। जहां तक हमारे यहां ट्यूबवेल के प्रचार का सम्बन्ध है साथ ही साथ मैसोनरी वेल्स का भी प्रचार हो रहा है और बहुत से जिलों में, पूर्वी जिलों में भी बहुत से कुयें हर साल बनाने के लिये रखे गये हैं। भ्रष्टाचार के बारे में कहा गया। मैं यह सुनना चाहता था कि आखिर हमारे विरोधी पक्ष के नेता कोई ऐसा सुझाव रखेंगे, जिससे इसे दूर किया जा सके। इसमें तो कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं कि भ्रष्टाचार को बन्द करना हमारा और उनका ध्येय है। मगर इस सम्बन्ध में क्या उनकी नीति है, क्या वह करना चाहते हैं, क्या उनके सुझाव हैं, वह मैं इन्तजार करता रहा मगर डेढ़ घंटे के उनके भाषण में मुझे एक भी उनका ऐसा सुझाव नहीं दिखाई पड़ा जिससे कि कुछ काम किया जा सके।

मुझे आश्चर्य मालूम हुआ जब उन्होंने तिब्बत की सीमा पर जो पुलिस रखी गयी है उसकी आलोचना की। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने यह अच्छा कदम उठाया है। अगर यह समझा जाय कि वहां तिब्बत की सीमा पर जो पुलिस रखी गयी है उसका यह कार्य है कि उधर से जो आक्रमण हो, उसको वह रोक दे तो यह एक बड़ी भारी गलतफहमी है। जहां कहीं इस तरह की पुलिस रखी जाती है उसका काम यह कभी नहीं होता कि जब कोई हमला हो तो वह उस हमले को रोक ले। वह वहां चौकसी

के लिए, चौकीदारी के लिए रखी जाती है और इसलिये जो पुलिस रखी गयी है वह बहुत आवश्यक है और मैं समझता हूं कि इस सामयिक और समयोचित कदम के उठाने के लिये, हमारी सरकार बधाई की पात्र है। तिब्बत की सीमा पर वहां जो कुछ हो रहा है, वहां की अवस्था के प्रति उपेक्षा करना ठीक न होता। इसलिए मैं समझता हूं कि यह थोड़ा सा खर्चा जो वहां पर केवल पुलिस रखने के लिये, वहां की हालतों को जानने के लिए, वहां की रिपोर्ट करने के लिए और एक तरह से अगर हलकी, छोटी-मोटी गड़बड़ी हो तो उसकी व्यवस्था करने के लिए बहुत ही उत्तम प्रबन्ध है और इसके लिए मैं सरकार को बधाई का पात्र समझता हूं। मुझे अभी तक तो यह मालूम था कि समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी थी, लेकिन विरोधी पक्ष के नेता का भाषण सुन कर बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने अध्यात्मवाद का नारा लगाया। स्वराज्य के अर्थ उन्होंने यह लगाये कि राष्ट्र को तो खत्म कर दिया, बल्कि जहां पर खुद का राज्य हो उसी को स्वराज्य कहेंगे और इस प्रकार वह अध्यात्मवाद का नारा लगाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी निराशा हुई जब सवा घंटे के भाषण के बाद भी मैंने देखा कि हमारे विरोधी पक्ष के नेता की तरफ से एक लफ्ज भी उस बड़ी समस्या के सम्बन्ध में, जिससे कि हमारा राज्य नहीं राष्ट्र आक्रान्त हो रहा है, नहीं कहा गया। बेकारी की समस्या से मेरा आशय यह है कि बढ़ती हुयी आबादी के अन्दर हम खाद्य-समस्या को तो हल कर सकते हैं और मेरा विश्वास है कि वह कुछ हद तक हल हो जायगी, लेकिन यह जो बेकारी की समस्या है वह इतनी भयावह रूप धारण किये हुए है कि कोई भी सरकार उसकी उपेक्षा नहीं कर सकती और इस बजट के अन्दर मुझे कोई मद न देख कर बहुत निराशा हुयी। मैं समझता था और आशा कर रहा था कि जहां कि हमारे राष्ट्र के और राज्य गवर्नमेंट आफ इंडिया से बहुत बड़ी रकम मांग रहे हैं, इस बेकारी की समस्या को हल करने के लिये, तो मुझे तो बड़ी उम्मीद थी कि हमारी सरकार की तरफ से कोई न कोई कदम उठाया जायगा। मैं तो आशा करता था कि सब से बड़ी आवश्यकता यह है कि आज राज्य के अन्दर शहरों और देहातों में जो शिक्षित बेकार लोग पड़े हुए हैं उनके लिये कोई न कोई समुचित व्यवस्था की जायगी और काम पैदा किया जायगा, लेकिन वह कुछ नहीं हुआ, मैं समझता हूं कि आगे जो बजट रखा जायगा, फरवरी के महीने में शायद आने वाला होगा, उसमें मैं आगाह करूंगा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास दो महीने के अन्दर एक ऐसी स्कीम जानी चाहिये जिस में हमारे प्रांत के अन्दर बेकारी की समस्या को हल करने के लिये ठोस सुझाव हो और मैं तो समझूंगा कि दो, चार, पांच करोड़ रुपया खर्च कर दिये जायं तो यह कुछ ज्यादा नहीं है। आज हम देखते हैं कि पढ़े-लिखे लोग बेकार घूमते हैं और बेकार दिमाग शैतान का अड्डा बन जाता है। तो मैं आशा करूंगा कि इस तरफ शीघ्र कदम उठाया जायगा और बेकारी की समस्या को हल करने के लिये कोई कदम अवश्य उठाया जायगा।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि घरेलू उद्योग-धंधों के लिये जो मद रखी गयी है वह काफी नहीं है। अगर बेकारी की समस्या को हल करने के लिये कोई सुझाव हो सकता है तो यह है कि हर जगह लोगों को ऐसे काम में लगाया जाय, इसके लिये रुपया रखा जाय कि वह जल्द से जल्द कोई हुनर सीखें और कोई काम शुरू करें।

एक बात यह है कि पूर्वी और पश्चिमी ज़िलों की बातें कही जाती हैं। अभी थोड़े दिन हुए हमें कुछ आंकड़े देखने को मिले। गाजीपुर, बलिया, आज़मगढ़ में २०० ट्यूबवेल बनाने की स्कीम थी, लेकिन एक साल में २०० में से २१ बनाये गये। गोरखपुर, देवरिया और बस्ती के अन्दर ३५० ट्यूबवेल बनाने की स्कीम थी, लेकिन हमें आश्चर्य हुआ कि केवल ४८ बनाये गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि रुपया रखने के बाद और कई वर्षों के बाद सरकार ने अपने हाथ में काम लिया, उसमें क्यों प्रगति नहीं हो रही है?

[श्री राधामोहन सिंह]

अगर बजट में रुपया रखा जाय और आवश्यकता हो तो उस रकम का उपयोग होना चाहिये और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस तरफ अवश्य ध्यान देगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की चेष्टा करता था कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट इस सदन के सामने रखी है, उसका स्वागत करता और मैं यह देखता कि यह बजट सैद्धान्तिक कसौटी पर रखा गया है, लेकिन मैं तो यह देखता हूं कि केवल यह एक या दो विषयों को छोड़ कर यह सारा बजट उन सिद्धांतों के ऊपर आधारित है जिनकी आवश्यकता नहीं है। यानी अनफोर्सीन, अरजेण्ट और न्यू सर्विसेज़ यह तीन आइटेम्स हैं जिनके लिये सप्लीमेंटरी ग्राण्ट रखी जाती है। केवल बाढ़ वाली मदें ऐसी हैं, बाढ़ से कुछ ज़िलों में नुकसान हुआ, जिनको यह कहा जा सकता है कि अर्जेन्सी थी। लेकिन इसके अलावा जितनी मदें हैं वे ऐसी हैं जिन्हें अनफोर्सीन नहीं कहा जा सकता है, जो अर्जेंट नहीं कही जा सकती हैं और जो न्यू सर्विसेज़ में नहीं आती हैं। इतना होने के अलावा मुझे सब से बड़ा आश्चर्य तो तब होता है जब कि मैं देखता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट के द्वारा सर्वमान्य सिद्धांत को ठुकरा दिया। वह सिद्धांत यह है कि सप्लीमेन्ट्री बजट में कोई मांग तब रखी जाती है जबकि वह फाइनेन्स कमेटी में पास हो जाती है। आज इस सप्लीमेन्टरी बजट में ७ मांगें ऐसी हैं जोकि बिना फाइनेन्स कमेटी की मन्जूरी लिये हुये इस सप्लीमेन्टरी बजट में रख दी गयी हैं।

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)--मैं जनाब के ज़रिये यह बतला दूं कि फाइनेन्स कमेटी की मीटिंग हुई थी और जो मेम्बर उसमें शरीक हुये थे उनमें से कुछ यहां भी मौजूद होंगे। पहले यह सातों मांगें उनके सामने रखी गयी थीं और उसके बाद इस में शरीक की गयी हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--खैर, इसकी इत्तला मुझे नहीं मिली। अगर उन्होंने रखा हो, तब तो बात ठीक है। लेकिन इसके बाद मैं इस में जहां पर सिद्धान्त का उल्लंघन किया गया है, उनको एक-एक को लेकर मैं चलता हूं जैसे कि रुड़की के लेबोरेटरी का सवाल है। लगातार ४९-५०, ५०-५१, ५१-५२ और ५२-५३ के सप्लीमेन्टरी बजट में रुड़की युनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिये रुपया मंजूर किया गया, लेकिन वह खर्च नहीं हुआ। आज एकदम यह कहा जाता है कि रुड़की युनिवर्सिटी की लेबोरेटरी के लिये रुपया चाहिये। तो तीन साल तक रुपया खर्च नहीं हुआ और अनुपूरक बजट के द्वारा उस मांग को आज फिर अनफोरसीन और अर्जेण्ट कहा जाता है और वहां पर लेबोरेटरी की आवश्यकता है। उस लाइब्रेरी का रुपया जो अभी तक तीन साल से खर्च नहीं हुआ था वह आज लेबोरेटरी के लिए रख दिया जाय। ऐसे ही हिन्दी साहित्य सम्मेलन जिसका कि वीरेन्द्र शाह जी ने जिक्र किया कि उसके लिये ढाई हज़ार रुपया दे दिया गया। वह हिन्दी साहित्य सम्मेलन अधिकृत रूप से हिन्दी साहित्य सम्मेलन नहीं माना जाता है, लेकिन उसे ढाई हज़ार रुपया दे दिया गया।

एक रिसर्च स्कीम की बात कही जाती है जोकि जुवार के बारे में, बाजरे के बारे में और चावल के बारे में रखी गयी है जोकि सन् १९४८ से शुरू हुयी है। सरकार को यह मालूम था कि ५३ में यह स्कीम खत्म होने जा रही है, लेकिन जो आम बजट है उसमें इसके बारे में कोई जिक्र नहीं। इस रिपोर्ट में भी लिखा था कि अभी रिसर्च का काम पूरा नहीं हुआ है, रिसर्च का काम तो अभी बाकी है लेकिन बाकी रिसर्च को सरकार जानती थी कि इसे पूरा करना है, लेकिन उसे आम बजट में नहीं रखा। इसी प्रकार इम्प्लायमेंट स्कीम पूर्वी जिले वालों के बारे में आप देखिये। सरकार को मालूम था उसकी ग्राण्ट

खत्म हो रही है लेकिन उसको भी इसी सप्लीमेन्टरी बजट में लाया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर किस कसौटी पर कस कर सप्लीमेंटरी बजट की सारी मांगें रखी गयी हैं। एप्रोप्रियेशन रिपोर्ट में आडिटर जनरल की रिपोर्ट में जो बातें लिखी हुयी हैं उनमें से कितनी बातें इन अनुपूरक अनुदानों को पेश करते समय ध्यान में रखी गयी हैं। वित्त विभाग को यह चाहिये था और सरकार को यह चाहिये था कि किसी भी मांग को सप्लीमेन्टरी बजट में पेश करने से पहले उनको ध्यान में रखती। इसके साथ ही साथ वूमेंस हास्पिटल, गोंडा के लिये मांग की गयी है, जो कि पिछले साल के सप्लीमेन्टरी एस्टिमेट में आ जाना चाहिये थी। बजट मैनुअल के अनुसार तरीका यह था १४८ में:—

"Unavoidable excesses which cannot be reported to the finance Department by that date must be left for explanation in connexion with the appropriation Accounts and the Audit report thereon."

इस बजट मैनुअल के विरुद्ध गोंडा हास्पिटल में जो एक्सेस हुआ, उसको आज के सप्लीमेंट्री ग्रांट में रखा जा रहा है। इसके अलावा काशीपुर कोलोनाइजेशन के सम्बन्ध में, जो वहां के कर्मचारी हैं, उनके लिये हाउस रेंट एलाउन्स एक ग्रांट के द्वारा मांगा गया है। पांच साल पहले सरकार को यह बात मालूम थी कि काशीपुर के कोलोनाइजेशन के कर्मचारियों को वह हाउस रेंट नहीं मिल रहा है, जो वहां के और तराई के कर्मचारियों को मिलता है। अब पांच साल के बाद जब वहां की स्कीम वाइंड अप हो रही है तब सरकार को पता चला है कि वहां के कर्मचारियों को हाउस रेंट देना है।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

बनारस स्टेट में वाटर वर्क्स के मामले में इसी मेमोरेंडम में लिखा है कि रामनगर के महाराजा साहब से यह समझौता था कि इसको ट्रांस्फर किया जायगा और दो ट्यूबवेल लगाये जायंगे। रामनगर स्टेट को मर्ज हुये तीन, चार साल हो गये और सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हमको यह करना है। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह बात मालूम नहीं थी कि हमने एक खास किस्म का ऐग्रीमेन्ट रामनगर के महाराजा से किया है। तो किस सिद्धांत के अनुसार सप्लीमेन्ट्री ग्रांट में इस आइटम को लाया गया।

आगे रामपुर के नवाब साहब को २६ हजार रुपये देने की बात है बरेली में एक पुलिस आउट पोस्ट की जमीन खरीदने के लिये। उसमें यह था कि अगर १८ महीने की नोटिस वे देंगे तो लीज खत्म हो जायगा। तो नवाब साहब ने १८ महीने पहले नोटिस दे दी कि अब हम आगे लीज नहीं देना चाहते, अगर सरकार खरीदना चाहे तो खरीद ले। इस तरह १८ महीने पहले सरकार को मालूम हो गया कि रामपुर के नवाब साहब लीज नहीं देना चाहते हैं। लेकिन १८ महीने तक यह बात छोड़ दी गयी, पुराने बजट में भी नहीं ली गयी और पुराने सप्लीमेंटरी बजट में भी नहीं ली गयी। आज हमारे सामने आता है यह अनफोरसीन है और रामपुर के नवाब की लीज की जमीन खरीदनी है।

माननीय बेचनराम गुप्त ने यह कहा ९ मदें हैं। मैं कहता हूं कि सिवाय बाढ़ के, सिवाय म्युनिसिपैलिटी के चुनाव के, और फ्रूट युटिलाइजेशन स्कीम के, और कोई भी आप ऐसी मद बतला दीजिये जो अनफोरसीन हो, अर्जेंट हो या नयी सर्विस के हिसाब से हो।

इसी प्रकार लखनऊ युनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का मामला है। यह मेमोरेंडम में साफ लिखा हुआ है कि यह सन् १९५२-५३ के सप्लीमेंट्री में नहीं आ सका। इसके कोई कारण नहीं बतलाये गये हैं कि क्यों नहीं आ सका। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि अर्जेंसी के नाम पर, अनफोरसीन के नाम पर और न्यू सर्विसेज के नाम पर जो वित्तीय गलतियां होती हैं, उनको छिपाने के लिये कुछ बड़ी मदों को ले करके नान अर्जेंट मदों को भी साथ में जोड़ दिया जाता है। इसके

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

साथ-साथ कंटिजेंसी फंड का बहुत दुरुपयोग होता है। हर चीज के लिये कंटिजेंसी फंड से विथड्राअल होता है और कंटिजेंसी का जो अर्थ होता है उससे इस सदन के सभी सदस्य परिचित हैं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, मुझे क्षमा कीजिये यदि मैं आप को उस धैर्य के लिये धन्यवाद दूं जिसके द्वारा कि आप ने माननीय राजनारायणजी का इतना प्रकांड और विद्वत्तापूर्ण भाषण सुना, उसे सुनने के बाद मुझे आशा थी कि उनकी की हुई भूलों को माननीय नारायण दत्त जी सुधारने की चेष्टा करेंगे किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सप्लीमेंटरी बजट दूसरी बार भी इस सदन में आने के उपरान्त हमारे सदन के बहुत से सदस्य न उसका भाव समझ पाये न अर्थ लगा सके। सप्लीमेंटरी बजट के लिये माननीय राजनारायण जी ने कहा कि उसको बार-बार लाने की प्रथा और बीच में लाने की प्रथा अनुचित है, उनका यह तर्क सुन कर आश्चर्य होता है कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें बजट बनाने वाले इतने प्रतिभाशाली हैं कि १२ महीने के सभी खर्चों के एक-एक पाई का अनुमान लगा सकें। सदन ने एक ऐक्ट पास किया है जिसका नाम है कंटिजेंसी फंड ऐक्ट जिसके मातहत ४ करोड़ तक का खर्चा एक्जिक्यूटिव कर सकती है और जिसको सदन दूसरी बैठक में पास करे। एक शिकायत हुआ करती है पिछली-पुरानी और नई हुकूमत की भी कि साल के आखिर में रुपया खर्च करने के बाद बजट पेश किया जाता है। गत वर्ष फरवरी, १९५३ में सप्लीमेंट्री बजट पेश किया गया था जब कि इस साल तीन महीने बाक़ी हैं। गवर्नमेंट ने दस महीने के खर्चे के बाद आज यह पूरक बजट पेश किया है। इस ओर ध्यान देना चाहिये था कि उसने कम से कम एक नई सूरत तो निकाली। ३ करोड़ २४ लाख का जो खर्च पहले था वह ५२-५३ के रेवेन्यू एकाउन्ट का तीन प्रतिशत होता है और आज रेवेन्यू एकाउन्ट में से केवल ३३ लाख ८७ हजार रुपया मांगा जा रहा है। चाहिये तो यह था कि इस गवर्नमेंट की प्रशंसा की जाती कि गवर्नमेंट ने साल भर के खर्चे में इतनी किफायत की और आमदनी में बचत कर के ऐसी जरूरी मदों में रुपया खर्च किया। यह गवर्नमेंट की एकोनामिक और आर्थिक दूरदर्शिता का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इतना पैसा उसने और जगहों से बचा कर, जनता पर विशेष कर-भार न डाल कर और आवश्यक कार्यों में खर्च किया। ५ लाख ८७ हजार रुपया २५ लाख किसानों के लिये है यानी प्लानिंग डेवलपमेंट, कम्युनिटी वर्क्स के लिये रुपया दिया गया है। मूल बजट में ४ लाख रुपया सहायता के लिये और ५ लाख रुपया टेस्ट वर्क्स के लिये रक्खा गया था। पूरक बजट में ५ लाख रुपया अकाल पीड़ितों की सहायता के लिये अधिक दिया गया है। किसान और मजदूरों के हिमायती इसमें कौन सी ऐसी बात सोचते हैं, जिसमें इसका एप्रोसियेशन नहीं कर सकते।

दूसरी मद है रेवेन्यू एकाउन्ट। १ करोड़ २१ लाख रुपया जो इसमें दिखाया गया है इसमें ८३ लाख रुपया किसानों को जा रहा है, ७८ लाख खाद के लिये और ५ लाख मेसोनरी वेल्स के लिये। पता नहीं क्या समझ कर किसानों और मजदूरों के हिमायती इसकी प्रशंसा नहीं कर सकते। इसमें कहाँ से निन्दा की बात पैदा हो गई। छोटी-छोटी बातों को ले कर सदन का समय नष्ट करने से क्या फायदा? दूसरा बड़ा एमाउन्ट है डिस्बर्समेंट ऑफ एडवान्सेज एण्ड लोन्स। ९३ लाख रुपया खेती को संभालने के लिये खर्च किया गया है, लेकिन प्रशंसा का एक भी शब्द किसान और मजदूरों के किसी हिमायती ने नहीं कहा। ३० लाख इसलिये खर्च किया जा रहा है कि मजदूरों के लिये बस्ती बसाई जाय। ५० लाख की पूरी स्कीम है लेकिन बाक़ी रक़म सेंट्रल गवर्नमेंट ने देने का वायदा किया है। वास्तव में हमारे साथियों ने इस बजट का अध्ययन नहीं किया, इसकी भावना को नहीं समझा और न वे यह समझते हैं कि सप्लीमेंट्री बजट किस चिड़िया का नाम है। पता नहीं इस सदन में बहस किस रास्ते पर बहती जा रही है। हमारे माननीय राजनारायण जी ने स्वतंत्र नागरिक होने के नाते यह फरमाया कि आज ब्रिटिश हुकूमत के जमाने से जेलों की हालत और खराब होती जा रही है। आज से बार

दिन पहले की बात है कि कुछ प्रतिनिधि बाहर के माननीय राजनारायण जी के जिले काशी में गये जो प्रयोग देखने के लिये आये थे और उन्होंने यह कहा कि उत्तर प्रदेश में जेलों के सुधार का जितना काम हो रहा है उतना भारत के किसी प्रदेश में नहीं हो रहा है । भारतवर्ष को नहीं, एशिया को इस बात का गर्व होगा कि जिस बन्धनरहित जेल की कल्पना रूशा ने राजनीतिक बन्दियों को चक्कियां पिसवा कर की थी, जिसकी क्रियात्मक कल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका भी कर चुका है, लेकिन वे ज्यादा नहीं कर सके और स्विटज़रलैंड भी ४०० क़ैदियों से ज्यादा नहीं कर सका वहां आज उत्तर प्रदेश की सरकार ३००० क़ैदियों को खुले बन्धन में रखती है । मुझे आश्चर्य है कि ऐसे प्रशंसनीय कार्य के लिये एक भी प्रशंसा का शब्द हमारे दोस्तों के मुंह से नहीं निकला । महिलाओं की जेलों के बारे में भी कहा गया जब कि आज संसार का यह मत है कि पुरुषों से दूर एक अलग महिला जेल बनायी जाय और ऐसा मालूम होता है कि सरकार की निन्दा करना कुछ लोगों का धर्म सा हो गया है । सन् ५० की क्रांति की बात कही गयी लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि उसका क्या सम्बन्ध सप्लीमेंटरी बजट से है । यह भी कहा गया कि इस तरह से सरकार के कार्य करने से मिलीटरी डिक्टेटरशिप हो सकती है । मैं नहीं समझता कि क्या प्रजातंत्र के हिमायती ऐसे मुर्दा हो गये हैं कि वे ऐसा हो जाने देंगे । जो कोई भी दल डिक्टेटरशिप की चेष्टा करेगा हम उसे कुचल देंगे । अगर उन्होंने अपने दल के नेता श्री जयप्रकाशनारायण जी और अच्युत पटवर्धन जी के व्याख्यानों को पढ़ा होता तो उन्हें मालूम होता कि आज वह जमाना नहीं कि केवल निन्दा ही कर के अपना कर्त्तव्य पूरा समझ लिया जाय । आज कार्य करने का युग है । केवल सरकार की निन्दा करने से ही न तो कोई दल बढ़ सकता है और न राजनीति ही बढ़ सकती है । जैसा मैंने पहले कहा, ३३ लाख ८७ हजार रुपये के बारे में यदि वह प्रतिशत निकालेंगे तो रेवेन्यू एकाउन्ट का आधा प्रतिशत आता है । रेवेन्यू एकाउन्ट की रक़म का केवल आधा फ़ीसदी होता है । इससे मालूम होता है कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक नीति कम से कम इस विषय में बहुत ही दृढ़ है । सोच-सोच कर इतनी मितव्ययिता के साथ पैसा खर्च किया जा रहा है कि बिना एक पैसा बढ़ाये अधिक से अधिक कार्य करने के लिये हमने केवल क़रीब पौने तीन करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट प्रस्तुत किया है ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज यहां इस बजट के मौक़े पर कुछ माननीय सदस्यों के भाषण सुनने के लिये मिले । मैं भी दिल्ली के दामन में उस दूर क्षेत्र से यहां आया हूं जहां इस सरकार की निगाहें आज तक नहीं पहुंची हैं, जहां की समस्यायें इतनी जटिल हैं कि उनका सुलझाना बहुत जरूरी है और जहां गंगा और यमुना की त्रिवेणी के समान दो धारायें दृष्टिगोचर होती हैं, और जहां दिल्ली की सीमा पर बिजली की रोशनी रात को जलती है, वह क्षेत्र जहां से मैं आता हूं बिलकुल अंधेरे में पड़ा रहता है । सरकार की कोई योजना आज तक वहां नहीं पहुंच सकी है । २, ३ बातें अवश्य हुई हैं जो छोटी-छोटी हैं । एक अस्पताल, एक मामूली स्कूल वहां कायम किये जा सके । अस्पताल की इमारत के लिये रुपया मंजूर किया गया, लेकिन वह रुपया भी काम में नहीं आ सका, और सरकार की लौटाफेरी में ही रह गया, जिसको कि माननीय परिपूर्णानन्द जी ने इस बजट की बड़ी भारी खूबी बताया है और यह कहा कि सरकार ने कुछ रुपया दूसरे कार्यों से बचा कर और कार्यों के लिये रख दिया है । दुर्भाग्य से हमारा क्षेत्र भी उसी बात का शिकार हुआ है, जो बजट की सब से बड़ी खूबी बतलायी गयी है । और भी बहुत सी बातें हैं । मैं एक स्कूल की चर्चा कर रहा हूं कि सन् १९४६ ई० में सरकार की ओर से एक जूनियर स्कूल वहां क़ायम किया गया, उसकी इमारत के लिये एक पैसा भी नहीं दिया गया है ।

दूसरी सब से बड़ी लानत जो हम पर पड़ती है वह यह है कि पश्चिम के जिले बहुत मालदार हैं और वहां अच्छे काम हुआ करते हैं । मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकार का जो ध्यान पश्चिमी जिलों की ओर से बन गया है कि वहां केवल मालदार ही लोग रहते हैं और वहां सरकार के बहुत बड़े-बड़े काम होते हैं लेकिन जहां की बात मैं कह रहा

[श्री रामचन्द्र विकल]

हूं उस क्षेत्र में न तो सिंचाई के साधन हैं, न अस्पताल हैं, न तालीम का ही कुछ प्रबन्ध है और वहां की दशा प्रान्त के और हिस्सों से ज्यादा खराब है।

मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि सरकार जहां प्रान्त में कोई काम करे या कोई योजना बनाये तो मैं कहूंगा कि सरकार का ध्यान ऐसे क्षेत्रों की तरफ भी जाय जो शहरों से तथा सड़कों से दूर आबाद हैं। वहां पर सिंचाई के लिये नहर, ट्यूब वैल वगैरह कोई भी साधन नहीं हैं। हां, एक नहर जरूर निकलती है जिसके लिये बगैर आबपाशी किये हुये ही वहां के किसानों को तावान देना पड़ता है। वहां की नहर कटती है, न मालूम किन कारणों से कटती है लेकिन किसानों को तावान देने की परेशानी उठानी पड़ती है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार अपनी व्यापक योजनाओं में इस भाग को केवल इसलिये न छोड़ दे कि वह पश्चिम में है और वहां सरकार के काम होते ही हैं।

मैं कह रहा था कि सरकार अव्वल तो कोई मांग स्वीकार करती ही नहीं है और यदि कभी कोई मांग स्वीकार भी हो जाती है तो वह इस लैप्स की बीमारी से हमारा क्षेत्र उसका शिकार हो जाता है। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जहां सरकार के बहुत से काम पिछड़े हुये हैं वहां मैं अपनी सरकार को बधाई देता हूं और जहां सरकार का ऐसे इलाकों की तरफ से उपेक्षा करना है वहां के लिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)--अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन का ज्यादा वक्त नहीं लेना है। नेता जी विरोधी दल ने स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्ध में केवल दो आपत्तियां की हैं एक तो उन्होंने यह आपत्ति की है कि सन् १९४६ ई० में २०,००० रुपया कलेक्टिव सबस्क्रिप्शन द्वारा एकत्रित किया गया था, वहां पर अभी तक चिकित्सालय नहीं बन पाया है। दूसरी उन्होंने एक स्थान के डाक्टर के चरित्र के सम्बन्ध में आपत्ति की है। इस सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि वह सही है। १९४६ में कलेक्टिव सबस्क्रिप्शन के द्वारा २०,००० रुपया प्राप्त हुआ है और अस्पताल बनाने का प्रयत्न भी किया गया है, लेकिन सब से बड़ी कठिनाई जमीन के सम्बन्ध में थी। इसलिये जमीन के बारे में प्रयत्न किया गया और बनारस के राजा साहब ने एक स्थान देने का बचन भी दिया लेकिन वह ऐसा स्थान था जहां तालाब के भरवाने की जरूरत थी और जिसमें व्यय भी काफी होने वाला था। इसलिये राजा साहब से कोई अच्छा स्थान देने के लिये प्रार्थना की गई और इस सम्बन्ध में जिलाधीश तथा अन्य कर्मचारियों को लिखा गया यदि अभी तक वहां पर स्थान मिल गया होता तो चिकित्सालय की इमारत कभी की खड़ी हो गयी होती। इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि उपयुक्त स्थान मिल सके और जैसे ही उपयुक्त स्थान मिल जायगा वहां पर चिकित्सालय के भवन का निर्माण प्रारम्भ करा दिया जायगा।

दूसरी आपत्ति जो उनकी एक डाक्टर के सम्बन्ध में थी वह यह थी कि डाक्टर के०सी० रायजादा के सम्बन्ध में यह अभियोग जरूर मिला। इस वक्त उनको अपने स्थान से हटाना जब कि जांच पुलिस के द्वारा हो रही है, उचित नहीं होगा। उनका बयान भी लिया गया है और सिविल सर्जन ने भी जांच की है। पुलिस की जांच की रिपोर्ट आने के बाद यदि उनको दोषी पाया जायगा तो अवश्य उस डाक्टर के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जायगी। बाकी सब विभाग के सम्बन्ध में कोई विशेष बात माननीय सदस्यों की तरफ से नहीं कही गयी हैं। अभी विकल जी ने अपने क्षेत्र के बारे में कहा। सन् ४२ में जब कि उस क्षेत्र में किसी की नजर नहीं जाती थी, एक अस्पताल कायम किया गया है और एक डाक्टर वहां पर रहता है। जूनियर हाईस्कूल भी कायम किया गया है। गतवर्ष चिकित्सालय की इमारत बनवाने के बारे में कहा गया था, लेकिन यदि उसकी इमारत नहीं बनी है तो इसमें विकल जी की ही जिम्मेदारी है क्योंकि उन्होंने इसके लिये जमीन और कुछ रुपया दिलाने का वादा किया था लेकिन अभी तक न रुपया ही जमा हुआ और न स्थान ही लिया गया। जिस स्थान पर इमारत बनानी थी

उस स्थान की रजिस्ट्री होने में काफी समय लग गया। अब मैं जानता हूं कि दो तीन महीने हुये रजिस्ट्री हो गयी है। अब वहां पर इमारत बनने का प्रश्न विचाराधीन है जिसका इस साल के बजट में प्राविजन भी किया गया है। वहां की इमारत बनवाना इस साल अवश्य शुरू कर दिया जायगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का समय माननीय परिपूर्णानन्द जी की बातों का जवाब देने में नहीं लगाना चाहता, इसलिये कि माननीय विकल जी की बातों को अगर उन्होंने सुन लिया होगा तो वे अवश्य ही संतुष्ट हो गये होंगे। शायद हाउस में उस वक्त मौजूद न हों तो माननीय गोवर्धन जी का भाषण किसी जगह पढ़ लें तो उससे उनको इस बात की पुष्टि हो जायगी कि जो कुछ कहा गया है उससे उल्टा अर्थ सरकार के कारनामों का निकलता है। इतना मैं अवश्य स्वीकार करूंगा कि मैं उनकी विद्वता का कायल हूं और उन्होंने इस बजट को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा है। उन्होंने बहुत से आंकड़ों को बताया लेकिन अगर मैं उनमें उलझूंगा तो दिक्कत हो जायगी और मैं अपनी बात न कह पाऊंगा। इतना मैं अवश्य कह देना चाहता हूं कि उन्हें हमको भ्रम में डालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये। उन्होंने उन मदों के बारे में कुछ नहीं बताया जो भारत सरकार से इस सरकार को प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि ३५ लाख रुपया जो रेवेन्यू साइड से आया उसके अलावा बाक़ी रुपया बचत का रुपया है। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि हम ऐसी बचत नहीं चाहते जैसी कि माननीय विकल जी ने बतायी या जैसी कि गोवर्धन जी ने बतायीं। गोवर्धन जी ने बताया कि मजदूर जो टेस्ट वर्क्स पर काम कर रहे थे उनको मज़दूरी के लिये बार-बार सरकार का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और महीनों दौड़ने के बाद ही उनको मजदूरी मिल पायी। हम इस प्रकार की बचत के लिये किसी प्रकार से भी तैयार नहीं हैं, चाहे तो पूरक बजट हो या मुख्य बजट हो। हमें यह देखना होता है कि इसमें देश के ग़रीब लोगों की ग़रीबी को दूर करने में वह मददगार हुआ है या नहीं। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार के दिलाने में वह मददगार है या नहीं। लेकिन मैं देखता हूं कि यह २ करोड़ ७२ लाख रुपये का बजट इस प्रकार से उनका मददगार है, ऐसा कोई चिन्ह इसमें नहीं पाया जाता। यह ठीक है कि पूरक बजट पेश करने का जो तरीका पुराना था उसी पुराने तरीके से वह हमारे सामने पेश कर दिया जाता है। जब वह मेरे सामने आया तो मैंने आंख फाड़ फाड़ कर देखा लेकिन उसमें माननीय मुख्य मंत्री की जो पवित्र इच्छा है उसकी पूर्ति होती मुझे कहीं दिखाई नहीं देती। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसी दिन फरमाया था कि हमारे उत्तर प्रदेश में बेकारी को दूर करने के लिये प्राथमिकता दी जायगी। उसके बाद ही सप्लीमेंट्री बजट आया लेकिन उसमें मैंने उनकी इच्छा को कहीं भी पूरी होते हुये नहीं पाया। बल्कि यह ज़रूर देखा कि हमारे प्रदेश में २० स्थानों पर एम्प्लायमेंट एक्सचेंज थे उनमें से ९ को बंद कर दिया जायगा, केवल ११ उनमें से रहेंगे। वे एम्प्लायमेंट ऐक्सचेंज कितने लोगों को रोजी दिलाते थे, मैं इस बात का झगड़ा नहीं करना चाहता हूं मगर कम से कम जो क़दम बेरोजगारी दूर करने के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार उठा रही है वह यही है कि २० एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में से ९ को बन्द कर रही है और ११ को रहने दे रही है। इसके अलावा दूसरी योजनाओं को जब मैं देखता हूं तो टेक्निकल इंस्टिट्यूट्स जिनमें कि पहले फीस नहीं लगती थी अब इस साल के सप्लीमेंटरी बजट में इस बात की गुंजाइश है कि उनके ऊपर भी फीस लगा दी जाय।

हां, यह बात मैंने ज़रूर देखी कि रेशनलाइजेशन और एफिसिएंसी सेक्शन लेबर डिपार्टमेंट ज़रूर खोलने जा रहा है और उसके लिये ९२ हजार रुपया खर्च होगा। इस ९२ हजार रुपये से टेक्सटाइल और शुगर इंडस्ट्रीज़ में रेशनेलाइजेशन होगा। मुझे रेशनलाइजेशन का काफी अनुभव है और इसलिये मैं समझता हूं कि रेशनलाइजेशन के माने क्या हैं। आज जो हजारों आदमी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में लगे हुये हैं, चाहे वे लक्ष्मी रतन काटन मिल के हों या स्वदेशी काटन मिल के हों, अगर वहां रेशनलाइजेशन किया जाता है तो इसके माने यही होंगे कि जितने आदमी निकाले गये हैं वे बिलकुल ठीक हैं। मैं समझता हूं कि अगर यही उद्देश्य इस रेशनलाइजेशन

[श्री गेंदासिंह]

का है तो मैं इस सदन से यही कहूंगा कि इस ६२ हजार रुपये की रक़म में से एक पाई भी मंजूर नहीं करना चाहिये। जहां तक मैं समझ पाया हूं, रेशनलाइजेशन का यही मतलब है। मुझे माननीय श्रम मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी यह बतलाने की कोशिश करें कि रेशनलाइजेशन के क्या माने हैं। इस एफिसिएंसी सेक्शन का काम इसके सिवा और क्या होगा कि वह लोगों को निकालने की योजना बनाये? एक तरफ तो यह बात है और दूसरी तरफ मैं कहीं नहीं देखता हूं कि सरकार बड़ी-बड़ी रक़म इकट्ठी करने वालों पर किसी मिल पर, किसी लखपती पर या किसी करोड़ पति पर ऐसा कोई टैक्स लेने का विचार कर रही है कि वह रुपया निकल कर ऐसे लोगों के हाथों में जाय जिनकी परचेजिंग कैपिसिटी बढ़े।

सरकार बजट पेश कर के माननीय परिपूर्णानन्द जी से यह कहलवा रही है कि हम उसे बधाई दें, हम क्यों बधाई दें? माननीय परिपूर्णानन्द जी हमें बता दें कि इस बजट में कितना हजार रुपया, २ करोड़ ७२ लाख में से लोगों को रोजी दिलाने के लिये रखा गया है। वे कह रहे हैं कि हम आवें तो वे कान में समझा देंगे लेकिन हम कान में समझने वाले नहीं हैं, हम सदन के सामने समझने वाले हैं। मैं तो इसको कई बार कह चुका हूं कि मैं देहात का किसान हूं, मैं किताबों के जंगल में नहीं जाना चाहता लेकिन अगर वे हमें समझा देंगे तो मैं उसे मान लूंगा। मैं सरकार को बधाई देने के लिये भी तैयार हूं। जहां तक सरकार ने किसानों को कर्जा दिया उसके लिये मैं उसे बधाई देने के लिये तैयार हूं। लेकिन मैं माननीय परिपूर्णानन्द जी जैसे पढ़े लिखे से यह कहूंगा कि क्या कभी उन्होंने बिहार के अखबारों को नहीं पढ़ा है। बाढ़-पीड़ितों के सिलसिले में जो कुछ बिहार की सरकार कर रही है उसे आप देखने की मेहरबानी करें तो आपको मालूम हो जायगा कि वह इस कार्य के लिये कितना रुपया खर्च कर रही है। अगर उन्होंने इसे देखा होता तो वे कभी भी इस सरकार को बधाई देने के लिये नहीं कहते, क्योंकि सिर्फ ४ जिलों में उसके यहां बाढ़ है, उत्तरी बिहार के जिले हैं। मगर मैं समझता हूं कि जो सहायता वहां की सरकार बाढ़-पीड़ितों की कर रही है उनके मुकाबिले में यू० पी० सरकार की सहायता नहीं के बराबर है। चार चार आने आठ आठ आने मजदूरी देकर जो हजारों आदमी हमारे जिले में काम करने के लिये आते थे अभी १० दिन हुए कि वहां काम बन्द कर दिया गया है, जिससे ४ हजार आदमी बेरोजगार हो गये हैं। वहीं पर चार बालिश्त बाद के जो गांव बिहार के अन्दर हैं वहां बिहार सरकार १२ आने मजदूरी देकर काम करा रही है। तो यह मदद और सहायता जो कुछ बाढ़ से क्षति हुयी है उसके मुकाबिले में यू० पी० की सरकार ने क्या किया? इसकी चर्चा तो मैं बाद में करूंगा जब कि बजट आवेगा। इस समय समय नहीं है। इस समय जैसा कि माननीय राज नारायण जी ने कहा कि अगर उनको मालूम हो गया होता कि कहीं पर इस सरकार ने इस बजट में इस कार्य के लिये कुछ रकम रखी है, जिससे लोगों की क्रयशक्ति बढ़ने जा रही है, और गरीब लोगों को, थोड़ा पढ़े लिखे लोगों को और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिलने जा रही है तो हम धन्यवाद देते। धन्यवाद देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। जैसा कि श्री अशोक मेहता ने कहा है कि एरियाज आफ एग्रीमेंट हो सकता है, तो हम तो एरियाज आफ एग्रीमेंट की बात सोचते हैं। इसलिये ऐसी बात के लिये माननीय परिपूर्णानन्द जी का सरकार को बधाई देने के लिये कहना मैं समझता हूं कि शोभा नहीं देता। मैं उनसे फिर बारबार इस बात का आग्रह करूंगा कि वे मेरी बात को छोड़ दें, माननीय राज नारायण जी की बात को छोड़ दें, माननीय गोवर्धन जी की बात को सुनें, माननीय रामचन्द्र जी विकल की बात को सुनें, और पार्टी के रंग को छोड़कर उनकी बातों को सुनें और देखें कि वे क्या कहते हैं। वह इशारा कर रहे हैं कि यहां आजाओ तो बतला दूं। मैं क्यों आऊं और अगर आऊंगा तो बड़ी मुसीबत हो जायगी। मैं तो सीधे-सीधे उनसे पुनः निवेदन करता हूं कि शायद इन लोगों को माननीय परिपूर्णानन्द जी कभी-कभी

डाटते होंगे कि क्यों ऐसी बात सदन में कह दिया करते हो, जो तुम्हें नहीं कहनी चाहिये। मेरे लिये क्या, हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, मैं बहुत बेखौफ होकर बातें कहा करता हूं।

मैं आखिर में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अगर बेरोजगारी और बेकारी दूर करने की योजना ले आये तो एक करोड़, दो करोड़, पांच करोड़ और दस करोड़ रुपया खर्च करने की बात हो तो हम कहेंगे कि खर्च करो और उसके लिये उस वक्त हम सरकार को बधाई दे सकते हैं।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—जनाब स्पीकर साहब, एक शायर ने एक शेर कहा था। मैं आपकी इजाजत से इस मौके पर मेम्बरान को सुनाना चाहता हूं, इसलिये कि आज जो नक्शा बहस का मेरे सामने आया वह नकशा इस शेर में खिंच जाता है। वह शेर यह है।

'कासिद के आते-आते खत और लिख रखूं।
मैं जानता हूं कि जो वह कहेंगे जवाब में।।

अब इसे मैं मेम्बरान के ऊपर छोड़ दूंगा कि वह खुद अन्दाजा कर लें कि यहां जो कुछ हुआ और शायद जो कुछ अब करेंगे उसका सबका हासिल एक है।

जहां तक इन सप्लीमेन्टरीज का ताल्लुक है इस पर कुछ लीगल एतराज है कि कांस्टीट्यूशन में जिस तरीके से सप्लीमेन्टरी लाने की इजाजत दी है उसकी जो धारा संविधान में है उसके मुताबिक यह नहीं है। मैं फायनेन्स सेक्रेटरी का एक नोट जो इन वाल्यूम्स में है उसकी तीन लाइनें पढ़कर सुनाता हूं। उनसे यह मालूम होगा कि यह किस हद तक कानून के मुताबिक है :

"The demands included here are mostly for new items of expenditure for which no provision was included in the current year's budget and which are so urgent that thei rpostponement till the following year is considered undesirable."

मैंने जितनी तकरीरें सुनी हैं उनमें से किसी ने यह बात नहीं कही है कि ये स्कीम्स जो इस किताब में दी हुयी हैं जिन पर बहस हुयी है उनमें से कोई स्कीम ऐसी है कि उनको मुफीद नहीं समझा जाय और या उनको इस साल शुरू करने के बजाय अगले साल तक इन्तजार करना चाहिये। बेकार और बाकार की बात तो ऐसी है कि जो कायदे की बात हो वह भी बेकार कही जा सकती है और बेकायदे बात हो वह भी बाकार कही जा सकती है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, ऐसा किसने कहा? किसी ने भी एसा नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष—इस मौके पर सवाल तो आप नहीं कर सकते।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—जितनी स्पीचेज यहां लिखी गयी हैं वे अभी मौजूद हैं और मैं पूरे यक़ीन के साथ कहता हूं कि मैं इसी वक्त हर एक तक़रीर से साबित कर सकता हूं कि किसी ने भी इस असेम्बली में ऐसा नहीं कहा है कि जो स्कीम इस में दी हुयी हैं वह मुफीद नहीं हैं या किसी ने भी उनकी तनकीद नहीं की है और अगर की है तो उन को छोड़कर बाकी जो हाउस है उसमें से हर एक मेम्बर के पास यह किताब मौजूद है वह उसको देखकर फैसला कर लें कि नोट में क्या लिखा है। मेम्बर साहबान देखें कि जो बिलकुल नयी स्कीम हैं उनको लाना संविधान की रू से जायज था और इस स्टेट को उनके इस वक्त न लाने से नुकसान होता। लिहाजा उस नुकसान से बचने के लिये और संबिधान के मुताबिक ही यह सप्लीमेन्टरी

[श्री हाफिमुब्राहीम]इहजम्मद

एस्टीमेट्स लाये गये हैं। मैं एक ग्राम जवाब दे सकता था लेकिन जिन्होंने ज्यादातर एतराज किये हैं उन सबको एक जगह होने का मौका है और उनके अलावा दूसर मेम्बर साहबान से मैंने कोई इस किस्म का एतराज नहीं सुना। हो सकता है कि उन्होंने अपने दिमाग को रिजर्व कर रखा हो इसलिये कि यह कोई मौजूं जगह नहीं है और यहां उनके करने से कोई पब्लिसिटी नहीं हो सकेगी, लिहाजा उन्होंने उसको यहीं कर दिया।

दो तीन बातें खास कही गयीं और जिनकी निस्बत मैं एक ग्राम बात अर्ज करता हूं कि इस बहस के सिलसिले में उनके कहने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वे बातें ग्राण्टवाइज बहस में लाई जा सकती थीं, लेकिन चूंकि वह कह दी गई हैं इसलिये मैं उन की निस्बत कुछ अर्ज करता हूं। मसलन यह कहा गया कि रामपुर में नवाब रामपुर की कुछ जमीन सरकार के पास है। वह इस सरकार ने नहीं ली है, बल्कि किसी पिछली सरकार ने २० साल के लिये उसको ठेके पर लिया था और उसी सरकार के जमाने में उसके ऊपर इमारत बन गयी थी और उनको हक़ था कि इतने दिनों का नोटिस देकर वह कह देंगे कि सरकार अपनी इमारत हटा ले। उसके बाद नवाब साहब रामपुर ने नोटिस दे दिया और इस वक्त सरकार की हजारों रुपये की इमारत उस जमीन पर खड़ी हुई थी, उनसे मामला तय किया गया कि वह इमारत उस जमीन पर रहे और इसमें वक्त लगा। १८ महीने का वक्त शुरू से ग्राखिर तक इन नेगोशियेशन्स में लगा। यह दूसरे शख्स की जबान पर था कि सरकार को ग्राइन्दा वह हक रहे या न रहे जो अब तक उसको उस जमीन पर था और वे मान गये। इस से ज्यादा मैं और इस सिलसिले में नहीं अर्ज करना चाहता। एक बात यह कही गयी कि बनारस के संस्कृत कालेज की लाइब्रेरी के लिये केटे लागिंग के वास्ते रुपये की जरूरत थी और उसके लिये किसी मौके पर नरेन्द्रदेव जी ने कहा था। उसके लिये गवर्नमेंट ने कुछ रुपया दिया था। कहा गया कि वह रुपया उस मक़सद पर खर्च नहीं हुआ, बल्कि उसको वापस ले लिया गया, यह बात बिलकुल ग़लत है।

एक सदस्य--यह किसने कहा?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--एक साहब जो सामने बैठते हैं उन्होंने कहा था और मैंने सुनकर अपने सामने नोट कर लिया था। बनारस संस्कृत कालेज के मुताल्लिक उसकी लाइब्रेरी के वास्ते कैटेलागिंग के लिए रुपया दिया गया और वह बिलकुल उसी मक़सद के ऊपर खर्च किया गया।

दूसरी बात एक कही गई थी जौनपुर में जो वहां कोई इंस्टीट्यूशन है उसी की प्रेमिसेज के अन्दर, अहाते में, उसके किसी साहब का एक रेस्ट्रां है। वहां, और जो मेरा इल्म है वह यह है कि जो उसके मालिक हैं वह वहां की मुकामी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी हैं। वहां के टीचर्स ने अपने सालाना जलसे में, जो कि यूनियनों और एसोसियेशनों का मुख्तलिफ सर्विसेज का, एन्युअल जलसा होता है, वैसे ही टीचर्स ने अपनी सर्विसेज का सालाना जलसा वहां किया, कहीं उस इंस्टीट्यूशन में, उस जलसे में, उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर साहब को दावत दी थी कि आप उसका उद्घाटन करें। यह उसका उद्घाटन करने के लिए तशरीफ ले गये थे। जिस रोज रात को वे वहां पहुचे, जौनपुर, तो मालूम हुआ कि उन सेक्रेटरी साहब की तरफ से उनके खिलाफ एक गलत प्रोपोगंडे का पैम्फलेट छपा हुआ है, वह तकसीम हो रहा है और सुबह वह वहां तकसीम होगा। उसकी इत्तिला जब उन लोगों को हुई जिनका कि एसोसियेशन था तो उन्होंने तहकीकात की और इसे सही पाया। उन्होंने कहा कि जब तक हमारा जलसा खत्म नहीं होता तब तक आप यहां नहीं बैठ सकते और इस काम को हम नहीं करने देंगे कि इस किस्म का

प्रोपेगंडा इस मौके पर आप करें। इसके बाद फिर वही रेस्ट्रां है वहां और फिर कोई और किसी किस्म की बात पैदा नहीं हुई। यह वाकयात भी मेरे ख्याल में सही नहीं थे। हमारे दोस्त बनारस के स्पीकर साहब थे, मेम्बर हैं, हमारे गुप्ता जी को उन्होंने कुछ मशविरे दिये। उन मशविरों के मुताल्लिक तो मैं सिर्फ यह जवाब दिये देता हूं कि मैं उन मशविरों को जांचूंगा और उसमें जिस-जिस बात को इस काबिल समझूंगा कि उन पर अमल किया जाय, उनके ऊपर अमल करूंगा।

एक अभी शिकायत हो रही थी बिजली की पहाड़ों में, पानी की भी शिकायत थी। पानी की शिकायत के मुताल्लिक, खैर, मेरा यह कहना तो गलत होगा कि मैं उससे डाइरेक्टली कन्सर्न्ड नहीं हूं और मैं उसका जवाब देने का जिम्मेदार नहीं हूं। जरूर जिम्मेदार हूं मैं उसका जवाब देने का, मगर इस वक्त जो कुछ इस सिलसिले में वहां हो रहा है उसकी पूरी मालूमात इस दौरान में जो कि उनकी तकरीर में और मेरी तकरीर में गुजरा है, मैं मंगा नहीं सका हूं। लेकिन बिजली की भी शिकायत थी। तो बिजली के मुताल्लिक मैं आपकी इजाजत से बतला देता हूं चन्द लफ्जों में कि यह-यह हो रहा है। आगे के लिए वह इरशाद फरमा रहे थे कि यह-यह वहां होना चाहिए। बागेश्वर और गरुड़, ये दो मुकाम हैं वहां। इन दो जगहों में बिजली का इन्तजाम हो रहा है। बागेश्वर के लिए जो वहां का पावर प्लांट है उसके लिए आर्डर जा चुका है और वहां पर लाइन इस वक्त भेजी जा रही है जिसका काम जारी है। नैनीताल, भुवाली, रानीखेत, अल्मोड़ा और मुक्तेश्वर इनके लिए ६८ के० वी० लाइन इस वक्त लगाई जा रही है, बरेली से वहां पर लाइन पहुंचाने के लिए।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—शहरों के लिए हो रहा है, देहातों के लिए नहीं।

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—जब लाइन चलती है एक मुकाम से दूसरे मुकाम को तो उसके रास्ते में गांव हमेशा आते हैं और उन गांवों के अन्दर बिजली पहुंच जाती है। यहां इस तरह से देख लिया जाय कि एक मुकाम से दूसरे मुकाम को जब बिजली जाती है तो उसके रास्ते में गांव किस तरह से आ जाते हैं। तो उसके मुताल्लिक भी कोई ऐसी शिकायत की बात नहीं है। एक तजवीज यह पेश हुई, यानी सुझाव दिया गया और कोई रेजोल्यूशन भी उसके मुताल्लिक आने वाला है कि सिंचाई के लिए जो ट्यूबवेल्स बनाये जा रहे हैं और उनके ऊपर बहुत सा रुपया खर्च किया जा रहा है, यह एक गलत तरकीब है। मुनासिब यह है कि किसी मुकर्ररा रकबे पर कि इतने एकड़ पर एक कुआं पक्का, जैसे कि हमारे होते हैं, बना दिया जाय और उससे आबपाशी कराई जाय। जिन मेरे दोस्त ने यह तजवीज बनाई है उन्होंने शायद इतनी तकलीफ गवारा नहीं की और अगर की है तो शायद वह सही नतीजे पर नहीं पहुंच सके। अगर वह मेरे पास आने की तकलीफ करेंगे तो मैं उनको पूरे तौर से इस बात को समझा दूंगा कि अगर हम इस उसूल को मानें कि आबपाशी का खर्चा किसी जमाने में उतना होना चाहिये जितना कि कम से कम हो सकता है तो एक उसूल है आबपाशी का, उसके मातहत यह नहीं कि वह चार पैसा हो या दो पैसा हो, बल्कि जितने तरीके दुनिया में रायज हैं आबपाशी के उनमें जो सही हो बनिस्बत दूसरे के तो हमेशा उसको अख्तियार किया जाना चाहिये। मैं यकीन दिलाता हूं अपने दोस्त को, जैसा कि मैंने अर्ज किया, मैं उनको समझा दूंगा कि किसी कुवें को खोद कर वैसे आबपाशी करने और एक ट्यूबवेल जो लगा हुआ है उसके जरिये आबपाशी देना और जितने रकबे को वह सींचता है उसके हिसाब से कुवें बनवा कर उन दोनों के खर्चे का मुकाबला किया जाय तो एक और तीन का आप फर्क पायेंगे। लिहाजा जो स्कीम कि इस वक्त यहां तकरीर में बयान की गयी वह तो किसी तरीके से किसी मुल्क के वास्ते आर्थिक नहीं समझी जा सकती, एकोनामिक नहीं हो सकती है और उसके अख्तियार करने के मशविरे को कम से कम इस वक्त की जो गवर्नमेंट है वह तो शायद मजबूर है, आइन्दा जो कोई भी आवे उसको मंजूर कर ले। उसकी निस्बत में कुछ अर्ज नहीं कर सकूंगा।

[श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम]

जेल की बाबत कहा गया । एक बात मैंने बड़ी अजीब सुनी। अजीब क्यों कहूं बड़ी दिलचस्प, वेरी इंटेरेस्टिंग कि जब हम गये जेल अंगरेजों के जमाने में तब तो हमने वहां आराम पाया और अब गये हम जेल तो हमने वहां तकलीफ पायी। आज मैं जनाब से अर्ज़ करूं बड़े अदब के साथ और मेम्बरान की खिदमत में अर्ज़ करूं कि एक वफ़द यहां के मेम्बरान का बनाया जाय, दो चार, पांच मेम्बरान का, और जितनी जेल यू० पी० में हैं उन सब में उनको घुमाया जाय। मैं यह नहीं कहता कि पहले कायदा यह था और अब यह है, अगर यह कहता तो उसकी निस्बत यह कहा जा सकता था कि काग़ज़ पर लिख रखा होगा, मौके पर अमल नहीं होने पाया है। इसलिये मैं अर्ज़ करता हूं कि न्यूटरल आदमियों का एक वफ़द घुमा दिया जाय। वह जाकर देखे कि वहां क्या हो रहा है। वहां के कैदियों से दरियाफ्त करके आयें कि उन्हें क्या तकलीफ है। मेरे नजदीक तकलीफ जिस चीज़ का नाम है वह रही नहीं है और मफ़कूद होती जाती है। इसलिए कि मतमये-नज़र यानी दृष्टिकोण इस गवर्नमेंट की जेल की पालिसी का यह है कि इनको तकलीफ और दुःख देकर के लोगों को बदलना नहीं है, बदल नहीं सकते हैं, बल्कि अच्छी शिक्षा देकर, आराम देकर, इनको इस तरफ मुत्वज्जह करके कि क्रिमिनलिटी बुरी बात है उसको छोड़ें, इस दृष्टिकोण से काम कराया जाता है।

हां, मैं अर्ज़ करता हूं कि एक शख्स को जरूर वहां तकलीफ होगी, अगर वह जेल जाय। तो शायद मेरे दोस्त जिन्होंने यह कहा उनका यह केस हो। वह जो तकलीफ होगी वह है दिमागी तकलीफ। उसको कोई दूर कर नहीं सकता है। एक साहब जेल जायं, उनके दिमाग़ को यह तकलीफ हो कि "हाय, देश के आजाद होने के बाद आज भी मैं भेजने वालों में नहीं हूं आने वालों में हूं।" इसकी तक़लीफ दिमाग़ को ज़रूर हो सकती है। वह हुई होगी। उससे मैं इनकार नहीं कर सकता। बाकी वहां और कोई तकलीफ हो, इसको मैं नहीं मानता। यह कहा गया कि औरतों की एक जेल बननी तजवीज़ है। मिनिस्टर साहब जो हैं उनका फरमाना तो यह है कि जेल हों ही न। अगर सब आदमी नेक हो जायं, किसी को जेल भेजने की ज़रूरत न रहे तो यह बाअसे ख्वाहिश है। बावजूद इस ख्याल के एक तरफ तो लखनऊ में एक बहुत बड़ी जेल बनाई जा रही है और एक तरफ औरतों की जेल बन रही है। यह सही है, इसलिये कि हमने देखा, जैसा कि औरों को सब को मालूम है, कि इस सूबे की जेलों में जो लोग रहते हैं, हालांकि उनमें औरतें कम रहती हैं, फिर भी लाजिमी है उनको मर्दों के साथ रख नहीं सकते, उनके रहने के लिये और जगह बनी हुई है। वह एक तनहाई के अन्दर अजीब तकलीफ में जिन्दगी गुजारती हैं। इसलिये यह लाजिमी हो गया कि एक अच्छे आराम की जेल बना कर सब के लिये इन्तजाम कर दिया जाय और औरतों को वहां रखा जाय ताकि वे एक दूसरे की सोसाइटी में रहें और उनको उस किस्म की बातों का अहसास न हो जिनका कि तनहाई में अहसास होता है। तो यह तो सिर्फ औरतों को आराम पहुंचाने के लिये इस बात को अख्तियार किया गया, यह कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर एतराज़ किया जा सके।

मैंने यह भी सुना कि मेरे बुजुर्ग दोस्त श्री गोपालनारायण जी सक्सेना जेल में गये थे उनको तकलीफ हुई। क्या तकलीफ हुई यह नहीं सुना। जहां तक मुझे इल्म है गवर्नमेंट ने भी नहीं सुना। न इस तरह की कोई बातें गवर्नमेंट की नोटिस में लाई ही गईं कि क्या तकलीफ हुई। मैं बड़ी खुशी से उन कहने वाले दोस्त को दावत देता हूं कि वह उन तकलीफों को बतलायें, जेल मिनिस्टर साहब से मिल लें या हमारे पन्त जी से मिल लें और उन्हें बतलायें कि यह-यह गलत बातें हुई हैं। वैसे मुझे तो यकीन है कि यह हुआ ही नहीं। ग़लत अफवाहों पर खयाल कायम कर लेना यह तो दूसरी बात है। लेकिन अगर वाकई किसी को यकीन है कि ऐसा हुआ तो हम उन बातों को जानना चाहेंगे और हम

उसे कभी गवारा नहीं कर सकते। हमने, हुजूरवाला, जेलें इसलिये नहीं बना रखी थीं कि अगर कोई दूसरी पार्टीवाला किसी किस्म की कार्रवाई करेगा तो हम उसे तकलीफ देंगे। उसको तो मेरे नजदीक कहने से पहले जो साहबान यह चाहते हैं कि इस किस्म की बात न हो उनको गवर्नमेंट के सामने रखना चाहिये था। वह गवर्नमेंट से कहते, जेल मिनिस्टर साहब से कहते और फिर मालूम होता कि यह बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है।

मेरे किसी दोस्त ने यह कहा कि कोई वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हैं या क्या हैं, मैं ठीक समझा नहीं, उनके पुलिस ने हथकड़ी डाली। उसके बाद आप कहते हैं और वह किस्सा टूटा इस बात पर कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उनके लिये कार भेजी, कार में उनको बिठाया गया और वे कार में वहां पहुंचाये गये जहां कि उनको ले जाने वाले थे। कहां तो एक आदमी उनके हाथों में हथकडियां डाले हुये था और पुलिस का कांस्टेबिल घसीटता हुआ चला जा रहा था, कहां उनको कार में बिठला कर के पहुंचा दिया गया! इससे आप सब अन्दाज़ा कर सकते हैं कि इस स्टोरी में कहां तक सच्चाई है। मैं अर्ज करूं कि आदमी दुनिया में बदनियती भी करता है, आदमी दीदोदानिश्ता ऐसे काम करता है जिनके लिये यह समझा जा सकता है कि वह काम बदनियती से किये गये हैं। मुमकिन है कि किसी ग़रीब कांस्टेबिल की समझ में न आया हो और उसने यह कार्यवाही कर ली हो, लेकिन ज्योंही वे इस गवर्नमेंट के हायर अथारिटीज़ के सामने आये, वह बात बाक़ी नहीं रही, तो क्या वह ऐसी बात हो सकती है कि उसकी इस ऐवान में आ करके शिकायत की जाय। मेरे नज़दीक यह चीज़ उस दर्जे की नहीं है। जो चीज़ जिस दर्जे की हो, उसको उसी दर्जे पर रखना चाहिये, उसको उससे आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है।

एक बात यह कही गयी कि सड़कों के प्रोग्राम में दूसरी सड़कों को लेते रहते हैं। जिन साहब ने इस बात को कहा वह तो चले गये हैं। तो क्या मैं इस बात को छोड दूं और इसमें हाउस का वक्त खर्च न करूं ?

एक हमारे दोस्त ने यह सजेशन किया कि स्टेट डिपार्टमेंट एबालिश कर दिया जाय। उसकी जो हिस्ट्री बयान की, किसी आदमी को, जिसकी ज़रा भी तहज़ीब का खयाल हो, दिक्क़त भी होती है कहते हुये, और जी नहीं चाहता है कहते हुये कि एक ग़लत हिस्ट्री बयान कर दी और यह कह दिया महबूब आलम स्टेट आफिसर थे। कोई महबूब आलम इस गवर्नमेंट में स्टेट आफिसर नहीं रहे। लाल सिंह एस० ए० डी० में एक असिस्टेंट सेक्रेटरी थे, वह थे स्टेट आफिसर। जो यह समझा गया है कि स्टेट डिपार्टमेंट के पास सिर्फ मेम्बरों के मुताल्लिक काम हैं, यह बात ग़लत है।

श्री अध्यक्ष--अब दो ही मिनट रह गये हैं। मैं वक्त की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--मैं दो मिनट में ही यह बात ख़त्म कर दूंगा। स्टेट डिपार्टमेंट का काम सिर्फ मेम्बरों के मुताल्लिक़ नहीं है। जितने काम उसके पास हैं उनके अलावा उनके पास और काम आ रहे हैं जिनको इस डिपार्टमेंट से कराना है और जो किसी और डिपार्टमेंट से नहीं हो सकते हैं। आज लखनऊ से बाहर जो गवर्नमेंट ने अपने दफ्तरों के लिये कहीं इमारतें बनायी हैं, वह १४ हजार गवर्नमेंट के पास इमारतें हैं इस वक्त कि जिनका ऐडमिनि-स्ट्रेशन गवर्नमेंट को मुस्तकिल तौर पर करना है। वह इमारतें अभी और बढ़ रही हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का काम तो सिर्फ यह है कि वह बना दे। उनके पास बनाने का इतना काम है कि वह उसी से नहीं निकल सकते हैं और असेम्बली डिपार्टमेंट को तो उससे कुछ वास्ता ही नहीं है उन इमारतों के इन्तजाम से जो सरकार की इमारतें हैं। जितना मेम्बरों के मुताल्लिक़ काम है, इनके पास तो ज्यादा से ज्यादा वही आ सकता है। और उसके मुताल्लिक मैं यह अर्ज़ करूं कि इस सिलसिले में दो तीन दफा यहां सवालात हुये और उन सवालात के जवाब में मैंने कह दिया कि यह काम तो खुद असेम्बली डिपार्टमेंट ने छोड़ा। उसके बाद गुफ्तगू भी हुई लेकिन असेम्बली डिपार्टमेंट लेने के लिये तैयार नहीं हुआ। तो य बात दूसरी है कि जो मेम्बरों का काम है

[श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम]

वह अलग कर दिया जाय लेकिन यह कि स्टेट डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है यह बात ग़लत है। उसकी मुस्तक़िल ज़रूरत है, जरूरत बढ़ती जा रही है और जरूरत बढ़ती जायगी जितनी कि इमारतें बढ़ती जा रही हैं। अब ५ पर सुई आ गई लिहाजा मैं माफी मांगता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, मैं बनारस के बारे में माननीय वित्त मंत्री से यह निवेदन कर दूं कि मैंने यह नहीं कहा कि रुपया वापस ले लिया, मैंने यह कहा कि जिस प्रकार रुपया ख़र्च होना चाहिये था वह ख़र्च नहीं हुआ।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--मैंने कहा था कि ख़र्च हो गया।

श्री राजनारायण--जरा सुन लीजिये। जिस तरीक़े से ख़र्च होना चाहिये था उस तरीक़े से ख़र्च नहीं हुआ। जब छपाने का समय बीत गया तब तक कैटेलागिंग की छपाई नहीं हुई थी।

श्री अध्यक्ष--अब कोई नई चीज ऐड नहीं कीजिये। जो कहा था वही कहिये।

श्री राजनारायण--कैटेलागिंग के लिये रुपया मंजर हुआ था, लेकिन उसकी छपाई नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष--यह चीज आपने नहीं कही थी, यह नई चीज आप ऐड कर रहे हैं। यह बात सही है कि आपने यह नहीं कहा था कि सरकार ने रुपया वापस ले लिया?

श्री राजनारायण--जी हां।

(इसके बाद सदन ५ बज कर १ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ; कैलासचन्द्र भटनागर,

२३ दिसम्बर, १९५३। सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३३ पर)

जून तथा जुलाई, १९५३ में हिण्डन बैरियर गाजियाबाद से यातायात की हुई चने तथा उसके बने हुये पदार्थों की राशि का नकशा

क्रम संख्या	परमिट होल्डर का नाम	पता	पदार्थ	मात्रा		
१	२	३	४	५		
		मई, १९५३				
				मन	सेर	छ०
१	श्री आशा राम	गांव पसौंडा	चना	२	०	०
२	,, आनन्द	,, ,,	,,	२	०	०
३	,, बलराज सिंह	,, बिपलनपुर	,,	१	०	०
४	,, गंगा सिंह	,, अर्थला	,,	२	०	०
५	,, शिवचरन	,, करहड़ा	,,	२	०	०
६	,, गेंदा	,, ,,	,,	१	०	०
७	,, सेमा	,, बहारा हिर्जापुर	,,	२	०	०
८	,, शिव राम	,, ,,	,,	२	०	०
९	,, अब्दुलसलाम	,, ,, ,,	,,	१	०	०
१०	,, राम निवास	,, ,, ,,	,,	२	०	०
११	,, अलाउद्दीन	,, पसोंडाँ	,,	१	०	०
			योग	१८	०	०
		जून, १९५३				
१	श्री विमल	गांव पसोंडा	चना	२	०	०
२	,, गोपीनाथ	,, ,,	,,	२	०	०
३	,, भानू	,, रिसलख	,,	१	१०	०
४	,, गेंदा	,, ,,	,,	१	१०	०
५	,, टेक चन्द	,, निसतोली	,,	२	०	०
६	,, रामचन्द	,, ,,	,,	२	०	०
७	,, नरेन्द्र नाथ.	,, ,,	,,	०	२०	०
८	,, शिवलाल	,, कर्देरा	,,	२	०	०
९	,, राम दीन	,, रामशुन्द	,,	२	०	०
१०	,, विहारी लाल	,, फरक़नगर	,,	२	०	०
११	,, करम सिंह	,, कन्देरा	,,	२	०	०
१२	,, चन्दर सिंह	,, ,,	,,	२	०	०
१३	,, लक्ष्मन	,, पसोंडा	,,	२	०	०
१४	,, हबीब अहमद	,, ,,	,,	२	०	०
१५	,, राजकुमार	,, ,,	,,	२	०	०
१६	,, बनवारी लाल	,, ,,	,,	२	०	०

क्रम-संख्या	परमिट होल्डर का नाम	पता	पदार्थ	मात्रा		
१	२	३	४	५		
				मन०	सेर०	छ०
१७	श्री नानक चन्द	गाँव असालतपुर	चना	२	०	०
१८	,, रामफल	,,	,,	२	०	०
१९	,, रामनन्द	गाँव फरक़नगर	,,	२	०	०
२०	,, अम्बे प्रसाद	,,	,,	२	२०	०
२१	,, बलदेव राम	गाँव करकारा	,,	१	३०	०
२२	,, गोकुल	गाँव निसतोली	,,	१	१०	०
२३	,, बाचू	,,	,,	२	०	०
२४	,, साजन सिंह	गाँव पसोंदी	,,	२	०	०
२५	,, देवी सहाय	,,	,,	२	०	०
२६	,, मंगाराम	,,	,,	२	०	०
२७	,, नन्द राम	,,	,,	२	०	०
२८	,, मुंशिफ अली परधान	,,	,,	१	२०	०
२९	,, पोस्ट मास्टर	,,	,,	१	२०	०
३०	,, भारत लाल	,,	,,	१	२०	०
३१	,, सूरज भान	,,	,,	२	०	०
३२	,, राम गोपाल	गाँव फरक़नगर	,,	२	०	०
३३	,, राम लाल	,,	,,	२	०	०
३४	,, चरन सिंह	गाँव शाहाबाद	,,	२	०	०
३५	,, बलवीर सिंह	गाँव कन्दरा	,,	२	०	०
			योग ..	६५	०	०

जुलाई, १९५३

१	श्री खेमा माली	गाँव फरक़नगर	चना	२	०	०
२	,, आनन्द प्रकाश	,,	,,	२	०	०
३	,, राम रिक	गाँव निसतोली	,,	२	०	०
४	,, राम चन्द्र	,,	,,	२	०	०
५	,, राम भरोसे	,,	,,	२	०	०
६	,, इस्माइल	,,	,,	२	०	०
७	,, हाफिज़	गाँव पसोंडा	,,	२	०	०
८	,, अलादीन	,,	,,	२	०	०
९	,, सखर	,,	,,	२	०	०
१०	,, शंकर लाल	गाँव फरक़नगर	,,	२	०	०
११	,, सचारू	,,	,,	२	०	०
१२	,, सुखवीर	गाँव पसोंडा	,,	२	०	०
१३	,, श्यामा	गाँव सेवाशहाजापुर	,,	२	०	०
१४	,, मामचंद	गाँव निसतोली	,,	२	०	०
१५	,, हबीब	,,	,,	२	०	०
१६	,, भारत	,,	,,	२	०	०
१७	,, बनवारी लाल	गाँव पसोंडा	,,	२	०	०

क्रम-संख्या	परमिट होल्डर का नाम	पता		पदार्थ	मात्रा		
१	२	३		४	५		
					मन	सेर	छ०
१८	श्री हरद्वारी लाल	गांव	पसोंडा	चना	२	०	०
१९	,, जुम्मा	,,	,,	,,	२	०	०
२०	,, आनन्द	,,	फरक्कनगर	ग्राम दाल	२	०	०
२१	,, अभय राम	,,	पसोंडा	चना	२	०	०
२२	,, मुनसुफ अली	,,	,,	,,	२	०	०
२३	,, राम निवास	,,	,,	,,	२	०	०
२४	,, सुरजा	,,	,,	,,	२	०	०
२५	,, रूप चन्द	,,	सलेसा बाजपुर	,,	२	०	०
२६	,, रामबाल	,,	,,	,,	२	०	०
२७	,, जगदीश चन्द्र	,,	झंडापुर	,,	२	०	०
२८	,, श्यामा	,,	सलेसा बाजपुर	,,	३	०	०
				योग	५६	०	०
२९	श्री प्रकाश दाल मिल्स, आगरा परमिट संख्या १०६/९, दिनांक १-७-५३	आगरा से देहली को		ग्राम दाल	१५०	०	०
३०	परमिट संख्या १२१, दिनांक १३-७-५३	,,		ग्राम	एक ट्रक		
३१	परमिट संख्या ९/१५५, दिनांक २४-७-५३	,,		,,	१५०	०	०
३२	परमिट संख्या ९/१६७, दिनांक २८-७-५३	,,		,,	एक ट्रक		
३३	परमिट संख्या ५४/२३७, दिनांक ११-७-५३	उरई से देहली को		,,	४००	०	०

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१०७ एल० ए०–१९५४—८५० ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

—:o:—

बृहस्पतिवार, २४ दिसम्बर, १६५३

—:o:—

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

—:o:—

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७२)

अक्षयवर सिंह, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करणसिंह यादव, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री

गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पंत, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री

बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री

रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री

सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुल्जूराम, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगना, श्री
होतीलालदास, श्री

—:०:—

प्रश्नोत्तर

(१७ जुलाई, १९५३ के स्थगित प्रश्न)

तारांकित प्रश्न

भारतनगर, जिला इलाहाबाद में बीज गोदाम की इमारत

*१—राजा वीरेंद्रशाह (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि ग्राम भारतनगर, जिला इलाहाबाद में कोई इमारत बीज गोदाम के लिये बनाई गई है ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगला प्रसाद)—इमारत अभी बन रही है।

*२—राजा वीरेंद्रशाह (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस इमारत का प्रयोग बीज गोदाम के लिये नहीं किया जाता है ?

श्री मंगला प्रसाद—प्रश्न नहीं उठता।

* * * *

कोइन्दी, देवरिया में श्री उदित प्रसाद की ओर से ५८ राजनीतिक-पीड़ितों को सहायतार्थ प्रार्थना

*५—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि ग्राम कोइन्दी, थाना तरया सुजान (देवरिया) के किसी सज्जन द्वारा ५८ राजनैतिक पीड़ितों को सहायता देने की प्रार्थना पिछले सितम्बर में सरकार को प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पंत)—जनवरी सन् १९५३ में श्री उदित प्रसाद ने ५८ राजनैतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र सरकार को भेजे। उनमें से ५४ प्रार्थियों ने अपने जिले में भूमि के लिये प्रार्थना की। इस संबंध में उनको यह सूचित किया गया कि वे अपने जिलाधीश से मिलें। चार प्रार्थना पत्रों में से जिनमें कि आर्थिक सहायता की मांग की गई थी दो अस्वीकार किये गये और दो विचाराधीन हैं।

* * *

दुद्धी स्टेट (मिर्जापुर) में तेंदू के पेड़ों की पत्ती का ठेका

*१०—श्री रामस्वरूप (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मिर्जापुर के दुद्धी स्टेट के तेंदू पेड़ की पत्ती का ठेका दिया जाता है या दिया गया है? उसमें क्या किसानों की निजी जोत की भूमि में उत्पन्न होने वाली उक्त पत्ती भी शामिल है? यदि हां, तो क्यों?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—दुद्धी स्टेट में केवल वहां के जंगल में खड़े हुये तेंदू के पेड़ों की पत्तियों का ठेका दिया जाता है। उसमें किसानों की निजी जोत भूमि में उत्पन्न होनेवाली पत्तियां शामिल नहीं हैं।

श्री रामस्वरूप—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि सरकारी ठेकेदार निजी जोत की पत्ती तोड़ने या खरीदने म बाधा उत्पन्न करते हैं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यदि ऐसा करते हैं तो अनियमित कार्य करते हैं और उसके अनुसार कार्यवाही हो सकती है।

श्री रामस्वरूप—सरकार निजी जोत की पत्ती तथा वनक्षेत्र की पत्ती के संबंध में क्या कोई व्यवस्था करने जा रही है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह तो स्पष्ट कर ही दिया गया है कि सरकार की तरफ से ठेका अलग है सिर्फ जंगलों की पत्तियों का, अगर वे उसे काटते हैं तो आप उनके खिलाफ अदालत में कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार को मालूम है कि ठेकेदारों ने बहुत से लोगों पर इसलिये मुकद्दमें चलाये हैं कि उन्होंने किसी की पत्ती न लेकर उनकी पत्ती ली है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—सरकार के पास इस प्रकार का कोई आवेदन-पत्र नहीं आया।

* * *

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बदायूं जिले में जनहित के प्रमुख कार्य

*१२—श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)—क्या सरकार कृपा कर बतायगी कि पंचवर्षीय योजना के अधीन बदायूं जिले में क्या क्या प्रमुख कार्य जनहित के लिये किये जाने वाले हैं?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूल सिंह)—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बदायूं जिले में जो प्रमुख कार्य जनहित के लिये किये जायेंगे उनकी एक सूची मा० सदस्य की मेज पर रख दी गयी है

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३७२–३७३ पर)

श्री शिवराज सिंह यादव—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो खेती के औजार और खाद्य जिला बदायूं में बांटे जावेंगे उन पर क्या सरकार कुछ सब्सिडी देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री फूलसिंह—औजारों पर कोई सब्सिडी नहीं दी जायगी ?

मिर्जापुर जिले में सोन क्षेत्र के वन विभाग से राबर्ट्सगंज बाजार में लकड़ी लाने वाले मजदूरों पर टैक्स

*१३—श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि मिर्जापुर जिले में सोन क्षेत्र के वन विभाग द्वारा राबर्ट्सगंज बाजार में लकड़ी लाकर बेचने वाले गरीब मजदूरों से १ आना फी सर-बोझ, २ आना फी कन्धा-बोझ और ४ आना फी बैल या टट्टू-बोझ के हिसाब से तथा मिर्जापुर व चुनार शहर में लाने वालों से इससे भी अधिक टैक्स वसूल किया जाता है, जब कि जमींदारी समाप्त होने के पूर्व इन लकड़हारों को कोई ऐसा टैक्स नहीं देना पड़ता था ?

श्री जगन्मोहन सिंह नेगी—जमींदारी समाप्त होने के पूर्व वन की लकड़ी का ठेका ठेकेदारों को दिया जाता था और ठेकेदारों के आदमी लकड़हारों से 'कौड़ी' वसूल किया करते थे। अब इन वनों के सरकार में निहित होने के बाद गिरी पड़ी लकड़ी का ठेका नहीं दिया जाता है और लकड़हारों से जो लकड़ी वे ले जाते हैं उनका मूल्य लिया जाता है। इस मूल्य का दर प्रश्न में जो दिया है वह ठीक है। आजकल जो वसूल किया जाता है वह उससे जो इन लकड़हारों को जमींदारी समप्त होने से पहले देना पड़ता था कहीं कम है।

*१४—श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार बतायगी कि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् से अब तक सोन वन विभाग द्वारा उक्त प्रत्येक तहसील से कितना कितना रुपया उपरोक्त टैक्स से वसूल हुआ ?

श्री जगमोहन नेगी—अभीष्ट सूचना नीचे दी हुई है—

	रु०	आ०	पा०
अहरौरा से	१,१०१	३	०
मिर्जापुर से	६५३	१३	०
राबर्ट्सगंज से	९६	०	०

*१५—श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार उपरोक्त लकड़हारा वर्ग को उक्त टैक्स से मुक्त करने का विचार करेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—लकड़हारों से जो कुछ लिया जाता है वह टैक्स नहीं है वह तो उस लकड़ी का, जो वे जंगल से ले जाते हैं, नाममात्र मूल्य है। यदि इस लकड़ी का कोई मूल्य नहीं लिया जाय तो जगंलों को क्षति पहुंचने का अंदेशा है। इस कारण सरकार लकड़ी मुफ्त देना उचित नहीं समझती।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी मुख्य मंत्री जी दुद्धी और राबर्ट्सगंज गये थे और क्या उन्होंने इसको माफ नहीं कर दिया है?

श्री गोविन्दबल्लभ पंत—यह मसला मेरे सामने आया था जब मैं वहां गया था और मैंने कहा था कि यह सहानुभूतिपूर्वक देखने की बात है और मैं समझता हूं कि अगर यह टैक्स छूट सके, तो अच्छा हो।

श्री व्रजभूषण मिश्र--जो यह रुपया बतलाया गया है तो यह कितने महीने की आय है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इसकी मुझे ठीक तो सूचना इस समय नहीं है मगर संभवतः यह साल भर की ही आय है। अगर आप नोटिस देंगे तो इसका सही उत्तर दे दिया जायगा।

* * *

जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों की संख्या

*१७--श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुल कितने जुडीशियल मैजिस्ट्रेट इस प्रान्त में किस सन् से नियुक्त किये गये हैं?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत--इस समय इस प्रदेश में १७४ जुडीशल अफसर विभिन्न जिलों में नियुक्त हैं। कितने व्यक्ति किस सन् में नियुक्त हुये यह सूचना मेज पर रखी हुई तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३७४ पर।)

*१८--श्री बाबूनन्दन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इनमें से कितने मुस्तकिल किये गये हैं?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत--इनमें से ५६ जुडीशल अफसर स्थायी हैं। इनके अतिरिक्त दो जुडीशल अफसर, जिनका दो स्थायी जुडीशल अफसरों के पदों पर 'लीयन' हैं, इस समय अस्थायी मुंसिफ के पद पर काम कर रहे हैं?

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुछ जुडीशियल आफिसर्स और रखे जाने की व्यवस्था की जा रही है?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत--जुडीशियल आफिसर्स की तादाद बढ़ाये जाने की तजवीज तो इस समय गवर्नमेंट के सामने नहीं है।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ११८ जगह अस्थायी हैं वह कब तक स्थायी कर दी जायंगी?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत--अभी जमींदारी उन्मूलन का क्या परिणाम होगा यह अच्छी तरह से मालूम नहीं है। फिर जिलों में कितने आदमियों को रखा जाना मुनासिब होगा यानी कितने जुडीशियल आफिसर्स और कितने डिप्टी कलेक्टर्स जब इसकी निश्चित व्यवस्था हो जाय तब यह तय हो सकेगा। इस बीच में इस बात को भी सोचा जा रहा है कि जो जिलों में अधिकारी हैं उनकी संख्या घटाई जाय या बढ़ाई जाय, या क्या किया जाय।

जिला मैजिस्ट्रेटों का स्थानान्तरण

*१९--श्री रामसुन्दर पाण्डे (जिला आजमगढ़)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन जिलों के जिला मैजिस्ट्रेटों का स्थानान्तरण ३ वर्ष के अन्दर नहीं हुआ है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जिला मैजिस्ट्रेट आजमगढ़।

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मैजिस्ट्रेटों को एक-एक जिले में रहने के लिये क्या कोई अवधि निर्धारित है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--इसका कोई खास नियम नहीं है। पहले पांच वर्ष की अवधि समझी जाती थी मगर तीन वर्ष में तबादला कर दिया जाता था।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--क्या जिलाधीश आज़मगढ़ के ट्रांसफर के लिये कोई पाप्पुलर डिमांड है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जी नहीं, पाप्पुलर डिमांड अगर कही जा सकती है तो वह इसके बरअक्स है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रांत के समस्त जिलाधीशों का स्थानान्तरण कर दिया गया और आज़मगढ़ के जिलाधीश का क्यों नहीं किया गया?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--आज़मगढ़ में सब लोग उन्हें पसन्द करते थे।

श्री राममसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ के जिलाधीश बृजपाल सिंह सेठ का पद अभी तक स्थायी नहीं हुआ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जिलाधीश का पद तो स्थायी है मगर सेठ अभी स्थायी नहीं हुये हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके स्थायी न होने के कारण क्या हैं?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--अभी करीब ३०-४० या ५० आदमी ऐसे हैं सीनियोरिटी वगैरह तय करके गवर्नमेंट आफ इंडिया से मश्विरा करके स्थायी करने का प्रश्न सामने है। यदि उन्हें खुशी हो तो मैं समझता हूं कि वह बहुत जल्दी ही स्थायी होने वाले हैं।

ज़िला नैनीताल में विनायक चांफी मोटर रोड का निर्माण

*२०--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या यह सही है कि जनता ने जिला नैनीताल में विनायक चांफी मोटर रोड पर एक तिहाई निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया है? अगर हां, तो क्या सरकार बाकी १।। मील सड़क चांफी पुल तक बनवाने की कृपा करेगी?

श्री फूलसिंह--जी हां। इस सड़क के बनवाने में जो व्यय होगा उसका एक तिहाई भाग केन्द्रीय सड़क फंड से मिलेगा और बाकी एक तिहाई प्रदेशीय सरकार देगी। केन्द्रीय रोड फंड से रुपया मिलने पर आशा की जाती है कि कार्य आरम्भ हो जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय रोड फंड रुपया कब तक मिल जायगा?

श्री फूलसिंह--इस मामले में लिखा पढ़ी हो रही है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या इस रोड के तखमीने में चांफी पुल का निर्माण भी शामिल है?

श्री फूलसिंह--इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

* * *

गाजियाबाद के लौनी परगना में विकास योजना

*२८---श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)---क्या यह सच है कि गाजियाबाद के लौनी परगना को सरकार ने पिछड़ा हुआ इलाका क़रार दिया है ?

श्री फूलसिंह---जी नहीं ।

*२९---श्री तेजा सिंह---क्या सरकार कृपया बतायगी कि इस क्षेत्र के विकास के लिये क्या क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं ?

श्री फूलसिंह---विशेष रूप से इस क्षेत्र के लिये कोई योजना तैयार नहीं की गई है। समस्त जिले के लिये जो योजना तैयार की गई है उसमें परगना लौनी भी सम्मिलित है। लौनी में निम्नलिखित कार्य हुआ है---

(१) सहकारी समितियों द्वारा १० ट्यूबवेल लगाये जा रहे हैं।

(२) गांवों की ३९ मील सड़क का सुधार व निर्माण किया जा चुका है।

(३) विभिन्न गांवों में २१०० गज खड़ञ्जा बनाया जा चुका है।

(४) सामूहिक सुनने की योजना के अनुसार ६ रेडियो लगाये गये हैं।

(५) ग्रामों में रोशनी के लिये अब तक ७९ लालटेनें लगाई गई हैं।

श्री तेजा सिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस एम० ई० एस० योजना में गाजियाबाद-लोनी सड़क को पक्की करने का प्रावीजन किया गया है, अगर नहीं तो क्या किया जायगा ?

श्री फूलसिंह---जितना रुपया उपयोग के लिये निर्धारित है उसको वहां के कार्यकर्ताओं की सम्मति के अनुसार खर्च करने की कोशिश की जायगी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो रुपया विकास के लिये जिलों को दिया गया है, अगर उस रुपये को मार्च तक खत्म नहीं किया गया तो क्या वह लैप्स हो जायगा ?

श्री फूलसिंह---यह योजना तीन साल के लिये है। जो रुपया इस वर्ष खर्च नहीं होगा वह अगले वर्ष खर्च किया जा सकता है।

* * * *

अक्टूबर, १९५३ से सरकारी कार्यवाही में हिन्दी का प्रयोग

*३४---श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्व निश्चयानुसार गत अक्टूबर से सरकारी कार्यवाही हिन्दी में होने लग गई है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---सरकारी विज्ञप्ति संख्या यू० ओ०-७१८/१७ के अनुसार उस विज्ञप्ति में उल्लिखित विषयों में हिन्दी का प्रयोग हो रहा है। इस विज्ञप्ति की एक प्रतिलिपि मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३७५ पर।)

श्री सीताराम शुक्ल---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि गत अक्टूबर के बाद भी लोग अंग्रेजी में दरख्वास्तें देते हैं और माननीय मंत्रियों को स्मृतिपत्र भी देते हैं तथा वे स्वीकार भी किये जाते हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---अंग्रेजी या किसी दूसरी ज़बान में स्मृतिपत्र देने से लोगों को कोई नहीं रोक सकता ।

श्री सीताराम शुक्ल---तो क्या इससे सरकारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---मैं समझता हूं कि जनता कोई बात करे तो उल्लंघन नहीं होता ।

श्री सीताराम शुक्ल---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि कुछ अफसर जो सन् १९४९-५० में तो अपनी कार्यवाही हिन्दी में करते थे और अब अंग्रेजी में करने लगे ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---जी नहीं।

श्री रामचन्द्र विकल (ज़िला बुलन्दशहर)---क्या सरकार को मालूम है कि रोडवेज की बसों में साधारण सूचनायें भी अंग्रेजी में लिखी हुई हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---जब माननीय सदस्य यह कहते हैं तो मैं समझता हूं कि होगा ऐसा। मगर मुझे कोई जाती इल्म नहीं है।

श्री शिवकुमार शर्मा (ज़िला बिजनौर)---क्या सरकार कृपा करके बतलायगी कि कलेक्टरेट लेबिल में चिट्ठी पत्री आदि सभी कार्यवाही हिन्दी में शुरू न कर के अंग्रेजी में ही होती है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---कलेक्टरेट में तो बहुत कुछ कार्यवाही हिन्दी में ही होती है हमेशा से और अब भी ऐसा ही होता है। कुछ कार्यवाही अंग्रेजी में भी होती हैं।

श्री वृजविहारी मेहरोत्रा (ज़िला कानपुर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को मालूम है कि अब तक सेक्रेटेरियट में जो बहुत सी खतो-किताबत होती है वह अंग्रेजी में होती है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---वह हिन्दी में भी होती है और अंग्रेजी में भी होती है। कभी-कभी उर्दू में भी होती है।

श्री सीताराम शुक्ल---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा करके बतलायंगे कि सेक्रेटेरियट में हिन्दी टाइपराइटर्स से अंग्रेजी टाइपराइटर्स की संख्या कितनी गुनी अधिक है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---जी हां, अंग्रेजी के टाइपराइटर्स ज्यादा हैं। एक सौ वर्ष से बराबर अंग्रेजी के टाइपराइटर्स आते रहे हैं। हिन्दी के टाइपराइटर्स अब आने लगे हैं।

श्री बद्रीनारायण मिश्र (ज़िला देवरिया)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्यपाल जी से या डिपार्टमेंट से जो निमंत्रण-पत्र वग़ैरह माननीय सदस्यों को आते हैं वे अंग्रेजी में ही क्यों छपते हैं, हिन्दी में क्यों नहीं छपते ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---डिपार्टमेंट से निमंत्रण-पत्र वग़ैरह जाते हैं, यह खुशी की ही बात है और वे अक्सर हिन्दी में ही छपते हैं। राज्यपाल अगर अंग्रेजी में कभी भेजते हैं तो उनका निमंत्रण-पत्र आता रहे और वह अंग्रेजी में हो या हिन्दी में हो, यह खुशी की ही बात है।

* * * *

बलिया में १९४२ के शहीदों के परिवारों को सरकारी सहायता

*३८—श्री गंगा प्रसाद सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायगी कि बलिया के १९४२ के शहीदों के परिवारों को सरकार द्वारा कुछ सहायता दी जा रही है? यदि हां, तो किस रूप में?

श्री गोविन्द बल्लभ पन्त—जी हां। यह सहायता पेन्शन, एक मुश्त रकम, क्षति का ख्वायज़ा, बच्चों की शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति तथा भूमि प्रदान के रूप में है।

* * * *

नैनीताल जिले में पेड़ कट जाने के कारण भीमताल के सूख जाने का खतरा

*४२—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार को मालूम है कि भीमताल, जिला नैनीताल में जौन्स इस्टेट के मालिक कई एकड़ ज़मीन में खड़े जंगल को काट चुके हैं, जिसके कारण भीमताल के तालाब के सूख जाने का खतरा हो गया है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जोन्स इस्टेट के जंगल का वर्किंग प्लान यू० पी० प्राइवेट फारेस्ट्स ऐक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत ३–११–१९५२ को चीफ कंजरवेटर द्वारा स्वीकृत हुआ था। इस दिनांक के पूर्व जो पेड़ इस इस्टेट के मालिक ने अनधिकृत रूप से काटे थे उसके लिए उनको उचित दंड दिया गया। उसके बाद जो भी कटान हुई है वह स्वीकृत वर्किंग प्लान के अनुसार है। इस कटान से भीमताल के तालाब के सूख जाने का कोई खतरा नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि ३–११–५२ के बाद स्टेट के मालिक ने कितने पेड़ अनधिकृत रूप से काटे हैं और उनको क्या दंड दिया गया?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—२५ पेड़ काटे और ५० रुपया जुर्माना हुआ।

श्री नारायण दत्त तिवारी— क्या सरकार कृपया बतलायगी कि वर्किंग प्लान के अनुसार इस्टेट के मालिक साल में अब कितने पेड़ काट सकते हैं।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—उसके बाद तो कोई नहीं काटे। जो काटे भी हैं वह सारे कुछ पावर लाइन को बचाने के लिये, या मोटर रोड को बनाने के लिये कुछ एलेक्ट्रिक पावर्स वग़ैरह के निर्माण के हेतु में वर्किंग प्लान के अनुसार काटे गये हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मेरा प्रश्न यह था कि वर्किंग प्लान के अनुसार कितने पेड़ सालाना काटने की आज्ञा उनको कंजरवेटर आफ फारेस्ट ने दी है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी कि उसका एक्ज़ैक्ट नम्बर क्या है। मगर मैंने बताया कि वर्किंग प्लान के मुताबिक इस हेतु काटे गये हैं।

* * * *

इलाहाबाद के आफ़िसर्स ट्रेनिंग स्कूल के सम्बंध में पूछ ताछ

*४४—श्री रणंजयसिंह (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार कृपा करके बतायगी कि प्रयाग (इलाहाबाद) के आफ़िसर्स ट्रेनिंग स्कूल में अब तक कितने अफ़सरों को शिक्षा दी गई है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—इलाहाबाद के आफ़िसर्स ट्रेनिंग स्कूल में जितने आफिसरों को अब तक शिक्षा दी गई है उनका विवरण इस प्रकार है—

ट्रेनिंग कोर्स की अवधि	अफ़सरों की संख्या	विशेष विवरण
१—जनवरी २, से मार्च २२, १९५१ तक।	३४	यह सब प्रदेश के डिप्टी कलेक्टर थे।
२—जुलाई ४ से अक्तूबर ४, १९५१ तक।	२५	" " "
३—दिसम्बर ३, १९५१ से मार्च ६, १९५२ तक।	२५	इनमें से ११ अफ़सर मध्य-भारत और २ भूपाल से आये थे। बाकी प्रदेश के डिप्टी कलेक्टर थे।
४—जून १६ से सितम्बर १० या १५, १९५२ तक।	१३	११ डिप्टी कलेक्टर, २ आई० ए० एस० अफ़सर।
५—दिसम्बर ३, १९५२ से मई २, १९५३ तक।	८	डिप्टी कलेक्टर।
योग ..	१०५	

*४५—**श्री रणंजय सिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त आफ़िसर्स ट्रेनिंग स्कूल को खुले हुए कितना समय हुआ तथा उसके लिये सरकार ने अब तक कुल कितना धन व्यय किया है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, इलाहाबाद में २ जनवरी, १९५१ से ट्रेनिंग प्रारम्भ हुई। स्कूल पर १९५२–५३ के अन्त तक जो व्यय हुआ उसका व्यौरा निम्न प्रकार है—

वर्ष			व्यय
			रु०
१९४९–५०	..	..	२५,०६१
१९५०–५१	..	..	१,२०,२६२
१९५१–५२	..	..	१,८६,६१४
१९५२–५३	..	..	१,२१,८२०
	योग	..	४,५३,७८७

चालू वर्ष का खर्च वर्ष के अन्त में ज्ञात होगा।

*४६—**श्री रणंजय सिंह**—क्या यह सत्य है कि उक्त आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल को अब सरकार ने स्थायी रूप से बन्द कर देने का निश्चय कर लिया है? यदि हां, तो उसके भवन, भूमि एवं अन्य सामान आदि का क्या किया जायगा?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी नहीं, स्कूल के भविष्य के बारे में सरकार विचार कर रही है। अतः दूसरा प्रश्न उठता ही नहीं है।

राजा वीरेन्द्र शाह—क्या सरकार कृपा कर यह बतलायेगी कि अन्य प्रान्तों से जो आफिसर आए हमारे यहां ट्रेनिंग पाने के लिये तो क्या दूसरे प्रान्तों ने खर्च के लिये कुछ रुपया दिया?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जी हां, मैं समझता हूं उन्होंने कुछ रुपया दिया।

श्री रणंजय सिंह--क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब इस स्कूल का भविष्य विचाराधीन है तो इस समय वहां पर स्टाफ के लोग क्या काम करते हैं?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--इस वक्त वहां पर कोई स्टाफ नहीं है।

[२४ दिसम्बर, १९५३ के प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

नैनीताल में वन विभाग के चपरासियों को हिल एलाउन्स न दिया जाना

*१--श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या यह सही है कि वन विभाग के नैनीताल में स्थित कार्यालयों में कार्य करने वाले चपरासियों को हिल एलाउन्स नहीं मिलता है? अगर नहीं तो क्या सरकार इस प्रश्न पर पुर्नविचार करने की कृपा करेगी?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--प्रश्न के दोनों भाग का उत्तर "नहीं" है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या यह सही है कि पे कमेटी रिपोर्ट में नैनीताल के चपरासियों को हिल एलाउन्स देने के बारे में सिफारिश की गयी है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह तो आपने रिपोर्ट में देख लिया होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या यह सही है कि वन विभाग के अन्य कर्मचारियों को हिल एलाउन्स मिलता है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--हिल एलाउन्स नहीं मिलता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--तो अन्य कर्मचारियों को कौन सा एलाउन्स मिलता है? यह सरकार बतलाने की कृपा करेगी?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--पहले विण्टर एलाउन्स मिलता था मगर अब वह बन्द है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--तो क्या सरकार उनको हिल एलाउन्स या विण्टर एलाउन्स देने के प्रश्न पर विचार करेगी?

श्री जगमोहन सिंह नेगी-- अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है।

वन विभाग नैनीताल के क्लर्क-एसोसियेशन की मांगें

*२--श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार के पास वन विभाग नैनीताल स्थित कार्यालयों के क्लर्कों के एसोसियेशन की कुछ लिखित मांगें आई हैं? अगर हां, तो वे मांगें क्या हैं और सरकार उन मांगों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी हां। वन विभाग के क्लर्कों की एसोसियेशन की लिखित मांगें सरकार के पास आई हैं। वे निम्न प्रकार हैं--

(१) कि मिनिस्टीरियल कर्मचारियों के वेतन की वृद्धि की जाय,

(२) कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को जिस दर से महंगाई का भत्ता मिलता है उसी दर से उनको भी महंगाई दी जाय, और

(३) कि पहाड़ों और जाड़ों के भत्ते के बारे में सरकार ने जो आदेश जारी किये हैं वे उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होने चाहिए, जिनकी नियुक्ति उन आदेशों की तारीख को या उसके बाद हुई है। सरकार ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी— क्या इन क्लर्कों के इस एसोसियेशन की यह मांग सरकार के पास आयी है कि पे कमेटी रिपोर्ट के अनुसार उनको ग्रेड नहीं दिया जाता ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—उनकी मांगें जो आई थीं उनकी बाबत मैंने अपने उत्तर में पहले ही स्पष्ट कर दिया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ऐसे कर्मचारी जो उपर्युक्त आज्ञा के निकाले जाने के बाद रखे गये थे, उनको हिल एलाउन्स क्यों नहीं दिया जाता, जब कि पहले वाले उसी श्रेणी के लोगों को दिया जाता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह तो प्रश्न के उत्तर में ही स्पष्ट हो गया होगा। उनकी मांग यह थी कि जिनकी नियुक्ति बाद में हुई है उनको एलाउन्स दिया जाय। लेकिन यह प्रश्न उठता नहीं है क्योंकि यह अन्तिम प्रश्न के उत्तर से स्पष्ट हो जाता है। यह स्पष्ट है कि सब के साथ एक तरह का व्यवहार किया जाता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मेरा प्रश्न यह था कि जब पहले कर्मचारियों को हिल एलाउन्स मिलता है तो बाद में रखे गये लोगों को क्यों नहीं मिलता ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—अगर आप फिर नोटिस दे दें तो मैं पता लगा लूंगा कि ऐसा क्यों किया गया।

चीनी मिल मालिकों द्वारा नल कूप बनवाने की योजना

*३—श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)— क्या पिछले वर्षों में सरकार तथा चीनी मिल मालिकों के बीच यह निश्चय हुआ था कि पांच-पांच नलकूप प्रतिवर्ष मिलें अपने क्षेत्रों में बनायें ? यदि हां, तो कहां-कहां ऐसे नलकूप बने और उससे कितनी जमीन को पानी मिल सका ?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—जी नहीं, सरकार तथा चीनी मिल-मालिकों के बीच ऐसा कोई निश्चय नहीं हुआ था। यह प्रश्न ही नहीं उठता।

*४—श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)—तमकुही, पडरौना, कठकुइयाँ, रामकोला (देवरिया) चीनी मिलों ने अब तक कितने नलकूप बनाये ? यदि नहीं बनाये, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—तमकुही, पडरौना, कठकुइयां, रामकोला व (देवरिया) चीनी मिलों ने अपने धन से कोई नलकूप नहीं बनाये क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई निश्चय नहीं किया था।

मैजिस्ट्रेटों के तबादले

*५—श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या सरकार ने कोई नियम बनाया है कि साधारणतया एक मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एक स्थान पर तीन वर्ष तक ही रहेंगे ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी नहीं। ऐसा कोई लिखित नियम नहीं है। अफसरों के तबादले हमेशा शासन की सुविधा पर निर्भर रहते हैं। परन्तु जहां तक होता है यह ध्यान में रखा जाता है कि एक अफसर एक ही जगह साधारणतया तीन साल से अधिक न रहे।

*६—श्री बद्री नारायण मिश्र—यदि हां, तो क्या विशेष कारण है कि गोरखपुर के जुडिशियल मैजिस्ट्रेटों को पांच वर्ष तक एक ही स्थान पर रक्खा गया है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--गोरखपुर में कोई भी जुडिशियल अफसर ५ साल तक नहीं रखा गया। दो अफसर ४ साल से कुछ ऊपर रह गये थे परन्तु अब वे बदल दिये गये हैं। सन् १९५२ में सरकार ने जमींदारी उन्मूलन के काम को सुचारु रूप से चलने देने के लिए जिलों से अफसरों का तबादला जहां तक हो सका, नहीं किया।

प्रदेश में आगत शरणार्थियों की व्यवस्था

*७--श्री बाबूनन्दन-- क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किन-किन प्रान्तों से शरणार्थी इस प्रान्त में आये हैं?

उद्योग मंत्री के सभासचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)--इस राज्य में शरणार्थी पाकिस्तान के विभिन्न प्रान्तों, मुख्यतः पश्चिमी पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्त, सिंध बिलोचिस्तान और पूर्वी बंगाल से आये हैं।

*८--श्री बाबू नन्दन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब भी इनका आना जारी है कि नहीं? यदि नहीं, तो कब से?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी-- अब पर्याप्त समय से इस प्रदेश में शरणार्थियों का आना प्रायः बन्द सा हो गया है, यद्यपि अभी पूर्वी बंगाल के पाट के खेतिहरों के कुछ परिवार और पश्चिमी पंजाब के योल शरणार्थी शिविर से कुछ परिवारों के आने की सम्भावना है। अभी कुछ व्यक्ति पूर्वी पाकिस्तान से और उसी प्रान्त को भी आते जाते रहते हैं। पर उनकी संख्या नाममात्र को है और उपलब्ध नहीं है।

*९--श्री बाबूनन्दन--क्या सरकार का कोई ऐसा आदेश है कि अब नये शरणार्थियों की व्यवस्था नहीं की जायगी?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जी नहीं। किन्तु भारत सरकार के आदेशों के अनुसार अब नव उपनगरों (New townships) में बसने वालों तथा पास शुदा प्रशिक्षार्थियों (Technical trainees) को छोड़ कर अन्य विस्थापित व्यक्तियों को व्यापार तथा उद्योग धंधों के लिये ऋण नहीं दिये जाते हैं।

श्री बाबू नन्दन--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो शरणार्थी विभिन्न प्रान्तों से आये हैं उनके लिये सरकार की ओर से क्या व्यवस्था की गई है?

श्री हुकुम सिंह--काफी इन्तजाम किया गया है, बसाये गये हैं, ऋण दिया गया है और उनके लिये व्यापार ढूंढा गया है।

जौनपुर में ताड़ से गुड़ बनाने की योजना

*१०--श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--क्या उद्योग मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि जौनपुर में ताड़ से गुड़ बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफरी--ऐसी योजना अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*११--श्री रमेश चन्द्र शर्मा--यदि हां, तो वह योजना कब से कार्यान्वित होगी?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफ़री--प्रश्न नहीं उठता।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा--क्या मंत्री महोदय को किसी सूत्र से पता चला है कि जौनपुर जिले के बहुत से गांवों में और मछली शहर के कस्बे में ताड़ और खजूर के बहुत से पेड़ हैं?

श्री हुकुम सिंह--माननीय सदस्य के इस सवाल से कुछ अन्दाजा लगता है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर प्लानिंग कमेटी की तरफ से सरकार से सिफारिश की गई है कि जौनपुर में गुड़ बनाने की स्कीम चालू की जाय?

श्री हुकुम सिंह—नोटिस की जरूरत है, इसका पता लगाया जा सकता है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार इन पेड़ों की गणना करायेगी?

श्री हुकुम सिंह—कोई जरूरत तो नहीं मालूम होती।

मिर्जापुर सीमेंट फैक्टरी के निर्माण पर व्यय

*१२—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मिर्जापुर फैक्टरी के निर्माण में अब तक कितना रुपया लग चुका है और अभी कितना निर्माण बाकी है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—वित्तीय वर्ष १९५२–५३ के अन्त तक गवर्नमेंट सीमेंट फैक्टरी, राबर्ट्सगंज के निर्माण में लगभग ढाई करोड़ रुपया व्यय हो चुका है।

निम्नलिखित निर्माण कार्य अभी शेष हैं—

१—गृह निर्माण—लगभग ३० प्रतिशत।

२—मशीनों की यथास्थान स्थापना—लगभग २५ प्रतिशत। आशा की जाती है कि फैक्टरी जून, १९५४ ई० तक तैयार हो जायगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि जून सन् १९५४ तक यानी फैक्टरी के पूरा बनने तक अभी कितना रुपया खर्चा होना बाकी है?

श्री हुकुम सिंह—करीब दो करोड़ के।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस सीमेंट फैक्टरी के बनाने का जो पूरा तखमीना था वह क्या था?

श्री हुकुम सिंह—लगभग तीन करोड़ था।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार इस दो करोड़ रुपये की बढ़ती का कारण बतलायेगी जो एस्टीमेट्स में हुई है।

श्री हुकुम सिंह—कारण तो अभी हाल में ही बताये जा चुके हैं। कहिये तो मैं फिर अर्ज कर दूं। एक तो मशीनों के और लेबर के दाम बढ़ गये और वह कंसल्टेंट मर गये थे, ड्राइंग वगैरह अधूरी छोड़ गये थे, उसमें खर्चा हुआ और कुछ और नयी इमारतों के बनाने की आवश्यकता हुई। इन्हीं सब बातों में इजाफ़ा हुआ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—इस ढाई करोड़ रुपये में से मशीनों के खरीदने में कितना रुपया लगाया गया?

श्री हुकुम सिंह—इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी, तब मैं इसको बता सकता हूं।

तहसील मोहम्मदी, जिला खीरी में निजी जंगलों के कृषकों को भूमि छोड़ देने का आदेश

*१३—श्री रामभजन (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि तहसील मोहम्मदी, जिला खीरी के अन्तर्गत निजी जंगलों के कृषकों को, जो चार-पांच वर्ष के जोतकार हैं, वन विभाग अधिकारियों की ओर से अपनी भूमि छोड़ देने के लिये कहा जा रहा है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—पहली जुलाई सन् १९५२ से पहले जो वन भूमि जोत में लाई जा चुकी थी उसके जोतने में कोई विघ्न सरकार की ओर से नहीं डाला जा रहा है। जिस वन भूमि के पट्टे जमींदारी विनाश कानून के अन्तर्गत अवैधिक हो गये हैं उस भूमि को अवश्य सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है।

*१४—श्री रामभजन (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि इन कृषकों में ऐसे भी कृषक हैं जिन्होंने यूटीलाइजेशन ऐक्ट के नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् जमींदारों द्वारा भूमि प्राप्त की थी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी हां।

*१५—श्री रामभजन (अनुपस्थित)— क्या सरकार को पता है कि इन कृषकों में ऐसे बहुत से कृषक हैं, जो अपनी काश्त के भूमिधर बन चुके हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी हां।

आज़मगढ़ जिले की घोसी तहसील में कम्यूनिटी प्रोजेक्ट योजना पर व्यय

*१६—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील में जो कम्यूनिटी प्रोजेक्ट योजना चालू की गयी है उसमें कुल कितना व्यय निर्धारित किया गया है और अब तक कितना व्यय हो चुका है ?

श्री फूलसिंह—इस योजना के लिये वित्तीय वर्ष १९५२-५३ में ३,६६,३४९ रु० का व्यय निर्धारित किया गया था और ३१ मार्च, १९५३ तक रु० २,५१,२३३-९-१ व्यय किया गया था। वित्तीय वर्ष १९५३-५४ में ६,९५,६७१ रु० का व्यय निर्धारित किया गया है और इस वर्ष में ३१ अगस्त तक ३२,७०१ रु० ७ आ० ६ पा० व्यय हो चुका है।

*१७—श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घोसी कम्युनिटी प्रोजेक्ट योजना में कुल कितने कर्मचारी इस समय कार्य कर रहे हैं और उनका कुल मासिक वेतन क्या है ?

श्री फूल सिंह—इस योजना में इस समय ३५ कर्मचारी काम कर रहे हैं। जून मास १९५३ में उनका कुल मासिक वेतन ३,१६८ रु० हुआ।

*१८—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि घोसी के सर्वोदय विद्यालय को इस योजना से कुछ आर्थिक सहायता दी गयी है ?

श्री फूल सिंह—घोसी के सर्वोदय विद्यालय को कम्यूनिटी प्रोजेक्ट से कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ३१ मार्च, सन् १९५३ ई० तक जो व्यय हुआ है उसमें कौन-कौन सी मदें शामिल है ?

श्री फूल सिंह--सब मदों का व्यौरा तो मैं अभी नहीं दे सकता हूं मगर सारी ही मदें डेवलपमेंट की उसमें शामिल हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सामुदायिक विकास योजना में कितने ग्राम लिये गये हैं ?

श्री फूल सिंह--आम तौर से एक ब्लाक में १०० लिये जाते हैं। कहीं कम ज्यादा भी कर दिये जाते हैं।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)-- क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस एरिया में कितने मूल्य का पण्य (कमोडिटी) उत्पन्न हुआ है और कितना व्यय किया गया ?

श्री फूल सिंह--यह असेस करना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि जितना रुपया खर्च करते है उससे बहुत सी सर्विसेज भी होती हैं और बहुत चीजों की पैदावार बढ़ती हैं। तो भी कितनी पैदावार की बढ़ोत्तरी हुई उसका अन्दाजा लगाया जा सकता है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट योजना के अन्दर कौन-कौन किस्म के पशु दिये गये हैं जिससे नये नस्ल के जानवर पैदा किये जा रहे हैं ?

श्री फूल सिंह--यह भी मैं आप से नहीं कह सकता। कुछ में सुहावल और कुछ में हरियाना दिये जाते हैं। आपके गांव में कौन सा है यह मैं नहीं बतला सकता।

प्रदेश में आगत शरणार्थियों को सहायता

*१९--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बतायेगी कि भारत के विभाजन के बाद कुल कितने शरणार्थी उत्तर प्रदेश में बसाये गये और कहां-कहां ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफ़री--लगभग ४,३५,१८२ उद्वासित व्यक्ति जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी है पाकिस्तान से आकर उत्तर प्रदेश में बसे। जिले वार विवरण संबद्ध सूची में अवलोकन किया जाय। अनुमान है कि अपने आश्रितों सहित इनमें से तीन चौथाई व्यक्तियों को उद्योग, व्यापार व व्यवसाय के लिये ऋण, नियंत्रित सामग्रियों के लाइसेंस की आदि की सुविधा देकर या नौकरियों में बसाया गया। इसके अतिरिक्त बहुत से और उद्वासित व्यक्ति इस प्रदेश में आये जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है और जिनके आंकड़े हमारे पास नहीं हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३७६-३७७ पर)

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि इन शरणार्थियों को सहायता देने में कुल कितना व्यय हुआ है ?

श्री हुकुम सिंह--कुल टोटल इस वक्त तो नहीं बताया जा सकता।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि बाहर से आये हुए शरणार्थियों में जिनका जिक्र नहीं है यानी एक चौथाई का, किस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह--तफसील बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वह भी अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं वर्ना हमारे पास आते और हमको परेशान करते। बहुत कम आते हैं कोई न कोई वह अपना धंधा करते ही हैं ।

प्रदेश में सिनेमा गृहों की संख्या

*२०--श्री महाराज सिंह (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कुल कितने सिनेमागृह हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--२१३ ।

*२१--श्री महाराज सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में टूरिंग टाकीज की संख्या क्या है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत--४९ ।

श्री महाराज सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में ऐसी भी टूरिंग टाकीज हैं जो वर्षों से एक ही स्थान पर स्थायी रूप से कार्य कर रही है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत--मुमकिन हो सकता है कि कोई ऐसी हों । चूंकि आप सवाल पूछ रहे हैं और अगर तफसील मुझे दे दें तो मैं देख सकता हूं ।

श्री महाराज सिंह--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२-५३ में स्थायी व अस्थायी टूरिंग टाकीज से कितना कर वसूल किया गया ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत--टाकीज की तादाद में रुपये की तादाद का जिक्र तो था नहीं ।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जो अश्लील भाषा के सिनेमा आमतौर पर दिखाये जा रहे हैं उनके बन्द करने के बारे में सरकार विचार कर रही है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत--जो सिनेमा दिखलाये जाते हैं वे गवर्नमेंट आफ इण्डिया से सेंसर बोर्ड से सर्टीफाई किये जाते हैं । हमको कोई अधिकार नहीं है यह कहने का कि कौन दिखाये जाँयं । मैं समझता हूं अगर उद्योग किया जाय और लोगों को बतलाया जाय कि बुरे सिनेमों में न जायं और मेम्बर लोग खुद भी न जायं तो इसका और लोगों पर असर पड़ सकता है ।

बावन कम्पनी, बरेली में सरकार का हिस्सा

*२२--श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बावन कम्पनी, बरेली में सरकार का कितना हिस्सा है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत--५७ प्रतिशत ।

*२३--श्री शिवनारायण--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब बावन कम्पनी में जनता तथा सरकार दोनों का हिस्सा है तो वह क्यों सरकारी कम्पनी कहलाती है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—यह सरकारी कम्पनी नहीं कहलाती, यह एक ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी है जिसका प्रबन्ध इंडियन कम्पनीज ऐक्ट के अन्तर्गत होता है।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो ४३ परसेंट बकीया लोग हैं वे कौन-कौन से हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—उनकी तादाद तो मेरे पास नहीं है। मैं समझता हूं कि इस कम्पनी के शेयरहोल्डर्स के नाम बतलाना भी इस हाउस में ठीक नहीं है।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—यह कम्पनी क्या काम करती है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—यह कम्पनी बावन बनाने का काम करती थी। बावन उसे कहते हैं जो कि जब कपड़ा बुना जाता है तो उसमें जो एक शेटिल काक इधर उधर फेंका जाता है उसको बावन कहते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार का कोई ऐसा आदेश है कि प्रान्त भर में सरकारी विभागों में जितना भी फर्नीचर खरीदा जाय वह बावन फैक्ट्री से खरीदा जाय।

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—चूंकि बावन फैक्ट्री का काम चल नहीं रहा था इसलिये यह ख्याल हुआ कि फर्नीचर बनाया जाय मगर उसमें भी कामयाबी नहीं हुई। इसलिये अगर कभी ऐसा होता था तो वह खुद बखुद गुम हो गया।

अनुसूचित जातियों के सरकारी कर्मचारियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति

*२४—श्री राम वचन यादव (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जब पिछड़ी वर्ग या अनुसूचित जाति का सरकारी कर्मचारी किसी कारणवश अपने पद से अलग किया जाता है तो उस रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वर्ग के उम्मेदवारों से की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—जी नहीं। जब कभी ऐसा कोई रिक्त स्थान होता है तो वह और साधारण रिक्त स्थानों में सम्मिलित हो जाता है और नियमानुसार सब रिक्त स्थानों को मिला कर जो संख्या होती ह, उसका एक हिस्सा अनुसूचित जात्तियों (Scheduled Castes) के लिये सुरक्षित किया जाता है। फिर भी इन जातियों के लोगों को सरकारी नौकरियों में अधिकता से भर्ती करने के लिये सरकार ने प्राधिकारियों को आदेश जारी कर दिये हैं कि जब कोई स्थान इन जातियों के किसी सरकारी कर्मचारी के हट जाने से रिक्त हो तो उसका ध्यान इन जातियों के सुरक्षित (reserve) हिस्से की संख्या निकालने में रखा जाय।

*२५—श्री राम वचन यादव—क्या यह सही है कि ऐसे स्थानों की पूर्ति सूचना निकालने के पश्चात् की जाती है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—भर्ती के निमित्त यदि कोई स्थान अनुसूचित जाति के किसी उम्मीदवार के हट जाने आदि से रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति उसी प्रकार नियमानुसार की जाती है जिस प्रकार अन्य स्थानों के रिक्त होने से की जाती है। अथवा यदि साधारणतः सूचना निकालना आवश्यक होगा तो रिक्त स्थानों की पूर्ति सूचना निकालने के पश्चात् हो जायेगी।

श्री वीरेंद्रपति यादव—क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछड़े वर्ग में कौन-कौन सी जातियां सम्मिलित हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत--पिछड़े वर्ग में वे जातियां सम्मिलित हैं जिनको कि आर्थिक या सांस्कृतिक दृष्टि से सहायता देना उचित समझा जाता है।

श्री वीरेंद्रपति यादव--क्या यह सत्य है कि सरकार के शिक्षा और नियुक्ति विभागों में पिछड़े हुये वर्ग में भिन्न भिन्न जातियों की सूचियां हैं?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत--पहले कुछ शायद अन्तर था। परन्तु शिक्षा विभाग में जो सूची थी अब साधारणतः उसी के आधार पर काम करने का प्रयत्न किया जाता है।

श्री राजनारायण--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इधर निकट हाल में यह जो रेंट कलेक्शन हो रहा है उसके लिये हरिजनों के संबंध में कोई परसेंटेज सरकार ने नियुक्त किया है?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत--जी हां, पहले दस परसेंट था, अब १८ परसेंट कर दिया गया है।

श्री राजनारायण--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अगर उन १८ परसेंट में हरिजन उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, तो उसके बाद बैकवर्ड क्लास जो कहा जाता है उनमें से ले लिये जायेंगे?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत--नियम इस तरह है कि अगर एक साल नहीं मिलते तो जितनी जगहें ऐसी होती हैं उनको दूसरे साल की जो खाली जगहें हों उनको भरने में सामने रखा जाता है ताकि पहले साल की जो कमी है वह पूरी की जा सके।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो १८ प्रतिशत सरकार न रिजर्व किया है, वह प्रांत के किसी जिले में पूरा किया गया है?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत--मैं चाहता हूं कि प्रांत के सभी जिलों में यथासंभव जितनी जल्दी हो पूरा किया जा सके।

श्री वीरेंद्रपति यादव--क्या सरकार ने नियुक्ति विभाग में पिछड़े वर्ग की उन जातियों के नाम भेज दिये हैं जिनके नाम शिक्षा विभाग में पाये जाते हैं?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत--जी हां, नियुक्ति विभाग में वह सब मिसलें आती हैं और जाती हैं और उनको जरूर उनका परिचय होगा और होना चाहिये।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)--क्या सरकार महसूस करती है कि इस प्रकार कर्मचारियों को सरकारी ओहदों से अलग करने पर हरिजनों की तादाद पर............

श्री अध्यक्ष--यह आप लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। जो प्रश्न आपके दिमाग में हो उसे पूछें।

श्री जयपाल सिंह--क्या सरकार महसूस करती है कि इस प्रकार हरिजन कर्मचारियों को अलग करने से जो तादाद कम होती है उससे विभाग में हरिजनों की जो तादाद है उसमें कमी होती जा रही है?

श्री अध्यक्ष--अब भी यह समझ में नहीं आया।

(श्री जयपाल सिंह ने प्रश्न को स्पष्ट नहीं किया।)

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार यह बतायेगी कि यह जो १८ फीसदी मुकर्रर किया गया है उसमें पिछड़ी हुई जाति भी सम्मिलित हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—इस १८ में पिछड़ी हुई जाति सम्मिलित नहीं है। मगर हरिजन भी पिछड़े हुये ही हैं।

श्री बाबू नन्दन—क्या माननीय मुख्य मंत्री उन स्थानों पर जहां हरिजन कम पढ़े लिखे हैं उन स्थानों से जहां अधिक पढ़े लिखे हैं १८ फीसदी सीटें पूरी करने की कृपा करेंगे ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—जहां पर कम हैं वहां भी आप १८ परसेंट चाहते हैं और जहां पर ज्यादा हैं वहां १८ परसेंट पहुंचने नहीं पाते। जब वह वहां पहुंच जायं तो अनरिजर्व्ड सीट्स भी सेंट परसेंट ले सकते हैं अगर काबिलियत से आगे बढ़ें।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा अन्य छोटे-छोटे विभागों में हरिजनों की नियुक्ति होती है, उनको किन साधनों द्वारा सूचना दी जाती है और उन्हें किस प्रकार बुलाया जाता है ?

श्री गोविंद वल्लभ पंत—जिन जगहों को भरने के लिये इम्तिहान होता है उनके लिय आम सूचना निकाली जाती है और जिनके लिये कोई इस तरह का इम्तिहान नहीं होता तो आमतौर पर इम्पलायमेंट एक्सचेंज के जरिये वह जगहें भरी जाती हैं और एम्पलायमेंट एक्सचेंज में हरिजन वगैरह सब के नाम इन्दराज रहते हैं। इसके अलावा जिन जगहों में हरिजन दिलचस्पी लेते होंगे और जब वे खाली होती हैं तो उनके बारे में उनको मालूम हो जाता होगा और जो योग्य व्यक्ति हों उनको उनके लिये दरख्वास्त देना चहिये।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार को मालूम है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आदेश जारी हुआ है कि जो दो साल लगातार कुर्क अमीनी और नायब तहसीलदारी में काम कर चुका हो उनको ही तहसीलदारी में लिया जाय जिसके कारण हरिजन लोग वंचित हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—यह तो आम तौर पर नियम हो सकता है मगर जो हरिजनों के लिये महफूज जगहें हैं, मैं नहीं जानता कि उनके ऊपर भी यह लागू है या नहीं और उनमें भी हरिजन हो सकते हैं जो दो साल रह चुके हैं।

पडरौना चीनी मिल की कुर्क चीनी का विक्रय

*२६—श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार ने अभी हाल में पडरौना चीनी मिल की कुछ चीनी सरकारी रुपये व किसानों की गन्ने की कीमत के बकाया के कारण कुर्क की ? यदि हां, तो वह रुपया पृथक-पृथक कितना था ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जी हां, उक्त मिल की चीनी निम्नलिखित बकाये की अदायगी के सिलसिले में कुर्क की गई थी।

सरकारी सेस : ४,१३,८६७/१४/०

गन्ने का मूल्य : ६,४३,३१२/७/३

*२७—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह कुर्क की हुई चीनी किसकी मार्फत और किस कीमत पर बेची गई ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—कुर्क की हुई चीनी सर्वश्री मदन लाल एन्ड ब्रदर्स, पडरौना, श्री केदारनाथ खेतान, पडरौना, तथा जनरल कमर्शियल कारपोरेशन, नई दिल्ली के मार्फत रु० २६-३-० से रु० २९.० प्रतिमन [illegible] बेची गई।

*२८—श्री भगवान सहाय—[illegible] सरकार बताने की कृपा करेगी कि बेचने के समय बाजार में चीनी का क्या भाव था ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—बेचने के समय चीनी का भाव बाजार में रु० २७-० से रु० २९—८—० प्रतिमन तक था।

थाना सफदर, जिला बाराबंकी में फर्जी रसीदें काट कर किसानों से कोल्हू की तकावी की वसूली

*२९—श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)—क्या सरकार को मालूम है कि जिला बाराबंकी के गुड़ योजना अधिकारी द्वारा १२ दिसम्बर, सन् १९५१ को थाना सफदर, जिला बाराबंकी में रिपोर्ट लिखाई गई कि कुछ व्यक्तियों ने फर्जी रसीदें काट कर किसानों से ७,५८५।।)।। कोल्हू की तकावी का वसूल कर लिया है।

श्री हुकुम सिंह—जी हां, १७ दिसम्बर, १९५१ को ऐसी एक रिपोर्ट लिखाई गई।

*३०—श्री रामेश्वर प्रसाद—क्या सरकार उपर्युक्त मामले में अभी तक हुई कार्यवाही पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुम सिंह—इस संबंध में कुछ अभियुक्तों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

विभिन्न उद्योगों के ट्यूशनल क्लासेज का आय व्यय

*३१—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में किन-किन स्थानों पर किस-किस उद्योग के ट्यूशनल क्लासेज चालू हैं ?

श्री हुकुम सिंह—यह सूचना संलग्न नत्थी में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३७८–३८१ पर।)

*३२—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत ५०-५१ तथा ५१-५२ में इन ट्यूशनल क्लासेज में कितनी आय और कितना व्यय हुआ ?

श्री हुकुम सिंह—आय व्यय का व्यौरा यों है—

१९५०–५१—	रु०
आय	२,९९,६७६
व्यय	११,९६,४६४
१९५१–५२—	
आय	३,०८,७२३
व्यय	११,८७,६८०

जिला नियोजन समिति, हरदोई में सदस्यों की नामजदगी

*३३—श्री वीरेंद्रनाथ मिश्र (जिला हरदोई)—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि जिला नियोजन समिति, हरदोई में उसने किन्हीं सदस्यों की नामजदगी की है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—हां।

*३४—श्री वीरेंद्र नाथ मिश्र—यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर हां है, तो उनके नाम क्या हैं और वह किन विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—सरकार के नामजद किये सदस्यों के नाम यह हैं।

श्री राधेश्याम, श्री श्यामाचरण वकील और श्री कुंज बिहारी लाल अग्रवाल।

सदस्य उपयोगिता की दृष्टि से सरकार द्वारा छांटे गये हैं।

नोट—प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो जाने के कारण तारांकित प्रश्न २९–७० सदन में नहीं लिये गये।

१९४६–४७ से १९५२–५३ तक गन्ने तथा चीनी के मूल्य

*३५—श्री शिव कुमार शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९४६–४७ से १९५२–५३ तक उत्तर प्रदेश में गन्ने तथा चीनी के प्रतिमन क्या-क्या रेट रहे हैं?

श्री हुकुम सिंह—सन् १९४६–४७ से १९५२–५३ तक उत्तर प्रदेश में गन्ने तथा चीनी के जो रेट रहे हैं उसका विवरण नीचे दिया गया है—

वर्ष		गन्ने का मूल्य प्रतिमन			चीनी का मूल्य प्रतिमन		
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
१९४६–४७	..	१	४	०	२०	१४	०
१९४७–४८	..	२	०	०	३५	७	०
१९४८–४९	..	१	१०	०	२८	८	०
					(फरवरी २८, ४९ तक)		
					२९	१	०
					(मार्च १, ४९ से)		
१९४९–५०	..	१	१०	०	२८	८	०
१९५०–५१	..	१	१२	०	पश्चिम क्षेत्र		
					३०	८	०
					पूर्वक्षेत्र		
					३२	०	०
१९५१–५२	..	१	१२	०	पश्चिम क्षेत्र		
					३०	८	०
					पूर्वक्षेत्र		
					३१	८	०
					कीमत निर्धारित नहीं हुई,		
१९५२–५३	..	१	५	०	गेट		
		१	३	०	रेल सेन्टर		

*३६—श्री बेचनराम गुप्त (अनुपस्थित) (जिला बनारस)—[स्थगित किया गया।]

फरेंदा तहसील, जिला गोरखपुर में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विकास कार्य

*३७—श्री गौरी राम (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील के मध्य निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन से विकास कार्य सरकार की तरफ से होने जा रहे हैं? अगर नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—पंच वर्षीय योजना में जिला गोरखपुर की फरेंदा तहसील के मध्य निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित विकास कार्य होने जा रहे हैं।

१—कृषि—इसके अन्तर्गत सिंचाई, बीज, खाद, उन्नत कृषि यंत्र, कृषि रक्षा, बागवानी और फसल प्रतियोगिता का कार्य है।

२—पशुपालन—जानवरों को बधिया करना, टीके लगाना और अच्छी नस्ल के पशुओं को वितरित करना।

३—शिक्षा—प्राइमरी स्कूलों की इमारत बनाना।

४—सार्वजनिक निर्माण—सड़कें और पुलिया बनाना।

५—जन स्वास्थ्य—जल शुद्ध करना और टीके लगाना।

६—सहकारिता—नयी समितियां स्थापित करना।

७—गृह उद्योग—सुलतान कोल्हू और गुड़ भट्टियां स्थापित करना और चर्खे वितरित करना।

इस विषय में एक विवरणात्मक तालिका माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है। प्रश्न का शेष भाग उठता ही नहीं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३८२–३८३ पर)

सुल्तान शुगर मिल्स, बलिया से गन्ने के मूल्य के बकाया की वसूली

*३८—श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या सरकार को विदित है कि जिला बलिया के अन्तर्गत फेफना सुल्तान शुगर मिल्स के जिम्मे अब भी १९५१-५२ की गन्ने की कीमत बाकी है? यदि हां, तो कुल बाकी रकम कितनी है?

श्री हुकुम सिंह—जी हां, १९५१–५२ सीजन के गन्ने के मूल्य के हेतु फेफना सुल्तान शुगर मिल्स के जिम्मे ४,९६२ रु० २ आना ३ पाई बाकी है।

*३९—श्री गंगा प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि इस कीमत वसूली के सम्बन्ध में पारसाल सरकार को कोई प्रार्थना-पत्र भी दिया गया था? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई?

श्री हुकुम सिंह—जी हां। प्रार्थना-पत्र आने पर जिलाधीश बलिया ने मिल को शीघ्र मूल्य चुकाने की नोटिस दी। फिर भी मिल ने जब काश्तकारों को रुपया अदा नहीं किया तो मिल पर मुकदमा चलाने की आज्ञा दी गई।

*४०—श्री गंगा प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया कोई ऐसा प्रबन्ध करेगी जिससे किसानों को गन्ने की कीमत प्राप्त हो सके?

श्री हुकुम सिंह—उपरोक्त मुकदमें के निर्णय होने के बाद किसानों को गन्ने का मूल्य दिलाने का प्रबन्ध किया जायगा।

नैनी इंडस्ट्रियल कालोनी, इलाहाबाद में उद्योग कार्य

*४१—श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि नैनी इंडस्ट्रियल कालोनी, इलाहाबाद का कितना कार्य पूरा हो चुका है और कौन-कौन उद्योगपति किस-किस व्यवसाय को वहां पर चलाने को उद्यत तथा राजी हो चुके हैं?

श्री हुकुम सिंह—अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है। कुल ३२ उद्योगपति अब तक कालोनी में व्यवसाय चलाने को राजी हो चुके हैं। उनके नाम तथा व्यवसाय की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३८४ पर)

*४२—श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस कालोनी में उद्योग आरम्भ करने के लिये शरणार्थियों को क्या-क्या सहायता अब तक दी गई है?

श्री हुकुम सिंह—नैनी उपनिवेश में विस्थापित व्यक्तियों को भूमि सस्ते दामों में दी गई है तथा दाम सुविधानुसार चार बराबर वार्षिक किस्तों में देने की व्यवस्था की गई है। औद्योगिकों को उनकी आवश्यकतानुसार नियंत्रित कच्चे माल का कोटा तथा पर्याप्त मात्रा में बिजली देने की भी व्यवस्था है। विस्थापितों को उद्योग स्थापित करने के लिये पांच हजार रुपये तक का ऋण सरकार द्वारा तथा ५ हजार रुपये से अधिक का ऋण रिहैबिलिटेशन फाइनेन्स ऐडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिया जाता है।

खेतों में खड़े गन्ने के पेरे जाने की सम्भावना

*४३—श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष इस समय गन्ना खेतों में अधिक खड़ा है? यदि हां, तो कितना और उसके कब तक पेरे जाने की सम्भावना है?

श्री हुकुम सिंह—सीजन १९५२–५३ में जिस समय मिलों ने पेराई करना बन्द किया लगभग २८.९० लाख मन गन्ना प्रदेश की चीनी मिलों के क्षेत्र में खड़ा रह गया था जो कि १९५१–५२ सीजन के अन्त में खड़े गन्ने के परिमाण से कम था। गन्ने के उपरोक्त परिमाण में से लगभग २८.४३ लाख मन गन्ना कोल्हू में प्रयोग कर लिया गया और शेष ४७ हजार मन गन्ना किसी प्रकार भी नहीं पेरा जा सका।

*४४—श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)—इस वर्ष कौन सी चीनी मिल अब तक बन्द हो चुकी है और अगले किस तारीख तक बाकी चलती रहेंगी?

श्री हुकुम सिंह—सीजन १९५२–५३ में प्रदेश की चीनी मिलें जिस तारीख तक गन्ना पेराई करती रहीं, उसका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३८५ पर)

*४५—श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि रामकोला (देवरिया) चीनी मिल ने किसी प्रकार का गन्ना लेने से इन्कार कर दिया है जो पिछले वर्ष बोया गया था? यदि हां, तो वह कौन सा गन्ना है, कितना है, उसकी खपत का क्या प्रबन्ध सरकार कर रही है?

श्री हुकुम सिंह—जी नहीं। यह प्रश्न ही नहीं उठता।

कस्टोडियन कार्यालय, जिला बुलन्दशहर में देहाती क्षेत्रों के लिये इन्सपेक्टरों की नियुक्ति

*४६—श्री किशन स्वरूप भटनागर (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि कस्टोडियन कार्यालय, जिला बुलन्दशहर में देहाती क्षेत्र के लिये चार इन्स्पेक्टरों की नियुक्ति योग्यता सम्बन्धी नियमों के अनुसार की गई है? यदि हां, तो उक्त इन्स्पेक्टरों की योग्यतायें क्या हैं?

श्री हुकुम सिंह—कस्टोडियन कार्यालय, जिला बुलन्दशहर में देहाती क्षेत्र के लिये केवल तीन ही इन्क्वायरी इन्सपेक्टरों की नियुक्ति हुई है।

उनकी योग्यतायें निम्नलिखित हैं—

१—श्री अमोलक राम गुप्ता (भूतपूर्व पटवारी, हिन्दी मिडिल और हाई स्कूल)।

२—श्री छोटेलाल (हिन्दी प्राइमरी और भूतपूर्व पटवारी)।

३—श्री जगदीश प्रसाद (हिन्दी उर्दू मिडिल और भूतपूर्व पटवारी)।

कुशीनगर, जिला देवरिया की विकास योजना पर व्यय

*४७—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बतायेगी कि कुशीनगर (देवरिया) की विकास योजनाओं में अभी तक कितना व्यय हुआ है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—३,६५,७४२ रुपया।

सरकारी कार्यालयों में उर्दू में भी प्रार्थना-पत्र देने की आज्ञा

*४८—श्री वीरेन्द्र पति यादव—क्या सरकार ने इस आशय के आदेश जिला न्यायालयों तथा अन्य सरकारी कार्यालयों को भेजे हैं कि प्रार्थना-पत्र आदि उर्दू भाषा में भी दिये जा सकते हैं?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—सरकारी आदेश यह है कि फौजदारी, दीवानी और माल की अदालतों में लोग अपने प्रार्थना-पत्र अथवा शिकायतें देवनागरी लिपि में और यदि वे हिन्दी न जानते हों तो फारसी लिपि में, दे सकेंगे। सरकारी दफ्तरों को पत्र लिखने के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि जो लोग हिन्दी नहीं जानते वे उर्दू या अंग्रेजी में पत्र लिख सकते हैं।

देहरादून के श्री खड्ग बहादुर के कुटुम्बियों को सहायता

*४९—श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि सन् २७ म नैपाल के राणा परिवार की राजकुमारी मय्यां की रक्षा के लिये धनाढ्य व्यापारी हीरालाल को कलकत्ते में कत्ल कर देने के मामले में वहां की युनिर्वासिटी के Law Student देहरादून निवासी प्रसिद्ध वीर खड्ग बहादुर को आठ वर्ष की सजा हो जाने के कारण उनका पढ़ना छूट गया था?

*५०—क्या सरकार को पता है कि महात्मा गांधी के सन् ३० के डांडी मार्च में कारावास गामी देहरादून निवासी श्री खड्ग बहादुर जेल से छूटने के बाद सन् ३२ में य० पी० पुलिस द्वारा एक षड्यंत्र केस में फंसाये जाने के कारण उसी समय से अब तक लापता हैं?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—श्री खड्ग बहादुर का हीरालाल के क़त्ल करने के मामले में सज़ा होने का इल्म है पर अन्य कोई सूचना नहीं है।

*५१—श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार को पता है कि श्री खड्ग बहादुर के कुटुम्ब में कोई व्यक्ति न होने के कारण उनकी वृद्धा माता तथा दो कन्याओं को बड़ा कष्ट है? यदि हां, तो सरकार ने उनकी सहायता के लिये दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—श्री खड्ग बहादुर की माता श्रीमती तुलसा देवी को सरकार द्वारा ४५ रुपये मासिक पेन्शन (मय महंगाई भत्ते के) स्वीकृत की जा चुकी है।

*५२—श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—[१५ जनवरी, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*५३-५४—श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—[१५ जनवरी, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ६४-६५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

भ्रष्टाचार विरोधी विभाग के कर्मचारियों पर व्यय

*५५—श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भ्रष्टाचार विरोधी विभाग में कितने कर्मचारी किस किस पद पर कार्य कर रहे हैं और उन पर सरकार कितना व्यय कर रही है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—एन्टी करप्शन विभाग का स्वतंत्र अस्तित्व मई, १९४८ ई० तक रहा जब कि वह प्रदेशीय सी० आई० डी० की इन्वेस्टीगेशन शाखा में विलीन कर दिया गया और तब से यही शाखा एन्टी करप्शन विभाग का कार्य भी करती है। सी० आई० डी० की इन्वेस्टीगेशन शाखा की विभिन्न श्रेणियों के वर्तमान कर्मचारिवर्ग की संख्या सम्बद्ध तालिका में दी है जो मेज पर रख दी गई है। इस कर्मचारिवर्ग का कोई भाग विशिष्ट रूप से केवल एन्टी करप्शन के मामलों की जांच के लिये नहीं रखा गया है। इन कर्मचारयों पर ४,४९,८०० रु० वार्षिक व्यय होता है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ३८९ पर)

*५६—श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—[स्थगित किया गया।]

बुलन्दशहर जिले में गृह उद्योगों की उन्नति के लिये आर्थिक सहायता

*५७—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले में गृह उद्योगों की उन्नति के सन् ५२ और ५३ में उसने कितनी कितनी सहायता किस किस को दी है ?

श्री हुकुम सिंह—बुलन्दशहर जिले में गृह उद्योगों की उन्नति के लिये सन् १९५२ में कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई। सन् १९५३ में (अब तक) जो सहायता दी गई उसका व्योरा यों है—

नाम	ऋण रु०	अनुदान रु०	उद्योग
१—श्री लक्ष्मीनारायण गुप्ता, गांव परवाना	..	५००	ब्लाक प्रिंटिंग वर्क्स
२—श्री नारायन प्रसाद, खुरजा	..	५००	टी सेट बनाना
३—सर्वश्री पराची वेयर लि०, गुरुकुल, सिकन्दराबाद।	५,०००	..	पाटरी गुड्स

कुटीर उद्योग धंधों के माल के क्रय में सरकारी नीति

*५८—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या सरकार अपनी क्रय नीति में इस बात का निश्चय कर रही है कि कुटीर उद्योग धन्धों के माल को प्राथमिकता दी जाय ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—सरकार कुटीर उद्योग धंधों के माल को खरीदने में प्राथमिकता देती है।

*५९—श्री देवकीनन्दन विभव—[३० दिसम्बर ० ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

मटहट कम्युनिटी प्रोजेक्ट जिला गोरखपुर, के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत

*६०—श्री झारखंडे राय— क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मटहट कम्युनिटी प्रोजेक्ट (जिला गोरखपुर) के अधिकारियों के खिलाफ किसी विधान सभा के सदस्य ने उनके पास लिखित शिकायत भेजी थी ? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त— जी हां। मामले की जांच की गई और फलस्वरूप कसूरवार कर्मचारियों को उचित दंड दिया गया ।

राजकीय टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, गोरखपुर में एक अच्छे वर्कशाप की आवश्यकता

*६१—श्री केशव पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय टेकिनकल इन्स्टीटयूट गोरखपुर में अल्प शक्तिवाला ही एक ब्वायलर है और इसके पूर्व का एक बड़ी शक्ति वाला ब्वायलर बेंच दिया गया है ?

श्री हुकुम सिंह— जी हां।

*६२—श्री केशव पाण्डेय— क्या सरकार राजकीय टेक्निकल इन्स्टीटयूट गोरखपुर में ऊंचे पैमाने पर एक Work shop स्थापित कर के Mechanical and Electrical शिक्षा की उच्चतम व्यवस्था करेगी ?

श्री हुकुम सिंह— सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है ।

जिला सूचना अधिकारियों की नियुक्ति

*६३—श्री अनन्त स्वरूप सिंह (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जुलाई और अगस्त के महीनों में कुल कितने जिला सूचना अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त— जुलाई, अगस्त माह में ८ जिला सूचना अधिकारी और २ अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारियों की सेवाएं समाप्त की गई हैं।

*६४—श्री अनन्त स्वरूप सिंह— क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उन रिक्त जगहों में नये सूचना अधिकारी रखे जायेंगे ? अगर हां, तो उनकी नियुक्तियां कब और किसके द्वारा होंगी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त— जी हां । रिक्त पदों के लिये भरती पुराने नियमों के अनुसार एक कमेटी द्वारा हो रही है।

न्याय तथा शासन के पृथक्करण की योजना

*६५—श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में न्याय तथा शासन विभाग पृथक-पृथक काम कर रहे हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त— न्याय तथा शासन के पृथक्करण की योजना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में लागू है :—

१—बुलन्दशहर
२—मथुरा
३—शाहजहांपुर
४—मुजफ्फरनगर
५—मैनपुरी
६—बिजनौर
७—बदायूं
८—बरेली
६—मुरादाबाद
१०—झांसी
११—फर्रुखाबाद
१२—फतेहपुर
१३—लखनऊ
१४—रायबरेली
१५—सीतापुर
१६—उन्नाव
१७—बहराइच, तथा
१८—गोंडा।

माडल उद्योग हायर सेकेंडरी स्कूल गोविन्द नगर, कानपुर में शरणार्थी छात्रों को सहायता

*६६—श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि माडल उद्योग हायर सेकेंडरी स्कूल, गोविन्दनगर, कानपुर में सन् ५१-५२ में रिफ्यूजियों के नाम पर किन-किन बालकों की फीस कितनी-कितनी दी गयी ? क्या बालकों की नामावली सरकार मेज़ पर रखेगी?

श्री हुकुम सिंह—माडल उद्योगशाला हायर सेकेंडरी स्कूल, गोविन्दनगर, कानपुर के २७० शरणार्थी छात्रों को सन् १९५१–५२ में कुल ७,१६५ रु० ८ आना निःशुल्क सहायता के रूप में स्वीकृत हुआ। जिन विस्थापित छात्रों को निःशुल्क सहायता सन् १९५१–५२ में स्वीकृत की गई थी उनकी कक्षावार संघटित नामावली संलग्न है। निःशुल्क सहायता की रक़म प्रत्येक विद्यार्थी के सम्मुख नामावली में अंकित है। इस बात की जांच की जा रही है कि इनमें से किन किन को वाकई सहायक धन वितरण हो चुका है। इस सम्बन्ध में पाठशाला की ग्रांट रोक दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ३८७–३९४ पर)

*६७—श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र—क्या सरकार को पता है कि रिफ्यूजी बालकों के सरपरस्तों ने शिकायत भेजी है कि जो रुपया उनके नाम से सरकार से प्राप्त हुआ है वह उन्हें नहीं दिया गया ? उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हुकुम सिंह—हां, केवल दो स्थानों से अर्थात् महिला विद्यालय, लखनऊ और गुरू नानक शिक्षालय, लखनऊ के बारे में अक्तूबर–नवम्बर सन् १९५२ में और तीन स्थानों से अर्थात् आयुर्वेदिक कालेज, देहरादून, सिन्धी हायर सेकेंडरी स्कूल, आगरा और माडल उद्योगशाला, हायर सकेंडरी स्कूल, गोविन्दनगर, कानपुर के बारे में इस

साल (सन् १९५३ में) सन् १९५२ की शिकायत आने पर जिला विद्यालय निरीक्षकों को शिक्षा संचालक द्वारा ऐसी आज्ञायें दी गई जिससे सही सही रुपया बंट जाये। हर एक मामल की अलग-अलग स्थानीय जांच भी की गयी और महिला विद्यालय व गुरु नानक शिक्षालय, लखनऊ और आयुर्वेदिक कालेज तथा सिन्धी हायर सेकेंडरी स्कल के रिफ्यूजी छात्रों को उनका रुपया दिला दिया गया है। माडल उद्योग हायर सेकेंडरी, कानपुर के मामले में जांच करने पर गड़बड़ का पता चला है, शिक्षा संचालक ने इस संस्था का सहायक अनुदान स्थगित कर दी है और जवाब तलब किया है। अग्रिम कार्यवाही उनका जवाब आने पर की जायगी।

शिक्षा संचालक ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को आदेश दे दिया है कि हर एक शिक्षा संस्था का हिसाब देखें कि कहीं और तो ऐसी गड़बड़ी नहीं है।

पब्लिक सर्विस कमीशन में साक्षात्कार के समय अंग्रेजी में प्रश्न पूछने की प्रथा

*६८—श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी (जिला बनारस)—क्या सरकार को यह मालूम है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने साक्षात्कार (Interview) के समय अंग्रेजी में ही अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी नहीं। साक्षात्कार (Interview) के समय पब्लिक सर्विस कमीशन अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं जैसा भी स्थिति के अनुसार आवश्यक हो। उदाहरणार्थ यदि न्यूनतम निर्धारित योग्यता विश्वविद्यालय की डिग्री होती है, तो साक्षात्कार में प्रश्न अंग्रेजी में पूछे जाते हैं? यदि न्यनतम योग्यता हाई स्कूल होती है, या ऐसा कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं होती, तो उम्मेदवारों से साक्षात्कार करते समय हिन्दी में प्रश्न पूछ जाते हैं। यदि कोई उम्मेदवार अंग्रेजी में पूछे प्रश्न नहीं समझ पाता या अंग्रेजी में उत्तर देने में उसे दिक्कत होती है, तो प्रश्न हिन्दी में ही पूछे जाते हैं; तथा उसे हिन्दी में उत्तर देने की अनुमति दे दी जाती है।

अजन्ता हिन्दी टाइप राइटर का सरकारी कार्यालयों में प्रयोग

*६९—श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि Provincial marketing Federation द्वारा सन् १९४९ ई० में Ajanta हिन्दी टाइप राइटर (Typewriter) मशीनें लगभग ८०० के प्रदेश के सचिवालय के विभिन्न कार्यालयों के लिये खरीदी गई थीं।

श्री हुकुम सिंह—सरकार ने इस फेडरेशन के द्वारा मशीनें नहीं खरीदीं। जहां तक सरकार को ज्ञात है, फेडरेशन ने कुछ अजन्ता स्टैन्डर्ड हिन्दी टाइप राइटर बिक्री करने के लिये खरीदे थे। सरकार ने इन मशीनों को प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में प्रयोग करने के लिये स्वीकार किया तथा एक रेट कान्ट्रैक्ट भी सन् १९४९ ई० में किया।

*७०—श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी—यदि हां, तो क्या सरकार को यह मालूम है कि ये मशीनें बेकार गोदाम में पड़ी हैं और काम में नहीं लाई जातीं? यदि हां, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह--(अ) सरकार को इसकी सूचना नहीं है।

(ब) प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

बेकार मजदूरों तथा बुनकरों के लिए कारोबार का प्रबन्ध

१--श्री लक्ष्मण राव क़दम--क्या सरकार को पता है कि खारुआ कपड़ा व बीड़ी के पाकिस्तान में जाना बन्द हो जाने से हजारों बुनकर व मजदूर बेकार हो गये हैं?

श्री हुकुम सिंह--जी हां, कुछ बुनकर व मजदूर बेकार हो गये हैं।

२--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार उक्त मजदूरों व बुनकरों का कारोबार जारी कराने के लिये केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर फौरन ही आकर्षित करने की कृपा करेगी?

श्री हुकुम सिंह-- केन्द्रीय सरकार इस विषय पर ध्यान दे रही है।

मनोरंजन कर से आय

३--श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र--क्या सरकार बतायेगी कि सन् १९४६-४७ और सन् १९५१-५२ में मनोरंजन कर के दर क्या थे और दोनों वर्षों में अलग-अलग कितनी मनोरंजन कर से आय हुई और इन वर्षों में सिनेमाओं की संख्या क्या थी?

४--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९४६-४७ में मनोरंजन-कर विभाग पर कितना व्यय हुआ था और सन् १९५१-५२ में कितना व्यय हुआ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त-- मांगी गई सूचना संलग्न नक्शे में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ३९५ पर)

५-६--श्री गेंदा सिंह--[स्थगित किये गये।]

७-८--श्री गेंदा सिंह--[१४ जनवरी, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

छात्र-आन्दोलन के सम्बन्ध में गृह मंत्री के वक्तव्य पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--मेरे पास विरोधी दल के नेता, श्री राजनारायण ने एक पत्र के साथ एक शिकायत भेजी है कि जो वक्तव्य माननीय गृह मंत्री ने शुक्रवार को दिया था उसमें कुछ ऐसी बातें कहीं जो सत्य नहीं हैं और सदन को धोखा देने का उन्होंने प्रयत्न किया। मैं इस प्रश्न का वैसे फैसला कर देता और उनको सूचित भी कर देता किन्तु मैंने यह देखा कि यद्यपि मैंने उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दी थी कि यहां पर वह इस प्रश्न को उठा सकें क्योंकि उन्होंने कोई वक्तव्य की नक़ल मेरे पास नहीं भेजी और न धोखा देने के सबूत में उन्होंने कोई बात लिखी तो भी ऐसी चीज को प्रकाशित कर दिया गया। मेरी समझ में प्रकाशन अधिक नहीं होना चाहिये था कम से कम उस शिकायत के विषय पर। केवल इतना ही प्रकाशित हो जाता कि इस तरह की बात उठाई गयी परन्तु अध्यक्ष ने अनुमति देने का निर्णय स्थगित रक्खा, मैंने उसके विपरीत देखा कि उसकी चर्चा अधिक हुई। इसलिये मैंने यह उचित समझा कि मैं इसका फैसला यहां आज दे दूं।

[श्री अध्यक्ष]

श्री राजनारायण जी ने जहां तक नियम की आवश्यकता है उसकी पूर्ति अभी भी नहीं की है। केवल वक्तव्य तो मेरे पास भेजा और वक्तव्य के बारे में उन्होंने कह दिया कि फलां-फलां बात जो वक्तव्य में कही गई है वह असत्य है। तो एक ओर वक्तव्य सरकार का और दूसरी तरफ एक माननीय सदस्य का यह कहना है कि यह झूठ है। न उसका कोई सबूत, न कोई डाक्यूमेंट मेरे पास भेजे जिससे कोई भी चीज प्रतीत हो सके। इस सदन का जो साधारण रिवाज है और जिसको हम समझते हैं कि बहुत सभ्य रिवाज है वह तो यहां तक जाता है कि अगर कोई माननीय सदस्य कोई बात कह भी जायं और सब सुन भी लें और उसके बाद यदि उस बात पर आक्षेप होता है और अगर वह माननीय सदस्य यह कह देते हैं कि मेरा इरादा यह नहीं था और मैंने इस तरह से या उद्देश्य से कहा था, तो सब लोगों के पहिली बात को सुनने पर भी यह नहीं कहा जाता कि तुम असत्य कह रहे हो। उसका स्पष्टीकरण स्वीकार किया जाता है। मेरे पास इसके बारे में केन्द्रीय पार्लियामेंट की एटीकेट के बारे में हिदायतें आई थीं और मैं उनमें से एक वाक्य पढ़ कर सुनाये देता हूं:—When a member makes a statement to explain his intention, the House has generally to accept it. [जब कोई सदस्य अपना आशय स्पष्ट करने के लिये वक्तव्य देता है तो सदन साधारणतया वक्तव्य को स्वीकार करता है।]

तो यदि जानबूझ कर कि यह बात असत्य है कह दी जाय तब तो धोखा देना हुआ। लेकिन विश्वास करने पर कि यह बात सत्य है, चाहे वह वास्तविकता से परे हो, वास्तविकता में वह सही साबित न हो, लेकिन यह विश्वास करके कि जहां से उसे इत्तिला मिली वह सही है कोई सदस्य यहां भाषण दे दे तो उसे धोखा देना नहीं कहा जा सकता है।

दूसरे माननीय सदस्य को यह अधिकार है कि उसका उसी वक्त वह प्रतिवाद कर दे कि बात जो कही गयी है वह ग़लत है। अगर यह तरीका नहीं होता है और किसी बात की सच्चाई की तहकीकात होना शुरू हो तो एक तरह से यह सदन एक अदालत सी बन जाय। फिर बात को सही या ग़लत साबित करने के लिये गवाही ली जाय। इस प्रकार मैं समझता हूं कि सदन का जो अस्तित्व है वही खतरे में पड़ जायगा और जिस कार्य के लिये यह सदन बनाया गया है वह काम आगे नहीं बढ़ सकता है।

यहां बोलने का पूरा स्वातंत्र्य है, उस पर धक्का लग सकता है। माननीय राजनारायण जी कोई बात बाहर सुनकर आये और उन्होंने ईमानदारी से बात कहने की कोशिश की और एक वक्तव्य यहां दे दिया। दूसरे सज्जन ने साबित कर दिया कि वह असत्य बात है, वास्तविकता से परे है और यह कह दिया कि धोखा देने के लिये कहा है तो इस प्रकार से साल भर इसी में बीत जायगा क्योंकि एक दूसरे के विरोध में सदस्य कहा ही करते हैं और खंडन किया ही करते हैं। तो किसी न किसी की तो बात असत्य रहती ही है और वास्तविकता से ग़लत साबित हो सकती है। इसीलिये सदन में पूर्ण रीति से स्वतंत्रता दी गयी है कि कोई सदस्य किसी बात को सत्य समझे उसका यहां पर बयान दे, अपने विचार प्रगट करे, उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिये। इस प्रकार का प्रश्न कभी भी इंगलैण्ड की पार्लियामेंट में कि किसी सदस्य ने सत्य बात कही हो या असत्य बात कही हो उसके ऊपर विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया गया है।

मैं भी लगातार दो तीन रोज से कोशिश कर रहा हूं कि कोई ऐसा ही प्रश्न मेरी दृष्टि में आवे जो इंगलैण्ड की पार्लियामेंट में कभी उठाया गया हो किसी सदस्य के खिलाफ। यहाँ पर भी इसी तरह का प्रश्न पिछली असेम्बली के जमाने में श्री त्रिलोकी सिंह जी ने उठाया था और इस सदन के जो उपाध्यक्ष उस समय थे उनका बहुत विचार-

पूर्वक दिया हुआ फैसला कार्यवाही में पाया जाता है। मैं उसके थोड़े से वाक्य सुना देना चाहता हूं। उसमें उनके शब्द यह हैं कि —

"इस सिलसिले में मुझे हाउस आफ कामन्स का कोई ऐसा फैसला नहीं दिखाया गया जिसमें किसी माननीय सदस्य के खिलाफ वहां के सदन ने कोई असत्य बात कहने पर यह तय किया हो कि उसने विशेषाधिकार की अवहेलना की।" यह शब्द स्पष्ट हैं और मुझे भी नहीं मिला। मुझे मालूम हुआ कि राजनारायण जी ने यह लिखा कि धोखा देने के ऊपर कुछ लोगों के ऊपर पार्लियामेंट में उनके खिलाफ कार्यवाही की है। थोड़ा सा मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस किताब में जिक्र इस किस्म का आता है गवाही के बारे में। कोई इंक्वायरी पार्लियामेन्ट सेट अप करे और उसमें कोई गवाह धोखा देने की कोशिश करे कमेटी को, तो उस वक्त ऐसी चीज़ उठाई जा सकती है।

दूसरे किसी अदालत में किसी माननीय सदस्य ने कसम लेने के बाद पर्जरी की, उसके ऊपर पर्जरी के लिये चूंकि एक माननीय सदस्य बड़ी जिम्मेदारी के स्थान पर होने पर भी झूंठ बोलता है, कसम खाकर दंडित होता है इसलिये सदन और भी उसे दंड दे सकता है कि वह उसे सदन से निकाल दे। इस तरह के उदाहरण मिलते हैं। लेकिन कोई माननीय सदस्य एक वक्तव्य देता है, मुमकिन है उस वक्तव्य की सब बातें सही न हों तो उसके ऊपर विशेषाधिकार की कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। नहीं तो बोलने का जो यहां स्वातंत्र्य है उसके ऊपर बड़ा भारी कुठाराघात होगा और इस सदन का कार्य नहीं चल सकगा। इस दृष्टि से और जो मैंने और वजह बतलाई मैं उचित नहीं समझता हूं कि मैं इस बात की इजाज़त दूं कि यह प्रश्न एक विशेषाधिकार का प्रश्न बनाकर उठाया जाय। अब प्रश्न यह उठता है कि जो बात कही गयी वह अगर असत्य कही गयी तो क्या उसके लिये माननीय सदस्य कोई दूसरा रास्ता अख्तियार नहीं कर सकते थे? इसके सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देता हूं जो मैंने पहले भी दिया था जब कि श्री राजनारायण जी ने मुझसे फोन पर बातें की थीं। मैंने उनसे कहा था कि वे गृह मंत्री के पास लिखकर भेज दें कि यह वाक़या ग़लत है और मेरी जानकारी में यह बात सही है। इस पर तहकीकात के बाद वे उनको बतला देंगे कि तहक़ीक़ात से क्या बात उन्हें सत्य प्रतीत हुई जो वाक़या सरकार की तरफ से बयान किया जाता है उसके बारे में जब तक मंत्री यह न कहें कि यह मैंने प्रत्यक्ष देखा है, आंखों से देखा है अगर वह बात ग़लत साबित हो तब तो यह आक्षेप किया जा सकता है कि वह झूठ है। लेकिन यहां मंत्री लोग जो इत्तला देते हैं वह उन्हें बाहर से अफ़सरों आदि से ही मिलती हैं और वे उस पर विश्वास करके उस इत्तिला को भवन को दे देते हैं। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है इसमें किसी को धोखा देने की बात नहीं है। इस तरह से जो इत्तला दी जाती है उस पर झूठ का आरोप मंत्रियों पर नहीं लगाया जा सकता और माननीय सदस्य भी ऐसी ही बाहरी इत्तिला पर विश्वास करके जो बात कहते हैं, उसके द्वारा भी वे धोखा देना नहीं चाहते। सत्य जानने की तरकीब यह है कि अगर वह इनफार्मेशन ग़लत है तो वैसा माननीय मंत्री महोदय से कह सकते हैं। तहकीकात के बाद अगर वे उसको ग़लत पायेंगे तो वे फिर यह कह सकते हैं कि उन्होंने पहले सदन को ऐसी इत्तिला दी थी लेकिन वह ठीक नहीं है और ऐसा एक मर्तबा इस सदन में कुछ दिन पहले हो भी चुका है। माननीय गृह मंत्री ने लड़कियों को चोट लगने के बारे में यह कहा था कि उन्होंने जो पहले सदन को सूचना दी थी वह ग़लत थी और उसके लिये उन्होंने अफसोस भी जाहिर किया। यही गौरवपूर्ण तरीका है और इसी तरह से इस सदन की शोभा और मर्यादा बढ़ती है। इसलिये इन सब विचारों को सामने रख कर राजनारायण जी ने जो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न रखा है, उसको प्रस्तुत करने की मैं इजाज़त नहीं देता।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न करना चाहता हूं। वह यह कि--

"A libel on a member's extra parliamentary conduct may, however, constitute a breach of privilege if it is designed to influence the proceedings of the House"

अगर ऐसी बात हो तो ?

श्री अध्यक्ष--आप मेरे कमरे में आ जायं और जो बहस उस सम्बन्ध में आपको करनी हो वह वहां कर लें। यहां तो जो मुझे कहना था वह कह चुका।

१९५३-५४ के विभिन्न अनुपूरक अनुदानों के लिये समय विभाजन

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--जिन अनुदानों में हमारी विशेष दिलचस्पी है अगर उनको पहले ले लिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं चाहता हूं कि उनका क्रम इस प्रकार से बदल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं पहले विरोधी दल के नेता सुझाव रखेंगे उसके बाद आप भी रख सकते हैं।

राजा वीरेन्द्रशाह--मैंने सब लोगों से परामर्श कर लिया है। उनका क्रम इस प्रकार से रख दिया जाय--

एजेंडे में जिसका नम्बर	३	है उसको नम्बर	१	कर दिया जाय
"	५	"	२	"
"	१३	"	३	"
"	६	"	४	"
"	७	"	५	"
"	१९	"	६	"
"	२१	"	७	"
"	२२	"	८	"
"	२५	"	९	"
"	२६	"	१०	"
"	२८	"	११	"

इनके अलावा श्रीमान् जी जिस तरह चाहें वैसे रख दें।

श्री अध्यक्ष--इसके लिये आप कोई समय तो निर्धारित कर दीजिये। श्री राजनारायण जी, आपको यह स्वीकार है ?

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--जब श्री जगन्नाथ मल्ल जी ने बातचीत करके तय कर लिया है तो मुझे यह स्वीकार है।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ आवश्यक कारणों से मैं थोड़ी देर के लिये इस स्थान में नहीं रहूंगा। मैंने विरोधी दल के माननीय नेता से यह अनुरोध किया था कि वे इस बात को मान लें कि नं० ६ और ७ तीन बजे के बाद यदि लिया जाय तो आसानी होगी और उन्होंने मुझसे कहा है कि उनको इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष (राजा वीरेन्द्र शाह से) तो इसका टाइम अब आप और सजेस्ट कर दीजिये क्योंकि साढ़े चार बजे तक इसको खत्म होना चाहिये। एक घंटा तो अभी है और सवा दो घंटा उस वक्त होगा। यानी सवा तीन घंटा कुल उसके लिये समय है। तो उसका बटवारा आप कर दें तो उचित होगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कट-मोशन मूव करेगा उसके लिये तो १० मिनट रख दिया जाय और बाक़ी वक्ताओं के लिये ७ मिनट।

श्री अध्यक्ष-- यह मैं नहीं कह रहा हूं। अनुदानों के लिये मैं चाहता हूं कि आप बतला दें किसके लिये कितना समय दिया जाय क्योंकि मुझे अनुदानों के लिये समय निर्धारित करना है।

राजा वीरेन्द्र शाह-- नं० १ अनुदान के लिये डेढ़ बजे तक ले लीजिये। उसके बाद हम लोग तय करके आपको बतला देंगे।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--असेम्बली का कार्यक्रम क्या होगा? इसकी सूचना मैं चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--साढ़े चार बजे तक इन अनुदानों के ऊपर जो कटौती प्रस्ताव हैं उनके ऊपर विचार किया जायगा और बाकी जितने अनुदान रह जायेंगे उन सब अनुदानों के ऊपर बिला विवाद वोट ले लिया जायगा और अनुदानों के बाद आगे अगर कोई समय बढ़ाना चाहेगा तो सदन की आगे की कार्यवाही होगी लेकिन उसके लिये प्रस्ताव लाना पड़ेगा।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)-- अनुदानों के बाद मैं चाहता हूं कि कुछ बिल जो बाकी रह गये हैं उनमें से कुछ ले लिये जायं। उसके बारे में विरोधी दल के नेता से परामर्श करके फिर जो बात अगर निश्चित हो सकी तो उसे बतला दूंगा और अगर निश्चित नहीं हो सकी तो क्या करना होगा उसे भी यहां पर निवेदन कर दूंगा।

१९५३-५४ के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान
अनुदान संख्या ६-लेखा शीर्षक ११-रजिस्ट्री

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश पर मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६ रजिस्ट्री-लेखा-शीर्षक ११ (रजिस्ट्री) के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६ रजिस्ट्री-लेखा शीर्षक ११-रजिस्ट्री के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ९-लेखा शीर्षक १७, १८ और १९-ख-राजस्व से किये जानेवाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़कर)

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)--अध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९, राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़कर) लेखाशीर्षक, १७, १८, और १९-ख के अन्तर्गत १,४२,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३-५४, के लिये स्वीकार की जाय।

[श्री राममूर्ति]

श्रीमन्, सप्लीमेंट्री ग्रांट की मांगों का जो स्मृतिपत्र है उसमें इसके बारे में काफी दे दिया गया है फिर भी मैं अब माननीय सदस्यों की सूचना के लिये इतना कह देना जरूरी समझता हूं। मुरादाबाद जिले में गंगा जी के किनारे एक तिगरी गांव है। सन् १६५० में गंगा जी में बाढ़ आने की वजह से इस गांव में काफी नुक़सान हुआ। कुछ गांव का हिस्सा बह गया और खादर में खेती करने का जो रकबा था उसका भी नुक़सान हुआ। उसके बाद जो स्थानीय बाढ़ सुरक्षा समिति है उसकी बराबर इस बात के लिये मांग रही है कि इस गांव को बचाने के लिये सरकार कुछ करे। तो उसके संबंध में सिंचाई विभाग का जो रिसर्च सेक्शन है उसमें मीटिंगें की गई हैं उसके बाद यह तय हुआ कि जहां मेरठ और मुरादाबाद जिलों को जानेवाली सड़क मिलती है वहां पर एक नुकीली दीवार बनाई जा रही है जिसको अंग्रेजी में स्पर कहते हैं। उसके लिये २ लाख ६२ हजार रुपये के खर्च का इस्टीमेंट हुआ। गवर्नमेंट ने इस पर विचार किया और इस बरसात से पहले इस काम को समाप्त कर दिया। उसके लिये १ लाख ४२ हजार रुपये की जरूरत पड़ी थी। वह आपके सामने मैंने पेश कर दी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी किये जाने का प्रस्ताव मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रान्त में एक आन्दोलन सा खड़ा हो रहा है उन इलाकों में जहां पर कि सिंचाई के रेट्स जो सरकार ने हाल ही में बढा दिये थे। वहां के किसान लोग उसे नहीं दे सकते हैं। खबरों से पता चलता है कि प्रान्त व्यापी आन्दोलन इस सिलसिले में जगह जगह होने जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह तो सत्य है कि सिंचाई का प्रबन्ध होना ही चाहिये और इसीलिये फाइव ईयर प्लान में सिंचाई को फर्स्ट प्रायरिटी दी गई है। लेकिन आज जिस तरह से सिंचाई का इंतजाम हमारे इस प्रांत के अन्दर हो रहा है उससे हम लोग अभी पूरे तौर से संतुष्ट नहीं हैं। जहां नहरें नहीं हैं वहां तो नहरें खोदी ही जा रही हैं सरकार का प्रयत्न यही रहा है। परन्तु जहां ट्यूबवेल्स और पम्पिग सेट्स होते हैं वहां ठीक ठीक इंतजाम गवर्नमेंट की ओर से नहीं हो पाया है। जहां ट्यूबवेल्स लगे हैं वहां बिजली नहीं मिलती है जिसकी वजह से वे ट्यूबवेल्स बिलकुल बेकार हो जाते हैं। हमारी सरकार ने यह भी प्रयत्न किया था कि कुछ पम्पिग सेट्स दे दिये जायेंगे उन लोगों को जहां पर न तो ट्यूबवेल्स काम कर सकते हैं और न नहरें हैं। वहां पर कुछ पम्पिंग सेट्स दे कर वहां के इलाकों के लोगों को पानी का कोई इंतजाम करेंगे लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि, अब जनवरी का महीना आ गया है और इस साल मार्च के महीने तक जो रुपया पम्पिग सेट के लिये दिया जाता अभी तक सरकार ने इस सिलसिले में कोई कार्यवाही नहीं की है। मैं भी सरकार से इस बात को बार बार कहते थक गया हूं कि वह पम्पिग सेट का इन्तजाम करने का प्रयत्न करे लेकिन अभी तक कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है। अभी हाल ही में माननीय सूचना मंत्री हमारे यहां गये थे। पम्पिंग सेट ही ऐसी चीज है जो कि पहाड़ पर काम आ सकती है। माननीय मंत्री जी ने हमारी इस मांग की तरफ अपनी सहानुभूति दिखाई थी और हमको आशा थी कि पम्पिंग सेट हमको बहुत जल्द मिल जायेंगे लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई इन्तजाम नहीं किया गया।

जहां तक सिंचाई का प्रबन्ध है वह सिंचाई नहरों के द्वारा हुआ करती है परन्तु बुन्देलखंड और पहाड़ी इलाके ऐसे हैं कि जहां पर सिंचाई का नहरों के द्वारा प्रबन्ध नहीं हो सकता है वहां पर पम्पिंग सेट ही काम कर सकते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब हमारे इंजीनियर मुल्क में नहरों के खुदवाने की बात करते हैं क्योंकि उसमें १० परसेंट का हिस्सा रहता है। परन्तु कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिनसे पानी को ऊपर पहुंचाया जा सकता है और जिसकी तरफ अभी तक सरकार ने कोई तवज्जह नहीं की है और न अभी तक वहां सरकार का ध्यान गया है। मैं समझता हूं हमारे प्रांत में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर इस किस्म के ऊंचे इलाके

हैं जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है। जैसे पहाड़ी इलाके हैं वहां पर सरकार ने अभी तक पानी पहुंचाने का कोई प्रबन्ध नहीं किया है। वहां पर हाईड्रोलिक रैम्स की व्यवस्था करने का सरकार का इरादा है। मैंने देखा कि बम्बई में बहुत सी ऊंची जगहों पर ऐसा प्रबन्ध किया गया है और पानी पहुंचाया गया है। वहां पर हाईड्रोलिक रैम्स के जरिये से पानी ऊपर पहुंचाया जाता है। हमारे प्रान्त में सरकार का ध्यान अभी तक इस तरफ नहीं गया है। मैंने माननीय सूचना मंत्री को यह सारी स्कीम दिखायी और खुद जाकर स बात को दिखाया क्योंकि मैं भी पहाड़ का रहने वाला हूं और मैंने भी अपने यहां ऊपर चोटी पर पानी पहुंचाने के लिये हाईड्राम लगा रक्खा है और उस से ऊंचे ले जाकर बहुत दूरी पर पानी पहुंचाया है। इसी प्रकार से सरकार भी ऊपर पानी ले जानेका प्रयत्न कर सकती है। हमारे यहां वह मशीनरी बहुत अच्छा काम कर रही है। उसमें कोई नहर वगैरा बनवाने की बात नहीं है और न किसी इंजीनियर को उससे कुछ मिलने वाला है। उसको सीधे डील किया जायगा और उसमें किसी को मिलने वाला नहीं है तो इंजीनियर या ओवरसियर उसमें दिलचस्पी नहीं ले सकते हैं। सरकार एक तरफ तो नहर बनवा रही है, ट्यूबवेल्ल लगा रही है और इस प्रकार से प्रबन्ध कर रही है लेकिन जहां पर ऊंची जगह है और पानी की आवश्यकता है वहां पर पानी का प्रबन्ध होना, सिंचाई का इन्तजाम होना नितान्त आवश्यक है। वहां पर सरकार को सिंचाई का प्रबन्ध करना चाहिये। सिंचाई न होने की वजह से पहाड़ों पर या बुंदेलखंड में जो बाग हैं वह सूख रहे हैं और फलों की व्यवस्था कम होती जाती है। जब तक पानी का प्रबन्ध नहीं होगा फलों की पैदावार अधिक नहीं हो सकती है। जब अन्न की पैदावार के लिये ही पानी कम है तो फिर बागों के लिये किस तरह का प्रबन्ध हो सकता है? पानी का प्रबन्ध होना एक ऐसी चीज है जिससे पैदावार बढ़ सकती है। मैं तो यह समझता हूं कि हमारे प्रांत में अगर हाईड्रोएलेक्ट्रिक और सिंचाई का प्रबन्ध एक ही मंत्री के हाथ में दे दिया जाय तो इससे बहुत आसानी से सिंचाई का मसला हल हो सकता है। हर्टिकल्चर का भी डेवलपमेंट हो सकता है और अन्न भी अधिक पैदा हो सकता है। एक आदमी के हाथ में रहने से यह होगा कि नहरों का जब प्रबन्ध होगा तो उसी जरिये से हम फाल बनाते हैं जिससे हमारी बिजली पैदा होती है। इस वजह से एक मंत्री के हाथ में अगर यह विभाग रहेंगे तो काम ज्यादा और सुविधा से हो सकेगा और व्यवस्था भी ठीक प्रकार से चलेगी। इस पर मैं फिर अगला बजट आयेगा तो और कहूंगा लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना आवश्यक समझता हूं क्योंकि इससे जनता को बहुत कष्ट होता है। सिंचाई का जो बड़ा प्रश्न है उस पर सरकार को अधिक ध्यान देने की जरूरत है और जैसा कि मैंने सुझाव दिया हाईड्रोलिक रैम्स वगैरा का इन्तजाम बुन्देलखंड और पहाड़ों के लिये करे और सोसाइटीज के जरिये से यह सब काम कराया जाय जिस तरह से ग्रो मोर फूड कम्पेन में किया गया है और जिसमें काफी सफलता भी मिली है। मैं समझता हूं कि इसी पर देश का भविष्य निर्भर करता है। इसलिये मुझे आशा है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी।

श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमेशा पश्चिमी जिलों को इसलिये टाल दिया जाता है और यह कह दिया जाता है कि वहां तो पहले से ही आबपाशी की उन्नति बहुत काफी है लेकिन बिजनौर के जिले में गंगा जी किनारे पर बहती हैं वहां कोई नहर नहीं है रामगंगा बहती है लेकिन कोई नहर नहीं है। कुछ जगह कुछ ट्यूबवेल्स अवश्य बनाये गये हैं लेकिन वहां के बहुत से भाग ऐसे हैं कि जहां पानी का कोई सुभीता नहीं है नजीबाबाद, नगीना और अफ़ज़लगढ़ के परगनों में कहीं ट्यूबवेल्स नहीं हैं और कोई भी पानी का सुभीता नहीं है। मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि उस हिस्से को जहां आबपाशी का कोई जरिया नहीं है, खासकर नजीबाबाद में, वहां पानी का प्रबन्ध करे।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)--आन ए प्वाइन्ट आफ़ आर्डर, जो अनुदान अध्यक्ष महोदय, ग्रांट नम्बर ९ के अन्तर्गत मांगे गये हैं वह एक विशेष अनुदान है जो तिगरी

[श्री केशव गुप्त]

में गांव बह जाता था उस के संबंध में है। परन्तु यहां पर ट्यूबवेल्स पर बहस होना आरम्भ हो गई है। मैं समझता हूं कि उससे उन का कोई मतलब नहीं है और यह असंगत है।

श्री अध्यक्ष--आप को प्वाइन्ट आफ आर्डर के उत्तर में जो कहना है, कहें।

श्री रतन लाल जैन---यह तो ठीक है कि यह मांग तिगरी गांव के संबंध में है लेकिन जहां भी आबपाशी की कमी है वहां का जिक्र करना भी उचित ही होगा।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि जिस चीज पर अनुदान है आप उसी पर स्थिर रहें तो अच्छा है।

श्री रतन लाल जैन---तो अनुदान तो ठीक ही है, यह रकम अवश्य देना चाहिये मुझे और कुछ विशेष नहीं कहना है।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान इस प्रकार की सहायता तिगरी में देने के लिये अनुदान रखा गया है उस के लिये मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और इस प्रकार के अनुदान रखने की बहुत ही आवश्यकता है। जिस स्थान पर छोटी नदी या बड़ी-बड़ी नदियां बह रही हैं वहां पर देखा जाता है कि गांव दिन पर दिन तबाह होते चले जा रहे हैं। अगर इस तरह की सहायता दी जायगी तो गरीब किसान और मजदूरों के निवासस्थानों को और कृषि संबंधी रोजगारों को बचाया जा सकता है और इस तरह से गरीबों पर बड़ी भारी कृपा सरकार की हो सकती है मैंने यह देखा है कि गंगा और जमुना के किनारे के जितने गांव हैं वह प्रतिवर्ष प्रायः तबाह होते चले जा रहे हैं और सरकार के सामने भी सदा ही यह कठिनाई रहती है कि यदि उनको उचित रूप से बाढ़ से न बचाया जाय तो उन के बसाने आदि का भी प्रबन्ध करना पड़ता है। ऐसी जगहों के लिये जहां नदियां भूमि को काटती हैं और गांव नष्ट होते हैं और जहां बांध आदि की आवश्यकता है वहां के लिये मैं समझता कि यह अनुदान का रुपया बहुत ही कम है। मैंने देखा है कि जमुना के निकट कई एक गांव कई वर्ष हुये नष्ट हो गये थे। सन् १९२४ ई० में सैकड़ों गांव नष्ट हो गये थे। अब तक वह स्थायी रूप से नहीं बस सके। अब भी उनको अत्यन्त संकट है। अभी इसी संबंध में एक झगड़ा यह चल रहा है कि एक गांव की जो भूमि थी दूसरे गांव ने आकर उस पर कब्जा कर लिया और अब उस हालत को देखकर जो उस गांव के पहले के निवासी थे वह उसको अब फिर अपने अधिकार में लेना चाहते हैं। अतः मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार से यदि यह रुपया हमारी सरकार दे जिससे कि वह गांव नष्ट न हों, बच जायं तो यह उन गांव वालों के लिये अत्यन्त सुविधाजनक बात होगी। गंगा खादर में सैकड़ों गांव बरबाद हुये और साथ ही साथ यह भी एक बड़ी हानि सरकार को उठानी पड़ी कि उनके लिये तकाबी या और दूसरे स्थानों पर बसने के लिये बड़ी भारी संख्या में रुपया खर्च करना पड़ा। अतः यदि पहले ही इस दशा को सुधार लिया जाय तो यह एक अत्यन्त ही सुविधाजनक बात सरकार के लिये होगी और उन गरीबों के लिये भी एक लाभदायक बात यह होगी कि वह इस संकट से बच जायेंगे। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आगामी बजट जो हो, उसमें, इस प्रकार से नदियों के पास जो संकट हों उनसे बचाने की कृपा की जाय और भविष्य में उनके लिये एक पर्याप्त मात्रा में रुपया रखा जाय क्योंकि हमारे इस कृषि संबंधी देश में यह अत्यन्त आवश्यक है कि उनके खेतों को और उनके निवास स्थानों को बचाने का प्रयत्न किया जाय। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से रुपया रखने में यदि हमारी सरकार एक उदार दिल से काम करेगी तो हमारे इन कृषि संबंधी कार्यों में अत्यन्त सहायता पहुंचेगी। इसलिये मैं अपने मंत्री महोदय से आपके द्वारा यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस गांव को बचाने के लिये जो यह रुपया रखा है यह सराहनीय मद है और हमको इसी प्रकार के कामों के लिये माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहिये।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो यह अनुदान प्रस्तुत किया गया है वह अत्यन्त आवश्यक है। मैं उसके लिये हृदय से अपने माननीय मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट कर रहा हूं। लेकिन तिगरी ग्राम के बचाने के लिये जो धनराशि सरकार ने व्यय करने का निश्चय किया है दो लाख ९२ हजार रु० उसमें से इसमें १ लाख ४२ हजार रु० अनुदान रखा गया है और जो धनराशि उस विभाग में उस मद में बचती है वह सरकार उसमें उपयोग में ले आयेगी यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि कटाव से एक गांव को बचाने के लिये सरकार ने यह प्रयास किया है। लेकिन उसके साथ ही साथ मुझे बड़ा दुख हुआ जबकि हमने देखा कि पिछली दफा मार्च में यह एक सवाल प्रस्तुत किया गया था कि गोरखपुर और देवरिया जिले में दो सौ गांवों को एक नदी से बचाने के लिए एक नाले के भरने से काम हो सकता है और दो सौ गांव बचाये जा सकते हैं। इसमें मैंने देखा कि अनुपूरक में उसके लिए कोई स्थान नहीं था। आज वह दो सौ गांव ऐसे हो गये हैं कि जिनको सारो आफ देवरिया कह सकते हैं और प्रत्येक वर्ष वहां ऐसी दशा होती है जिसके कारण आज वहां के किसानों ने हजारों गायें विवश होकर के चारे के अभाव में अपने घर से सर्वदा के लिए निकाल दी हैं और आज मैं एक संकोच के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक भुखमरी की अवस्था पैदा हो गयी है। मैंने बार बार इस सदन में सरकार का ध्यान आपके द्वारा इस ओर आकर्षित किया लेकिन मुझे बड़ी निराशा हुयी जब कि उस पर सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया यद्यपि सरकार को प्रति वर्ष बाढ़ के बचाव के लिये लाखों रुपये व्यय करने पड़ते हैं-लेकिन यह एक ऐसा कार्य है कि जिसमें केवल जहां तक मेरा ख्याल है पांच-छ लाख रुपये से ज्यादा इस पर खर्च होने वाला नहीं है और इससे एक बड़ा भारी उपकार हो जायगा जैसा मैंने पहले निवेदन किया था कि उस जिले में इतनी गहरी आबादी है कि एक एकड़ में तीन आदमी अपनी गुजर कर रहे हैं। इस तरह आप दो, ढाई सौ गांव बचा लेंगे। मेरा मंत्री जी और सरकार से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में वह पूरा ध्यान देने की कृपा करें।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करते हुये इस सदन का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जोकि इससे संबंधित हैं। जिला अल्मोड़ा में रिणबिछुल, बाराबिसी गांव में ऐसी जगह है जहां २,००० नाली जमीन दरियाबुर्द हो चुकी है। वहां के किसानों के खेतों का प्रोटेक्शन वाल होना बड़ा आवश्यक है। लेकिन यह इलाका ज्यादा दूर होने की वजह से सरकार का ध्यान इन इलाकों की ओर नहीं गया है। पर इन गरीबों के लिये जरूर कुछ न कुछ सरकार को शीघ्र ही करना चाहिये ताकि ऐसी जो जमीनें बाढ़ की वजह से दरिया-बुर्द हो गयी हों उनके लिये प्रोटेक्शन वाल बनायी जा सके।

गांव सेरी पट्टी सेठी में लैन्डस्लिप होने से काफी मकान गिर गये हैं और काफ़ी जमीन अपने स्थान को छोड़ कर खिसक चुकी हैं। तो वहां भी प्रोटेक्शन वालों की काफी आवश्यकता है। पहाड़ी इलाका हमेशा एक डेफिसिट एरिया है। सरकार हमेशा वहां के लिये ग्रेन सब्सिडी भेजती रही है। एक अंग्रेजी की कहावत है कि "रेमेडी इज़ बेटर दैन क्योर।" अगर बजाय इसके कि सरकार वहां के लिए सब्सिडी में ग्रेन भेजती रहे वह एक ऐसी चीज बनाये जिससे कि सरकार को सब्सिडी न भेजनी पड़े और वहां के लोग भी अपने यहां अनाज ज्यादा पैदा कर सकें। मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां भी कोई ऐसे गूल जो वाटर चैनल्स कहलाते हैं, अगर सरकार मदद दे तो उनकी योजनायें वहां कार्यान्वित हो सकती हैं। गोकि नहर वहां नहीं बनायी जा सकती लेकिन छोटी-छोटी गूलें जिन में थोड़ी रकम खर्च होगी पहाड़ी इलाकों में भी चलायी जा सकती हैं। अभी एक गूल बलतड़ी नाम से वहां बनी। सरकार की ओर से वहां ६५,००० रु० खर्च हुआ। लेकिन एक फर्लांग उस गूल की मरम्मत न होने से वहां जो कुछ फ़ायदा होना चाहिये वह जनता को नहीं

[श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट]

हुआ और इतना रुपया भी खर्च हुआ । तो सरकार को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिये और इन बातों को रोकना चाहिये । अब तक यह हुआ है कि वहां नहर विभाग था और वह इन सारे मामलों को देखा करता था, मगर अभी हाल में वहां के सब कर्मचारियों को जिला नियोजन कमेटी में अमलगमेट कर दिया गया है। पहले तो नहर विभाग एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता था उसको जिला नियोजन कमेटी से मिलाने से एक नयी स्थिति पैदा हो गयी है । वह पहले कई गूलों का निर्माण किया करता था मगर जब से अमलगमेशन हुआ तब से यह हो रहा है कि हम लोग वहां जिला नियोजन कमेटी में जाते हैं, प्रस्ताव पास करते हैं मगर कोई भी चीज कार्यान्वित नहीं होती । जो पास करते हैं उन चीजों में से एक का भी इम्पलीमेंटेशन नहीं होता ।

मैंने कई बार सरकार का ध्यान एक हल्दू-गूल की ओर दिलाया है । वहां जनता ने साढ़े तीन मील गूल श्रमदान द्वारा बनायी और २२,००० रु० का काम जनता ने श्रमदान से किया, लेकिन एक फलंग के न बनने से वह ऐसी ही पड़ी हुयी है । अगर जिला नियोजन कमेटी इस तरफ ध्यान देती तो हर एक काम उस से हो सकता है।

एक ठुलीगाड़ जल-विद्युत योजना के नाम से स्कीम बनायी गयी। कुसेरी गांव से बसखौला तक एक गूल को निकालना था । हजारों नाली जमीन की सिंचाई उस से होती और बड़े झरने भी निकलते जिससे बिजली भी पैदा होने की सम्भावना थी, लेकिन अब तक जिला प्लानिंग कमेटी ने इस पर कोई विचार नहीं किया। ऐसे ही एक जजुराली की गूल है जिसमें श्रमदान से काफी काम हो चुका है लेकिन थोड़ा सा काम जो कि सरकार की तरफ से होना चाहिये था उसके न होने से वह गूल ऐसी ही पड़ी हुयी है। चोपड़ा मुवानी भढ़कटिया, ऐसी ही बहुत सी गूलें हैं जिन में श्रमदान से काफी काम हुआ, वहां की जनता में काफी उत्साह था और वहां काम बहुत अच्छी तरह से हो सकता था, मगर उस की ओर सरकार का ध्यान न होने की वजह से सब ऐसे ही पड़ी हुयी हैं । मैं आशा करता हूं कि सरकार इनकी ओर ध्यान देगी और इन चीजों को जल्दी से जल्दी कार्यान्वित करने की कोशिश करेगी। ऐसे ही चम्पावत तहसील के अन्तर्गत भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां गूल निर्माण की जा सकती है चूंकि समय अब नहीं रहा है अन्यथा मैं उन सब पर प्रकाश डालता । जो गल्ला हम पर्वतीय इलाकों को वहां से भेज रहे हैं उस पर जो लाखों रुपये का खर्चा सरकार का हो रहा है उस को भी हम बहुत कुछ बचा सकते बशर्ते कि उन गूलों में थोड़ी सी धनराशि खर्च कर दी जाती जिससे कि वहां बहुत सा अनाज पैदा हो सकता । इससे वहां के गरीबों को भी तकलीफ न होती और सरकार को भी उन इलाकों में सब्सीडाइज्ड ग्रान्ट देने की जरूरत नहीं होती ।

श्री मुहम्मद तक़ी हादी (जिला मुरादाबाद)—मैं अपने सिंचाई मंत्री साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस मांग को रखकर इस रुपये को मंजूर किया और उस बड़ी दिक्कत को जो कि तिगरी के इलाके में पहुंचने वाली थी उसे रोक लिया। जैसा कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि तिगरी ऐसे मुकाम पर वाकय है वहां से गंगा की धारा गुजरती है । चन्द सालों से गंगा जी की धारा बदल रही थी इसलिये वहां के लोगों को काफी परेशानी पैदा हो गयी थी । वहां बहुत से गांव हैं जो खतरे में थे। यह जो एक लाख और ४२ हजार की मांग प्रस्तुत की गयी है वह बहुत जरूरी थी। इसी सिलसिले में मैं अपने फाइनेन्स मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इस रुपये को मंजूर किया । हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने भी वहां काफी इन्तजामात किये और वे जरूरत के वक्त वहां मौके पर पहुंचते भी रहे मगर बाढ़ की तेजी की वजह से वहां फसल खराब हो गयी । इसलिये जरूरी था कि यह इंतजाम किया जावे और उसको दुरुस्त किया जाय । इसी सिलसिले में मैं माननीय सिंचाई मंत्री की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि वहां पश्चिम की तरफ एक मुकाम अमवा वाक़य है, वहां कोई नहर

नहीं है। वहां इसका इन्तजाम होना जरूरी है जिससे कि सिंचाई का इन्तजाम अच्छी तरह से हो सके। वहां बिजली पहुंचने में बड़ी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा वहां पर जो कुवें इर्रीगेशन डिपार्टमेंट ने तैयार किये थे वे बहुत पुराने हो गये हैं और उनसे पानी नहीं निकल रहा है। इसलिये जरूरत है कि उस तरफ खास तवज्जह की जाय और उन कुवों की दुरुस्ती करवा दी जाय। मैं यह महसूस करता हूं कि आजकल सरकार जो पश्चिमी इलाके हैं उनकी तरफ मुतवज्जेह नहीं है मगर फिर भी इतना जरूरी है कि छोटी-छोटी रकमें जिनसे मामूली तौर से मरम्मत हो सकती है, उन कुवों की, उसे करा दिया जाय वरना यह अंदेशा है कि आइन्दा सालों में कहीं नुकसान न हो जाय।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने उपस्थित अनुदान के लिये माननीय मंत्री महोदय को और इस सरकार को विशेष धन्यवाद देता हूं और वह इसलिये कि यह अनुदान उस जिले के गांवों से सम्बन्ध रखता है जिसका मैं स्वयं निवासी हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस धन की उपयोगिता के लिये और इसकी आवश्यकता के लिये अब इस पर प्रकाश डालूं तो वह आवश्यक नहीं है और वह इसलिये कि यह सदन जानता है कि जब तक सरकार यह अनुभव नहीं कर लेती कि यहां राजकीय धन का उपयोग करना अतिआवश्यक है तब तक सरकार अपना रुपया वहां खर्च करने के लिये तैयार नहीं होती। तो सदन इस बात से भली भांति परिचित हो ही गया होगा कि इस स्थान के लिये इस धन की आवश्यकता कितना महत्व रखती थी। यह गांव गंगा नदी के किनारे आबाद है और स्मृति पत्र में तो केवल एक ही गांव का जिक्र आया है, लेकिन इस रुपये के व्यय से उस क्षेत्र के और बहुत से गांव गंगा की बाढ़ की क्षति से सुरक्षित हुये हैं।

साथ ही मैं माननीय मंत्री महोदय को यह ज्ञान करा देना आवश्यक समझता हूं कि मुरादाबाद जिले में यही गांव नहीं, इसके अलावा एक बड़ा क्षेत्र रामगंगा नदी की बाढ़ से प्रभावित होता है और बाढ़ के कारण आज लगभग ३० गांव पांच वर्ष से पीड़ित हैं, उनकी आबादी कट चुकी है, उनकी जो खेती थी, जो खेत की जमीन थी, वह सब बालू में बदल चुकी है और अब तक उन गांवों की आबादी का कोई इन्तजाम नहीं हो सका है। मेरा विश्वास है कि इस कार्य में सरकार को सफलता मिली है और इस रुपये के व्यय होने के बाद मिलेगी, तो मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि रामगंगा नदी का वह क्षेत्र जिसके सम्बन्ध में मैंने अभी जिक्र किया है वहां बाढ़ से लगभग पांच वर्ष से ३० गांव पीड़ित हैं और आज भूखे और नंगे रहकर वहां के लोग अपना जीवन उस रामगंगा नदी के किनारे पर ही पड़े हुये बिता रहे हैं।

इसके अतिरिक्त मैं सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान अपने जिले की सिंचाई व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं। वैसे तो मुरादाबाद ऐसा जिला है जहां नल कूप विभाग की ओर से काफी कुयें लगे हुये हैं, तो फिर हमें अधिकार भी नहीं होता है कि जब हमारे जिले में दूसरे जिलों की अपेक्षा ज्यादा कुयें लगे हुये हैं तो हम कुछ ज्यादा मांग रखें। लेकिन मैं सिंचाई मंत्री महोदय को इतना बता देना अपना कर्तव्य समझता हूं कि उन कुओं में से अनेक कुयें वर्षों से बेकार पड़े हैं और वहां के किसान उन कुओं से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं बल्कि उन कुओं की आशा पर वे अपने रहट के कुओं का भी इन्तजाम नहीं कर सके और सिंचाई के दूसरे साधन भी अपने यहां उपलब्ध नहीं कर पाये हैं इसलिये कि उनका एक एक दिन इस उम्मीद में गुजरता है कि यह कुयें अभी ठीक हो जायेंगे, एक हफ्ते के बाद ठीक हो जायेंगे, १५ दिन के बाद ठीक हो जायेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय खासतौर से तहसील बेलारी के तीन चार कुये जो एक अर्से से बेकार पड़े हैं उनको दुरुस्त कराने के लिये वहां के स्टाफ का ध्यान आकर्षित करेंगे।

[श्री महीलाल]

इन शब्दों के साथ मैं एक सूचना जो कि शायद माननीय मंत्री महोदय को बहुत दिन पहले मिल चुकी होगी, देना चाहता हूं कि वहां के नल कूप विभाग में एक बड़े ग़बन की चर्चा महीनों से हो रही है, महीनों नहीं अगर मैं वर्षों से कहूं तब भी मैं समझता हूं कि मैं ग़लती पर नहीं हूंगा, लेकिन अभी तक सरकार उस ग़बन की जांच कराने के बाद किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है। वहां की जनता इसे जानने की इच्छुक है कि उस ग़बन की जांच में कौन-कौन दंडित होते हैं, किस-किस पर पूरा आरोप लगाया जाता है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इन मेरी बातों के ऊपर ध्यान देकर वहां की जनता को लाभान्वित करेंगे और मैं पुनः माननीय मंत्री महोदय को इस अनुदान के लिये जो कि सदन में उन्होंने प्रस्तुत किया है हार्दिक बधाई देता हूं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बोल लें। मैं पीछे जो कुछ कहना होगा, वह कह दूंगा।

श्री अध्यक्ष--(श्री राममूर्ति से) माननीय मंत्री जी इंटरवीन करना चाहते हैं बीच में?

श्री राम मूर्ति--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बातें सदन में कही गयी हैं और दलीलें दी गयी हैं, मैं चाहता हूं कि उनका कुछ जवाब दे दूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी अपने ख्यालात का इजहार कर दूं।

श्री अध्यक्ष--मैंने सोचा कि अभी और लोग बोलना चाहते हैं आप आखिर में जवाब देंगे।

श्री राममूर्ति--अगर आपकी आज्ञा हो तो जवाब शुरू कर दूं।

श्री अध्यक्ष--तो फिर बीच में कहिये जो कुछ आप कहना चाहते हैं।

श्री राम मूर्ति--इस सम्बन्ध में जो लोगों ने अपने-अपने ख्यालात ज़ाहिर किये उनमें कुछ ने प्रशंसा की, कुछ ने सुझाव पेश किये, मैं उन सभी का आभारी हूं। वैसे तो जब बजट पास होगा उस वक्त इन सब बातों का जवाब दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी आप साहबान ने जब मुख्तलिफ बातों के बारे में यहां ख्यालात ज़ाहिर किये हैं तो मैं थोड़ा-थोड़ा उनके बारे में अर्ज कर देना मुनासिब समझता हूं।

हमारे उपाध्याय जी ने अपने पहाड़ों के बारे में कहा। मैं उनकी सूचना के लिये यह बतला देना चाहता हूं कि हमने एक इंजीनियर साहब के सुपुर्द यह काम कर रक्खा है कि वह हाईड्राम के बारे में मालूमात करें कि आया उसका इस्तेमाल गढ़वाल और टेहरी वगैरह में हो सकता है या नहीं। बुन्देलखंड का जो उन्होंने जिक्र किया वहां के पहाड़ ऐसे नहीं हैं जहां हाई ड्राम का इस्तेमाल हो सके।

आपने कुछ कुओं में बिजली बनने के बारे में जिक्र किया। मैं आपको उसके बारे में बतला देना चाहता हूं कि हमारे यहां ट्यूबवेल्स के तीन सर्किल हैं। मेरठ, मुरादाबाद और लखनऊ। मेरठ में ६४० कुवें बन रहे हैं। ३१३ पर बोरिंग हो रही है, १८९ बन गये हैं और १५९ पर बिजली लग गयी और वे काम दे रहे हैं। मुरादाबाद में ३१५ कुवें बन रहे हैं। ३१५ में ही बोरिंग हो रहा है और ३१ बन गये हैं। लखनऊ में १००५ ट्यूबवेल्स बन रहे हैं। ३२५ में बोरिंग हो रहा है। २६७ पर काम हो गया और ८१ पर बिजली लग गयी है और काम देने लगे हैं और ५२ ऐसे कुवें हैं जिन पर डीजल इंजिन से काम लिया जा रहा है। आप जानते हैं कि बिजली के जो कारखाने बने हैं उनसे बिजली आती है और उन कारखानों के बनने में वक्त लगता है। हमारी कोशिश यह है कि जल्दी से

जल्दी काम पूरा हो जाय। कोशिश यह है कि जो बाकी कुवें हैं उन पर भी बोरिंग खत्म हो जाय और उनकी एनर्जी यूटिलाइज़ हो। कुछ उन्होंने पंपिंग सेट्स के बारे में भी ज़िक्र किया। अध्यक्ष महोदय, उनके कथनानुसार जिस वक्त पंपिंग सेट्स बांटे जायेंगे, यह हिदायत दे दी गयी है कि उनके ज़िले के लिये भी ज्यादा से ज्यादा पम्प दिये जायं और मुझे उम्मीद है कि उनके यहां जल्दी ही पंपिंग सेट्स मिल जायेंगे। रतन लाल जी ने ट्यूबवेल्स के बारे में कहा। उसको मैं बतलाना चाहता हूं कि उनके यहां १० ट्यूबवेल्स बनाने का हुक्म दे दिया गया है और उम्मीद करता हूं कि इस साल के आखिर में वह बन जायेंगे।

श्री रामजी सहाय ने राप्ती नदी के सिलसिले में कहा कि वहां २०० गांव ऐसे हैं कि जब राप्ती नदी में बाढ़ आती है तो उनका बड़ा भारी नुकसान होता है। इस मसले के बारे में जो फ्लड रिलीफ कमेटी है उस कमेटी की जो टेक्निकल कमेटी है उसने इसकी जांच की और उसका यह ख्याल है कि इस बांध के बन जाने से तात्कालिक तो ज़रूर फायदा पहुंचेगा लेकिन जो फ्लड का बढ़ाव है वह कम नहीं होगा। उसका ऐसा ख्याल है कि आगे चल कर ऐसे बांध के बनने से ज्यादा नुकसान हो सकता है लेकिन जो रिसर्च का सेक्शन है उसमें यह सवाल भेज दिया गया है और वह जांच पड़ताल कर रहा है। उनकी यह भी राय है कि फ्लड के सिलसिले में एक सर्वे डिवीज़न खोल दिया जाय। और सारे प्रांत में जहां-जहां फ्लड से नुक्सान होता है उन सब जगहों का सर्वे कर लिया जाय। उसका काम हो रहा है और जो कुछ फैसला होगा उस पर सरकार काम करेगी और इस बात की कोशिश करेगी कि जितना भी एरिया आज़मगढ़, देवरिया, गोरखपुर और बलिया का ऐसा है उसे हम लें। विष्टजी ने दीवार के बारे में कहा। इस तरह के हज़ारों गांव हैं जिन्हें बाढ़ से नुक्सान पहुंचता है और यदि ऐसे मामले प्लानिंग कमेटियों के सामने रखे जावें तो वे इस तरफ अधिक ध्यानपूर्वक और सफलता से सहायता कर सकती हैं। जहां पैसे वगैरह की कमी हो वहां सरकार को एप्रोच किया जा सकता है। हम अपने रिसर्च डिपार्टमेंट से सर्वे कराने की मदद देने के लिये भी तैयार हैं। ऐसे कार्य हमने कराये भी हैं, जैसे बलिया, कनखल और पीलीभीत इत्यादि में।

हमारे मुरादाबाद के एक माननीय सदस्य ने रामगंगा और ट्यूबवेल्स की बात कही, ट्यूबवेल्स तो वहां पहले ही बहुत हैं। रामगंगा के बारे में हम कार्य कर रहे हैं और हर साल काफी समय और पैसा वहां लगाया जा रहा है। हमें आशा है कि उस दरिया को ऐसा ट्रेन कर लिया जायगा कि नुकसान की आशंका जाती रहेगी।

जो हमारे ५,७ भाई बोले, मैं समझता हूं कि वे सन्तुष्ट हो गये होंगे और विस्तारपूर्वक बजट के मौक़े पर निवेदन किया जायगा। इस समय मैं आशा करता हूं कि सदन इस मांग को मंजूर करेगा।

श्री वृजबिहारी मिश्र (जिला आज़मगढ़)--अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। क्या यह उचित नहीं होगा कि कटौती के प्रस्ताव जिन माननीय सदस्यों ने दिये हैं उन सबको मौक़ा दिया जाय क्योंकि यह आवश्यक है?

श्री अध्यक्ष--यह तो पहले व्यवस्था हो चुकी है कि १ घंटा इसमें दिया जायगा और बजट के बारे में साधारण प्रथा यह रही है कि विरोधी दलवाले जो ज्यादा दिलचस्पी इसमें रखते हैं वे बोल सकें क्योंकि सरकारी पक्ष के लोगों को तो मौका यह माना जाता है कि जो कार्यक्रम वह रखना चाहते हैं विचार करके रखते ही हैं। तो उनको अधिक बोलने के लिये समय देना बजट के समय, मैं समझता हूं उचित नहीं है। हालांकि उनको भी बोलने का अधिकार तो है ही। इसलिये विरोधी दल के सदस्यों के सुझाव पर मैंने व्यवस्था दे दी। उस समय किसी ने आक्षेप नहीं किया। अब अगर आपको दिक्कत हो रही है और आप बोलना चाहते हैं तो दूसरी कटौती पर आपको मौक़ा मिल जायगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह पहले ही से जानता था कि हमारे माननीय सिंचाई मंत्री जी को हम लोगों के साथ बड़ी हमदर्दी है क्योंकि अबकी बार जब वे गये थे तो उन्हें पानी पीने के लिये नहीं मिला था रास्ते में। तो वह अन्दाजा लगा सकते हैं कि गर्मी के दिनों में वहां के लोगों को कैसी मुसीबत होती होगी। फिर भी मुझे संतोष है कि उन्होंने एक इंजीनियर इन हाईड्राम्स के लिये रखा है। लेकिन कहीं ऐसा न हो जाय कि बम्बई में वहां घूमने में बहुत रुपया खर्च होता है वहीं सारा रुपया खर्च हो जाय। इतने रुपये में तो हमारे यहां सारे हाइड्राम्स लग जावेंगे। इसलिये मैं मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि किसी इंजीनियर को बम्बई भेजने की आवश्यकता नहीं है वैसे तो वह प्रिंसिपल समझते ही हैं और बहुत ही साधारण सी चीज है। अगर उन्होंने कालेज में न पढ़ा हो तो वह हमारे पास आ जायं और हम उनको बतला देंगे कि हाइड्राम कैसे काम करते हैं। हम इसके लिये मंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने हमारे प्रश्न की ओर ध्यान दिया और मुझे आशा है कि पंपिंग सेट्स भी जल्दी ही आ जायेंगे। जब मैंने प्लानिंग सेक्रेटरी को फोन किया था कि पंपिंग सेट्स का क्या हो रहा है तो मुझे मालूम हुआ कि फायनेन्स डिपार्टमेंट ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम फिर से मूव करेंगे। मैं यह चाहता था कि मार्च महीना आये और ऐसा मौका न आये कि वह चीज न पंहुचे। हमारे यहां जाड़ों के ही महीने ऐसे होते हैं जबकि वहां पर काम किये जाते हैं।

मंत्री जी ने अभी यह कहा है कि प्लानिंग कमेटी के सामने, जहां बाढ़ से जमीन बह जाती है, यह चीज रखनी चाहिये। अभी गवर्नमेंट आफ इंडिया से हर जिले को ८० हजार रुपया मिला है कि उस रुपये को किसी भी अच्छे काम पर खर्च किया जाय। हमारी प्लानिंग कमेटी ने उचित समझा कि जहां-जहां राम गंगा नदी से या और नदियों से खेत बह गये वहां पर एक बांध सा लगा दिया जाय जिससे पानी वहां न जाय। लेकिन हमें दुख है कि अभी तक हमें वह रुपया नहीं मिला है। फिर हम कब काम करेंगे क्योंकि गर्मियों में काम हो नहीं सकता। लोग खेती वगैरह में लग जाते हैं। यहां पर तो लोग जाड़ों में खेतों के काटने में लगे रहते हैं और पहाड़ी इलाकों में लोग खाली रहते हैं और मजदूरी ढूंढने के लिये इधर-उधर माइग्रेट कर जाते हैं। यही मौका सब से अच्छा है जब कि लोग काम कर सकते हैं। मार्च के आखिर में लोग खेती में लग जाते हैं इसीलिये श्रमदान का भी काम वहां पूरा नहीं हो सकता है।

कैनाल की सर्वे डिवीजन कुमायूं के लिये अलग थी यह अच्छा ही हुआ कि वह वहां से काटकर हमारे प्लानिंग में आगई है। इंजीनियर वगैरह जो इस काम के लिये हैं वह हमारे पास आजायं और वह अगर हमारे साथ चलें तो हम उनको सहायता दे सकते हैं और बहुत जल्दी ही जो हम चाहते हैं, प्रांत में हो, वह हो सकता है। मैं इस विषय में बहुत ज्यादा न कह कर माननीय मंत्री जी ने जो सहानुभूति दर्शाई है, इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि हमें अगले बजट में लम्बी चौड़ी बहस न करना पड़े और जो वायदा उन्होंने किया है वह पूरा करने का प्रयत्न करेंगे।

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--श्रीमन्, मैं समझता हूं कि इस अनुदान के सम्बन्ध में मुझे कुछ विशेष नहीं कहना है क्योंकि हमारे भाई राममूर्ति जी ने प्रायः तमाम बातों का उत्तर दिया है जो थोड़े से समय में उठाई गई हैं। कोई विशेष बात कहने के लिये है भी नहीं।

यह अनुदान एक गांव के बचाने के इरादे से मांगा गया है लेकिन एक गांव का प्रश्न नहीं था। काफी जमीन कट रही थी और दो तीन वर्षों से यह मामला पेश था। यह सही है कि क्षति पाने वाले जो क्षेत्र हैं वह बड़े व्यापक और विस्तृत हैं। पूरब में खास तौर से और गंगा जमुना के किनारे के खेत ऐसे हैं और अवसर के अनुकूल जैसी की आवश्यकता होती है उसका प्रबन्ध किया जाता है। उपाध्याय जी ने अल्मोड़ा और पहाड़ी इलाकों के सम्बन्ध में कुछ बात कही। मुझे दुख है कि कुछ उन्होंने थोड़ा सा अपना बचन तोड़ा। जब मैं वहां गया था तो उन्होंने वायदा किया था कि वह पानी का नाम नहीं लेंगे। इतना पानी

उन्होंने मांगा था। यह बात सही है कि पहाड़ी इलाकों में सिंचाई की कौन कहे पानी पीने को भी नहीं मिलता। अक्सर पहाड़ों के ऊपर बसे हुये गांव वालों को पीने का पानी लेने के लिये मीलों तक नीचे जाना पड़ता है तब कहीं जा कर थोड़ा बहुत पानी मिल पाता है। कहीं नदी हुई या कहीं-कहीं झरने हुए तो वहां से पानी लेना पड़ता है। सिंचाई की बात तो कठिनता से वहां होती ही है। पीने के लिये पानी का वहां बड़ा कष्ट है यह मैंने स्वयं देखा है। और यह सही है कि इसी तरह पीने के लिये पानी का कष्ट बुन्देलखंड में भी था। तथा मिर्जापुर व विन्ध्यक्षेत्र में भी मीलों तक जाने पर भी पीने का पानी नहीं मिलता। गर्मी के दिनों में तो नदी नाले सब सूख ही जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई के लिये क्या प्रबन्ध किया जाय, यह तो हमारे माननीय मित्र को मालूम है कि वहां पर हमने गूल्स वगैरह बनाने के लिये कोशिश की है। गूलों के लिये क़रीब २५ लाख रुपया अनुदान में रखा गया है। इस समय मुझे ठीक से याद नहीं है शायद ५ सौ या ढाई सौ गूल्स बनाने की स्कीम है। काफी गूल्स गढ़वाल, अल्मोड़ा व नैनीताल में बन भी गये हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे-छोटे गूल्स बनाने में बड़ी दिक्क़त होती है तथा पैसा भी बहुत ख़र्च होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई के लिये इस तरह की छोटी-छोटी स्कीमें हैं।

हाईड्राम के लिये किसी को बम्बई भेजने के लिये कोई बात नहीं थी। हमारे यहां इस प्रदेश में कई हाईड्राम लगे हुये हैं, एक उपाध्याय जी के घर में भी लगा हुआ है। हाईड्राम के सम्बन्ध में इंजीनियर की रिपोर्ट भी आती है और उसको देखने के बाद ही कोई व्यवस्था हो सकेगी तो की जायगी। यह ८० हजार रुपये की कोई बात उन्होंने कही, मैं नहीं जानता कि गवर्नमेंट आफ इंडिया सीधे किसी प्लानिंग कमेटी को कोई रुपया देती है। गवर्नमेंट आफ इंडिया से हमको रुपया मिलता है और अक्सर कर्ज के रूप में और उसके लिये प्रदेश की सरकार काफी कोशिश करती है। कर्ज के ही रूप में हम उससे मांगते हैं, कोई सबसिडी के रूप में तो वहां से मिलता नहीं। कर्ज के ही रूप में उसका उपयोग भी किया जाता है, मैं नहीं जानता कि उन्होंने किस ८० हज़ार रुपये की बात कही। यह बात सही है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया इस बात को जानती ज़रूर है कि स्वायल का इरोजन बहुत होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में इसके लिये इस समय तो कोई योजना मेरी समझ में नहीं आ रही है। यह प्रश्न ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के विचाराधीन ज़रूर रहता है कि स्वायल के इरोज़न को रोकने की कोशिश की जाय जो कि न केवल पहाड़ों के अन्दर होता है बल्कि नीचे के भागों में भी होता है। अभी फ्लड कमेटी जो बैठी थी उसने भी इस पर विचार किया था कि नीचे के भागों और पहाड़ी भागों में इसको कैसे रोका जाय। पहाड़ों पर जो इरोज़न आफ स्वायल होता है उसको न रोकने से उसका असर नीचे के भागों पर भी पड़ता है और नदी की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। अतः हमें इस पर भी विचार करना है कि पहाड़ों पर इसको कैसे रोका जाय। जहां तक पंप वगैरह की बात है वे शीघ्र ही जिलों में भेज दिये जायेंगे। जो दिक्क़तें थीं वह भी मैंने आपको बतलाई। अतः जितने पंप हमारे पास हैं वे तो शीघ्र ही भेज दिये जायेंगे और बाक़ी मिलने पर भेज दिये जायेंगे। मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस अनुदान के लिये हमारा समर्थन किया। मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह इस अनुदान को स्वीकार करे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९-राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़ कर)-लेखा शीर्षक १७, १८ और १९-ख के अन्तर्गत १,४२,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

अनुदान संख्या १२–लेखा शीर्षक २५–सामान्य प्रशासन

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पंत)––श्री राज्यपाल की अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२, सामान्य प्रशासन के कारण व्यय––लेखा शीर्षक २५––सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ३,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

इसका कारण जो कि यहां यह मेमोरेंडम सामने रखा गया है उसमें दिये गये हैं। यह एक सिम्बल के तरीके पर म्युनिसिपल बोर्ड के जो चुनाव हुये हैं उनके कार्यों में कुछ ज्यादा खर्चा हुआ और जो रक़म रखी गयी थी वह कम थी, तो उसको पूरा करने के लिये इसकी जरूरत हुई। मैं समझता हूं फिर भी खर्चा कम ही हुआ। वैसे काफी बड़ा काम था। म्युनिसिपल बोर्ड्स, नोटीफाइड एरियाज और टाउन एरियाज का चुनाव ऐडल्ट सफ़रेज के ज़रिये से हुआ। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि यह सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष––मैं यह जानना चाहूंगा विरोधी पक्ष के लीडर से कि कितना समय इस अनुदान के लिये देना मुनासिब है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (ज़िला अल्मोड़ा)––इस पर बोलना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२–सामान्य प्रशासन के कारण व्यय–लेखा शीर्षक २५–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ३,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २५–लेखा शीर्षक ४१–पशुचिकित्सा

कृषि उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)––गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २५–लेखा शीर्षक ४१–पशुचिकित्सा के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के लिये स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ अधिक इस सम्बन्ध में नहीं कहना है, क्योंकि स्मृतिपत्र में सब बातें स्पष्टरूप से कही गयी हैं। इसमें कुछ मदें ऐसी हैं जिनके मुताल्लिक़ बजट में व्यवस्था नहीं की गयी थी और जिनकी आवश्यकता अब पड़ी। लेकिन इनका रुपया बजट से ही पूरा कर लिया जायगा। इसलिये मैं आशा करता हूं कि आप इसे स्वीकार करेंगे।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से एक कट मोशन पेश करना चाहता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य सरकार की नीति की आलोचना करना है। श्रीमन्, सरकार ने इस सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट में जो पशु चिकित्सा के अधीन यह नयी योजना रखी है कि किस तरीके से वह पशु-पालन का प्रबन्ध करने के लिये उसमें कार्य किया जायगा मैं उसका विरोध करता हूं। इसका कारण यह है कि पशु-चिकित्सा वाले इस एनीमल हज़बैंडरी

डिपार्टमेंट में ७ डिप्टी डाइरेक्टर हैं और उन सब के होते हुये सरकार फिर एक नये खर्च को बढ़ाना चाहती है। सरकार यह चाहती है कि अब एक नये पशुपालन कमिश्नर की नियुक्ति की जाय जो सारे विभाग की देख-रेख करे। मैं श्रीमन्, आपके जरिये सरकार से कहना चाहता हूं कि यह इतनी बड़ी चीज है कि इस पर विवाद हो सकता है और इस पर ओपिनियन डिफर हो सकती है कि क्या यह पशुपालन कमिश्नर इस तरह का कार्य कर सकेगा या नहीं जिस प्रकार से कि सरकार चाहती है। मैं सरकार से आप के जरिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि पशुपालन विभाग में इस समय एक नया खर्च जोड़ना उचित नहीं है क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद एक नया बजट आने वाला है। उस समय पूरे तौर पर इस पर विचार हो सकता है और उस समय अगर यह परिवर्तन किया जाय तो समुचित मालूम होता है। इस समय सरकार की तरफ से एक अनुदान ऐसा आना था जो बहुत महत्वपूर्ण हो और मुमकिन है उससे लाभ हो और मुमकिन है उससे नुकसान हो तो बजट जब अभी २ महीने में आने वाला है तो उस समय यह कह कर खर्च लादना कि आवश्यक है यह उचित नहीं मालूम होता है। मैं यह समझता हूं कि मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण करने की कृपा करें और यह बतायें कि किस वास्ते यह पोस्ट बढ़ाना चाहते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले मुझे आदरणीय जवाहर लाल जी का नई दिल्ली में एक सन्देश उनके भाषण द्वारा पढ़ने का मौका मिला था। उसमें कहा गया है कि आजकल डिपार्टमेंट की यह इच्छा होती है कि लगातार डिप्टी डाइरेक्टर या डाइरेक्टर का पद बढ़ायें, इसके अलावा और कुछ परिवर्तन नहीं होता। मुझे इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये इस एनीमल हजबैंडरी विभाग के बारे में यह कहना है कि इस सप्लीमेंटरी बजट में माननीय मंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था की है कि जिसके जरिये से एनीमल हजबैंडरी कमिश्नर का स्टाफ बढ़ाया जाय। अगर आप देखें तो मालूम होगा कि इसमें कितने डिपार्टमेंट मिक्स हैं और कितने अधिकारी इसके लिये जिम्मेदार हैं। इसी विभाग में एक तो एनीमल हजबैंडरी आफिसर है और इसके अलावा इसी विभाग में दूसरे डिप्टी डाइरेक्टर हैं। एक एनीमल हजबैंडरी डाइरेक्टर हैं जो अब एनीमल हजबैंडरी कमिश्नर कहलायेंगे जो दोनों काम करेंगे। बड़े-बड़े डिपार्टमेंट्स में भी डाइरेक्टर और कमिश्नर साथ-साथ नहीं होते। यहां आप डाइरेक्टर एनीमल हजबैंडरी का भी दफ्तर है और कमिश्नर का भी दफ्तर अलग से चाहते हैं। उनका काम प्रिन्सिपल वेटेरनरी कालेज मथुरा के काम को भी देखना होगा और मेकेनाइज्ड स्टेट फार्म को भी देखना होगा। इनका एनीमेल हजबैंडरी कमिश्नर के कंट्रोल में होना कैसी अजीब सी चीज है। डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर, डायरेक्टर आफ कालोनाइजेशन, डिप्टी डायरेक्टर आफ फिशरीज, डायरेक्टर आफ एनीमल हजबैंडरी यह ५ मौजूद हैं और आप एक एनीमल हजबैंडरी कमिश्नर और जोड़ने जा रहे हैं। जब इतने सारे तमाम डायरेक्टर्स मौजूद हैं तो एनीमल हजबैंडरी कमिश्नर के बढ़ाने की क्या जरूरत है और यह स्टाफ क्यों बढ़ाया जा रहा है। कौन सा काम एनीमल हजबैंडरी विभाग का हो रहा है और बढ़ गया है यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं चाहता हूं कि इस तरह से विभागों को मलटिप्लाई न किया जाय और जितनी जल्दी हो सके उसे अपनी ऐसी पालिसी को छोड़ देना चाहिये और काम की ओर अधिक दृष्टि रख कर उसे विभागों और स्टाफ को बढ़ाना न चाहिये।

श्री वीरेंद्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—उपाध्यक्ष महोदय, इसमें शक नहीं कि पशुधन को उन्नति के रास्ते पर ले जाने के लिये सरकार प्रयत्न कर रही है, लेकिन यह प्रयत्न जितना होना चाहिये उतना नहीं हो रहा है। उदाहरण के रूप में मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जहां सरकार चाहती है कि हमारे पशुओं की रक्षा हो, उनका धन बढ़े और कृषि पर अच्छा असर पड़े तो पशुओं के अस्पताल जो हमारे जिलों के हेडक्वार्टर्स पर और तहसीलों में बने हुये हैं उन को गांवों में बनवायें। सरकार को देखना चाहिये कि जो पशु अस्पताल शहरों में बने हुये हैं उनका प्रयोग किस मात्रा में गांव के लोग करते हैं। देहातों से वहां तक बीमार पशुओं को लाने के लिये काफ़ी परेशानी लोगों को उठानी पड़ती है और उसका नतीजा

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]
यह होता है कि साल भर में एक अस्पताल में ५०, ७० या सौ मवेशी से ज्यादा नहीं आने पाते। इस लिये सरकार को इन पशु अस्पतालों की स्थापना देहातों ही में करनी पड़ेगी जो सेंट्रल स्थिति वाले ग्राम हैं वहां यह अस्पताल खोले जाने चाहिये।

दूसरी बात मुझे सरकार के सामने यह कहना है कि हाल में सरकार ने गोपाष्टमी-सप्ताह मनाने का इरादा किया था। सरकार ने इस वर्ष भी ४० हजार रुपया इसमें खर्च किया है और आगे अनुमान है कि एक लाख रुपया इसमें खर्च होगा। यह उत्सव भी जो शहरों में मनाया जाता है उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता वह भी देहातों में ही मनाया जाना चाहिये। हमारे रायबरेली जिले में यह उत्सव मनाया गया तो वहां ज्यादा से ज्यादा ५०, ६० आदमी उस में शामिल हुये थे और इनमें से शायद ३० के करीब तो सरकारी कर्मचारी ही होंगे और बाक़ी १०–१५ ग्वाले शायद उसमें होंगे और बाक़ी बाबू लोग होंगे। तो मेरा मतलब यह है कि शहरों में ऐसे उत्सव मनाने से लाभ नहीं हो सकता। जैसे हमारे प्रदेश में शिक्षा सप्ताह मनाया जाता है और हर जगह नगरों में लड़के जमा होते हैं और नारे लगाते हैं कि निरक्षरता का नाश हो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या निरक्षरता का अंधकार शहरों में है? वह तो गांवों में है। इसी तरह से अगर पशुपालन की आपरक्षा करना चाहते हैं और उनकी वृद्धि करना चाहते हैं तो आप को यह उत्सव जो आप आज शहरों में मनाते हैं उनको गांव गावों में मनाना चाहिये ताकि जनता की भावना इस तरफ आकर्षित हो सके।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये यह बतलाना है कि बहुत सी चिकित्सा की जरूरत क्यों पड़ती है। सब से मुख्य कारण है चरी की कमी और नस्ल की खराबी। हमारे वहां तो खास कर के बाढ़ की वजह से सारी मवेशियों की चरी जो बाढ़ के कारण नष्ट हो गई थी और चरी नष्ट होने के बाद बाहर से जो सरकार ने चरी भेजी उस चरी के खाने से तमाम बीमारियां फैलीं और उस बीमारी की वजह से उन पशुओं की चिकित्सा कराने की आवश्यकता हुई। लेकिन देहातों में कहीं भी कोई ऐसा पशु चिकित्सालय नहीं है जहां पर कि मवेशियों की चिकित्सा हो सके। कहीं-कहीं छोटे-छोटे चिकित्सालय सरकार ने खोले भी हैं तो वहां जो पशु चिकित्सक हैं वह जब कोई उनके पास जाता है और अपने किसी मवेशी को देखने के लिये कहता है तो वह उससे फीस मांगते हैं। जब मवेशी इस लायक़ नहीं होता कि उसे वहां ले आ कर उन्हें दिखाया जा सके तो उनको बुलाना जरूरी हो जाता है और उसके लिये वह फीस मांगते हैं जो कि वह दे नहीं पाते। फिर दूसरी चीज यह है कि जब वह किसी तरह ले भी जाते हैं और उनको दिखाते भी हैं तो उनकी दवा ठीक नहीं हो पाती और दवा न उपलब्ध होने से उन मवेशियों की कोई चिकित्सा नहीं हो पाती है। हमने देखा कि देहात में खासकर के मवेशियों की बीमारी इसलिये हुआ करती है कि उनको खाने के लिये चरी नहीं मिलती। पहले बड़े बड़े चरागाह और जंगलात वग़ैरह पड़े रहते थे जिसमें कि वह जा कर चरते थे और अपनी इच्छा के मुताबिक भोजन कर लेते थे तो उनको कोई बीमारी नहीं होती थी। लेकिन जमींदारी जब समाप्त होने वाली थी उस समय तमाम जमीन तोड़ ली गई और चरागाह समाप्त हो गये। अब मवेशियों को लोग दरवाजे पर बांध कर के रखते हैं और इतनी अधिक चरी तो होती नहीं कि वह उनको पेट भर खिला सकें, इसलिये न खिलने की वजह से जब उनको पूरा भोजन नहीं मिलता तो उनको बीमारी होती है। दूसरे जब बीमारी होती है और जो सांड़ खाने बिना बीमार रहता है और गाय के पास जाता है तो उनकी नस्ल भी अच्छी नहीं होती और जब उनके वीर्य से दूसरे मवेशी पैदा होते हैं तो उनको अनेक प्रकार की बीमारियां हुआ करती हैं। तो इसमें हमें यह मालूम होता है कि मवेशियों की बीमारी का कारण चरी की कमी और दूसरे नस्ल की खराबी है। ये दो मुख्य कारण हैं। तो जहां देहात में पशु-चिकित्सालय खोले गये हैं वहां उनके लिये दवा उपलब्ध की जाय और उन गांवों में भी इन्तजाम किया जाय कि उनके लिये चरी की काफी व्यवस्था हो और अच्छी-अच्छी नस्ल के सांड़ रखे जायं। अगर ऐसा प्रबन्ध किया जाय तो फिर किसी तरह से भी उनकी बीमारी नहीं फैल सकती।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुपूरक इस सदन के सामने पेश हुआ है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं क्योंकि इस लोक प्रिय सरकार ने अंग्रेजी गवर्नमेंट के चले जाने के बाद नजदीक-नजदीक हर जिले में पशुओं की चिकित्सा के लिये उचित ढंग से व्यवस्था करने की कोशिश सरकार ने की है और करती आ रही है। मैंने देखा कि जहां हर जिले में एक ही दवाखाना पहले चलता था पशुओं के लिये, जिसकी वजह से नाना प्रकार की बीमारी हुआ करती थीं पशुओं को, और लोग बहुत परेशान होते थे, उनको लेकर वहां अब सरकार ने उसमें काफी तरक्की की है। मैं इस सिलसिले में थोड़ा सा ज़िक्र अपने जिले का कर देना चाहता हूं। जौनपुर में कई तहसील हैं जिनमें मड़ियाहूं और केराकत दो तहसीलों में मैंने देखा कि बड़ी परेशानी है। मड़ियाहूं में सवा तीन लाख से अधिक आबादी होने के साथ ही एक पशुचिकित्सालय अभी तक कोई तहसील में नहीं बनाया गया है और यही हालत केराकत की है। वहां दो या तीन स्टाकमैन कहीं-कहीं रखे गये लेकिन मड़ियाहूं तहसील में कस्बे में केवल एक स्टाकमैन रखा गया है जिसके पास न तो कोई साधन है, न वहां उचित ढंग से पशुओं की चिकित्सा की जा सकती है। इसलिये मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि जहां इतनी बड़ी आबादी हो और इतने आदमी एक तहसील में रहते हों वहां कम से कम दस-पांच मील के अन्दर एक चिकित्सालय अवश्य रखा जाना चाहिये। इसी ढंग से और भी तहसीलों में जहां दूरी के कारण जाने में परेशानी होती हो वहां के लिये भी ध्यान देना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार के इस अनुदान का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि कम से कम मड़ियाहूं तहसील के लिये उचित ध्यान दिया जाय।

श्री जगनप्रसाद रावत—उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के सिलसिले में मुझे ऐसा मालूम होता है कि माननीय वीरेन्द्र शाह जी ने और श्री तिवारी जी ने स्मृति-पत्र को पढ़ने का कष्ट नहीं उठाया। एनीमल हस्बेंडरी कमिश्नर हम नियुक्त नहीं करने जा रहे हैं और न नई नीति का अनुसरण करने जा रहे हैं। उनकी नियुक्ति दो वर्ष पहले हो चुकी थी और दो वर्ष से ही इस काम को वह देख रहे थे। उनका विभाग भी था। लेकिन पिछले दिनों में काम करने के अनुभव से हमें यह मालूम हुआ कि चूंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं, उनको दफ्तर के कार्य के लिये कुछ स्टाफ की जरूरत है। उनके दो प्रकार के कार्य हैं। एक तो सारे सूबे में जो विभाग उनके सुपुर्द किये गये हैं उनकी देख-भाल करके उनकी नीति निर्धारित करें और उनको नये-नये सुझाव दें, दूसरा उनका कार्य सेक्रेटेरियट में भी है जिसके लिये उनको "विशेषाधिकारी" कहा जाता है। तो सेक्रेटेरियट में विशेषाधिकारी का कार्य करने के लिये उनको कुछ वैभागिक कार्यकर्ताओं की जरूरत थी, इसलिये इस अनुदान की जरूरत पड़ी।

यह भी कहा गया है कि डायरेक्टर आफ ऐग्रीकल्चर, डिप्टी डायरेक्टर मिकेनाइज्ड स्टेट फार्म और दूसरे विभाग हैं उनके ऊपर उनका कंट्रोल क्यों किया गया? तो ऐनीमल हसबैंडरी कमिश्नर का इन विभागों के ऊपर जो कंट्रोल है वह इस कारण है कि इन विभागों में जहां तक पशु-पालन से सम्बन्ध है या पशु-पालन के कार्य से सम्बन्ध है, ऐनीमल हस्बैंडरी कमिश्नर की सलाह और उनके नियंत्रण की आवश्यकता होती है। हमारे मिकेनाइज्ड स्टेट फ़ार्म्स केवल ऐग्रीकल्चरल फार्म्स भी नहीं हैं, उनके साथ कैटिल ब्रीडिंग फार्म्स भी हैं और उनकी सहायता, उनकी सलाह और नियंत्रण की उसमें आवश्यकता होती है। इसी प्रकार डाइरेक्टर आफ ऐग्रीकल्चर के मातहत भी जहां-कहीं पशुओं का, पशु-पालन का प्रश्न आता है वहां भी उनकी सलाह की आवश्यकता होती है। जैसे कानपुर का ऐग्रीकल्चरल कालिज, डायरेक्टर आफ ऐग्रीकल्चर के मातहत है, लेकिन वहां हमारी डेरी भी है, वहां हमारा पशु-पालन का भी प्रबंध है। इसलिये उसकी देख-रेख और सलाह के लिये एनीमल हस्बैंडरी कमिश्नर की जरूरत होती है। यह कठिनाइयां थीं जिनकी वजह से उनकी दो वर्ष पहले नियुक्ति हुई और उनके सुपुर्द यह काम हुये। इस प्रकार भिन्न-भिन्न विभागों को एक साथ लिया है और एक ऐसे व्यक्ति को, जिसका बड़ा अनुभव है जो उनको मिला कर एक साथ चलाये, बड़ी

[श्री जगन प्रसाद रावत]

आवश्यकता थी। हमारा यह भी अनुभव है कि इस पोस्ट के क्रियेट करने से जिन विभागों में घाटा होता था वह भी दूर हुआ और हमें लाभ की सम्भावना भी हो रही है, हमारा काम भी सुचारु रूप से चला है।

भाई वीरेन्द्रपति यादव जी ने यह कहा कि जो वेटेरिनरी हास्पिटल हैं वे देहातों में होने चाहिये तो कोशिश तो यही की जाती है कि वह देहात ही में हों। आम तौर से आप देखेंगे कि तहसीलों के केन्द्र पर यह अक्सर होते हैं। किसी भी एक गांव में हम उनको केंद्रित करें तो उस गांव के अतिरिक्त बाक़ी गावों के लिये तो यह स्थान कुछ दूर होगा ही। तहसील हेडक्वार्टर्स साधारण तौर पर केंद्र स्थान पर ही रखे जाते हैं। जनता की सुविधा के लिये हम ने यह स्थान चुना है। लेकिन यदि हमें कोई ऐसा सुझाव दिया जायगा जहां जनता को सुविधा अमुक स्थान के बजाय दूसरे केन्द्र स्थान पर अधिक होगी तो हम उस पर विचार करेंगे और हमें स्थान के बदलने में कोई खास आपत्ति नहीं होगी।

गोपाष्टमी के सिलसिले में श्री यादव जी ने यह सुझाव दिया कि वह शहरों में न हो कर देहात में हो। यह बिल्कुल सही सुझाव है। गोपाष्टमी का उत्सव देहात में होता भी है और देहात में होना भी चाहिये। यह उत्सव जो मनाया जाता है वह तहसील हेड क्वार्टर्स पर मनाया जाता है क्योंकि वहां गांव के ज्यादा लोग आ सकते हैं। अगर हम इसे किसी गांव के कोने में मनायें तो उसमें ज्यादा लोग नहीं आ सकते हैं। तहसील एक ऐसा केन्द्र होता है जहां आदमी अगर एक कार्य के लिये आता है तो चार कार्य कर ले जाता है। इसी कारण तहसील हेडक्वार्टर्स पर ही गोपाष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। तहसील हेडक्वार्टर्स के अलावा भी हमने बीसियों जगह इसे मनाया जहां कि पशु ज्यादा से ज्यादा आ सकते या जहां पर मवेशियों के मेले होते हैं। ऐसे स्थान पर भी हमने इस गोपाष्टमी को मनाया और आगे भी मनायेंगे। अगर इस सम्बन्ध में हमें कोई अच्छा सुझाव दिया जायगा तो हमें उसे मानने में खुशी होगी।

श्री रामसुभग जी ने यह कहा कि चरागाहों की आवश्यकता है। यह सही है कि हमारे सूबे में चरागाहों की आवश्यकता है। भूमि व्यवस्था कानून में इसके लिये काफी गुंजायश भी रखी गई है। मुझे उम्मीद है कि आगे सालों में हमें चरागाहों की ज़मीन काफी अच्छी मिलेगी। गांव समाजों को आदेश दिये गये हैं कि उनके पास जो ज़मीनें हैं उनमें से पहले चरागाह के लिये ज़मीन निकाल कर फिर उस ज़मीन को उठावें। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन भाइयों ने कटमोशन्स दिये हैं उनका इससे समाधान हो गया होगा और वे अपने कटौती के प्रस्ताव वापस ले लेंगे।

राजा वीरेंद्र शाह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मन्त्री जी का उत्तर सुना। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मन्त्री जी ने यह कहा कि हम लोगों ने आप के पत्र को नहीं पढ़ा। मैंने पढ़ कर ही यह संशोधन दिया है और ऐसे ही हर माननीय सदस्य को करना चाहिये। पहले सरकार किसी आफिसर को स्पेशल ड्यूटी पर रख देती है और फिर बाद में बजट में या अनुपूरक अनुदानों में लाकर उसकी पुष्टि करने की कार्रवाई करती है। मैं नहीं कह सकता कि यह कमिश्नर साहब कब मुक़र्रर किये गये। मैं इसे नहीं बता सकता लेकिन श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज यहाँ पास होने के बाद यह आफिसर सरकार के डिपार्टमेंट में बढ़ जायगा। तो मैं समझता हूं कि ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इतने ज्यादा आफिसर हैं जिनका कोई हिसाब नहीं। इसलिये यह मेरा फंडामेन्टल विरोध है कि यह आफिसर न बढ़ाया जाय। क्योंकि इस वक्त भी एग्रीकल्चर में ७ डिप्टी डाइरेक्टर मौजूद हैं। फिर श्रीमन्, एस्टीमेट कमेटी इस विभाग को एक्जामिन कर रही है कि इस विभाग में कितने अफ़सरों की जरूरत है। इसलिये सरकार को क्या ऐसी जल्दी है कि आज ही, इसी अनुदान में पास करना चाहती है। उस कमेटी की रिपोर्ट

पढ़ने के बाद अगर सरकार इस निश्चय पर आती है कि यह कार्य कमिश्नरी द्वारा हो सकता है तो डिप्टी डायरेक्टर्स हटाये जायं। श्रीमन्, मैं सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने उस डिपार्टमेंट में बचत दिखाई। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि अगर एक जगह बचत हुई तो उसको दूसरी जगह खर्च किया जाय। मैं मानता हूं कि सरकार ने फिजूलखर्ची नहीं की और रुपया बचाया है लेकिन इसके माने यह नहीं है कि आप उस बचत को इधर उधर करके खर्च करें। इस वजह से मैं इस कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं और मैं आशा करता हूं कि मन्त्री जी हमारे सुझाव को मानेंगे और इसे स्वीकार करेंगे।

श्री जगनप्रसाद रावत—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि माननीय वीरेन्द्र शाह जी के कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता और मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरा अनुदान का प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई और इस बीच में निम्नलिखित कार्यवाही हुई—)

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष, वीरेन्द्र शाह जी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और अब विभाजन भी चाहते हैं, यह संगत नहीं मालूम होता है।

राजा वीरेंद्र शाह—श्रीमन्, मैं पूछना चाहता हूं कि प्रस्ताव आप ने मेरा लिया या माननीय मंत्री जी का?

श्री उपाध्यक्ष—यह सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि पहले जो कटौती का प्रस्ताव होता है वह रखा जाता है। अभी दूसरा तो आया ही नहीं है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—२०
विपक्ष में—१२१)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५–पशु चिकित्सा, लेखा शीर्षक ४१—पशु-चिकित्सा के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ११—लेखा शीर्षक १८—रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं० ११—रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय—लेखा शीर्षक १८ के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३–५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११—रुड़की इंजीनियरिंग विश्व-विद्यालय—लेखा शीर्षक १८ के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—मद ६, ७ बाद में ली जायंगी।

अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग और ३७—शिक्षा

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं की अनुदान संख्या १९—शिक्षा—लेखा शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग और ३७—शिक्षा के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३—५४ के लिये स्वीकृत की जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि इस अनुदान के लिये सदन की अनुमति से कोई समय नहीं रखा गया है। मैं सिर्फ यह याद दिलाना चाहता था, लेकिन मैं किसी को रोक नहीं सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं एक जरूरी प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप पूछ सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—हिन्दी साहित्य सम्मेलन को जो ढाई हजार की ग्रान्ट दी गयी है, मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह वही उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन है या उसकी शाख है जिसके अध्यक्ष बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन हैं। जहां तक मुझे मालूम है यह वही उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन है, जिसमें झगड़ा चल रहा है और जो रिकग्नाइज्ड भी नहीं है। उसको शायद गलती से ग्रान्ट दी गई है। इस सम्मेलन ने न कोई एकाउंट्स दिये हैं और न कोई पुस्तकें ही छपाई हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि किस प्रकार हिन्दी साहित्य सम्मेलन को यह ग्रान्ट दी गयी है और उसके लिये इतनी अर्जेंसी से कांटिजेंसी ग्रान्ट बनाई गई।

इसी तरह से लखनऊ विश्वविद्यालय के लिये ला बुक्स के लिये जो ग्रांट दी गई है यह किस प्रकार अर्जेन्ट मानी गयी जब कि सरकार को पहले से मालूम था और सन् ५२—५३ में जब ग्रान्ट दी जा चुकी है, तो यह सप्लीमेंटरी ग्रान्ट सन् १९५२—५३ के सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स में क्यों नहीं दी गई?

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)—यह सम्मेलन जिसको रुपया दिया गया है इलाहाबाद में यह आल इंडिया सम्मेलन था और उसकी एक शाख यहां काम करती थी। अब उस आल इंडिया सम्मेलन में कुछ नाइत्तिफाकी हो गयी है। उसके बाद से यह एक इंडिपेंडेंट हैसियत से काम करती है और हिन्दी के प्रचार के लिये काम अन्जाम दे रही है। यह रुपया उसको किताबों की छपाई के लिये और कागज़ ख़रीदने के लिये दिया गया था। यह पहले देखा जा चुका है कि काम ठीक हो रहा है और सरकार के इल्म में कोई बात भी नहीं आई है जिससे यह साबित होता कि किसी क़िस्म का फ़्राड या फरेब इस सम्मेलन ने किया हो और जिस काम के लिये वह कहता है उसने उसे न किया हो। कोई वजह शुबहा की नहीं मालूम होती है।

जहां तक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के लिये रुपये का ताल्लुक़ है, वह पहले से मांग रहे थे और फाइनेंशल स्ट्रिंजेंसी की वजह से रुपया अभी तक नहीं दिया जा सका था। अब जब कि उन्होंने अपनी लाइब्रेरी के लिये ऐसी ज़रूरत जाहिर की कि वह और इन्तजार नहीं कर सकते तो उनके लिये रुपया दिया गया। अपनी ज़रूरत के बेस्ट जज वही हो सकते थे।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं यह जानना चाहता हूं कि ५२-५३ के तखमीनों में इसे शामिल क्यों नहीं किया गया।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---उसका क़ायदा यह है कि अगर किसी को मार्च में रुपया दिया जायगा तो उसके लिये उस साल के सप्लीमेंटरी में मांग मुमकिन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९-शिक्षा---लेखा शीर्षक ३६---वैज्ञानिक विभाग और ३७---शिक्षा के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १६-लेखा शीर्षक २८-जेल और बन्दी-बस्तियां

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६---जेल---लेखा शीर्षक २८---जेल और बन्दी बस्तियों के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

इस मांग की आवश्यकता क्यों पड़ी, वह तो इस मेमोरेंडम में दे दिया गया है। माननीय सदस्यों को मालूम है कि पिछले साल से ही हमने एक यह प्रयोग किया था कि खुले में क़ैदियों को रखा जाय, उनसे काम लिया जाय और उन्हें मजदूरी दी जाय। इस साल का एस्टीमेट खर्चे का ९ लाख १६ हजार ९०० रुपये का है। बजट में यह टोकिन की तरह से १० हजार रुपया रख दिया गया था इसलिये कि हमको उम्मीद थी कि यह सारा खर्चा यों ही निकल आवेगा और उसके लिये अलग से इन्तजाम करने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारा अन्दाजा ठीक ही निकला, वह यों कि ४ लाख ७५ हजार ९ सौ रुपया की बचत हमको होगी इस वजह से कि क़ैदी जो दूसरी जेलों में रहते थे खुले हुये कैम्प में रखे गये हैं। जो यह इरीगेशन डिपार्टमेंट के लिये काम कर रहे हैं उसे ४ लाख, ४० हजार ४ सौ रुपये की हम को जेल डिपार्टमेंट को आमदनी होगी। तो सारा खर्चा हमारा निकल आवेगा। लेकिन ४ लाख ४०हजार रुपये की आमदनी को खर्च करना है तो एकाउंटिंग की वजह से यह जरूरी है कि उसके लिये एक टोकिन मांग रख दी जाय ताकि हम आमदनी के रुपये को खर्च कर सकें। कुछ एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी करने का प्रस्ताव रखता हूं।

माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस प्रस्ताव को लाने के लिये इसलिये आवश्यकता पड़ी कि इस संबंध में पहले से पता नहीं था कि व्यय अधिक हो जायगा। लेकिन मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान पहले पैरा की ओर दिलाना चाहता हूं। बनारस जिले की चकिया तहसील के वर्तमान कैम्प के अतिरिक्त क़ैदियों के दो नये कैम्प चलाने के एक प्रस्ताव पर चालू वर्ष के लिये व्यय की नई मदों द्वारा विचार किया गया था। प्रस्ताव स्वीकार हो गया था परन्तु बजट में केवल १०,००० रुपये की व्यवस्था सम्मिलित की गई थी। यह आशा की गयी थी कि कैम्पों के चलाने का व्यय १०,००० रु० से कहीं अधिक होगा। यानी सरकार को पहले से पता था कि हमें ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा लेकिन केवल १०,००० रुपये की ही व्यवस्था की गई। सप्लीमेंटरी बजट तो इसलिये होता है कि जब कोई अनफ़ोरसीन खर्चा आ जाय जो पहले से मालूम न हो तो खर्चा किया जा सकता है। लेकिन यहां पर सरकार को पहले से मालूम था। लेकिन सरकार ने बजट बनाते समय गलती की और जितना खर्च रखा जाना चाहिये था नहीं रखा गया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

अब इस बात को जानते हुये भी कि खर्चा ज्यादा होगा बजट मैनुअल के खिलाफ ४,४०,४०० रुपये की मांग मांगी जा रही है। मैं समझता हूं कि जब कोई व्यय अधिक हो तो वह हमारे सामने आना चाहिये और मंजूर कराना चाहिये। लेकिन सप्लीमेंटरी ग्रांट्स में ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिये। जब दो कैम्प चलाने थे तो दस हजार रुपया रखा गया। अब जब कि एक ही कैम्प चलाना है तो ४ लाख रुपये की मांग की जा रही है। इससे मालूम होता है कि कहीं न कहीं जरूर डिपार्टमेंट में ग़लती होती है और वह इस तरह से सप्लीमेंटरी ग्रांट में रख कर पूरी की जाती है। मैं यह जानना चाहूंगा कि किस प्रकार से यह ग़लती हुई और बजट के बारे में जो सिद्धांत हैं उनकी अवहेलना की गई। इसलिये ही मैंने यह कटौती का प्रस्ताव पेश किया है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द——उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि श्री नारायणदत्त जी तिवारी जो फायनेन्स के मामलों को बहुत समझने की कोशिश करते हैं उनको इतनी छोटी सी बात के समझने में दिक्क़त हुई। यह जाहिर सी बात है कि शुरू में कैम्प खोला गया और उसमें एक हजार से भी अधिक क़ैदियों के रहने के बाद कोई भी सरकार इतनी पागल नहीं हो सकती थी जो यह समझे कि एक हजार क़ैदियों के खिलाने-पिलाने में केवल दस हजार रुपये ही लगेंगे। हम समझते थे कि ज्यादा रुपया खर्च होगा और अब भी यह समझते हैं कि एक पैसा भी ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। यद्यपि दो के बदले एक कैम्प खोलने का सवाल है लेकिन क़ैदियों की संख्या बहुत ज्यादा है। उसमें काफी खर्चा होगा। इसमें तो महज एकाउंटिंग की बात है। ४,४०,४०० रुपये वह कमायेंगे, वह रुपया जमा हो जायगा। हम उसी रुपये को खर्च कर सकेंगे और उसी के लिये इस बजट में यह १०० रु० की मांग रख दी गयी है। लेकिन जहां तक सवाल है वह कमायेंगे जरूर और उसी रुपये को खर्च करने का सवाल है। एकाउंटिंग की दृष्टि से यह रुपया मांगा जा रहा है। इसलिये इसमें कहीं कोई ग़लती नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी——आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं देखता हूं कि मंत्री जी ने मेरे दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न नहीं किया। मेरा निवेदन तो केवल यह था कि चकिया में जो कैम्प चल रहा है उसमें क़ैदियों को मजदूरी दी जायगी और सरकार को यह मालूम था कि उससे आमदनी होगी तो उसकी व्यवस्था मूल बजट में भी तो हो सकती थी और सप्लीमेंटरी बजट में इसके लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। केवल इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार सप्लीमेंटरी अनुदानों की संख्या बढ़ाना ठीक नहीं है। इससे सप्लीमेंटरी बजट के मूल सिद्धांतों की अवहेलना होती है। मैं आपकी आज्ञा से इसको वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६——लेखा शीर्षक २८——जेल और बन्दी बस्तियों के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १७——लेखा शीर्षक २९——पुलिस

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)——उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७——पुलिस——लेखा शीर्षक २९ के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, इसका जितना व्योरा देना संभव है वह इस मेमोरंडेम में दिया हुआ है। समय-समय पर भी इसकी चर्चा होती रहती है । अनेक कारणों से तिब्बत के पास के हमारे प्रदेश के हिस्से की सुरक्षा करना आवश्यक प्रतीत हुआ और वहां के लिये विशेष रूप से पुलिस का प्रबन्ध हुआ। क्योंकि वह जमींन पहाड़ी जमीन है । जो पुलिस वहां रखी जायगी उसकी ट्रेनिंग दूसरे क़िस्म की होगी क्योंकि दूसरे क़िस्म की जमीन में उनको काम करना होगा, इत्यादि-इत्यादि। इन बातों को सोच कर वहां ऐसी पुलिस रखने की जरूरत हुई । वहां उनके रहने के लिये जमींन का इन्तजाम किया गया, उनके लिये बैरेक्स बनाये गये। उस पुलिस के ऊपर कंट्रोल तो हमारा रहेगा, हमारे ही अफसर वहां रहेंगे लेकिन उसका जो खर्चा होगा वह भारत सरकार से हमें मिलेगा। यह खर्चा बीच ही में पैदा हुआ जिसके लिये कोई प्राविजन बजट में नहीं था इसलिये उसके लिये मैंने टोकिन ग्रांट सदन के सामने रखी है। इसके अतिरिक्त और ज्यादा व्योरा मैं देने में असमर्थ हूं। आशा है सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री सत्य सिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)---श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तुत अनुदान में एक रुपये की कमी कर दी जाय।

इस सम्बन्ध में जो भाषण दिया गया तथा जो स्मृतिपत्र दिया गया है उसको देखने के बाद यह पता लगता है कि सरकार को अवश्य ही तिब्बत की ओर से कुछ आशंका है जिसके कारण वहां पर पुलिस दल रखे जाने की व्यवस्था की गयी है। सरकार को किसी भी समय विदेशी मुल्क तिब्बत की तरफ से अतिक्रमण की आशंका हो सकती है। अब देखना यह है कि जो पुलिस दल रखा गया है उसकी वहां कहां तक सार्थकता हो सकती है।

सब से प्रथम मैं माननीय गृह मंत्री जी महोदय का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि यह जगह तिब्बत की सीमा के पास बड़े खतरे की है और टेहरी-गढ़वाल और गढ़वाल के अन्दर है। ये स्थान इतने दुर्गम और दूर हैं कि उनकी सुरक्षा की आशा पुलिस दल को रख कर की जाय, यह सम्भव नहीं है। यह व्यवस्था ऐसे पुलिस दल को रख कर की जा रही है जिसके पास हथियार और गोली बारूद भी होंगे। अगर कहीं खतरा पैदा हो ही गया तो क्या उस स्थिति में ऐसी सम्भावना हो सकती है कि वहां तक ट्रूप्स का मूवमेंट जारी रह सकेगा क्योंकि उनके लिये रसद और मदद भी भेजनी होगी। हमें सोचना यह है कि ऐसा समय उपस्थित होने पर क्या ऐसा सम्भव हो सकेगा, जब कि वहां पर कोई यातायात का साधन नहीं है, हवाई जहाज का वहां पर कोई अड्डा नहीं है । सरकार ने वहां पर ऐसे रास्तों का निर्माण नहीं किया है जिन पर हो कर शीघ्रता से रफ्तार के साथ वहां पहुंचा जा सके । क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि ऐसी स्थिति में सरकार इस दल की भी रक्षा करने में असमर्थ हो सकती है ? सरकार को इस बात का ख्याल भी करना होगा कि जो वहां तिब्बत के निकट पार्श्व में रहने वाले हैं उनका एक प्रकार से सम्बन्ध तिब्बत वालों से कहा जा सकता है, क्योंकि उनका आदान प्रदान उनके ही साथ अधिक तर रहा है, फिर आज कल उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो कहीं ऐसा न हो कि यही लोग किसी वक्त तिब्बत से खतरा पैदा होने पर उनके मददगार होने के बजाय उनके क़ातिल हो जायं। ऐसी स्थिति में बाहरी खतरे से बचने के लिये, जब तक कि यातायात के साधन ठीक नहीं हो जाते पुलिस टुकड़ी को वहां रखना फायदेमन्द न होगा। इसके अलावा दूसरा पहलू भी है उसको भी मैं सरकार के सामने रख देना चाहता हूं। वह यह है कि यह जो टेहरी-गढ़वाल का इलाका है वह उत्तर प्रदेश का बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है। विकास की दृष्टिकोण से वहां अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। वहां की जनता यह समझती है कि सरकार की दृष्टि हमारी ओर से अवहेलना की है । उनके अन्दर एक असंतोष की भावना प्रज्वलित हो रही है । एक ओर तो सरकार उनके विकास की परवाह नहीं करती दूसरी ओर वहां पर पुलिस दल को रखा जा रहा है । कहीं ऐसा न हो, कि वे लोग यह समझने लगें कि हमको

[श्री सत्य सिंह राणा]

कुचलने के लिये यह दल भेजा गया है । इस संबंध में मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान इस विशेष बात की ओर भी दिलाऊंगा। इस स्थान पर पिछले वर्ष एक दूकानदार से एक ए० एस० पी० ने झगड़ा किया था और एक सरपंच व उस दूकानदार को पीटा था। ऐसा अत्याचार कभी पहले नहीं देखा गया था। अंग्रेजों के जमाने में पुलिस ऐसे अत्याचार नहीं करती थी। उसकी शिकायतें गृह मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री के पास तथा सेंटर के गृह मंत्री महोदय से की गयीं लेकिन फिर भी कोई जांच की कार्यवाही नहीं की गयी । आखिर में ए० एस० पी० ने राजीनामा कराया। उस राजीनामे के अन्दर उस पुलिस अफसर ने अफसोस जाहिर किया, अपनी ग़लती को स्वीकार किया । लेकिन फिर भी बड़े अफसोस की बात है कि उसके खिलाफ अभी तक कोई क़दम नहीं उठाया गया । मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार इन इन्टरनल खबरों को वे एक्सटर्नल खतरे से कम महत्वपूर्ण न समझें। अगर भीतरी वातावरण वहां का खराब हो गया तो कोई भी बाहर की शक्ति आयेगी उसका लोग वहां स्वागत करेंगे, यह बात निश्चित है। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वहां के विकास कार्यों को प्राथमिकता दे तथा वहां के यातायात के साधनों को बढ़ाने की चेष्टा करें और उन साधनों को बढ़ाने के बाद अगर रेग्युलर फोर्स को भी रखा जा सके तो बहुत अच्छा होगा। ऐसी स्थिति में अगर सरकार फिर भी उचित समझती है कि पुलिस दल का वहां रखना आवश्यक है तो जब कि वहां पर यातायात के कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं तो मैं एक सुझाव यह देता कि वहां के लोगों को ही उस सेना में भर्ती किया जाय जो कि वहां की जलवायु को बर्दाश्त कर सकते हैं। उनको भी कुछ फायदा पहुंचे और वे सुरक्षा के दृष्टिकोण को समझें। इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुये यदि सरकार वहां यातायात के साधनों को बढ़ाने की कोशिश करे तो पुलिस दल के वहां रखने पर उसकी उपयोगिता साबित हो सकती है ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राणा साहब ने जो यह सुझाव दिया है कि हमारी गवर्नमेंट को बोर्डर की सुरक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिये तो मैं आप के द्वारा इस सदन को बतलाना चाहता हूं कि हमारी यू० पी० गवर्नमेंट उस तरफ एक बड़ा क़दम उठा रही है । हमारे राणा साहब का यह भी कहना है कि गवर्नमेंट को पुलिस में डेवलपमेंट करना चाहिये लेकिन मैं उनको अपनी सेक्रेसी की बात नहीं बतलाना चाहता हूं क्योंकि यह देश की सुरक्षा से सम्बन्धित है । गवर्नमेंट अपना इन्तजाम सब ठीक से कर रही है । मैं गवर्नमेंट से यह भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसा कि वह तिब्बत के रास्ते में इन्तजाम कर रही है वैसा ही नैपाल की सरहद पर बस्ती के उत्तर वाले इलाके में भी पुलिस का विशेष इन्तजाम करे । मैं गवर्नमेंट को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उसने एक सुन्दर कदम उठाया है । राणा साहब को वेलकम करना चाहिये था और बिना वोटिंग के, बिना कुछ कहे इस बजट को पास करना चाहिये था क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा इन्तजाम कर रही है और सही माने में काम कर रही है, लेकिन मैं थोड़ा और भी पुलिस मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि पुलिस के संबंध में जो आज लोगों की बड़ी शिकायतें हैं उसका एक कारण यह भी है कि हमारी पुलिस को वेतन भी बहुत ही कम मिलता है । एक कांस्टेबिल को ५० रुपया मिलता है उसमें से २५ रु० तो वह स्वयं खाता है और केवल २५ रु० ही घर वालों को दे पाता है। फिर इससे कम रुपये में उसके घर वालों का कैसे निर्वाह हो सकता है ? इसके अलावा उनके रहने के लिये जगहों की भी बड़ी दिक्कत है । एक तिहाई लोगों के लिये तो एकामोडेशन है जहां कि वे चौकी में रहते हैं और दो तिहाई ऐसी जगह में एक साथ रहते हैं जैसे लड़के बोर्डिंग हाउस में रहते हैं। तो इस तरफ भी हमारी गवर्नमेंट को ध्यान देना है । हमारी पुलिस आज डिमोरेलाइज्ड इसलिये है कि उसकी तनख्वाह कम है । पुलिस में बहुत से ईमानदार भी हैं। बहुत से हमारे सब-इंसपेक्टर ऐसे हैं जो ईमानदार हैं और बहुत से गड़बड़ी करने वाले भी हैं । ऐसे लोगों को भी जानता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं पुलिस के मंत्री महोदय को फिर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा सुन्दर क़दम उठाया है जिससे हमारे देश के हर नौजवान

और हर माननीय सदस्य जो यहां पर मौजूद हैं वे प्रान्त में जहां कहीं भी जायं लोगों को जरूर सचेत करें कि जनता को सचेत रहना चाहिये और अपने देश की बोर्डर की रक्षा के लिये देश के बच्चों को तैयार रहना चाहिये और एलर्ट रहना चाहिये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी माननीय शिवनारायण जी ने जो बातें कहीं मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं। मैं भी समझता हूं कि पुलिस में जो लोग काम करते हैं उनका वेतन बहुत कम है और उनके रहने की जगह की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये लेकिन जब मैं प्रदेश की आमदनी की तरफ देखता हूं तो मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं इस सदन के सामने और अधिक रुपये की मांग कर सकूं। जहां तक इस कटौती का प्रस्ताव की बात करते हुये श्री राणा ने कुछ बातों का जिक्र किया वे बड़े महत्व की हैं। यह बिलकुल सही है कि वहां रहने वालों को अपनी जीविका के लिए तिब्बत पर निर्भर रहना पड़ता है और वहां पर रहने वाली पुलिस के लिये जगह का कोई इन्तजाम नहीं है। मुझे आशा है कि कुछ समय के अन्दर उसकी व्यवस्था हो सकेगी परन्तु उस व्यवस्था के लिये हम रुक नहीं सकते हैं क्योंकि जहां देश की रक्षा का काम होता है वहां पुलिस का प्रबन्ध करना ही पड़ता है। राणा साहब का कहना ठीक है कि यातायात के साधन सन्तोषजनक नहीं हैं। मुझे भी इस बात का पता है और हम भी इस बात को समझते हैं कि जहां तक पुलिस की बात है उसके लिये भी जितना संतोषजनक प्रबन्ध होना चाहिये उतना सन्तोषजनक तो नहीं है लेकिन यह काम जैसे कि पुलिस दल का खर्चा हमें गवर्नमेंट आफ इंडिया से लेना पड़ा, वैसे ही वहां पर यातायात के साधन के लिये, वहां सड़कें बनाने के लिये जितना रुपया चाहिये वह प्रादेशिक सरकार के सामर्थ्य के बाहर की बात है। इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट आफ इंडिया से बातचीत हो चुकी है और उनके फौजी अफसरों ने उस जमीन को देखा है जिसे उसके लिये आवश्यक समझा गया है। आप को इस बात में विश्वास रखना चाहिये कि जहां भी जसी जरूरत होगी उसको पूरा करने की हम अवश्य कोशिश करेंगे।

मैं आशा करता हूं कि इन सब बातों को सुनने के बाद श्री राणा साहब अपने कटौती प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

श्री सत्य सिंह राणा--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री द्वारा सब बातें स्पष्ट होने के बाद मुझे कुछ आशा हुई कि माननीय मंत्री महोदय और हमारी प्रादेशिक सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से इस बात के लिये प्रयत्नशील है और मुझे आशा है कि निकट भविष्य में यह सब काम हो जायगा इसलिये मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है अनुदान संख्या १७--लेखा शीर्षक २९--पुलिस के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २०--लेखा शीर्षक ३८--चिकित्सा

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)--उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०--लेखा शीर्षक ३८--चिकित्सा के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०--लेखा शीर्षक ३८--चिकित्सा के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २१–लेखा शीर्षक ३९–जन–स्वास्थ्य

अन्न मन्त्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)––उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१––लेखा शीर्षक ३९––जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१––लेखा शीर्षक ३९––जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २२–लेखा शीर्षक ४०–कृषि संबंधी विकास और खोज

कृषि उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)––श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२–लेखा शीर्षक ४०–कृषि सम्बन्धी विकास और खोज के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)––आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)––उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस डिमान्ड पर टाइम मुकर्रर नहीं हुआ था।

श्री नारायण दत्त तिवारी––मैं इस बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह जो बाजरा, मूंग, ज्वार, अरहर, सोयाबीन, मोठ आदि की पंच साला योजना अब तक चल रही है इसकी प्रगति के बारे में बिना जाने हुये यह ग्रांट जो मांगी गयी है इस पर वोट करना उचित नहीं है। जब कि सरकार को मालूम था कि पांच साल सन् १९५३ के मार्च में ख़त्म होने वाले थे तो पुराने मूल बजट में इसको क्यों नहीं रखा गया था? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री जगन प्रसाद रावत––इसकी प्रगति के संबंध में आपको न मालूम हो यह दूसरी बात है परन्तु समय-समय पर जो प्रगति इस सिलसिले में होती रही है वह बतायी जाती रही है और इसलिये इस मांग को रखा गया है।

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२–लेखा शीर्षक ४०–कृषि संबंधी विकास और खोज के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २३–लेखा शीर्षक ४०–कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन

कृषि उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)––मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २३––कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन––लेखा शीर्षक ४०––कृषि के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३––कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन––लेखा शीर्षक––४०––कृषि के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २६--लेखा शीर्षक ४१, १७ और १९-ख--विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २६--विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं--लेखा शीर्षक ४१,१७ और १९-ख के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६--विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं--लेखा शीर्षक ४१, १७ और १९-ख के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २७--लेखा शीर्षक १७, ४१, ६८ और ८१-क--विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७--विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय--लेखा शीर्षक १७,४१, ६८ और ८१-क के अन्तर्गत २०० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७--विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय--लेखा शीर्षक १७,४१, ६८ और ८१-क के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २८--लेखा शीर्षक ४२--सहकारिता

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८--सहकारिता के आधार पर ऋण--लेखा शीर्षक ४२--सहकारिता के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८--सहकारिता के आधार पर ऋण--लेखा शीर्षक ४२--सहकारिता के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २९--लेखा शीर्षक ४३--उद्योग

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २९--उद्योग--लेखा शीर्षक ४३--उद्योग के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये दस मिनट हैं। मैं बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—इसके लिये लिस्ट में मैं देखता हूं कि कोई समय नहीं रखा गया है। आप कोई सूचना जानना चाहते हों तो मालूम कर सकते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—श्रीमान् जी, इसमें फ्रूट यूटिलाइजेशन स्कीम की चर्चा है और हार्टिकल्चर का भी जिक्र है। यह फ्रूट यूटिलाइजेशन स्कीम का काम उद्योग विभाग के अन्डर चल रहा है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह हार्टिकल्चर विभाग उद्योग के अन्डर ही चलेगा ? जो मालियों आदि की ट्रेनिंग होने वाली है वह उद्योग विभाग करेगा या हार्टिकल्चर विभाग करेगा और कृषि विभाग के प्रबन्ध में वह काम होगा ? यह सब मैं जानना चाहता हूं।

श्री हुकुम सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि इसके लिये कोई समय नहीं रखा गया था इसलिये इसका कोई रिकार्ड मेरे पास यहां नहीं है और इस वास्ते कोई जवाब इस वक्त नहीं दिया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९, उद्योग—लेखा शीर्षक ४३—उद्योग के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९५३–५४ के अनुपूरक अनुदानों के लिये समय विभाजन की सूची

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—समय वाली लिस्ट सुना दी जाय तो हमें सुविधा होगी।

श्री उपाध्यक्ष—अनुदान संख्या ३२—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं २० मिनट, अनुदान संख्या ३५—नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान १५ मिनट, अनुदान संख्या १९—शिक्षा १० मिनट, अनुदान संख्या २५—१० मिनट, अनुदान संख्या ४२, असाधारण व्यय—४ मिनट, अनुदान संख्या ४३, योजना और एकीकरण, १५ मिनट, अनुदान ४५—कृषि योजना पर पूंजी की लागत, १० मिनट।

१९५३–५४ के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३०—लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग (श्रम और संख्या)

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय की सिफारिश पर मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३० (श्रम और संख्या)—लेखा शीर्षक ४७-विविध विभाग के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३० (श्रम और संख्या)—लेखा-शीर्षक ४७—विविध विभाग के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३२—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य—निर्माण कार्यों पर लागत तथा अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण—कार्य तथा ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—गवर्नर महोदय की सिफारिश पर मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३२—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व

से पूरे किये जाते हैं---लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण कार्य---निर्माण कार्यों पर लागत के अन्तर्गत ४९,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि नम्बर २० भी इसी के साथ ले लिया जाय तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय मंत्री जी चाहें तो उसे भी साथ ही ले लें।

श्री गिरधारी लाल---गवर्नर महोदय की सिफारिश पर मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३४---सार्वजनिक निर्माण कार्य---स्थापना पर व्यय-लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण कार्य तथा ८१---राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान का समर्थन करते हुए मैं चार सुझाव अपने देना चाहता हूं।

अनेक सदस्य---पहले कटौती का प्रस्ताव तो रखिये। कटौती का प्रस्ताव कहां है?

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट---मैं सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। सबसे पहली बात जो मुझे कहनी है वह पुलिस के बारे में है। इसमें एक अनुदान ८५ हजार रुपये का मंजूर होने जा रहा है जिससे कि निस्सेन झोपड़े बनाये जायेंगे, जो कि बोर्डर में पुलिस जायगी उनके लिए। यह इन निस्सेन हट्स के खरीदने और उनके ट्रांसपोर्टेशन आदि के लिए खर्च रखा गया है। इसके बारे में मुझे कहना यह है कि ८ हजार से १० हजार की बुलन्दी पर यह पुलिस की फोर्सेज वहां जायंगी। उनके लिये ये मकान कहां तक कामयाब होंगे इसमें मुझे शक है क्योंकि मैं भी उसी इलाके का रहने वाला हूं। मुझे अन्देशा है कि ये हट्स उनके लिये काफी नहीं होंगे क्योंकि वहां जाड़ों में तीन गज बर्फ पड़ती है और ये निस्सेन झोपड़े उस तीन गज बरफ को रोक सकेंगे, इसमें मुझे शक है। इसके अलावा जो पुलिस उनमें रहेगी उनके लिये भी मैं यह नहीं समझता कि वे कामयाब होंगे क्योंकि वहां इतनी ठंड होती है कि इन निस्सेन हट्स के अन्दर वे निमोनिया के शिकार हो जायंगे। मैं तो यह सोचता हूं कि इन इलाकों में माननीय मंत्री महोदय यह ख्याल रखेंगे कि ज्यादातर स्थानीय (लोकल) पुलिस ही रखी जाय जो कि उस ठंड को बर्दाश्त कर सकती है और इस दस हजार की बुलन्दी पर जाड़ों में रह सकती है। लेकिन अगर यहां से लोग वहां गये तो मुझे नहीं आशा है कि इन जाड़ों में वह उन निस्सेन हट्स में रह सकेंगे।

इसके अलावा दूसरी बात यह है कि केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन खोज और विकास स्टेशन ऋषिकेष में बनाने जा रहे हैं जिसके लिए भी ३६ हजार रुपये की एक मांग है। तो उसके विषय में मुझे यह कहना है कि यह जो पशुपालन स्कीम बनी है वह पर्वतीय प्रदेशों के उत्थान के लिए बनाई गई थी और इसका मंशा यह था कि अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल और टेहरी में भेड़ और ऊन आदि तथा मीन पालन, कुक्कुट पालन, आदि का विकास हो, भेड़ों का विकास हो, गाय भैंसों, खच्चर इन सबका विकास हो और इसके लिए ३० लाख रुपये की एक योजना बनाई गई थी। तो मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसका ख्याल रखेंगे कि इन जानवरों को जो कि

[श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट]

ऊंचाई पर ही रह सकते हैं, अभी आस्ट्रेलिया से भेड़ें आने वाली हैं, इन सबको वह बजाय ऋषिकेष में रखने के पहाड़ पर ही कोई सेंटर इसके लिए बनायेंगे। हमारे पहाड़ के इलाके में हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई है और वहां वह सेंटर काफी कामयाब हो सकता है। अगर भेड़ें ऋषिकेष में रखी गई तो मुझे शक कि वह वहां अच्छी तरह से पल भी सकेंगी क्योंकि लोअर आलटीटचूड पर उनका पालना बड़ा मुश्किल होगा और ऐसे गर्म स्थान पर उनका रखना उचित भी नहीं मालूम होता। मेरा सुझाव यह है कि पहाड़ी इलाकों में इन भेड़ों के रखने की व्यवस्था की जाय और यह स्कीम जो कि ३० लाख रुपये की है, जिसको मंजूर हुए दो साल हो चुके हैं और जो अभी बिल्कुल ही कार्यान्वित नहीं हुई है उसको जल्द से जल्द कार्यान्वित किया जाय।

तीसरी बात जो मैंने देखी वह नैनीताल जिले में टनकपुर से पिथौरागढ़ तक टेलीफोन की लाइन सरकार लगाने जा रही है। इसके लिए मैं सरकार को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत जरूरी चीज को कार्यान्वित करने का इरादा किया है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस टेलीफोन लाइन को बहुत जल्द लगायेगी। साथ ही मुझे एक सुझाव यह देना है कि टनकपुर से पिथौरागढ़ तक एक ब्राइडिल पाथ था ६० मील का। अब हमने १०० मील मोटर रोड बनायी है और ज्यादातर आयात-निर्यात अब उसी मोटर रोड से ही लोगों का है और पुराना ब्राइडिल पाथ आउट आफ यूज हो गया है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि बरसात में चारों ओर जब बरफ पड़ती है तो वह तार की लाइन हमेशा टूट जाती है। हफ्तों तक तार की लाइन से कुछ काम नहीं होता। तो सरकार से मेरा सुझाव है कि यह जो तार की ला न पुरानी ब्राइडिल पाथ की है उसको भी मोटर रोड के किनारे किनारे बढ़ाकर पिथौरागढ़ तक कर दिया जाय और उसको असकोट तक पहुंचा दिया जाय और असकोट से बागेश्वर तक तार की लाइन भी होना नितान्त आवश्यक है।

बजट में भी बतलाया गया है कि यह बहुत जरूरी सड़क है जिसको कि प्राविंशियल सड़क सरकार बनाने जा रही है और इसकी आवश्यकता जितनी है उसको भवन के सम्मुख बयान करके ज्यादा समय नष्ट करना नहीं चाहता। मैं तो सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जितनी भी जल्दी हो यह तार की लाइन बनायी जाय और यह टेलिफोन लाइन भी पिथौरागढ़ तक पहुंच जानी चाहिये और पिथौरागढ़ वाली लाइन अस्कोट और बागेश्वर तक मिला देनी चाहिये। मैं आशा करता हूं कि मेरे सुझावों पर सरकार अवश्य ध्यान देगी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—— माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि पिथौरागढ़ वगैरा की तरफ जहां पर तिब्बत मिनेस, कम्युनिस्ट मिनेस जिसको कहा जा रहा है, उसकी तरफ टेलीफोन की व्यवस्था हो रही है और हम लोग जो उस जगह को दूर समझते थे अब उनके नजदीक ही आ जायंगे। इस चीज के लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय, जब बातें कभी अच्छी हुआ करती हैं तो उसकी तारीफ करना आवश्यक है, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो मंत्री जी कहते हैं कि तुम तो हमेशा विरोध ही करते हो, तारीफ नहीं करते। मैं सरकार को एक और बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि सन् १९४६ से हमारे यहां एक सड़क मंजूर थी, उसके निर्माण का काम सरकार ने शुरू कर दिया और इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं और सरकार से आशा करता हूं कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पहाड़ है, या इस देश की बात है मैं इसे महत्व नहीं देता हूं। जैसा कि श्री नरेन्द्र सिंह ने कहा कि वही लोग

झोंपड़ी में रह कर वहां की ठंडी हवा बरदाश्त कर सकते हैं, हमारे यहां के लोग देवरिया की लू भी बरदाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारी तो वहां जाने की चेष्टा नहीं है। हमारे पहाड़ों को सड़क ही एक ऐसी चीज है जिसकी हमें आवश्यकता है। यहां के लोग तो रेल से भी फायदा उठा सकते हैं, हवाई जहाज से भी फायदा उठा सकते हैं, हमारे पास तो चलने के साधन भी नहीं हैं और मीन्स आफ कम्युनिकेशंस इतने कम हैं जिसके कारण सड़क ही हमारे लिए एक बड़ी भारी चीज है। हमारे यहां जब कोई सड़क का काम शुरू हो जाता है तो जिस तेजी से हमारे यहां श्रमदान का काम होता है और जिस मेहनत के साथ होता है उसके लिये हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि जिन सड़कों पर काम हो रहा है उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय। हमारे यहां २० मील का टुकड़ा है और ५ मील बन चुका है। आज ही मेरे पास पत्र आया है कि तीन हजार नंगाड़े, निशान, बाजे लेकर लोग उसको बना रहे हैं और बाकी जो रहेगा वह राक कटिंग की चीज रह जावेगी। ज्यादा से ज्यादा १ लाख रुपया उसमें लगेगा। सेविंग्स से जो रुपया बचेगा तो मेरी प्रार्थना है कि उस सड़क पर लगा दिया जाय। हम उस सड़क को पूरा करके रानीखेत तक ले आना चाहते हैं और उसे पत्थर, नार्थ गढ़वाल से मिलाना चाहते हैं। यह सब श्रमदान से कर लेंगे। मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार जनता के इस प्रयास को सफल बनाने में ज्यादा से ज्यादा तेजी से कदम उठायेगी।

निर्माण उपमन्त्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान के लिए रुपया मांगा गया है और जो भी माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कहीं हैं उससे हम बड़े उत्साहित हुए कि इस विभाग के कार्य को माननीय सदस्यों ने सराहा और मैं आशा करता हूं कि इस माननीय सदन के सदस्य हमेशा जो कार्य इस विभाग के होंगे उनमें सहायता देते रहेंगे। कुछ बातें यहां माननीय उपाध्याय जी ने कहीं और विष्ट जी ने कुछ ब्योरेवार बातें कहीं। हमें पुलिस द्वारा जो कुछ रुपया दिया गया है उससे, जो कुछ पुलिस वहां रखी जा रही है, उसकी एकोमोडेशन (हट्स) बनानी है। उन्होंने कहा कि जिस जिस तरह की हट्स वहां बनाई जाने वाली हैं शायद उनसे आवश्यकता पूरी नहीं हो सकेगी। एक तो मैं यहां यह अर्ज कर दूं कि हमारा विभाग तो एक तरह से मजदूरों का विभाग है। हमें जो हुक्म मिलता है वह इस विभाग द्वारा किया जाता है। पुलिस विभाग को जरूरत पड़ी कि वहां पुलिस के आदमी कुछ रखे जायं और उनके लिये स्थान बना दिये जायं। मेरा ऐसा ख्याल है कि जो हट्स इसमें प्रोवाइड किये गये हैं उनकी देखभाल करके, वहां के इंजीनियर्स ने और पुलिस विभाग के लोगों ने, जो चीज सही समझी होगी वह की है। जो यह कहा गया कि वहां ऐसे आदमी रखे जायं जो कि सर्दी को बरदाश्त कर सकें, वह भी पुलिस मुहकमें की बात है। यह सही बात है कि जहां जो पुलिस के लोग रखे जायं वह ऐसे रखे जायं जो वहां रह सकें। जैसा कि उपाध्याय जी ने कहा, उनका तजुर्बा पहाड़ों का है। वह बेजा नहीं है कि जो हट्स बनाये जायंगे उनमें लोग सही तरीके से रह सकेंगे। जितनी सर्दी वहां पड़ती है उसे वह बरदाश्त कर लेंगे।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि जो कृषि विभाग से हमें भेड़ों के लिये एक खास किस्म का कांस्ट्रक्शन करने के लिये रुपया मिला है उसके लिये मुझे अर्ज करना है कि सोच विचार कर ही कृषि विभाग ने इसे तय किया है। साधारण तौर से यह मालूम होता है कि ऋषिकेष ऐसी जगह पर है जो कि पहाड़ से भी लगा हुआ है और मैदान से भी लगा हुआ है। पहाड़ का दरवाजा है। वहां पर ठंडक भी

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

होती है और कुछ मामूली गर्मी भी होती है। इस तरह से जो वहां भेड़ें रखी जायंगी वह वहां ठीक तरह से रह सकेंगी। मेरे ख्याल में यह सही बात नहीं है कि वहां भेड़ें पाली नहीं जा सकतीं। वह उपयुक्त स्थान है और वहां पर कांस्ट्रक्शन होना है।

उन्होंने पिथौरागढ़ और टनकपुर रोड की बात कही। मुझे खुशी है इसकी यहां पर दाद दी गई। मैं आपसे अर्ज कर दूं कि वह इतनी बड़ी सड़क है जैसा कि मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि वह न केवल अपने ही स्टेट में बल्कि सारे अपने देश में सब से बड़ी सड़क है। इस पर काफी रुपया खर्च होगा। अभी तो जो रुपया मांगा गया है वह तो सिर्फ टेलीफोन लाइन लगाने के लिये है ताकि वहां रास्ते में एक्सीडेंट न हो सकें। इससे पुलिस वगैरह को भी मदद मिलेगी। जैसा कि माननीय विष्ट जी ने कहा कि वहां एक सड़क बच जाती है उसे भी ले लिया जाय, मेरे ख्याल से इस तरह की छोटी छोटी बहुत सड़कें होंगी जो रह जायंगी। लेकिन खैर, उन्होंने जो यहां बात कही है उसकी जांच कराई जायगी और देखा जायगा कि उसकी महत्ता क्या है।

उपाध्याय जी ने जो बातें कहीं कि पहाड़ों में सड़कें बहुत जरूरी हैं बिल्कुल सही है। जब जो बजट आइन्दा आने वाला है उसमें वह देखेंगे कि पहाड़ों की सड़कें इस विभाग के सामने मुख्य स्थान रखती हैं। पहाड़ी सड़कों को काफी महत्व दिया गया है क्योंकि वहां आवागमन के और कोई साधन नहीं हैं। इस पर पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है कि जहां तक हो सके पहाड़ों की दिक्कत को दूर किया जाय। इस तरह से मैं समझता हूं कि जो चीजें कही गई थीं उनका मैंने उत्तर दे दिया और यह सदन सर्वसम्मति से उन मांगों को पास करेगा, ऐसी मेरी आशा है।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट---मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२---सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं---लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण-कार्य-निर्माण कार्यों पर लागत के अन्तर्गत ४९,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४---सार्वजनिक निर्माण कार्य-स्थापना पर व्यय---लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण कार्य तथा ८१---राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३५-लेखा शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५-नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान---लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत छोटा सा प्रस्ताव है और इस पर बहुत ज्यादा बहस मुबाहिसे की जरूरत नहीं है। देवरिया जिले में एक ऐसा भाग है जो कि एक नदी से दो टुकड़ों में बंटा हुआ है। काफी गन्ना वहां पैदा होता है और वहां एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने में लोग बड़ी कठिनाई महसूस करते हैं। बीस वर्ष हुये जब वहां एक पुल बना था लेकिन वह दूसरे साल ही बह गया। उसके बाद वह पुल अब तक नहीं बन सका। यह पुल खनुआ नदी पर बघौच घाट पर देवरिया जिले में है। पुल इस वक्त नहीं है। उसकी कठिनाई को देखते हुये इस वक्त यह अनुभव किया जा रहा है कि वहां पर उसका खर्चा १ लाख १८ हजार रुपये होगा। वहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास इतना रुपया नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक तिहाई हिस्सा उसका देगा और वहां की जनता एक तिहाई हिस्सा देगी। बाकी एक तिहाई जो लगभग ३९ हजार ३ सौ रुपये होगा उसको गवर्नमेंट खर्च करेगी। इस वक्त यह सौ रुपये की मांग मैंने इसलिये पेश की है ताकि जो कुछ इस पुल के बनवाने में रुपये खर्च हों, ३९ हजार ३ सौ तक, उनको भवन के सामने रखा जाय। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि यह मांग स्वीकार की जायगी।

श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मद (क) में नागरिक निर्माण कार्य के अधीन एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखता हूं। महोदय, एक खनुआ नदी देवरिया जिले में है जिस का बघौच घाट है। आज से २० वर्ष पहले वहां एक पुल बन रहा था जो कि तैयार होने के पहले ही बह गया। देवरिया जिले में मुख्य खेती गन्ने की होती है। वहां खेती करने वालों को उस पार से किसी निकट के मिल में गन्ना लाने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिये वहां के लोगों ने महसूस किया कि किसी तरह से पुल बने। वहां की स्थानीय जनता ने एक तिहाई रुपया इकट्ठा किया और वहां का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक तिहाई रुपया देने के लिये तैयार हुआ। उसके बाद वहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन और कुछ माननीय सदस्य यहां माननीय मुख्य मंत्री के पास आये और उनके सामने पुल के बनवाने के लिये रुपये की मांग की गई। माननीय मुख्य मंत्री ने उस के लिये ६० हजार रुपया देने के लिये आश्वासन दिया। लेकिन ग्रान्ट में ३९,३०० रुपये आये हैं, वह नाकाफी हैं। मैं बतलाऊं कि वह पुल जिसके लिये हमारे माननीय मंत्री जी ने ग्रान्ट रक्खी है उसके लिये मैं उनको अपने जिले की तरफ से धन्यवाद देता हूं लेकिन जो रुपया उन्होंने दिया है वह हमारे देखने में कम मालूम होता है। उसमें ज्यादा से ज्यादा और रुपया देकर उस पुल को जल्दी से जल्दी बनवाने का कार्य शुरू कराया जाय।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय मंत्री जी ने सदन के सामने प्रस्तुत किया है मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं और उसके लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं। अभी अभी हमारे इस सदन के एक माननीय सदस्य ने खनुआ नदी बघौच पुल के सम्बन्ध में अपने विचार रक्खे। मैं भी उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी के साथ साथ गृह मंत्री जी का ध्यान इधर आकर्षित करना चाहूंगा। अभी सदन में पुलिस की अनुदान पर जब बहस प्रारम्भ हुई तो तिब्बत के नीचे सरहदी इलाकों में पुलिस की जरूरत विशेष रूप से वाह्य आक्रमणों से देश की सुरक्षा के लिये अनिवार्य समझी गई। इसी तरह मैं गृह मंत्री जी का ध्यान खनुआ नदी बघौच घाट की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि यह घाट जो बिहार की सरहद पर है पुल की कमी के कारण देवरिया जिले की सरहद पर वाह्य आक्रमणों का जरिया बन गया है। बिहार से आये हुए आतंकवादी डाकू और चोर देवरिया जिले की गरीब जनता को सताया करते हैं और निरीह जनता पुल

[श्री रामेश्वर लाल]

न होने के कारण उनका मुकाबला नहीं कर पाती इसलिये कि वह खनुवा नदी के इस पार ही रुक जाते हैं। गृह मंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिये। जहां तक पुल का सम्बन्ध है उसकी आवश्यकता जहां यह है कि वह बिहार को सम्बन्धित करता है यू० पी० के देवरिया जिले को बिहार के छपरा जिले से, वह काम केवल पुल के बना देने से ही पूरा नहीं हो जाता बल्कि आवश्यकता यह भी है कि जो कच्ची सड़क टूटी-फूटी खनुवा नदी को पार करती है बिहार में बटिया स्थान पर जाने के लिये उसको भी पक्की बनाया जाय। जिस तरह से पुल बनाकर आप यू० पी० और बिहार के सरहदी इलाके के धन्यवाद के पात्र होंगे उसी तरह से इस सड़क को पक्की सड़क बना देने पर देवरिया जिले के लोग आपके आभारी होंगे और आप यश के भागी बनेंगे। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री राम सुभग वर्मा---मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५---नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान---लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३६---लेखा शीर्षक ५४---दुर्भिक्ष सहायता

माल मंत्री के सभासचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)---गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६---दुर्भिक्ष सहायता---लेखा शीर्षक ५४---दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि से संक्रमित धनराशि के अन्तर्गत ४,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को विदित है कि इस वर्ष कुछ अकस्मात विपत्तियां हमारे प्रदेश पर आईं, वर्षा अधिक होने के कारण कुछ नदियों में बाढ़ आई खास तौर पर गोमती, गंडक, घाघरा, सई, राप्ती, सरयू और रामगंगा ये नदियां हैं। इन नदियों की बाढ़ से विशेषकर बस्ती, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, फैजाबाद व जौनपुर के जिलों में विशेष क्षति फसल को और मकानों के गिरने की हुई। जान का खतरा तो नहीं हुआ। लेकिन इस विशेष क्षति के लिये विशेष सहायता की आवश्यकता हुई। चूंकि पिछले बजट में १९५३-५४ में केवल ९ लाख रुपया ही स्वीकृत हुआ था लेकिन खर्चा इससे अधिक हुआ। अब तक ११ लाख १६ हजार रुपया टेस्ट वर्क्स के लिये जिलों में बांटा जा चुका है। इसके अलावा आग लगने के कारण भी ७२,३२६ रुपया स्वीकार किया जा चुका है। पहाड़ी इलाकों में स्केयरसिटी की वजह से इस काम को हाथ में लेने की जरूरत हुई। अल्मोड़ा, गढ़वाल और टेहरी में ८० हजार रुपया टेस्ट वर्क्स में और ८२ हजार निर्मूल्य सहायता के लिये दिया गया। चूंकि केवल ९ लाख रुपया ही स्वीकृत हुआ था इसलिये ४ लाख रुपये की विशेष मांग रखी गई है। मैं समझता हूं कि इस अनुदान को स्वीकार करने में सदन को कोई आपत्ति नहीं होगी।

कल जनरल डिसकशन के समय टेस्ट वर्क्स के बारे में पहाड़ी इलाकों के लिये श्री नारायण दत्त तिवारी ने कहा कि मजदूरों को २, २ महीने तक मजदूरी नहीं मिली।

यह बात नहीं है। कुछ विलम्ब जरूर हुआ। इलाका पहाड़ी होने की वजह से हेडक्वार्टर पर वाऊचर भेजने में कुछ थोड़ा सा समय लग जाता था। इसलिये ६ हजार रुपये की रक़म वहां के अफ़सर को दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि टेस्ट वर्क्स के लिये औजार समय पर नहीं मिलते। पी० डब्ल्यू० डी० के मार्फत वे मिलते हैं। अगर कोई शिकायत आवेगी तो उसे दूर किया जायगा। स्टाफ के लिये उन्होंने कहा, सो एक नायब तहसीलदार वहां रख दिया गया है और एक ओवरसियर के वास्ते सोचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि १२ आने मजदूरी कम है। यह गल्ले की निर्ख पर रखी गई है। पहले १०, १४ और १८ छटांक मजदूरी दी जाती थी लेकिन अब यह १६, २० और २४ छटांक कर दी गई है जिसके हिसाब से १२ आने की मजदूरी कम नहीं है। वैसे डी० सी० को लिखकर भी कहा है और जो रेट गल्ले का वह बतावेंगे उसके हिसाब से मजदूरी रखने की सोची जावेगी। श्री गेंदासिंह जी ने कहा था कि बिहार में बहुत अधिक सहायता दी जाती है और क्या वजह है कि यू० पी० में उतनी नहीं दी जाती? यह प्रश्न एकाध दफा पहले भी उन्होंने यहां रखा था और उन्हें यह बात समझाने की कोशिश भी की गई। बिहार में क्या होता है, इसकी बाबत वहां से पूछा जा रहा है। लेकिन जो कुछ हमारे सूबे में बाढ़-पीड़ित इलाकों में किया गया है मैं समझता हूं कि वहां के जिलाधीशों ने जितना कहा उसमें कोई कोताही नहीं की गई और पूरे तौर पर सहायता करने की कोशिश की गई। इसके अलावा ४५ हजार रुपया प्रधान मंत्री की डिस्क्रीशनरी ग्रांट से भी उन लोगों को दिया गया। तो यह ४ लाख रुपया जो कंटिन्जेंसी ग्रांट से लेकर दिया गया है, मैं आशा करता हूं कि भवन इसे स्वीकार करेगा। वह एक आकस्मिक बात थी, जैसा कि नारायण दत्त जी कहते हैं कि अनफ़ोरसीन। तो यह अनफोरसीन विपत्ति थी जिसके लिये रुपया खर्च करना पड़ा।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस अनुदान में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखता हूं।

सरकार ने जो अनुदान सदन से मांगने के लिये पेश किया है वह हमारी और बहुत से माननीय सदस्यों की समझ से बहुत कम है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी सहायता बाढ़ आने पर पहले-पहल बहुत कम होती है। मैं तो उस जिले से आया हूं जहां पर हर साल बाढ़ आया करती है। बाढ़ आने से सरकार द्वारा निर्मित बाढ़ कमेटी की बैठक हो जाया करती है। इसके बाद बाढ़ आई और उससे लोगों की रक्षा कैसे की जाय और ऊंची जमीन पर कैसे उनको लाया जाय, उसके लिये सरकार की ओर से कोई इन्तजाम नहीं है। सरकार की ओर से नावों का कतई प्रबन्ध नहीं है। बाढ़-पीड़ितों को उस स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर ले जाने का कोई इन्तजाम नहीं है।

श्रीमन्, इसके अतिरिक्त हमने देखा कि बाढ़ आने के बाद आजमगढ़ शहर की हालत इतनी बदतर थी कि वह चारों तरफ से घिरा हुआ था और राजस्व मंत्री जी ने कहा कि कोई आदमी मरा नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे राजस्व मंत्री जी की यह बात सुनकर दुःख हुआ। आजमगढ़ में नाव से आने-जाने का प्रबन्ध न होने के कारण कई आदमी डूब गये और बह गये। यह जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट है।

इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, सब से बड़ी खूबी की बात यह है कि जाड़े के जमाने में पूस और माघ के महीने में तो देहाती आदमियों के लिये जिनके पास खेतीबारी करने के साधन नहीं हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है। इन महीनों में केवल ईख की फसल ही सहारा होती है और वह भी बाढ़ से नष्ट

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

हो जाती है। इस प्रकार उनकी रोजी का कोई साधन नहीं रहता। बाढ़ क्षेत्रों में जहां फसलें खत्म हो जाती है, वहां के निवासियों की रोजी कैसे चले, सरकार की ओर से उनके लिये प्रबन्ध नहीं है। यहां तक कि टेस्ट वर्क्स जो एक दो महीने पहले होते थे वह भी बन्द हो गये हैं। मैं अपने सारे क्षेत्र में घूम कर आ रहा हूं, हमारे पूरे क्षेत्र भर में एक भी टेस्ट वर्क नहीं हो रहा है।

अभी वहां असेम्बली का निर्वाचन हुआ है, यहां हमारे मुख्य मंत्री जी गये थे और उप मंत्री श्री मुजफ्फर हुसैन जी १५ दिन तक पड़े रहे, वहां सरकार की ओर से कहा गया था कि बांध बनाया जायगा, सड़कें बनाई जायेंगी, लेकिन चुनाव होने के बाद वहां काम बन्द हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं इस क्षेत्र में गया तो देखा कि जो मजदूर वहां काम करते थे और जिनके खाने पीने का इन्तजाम हो जाया करता था वह इस वक्त दाने दाने को मोहताज हैं। उनके लिये खाने पीने तथा बैठने तक का कोई इन्तजाम नहीं है। हजारों घर ऐसे हैं जिनके रहने वाले पेड़ों के तले रहते हैं। उनके मकान गिर गये हैं और सरकार की ओर से उनके मकान बनवाने का कोई इन्तजाम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आजमगढ़ जिला जो ४० मील की लम्बाई में फैला हुआ है उत्तर में घाघरा और राप्ती नदी बहती है और यह जिला २० नदियों से घिरा हुआ है। प्रतिवर्ष सारा जिला तबाह हो जाता है। जब माननीय मुख्य मंत्री जी आजमगढ़ जिले में गये थे, वहां उन्होंने कुछ शिक्षा संस्थाओं को, जिनको सरकार की ओर से मान्यता नहीं मिली है, उनको भी सहायता दी है। ऐसे वहां पर ३५ हायर सेकेंड्री स्कूल्स हैं और एक डिग्री कालेज भी है, लेकिन आधे लड़के प्रत्येक स्कूल के ऐसे हैं जो फीस के अभाव में बैठते चले जा रहे हैं।

मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री तथा सदन से निवेदन करूंगा कि बाढ़-पीड़ित स्थानों में ऐसे काम होने चाहिये कि बाढ़ जो हर साल आती है उसकी रोकथाम ठीक तरह से हो सके। बड़े-बड़े बांध बनाये जायं, नाव रखी जायं हर साल जो टेस्ट वर्क्स खोले जाते हैं उनकी सारी मिट्टी बरसात में खत्म हो जाती है। सड़कों को पक्का किया जाय तथा पुल बनाये जायं। मैं उम्मीद करता हूं कि विद्यार्थियों की सहायता के लिये राजस्व मंत्री जी कुछ घोषणा करेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री राम सुन्दर पांडेय जी ने जो यह कहा कि जब बाढ़ आ जाती है तब ही सरकार उसकी चिन्ता करती है यह इल्जाम गलत है। १३ जिलों में जहां बाढ़ की संभावना रही है वहां पहले ही से ५ हजार फी जिले के हिसाब से ६५ हजार रुपया रख दिया गया था। यह इस बात का सबूत है कि सरकार इस बात की काफी चिन्ता करती है क्योंकि ९ लाख रुपया बजट में इसके लिये था उसको खर्च करने के बाद ४ लाख रुपया और सरकार ने खर्च किया। यह भी नहीं इन्तजार किया कि जब भवन मंजूर करे तब उसके खर्च करने की बात हो। कंटिजेंसी से जरूरत को देखते हुये सरकार ने ४ लाख रुपया इन इलाकों में खर्च करने के लिये दिया तथा कोताही बिलकुल नहीं की। यह रकम सिर्फ बाढ़ के लिये थी। इसके अलावा सरकार ने ४८ लाख ७९ हजार रुपये द्वारा तकावी का इन्तजाम किया था और भी तरह तरह की सुविधायें दीं। अगर मैं उन सब का वर्णन करने लगूं तो भवन का काफी समय लगेगा। समय समय पर भवन के सदस्यों को बतलाया जा चुका है कि बाढ़-पीड़ितों के लिये कितनी और कब कब सहायता दी गयी है। मैं समझता हूं कि जो कुछ भी किया गया, काफी किया गया, लोगों को काफी सहायता पहुंचायी गयी। मैं समझता हूं कि काफी सहायता प्राप्त हुई। मुझे आशा है कि इस ग्रांट को स्वीकार किया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९--दुर्भिक्ष सहायता, लेखा शीर्षक ५४--दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि से संक्रमित धनराशि के अन्तर्गत ४,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४०--लेखा शीर्षक ५७--विविध व्यय

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४०--विविध व्यय, लेखा शीर्षक ५७--विविध व्यय के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०--विविध व्यय, लेखा शीर्षक ५७--विविध व्यय के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४२--लेखा शीर्षक ६३--असाधारण व्यय

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४२--असाधारण व्यय, लेखा शीर्षक ६३--असाधारण व्यय के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२--असाधारण व्यय, लेखा शीर्षक ६३--असाधारण व्यय के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४३--लेखा शीर्षक ६३--क--युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३--योजना और एकीकरण, लेखा शीर्षक ६३-क--युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय के अन्तर्गत २४,९०,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान के अन्दर एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, योजना और एकीकरण यह शब्द जो है यों तो देखने में बहुत व्यापक अर्थ रखता है और मैं समझता हूं कि योजना एकीकरण का जो उद्देश्य है अगर वह सही माने में राजनीति और सरकारी कामों से दूर रख कर कार्य किया जाय तो हम इस देश को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह योजना एकीकरण हमारे जिले में लागू है। खास करके हमारे साथी श्री झारखंडे राय जी के क्षेत्र में है और उसका कुछ हिस्सा हमारे क्षेत्र में भी पड़ता है।

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

उपाध्यक्ष महोदय, सारे क्षेत्र को घूमने का तो मुझे अवसर नहीं मिला लेकिन हमारे क्षेत्र में जो गांव पड़ते हैं उनमें घूमने का मुझे काफी अवसर प्राप्त हुआ है और इन सेंटरों को देखने का मुझे मौका मिला है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इसमें जितना रुपया खर्च किया जा रहा है जनता के लाभ के लिये नहीं खर्च किया जा रहा है। मैंने खुद गांवों में जाकर देखा है कि इस योजना से किसानों को कितना लाभ मिला है तो किसान खुद कहते हैं कि कोई लाभ नहीं हुआ है। इस विभाग की ओर से नस्लों का सुधार करने के लिये पशु भेजे जाते हैं। आज ही मैंने एक सवाल इस सदन में किया था कि सरकार की ओर से एक सुअर भेजा गया था वहां की सुअरों की नस्ल को सुधारने के लिये। एक सुलतापुर गांव है, वहां के निवासियों ने सुअर को मार डाला। वे जानते नहीं थे कि यह नस्ल अच्छी करने वाला सुअर है और सरकार का है। हमने गवर्नमेंट को लिख कर भेजा था, आजमगढ़ में अखबारों में भी बयान दिये, फिर भी पुलिस की ओर से कोई मुकदमा नहीं चलाया गया। प्लानिंग आफिसर ने शायद गवर्नमेंट को लिखा था कि सुअर को गांव वालों ने मार डाला है। माननीय गृह मंत्री जी को मैंने लिखकर दिया लेकिन कहा जाता है कि पुलिस सब इंसपेक्टर ने ६०० रुपये घूस लेकर मुकदमा नहीं चलाया।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)--बतौर वाकये के, श्रीमन्, यह सही नहीं है कि बनैले सुअर को मार डाला गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय--मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के बहुत से सबूत मेरे पास हैं जिससे यह मालूम होगा कि जो पैसा सरकार देती है वह जनता के लाभ के लिये उपयोग में नहीं आ रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर साल वहां विकास मेला लगता है। उसमें हमने देखा है कि वहां मेले में जनता के पैसे से जो आगन्तुक लोग होते हैं, उनको जलपान कराया जाता है। इस तरह से हजारों रुपया जनता का मेले में खत्म हो जाता है और जनता के लाभ में नहीं आता। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की योजना की जांच करायें और देखें कि सही माने में जनता का लाभ होता है या नहीं। ६ लाख रुपए इस साल सामुदायिक विकास विभाग को खर्च करने के लिये दिया गया है। लेकिन उससे तो अच्छा होता अगर हर गांव में कुंयें बनवा दिये जाते। वहां पर खेती के औजार अब तक नहीं दिये गये हैं। यह हो सकता है कि इससे कुछ आदमियों को रोजी मिली हो लेकिन सही माने में जनता का कोई लाभ नहीं हुआ है। इसलिये मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि योजना की जांच करावें और देखें कि किसानों का लाभ उस योजना से होता है या नहीं। अगर होता है तो योजना चलनी चाहिये और नहीं तो उसका नवीनीकरण करना चाहिये।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को बधाई देता हूं कि हमारे प्रदेश के अन्दर जितनी योजनाएं बनी हैं और प्लानिंग हुआ है उससे हमारी जनता को काफी राहत मिली है। लेकिन एक बात की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे गढ़वाल जिले के अन्दर एक इलाका है जिसको राठ कहते हैं। हमारे मंत्री महोदय आज इस सदन में तशरीफ रखते हैं। मैंने कई मरतबे उनके पास जाकर उन लोगों की बाबत बताया और उनसे योजना के बारे में विचार विमर्श भी हुआ। लेकिन मुझे बहुत दुख है कि आज न उन लोगों के लिये कोई योजना है और न कोई आर्थिक हालत को ठीक बनाने के लिये ही कोई योजना सरकार ने प्रस्तुत की है। मैं यह बताना चाहता हूं कि वह इलाका ऐसा है जहां निरक्षरता का अंधकार है और जहालत रोजाना उग्र रूप धारण करती हुई दिखाई देती है।

वह इलाका जो पहाड़ में डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल के क्षेत्र में बसा हुआ है और जिसमें हमारे देश की बड़ी-बड़ी समृद्धियां छिपी हुई हैं और जिस इलाके को प्रकृति की देन ने हरा-भरा

कर रखा है उस इलाके में अभी हमारी सरकार की निगाह नहीं पहुंची है जिसकी वजह से वह इलाका अभी जहालत की हालत में पड़ा हुआ है। मुझे इस बात का खेद है कि जब सरकार के सामने हम इन बातों को पेश कर देते हैं तो हमारी सरकार उन बातों को अनसुनी कर देती है तो यह बिलकुल बरदाश्त करने के काबिल बात नहीं है। मैं समझता हूं कि मेरा यह फर्ज हो जाता है कि उनकी बातों को आपके सामने रखूं। सरकार हमारी हमदर्द है और हम सरकार के साथ हैं। अगर मैं सरकार का दुश्मन होता तो मैं सरकार को सही रास्ते पर चलने की प्रार्थना नहीं करता और गलत रास्ते पर चलाने की कोशिश करता। परन्तु मैं उनको बताना चाहता हूं कि ऐसे लोग जिनके बदन बिलकुल नंगे हैं और तीन चौथाई शरीर जिनका नंगा रहता है और जो कोटद्वारा और रामनगर में जब आते हैं तो बाजार के लोग और लड़के उनको देखकर हंसते हैं। हम सब सभ्य कहलाने वाले लोग उन पर हंसते हैं, थूकते हैं और उनके ऊपर कुत्ते छोड़ते हैं।

मैं जिस इलाके का आपके सामने जिक्र कर रहा हूं वहां से कार्ट रोड करीब ४० और ८० मील के फासले पर है। क्या आप यह समझते हैं कि जो इलाका इतनी दूर हो उसकी उन्नति कैसे हो सकती है? हमारी सरकार जो इतने जोर के साथ प्लानिंग कर रही है क्या उन लोगों की दशा का अध्ययन नहीं कर सकती है और उनके लिये कोई प्लानिंग नहीं बना सकती है? मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने सरकार से यह प्रार्थना की थी कि सरकार की तरफ से वहां पर कम्पलसरी एजुकेशन हो जाना चाहिये लेकिन इस पर हमारे उच्चाधिकारियों ने कहा कि इन लोगों को पढ़ाने और लिखाने की क्या जरूरत है। मैंने कहा कि यह आपने बहुत उचित बात कही है। परन्तु इसके साथ साथ मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनके उत्थान के लिये आपने क्या प्लानिंग की है और उनके लिये आपके पास क्या प्लान है। उस दूधाखाली पहाड़ पर, जहां पर कि बड़े-बड़े पानी के झरने हैं, वहां पर नहरें चल सकती हैं, लेकिन आज इन्सान ने उसको देखने की कोशिश नहीं की है। मुझे इसका महान् दुख है। मैं आपको बताता हूं कि वहां से एक नदी होकर आती है जिस पर पानी का प्रपात कम से कम ६००, ७०० फीट ऊंचा है। मैं समझता हूं कि अगर सरकार चाहे तो वह इलाका बहुत सरसब्ज बन सकता है। यह इलाका हमेशा भूखा और नंगा रहा है। वे लोग केवल कुछ औजार अपने हाथ से बनाकर अपनी जीविका का निर्वाह करते हैं। आपकी प्लानिंग की जितनी बातें हो सकती हैं और प्लानिंग द्वारा जितनी उत्थान की बातें हो सकती हैं, वह सब इस इलाके में हो सकती हैं।

मैं आपको बताता हूं कि आज जो कम्युनिटी ब्लाक जिलों के अन्दर बनाये जा रहे हैं यह बहुत अच्छी चीज है और मुझे यह खुशी है कि हमारी सरकार यह सब उत्थान का काम जिलों के अन्दर कर रही है। लेकिन मैं अपनी सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अगर वह कुछ भी उत्थान वहां पर करना चाहती है तो वह वहां पर जरूर करे क्योंकि जितनी भी प्लानिंग हैं, वह सब राठ के इलाके में हो सकती है। अगर सरकार उसको नजरअन्दाज करती है, तो मैं यह समझता हूं कि सभ्यता के गले पर कुठाराघात करती है और सभ्यता के गाल पर चपत मारती है और सभ्यता के मुंह में थूकती है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रकार गलतियां भविष्य में कतई नहीं होनी चाहिये।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह दरख्वास्त करूंगा और साथ ही सरकार से भी निहायत अदब के साथ यह प्रार्थना करूंगा कि ऐसे पिछड़े हुये लोगों को कभी नजरअन्दाज नहीं करना चाहिये और उनकी जीविका और उनके उत्थान की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जो चीज हमारे देश के लिये नेचुरल डिफेंस का काम करती है वह हमारे पहाड़ों की सीमा है। वहां पर भी कोई न कोई प्रबन्ध होना चाहिये जिससे वहां के इलाके के रहने वाले लोग अपना निर्वाह सुचारु रूप से कर सकें।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

मैं इस बात का चैलेंज करता हूं कि हमारी फौज भी उतनी हिफाजत नहीं कर सकती है जितना कि पहाड़ की सीमाएं हमारे देश को डिफेंस करती हैं। इसलिये मैं फिर निवेदन करता हूं कि इस पहाड़ी इलाके की तरफ भी आपको अपनी प्लानिंग जरूर करनी चाहिये जिससे वह लोग भी अपने जीवन में उन्नति कर सकें।

श्री फूलसिंह--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, श्री राम सुन्दर पांडे जी ने जो बातें आजमगढ़ के संबंध में कहीं उनके मुताल्लिक मुझे इतना अर्ज करना है कि मैं श्री राम सुन्दर जी के साथ आजमगढ़ में कुछ समय रहा था लेकिन उस समय उन्होंने काम खराब होने की कोई शिकायत नहीं की। सुअर के मारे जाने वाली बात का प्लानिंग विभाग से कोई संबंध नहीं है परन्तु फिर भी मैं वहां जाऊंगा और जिन त्रुटियों की तरफ उन्होंने इशारा किया है उनको मैं देखूंगा और दूर करने की कोशिश करूंगा। गढ़वाल के बारे में मुझे यह कहना है कि वहां का काम एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट के मातहत चल रहा है और वहां के लिये एक एम० ई० एस० ब्लाक अलाट किया जा रहा है, वह चाहें जिस क्षेत्र में उसे रख सकते हैं, उसमें सरकार का हाथ नहीं है बल्कि उसे जिला प्लानिंग कमेटी अलाट करेगी और गालिबन सेल्फ हेल्प ग्रांट के रूप में भी वहां के लिये ४० हजार रुपया दिया गया है। यह रकम केवल ३ ही जिलों को दी गई है और उन में से गढ़वाल भी एक है। फिर भी सरकार की ओर से जो और सेवा वहां की हो सकेगी, की जायगी और माननीय सदस्य वहां की जो जो दिक्कतें हमारे सामने लाते रहेंगे उनको दूर करने की कोशिश की जायगी। मैं और अधिक समय नहीं लूंगा और सिफारिश करता हूं कि इस अनुदान को स्वीकार किया जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय--उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव को वापस लेते हुये माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह आजमगढ़ जाने के बाद की घटना है और इसमें गृह विभाग की नहीं बल्कि सामुदायिक विकास की सम्पत्ति क्षीण हुई है और इतना शोरगुल होने के बावजूद भी अधिकारी मुकदमा नहीं चला रहे हैं और उस पुलिस सब-इंसपेक्टर की खोज नहीं की जा रही है जो खुलकर लूट कर रहा है। इससे प्लानिंग विभाग को नुकसान होता है।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३--योजना और एकीकरण--लेखा शीर्षक ६३-क--युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय के अन्तर्गत २४,९०,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४४--लेखा शीर्षक ६९--सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास संबंधी कार्यों का निर्माण

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)--गवर्नर महोदय की सिफारिश पर मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४४--राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई के निर्माण कार्यों का सम्पादन (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है) लेखा शीर्षक ६९--सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास संबंधी कार्यों का निर्माण के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं समस्त अनुदान में १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। मुझे यह कहना है कि आजमगढ़ के जिले में जो सिंचाई विभाग का काम होता है उसमें इस विभाग की उदासीनता प्रतीत होती है। हमारे

अनुदान संख्या ४४--लेखा शीर्षक ६६--सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण

जिले में कुल २३ नदियां हैं, मेरे दोस्त राम सुन्दर जी ने जो कहा है कि केवल १६ नदियां हैं वह गलत हैं। हमारे जिले में कुल २३ नदियां हैं। इस साल इन २३ नदियों में जब बाढ़ आई तो तमाम सम्पत्ति हमारे यहां की नष्ट हो गई और लाखों रुपये की फसल बरबाद हो गई और लाखों की सम्पत्ति और मकान नष्ट हो गये।

(इस समय ४ बजकर २६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

तो सिंचाई का कोई प्रबन्ध वहां नहीं है। भूमि की अलग बरबादी होती है, सिंचाई का भी प्रबन्ध नहीं है, नहरों की ओर कुछ खयाल किया गया था। एक टांडा से नहर निकली। दूसरे यह भी सुना था कि दोहराघाट से एक नहर निकाली जायगी, लेकिन किसी नहर में कोई काम नहीं होता है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि सिंचाई की तरफ इस जिले में भी कुछ न कुछ काम होना चाहिये। कुछ ट्यूबवेल्स अवश्य बन रहे हैं लेकिन उनकी प्रगति भी बहुत धीमी हो रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि लाल रोशनी आ गयी है, मेरा समय समाप्त हो रहा है और साढे चार बज रहा है इसलिये मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि सिंचाई मंत्री इस तरफ भी ध्यान देंगे।

श्री अध्यक्ष--समय समाप्त हो गया इसलिये अब मैं इसके लिये सदन की राय ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४--राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई के निर्माण कार्यों का सम्पादन (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है)--लेखा शीर्षक ६६--सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास संबंधी कार्यों के लिये निर्माण के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४५--लेखा शीर्षक ७१--कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५--कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत-लेखा शीर्षक ७१--कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत ८३,३२,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४७--लेखा शीर्षक ८१--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत, लेखा शीर्षक ८१--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत ३०,००,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४८--लेखा शीर्षक ६९ और ८१-क--विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़कर)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८-विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़ कर), लेखा शीर्षक ६९ और ८१-क के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४९--लेखा शीर्षक ८२--कृषि इंजीनियरिंग--सरकारी बस सरविस, सहायता और पुनर्वासन योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९-कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विस, सहायता और पुनर्वासन योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत लेखा शीर्षक ८२-राजस्व लेखे के बाहर अन्य राजकीय निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत ८,०६,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५२--लेखा शीर्षक द--राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५२-व्याज वाले ऋण और अग्रऋण, लेखा शीर्षक द-राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण के अन्तर्गत १,१७,५३,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९५३ का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ का प्रथम पूरक) विधेयक

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--जनाब वाला, मैं सन् १९५३ का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ का प्रथम पूरक) विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सन् १९५३ के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ के प्रथम पूरक) विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाबवाला, मैं सन् १९५३ का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ का प्रथम पूरक) विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ३९६-३९९ पर)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५३ के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ के प्रथम पूरक) विधेयक पर विचार किया जाय।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो रुपया हमसे मांगा जा रहा है उसके सिलसिले में मुझे यह कहना है कि वैसे तो करीब-करीब जितने अनुदान थे उन पर विचार यहां हो ही गया सदन के सामने लेकिन एक अनुदान जिसके बारे में जो

कि कुछ फ्रूट यूटिलाइजेशन स्कीम रानीखेत के लिये रखी गई थी, माननीय उद्योग मंत्री जी ने कहा कि चूंकि वह फाइल उनके कमरे में पड़ी हुई है, इस सदन में उनके पास नहीं है, इसलिये जब तक वह फाइल न आ जाय और तब तक माननीय मंत्री जी उसके बारे में हमें कुछ न बतायेंगे, तो मैं समझता हूं कि तब तक रुपया देना भी उचित न होगा। अध्यक्ष महोदय, फ्रूट यूटिलाइजशन स्कीम के बारे में रुपया आज मांगा गया है। बड़ी खुशी की बात है कि सरकार का इस ओर ध्यान गया और सरकार यह चाहती है कि पर्वतीय इलाकों में जहां ये सब फल पैदा होते हैं, उनके यूटिलाइज करने का कुछ इन्तजाम किया जाय। वैसे तो उत्तर प्रदेश के और इलाकों में भी काफी फल पैदा होते हैं और वह सब यूटिलाइज नहीं होते, बेकार चले जाते हैं, उनको भी यूटिलाइज करने का कोई रास्ता निकाला जाय और हमारे एफ० ए० ओ० एक्सपर्ट जो हैं उनकी सहायता भी ली जाय।

फ्रूट यूटिलाइजेशन के लिये जो रुपया मांगा गया है वह उस नये डाइरेक्टरेट की स्थापना के संबंध में है। तो पहले दो तीन साल तक तो उसका कोई उपयोग न रहेगा क्योंकि इतने फल तो अभी पैदा नहीं हुये हैं कि वह सारे के सारे उसमें यूटिलाइज हो सकें। तो हम यह चाहते थे कि जो एक छोटी सी स्कीम चलाई गयी थी रामगढ़ में पार साल, उसी तरह से काटेज इंडस्ट्रीज बेसिस पर ही वह चीज अभी रखी जाती तो बहुत अच्छा था। यह मैं जानता हूं कि जब फल बहुत पैदा होने लगेंगे तो उसके बाद एक बड़ी स्कीम की उनके यूटिलाइजेशन के संबंध में आवश्यकता होगी। परन्तु आज ज्यादा ध्यान सरकार का इस तरफ चला गया है कि यूटिलाइजेशन कैसे हो। इसकी ओर ध्यान नहीं है कि ज्यादा फ्रूट पैदा कैसे किये जायं। पहले यह कृषि विभाग का काम था अब इसको उद्योग विभाग के साथ मिला दिया गया है। मैं इसका विरोध तो नहीं करता हूं मगर यह चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे और हमारे कहने का फायदा यह हो कि फ्रूट्स के पैदा करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाय। यह न हो कि हम फ्रूट यूटिलाइजेशन के संबंध में उनकी जेली कैसे बनायी जाय, या और कैसे उनको रखा जाय इसके लिये या और कामों के लिये मशीनें ही मंगावें, ऐसी बातों पर रुपया खर्च करें। और फलों की पैदावार की तरफ ध्यान न दें क्योंकि यदि फल ज्यादा न पैदा हुये तो जितना फ्रूट हमारे पास है वह तो १५ दिन के अन्दर ही सब कुछ उनका प्राडक्ट बन जायगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इसकी ओर आकर्षित करते हुये यह आशा करता हूं कि वित्त मंत्री जी कुछ इस पर प्रकाश डाल सकेंगे और उसके बाद जो कुछ सदन निश्चय करेगा वह होगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं तो उसके मुताल्लिक कुछ अर्ज नहीं करना चाहता।

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय उपाध्याय जी ने जो कुछ सुझाव दिये हैं उनपर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जायगा।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पंत)--मैं पहले जो यहां इस संबंध में बात चीत हुई हो उससे परिचित नहीं हूं और मैं यही समझता हूं कि यदि जो डाइरेक्टोरेट का काम शुरू करने का इरादा किया गया है उसके संबंध में कोई आलोचना हुई हो तो.....(एक आवाज --उसकी नहीं है) उसकी नहीं है तो किसकी है यह मैं जानता नहीं मगर यह कुछ कहा गया कि फलों का पैदा करना जरूरी है इसलिये कि फलों का सदुपयोग हो सके और इस बात पर ज्यादा जोर देना कि फलों का ठीक इस्तेमाल हो तभी जरूरी हो सकता है जब कि फल बहुतायत से पैदा हों। यानी दोनों के ऊपर काफी ध्यान रहना चाहिये। इस उसूल से मैं पूरी तरह सहमत हूं। हमें इस पहाड़ी इलाके में इस बात की जरूरत है कि फलों की पैदावार बढ़ाई जाय।

यह हमारे प्रदेश के लिये और देश के लिये आवश्यक है कि लोगों में फलों का प्रचार हो और फलों का उपयोग हो। पहाड़ों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये और सबके स्वास्थ्य को ऊंचा करने के लिये फलों के उत्पादन को बढ़ाना आवश्यक है। इसके लिये स्कीमें बनाई गई हैं। नर्सरीज खोली गई हैं; और भी कई तरीकों पर इंटीग्रेटेड स्कीम से काम करने का इरादा है। इसके साथ ही साथ इस ओर भी ध्यान दिया जा रहा है कि जब फल पैदा हों, उनमें जो

[श्री गोविन्द वल्लभ पंत]

बेकार चले जाते हैं या जिनका उपयोग नहीं होता, उनका भी उपयोग हो सके। इसके अलावा जो टिन्ड फ्रूट बाहर से आते हैं उनको भी हम यहां बना सकें। मैं समझता हूं कि इन सब बातों से मदन मोहन जी सहमत होंगे कि जो स्कीम बन रही है उसके बारे में जो उद्देश्य उनका है वही गवर्नमेंट का भी है। यदि उसमें और कोई सुधार हो सके तो उसे हम करने के लिये हमेशा तैयार हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच सके। यह तो मैं समझता हूं कि उनकी और हमारी दोनों की एक तरह से इच्छा है और उसे पूरा करने में हम अपनी शक्ति लगावेंगे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि १९५३ के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ के प्रथम पूरक) विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २ और ३

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९५३-५४ के लिये २,७२,७८,८०० रु० का दिया जाना।

२--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में करने पड़ें, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जितना अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग २,७२,७८,८०० रु० (दो करोड़ बहत्तर लाख, अठहत्तर हजार आठ सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग।

३--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है उन-उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐन्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
	क--राजस्व लेखा (रेवेन्यू एकाउन्ट)-			
६	रजिस्ट्री	१००	-	१००
९	राजस्व (रेवेन्यू) से किये जाने वाले सिंचाई (इरिगेशन) के निर्माण कार्य	१,४२,०००	-	१,४२,०००

१		२	३	
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐन्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
११	रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय	४००	..	४००
१२	सामान्य प्रशासन के कारण व्यय	३,००,०००	..	३,००,०००
१६	जेल	१००	..	१००
१७	पुलिस	१००	..	१००
१९	शिक्षा	३००	..	३००
२०	चिकित्सा (मेडिकल)	२००	..	२००
२१	जन-स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ)	२००	..	२००
२२	कृषि संबंधी विकास और खोज (एग्रिकल्चरल डेवेलपमेंट ऐन्ड रिसर्च)	४००	..	४००
२३	कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन (एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ऐंड कालोनाइजेशन)	३००	..	३००
२५	पशुचिकित्सा (वेटेरिनरी)	४००	..	४००
२६	विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	१००	..	१००
२७	विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय	२००	..	२००
२८	सहकारिता के आधार पर ऋण	१००	..	१००
२९	उद्योग	४००	..	४००
३०	श्रम (लेबर) और संख्या	३००	..	३००
३२	सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	४९,९००	..	४९,९००
३४	सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थापना पर व्यय	१००	..	१००
३५	नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान (ग्रान्ट्स-इन-एड आफ सिविल वर्क्स)	१००	..	१००
३६	दुर्भिक्ष सहायता (फ़ेमीन रिलीफ)	४,००,०००	..	४,००,०००
४०	विविध व्यय (मिस्लेनियस चार्जेज)	२००	..	२००
४२	असाधारण व्यय (एक्स्ट्राआर्डिनरी चार्जेज)	२००	..	२००
४३	योजना और एकीकरण	२४,९०,९००	..	२४,९०,९००
	योग 'क'	३३,८७,०००	..	३३,८७,०००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों मे अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज़ एेन्ड पर्पजेज़)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
	ख–राजस्व लेखे के बाहर पूंजी व्यय––	रु०	रु०	रु०
४४	राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउन्ट्स) के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का सम्पादन	१००	..	१००
४५	कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत (कैपिटल आउटले)	८३,३२,०००	..	८३,३२,०००
४७	राजस्व (रेवेन्यू) लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों (सिविल वर्क्स) पर लागत (आउटले)	३०,००,४००	..	३०,००,४००
४८	विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत	२००	..	२००
४९	कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों (गवर्नमेंट बस सर्विसेज़), सहायता और पुनर्वासन (रिलीफ एेन्ड रिहैबिलिटेशन) की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत	८,०६,०००	..	८,०६,०००
	योग 'ख'	१,२१,३८,७००	..	१,२१,३८,७००
	ग–ऋणों और अग्र–ऋणों (लोन्स एेन्ड एडवांसेज) का भुगतावा (डिस्बर्समेंट)––		.. ..	
५२	व्याज वाले ऋण और अग्र–ऋण (एडवांसेज)	१,१७,५३,१००	..	१,१७,५३,१००
	योग 'ग'	१,१७,५३,१००	..	१,१७,५३,१००
	कुल योग	२,७२,७८,८००	..	२,७२,७८,८००

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १

१९५३ का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ का प्रथम पूरक)

विधेयक

३१ मार्च, १९५४ ई०, को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग (एप्रोप्रिएशन) का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

यह उचित और आवश्यक है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम १--यह अधिनियम १९५३ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ का प्रथम पूरक) अधिनियम कहलायेगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाबवाला मैं, प्रस्ताव करता हूं कि १९५३ का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ का प्रथम पूरक) जो विधेयक, अभी पेश हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि १९५३ का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ का प्रथम पूरक) विधेयक पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन के कार्य-काल में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन आज ५ बजे के बाद भी जबतक उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९५३, पास न हो जाय बैठा रहे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सदन जबतक कि उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९५३, पास न हो जाय तब तक अपनी कार्यवाही जारी रखे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९५३

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)--अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९५३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन की मेज पर रखता हूं

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ४०० पर)

उत्तर प्रदेश स्टेट ट्यूबवेल्स (संशोधन) विधेयक, १९५३

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--मैं उत्तर प्रदेश स्टेट ट्यूबवेल्स (संशोधन) विधेयक, १९५३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ४०१ पर)

उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९५३

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (संशोधन) १९५३ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मुझे केवल इतना ही निवेदन करना है कि इस अधिनियम की अवधि ३१ जनवरी, सन् १९५४, को खत्म हो रही है। यह केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण है और प्रांतीय सरकार को इसके अधीन कार्य करना पड़ता है। इसलिये केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार आवश्यकता इस बात की है कि इस अधिनियम की अवधि एक वर्ष के लिये बढ़ा दी जाय। इसीलिये सदन के विचार के लिये मैं इसको पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

उत्तर प्रदेश ऐक्ट १४, १९५० का प्रचलित रहना।

२--समय समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) ऐक्ट, सन् १९५० ई०, की धारा १ की उपधारा (४) में संख्या "१९५४" के स्थान पर संख्या "१९५५" रखी जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खण्ड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बनारसी दास--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९५३, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९५३, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राजा वीरेंद्रशाह के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--माननीय सुरेश प्रकाश सिंह ने अभी एक विशेषाधिकार के प्रश्न के संबंध में मुझे सूचना दी है। वह आज नहीं लिया जायगा उन्होंने यह सूचना दी है कि जिस वक्त यहां पर कर्फ्यू चल रहा था उस वक्त माननीय वीरेंद्रशाह जी के साथ कुछ ज्यादती हुई। इस संबंध में वे प्रश्न उठाना चाहते हैं और इसके लिये उन्होंने आज सूचना दी है। लेकिन इस प्रश्न पर अब जब सदन फिर बैठेगा उस वक्त मैं अपना निर्णय दूंगा कि यह वैध है या अवैध है। इस वक्त मुझे इसका नोटिस मिला है यह समझा जायगा कि आज का नोटिस है। अगर आज के रोज यह नोटिस मियाद के अन्दर है तो वह मियाद के अन्दर रहेगा और अगर मियाद के अन्दर नहीं है तो उस रोज भी नहीं रहेगा। क्योंकि आज नोटिस दिया गया है इसलिये सदन को मैं सूचना दे देना चाहता हूं।

विधान सभा का भावी कार्य-क्रम

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--प्रोग्राम आगे का क्या है? आज असेम्बली बन्द हो रही है, फिर कब बैठेगी?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)--आज तो अब यह अधिवेशन खत्म होने जा रहा है। इस विचार से खास तौर पर खत्म किया जा रहा है कि इस सदन के जो विरोधी पक्ष में कुछ सज्जन बैठते हैं उनको अपने काम में सुभीता हो। नहीं तो कुछ बिल ऐसे थे जिनको दो चार दिन बैठ कर खत्म कर लिया जाता। मगर मैं आशा करता हूं कि जब अगली दफा हम मिलेंगे तो उनको जल्द पास करने की कोशिश की जायगी इस समय अब सदन आपकी अनुमति से खत्म होता है और मैं समझता हूं कि शायद जनवरी भर फिर सदन की बैठक नहीं होगी। फर्वरी में सदन की बैठक कब होगी इसकी सूचना फिर पीछे मिलेगी।

श्री अध्यक्ष--अब हम उठते हैं अनिश्चित काल के लिये।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५० मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२४ दिसम्बर, १९५३।

नत्थी 'क'

(देखिये १७ जुलाई, १९५३ के स्थगित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९४ पर)

१ कृषि .. उन्नत बीज, औजार और खाद का अधिक से अधिक वितरण किया जावेगा।

कृषकों को उत्साहित करने के लिये फसल प्रतियोगिता की परियोजना है जिसमें अधिक से अधिक कृषकों के भाग लेने की आशा है।

बागवानी का काम भी होगा। सन् १९५६ तक प्रत्येक गांव में ५ से ८ एकड़ भूमि पर फलदार वृक्ष और तरकारी के पौधे लगाने की योजना है। इस सम्बन्ध में १ पौधाघर तहसील हेडक्वार्टर और छोटे-छोटे पौधाघर हर स्कूल में स्थापित किये जा रहे हैं।

गन्ने की उन्नति के लिये सड़कों, पुलों और कल्वर्ट की मरम्मत या निर्माण, बीज और खाद का वितरण और अधिक सिंचाई के साधन का प्रबन्ध किया जा रहा है।

२ सिंचाई .. सिंचाई के लिये ६ नलकूप और ५०० पक्के कुएं बन चुके हैं योजनाकाल में और भी बनाये जावेंगे। कुओं की बोरिंग तथा मरम्मत और तालाबों की खुदाई भी की जावेगी।

३ पशुपालन .. इस जिले में चार पशु चिकित्सालय, ३ स्टाक मैन डिस्पेन्सरीज और ३ फर्स्ट एड डिस्पेन्सरीज भी स्थापित की गई हैं। इस साल ३ और खोलने की आशा है।

अच्छी नस्ल के जानवरों को पालने और वितरण करने की योजना है। ३०,००० मवेशियों के एच० एस० का टीका लगाया जा चुका है और इसका कार्य चालू रहेगा। खुर और मुंह की बीमारियों की रोकथाम करने का कार्य भी किया जायेगा।

तालाबों में मछलियों के विकास की भी योजना है।

४ सहकारिता सहकारी समितियों की आर्थिक दशा सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है। सिंचाई सम्बन्धी समितियों के स्थापित करने की योजना है।

५ वन .. वन का क्षेत्र ९९८ एकड़ से बढ़ा कर १६,३१२ एकड़ करने का विचार है।

६ शक्ति .. गंगा ग्रिड के अन्तर्गत जिले के ग्रामों को ज्यादा से ज्यादा विद्युत मिल सकेगी। जिले में नलकूप विद्युत द्वारा काम कर रहे हैं।

७ उद्योग .. विभिन्न प्रकार के उद्योग शिक्षण के लिये १ केन्द्र तथा २३ उद्योग सहकारी समितियां स्थापित की जावेंगी। दो गुड़ विकास केन्द्र भी खोले जायंगे।

८ सार्वजनिक निर्माण नीचे लिखी सड़कों पर कार्य किये जायंगे :—

(१) बदायूं-बिलसी (५) बदायूं-सराओं
(२) बदायूं-शहसवां (६) बदायूं-दातागंज
(३) मुरादाबाद-चंदौसी-बदायूं (७) बदायूं-आवंला।
(४) बरेली-बदायूं

९ शिक्षा .. १२० प्राइमरी, ७ जूनियर हाई स्कूल और ५ हाइयर सेकेंडरी स्कूलों को स्थापित करने की योजना है। इसके अलावा ज्यादा संख्या में पुस्तकालय, वाचनालय और सोशल एजूकेशन केन्द्रों के स्थापित करने का विचार है।

१० चिकित्सा व स्वास्थ्य .. एक टी० बी० वार्ड बनाया जा रहा है जिसमें १२ मरीज रह सकते हैं और २ प्राइवेट वार्ड भी होंगे।

एक प्रसूत गृह तथा शिशु पालन केन्द्र स्थापित किया गया है और योजना काल में ऐसे चार खोले जायेंगे।

११ हरिजन .. हरिजन जातियों के बालकों में शिक्षा प्रसार करना, अच्छे मकान व कुवें इत्यादि की व्यवस्था करना सारे प्रान्त में लागू है और उससे यह क्षेत्र भी लाभ उठाता है।

नत्थी 'ख'

(देखिये १७ जुलाई, १९५३ के स्थगित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९६ पर)

सन् १९५३ के द्वितीय सत्र के चौथे गुरुवार के लिए श्री बाबू नन्दन द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७ के उत्तर से संबद्ध तालिका--

सन् जिसमें जुडीशियल अफ़सर नियुक्त किये गये			स्थायी	अस्थायी
१९४२	..	..	१०	..
१९४३	..	..	२	..
१९४४	..	..	३	२
१९४५	..	..	१	..
१९४६	..	..	..	..
१९४७	..	..	३०	१७
१९४८	..	..	९	१८
१९४९	..	..	१	५३
१९५०		..	..	११
१९५१	..	..	..	१
१९५२	..	..	..	१४
१९५३	..	..	..	२
		योग	५६	११८

इसके अतिरिक्त २ जुडीशियल अफसर अस्थायी मुंसिफ हैं पर उनका 'लीएन' जुडीशियल अफसर के २ स्थायी पदों पर है।

नत्थी 'ग'

(देखिये १७ जुलाई, १९५३ के स्थगित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९८ पर)

रजिस्टर्ड नं० ए-३८०

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

अ सा धा र ण

लखनऊ, गुरुवार, ३० अक्तूबर, सन् १९५२ ई०

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका विभाग

संख्या यू० ओ०-७१८/१७

लखनऊ, ३० अक्तूबर, १९५२ ई०

विज्ञप्ति

विविध

उत्तर प्रदेश राज भाषा अधिनियम, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम २६, १९५१) की धारा २ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के गवर्नर १ नवम्बर, १९५२ को ऐसा दिनांक नियत करते हैं जब से देवनागरी लिपि में हिन्दी निम्नलिखित के लिये उपयुक्त की जायगी :—

(१) भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के अधीन प्रचारित अध्यादेश, और

(२) भारत के संविधान अथवा संसद या राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाये गये किसी विधि (ला) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रचारित आज्ञा, नियम, विनियम तथा उपनियम।

आज्ञा से,

रणधीर सिंह,

सचिव।

नत्थी 'घ'

(देखिये २४ दिसम्बर, १९५३ के तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ट ३०७ पर)

३० अप्रल, १९५३ तक

क्रम-संख्या	जिले				व्यक्तियों की संख्या
१	देहरादून	..	..	..	५६,४२०
२	सहारनपुर	..	..	..	५७,६८९
३	मुजफ्फरनगर	..	..	..	१५,२७१
४	मेरठ	..	..	..	३४,०३२
५	अलीगढ़	..	..	..	६ ४६०
६	बुलन्द शहर	..	..	..	११,३०१
७	मथुरा	..	..	..	१३,४९५
८	आगरा	..	..	..	३२,९९८
९	मैनपुरी	..	..	..	३,०१०
१०	एटा	..	..	..	१,५१५
११	बरेली	..	..	..	१६,३७४
१२	बिजनौर	..	..	..	५,८१३
१३	बदायूं	..	..	..	४,४६६
१४	मुरादाबाद	..	..	..	२४,१५६
१५	रामपुर ..	..	..	..	४,०९०
१६	शाहजहांपुर	..	..	..	३,८३०
१७	फर्रुखाबाद	..	..	..	१,५६५
१८	पीलीभीत	..	..	..	१,६३३
१९	इटावा	..	..	..	१,७४२
२०	कानपुर	..	..	..	२७,२८६
२१	फतेहपुर	..	..	..	२४१
२२	इलाहाबाद	..	..	..	११,२५०
२३	बांदा	..	..	..	३९२
२४	हमीरपुर	..	..	..	४९५
२५	झांसी	..	..	..	६,४१३
२६	जालौन	..	..	..	१,५९८
२७	बनारस	..	..	..	१०७०४
२८	मिर्जापुर	..	..	..	१,४०४
२९	जौनपुर	..	..	..	६१३
३०	गाजीपुर	..	..	..	२६१
३१	बलिया	..	..	..	३७०
३२	गोरखपुर	..	..	..	४,४६७
३३	बस्ती	..	..	..	८३३
३४	आजमगढ़	..	..	..	५२०
३५	देवरिया	..	..	..	६१०
३६	नैनीताल	..	..	..	१३,०८४

क्रम-संख्या	जिले			व्यक्तियों की संख्या
३७	अल्मोड़ा	..	..	२६१
३८	गढ़वाल	..	..	४१६
३९	टिहरी-गढ़वाल	..	..	३०२
४०	लखनऊ	..	..	४२,३९७
४१	उन्नाव	..	..	१,१७२
४२	रायबरेली	..	..	१,२६०
४३	सीतापुर	..	..	१,८८८
४४	हरदोई	..	..	८२१
४५	खीरी	..	..	१,३८८
४६	फैजाबाद	..	..	४,८१८
४७	गोंडा	..	..	१,३७३
४८	बहराइच	..	..	४८६
४९	सुल्तानपुर	..	..	६९३
५०	प्रतापगढ़	..	..	३८२
५१	बाराबंकी	..	..	१,०९४
	योग	..		४,३५,१८२

नत्थी 'ङ'

(देखिये २४ दिसम्बर, १९५३ के तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१२ पर)

औद्योगिक शिक्षालय योजना

जिले के अनुसार औद्योगिक शिक्षालयों की तालिका जैसी कि सितम्बर, १९५३ के अन्त में थी।

क्रम-संख्या	जिला	स्थिति	कला
१	आगरा ..	१—गोकुलपुरा	पार्थ कला
		२—मनटोला	चर्म कला
२	अलीगढ़ ..	३—हाथरस	चाकू बनाना
३	इलाहाबाद ..	४—इलाहाबाद	टोकरी बनाना
		५—सुलम सराय	बढ़ई गीरी
		६—सिरसा	चमड़ा पकाना
४	अल्मोड़ा ..	७—चौरा	बुनाई
		८—अल्मोड़ा	कालीन बनाना
		९—अल्मोड़ा	सिलाई
		१०—अल्मोड़ा	लोहारगीरी
		११—लोहाघाट	चमड़ा पकाना
		१२—पिथौरागढ़	चर्म कला
		१३—लोहाघाट	चर्म कला
		१४—बागेश्वर	सिलाई
		१५—द्वार हाट	लोहारगीरी
		१६—डीडहाट	बुनाई
५	आजमगढ़	१७—घोसी	बढ़ईगीरी
		१८—दोहरीघाट	लोहारगीरी
		१९—आजमगढ़	बढ़ईगीरी
		२०—निजामाबाद	बर्तन बनाना
६	बदायूं ..	२१—शेखूपुर	बढ़ईगीरी
		२२—बदायूं	कागज कूट कर वस्तु बनाना
७	बहराइच	२३—बहराइच	दरी बुनना
		२४—मिहीपुरवा	टोकरी बनाना
		२५—बहराइच	सिलाई व कढ़ाई बुनाई
		२६—बहराइच	बढ़ईगीरी
८	बलिया ..	२७—रसरा	बढ़ई व लोहारगीरी
		२८—रसरा	बर्तन बनाना
९	बनारस ..	२९—शिवपुर	सिलाई
		३०—खोजवा	खिलौने बनाना
		३१—सेवापुरी	बढ़ईगीरी

क्रम-संख्या	जिला		स्थिति	कला
			३२—सेवापुरी	साबुन बनाना
			३३—लहरतारा	चर्म कला
१०	बांदा	..	३४—करवी	चमड़ा पकाना
११	बाराबंकी	..	३५—हड़हा	बढ़ई व लोहारगीरी
			३६—फतेहपुर	कालीन बुनना
१२	बरेली		३७—बरेली	दरी बुनना
१३	बस्ती	..	३८—बस्ती	चर्म कला
			३९—भटहट	चर्म कला
			४०—पुरैना	बुनाई
			४१—हरैइया	सिलाई
१४	बिजनौर	..	४२—बालावली	बढ़ईगीरी
			४३—नजीबाबाद	सिलाई
			४४—नगीना	चर्म कला
			४५—शिवहारा	बुनाई
			४६—जैत्रा	चमड़ा पकाना
			४७—भोजपुर	चमड़ा पकाना
१५	देहरादून	..	४८—चकराता	बढ़ईगीरी
			४९—चकराता	बुनाई
			५०—मसूरी	छड़ी बनाना
			५१—प्रेमनगर	बढ़ईगीरी व पेंसिल बनाना
			५२—प्रेम नगर	सिलाई
			५३—प्रेमनगर	कढ़ाई-बुनाई
१६	देवरिया	..	५४—कसया	कम्बल बुनना
			५५—बरहज	बढ़ईगीरी
			५६—बरहज	चमड़ा पकाना
१७	एटा	..	५७—गंजडुन्डवारा	बुनाई
			५८—कासगंज	रंगाई छपाई
१८	इटावा	..	५९—औरैइया	सिलाई
			६०—नगला सुभान	चमड़ा पकाना
			६१—विधुना	चर्म कला
१९	फर्रुखाबाद	..	६२—फर्रुखाबाद	रंगाई छपाई
			६३—कायमगंज	चाकू बनाना
			६४—कायमगंज	बढ़ईगीरी
			६५—छिबरामऊ	चर्म कला
			६६—रजला मई	चमड़ा पकाना
२०	फतेहपुर	..	६७—फतेहपुर	साबुन बनाना
२१	फैजाबाद		६८—अकबरपुर	सिलाई

क्रम-संख्या	जिला	स्थिति	कला
२२	गाजीपुर	६९—मुहमदाबाद	बढ़ईगीरी
२३	गोरखपुर	७०—बृजमनगंज	बढ़ईगीरी
		७१—जफ़राबाजार	कम्बल बनाना
२४	गोन्डा ..	७२—बलरामपुर	टोकरी बनाना
२५	जालौन ..	७३—कालपी	हाथ से काग़ज बनाना
२६	जौनपुर ..	७४—मियांपुर	चर्म कला
२७	झांसी ..	७५—ललितपुर	बढ़ईगीरी
		७६—ललितपुर	लोहारगीरी
२८	कानपुर ..	७७—बाबूपुरवा	रंगाई छपाई व दरी बुनाई
		७८—मूसानगर	लोहारगीरी
		७९—गोविन्दनगर	बढ़ईगीरी
		८०—गोविन्दनगर	सिलाई
		८१—बिल्हौर	सिलाई
		८२—पुखरायां	चर्म कला
		८३—पुखरायां	चमड़ा पकाना
		८४—कंधा	चमड़ा पकाना
२९	लखीमपुर खेरी..	८५—गोला	बढ़ईगीरी
३०	लखनऊ ..	८६—डालीगंज	लोहारगीरी
		८७—डालीगंज	जरी
		८८—डालीगंज	सिलाई, स्त्री
		८९—डालीगंज	सिलाई, पुरुष
		९०—डालीगंज	कढ़ाई-बुनाई
		९१—मवैइया	लकड़ी के खिलौने बनान
		९२—आर्ट्स स्कूल, लखनऊ	काग़ज कूट कर वस्तु बनाना
		९३—अमेठी	चर्म कला
३१	मथुरा	९४—अरोठा	चमड़ा पकाना
३२	मिर्जापुर ..	९५—बसही	कम्बल बुनना
		९६—चुनार	बर्तन बनाना
		९७—दुद्धी	सिलाई
		९८—राबर्ट्सगंज	चर्म कला व चमड़ा पकाना
३३	मेरठ ..	९९—किठौर	सिलाई
		१००—किठौर	बर्तन बनाना
		१०१—डीलरी	बढ़ईगीरी
		१०२—मेरठ	हाकी बनाना
		१०३—गढ़मुक्तेश्वर	मोंढ़ा बनाना
		१०४—हस्तिनापुर	लोहारगीरी
		१०५—हस्तिनापुर	हैट बनाना

क्रम-संख्या	जिला	स्थिति	कला
		१०६—हस्तिनापुर	मून्ढा बनाना
		१०७—हस्तिनापुर	बढ़ईगीरी
		१०८—टटेरी	चमड़ा पकाना
३४	मुरादाबाद	१०९—अमरोहा	वुड लेकरिंग
३५	नैनीताल ..	११०—भीमताल	बुनाई
		१११—भीमताल	चमड़ा पकाना
		११२—भीमताल	चर्म कला
३६	पौरी गढ़वाल	११३—वम्पा	बुनाई
		११४—डुगड्डा	लोहारगीरी
		११५—डुगड्डा	बढ़ईगीरी
		११६—कोटद्वारा	चिक बनाना
		११७—माना	बुनाई
		११८—नन्द प्रयाग	कम्बल बुनना
		११९—बैरगना	टोकरी बनाना
३७	प्रतापगढ़	१२०—चिलबिला	टाट पट्टी
३८	रायबरेली	१२१—करमगंज	बुनाई
३९	रामपुर ..	१२२—रामपुर	बर्तन बनाना
		१२३—रामपुर	होजरी का सामान बनाना
		१२४—रामपुर	चर्म कला
४०	सहारनपुर ..	१२५—रुड़की	लोहारगीरी
		१२६—रुड़की	ड्राइंग व सर्वेइंग इन्स्ट्रूमेंट बनाना
		१२७—ज्वालापुर	चमड़ा पकाना
		१२८—सठेरी	चमड़ा पकाना
४१	टेहरी ..	१२९—टेहरी	बुनाई व रंगाई छपाई
		१३०—टेहरी	लोहारगीरी

नत्थी 'च'

(देखिये २४ दिसम्बर, १९५३ के तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१४ पर)

विकास कार्यों की विवरणात्मक तालिका

१—कृषि—

(अ) सिंचाई (व्यक्तिगत ट्यूबवेल)

ऐसा अनुमान है कि जिले में २४ व्यक्तिगत ट्यूबवेल लगाये जायंगे जिनमें से ४ इस क्षेत्र में बनेंगे। कर्जा देने के लिये तकावी का प्रबन्ध किया जायेगा।

सिंचाई के कुएं—

जिले में १,००० कुयें स्वीकृत हुये हैं उसमें से १०० कुयें इस क्षेत्र में पड़ेंगे। यदि पुनः सहायक योजना के अन्तर्गत १,००० कुयें की योजना प्रत्येक वर्ष कार्यान्वित की जाय तो २५० कुयें इस क्षेत्र में आ जायंगे। ३० टूटे फूटे कुओं का जीर्णोद्धार किया जायेगा किन्तु कोई सहायता नहीं दी जायेगी केवल सामान उपलब्ध करने की व्यवस्था की जायेगी, ५० कुओं में बोरिंग की जायेगी और इस क्षेत्र में १२ रहट (Persian wheel) तथा ४५ पंपिंग सेट लगाने की योजना है। ४० तालाब गहरे किये जायंगे। बोरिंग, रहट व पंपिंग सेट के लिये कोई सहायता नहीं दी जायेगी। इस क्षेत्र में ९० कठकुइयां का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिये तकावी का प्रबन्ध किया जायगा।

(ब) उन्नत बीज का प्रबन्ध—

योजना काल में शत प्रतिशत गेहूं, जौ, चना तथा मटर के उन्नत बीजों का प्रबन्ध किया जायगा, धान में ५० प्रतिशत को कार्यान्वित किया जा सकता है क्योंकि आधी भूमि उन्नत बीज के योग्य नहीं है। इस क्षेत्र में फरन्दरपुर में एक बीज गोदाम खोला जायगा।

(स) खाद—

१—वर्ष १९५६ तक इस क्षेत्र में २६,६०० खाद के गड्ढे बनाये जायंगे तथा १३३५ टन अमोनियम सल्फेट की बिक्री भी की जायेगी। १,५०० एकड़ में हरी खाद का प्रयोग करने की योजना है।

(द) उन्नत कृषि यन्त्र—

इस क्षेत्र में निम्नलिखित संख्या में यंत्र विक्रय किये जायेंगे :—

मेस्टन हल	..	..	६९०
सीड ड्रिल	..	..	१२
हैन्ट हो	..	..	३७५
कल्टीवेटर	..	..	९०
अल्पाड थ्रेशर	..	..	४०
थ्रेसिंग रेक	..	..	६६०
ट्रेंगुलर हैरो	..	..	६५
अकोला हो	..	..	२२
डनलप बैलगाड़ी	..	..	१६
चारा काटने की मशीन	..	..	१०

इन उन्नत यंत्रों का प्रबन्ध और विक्रय सहकारी बीज गोदामों द्वारा किया जायेगा।

(क) कृषि रक्षा—

इस क्षेत्र के प्रत्येक बीज गोदाम पर झाड़न, दवा छिड़कने का यंत्र तथा औषधियों का प्रबन्ध फसल की सुरक्षा के लिये किया जायेगा।

(ख) बागवानी—

वर्ष १९५६ तक इस क्षेत्र में १५ एकड़ नये बाग़ लगाने की योजना है। ८ एकड़ पुराने बागों का जीर्णोद्धार किया जायगा। ३,३३० फलदार तथा २,१०० अन्य प्रकार के वृक्ष लगाये जायंगे। सड़कों के किनारे ३ मील वृक्षारोपण किया जायेगा। ८० एकड़ में तरकारी बोई जायगी ४० पौन्ड बीज वितरित किया जायगा।

(ग) फसल प्रतियोगिता—

इस क्षेत्र में गांव सभा स्तर पर २,७५० तहसील स्तर पर २८ तथा जिला स्तर पर ८ प्रतियोगी बनाने की योजना है।

२—पशु-पालन—

(१) जानवरों को बधिया करना

इस क्षेत्र में १५०० जानवरों को बधिया करने की योजना है। १०,००० एच० एस० तथा १३,५०० आर० पी० के टीके इस क्षेत्र में लगाये जायंगे।

(२) निम्नलिखित संख्या में पशु वितरित किये जायंगे:—

१—सांड	..	१८	
२—भैंस मुर्रा	..	१२	
३—बकरे	..	१०	
४—सुअर	..	३	
५—मुर्गे व मुर्गियां	..	३०	(बांटी जायगी)

३—शिक्षा—

(१) प्राइमरी स्कूल—इस क्षेत्र में ३ प्राइमरी स्कूलों की इ

४—सार्वजनिक निर्माण—

(१) सड़क निर्माण—वर्ष १९५६ तक इस क्षेत्र में १ जीर्णोद्धार किया जायगा तथा २५ पुलियों का निर्माण भी होगा।

५—जन-स्वास्थ्य—

समस्त कुओं में पोटास अथवा ब्लीचिंग पाउडर डालव योजना काल में इस क्षेत्र में समस्त शिशुओं को चेचक के टी

सहकारिता—योजना काल में इस क्षेत्र में ७५ नई समितियां

हरिजन उत्थान—इस तहसील में हरिजनों को गृह उद्योग ७,००० रु० इस तहसील के हरिजनों के गृह निर्माण पर तथ लगवाने में व्यय किया जायेगा जिनमें से लगभग ४,०० के गृह निर्माण पर व्यय किया जायेगा।

गृह उद्योग—(१) गुड़ भट्ठी और कोल्हू—

इस क्षेत्र में लगभग २०० सुलतान कोल्हू तथा इत की जायंगी। और बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में ३०० चर्खे वितरित

नत्थी 'छ'

(देखिये २४ दिसम्बर, १९५३ के तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१४ पर)

व्यक्ति का नाम		व्यवसाय
१—श्री बाल किशोर	..	छापेखाने के यंत्रों के बनाने के लिये।
२—श्री राधाकृष्ण	..	चूना बनाने के लिए।
३—श्री उत्तम सिंह	..	लकड़ी का सामान बनाने के लिए।
४—श्री सरदारी लाल	..	सूटकेस, ताले, क्लिप, हैंन्डिल इत्यादि के लिए
५—श्री जी० एल० मलहोत्रा	..	पेट्रोल टंकी के लिये।
६—श्री बी० एल० धवन	..	बिजली के आरे से लकड़ी काटने के लिए।
७—श्री वीरेन्द्र	..	टाइपराइटर के अतिरिक्त भागबनाने के लिए।
८—श्री प्रेमनाथ	..	धातु के काम के लिए।
९—श्री श्याम लाल दर	..	जूते बनाने तथा मरम्मत के लिए।
१०—श्री तेजभान बली	..	मुद्रणालय के लिए।
११—सर्वश्री सचूमल भगवानदास	..	चूना तथा लकड़ी के काम के लिए।
१२—श्री जी० पी० अग्रवाल	..	दुग्धशाला के लिए।
१३—सर्वश्री लिपटन लिमिटेड	..	चाय के बंडल बनाने के लिए।
१४—श्री प्यारेलाल	..	खराद की मशीन के लिए।
१५—श्री सत्यपाल धीर	..	दवा के लिए।
१६—श्री जी० पी० शर्मा	..	लोहा तथा लकड़ी के काम के लिए।
१७—श्री किशन दास	..	पत्थर पीसने के लिए।
१८—श्री राम प्रसाद अग्रवाल	..	दाल, चावल, तेल और आटा चक्की के लिए।
१९—श्री कुन्दनलाल सहगल	..	बर्फ बनाने का कारखाना, दाल, आटा, चक्की तथा सोडावाटर इत्यादि के लिए।
२०—श्री रामसरन दास	..	यंत्रों की मरम्मत के लिए।
२१—श्री मान सिंह	..	डाक्टरी के औजारों तथा ताले बनाने के लिए।
२२—सर्वश्री भगवानदास हरीशचन्द्र	..	कृषि यंत्रों के लिए।
२३—श्री यमुनाधर ज्योतिषी	..	औषधि बनाने के लिए।
२४—श्री मंगलसेन नारंग	..	चाकू बनाने के लिए।
२५—सर्वश्री प्रकाश बिजली कम्पनी	..	बिजली के काम के लिए।
२६—सर्वश्री सुरेन्द्र वर्मा ओंकार वर्मा	..	कुक्कुट पालन के लिए।
२७—श्री मनोहर लाल भाटिया	..	प्लास्टिक के सामान बनाने के लिए।
२८—श्री राजेन्द्र प्रकाश भाटिया	..	लकड़ी के काम के लिए।
२९—सर्वश्री जगदीश चन्द्र प्रेमनाथ	..	दुग्धशाला के लिए।
३०—श्री मेउमल	..	मुद्रणालय के लिए।
३१—श्री घनश्यामदास	..	रोशनाई बनाने के लिए।
३२—श्री भगवानदास बोहरा	..	तेल के कारखाना इत्यादि के लिए।

नत्थी 'जं'

(देखिये २४ दिसम्बर, १६५३ के तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१५ पर)

१६५२-५३ सीजन

क्रम-संख्या	मिल का नाम	बन्द होने की तारीख	क्रम-संख्या	मिल का नाम	बन्द होने की तारीख
१	बेगमाबाद	६-३-५३	३४	बिस्वां	१२-४-५३
२	मोहिनुद्दीनपुर	२१-३-५३	३५	बुढ़वल	१६-४-५३
३	मलियाना	१५-३-५३	३६	बाराबंकी	२८-४-५३
४	सिम्भौली	२२-३-५३	३७	मसोधा	१६-३-५३
५	डौराला	१८-३-५३	३८	शाहगंज	२७-३-५३
६	मवाना	२३-३-५३	३९	हरदोई	२१-३-५३
७	सकोती टांडा	२०-३-५३	४०	नवाबगंज	११-४-५३
८	शाम्ली	२१-४-५३	४१	बलरामपुर	२६-४-५३
९	खतौली	२७-३-५३	४२	तुलसीपुर	१७-५-५३
१०	रोहना	३०-३-५३	४३	बभनान	६-५-५३
११	मुन्सुरपुर	३-४-५३	४४	खलीलाबाद	१०-४-५३
१२	सहारनपुर	३०-४-५३	४५	मुंडेरवा	१०-४-५३
१३	लश्कर	१८-५-५३	४६	बस्ती	२४-४-५३
१४	देवबन्द	१८-४-५३	४७	वाल्टरगंज	२७-४-५३
१५	डोइवाला	३१-५-५३	४८	जरवल रोड	४-४-५३
१६	बरेली	२७-४-५३	४९	सिसवाबाजार	२०-५-५३
१७	बहेड़ी	१५-५-५३	५०	आनन्द नगर	२४-५-५३
१८	बिलाड़ी	२१-३-५३	५१	घुघली	१८-५-५३
१९	अमरोहा	१४-४-५३	५२	पिपराइच	१८-५-५३
२०	बिजनौर	६-५-५३	५३	सरदारनगर	४-५-५३
२१	धामपुर	७-५-५३	५४	छितौनी	२६-४-५३
२२	सिवहारा	१३-५-५३	५५	खड्डा	२३-५-५३
२३	काशीपुर	२१-५-५३	५६	कप्टिनगंज	१०-५-५३
२४	गोकुलनगर	१६-५-५३	५७	लक्ष्मीगंज	७-५-५३
२५	पीलीभीत	६-५-५३	५८	पडरौना	११-४-५३
२६	रजा	६-५-५३	५९	सिवराही	७-४-५३
२७	बुलन्द	१०-५-५३	६०	रामकोला (के०)	२१-४-५३
२८	रोजा	१४-४-५३	६१	रामकोला (पी०)	२२-४-५३
२९	नेवली	३०-४-५३	६२	कठकुइंया	२६-४-५३
३०	गोला	२-६-५३	६३	देवरिया (पी०)	१६-४-५३
३१	अयरा	३०-४-५३	६४	गौरी बाजार	२५-४-५३
३२	हरगांव	१७-५-५३	६५	बैतालपुर	२६-४-५३
३३	महोली	१६-४-५३	६६	परताबपुर	४-४-५३

नत्थी 'क्ष'

(देखिये २४ दिसम्बर, १७५३ के तारांकित प्रश्न ५५ का उत्तर पिछले पृष्ठ ३१७ पर)

क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट के इन्वेस्टीगेशन ब्रान्च के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या की तालिका

सुपरिन्टेंडेंट पुलिस	डिप्टी सु० पुलिस	पुलिस इन्सपेक्टर	पब्लिक प्रासीक्यूटर	पुलिस सबइन्सपेक्टर	हैड कान्सटेबिल सी० पी०	कान्सटेबिल सी०पी०	कान्सटेबिल ड्राइवर	कान्सटेबिल ए० पी०	हैड क्लर्क	एकाउन्टेंट	असिस्टेंट सीनियर स्केल	असिस्टेंट जूनियर स्केल	असिस्टेंट एकाउन्टेंट जूनियर स्केल	स्टेनोग्राफर	मुनीम	पर्सनल आर्डरली पियुन	दफ्तरी	आफिस आर्डरली पियुन	स्वीपर्स	फर्रास
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१
२	१०	३१	११	१२	८	५०	११	१२	२	१	६	७	१	२	३	६२	१	३	१	१

नत्थी 'ञ'

(देखिये २४ दिसम्बर, १९५३ के तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१९ पर)

माडल उद्योगशाला हायर सेकेंडरी स्कूल, गोविन्दनगर, कानपुर के उन शरणार्थी छात्रों की सूची जिनको सन् १९५१–५२ में निःशुल्क सहायता दी गई—

क्रम-संख्या	छात्र का नाम	निःशुल्क सहायता का धन
१	२	३
	कक्षा १	
		रु०
१	तारा	१५
२	कमलेश कुमारी	१५
३	राज	१५
४	विमला देवी	१५
५	विमला कुमारी	१५
६	रमेश कुमारी	१५
७	कैलाश कुमारी	१५
८	अशोक कुमार	१५
९	सन्तोष कुमारी	१५
१०	उषन कुमारी	१५
११	मोहन लाल	१५
१२	कौशल्यादेवी	१५
१३	कृषना	१५
१४	अरजना बाई	१५
१५	रपुन लता	१५
१६	कमलेश कुमारी	१५
१७	जनक दुलारी	१५
१८	मोहिनी	१५
१९	माया	१५
२०	मोहन	१५
२१	हीरा	१५
२२	खेमचन्द	१५
२३	बाबू राम	१५
२४	जवाहरलाल	१५
२५	भजन कौर	१५
२६	चन्दर रानी	१५
२७	ऊषा	१५
२८	निर्मला	१५
२९	सुदेश कुमारी	१५
३०	उर्मिला कुमारी	१५
३१	इन्द्रा	१५
३२	कृषना देवी	१[illegible]
३३	शान्ता कौर	

क्रम-संख्या	छात्र का नाम			निःशुल्क सहायता का धन
१	२			३
				रु०
३४	मोहनलाल	..	..	१५
३५	शैमल	..	..	१५
३६	सुन्दर	..	..	१५
३७	रमेश रानी	..	..	१५
३८	गुल भूषन कुमार	..	..	१५
३९	शम्भू	..	..	१५
४०	ज्ञानी बाई	..	..	१५
४१	सुदर्शन कुमारी	..	..	१५
४२	लीला	..	..	१५
४३	प्रेम कुमार	..	..	१५
४४	गुरमुख	..	..	१५
४५	सुरेश कुमार	..	..	१५
४६	सुरेन्द्र मोहन	..	..	१५
४७	वीरकौर	..	..	१५
४८	बाल	..	..	१५
४९	जोगेन्दर कुमार	..	..	१५
५०	राजकुमारी	..	..	१५
५१	स्वदेश कुमारी	..	..	१५
५२	भागी बाई	..		११ रु० ४ आना (नौ मास के लिये)
५३	इंजना	..	..	११ रु० ४ आ० (नौ मास के लिये)
		योग	..	७८७ रु० ८ आ०

कक्षा २

				रु०
१	चंचल कुमारी	..	..	१८
२	शांती देवी	..	..	१८
३	सोबरन लाल उर्फ मौरहे	..	..	१८
४	दाली	..	..	१८
५	दया	..	..	१८
६	कृष्णा कुमारी	..	..	१८
७	विमला	..	..	१८
८	निर्मला कुमारी		..	१८
९	सरस्वती	..	..	१८
१०	कमला कुमारी	..	..	१८
११	राज कुमारी		..	१८
१२	मुन्नी देवी	..	..	१८
१३	जीत	..	..	१९
१४	खेम चन्द	..	..	१८
१५	शीला	..	..	१८

क्रम संख्या	छात्र का नाम		निःशुल्क सहायता का धन
१	२		३
			रु०
१६	लक्ष्मन	..	१८
१७	मुरलीमनोहर	..	१८
१८	गुलशनबीर	..	१८
१९	कमलेश कुमारी	..	१८
२०	शकुन्तला	..	१८
२१	कैलाश	..	१८
२२	फूल राम	..	१८
२३	राम प्रसाद	..	१८
२४	घनश्याम दास	..	१८
२५	चमन लाल	..	१८
२६	सुन्द्र कौररे	..	१८
२७	लक्ष्मन बाई	..	१८
२८	हीरामल	..	१८
		कुल	५०४ रु०

कक्षा ३

१	रामकृष्ण		१८
२	रोशन लाल	..	१८
३	ज्ञान कुमार	..	१८
४	जगदीश चन्द्र	..	१८
५	उमा शेष	..	१८
६	लाल मनी	..	१८
७	भगवन्ती	..	१८
८	शांती देवी	..	१८
९	चम्पा देवी	..	१८
१०	गजेन्द्र पाल	..	१८
११	उर्मिला देवी	..	१८
१२	भेरू	..	१८
१३	संतोष कुमारी	..	१८
१४	परवीन कौर	..	१८
१५	मेरूमल	..	१८
१६	अर्जुन लाल	..	१८
१७	पुष्पा देवी	..	१८
१८	तुलसी दास	..	१८
१९	कृष्णा लाल	..	१८
२०	प्रताप सिंह	..	१८
२१	दौलत राम	..	१८
२२	राज रानी	..	१८

क्रम-संख्या	छात्र का नाम		निःशुल्क सहायता का धन
१	२		३
			रु०
२३	कृष्णा कुमारी	..	१८
२४	निर्मला कुमारी	..	१८
२५	दर्शन कुमारी	..	१८
२६	सुरेंद्र कौर	..	१८
२७	तुलसी दास	..	१८
२८	हीरा नन्द	..	१८
२९	विमला देवी	..	१८
३०	सरन सिंह	..	१८
३१	सुदेश	..	१८
३२	शांती देवी	..	१८
३३	लाल चन्दा	..	१८
३४	अशोक कुमार	..	१८
३५	उनवर दास	..	१८
३६	कमलेश	..	१८
३७	अमृत कौर	..	१८
३८	नानक कौर	..	१८
३९	हरी	..	१८
४०	नन्दलाल	..	१८
४१	उमा शशी	..	१८
४२	विशम्भर लाल	..	१८
४३	संतोष कुमारी	..	१८
४४	सुरेन्द्र कुमारी	..	१८
४५	संतोष कुमारी	..	१८
४६	बेन्टा कौर	..	१८
४७	दरियाना	..	१८
४८	सुनदेरना कुमारी	..	१८
४९	विमला देवी	..	१८
५०	सुबाश चन्द्र	..	१८
५१	निर्मला कुमारी	..	१८
५२			१८
		कुल	९३६ रु०

कक्षा ४

			रु०
१	दर्शन कुमारी	..	१८
२	संतोष कुमारी	..	१८
३	राधा रानी	..	१८
४	प्रेम कुमारी	..	१८
५	कृष्ण कान्ता	..	१८

क्रम-संख्या	छात्र का नाम		निःशुल्क सहायता का धन
१	२		३
			रु०
६	पुष्पा रानी	..	१८
७	नरेन्द्रा	..	१८
८	कृष्ण गुपाल	..	१८
९	सुशीला	..	१८
१०	सोन राज	..	१८
११	राज कुमारी	..	१८
१२	कौशल्या देवी	..	१८
१३	भगवन्त कौर	..	१८
१४	कमलेश कुमारी	..	१८
१५	शोभावन्ती	..	१८
१६	उर्मिला कुमारी	..	१८
१७	सरला कुमारी	..	१८
१८	महेन्द्रा कौर	..	१८
१९	भगवन्त कौर		१८
२०	सुमित्रा रानी	..	१८
२१	संतोष कुमारी	..	१८
२२	गुरदेवी	..	१८
२३	ओम कुमारी	..	१८
२४	शाहनी देवी	..	१८
२५	कृष्णा	..	१८
२६	गोविन्द राम	..	१८
२७	लक्षमन दास	..	१८
२८	गोविन्द राम	..	१८
२९	मोहन मूर्ति	..	१८
३०	गोपाल कृष्ण	..	१८
३१	गंगा देवी	.. (८ मास के लिये)	१२
३२	चन्द्रा कांता	.. (८ मास के लिये)	१२
३३	शोभा देवी	..	१८
३४	कृष्णा	..	१८
३५	सरजीत कुमार	..	१८
३७	विमला कुमारी	..	१८
		कुल	६३६ ०

कक्षा ५

१	गुरदीप कौर	..	३६
२	राजकुमारी	..	३६
३	हरीश चन्द्रा	..	३६
४	महेन्द्र कौर	..	३६
५	वृजलाल	..	३६

क्रम संख्या	छात्र का नाम		निःशुल्क सहायता का धन
१	२		३
			रु०
६	गुरमुख लाल	..	३६
७	सतीश चन्द्र	..	३६
८	जगदीश सिंह	..	३६
९	नन्द लाल	..	३६
१०	धारूमल	..	३६
११	सुरेन्द्र नाथ	..	३६
१२	सत्य पाल	..	३६
१३	जय कृष्णा	..	३६
१४	खैराती लाल		३६
१५	टीकम चन्द्र	..	३६
१६	प्रीतम सिंह	..	३६
१७	गिरधारी लाल	..	३६
१८	शंकर सरन कोहली	..	३६
१९	मधुमती	..	३६
२०	विमला कुमारी	..	३६
२१	जगेन्द्र पाल	..	३६
२२	वेद प्रकाश	..	३६
२३	मदन लाल	..	३६
२४	तेजू मल	..	३६
२५	तोही कौर	..	३६
२६	रेवा चन्द	..	३६
२७	गोपी चन्द	..	३६
२८	अमर नाथ	..	३६
२९	राज कुमार	..	३६
३०	विमला देवी	..	३६
३१	देवी	..	३६
३२	शांती देवी	..	३६
३३	यशोदा	..	३६
३४	विमला देवी	..	३६
३५	सरस्वती	..	३६
३६	मेन्द्री कौर	..	३६
३७	चन्द्र मोहन	..	३६
		कुल	१३३२ रु०

कक्षा ६

१	राम प्यारी	..	३६
२	राज रानी	..	३६
३	लाल चंद	..	३६
४	विश्व मित्रा		३६

क्रम-संख्या	छात्र का नाम		निःशुल्क सहायता का धन
१	२		३
			रु०
५	रमेश	..	३६
६	हीरा नन्द	..	३६
७	महेन्द्र पाल	..	३६
८	राम चन्द्र	..	३६
६	बासू देव	..	३६
१०	रामचन्द्र २	..	३६
११	निरमल कुमारी	..	३६
१२	चन्द्र मोहनी	..	३६
१३	कान्ता देवी	..	३६
१४	प्रेम कुमारी	..	३६
१५	प्रेम कौर	..	३६
१६	शांती देवी	..	३६
१७	माया कुमारी	..	३६
१८	भगवती	..	३६
१६	शीला कुमारी	..	३६
२०	प्रेम चन्द्र	..	३६
२१	तीर्थ राम	..	३६
२२	केशव दास	..	३६
२३	हरजीत सिंह	..	३६
२४	श्री दयाल	..	३६
२५	खेम चन्द्र	..	३६
२६	कुन्दन लाल	..	३६
२७	सुख देव	..	३६
		कुल	६७२ रु०

कक्षा ७

१	प्रमोद कुमारी	..	५४
२	भजन कुमारी	..	५४
३	चन्द्रा कांता	..	५४
४	सुदर्शन कुमारी	..	५४
५	राज कुमारी	..	५४
६	विद्यावती	..	५४
७	सुन्दर दास	..	५४
८	जय चन्द	..	५४
६	मंगत राम	..	५४
१०	अमीर चन्द	..	५४
११	बासु देव	..	५४
१२	गुर सरन दास	..	५४
१३	सेन दास	..	५४

क्रम सख्या	छात्र का नाम		निःशुल्क सहायता का धन
१	२		३
			रु०
१४	प्रेम सागर	..	५४
१५	करतार सिंह	..	५४
१६	बास देव	..	५४
१७	तलसी दास	..	५४
		कुल	९१८ रु०

कक्षा ८

१	सीता देवी	..	५४
२	जीत कौर	..	५४
३	चम्पा देवी	..	५४
४	सत्या देवी	..	५४
५	अमृत कौर	..	५४
६	अजीत कौर	..	५४
७	उर्मिला देवी	..	५४
८	शुषमा कुमारी	..	५४
९	कमलेश कुमारी	..	५४
१०	पर्मिला देवी	..	५४
११	राजकुमारी	..	५४
१२	कौशल्या	..	५४
१३	प्रेम चन्द्र	..	५४
१४	मोतिया	..	५४
१५	राज कुमारी	..	५४
१६	गुरदासव	..	५४
१७	ठाकुरदास	..	५४
१८	गीता कुमारी	..	५४
१९	मुल्क राज	..	५४
२०	कृष्णा कुमारी	..	५४
		कुल	१,०८० रु०

नत्थी 'ट'

(देखिये २४ दिसम्बर, १९५३ के अतारांकित प्रश्न ३ व ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२१ पर।)

(अ) मनोरंजन कर की दर

	१९४६–४७	१९५१–५२
दो आना से कम तक	०	०
*दो आना पर	६ पाई	एक आना
दो आने से अधिक और तीन आने तक ..	६ पाई	एक आना
तीन आने से अधिक और चार आने तक ..	एक आना	एक आना छः पाई
चार आने से अधिक और आठ आने तक ..	दो आने	दो आने छः पाई
आठ आने से अधिक और एक रुपया तक	चार आने	पांच आने
एक रुपया से अधिक और दो रुपये तक ..	आठ आने	दस आने
दो रुपये से अधिक और तीन रुपये तक ..	बारह आने	एक रुपया
तीन रुपये से अधिक और चार रुपये तक ..	एक रुपया	एक रु० आठ आने
चार रुपये से अधिक और पांच रुपये तक ..	एक रुपया आठ आने	दो रु० चार आने
पांच रुपये से अधिक और छः रुपये आठ आने तक	दो रुपये	तीन रुपये
छः रुपये आठ आने से अधिक और दस रुपये तक	तीन रुपये	चार रु० आठ आने
प्रथम दस रुपये के बाद प्रति पांच रुपये या उसके भाग पर, प्रथम दस रुपये पर लगे हुये कर के अलावा	दो रुपये	तीन रुपये

(ब) कर से आय

	१९४६–४७	१९५१–५२
	रु०	रु०
मनोरंजन कर	२७,२२,१३७	८५,४६,७३२
बाजी लगाने का कर	४,४४,१३६	८,४९,२८७
योग ..	३१,६६,२७३	९३,९६,०१९

(स) सिनेमाओं की संख्या

१९४६–४७	१८४
१९५१–५२	३००

(द) मनोरंजन कर विभाग पर खर्च

	रुपया
१९४६–४७	२०,७२७
१९५१–५२	१,२०,९९६

*८ जून, १९४७ के पूर्व दो आने की दर पर छः पाई टैक्स लगता था। ८ जून, १९४७ से २८–१०–१९५२ तक दो आने का दर टैक्स से मुक्त था। २९ अक्तूबर, १९५२ से दो आने की दर पर एक आना टैक्स लगने लगा और अभी तक यही दर लागू है।

नत्थी 'ठ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३९४ पर।)

१९५३ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ का प्रथम पूरक) विधेयक

---

३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग (एप्रोप्रिएशन) का अधिकार दने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

यह उचित और आवश्यक है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम १९५३ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ का प्रथम पूरक) अधिनियम कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९५३-५४ के लिये २,७२,७८,८०० रु० का दिया जाना।

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में करने पड़ें, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जितना अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग २,७२,७८,८०० रु० (दो करोड़, बहत्तर लाख, अठहत्तर हजार, आठ सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग।

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन-जिन धनराशियो को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है उन-उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐन्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
	क—राजस्व लेखा (रेवेन्यू एकाउन्ट)—			
६	रजिस्टरी	१००	—	१००
९	राजस्व (रेवेन्यू) से किये जाने वाले सिंचाई (इरिगेशन) के निर्माण कार्य	१,४२,०००	—	१,४२,०००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐन्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
११	रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय	४००	..	४००
१२	सामान्य प्रशासन के कारण व्यय	३,००,०००	..	३,००,०००
१६	जेल	१००	..	१००
१७	पुलिस	१००	..	१००
१९	शिक्षा	३००	..	३००
२०	चिकित्सा (मेडिकल)	२००	..	२००
२१	जन-स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ)	२००	..	२००
२२	कृषि-सम्बन्धी विकास और खोज (एग्रिकल्चरल डेवलपमेंट ऐंड रिसर्च)	४००	..	४००
२३	कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन (एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ऐण्ड कालोनाइजेशन)	३००	..	३००
२५	पशु चिकित्सा (वेटेरिनरी)	४००	..	४००
२६	विद्युत् योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	१००	..	१००
२७	विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय	२००	..	२००
२८	सहकारिता के आधार पर ऋण	१००	..	१००
२९	उद्योग	४००	..	४००
३०	श्रम (लेबर) और संख्या	३००	..	३००
३२	सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	४९,९००	..	४९,९००
३४	सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थापना पर व्यय	१००	..	१००
३५	नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान (ग्रान्ट्स-इन-एड आफ सिविल वर्क्स)	१००	..	१००
३९	दुर्भिक्ष सहायता (फ़ेमिन रिलीफ)	४,००,०००	..	४,००,०००
४०	विविध व्यय (मिस्लेनियस चार्जेज)	२००	..	२००
४२	असाधारण व्यय (एक्स्ट्रा आर्डिनरी चार्जेज)	२००	..	२००
४३	योजना और एकीकरण	२४,९०,९००	..	२४,९०,९०
	योग 'क'	३३,८७,०००	—	३३,८७,०

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज और पर्पज़ेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
	ख---राजस्व लेखे के बाहर पूंजी व्यय---			
४४	राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउन्ट्स) के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का सम्पादन	१००	–	१००
४५	कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत (कैपिटल आउटले)	८३,३२,०००	–	८३,३२,०००
४७	राजस्व (रेवेन्यू) लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों (सिविल वर्क्स) पर लागत (आउटले)	३०,००,४००	–	३०,००,४००
४८	विद्युत् योजनाओं पर पूंजी की लागत	२००	–	२००
४९	कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों (गवर्नमेंट बस सर्विसेज), सहायता और पुनर्वासन (रिलीफ ऐन्ड रिहैबिलिटेशन) की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत	८,०६,०००	–	८,०६,०००
	योग 'ख'	१,२१,३८,७००	–	१,२१,३८,७००
	ग---ऋणों और अग्र ऋणों (लोन्स ऐन्ड ऐडवांसेज) का भुगतावा डिस्बर्समेंट---			
५२	ब्याज वाले ऋण और अग्र-ऋण (ऐडवांसेज)	१,१७,५३,१००	–	१,१७,५३,१००
	योग 'ग'	१,१७,५३,१००	–	१,१७,५३,१००
	कुल योग	२,७२,७८,८००	–	२,७२,७८,८००

उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद २०४ के साथ पठित अनुच्छेद २०५ के अनुसार विधान सभा द्वारा पूरक अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद राज्य के विधान मण्डल में एक विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

यह विधेयक इस बात की व्यवस्था करता है कि वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत पूरक अनुदानों तथा राज्य की संचित निधि पर भारित पूरक व्ययों के लिये जो धन अपेक्षित है, उसका विनियोग उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से हो सके।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम
वित्त मंत्री।

नत्थी 'ड'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३७० पर।)

उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, १९५३

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) ऐक्ट, सन् १९५० ई० को और आगे प्रचलित रखने के निमित्त उसमें संशोधन करने का — उत्तर प्रदेश ऐक्ट १४, १९५०।

विधेयक

उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) ऐक्ट, सन् १९५० ई० को उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने का) (संशोधन) अधिनियम, १९५२ ई० द्वारा जनवरी, १९५४ ई० तक जारी रखा गया था; — उत्तर प्रदेश ऐक्ट, ४, १९५३।

और यह आवश्यक है कि उक्त अधिनियम को ३१ जनवरी, १९५५ ई० तक प्रचलित रखने की व्यवस्था की जाय।

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (संशोधन) अधिनियम, १९५३ होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट १४, १९५० का प्रचलित रहना।

२—समय-समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) ऐक्ट, सन् १९५० ई० की धारा १ की उपधारा (४) में संख्या "१९५४" के स्थान पर संख्या "१९५५" रखी जाय।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) ऐक्ट, सन् १९५० ई० की अवधि ३१ जनवरी, १९५४ ई० को समाप्त हो जायगी। इस समय भी यह आवश्यक है कि आयात की जाने वाली आवश्यक औषधियों पर नियंत्रण रखा जाय। अतएव सरकार का यह विचार है कि उक्त ऐक्ट के उपबन्ध उसकी समाप्ति के दिनांक से एक वर्ष तक के लिये और जारी रखे जायं।

२—यह विधेयक उक्त उद्देश्य से प्रस्तुत किया जा रहा है।

चन्द्रभानु गुप्त,
अन्न तथा रसद मन्त्री।

नत्थी 'ढ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३७० पर ।)

यू० पी० स्टेट ट्यूब-वेल्स (संशोधन) विधेयक, १९५३

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।]

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी स्टेट ट्यूब-वेल्स ऐक्ट, १९३६ को संशोधित करने का

विधेयक

यहां पर आगे चल कर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० स्टेट ट्यूब-वेल्स ऐक्ट, १९३६ को संशोधित करना आवश्यक है,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्ष-नाम, प्रसार और प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम यू० पी० स्टेट ट्यूब-वेल्स (संशोधन) अधिनियम, १९५३ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट १२, १९३६ की धारा १ का संशोधन।

२—यू० पी० स्टेटट्यूब-वेल्स ऐक्ट, १९३६ (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १ में :

(१) उपधारा (२) में शब्द "subject to the provisions section 3" निकाल दिये जांय और सदा से निकाले हुये समझें जांय, और

(२) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और उसे सदा से रखा हुआ समझा जाय—

"(3) It shall come into force at once"

यू० पी० ऐक्ट १२, १९३६ की धारा ३ का हटाया जाना।

३—मूल अधिनियम की धारा ३ निकाल दी जाय और उसे सदा से निकाली हुई समझी जाय।

यू० पी० ऐक्ट १२, १९३६ की अनुसूची का संशोधन।

४—मूल अधिनियम की अनुसूची (schedule) के वर्तमान पैरा १ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और उसे सदा से रखा हुआ समझा जाय:—

"1. In section 6 of the said Act for the words 'day so named' the words 'commencement of the U. P. State Tube-Wells Act, 1936' shall be deemed to be substituted and for the words 'such application or use of the said water' the words 'the application or use of underground water for the purpose of a State Tube-Well' shall be deemed to be substituted."

शंकाओं का निवारण और कार्यवाहियों का वैधीकरण।

५—शंकाओं के निवारण के लिये एतद् द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि मूल अधिनियम की, जैसा कि इस अधिनियम द्वारा संशोधित किये जाने के पूर्व, वह वर्तमान था, धारा १ की उपधारा (२) और (३) में तथा धारा ३ में किसी बात के होते हुये भी १६ जून, १९४० से इस अधिनियम के प्रारम्भ

होने के दिनांक तक की अवधि में मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी प्राधिकारी द्वारा दी गई सभी आज्ञाएं, किये गये कार्य या की गयी कार्यवाहियां, जारी किये गये आदेश या प्रयोग में लाये गये क्षेत्राधिकार न्याय की दृष्टि से वैसे ही ठीक और वैध समझे जायंगे, मानों कि इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अथवा अनुसार विधिवत् ऐसी आज्ञायें दी गयी हों, कार्य किये गये हों, कार्यवाहियां की गयी हों, आदेश जारी किए गये हों और क्षेत्राधिकार प्रयोग में लाया गया हो।

उद्देश्य और कारण

यू० पी० स्टेट ट्यूब-वेल्स ऐक्ट, १९३६ में राज्य नलकूप सिंचाई निर्माण कार्यों (State Tube well Irrigation Works) के निर्माण, सुधार और रखरखाव की व्यवस्था की गयी है। धारा ३ तथा धारा १ की उपधारा (२) और (३) के उपबन्ध कुछ सीमा तक समव्यापी (overlapping) हैं और इससे विधिक तथा प्रशासकीय कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। अतएव इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये इस अधिनियम में संशोधन करने का विचार किया गया है।

इसी उद्देश्य से यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

कमलापति त्रिपाठी,
सिंचाई मन्त्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १०९ एल० ए०—१९५३—८५०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खंड १२८

अ

प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर

ब

व्यक्तिगत प्रश्न

स्थानिक प्रश्न

पी० एस० यू० पी०--ए० पी०--६१ एल० ए०--१९५४--८५०।